राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का छियालीसवां दिवस [संख्या : 15

गुरुवार,

12 अप्रैल, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बधाई एवं आभार

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): आज तो क्या बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वाह, साहब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात ही दूसरी है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मुबारक हो।

श्री उपाध्यक्ष: आप सबका आभार।

तारांकित प्रश्नोत्तर

माननीय श्री हरिसिंह रावत।

भीम-भीलवाड़ा क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग की मरम्मत/नवीनीकरण/ पुनर्निर्माण

295. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीम से भीलवाड़ा वाया करेड़ा, ब्यावर से भीलवाड़ा तथा (स्टेट हाइवे) 40 मील से सरदारगढ़ (आमेट) सड़क मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो कब से व उक्त मार्गों का पूर्व में सुधार कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मार्गों को दुरुस्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) जी नहीं। भीम से भीलवाड़ा वाया करेड़ा, ब्यावर से भीलवाड़ा तथा स्टेट हाइवे 40 मील से सरदारगढ़ (आमेट) सड़कों पर किये गये नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त सड़कों पर सुधार हेतु मरम्मत/नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हरिसिंहजी।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बड़े शार्ट में जवाब दे दिया। भीम से भीलवाड़ा वाया करेडा सड़क, कारोई-भीम वाया बागोर-बेमाली-करेड़ा-ज्ञानगढ़ थाना-राष्ट्रीय राज मार्ग-8 तक (खण्ड भीम), इन्होंने लिख दिया कि इसको रिपेयर कर दिया। दूसरा ब्यावर से भीलवाड़ा, इन सब सड़कों का इन्होंने पूरा विवरण दे दिया। लेकिन इस विवरण में से अगर वहां पर प्रैक्टिकली/फिजिकली जाकर देखें तो रोड के कुछ भी काम नहीं हुए हैं। पैच वर्क का इन्होंने ब्यौरा दिया है, कुल मिलाकर भीम से ब्यावर-भीलवाड़ा और भीम-भीलवाड़ा की पैच वर्क राशि है 579.85 लाख रुपया। मगर स्थिति यह है कि वहां पर पांच हजार का भी काम नहीं हुआ होगा। खाली यूं ही करके पूरे रोड को उससे भी ज्यादा बदतर कर दिया। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी पैच वर्क की इन्होंने लिस्टें दी हैं, अगर पुनः इसकी जांच करवायी जाए तो हकीकत मालूम पड़ जाएगी।

ब्यावर से भीलवाड़ा करीबन 105 किलोमीटर है लेकिन अगर आप खुद अपनी कार से जाएं तो आठ घंटे से पहले आप नहीं पहुंच पाएंगे। हालत ऐसी खस्ता है, साइड में रोड इतनी कटी हुई है कि अगर गाड़ी कहीं पर नीचे उतर गई तो वापस चढ़ नहीं पाएगी या सीधा एक्सीडेंट ही होगी। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि पैच वर्क जो आपने परिशिष्ट- '1' में बताया है उसकी पुनः जांच करवाई जाए।

दूसरा, स्टेट हाइवे 40 मील से सरदारगढ़ (आमेट), मादड़ी-आमेट-देवगढ़ ताल, करीब 1842 लाख रुपया आपने इसके पैच वर्क और छोटे-मोटे काम के लिए बता दिया कि इतना पैसा लग चुका है। जितनी भी मैंने रोड्स बताई इन रोड्स पर माइनिंग एरियाज पड़ते हैं। माइनिंग एरिया होने की वजह से हैवी व्हीकल्स चालीस टन, पचास टन माल लेकर, मार्बल और ग्रेनाइट लेकर निकलते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन

(श्री हरिसिंह रावत)

रोड्स का सुदृढ़ीकरण कराया जाए। रोड्स की इतनी खस्ता हालत है कि एक-एक, दो-दो फीट के खड्डे पड़े हुए हैं। इन्होंने इस पर खाली थोड़ा-सा पैच वर्क किया है, ऊपर से थोड़ा-सा केवल एक-एक, दो-दो इंच का डामरीकरण किया है जिसकी वजह से रोड वापस पूरी खतम हो गई।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन रोड्स की वापस जांच करवा कर इनका सुदृढ़ीकरण करवाया जाए। दूसरा मेरा आपके माध्यम से सप्लीमेंट्री सवाल है, क्या सरकार पूर्व की तरह इस बजट में भी सभी विधायकों को आठ किलोमीटर सड़क और पांच किलोमीटर धार्मिक मानकों के अन्तर्गत जो दिया जाता था, क्या पुन: देने का विचार रखती है?

दूसरा, मेरे द्वारा वर्णित उक्त सभी मार्गों के अन्दर माइनिंग एरिया पड़ता है, तो सरकार क्या पैच वर्क की जगह नवीनीकरण करने का विचार रखती है?

तीसरा, ब्यावर-भीलवाड़ा मार्ग पर माण्डल रेलवे पुलिया का ठेका कब और किसे दिया गया? आज उसकी वस्तुस्थिति क्या है? क्या पुनः इसकी जांच करवाई जाएगी? आज पांच-छह साल होने के बाद भी वह पुलिया अभी तक कम्पलीट नहीं है और अभी वह यातायात के लिए खोल दी गई है। क्या वह अपने नियमों के अन्तर्गत पूरी बनी है? नहीं है, तो क्या ठेकेदार और विभाग जिसने यह गलती की है, उसको कोई सज़ा देने का विचार सरकार रखती है?

तीसरा, पुलिया अपूर्ण होने के बावजूद भी यातायात खोल दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन सड़कों का उल्लेख किया है, ये तीन सड़कें हैं और मुख्य रूप से इनकी जो शिकायत है वह इस बात को लेकर है कि उन सड़कों की कंडिशन ठीक नहीं है, खराब है। तीनों सड़कों के बारे में मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि भीम से भीलवाड़ा वाया करेडा की सड़क है एम.डी.आर.-133 और यह आगे जाकर एन.एच.-758 में जाकर मिलती है उक्त सड़क की कुल लम्बाई 101.6 किलोमीटर है जिसमें भीम से कारोई तक 76.6 किलोमीटर एम.डी.आर.-133 है

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

एवं कारोई से भीलवाड़ा 25 किलोमीटर हाल ही में घोषित नेशनल हाइवे 758 (भीलवाड़ा-कांकरोली मार्ग) का हिस्सा है, जो कि भीम (0/0) से थाना ज्ञानगढ़, फाकलिया, चिताम्बा, बबाना, करेड़ा, बेमाली, चान्दरास, चैन का खेडा, सुराझ, बागोर, टूंका, कारोई गांवों को जोड़ते हुए भीलवाड़ा पर मिलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उक्त एम.डी.आर. 133 की 3.00 किलोमीटर (0/0 से 3/0 तक) भीम से भीलवाड़ा जिला सीमा तक लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संवेदक, आप जानना चाहते थे, संवेदक के.एल. सालवी, निवासी-देवगढ़ को आबंटित है एवं सीमेंट कांक्रीट सड़क का कार्य प्रगति पर है जो निर्धारित तिथि 7.5.2012 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

राज्य सड़क विकास नीति, 1994 के अनुसार मुख्य जिला सड़कों का नवीनीकरण 8 से 10 वर्षों के अन्तराल में होता है और उसके अनुसार सड़कें हम लेते हैं। इसमें आपकी कुछ किलोमीटर की सड़कें ड्यू हैं, दुबारा डामरीकरण के लिए। मगर उसकी राशि अधिक होने की वजह से, एक करोड़ 20 लाख के करीब है इसलिए अभी वर्तमान में उनकी स्वीकृति नहीं है। यह आपकी भीम से भीलवाड़ा सड़क के बारे में उल्लेख कर रहा हूं। आपकी जो तीन किलोमीटर सड़क है इस पर 57.60 लाख रुपये हैं, यह 7.5.2012 तक पूरी हो जाएगी।

इसी प्रकार जो आपकी दूसरी सड़क है ब्यावर से भीलवाड़ा सड़क, इसकी लम्बाई 93 किलोमीटर है। यह आपकी लगभग पूरी सड़क रिन्युअल में है। यह आपकी बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है और इसके ऊपर लगातार क्षेत्र में लोगों के प्रदर्शन भी हुए हैं, जिसकी ऐसी मुझे जानकारी मिली है। इस सड़क पर माण्डल क्षेत्र के अन्दर माण्डल चौराहा से बलाई खेड़ा, धुवाला तक 7.00 मीटर में, 20.40 किलोमीटर के हिस्से में चार करोड़ रुपये का कार्य हो रहा है और आसींद के अन्दर 66.60 किलोमीटर पूरा ही 31 करोड़ 10 लाख एण्ड 20 हजार की लागत से पूरा कार्य रिन्युअल का हो रहा है। आगे जाकर यह पूरा होगा सैवन मीटर आपकी सड़क है, तो यह आपकी पूरी सड़क 93 किलोमीटर रिन्यू हो जाएगी। इस सड़क की जितनी भी आपकी परेशानी है, मैं समझता हूं कि इस काम के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को रिलीफ मिलेगी।

तीसरी आपकी जो सड़क है वह है 40 मील से सरदारगढ़, वह स्टेट हाइवे संख्या-56 है और इसकी कुल लम्बाई 66 किलोमीटर है। इस सड़क का भी चार किलोमीटर में डामरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और 23

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

किलोमीटर डामर का कार्य भी पूर्ण हो चुका है, 23 किलोमीटर के कार्य का काम सैंक्शन है, जिसको 15.5.2012 तक पूर्ण किया जाएगा। इस प्रकार आपकी जो यह सड़क है, इसकी भी पोजिशन ठीक हो जाएगी। वर्क इन प्रोग्रेस है इसका।

रहा सवाल, आप कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जो बता रहे हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब कभी भी सदस्य तो दूर, कहीं किसी ने भी सड़क की गुणवत्ता के सम्बन्ध में, अभी जो वर्तमान में काम चल रहे हैं, उसकी जानकारी मुझे दी है, तत्काल उस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं। कहीं से भी कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत आएगी, तो हम सीधे उस मौके पर अधिकारियों को भेजकर और आवश्यकता होगी तो मैं खुद उसको जाकर देखता हूं। काम की गुणवत्ता के बारे में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के लोगों की तकलीफ है कि सड़कें जब बनती हैं तो जल्दी ही बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, इसको सुनिश्चित करने के लिये हम उसको ठीक कराने के लिये कमिटेड हैं। आपकी सड़क का भी मैंने अवलोकन किया है। एक सड़क जो भीम से कराई तक जाती है, आपकी इस सड़क पर मैं खुद 8 तारीख को गया हूं और मैंने पाया है कि सड़क सिंगल रोड है। बाकी जहां तक पाट होल्स हैं, उसमें उसकी स्थिति काफी संतोषजनक है खड्डों की दृष्टि से।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप छिपा रहे हो, आप तथ्य को छिपा रहे हो।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तो मेरी खुद की देखी हुई है, इसलिये छिपाने की स्थिति तो है नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कर्नल साहब, इनके बाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब ये पैच वर्क के काम एस्टिमेटेड थे, तो इनकी कुल कितनी कीमत आंकी गयी थी? उसके बाद में टेंडर कितने में दिया गया? उसके बाद में वह रुपये बढ़ाने की एप्लीकेशन कब आई? इस प्रकार यह सारी कार्यवाही जो विभाग में चली, उसके कारण इस विभाग में सारे कामों में विलम्ब हुआ, क्या यह सही नहीं है? नम्बर दो आप यह बताइये, भीलवाड़ा के लिये केकड़ी और मालपुरा होकर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जो रोड जाने वाली है, उसका टेंडर कब हुआ? बाद में उस टेंडर को कितने साल तक रोका गया और जी वी के वाले की ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह भीम से भीलवाड़ा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, भीलवाड़ा, चारों रास्ते ही भीलवाड़ा से जा रहे हैं। इसलिये मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, इसके मामले में आप यह बताएं कि कुल कितना एस्टिमेट पहले किया गया था? कम कीमत पर कितना आबंटन किया गया और फिर कीमत बढ़ाने के लिये कब किया? इस विभाग में संस्थागत भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ है जो कहीं नहीं हुआ। यह जवाब दो, आप छिपा क्यों रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कर्नल साहब, भीम से भीलवाड़ा है, थोड़ा रैस्ट्रिक्ट करें। (व्यवधान) एक मिनट, मंत्रीजी, साथ ही दे दें। साथ ही दे दें दोनों-तीनों का। अलग-अलग काहे को दें?

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बायतू में कुछ सड़कें हैं जिनकी मरम्मत की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष: यह भीम से रिलेटेड है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरी सड़क पचपदरा-पाटोदी-परेऊ नेशनल हाइवे 15 को जाइन करती है, यह करीब 60 किलोमीटर है। इसमें से करीब 50 किलोमीटर सड़क की मरम्मत है और यह मेरी करीब 35 पंचायतों को जोड़ती है। अभी मंत्रीजी उस एरिया में आये थे, पर वह दूसरे रूट से निकल गये थे। दूसरी जो सड़क है बाकूटी साजियों की ढाणी से, उस सड़क की हालत भी बहुत खराब है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कर्नल साहब, भीम से रिलेटेड है यह। (व्यवधान) आपका तो जवाब दे दिया न उन्होंने। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): यह सड़क पी एम जी एस वाई में बनी थी, तो क्या मंत्रीजी आश्वासन देंगे इन दोनों रोड के लिये?

श्री उपाध्यक्ष: हां, अब आप विराजो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो आने दो।

श्री उपाध्यक्ष: आपको सप्लीमेंट्री पूछना था तो उसी टाइम पूछना चाहिये था।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): यह बीच में ही खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: उन्होंने कह दिया ठीक करा दी जाएगी। आपको तो आश्वासन मिल गया न।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उन्होंने माडल पुलिया के बारे में कहां बताया? (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मंत्रीजी, इसके लिये कुछ बजट अलाट करवाकर इन सड़कों की मरम्मत कराएंगे? पी एम जी एस वाई में तो तीन साल में खराब हो गयी थी, पांच साल में खराब हो गयी थी, क्या उस कांट्रेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हरिसिंहजी को पूछ लेने दो, क्या शेष रह गया?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्लीयर पूरा जवाब दिया ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब पूरा क्लीयर दे दिया, आपने सुन लिया। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): कब दे दिया?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप क्या पूछना है, पूछिये। (व्यवधान) सप्लीमेंट्री क्या पूछना है? लम्बा नहीं, वह तो आपने पूछ लिया पहले।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ब्यावर-भीलवाड़ा रोड पर मांडलगढ़ में जो पुलिया निर्मित हुई है, उसका कब ठेका हुआ? किस फर्म को अन्य कार्य मिला है और इसकी क्या प्रगति रिपोर्ट है, उसके बारे में बताइये।

श्री उपाध्यक्ष: इनका जवाब आ जाने दीजिये, सिंह साहब। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि ब्यावर से लेकर गोमती तक फोर लेन की सैंक्शन हुई थी, तो क्या कारण रहा कि फोर लेन की जगह इसको मेगा हाइवे में परिवर्तन कर दिया गया? क्या ऐसा कारण रहा, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे स्पष्ट करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्षजी, इसी को आगे बढ़ा रही हूं। आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी के ध्यान में यह लाना

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

चाहती हूं कि देश भर में जितने नेशनल हाइवेज हैं, सरकार की यह योजना थी कि सारे नेशनल हाइवेज को फोर लेन करेंगे। केवल यह जो नेशनल हाइवे एन एच-8 है ...(व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): राजसमन्द से इसका क्या लेना-देना? मैं बोलूंगा, साहब। मैडम, आपके क्षेत्र की यह रोड ही नहीं है। यह हरिसिंहजी की और मेरी रोड है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिये। अपने विकास के बारे में ही बात है। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): यह स्पेशल क्वेश्चन है, इसी पर बोलें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसी पर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ...(व्यवधान) यह प्रश्न भीम से भीलवाड़ा का है, इससे हटकर कोई नहीं बोलेगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सुनने को तैयार नहीं हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ऐसे तो हर आदमी अपने एरिये का बोलने लग जाएगा। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरा सवाल भीम से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का सप्लीमेंट्री अंकित करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिये। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वह आपने पूछ लिया। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह भीम से भीलवाड़ा का है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय किरणजी, विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। अब मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ××× ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। इनका साथ आ जाए, उसके बाद जवाब दे देना। इनका आ जाने दो।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मंत्री महोदय, एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने भीम की सड़क का सवाल उठाया।

श्री उपाध्यक्ष: यह भीम से भीलवाड़ा है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): यह एम डी आर 33 सड़क है, यह भीण्डर, गंगापुर, रामपुर, भीम, करेडा होकर जाती है। एम डी आर 33 है। मंत्री महोदय, इसमें अभी सी आर पी एफ की भी स्वीकृति हुई है। क्या मंत्री महोदय इस सड़क को एम डी आर से स्टेट हाइवे घोषित करने का विचार रखते हैं? रखते हैं तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): पहले मेरे प्रश्न का जवाब दे दें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, जिन माननीय सदस्य का मूल प्रश्न है, वह तो तीन सड़कों से सम्बन्धित था, उन तीनों के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया है। रहा सवाल, माननीय सदस्य ने ब्यावर-गोमती वाले की चौड़ाई बढ़ाने के बारे में पूछा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): फोर ट्रैक का।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फोर लेन का। ट्रैफिक के आधार पर इसका क्राइटेरिया तय है। उसके अन्दर आता होगा तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा।

आपके प्रश्न का उसमें यह है। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): यह रिपेयर के बारे में? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब तो आने दीजिए। आपने पूछ लिया, जबाव आने दीजिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अच्छा, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: हां, माननीय मंत्रीजी।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने जो अपनी-अपनी बातें रखी हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि 19 तारीख को पीडब्ल्यूडी के ऊपर सदन में चर्चा होगी, जो भी आपकी कठिनाइयां हैं, कटौती प्रस्तावों के माध्यम से आप रखें। निश्चित रूप से सबका विधिवत रूप से आपको जवाब मिलेगा और गम्भीरता से उनके ऊपर चिन्तन करके हम जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी बेनीवाल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ताली तो मुख्य मंत्रीजी ने बजा दी लेकिन जवाब ही नहीं आया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास हेतु आबंटित राशि

296. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास हेतु विगत पांच वर्षो में कितना-कितना बजट आबंटित किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षो में सरकार द्वारा किस-किस प्रकार के क्या-क्या कार्य निष्पादित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विभाग में कितने-कितने पद किस-किस स्तर के कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (डा. राजकुमार शर्मा): (1) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को विगत पांच वर्षो में आबंटित बजट का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा गत 3 वर्षों में निष्पादित मुख्य कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) विभाग में विभिन्न स्तर के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(डा. राजकुमार शर्मा)

जी हां। पदों को यथाशीघ्र भरने की नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षो का आबंटित बजट का वर्षवार विवरण है, इसमें यह बता दें कि इन पांच वर्षो में खर्चा कितना-कितना हुआ है, नम्बर एक? नम्बर दो, यह सैटकाम क्या है? एसआईटी और आरओटी क्या हैं तथा इनकी फंक्शनिंग क्या है और इससे आम जनता किस प्रकार से लाभान्वित हो रही है? वैट लैण्ड मैपिंग क्या है तथा इसे किस प्रकार निष्पादित किया जा रहा है? एक साथ ही पूछ लूं या अलग-अलग? लम्बा है थोड़ा-सा।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जीआईएस आधारित डेटा बेस पैमाना क्या है? विस्तृत जानकारी दें। डिजिटइजेशन एवं रैक्टिफिकेशन क्या होता है? क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र के क्या कार्य हैं? (व्यवधान) हंस क्यों रहे हो? पूरी जानकारी लेंगे न। एक बार यह बता दें, फिर दुबारा पूछ लूंगा।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): उपाध्यक्ष महोदय, यह विज्ञान का सवाल है, माननीय सदस्य को समझ में नहीं आएगा। (व्यवधान) वैसे मैं सबसे पहले इनको शुक्रिया अदा कर देता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ऐसी क्या बात कर रहे हो? विज्ञान का सवाल है तो...(व्यवधान) इनको क्या जानकारी ज्यादा है हमारे से? ऐसी बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। आप ही का रिप्लाई दे रहे हैं। आपको एक मौका और मिलेगा। हनुमानजी, आप विराजिए। जल्दबाजी मत करिए।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): ...(व्यवधान) क्योंकि पिछली बार जब सदन चल रहा था तो माननीय सदस्य ने मुझ पर आरोप लगाया था कि शेखावाटी विश्वविद्यालय के नाम पर भोले भाले युवाओं का शोषण करके ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न तक ही सीमित रहें। माननीय मंत्रीजी, रिप्लाई तक ही सीमित रहें।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): बात आ रही है तो बात होगी। जब बात निकली है तो फिर जवाब भी आना चाहिए। उस

(डा. राजकुमार शर्मा)

समय इन्होंने जब शेखावाटी विश्वविद्यालय की बात की तो आज बता दूं कि हमने किसी को गुमराह नहीं किया। माननीय अशोकजी गहलोत की यह संवेदनशील सरकार है, शेखावाटी विश्वविद्यालय हमने कर दिया है, खोल दिया है इसलिए आप चिन्ता नहीं करें।

दूसरी बात, आप पूछ रहे थे व्यय की योजना, मैंने परिशिष्ट 'अ' पर आय-व्यय का ब्यौरा संलग्न कर दिया है। आपने सैटकाम के बारे में जो जानकारी चाही है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): खर्चा कितना हुआ, यह तो बताओ?

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): खर्चा मैं आपको बता देता हूं। वर्ष 2007-2008 में हमने 234 लाख रुपये खर्च किये हैं। इसके अतिरिक्त राशि साइंस पार्क, जयपुर और साइंस पार्क, झालरापाटन में विकास हेतु हमने दी है। वर्ष 2008-09 में हमने 559 लाख रुपये खर्च किये हैं। वर्ष 2009-10 में 341 लाख रुपये खर्च किये हैं। वर्ष 2010-11 में 396 लाख खर्च किये हैं। वर्ष 2011-12 में हम लोग 1811 लाख रुपये खर्च करने जा रहे हैं1 बजट घोषणाओं के लिए 1452.08 लाख रुपये अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): अब तक कितने खर्च कर दिये?

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): हमने अभी शुरूआत की है। बता रहा हूं आपको। साइंस क्लब प्लस सैटकाम..

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, वह अपनी सीट से सवाल नहीं पूछ रहे, कम से कम व्यवस्था तो देंगे आप। इनकी सीट भी नहीं है वह।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वर्ष 2011-12 में अभी तक पांच लाख रुपये खर्च किये हैं इन्होंने। घुमा गये आप। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी): हमारे पास एक-एक बात का जवाब है। आप चिन्ता मत कीजिए। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूं कि अशोकजी गहलोत की सरकार में कम से कम इस विभाग के अन्दर किसी ने सवाल तो पूछा, वरना इस विभाग को कोई जानता ही नहीं था।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसका मतलब हमें ही जानकारी है, आपको भी नहीं है।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): आपको जानकारी नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमने ही पूछा है यह सवाल।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सैटकाम के बारे में पूछा है, सैटकाम स्टूडियों का निर्माण हमने इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में इसरो के सहयोग से किया है। पांच करोड़ रुपये की लागत से किया है और उस सैटकाम स्टूडियो के माध्यम से हम लोग प्रदेश के पूरे जितने भी अधिकारी हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्यों से बात कर सकते हैं। एसआईटी और आरओटी की जो इन्होंने बात की है, जिला परिषदों पर हम लोगों ने जो वीडियो कांफ्रेंसिंग लगायी है, उसे एसआईटी कहते हैं और हमने जिनको पंचायत समिति पर लगाया है, उसको आरओटी के नाम से जाना जाता है। दूसरे विभाग आज हमसे किराये पर लेकर विभागवार बैठक कर सकते हैं, वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सकते हैं। टू वे वीडियो कांफ्रेंसिंग हमारे सैटकाम स्टूडियो के अन्दर अभी है। पूरे राजस्थान के अन्दर पहली बार उन बच्चों को जिनके माता पिता की आय बहुत कम है, माननीय अशोकजी गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग के छात्रों को हम लोग सैटकाम स्टूडियो के माध्यम से नि:शुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं।

आपने इसके अलावा साइंस पार्क के बारे में पूछा तो मैं कहना चाहता हूं कि तीन साइंस पार्क अभी राजस्थान में काम कर रहे हैं-एक शास्त्रीनगर में, दूसरा झालरापाटन में और तीसरा, मैं स्वयं सौभाग्यशाली हूं, झुन्झुनूं के अन्दर। शेखावाटी के अन्दर शिक्षा के स्तर को देखते हुए, साइंस के अन्दर बच्चों की रुचि को देखते हुए इस बार साइंस पार्क तीन करोड़ की लागत से माननीय मुख्य मंत्री ने नवलगढ़ में खोलने का निर्णय किया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पूरे राजस्थान में बता रहे हैं कि जिला परिषद मुख्यालय और पंचायत समिति मुख्यालयों पर एसआईटी और आरओटी टर्मिनल्स की स्थापना की गई है, नागौर जिले में तो एक भी चालू नहीं है जिला परिषद से लेकर ग्यारह पंचायत समितियों में। भीलवाड़ा के अन्दर भी मैंने देखा कि चालू नहीं है। अजमेर के अन्दर भी नहीं है। लेकिन यह कह रहे हैं, सब जगह लाभान्वित हो रहे हैं

(श्री हनुमान बेनीवाल)

लोग। गुमराह करने वाला जवाब देने से क्या मतलब है? कौन-कौन से बन्द पड़े हैं, यह बता दें आप?

श्री उपाध्यक्ष: विराजें आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विराजें क्या, और पूछंगा मैं। एक साथ ही पूछ लूं, बार-बार तकलीफ होगी क्योंकि इनको तो जवाब देकर इतिश्री करनी है। इनको ही पता नहीं है। मैंने ही विभाग ढूंढ-ढांढकर सवाल लगाया है, कितनी मेहनत की होगी मैंने।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि साइंस कांग्रेस के मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए प्रधान मंत्रीजी ने कोई टिप्पणी की थी? वह टिप्पणी अनुकूल थी या प्रतिकूल, एक तो इसका जबाव दें? और किस विश्वविद्यालय के लिए की थी? साइंस रिसर्च के सत्र में आप किन-किन विषयों को प्राथमिकता दे रहे हैं तथा किन-किन को प्राथमिकता में ले रखा है? क्या नैनो टैक्नोलोजी को आपने प्राथमिकता दे रखी है? यदि हां तो किस-किस प्रकार से? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं इनको?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ऐसा है कि विज्ञान की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई माननीय सदस्यों को भी इसकी आवश्यकता है। (व्यवधान) इसलिए पूरी मेहनत करके पढ़-लिखकर सारा बना कर लाया हूं मैं।

पेटेंट के प्रार्थना पत्र का अभिप्राय क्या है? आडियो विजुअल हाल्स क्या है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है? बायो गैस एनरिचमेंट एवं पावर जनरेशन फार रूरल एप्लीकेशन परियोजना क्या है? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक आखिरी सवाल है कि कितने-कितने पद, किस स्तर के कब से रिक्त हैं? इसके अन्दर सारे ही पद रिक्त पड़े हैं। कहने की जरूरत ही नहीं है। पूरे पिछले पांच साल का ही देख लें आप। निदेशक का एक पद रिक्त, परियोजना निदेशक के तीन पद रिक्त, परियोजना अधिकारी के पांच पद रिक्त, अनुसंधान अधिकारी के आठ पद रिक्त, सहायक कृषि अधिकारी का एक पद रिक्त, प्रोग्रामर के दो पद रिक्त, निजी सहायक का एक पद रिक्त। कुल मिलाकर तीस पद रिक्त हैं। तो फिर यह बताओ कि स्वीकृत पद कितने हैं पूरे राजस्थान के अन्दर? जब इतने पद रिक्त हैं तो फिर कैसे आप जनता को लाभान्वित कर रहे हैं, यह भी बताएं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्रीजी।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि जिला परिषद मुख्यालय पर एसआईटी और आरओटी बन्द हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दो दिन पहले ही हमने इंजीनियरिंग बच्चों के लिए इसका कोचिंग का कार्यक्रम शुरू किया है। उस समय 8 आरओटी बंद थे, उनको भी हम लोग यथाशीघ्र स्टार्ट करवा रहे हैं, क्योंकि बीच के अन्दर डिपार्टमेंट कोई उनको किराये पर लेता है तो उस समय वो इन्टरएक्शन करते हैं अपने अधिकारियों से।

दूसरा, नैनो टैक्नोलोजी के बारे में माननीय सदस्य ने बात की, मैं तो शुक्रगुजार हूं, मेरे यह विश्वविद्यालय के वरिष्ठ साथी हैं। विश्वविद्यालय के अन्दर जब हम लोग पढ़ा करते थे, वहां पर साइंस एण्ड टैक्नोलोजी का कोई भी विभाग नहीं हुआ करता था लेकिन आज मैं सौभाग्य के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा अनुच्छेद 155 वर्ष 2011-12 की अनुपालना में नैनो टैक्नोलोजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान विश्वविद्यालय में सेण्टर आफ कन्वर्जिंग टैक्नोलोजी के तहत अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित नैनो टैक्नोलोजी सेण्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं।

प्रधानमंत्रीजी की जो बात कर रहे हैं, राजस्थान के इतिहास में पहली बार राजस्थान बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। अब्दुल कलाम साहब, हमारे भारत रत्न उसमें पधारे थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी पधारे थे, हमारे राज्यपाल महोदय पधारे थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राजस्थान के इतिहास में जब हमारे यहां पर राजस्थान बाल विज्ञान कांग्रेस हुई तो उसमें मिसाइल मैन ने तारीफ की कि राजस्थान के अन्दर साइंस का स्टैण्डर्ड बहुत अच्छा है और आप विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इन बच्चों को प्रोत्साहन दो। पांच हजार रुपये से बढ़ा कर दस हजार रुपये की राशि उन बच्चों को इन्स्पायर करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कर दी है। इसके अलावा भारत सरकार के माध्यम से हम लोगों ने 17 करोड़ रुपये के इन्स्पायर अवार्ड, राजस्थान पहला स्टेट है पूरे भारत में, जिसने इन्स्पायर अवार्ड का फायदा उठाया और प्रत्येक जिले को हमने 50 लाख रुपये तक की राशि दी जो उन बच्चों के हाथ में सीधे पहुंची। वो बच्चे आज माडल बना कर विज्ञान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पहले विज्ञान यह पढ़ते थे कि हमें एम.बी.बी.एस. करना है लेकिन आज हम चाहते हैं कि विज्ञान वो पढ़े जो वैज्ञानिक की तरफ भी जाए,

(डा. राजकुमार शर्मा)

विज्ञान की तरफ जाए, क्योंकि जिस कण्ट्री की, जिस स्टेट की साइंस एण्ड टैक्नोलोजी मजबूत है वो कण्ट्री और वो स्टेट निश्चित रूप से तरक्की करता है।

माननीय सदस्य ने एक और सवाल पूछा था। पता नहीं कितने सवाल लेकर आये हैं, क्योंकि पूरी रात भर इनको पढ़ना पड़ा है। और ज्यादा जानकारी देंगे तो मैं जहां तक समझता हूं कि या तो मैं आपके पास आ जाऊं या मेरे पास आ जाना, पूरा का पूरा आपको एटलस समझा दूंगा कि हमने कौन-कौनसी मृदा एटलस, मृदा एटलस के बारे में बता दूं कि किसानों को गुणवत्ता प्रमुख कृषि का काम सिखाने के लिए मृदा एटलस की भी हम लोगों ने यहां राजस्थान के अन्दर शुरूआत की है माननीय मुख्य मंत्रीजी के शुभ हाथों से।

जो पद खाली हैं, उनकी बात यह कर रहे थे, मैं मानता हूं उस बात के लिए, क्योंकि हमारा यह जो विभाग है इसमें काडर नहीं है। काडर को बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शुरूआत की है, वो प्रक्रियाधीन है। कुछ एक्स काडर की बात है, अलग-अलग डिपार्टमेंट से सभी तरफ के लोग लेकर इस विभाग को चला रहे हैं। चारों तरफ से, साइंस के भी हैं, एजुकेशन से भी ले रखे हैं, हमने सूचना एवं प्रौद्योगिकी से भी ले रखे हैं। इस तरह से लेकर यह डिपार्टमेंट चल रहा है। टोटल 130 हैं और उसमें से 29 पद खाली हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम लोग शुरूआत कर रहे हैं, प्रक्रिया में हैं, निश्चित रूप से वो पद जल्दी ही भर दिये जाएंगे।

श्री उपाध्यक्षः माननीय श्री सुरेन्द्रजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्षः इसी से सम्बन्धित है?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा)ः हां, इसी से सम्बन्धित है।

मंत्री महोदय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हालांकि आप उसको कन्फ्यूज कर गये, प्रधानमत्री की टिप्पणी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रति बहुत अनुकूल थी, जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एन्वायर्नमेंट पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा हमारे सामने विषय है। कार्बन फुटप्रिण्ट्स में सी डी एम के मैथड पर हमने बहुत-सी बातें कीं, मुझे आप यह बता दें, आपके कितने ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज में पंजीकरण कराया? पंजीकरण करवाने के उपरान्त में जितना प्रोत्साहन उस टैक्नोलोजी के माध्यम से उन डिपार्टमेंट को मिला, क्या

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उन्होंने उस प्रोत्साहन की राशि को उपयोग किया या उनको इसकी जानकारी नहीं थी? ऐसे कितने डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने साइंस और रिसर्च के उस मैथड में ग्रीन-एनर्जी के माध्यम से जहां पंजीकरण कराना था, कराया तो उसका उपयोग नहीं किया और नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया?

दूसरा, फ्लोराइड की अपने यहां बहुत बड़ी शिकायत है, कार्बन नैनो ट्यूब्स के नाम से एक बहुत बड़ी रिसर्च विंग है जो इन फ्लोराइड से सम्बन्धित या वाटर से सम्बन्धित चीज की मात्रा को कम करके पीने लायक पानी बनाती है।

दूसरे, क्या आपको यह जानकारी है कि ह्यूमन यूरिन, यह हंसने की बात नहीं है, ह्यूमन यूरिन को केमिकल फर्टिलाइजर के अलावा उपयोग करके एग्रीकल्चर रिसर्च में मैन्योर के रूप में लेने की कोई बात हुई है? केमिकल फर्टिलाइजर को कम करके खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई रिसर्च विंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माध्यम से चालू हुई है या नहीं हुई है?

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मंत्रीजी। माननीय फूलचन्दजी भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, पिछले पांच वर्ष के बजट के आंकड़े दिये गये हैं लेकिन जो व्यय हुआ है वो 50 परसेंट से भी कम है, इसके क्या कारण रहे? बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, जितना यह डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, उतना ही निश्चित रूप से लाभ होगा इसके कारण से। यह व्यय कम क्यों रहा है, इसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसी के अन्दर मेरा है, इसी में।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप नैनो टैक्नोलोजी के बारे में कह रहे हैं, इनको जानकारी तो है कि नैनो टैक्नोलोजी क्या है?

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा नहीं है। हां, मंत्रीजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मेरा भी एक साथ ही आ जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, आप जवाब आने दीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक सैकण्ड, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल किया है कि इनको जानकारी है क्या, तो यह मंत्रीजी का टैस्ट कर रहे हैं यहां पर या सवाल पूछ रहे हैं? आप इजाजत दे रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री को जानकारी होती है।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): नहीं, नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, जो भी टैस्ट करेंगे उस टैस्ट के अन्दर फर्स्ट डिवीजन आऊंगा, इतना वादा मैं आपसे करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब दीजिए, मंत्रीजी।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, प्रधानमंत्री साहब की जो बात कर रहे हैं वो हमारे राजस्थान के अन्दर जो बाल विज्ञान कांग्रेस हुई थी उसमें नहीं पधारे थे वो, उड़ीसा के अन्दर सीनियर बच्चों की, सीनियर जो साइंटिस्ट थे उनकी जो विज्ञान कांग्रेस हुई थी उसके अन्दर उन्होंने अनुकूल टिप्पणी की थी, निश्चित रूप से हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है। उसमें मैं तारीफ करना चाहूंगा। उस समय हम लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से भी और प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखकर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया था कि कम से कम हमारे स्टेट को इतना आनर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने किया।

दूसरा जो आपने फ्लोराइड की बात की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पिछले बजट सत्र के अन्दर कई गांवों के अन्दर खारे पानी को और जो फ्लोराइडयुक्त पानी है उसको मीठा करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए आर.ओ. प्लाण्ट जगह-जगह पर लगाये हैं। आज मुझे पूरे सदन को अवगत कराते हुए खुशी है कि इस बजट के अन्दर पिछली बार हमारे पास कम थे परन्तु इस बार दस करोड़ रुपये, दस करोड़ रुपये की लागत से रिवर्स ओसमोसिस तकनीक के आधार पर 50 संयंत्रों को स्थापित कर विभिन्न जिलों के अन्दर गुणावगुण देखकर खारे पानी को मीठा करके हम लोग लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, हमारा विभाग दिन-रात मेहनत कर रहा है। एन्वायर्नमेंट की बात आपने की, वो ...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं तो आपको इतना कह रहा हूं कि नैनो ट्यूब्स के माध्यम से बनारस यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा रिसर्च इसमें किया है और गवर्नमेंट आफ इंडिया

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)
की मिनिस्टरी आफ ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट इसको प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि फ्लोराइड की हमारे यहां कमी है। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, You can use it because अभी हम जो रिवर्स ओसमोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, सिम्पल मैथड है, अगर नैनो ट्यूब के माध्यम से हम इसकी माइक्रो बाइलोजी देखेंगे तो यह चीज होगी। मैं कोई इस चीज को नकार नहीं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वो जवाब में आ गया, आप सुझाव अलग से दे देना। माननीय श्री सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): लेकिन मैं यह चाह रहा हूं कि इसकी कम से कम आप ...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सवाल, आखरी सवाल है मेरा। बड़ी मुश्किल से तो लगते हैं सवाल, साहब। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में ...

श्री उपाध्यक्ष: मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, साहब, अब बीच में छोड़ थोड़े ही सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने दे दिया, इसके बाद दूसरे माननीय सदस्य ने जानकारी ले ली।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक, एक।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप कृपा करिये। माननीय श्री सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): लगता ही कहां है, बड़ी मुश्किल से लगा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया, अगला प्रश्न पुकार लिया। माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह जी जाड़ावत। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी-सी जानकारी आप मंत्रीजी से दिला दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी का अंकित हो रहा है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

चित्तौड़गढ़ के सांकलखेड़ा बांध निर्माण में अवाप्त भूमि का मुआवजा

297. श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के सांकलखेड़ा बांध व माइनर का निर्माण वर्ष 2007-08 में हुआ था? क्या उक्त बांध निर्माण में अवाप्त की गई कृषि भूमि का सरकार द्वारा अब तक मुआवजा जारी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) वर्तमान में उक्त बांध के उदपुरा माइनर निर्माण में लगभग 35 से अधिक किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि की प्रक्रिया किस स्तर पर है?

(3) अब उदपुरा माइनर की लम्बित मुआवजा राशि किसानों को कब तक भुगतान कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी हां। बांध निर्माण में कुल 42 काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई, जिसका पूरा मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।

(2) उदपुरा माइनर निर्माण में अवाप्त की जाने वाले भूमि की अवाप्ति हेतु धारा चार की कार्यवाही प्रारम्भिक स्तर पर है।

(3) पूर्व में भूमि अवाप्ति हेतु धारा चार एवं धारा 17(1) की कार्यवाही कर अवार्ड जारी करने हेतु जिला कलक्टर को स्वीकृति हेतु भेजा गया लेकिन उन्होंने 17(1) की कार्यवाही करने से मना कर दिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इस कारण धारा चार की कार्यवाही कालातीत हो जाने के कारण अब पुन: धारा चार की कार्यवाही की जा रही है। यथासम्भव समस्त कार्यवाही आगामी 6 माह में पूर्ण कर मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत का अंकित हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा हाउस को आर्डर में लाओ तो फिर मैं बोलूं। क्योंकि जो मंत्रीजी ने बोला वह मेरे समझ में नहीं आया, मैं बोलूंगा वो उनके समझ में नहीं आएगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी बेनीवाल, आप विराजिए। आप विराजें, दूसरा प्रश्न आ गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब वो आ गया, आप प्रोसीजर से वाकिफ हैं, बहुत समझदार सदस्य हैं, आपकी काबिलियत पर पूरे सदन को नाज है। आप काबिल सदस्य हैं, काबिल सदस्य को विराज जाना चाहिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत का अंकित हो रहा है। दूसरा प्रश्न आ गया 297.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। आपने बोल दिया, उसको चार दफा रिपीट नहीं करते हैं। आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें, आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। माननीय हनुमान जी बेनीवाल।

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप, सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत, पूछें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप इतने समझदार होते हुए क्यों कर रहे हैं, आप अपने आपको माकरी क्यों बना रहे हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजें, आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सदन का कार्य चलने दीजिए, आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप साथ-साथ पढ़े हो कालेज में, जानते हो आप, विराजें आप। माननीय सुरेन्द्र सिंहजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी, मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप विराजें। आप विराजें, आपसे निवेदन है। हनुमानजी बेनीवाल, आप विराजें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सांकलखेड़ा बांध 2007-08 के अन्दर कम्पप्लीट हो गया था। पिछली सरकार के अन्दर मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब थे, तब यह सांकलखेड़ा बांध मंजूर हुआ था और तत्कालीन सिंचाई मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती कमलाजी के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ था। सरकार बदली उसके साथ-साथ इस बांध का निर्माण कार्य ठप्प हो

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

गया। मुआवजा उन काश्तकारों को कभी का मिल जाना चाहिए था लेकिन 2007-08 में कम्पलीट होने के बाद भी अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला।

मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि छह माह की अवधि काफी अधिक है, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के ही सारे व्यक्ति हैं जो बड़ी बेसब्री से इन्तजार कर रहे हैं कि जो हमारी जमीनें ली गयी हैं उन जमीनों का मुआवजा जल्दी से जल्दी दे दिया जाए। यह मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं आपके माध्यम से।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सांकलखेड़ा लघु सिंचाई परियोजना के लिए 113 काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गयी। उसमें से 78 काश्तकारों का अवार्ड जारी हुआ और पैंतीस का अवार्ड जारी नहीं हो पाया। जो अवार्ड जारी हुआ उसमें से 64 काश्तकारों को भुगतान कर दिया गया है। ग्यारह काश्तकारों के रिकार्ड में कुछ चेंजेज होने की वजह से भुगतान नहीं कर पाये, तीन काश्तकारों ने मुआवजा लेने से मना किया। पैंतीस जो काश्तकार हैं उनके लिए सैक्शन-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 17(1) के तहत कार्यवाही की परन्तु सैक्शन-6 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जबकि सैक्शन-6 का नोटिफिकेशन जारी किया जाना आवश्यक था। लैण्ड एक्वीजिशन आफिसरों ने कलक्टर के पास सैक्शन-6 का नोटिफिकेशन जारी किये बिना 17(1) के तहत ही अवार्ड एप्रूवल के लिए लिखा। कलक्टर के वहां लम्बे समय तक यह मामला पडा रहा और फिर आखिर में कलक्टर ने मना कर दिया कि सैक्शन-6 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ इसलिए अवार्ड का एप्रूवल नहीं दिया जा सकता। सैक्शन-4 का नोटिफिकेशन जारी होने के दो साल के अन्दर-अन्दर अवार्ड जारी हो जाना चाहिए। दो साल के अन्दर-अन्दर अवार्ड जारी नहीं हुआ इसलिए वो कार्यवाही लैप्स हो गयी। अब नये सिरे से सैक्शन-4 का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा और सैक्शन-6 का जारी करके अवार्ड जारी करना पड़ेगा। इसलिए इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा।

लेकिन इस पर तुरन्त हम सैक्शन-4 का नोटिफिकेशन जारी करके कार्यवाही शुरू कर देंगे और जल्दी से जल्दी इन काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान कर देंगे। अब सैक्शन-4 का नोटिफिकेशन जारी होने से उन काश्तकारों को जो अवार्ड मिलेगा, वह आज की डी एल सी की रेट से तय होगा। पहले जिन काश्तकारों को मुआवजा मिला, उस रेट से नहीं आज की रेट से उनको मुआवजा दिया जाएगा, यह भी मैं काश्तकारों को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सुरेन्द्र सिंहजी, संतुष्ट?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भाटीजी, छोटूसिंहजी को अलाउ कर दें आपके पहले।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 2007-08 में लैण्ड एक्वीजिशन कम्पलीट हो गया, उसके बाद में दो साल का जो गैप हुआ है, उस दो साल के गैप में जो अधिकारी दोषी हैं, क्योंकि अगर यह नहीं होगा...

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने परमिशन किसको दी है, यह तो बताओ? दो-दो आदमी एक साथ बोल रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, दो साल से आधे लोग, तेरह लोगों को दे दिया ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात आ गयी। आ गयी बात। 2007-08 का मामला अब क्यों आया है, कोई अधिकारी तो दोषी होगा, यही कहना है न।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, जिन्होंने ले लिया मुआवजा, सैक्शन-6 जारी होने से पहले मुआवजा दे ही नहीं सकते। किस आधार पर दे दिया?

श्री उपाध्यक्ष: अब वह कानून की बात अलग है। किसान के पक्ष की बात है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यहां कानून की बात नहीं करेंगे तो क्या ताली बजाने की बात करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता मैं हूं और सांकलखेड़ा बांध के अन्दर जो विलम्ब हुआ, उसकी जिम्मेदारी जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, पूरी तरह से इन पर है। इनकी जिद की वजह से, वह सांकलखेड़ा बांध जो 2004-05 में बन जाना चाहिए था, यह डटे रहे कि जहां पर कमला जी शिलान्यास करके गयी हैं उस जगह शिलान्यास नहीं होकर दूसरी जगह शिलान्यास किया जाए। (व्यवधान) यह चलता रहा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न समाप्त। अगला प्रश्न ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): कई बातें टैक्निकल एक्सपटर्स ने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

धौलपुर ला कालेज भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति

298. **श्री अब्दुल सगीर खां** (धौलपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में धौलपुर ला कालेज हेतु भूमि का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो कब तक और कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर विधायक निधि से ला कालेज की चारदीवारी का निर्माण हो चुका है।

(3) क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त भूमि पर ला कालेज भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा, आप विराजें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए, आपका अंकित नहीं हो रहा। शिक्षा मंत्री जी का अंकित हो रहा है। शिक्षा मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. दयाराम परमार): (1) जी हां। जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा उनके पत्र दिनांक 29.9.2009 के द्वारा राजकीय विधि महाविद्यालय, धौलपुर के भवन हेतु राजकीय चरागाह भूमि आर.जे. खसरा नम्बर 703/869 में से 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि भू राजस्व नियम 1963 के तहत आबंटित की जा चुकी है।

(डा. दयाराम परमार)

(2) जी हां।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा आठ विधि महाविद्यालयों के लिए भवन स्वीकृत किये गये हैं जिनका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इनका कार्य पूर्ण होने पर अगले चरण में धौलपुर विधि महाविद्यालय का भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सांकलखेड़ा बांध का मामला है, आपका अंकित नहीं हो रहा है आप विराजें।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्नकर्ता।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): 1974 में धौलपुर में ला कालेज स्थापित हुआ...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। अब्दुल सगीर खां का अंकित हो रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें, अब्दुल सगीर खां का अंकित हो रहा है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): The House be brought in order please. What is happening in the House?

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए, आप विराजिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब्दुल सगीर खांजी का अंकित हो रहा है।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूं माननीय भाटी साहब, यह प्रश्न पर्टीकुलर स्थान का है, पर्टीकुलर जिले का है। आपकी भावना है कि किसान का हक मिलना चाहिये। 2007 से 2008 के बीच और आज का नोटिफिकेशन होगा तो मंत्रीजी का जवाब आया है कि आज की तारीख से नयी दर के आधार पर देंगे। अब जो आपका है, वह किसी और माध्यम से आइये। इस प्रश्न में डिसीजन नहीं होगा। डिसीजन हो गया इसलिये अब्दुल सगीर खांजी का प्रश्न चल रहा है। आप किसी और माध्यम से आएंगे। रूल्स एण्ड प्रोसीजर है। आप तो सीनियर मैम्बर हैं, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, आपकी भावना सरकार तक पहुंच गयी। किसान को मुआवजा जितना ज्यादा मिल सके, मिले, यह बात मंत्रीजी ने बता दी। माननीय श्री सगीर खांजी, प्रश्न पूछिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर ला कालेज की स्थापना 1974 में हुई और आज की तारीख में ला क्लासेज गवर्नमेंट कालेज धौलपुर में चल रही हैं। लगभग 250 विद्यार्थी वहां अध्ययन कर रहे हैं जिसमें काफी बच्चियां पढ़ रही हैं। बालिकाएं पढ़ रही हैं। मैंने अपने विधायक कोष से बाउण्डरी में 10 लाख रुपये लगवाये हैं और गेट बना हुआ है। 2009 में यह भूमि आबंटित हो गयी उसके लिये धन्यवाद। मैंने 3-3.50 लाख रुपये की लागत से कालेज के अन्दर जहां अभी क्लासेज चल रही हैं, बाथरूम, टायलेट्स बालिकाओं के लिये बनवाये हैं। मुख्य मंत्रीजी यहां तशरीफ फरमाये हैं और पिछड़े क्षेत्र के लिये भी बहुत ख्याल रखते हैं, धौलपुर कालेज के अन्दर भवन निर्माण की, जो आपने 8 कालेजेज में दिये हैं, मैं, मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसकी स्वीकृति इस बजट में देने की आप घोषणा करेंगे और जल्दी से वहां भवन बनवाने का कार्य करेंगे?

नम्बर दो, वहां पर ट्वैल्थ पढ़ने के बाद फाइव ईयर्स का कोर्स नहीं है। अगर आप वहां यह इण्ट्रोड्यूज कर दें तो मुझे लगता है कि वहां पर शिक्षा की बहुत कमी है, बहुत सारी बालिकाएं-बालक लॉ क्लासेज में वहां एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एण्ड टैक्सेशन, यह राजस्थान की भी एक मांग है। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या आप कंसिडर करेंगे कि डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एण्ड टैक्सेशन भी लागू किया जाए? धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य 250 लड़के कह रहे हैं, हमारे रिकार्ड के अनुसार केवल 15 विद्यार्थी ही ला कालेज में हैं।

दूसरा, हमारे पास में 15 महाविद्यालय हैं उनमें से 2 का काम कम्पलीट हो चुका है, शेष 8 का चल रहा है। उनका काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण में धौलपुर महाविद्यालय का भवन बनाएंगे। जिस विषय का आप जिक्र कर रहे हैं, भवन बनने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। ला कालेज में हम केवल थ्री ईयर डिग्री कोर्स ही चलाते हैं, 5 साल का नहीं है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी के स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करता हूं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता हैं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आपको जिसने सूचना दी है कि मात्र 15 विद्यार्थी ही पढ़ते हैं, यह सरासर गलत है। काइंडली वैरीफाई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धौलपुर से सम्बन्धित मामला है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं खुद कालेज में गया हूं, फंक्शन में गया हूं। मुझे वहां उद्घाटन करने के लिये बुलाया था किसी कार्यक्रम में। लगभग 200 से ऊपर फर्स्ट ईयर, सैकिण्ड ईयर और फाइनल में बच्चे पढ़ते हैं, मात्र 15 नहीं। दूसरी बात, इस तरह की आपके पास इन्फोर्मेशन आती है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यहां पर बात कही कि 8 विधि महाविद्यालयों में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यह कंस्ट्रक्शन का काम जब पूरा हो जाएगा तब हम इस पर विचार करेंगे। मेरा तो आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि क्या कम से कम आप इस वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण की स्वीकृति दिलाने का विचार करते हैं या नहीं? कब करते हैं और कब भवन निर्माण की स्वीकृति दिलाएंगे? बार काउंसिल आफ इंडिया के नार्म्स से बनवाने का इरादा रखते हैं या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: आपको क्या कोई प्रश्न करना है धौलपुर का?

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): जी हां।

श्री उपाध्यक्ष: जल्दी पूछिये। अगला प्रश्न एक और लेना चाहते हैं।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): यह 8 जगह जहां आपने स्वीकृति दी है, कृपया उनके नाम बताएं। कब काम शुरू हुआ और कब खतम होगा, यह बता दीजिये। किस आधार पर आपने यह चयन किया है और धौलपुर को छोड़ दिया, कृपया यह बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8 महाविद्यालयों में काम चल रहा है इसमें बीकानेर, सीकर, अलवर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा तथा गंगानगर हैं। स्टूडेंटस की संख्या के आधार पर उनका चयन किया गया है और जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा, धौलपुर का काम दूसरे चरण में प्रारम्भ किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: बस।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, कब? 10 साल...(व्यवधान) कहां शिक्षा की बात करते हैं।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): कितने साल बाद? (व्यवधान) कृपा करके गोलमोल जवाब न दीजिये। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): धौलपुर जिला अत्यन्त पिछड़ा हुआ जिला है जहां पर कालेज है। करीबन 123 बच्चियां पढ़ती हैं..(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): धौलपुर के नाम पर आप शिक्षा के लिये भवन निर्माण की बात नहीं करते...(व्यवधान) करना है कि नहीं करना है? (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेडी): आप इस तरह की दोहरी नीति अपना रहे हैं। क्यों पंचायत करना चाहते हैं आप...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): हम तो इतना ही चाहते हैं कि भवन बन जाए। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): क्या धौलपुर नक्शे में नहीं है राजस्थान के? धौलपुर नक्शे में नहीं है क्या राजस्थान के में? कहीं भी कोई प्रावधान नहीं रखते आप...(व्यवधान)

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सदस्य ने पूछा...(व्यवधान) छात्रों की संख्या जो 15 बतायी है, उसकी जांच करा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त। अगला प्रश्न। श्री कल्याण सिंहजी... (व्यवधान) श्री कल्याण सिंह जी का अंकित करेंगे...(व्यवधान)

पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन

299. **श्री कल्याण सिंह चौहान** (नाथद्वारा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

क्या सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 109 में धारा 80(2) सी पी सी के अनुसार संशोधन करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह): जी नहीं। वर्तमान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-109 में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री कल्याण सिंहजी का अंकित होगा। प्रश्न पूछिये। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्याण सिंहजी, आप प्रश्न पूछिये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा जो कालेज की बिल्डिंग की बात की गयी है, यह बात सच है कि जो सीमावर्ती जिले हैं चाहे धौलपुर हो, करौली हो, चाहे झालावाड़ या बारां हो, चाहे जैसलमेर, बाड़मेर हो, मैंने पहले भी कहा है कि इन जिलों पर ज्यादा तवज्जोह दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। आपकी जो मांग है बिल्डिंग की, उसको हम प्रायोरिटी पर शुरू करवाएंगे, इतना मैं आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय कल्याण सिंहजी। (व्यवधान) बात आ गयी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब कल्याण सिंहजी का प्रश्न है। आप कल्याण सिंहजी को सप्लीमेंटरी करने दीजिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हां, कल्याण सिंहजी।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा, क्या सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 109 में धारा 80 (2) सी पी सी के अनुसार संशोधन करने का विचार रखती है, कि नहीं? मुझे उत्तर मिला कि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

मैंने तो साफ पूछा है, यह विचार रखती है, कि नहीं ? पहला तो मेरा प्रश्न यह है।

दूसरा, पंचायती राज अधिनियम की धारा 109 में पंचायती राज पर केस करने के लिये 2 माह का नोटिस देना पड़ता है जबकि पुलिस कार्यवाही में सी पी सी में धारा 80 (2) में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में कण्ट्रोवर्सी है। आज पंचायती राज अधिनियम की धारा में संशोधन किया जाए, 2 महीने के नोटिस में व्यक्ति को कितना नुकसान हो जाएगा? यह माननीय मंत्रीजी जवाब दें।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के अन्य किसी मामले में यह प्रावधान है लेकिन पंचायती राज के अन्दर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इसमें कोई संशोधन करने की सरकार मंशा रखती है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

प्रश्न संख्या-300

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

माण्डलगढ़ के चिकित्सालयों में महिला चिकित्सक का पद स्थापन

301. **श्री प्रदीप कुमार सिंह** (माण्डलगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में कितने पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र (ए एन एम सेण्टर) नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को एड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के चिकित्सालयों में महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(12.00 बजे)

राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (डा. राजकुमार शर्मा): (1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के अन्तर्गत आने वाले 7 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चिकित्सा संस्थान स्वीकृत नहीं हैं। परन्तु उनके अधीन आने वालों ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। 7 ग्राम पंचायतों के नामों का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के अन्तर्गत पंचायत समिति माण्डलगढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं पंचायत समिति कोटड़ी का आंशिक क्षेत्र आता है। बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में 3 हजार नये उप स्वास्थ्य केन्द्र आगामी 2 वर्षों में खोले जाने की घोषणा की गयी है। अतः गुणावगुण/आवश्यकतानुसार पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाएगा।

(3) जी नहीं। उप स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र (एड पोस्ट) में क्रमोन्नत करने का वर्तमान में प्रावधान नहीं है। भारत सरकार के द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र (एड पोस्ट) में क्रमोन्नत करने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं करवाने के कारण पूर्व में संचालित उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र (एड पोस्ट) वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में राजस्थान में संचालित हैं।

(4) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के अन्तर्गत 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-माण्डलगढ़, बिजोलिया एवं काछोला संचालित हैं और उक्त तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) के पद स्वीकृत हैं। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी का 1 पद स्वीकृत करवाये जाने का प्रावधान है। अलग से महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत करवाये जाने का प्रावधान नहीं है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। विराजिये, माननीय सदस्य। अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

अनुपस्थिति अनुमति

मलखान सिंह, श्री, सदस्य को अष्टम् सत्र के लिए

मुझे सदन को सूचित करना है कि मलखान सिंह, सदस्य, विधान सभा ने कारागृह में निरुद्ध होने की विशेष परिस्थितिवश अष्टम् सत्र की बैठकों

(श्री उपाध्यक्ष)

से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम अनुमति नहीं देंगे तो उनको यहां ले आएंगे क्या आप?

श्री उपाध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री बनवारी लाल सिंघल एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जिला अलवर के शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के साथ कथित लूट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से अनुदानित, अर्द्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों का पदस्थापन नहीं करने एवं वेतन सम्बन्धी समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।
3. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से राज्य की सभी सीमेन्ट कम्पनियों द्वारा आपसी समझौता कर सीमेंट के भावों में बेशुमार वृद्धि कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर शहर की तमाम मुख्य सड़कें क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह मंत्री ही आसन का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

5. **श्री उपाध्यक्ष**: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से जिला कोटा में गेहूं के समर्थन मूल्य में एफ.सी.आई. द्वारा 100 रुपये क्विंटल का बोनस नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से सीकर एवं झुंझुनूं में ओलावृष्टि व बेमौसमी बरसात से फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्य श्री बनवारी लाल सिंघल एवं श्री कैलाश चन्द भंसाली आज पर्ची के माध्यम से सदन में अपने विचार प्रकट करेंगे।

7. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सीकर में घोर अनियमितता होने के सम्बन्ध में।

8. श्रीमती अनिता भदेल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी के तहत गरीबों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के नाम पर विकासकर्ताओं और बिल्डरों को मालामाल करने की साजिश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य 10 माह से बंद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन सं. एफ 14 (38) पालिसी/आरपीसी/सीएलवी/1510-41 दिनांक 24.06.2011 से उद्योगों को होने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री पेमाराम, श्रीमती अनिता भदेल, श्री ज्ञानचन्द पारख एवं श्रीमती किरण माहेश्वरी को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से तहसील विराट नगर की पंचायत समिति नवरंगपुरा एवं करेली गांव का सर्वे करवाकर दोनों जगह व्यवस्थित सब्जी मण्डी यार्ड बनाने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की पंचायत समिति मण्डोर के कतिपय गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

3. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से नगर परिषद श्रीगंगानगर में पूर्व में हुए तथा वर्तमान में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

4. श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर में पुनः यू.आई.टी. की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

5. श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के गांव बिगोद की पेयजल योजना का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में।

6. श्री मानसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर के ग्राम जसराना के उप स्वास्थ्य केन्द्र को पुनः स्वीकृत करने के सम्बनध में।

7. श्री रमेश चन्द मीणा, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति सीमलवाड़ा में हुई नाव दुर्घटना के मृतकों एवं घायलों को सहायता देने के सम्बन्ध में।

8. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के फ्लोराइडयुक्त पेयजल वाले गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

9. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के शिक्षा विभाग के कार्यालय की कार्य शैली एवं मौजूदा कार्मिकों की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

10. श्री सूरजभान धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में पेयजल की भारी किल्लत का समाधान करने के सम्बन्ध में।

11. श्री पवन दुग्गल, सदस्य की ओर से अनूपगढ़ से जयपुर तक संचालित रात्रिकालीन निजी बसों को तुरन्त बंद करने के सम्बन्ध में।

12. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्य श्री पेमाराम।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): गैर शैक्षणिक अनुदानित कर्मचारियों को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से इन्फोर्मेशन का डिसीजन होता है, पहले व्यवस्था दी हुई है। माननीय पेमाराम ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन दिया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप पेमारामजी से नाराज हो क्या? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पिछले 8 महीनों से अनुदानित विद्यालयों को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची आएगी उसके बाद निर्णय होगा...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): दर्जनों गांव राजस्थान में सीकर, झुंझुनूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कल भी बोले। माननीय अमरारामजी, आप जब पेमारामजी बोलते हैं तब डिस्टर्ब करते हो ...(व्यवधान) आप पेमारामजी को डिस्टर्ब न करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इजाजत फरमायें... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप पेमाराम जी को डिस्टर्ब न करें ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान के सैंकड़ों गांवों में बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पेमारामजी, आपके लीडर हैं ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, अनुदानित गैर शिक्षक कर्मचारियों को समायोजित किया गया, उनकी हाजिरी शिक्षा संकुल में लग रही है...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल पेमारामजी का होगा अंकित...(व्यवधान) केवल पेमारामजी...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, सदन को आर्डर में लाओ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित हो रहा है। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, सदन को आर्डर में लाओ, मैं बोलने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान) साथ लेकर के आया हूं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): सदन को आर्डर में लाओ, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): मैं बोल रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलिये। पेमारामजी का ही अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है...(व्यवधान) विराजिये, विराजिये। एप्रोप्रिएट समय पर बात करेंगे आपसे ...(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में अनियमितता

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हमारे सीकर जिले के सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक में हमारे जिले के सारे किसान आते हैं। बैंक के पक्ष में अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, फिर कोई ट्रैक्टर या खेती के काम आने वाले औजार का ऋण वहां से लिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, उस बैंक में मोनोपाली यह बना रखी है। ट्रैक्टर जो खरीदना है, उसका कायदा तो यह है कि किसी भी एजेंसी से खरीदा जा सकता है। लेकिन बैंक प्रशासन और बैंक के निर्वाचित बोर्ड द्वारा ट्रैक्टर मालिकों से मिलीभगत करके ट्रैक्टर क्षेत्रीय डीलर से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है जिससे किसानों को लगभग 50 हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोआपरेटिव आंदोलन एक सबके लिए और सब एक के लिए है। इमदाद करने के लिए है न कि किसान की जेब पर डाका डालने के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी हमारे बीच बैठे हुए हैं, मंत्री महोदय कह रहे थे कि जो सहकारिता का मैम्बर है उसकी 1 लाख तक की लिमिट बना देंगे। लेकिन सीकर जिले में वही हो रहा है जो कोआपरेटिव का

(श्री पेमाराम)

संचालक मण्डल चाहता है। संचालक मण्डल के मनपसन्द आ गया उसकी लिमिट बन जाएगी और जो नहीं आया उसकी लिमिट नहीं बन पाएगी। किसानों के साथ यही नहीं हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, उस बैंक में भारी भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को लेकर पूरे राजस्थान के अखबारों में तरह-तरह की सूचनाएं आई। मैंने भी सूचना के अधिकार के तहत कागजात निकलवाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संचालक मण्डल में नियम है कि बैंक अपने संचालक मण्डल के अध्यक्ष के लिये कोई गाड़ी किराये पर ले सकता है। यह नियम कोई मेरा नहीं राजस्थान सरकार का नियम है। उस नियम के मुताबिक 7 दिन के लिए गाड़ी किराये पर ली जा सकती है लेकिन हमारे संचालक मण्डल के अध्यक्ष महोदय ने गाड़ी 7 दिन के लिए लेने के बजाय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 7.12.2009 को अखबारों में विज्ञप्ति जारी होती है कि हमारे को गाड़ी किराये पर लेने की आवश्यकता है और वह निविदा निकलती है 14.12.2009 को। उस टेण्डर में शर्त है कि टैक्सी ही मान्य होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैंने सूचना के अधिकार में उनकी लाग बुक निकलवाई तो उसमें आया कि 2 महीने पहले 17.10.2009 को जो गाड़ी 17.10.2009 को खरीदी जाती है, शाम को 4 बजे उस गाड़ी का इंश्योरेंस होता है और 18.10.2009 को आरटीओ कार्यालय, जयपुर में रजिस्ट्रेशन होता है। मेरी समझ में नहीं आया कि वह गाड़ी दो महीने पहले कम्पनी ने निर्माण किया कि नहीं किया, उसी गाड़ी का, उसी नम्बरों से किराया उठाकर 5,25,490 रुपये जनता की गाढ़ी कमाई का भ्रष्टाचार किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जब इसकी शिकायत की गई तो शिकायत में पाया गया कि गाड़ी में इन्होंने 68 लीटर तेल हर रोज, कहीं 70 लीटर तेल रोज डलवाया है। जब कम्पनी से पूछा कि इस गाड़ी की टंकी कितनी है तो कम्पनी ने लिखकर टंकी इसकी बताई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 60 लीटर से ऊपर टंकी में आ नहीं सकता। इन्होंने जो पैसा विड्रा किया है वह 65 लीटर से लेकर 80 लीटर तक पर डे किया है। नियम यह है कि वह गाड़ी इलाके से बाहर नहीं जा सकती।

इन्होंने यही नहीं किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूचना के अधिकार में जब मैंने निकलवाया तो मुझे पता चला कि महेन्द्र सिंह नाम करके इनका सहायक कर्मचारी है, उसको ड्राइवर रखा, जिसको 4650 रुपये बैंक ने वेतन दिया और इन्होंने इसी महेन्द्र सिंह के नाम पर फिर पैसा उठाने का बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया है। यह मैं सूचना के अधिकार के तहत

(श्री पेमाराम)
निकलवाकर कर आपके सामने लेकर आया हूं। किसानों को भ्रष्टाचार के गर्त में झोंककर किसानों की जेब पर डाका डाला जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक के भ्रष्टाचार सम्बन्ध में मंत्रीजी उचित जांच कराएंगे और किसानों को आने वाले टाइम में राहत देने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि सहकारी आंदोलन, एक सब के लिए और सब एक के लिये सार्थक होगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्रीमती अनिता भदेल। (व्यवधान) आपकी पर्ची नहीं है। (व्यवधान) श्रीमती अनिता भदेल। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना के अधिकार के तहत सूचना ली है, यह सीधा-सीधा गबन है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसके पहले 5 लाख रुपये उठा लिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप उनको डिस्टर्ब क्यों करते हो? मंत्रीजी ने नोटिस ले लिया, मंत्रीजी ने सुन लिया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह सारा मंत्रीजी के इशारे पर हुआ है तब तो हमें कुछ नहीं कहना है। मंत्रीजी ने करवाया है तब तो कुछ नहीं कहना और मंत्रीजी ने नहीं करवाया है तो जांच करवाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी ने सुन लिया, आप जानते हैं। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सूचना के अधिकार में सर्टिफाइड कापी निकलवाकर लाया हूं, यह मैं कोई यूं ही नहीं बोल रहा हूं। यह सीधा-सीधा गबन और भ्रष्टाचार है, जनता के पैसों का दुरुपयोग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब राजस्थान की सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पेमाराम जी, आपको जितना कहना था, आपने फरमा दिया। मंत्रीजी ने सुन लिया। मंत्रीजी बोलना चाहेंगे तो मौका मिलेगा और नहीं बोलना चाहेंगे तो यह सिस्टम है, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला अभी उठाया है सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक का, आपने जो कहा है इसकी पूरी जांच करवा लेंगे और कोई नियम विरुद्ध काम होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती अनिता भदेल। आप जिद बहुत करते हो पेमारामजी।

अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी के तहत विकासकर्ताओं और बिल्डरों को लाभ

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह पालिसी मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध कराने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। लेकिन इसकी क्रियान्विति कराने में जो स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार होने वाला है, इसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा यही होता आया है कि गरीब के नाम पर जो भी पालिसी बनती है, उसकी आड़ में हम कैसे भ्रष्टाचार कर सकें। इसका बहुत ताजा उदाहरण नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा पिछली 23 तारीख को जो मीटिंग हुई, उसमें देखने को मिला है। यूआईटी ने लोहार्गल में अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी के तहत मकान बनाने के लिए ईओआई जारी की। इस ईओआई के तहत लोहार्गल के खसरा नम्बर 1579 में ईडब्ल्यूएस के 228 और एलआई जी के 96 मकान बनाने थे। इसी ग्राम के खसरा नम्बर 832 में एलआईजी के 80 और एमआईजी के 56, कुल 520 तीन मंजिला आवास बनाने के लिए बिल्डरों को ईओआई जारी की। निर्माण के लिए न्यास ने 17 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल और प्रशासनिक स्वीकृति भी राज्य सरकार से प्राप्त कर ली और प्राप्त करने के बाद में आवेदन भी लोगों से मांगे। लगभग 2500 लोगों ने इस योजना के तहत मकान आबंटन करने के लिए न्यास में आवेदन भी जमा करवा दिये। अब इनकी लाटरी निकलनी शेष थी। नगर सुधार न्यास, अजमेर ने लोहार्गल के आवासों के निर्माण की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की बिड भी खोल ली, सिर्फ टैक्निकल बिड खोलनी बाकी थी, इन्होंने अपना निर्णय पलट दिया और यह कहा कि हम लोहार्गल के खसरा नम्बर 832 की 1945 वर्ग मीटर भूमि का माडल नम्बर 4 के तहत बिल्डर को मुफ्त में आबंटन करेंगे। अब आप यह बताइये कि यदि यह जमीन बिल्डर को मुफ्त आबंटित कर दी जाएगी तो जो 2500 लोगों ने मकान के लिये पैसे जमा कराये थे, उनका क्या होगा? नगर सुधार न्यास की 26.3.2012 की मीटिंग में यह तय किया गया। अब यह समझ में नहीं आ रहा, लोगबाग परेशान हो रहे हैं कि हमें मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे आवेदन पत्रों का क्या होगा। नगर सुधार न्यास ऐसे ही आये दिन अलग-अलग निर्णय करती रहेगी तो लोगों का भरोसा उसके ऊपर से उठ जाएगा।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसके अतिरिक्त अजमेर के कबीर नगर में 63800 वर्ग गज भूमि के बदले में इस भूमि पर बिल्डर को मकान बनाकर देने हैं, यह कहा गया कि बिल्डर इस पर निःशुल्क मकान बनकर देंगे। इसके बावजूद लोहार्गल की जो 19645 वर्ग मीटर भूमि है, जिस पर पहले नगर सुधार न्यास स्वयं मकान बनाकर दे रहा था, अब उसे बिल्डर को देने की तैयारी की जा रही है।

इसी तरह पंचशील और गणेश गुवाड़ी की 96300 वर्ग मीटर भूमि और हरिभाऊ उपाध्याय नगर जो नगर सुधार न्यास की स्वयं की योजना है, विकसित क्षेत्र है जिसकी आज की तारीख में बाजार मूल्य 30-35 हजार रुपये वर्ग मीटर के बराबर है, उसको निःशुल्क देकर, पालिसी में सिर्फ यह लिखा गया है कि जब हम इस पालिसी के तहत विकासकर्ताओं को आमंत्रित करेंगे तो 52 प्रतिशत भूमि पर वह मकान बनाकर देंगे और 48 प्रतिशत भूमि वह अन्य कामों में ले सकेंगे। लेकिन इस पालिसी के तहत, जब इस निर्णय के तहत वे मकान बनाकर देंगे तो, न्यास ने कहा कि विकासकर्ता को 66 प्रतिशत भूमि निःशुल्क आबंटित की जाएगी और मात्र 33 प्रतिशत भूमि गरीबों को मकान के लिए रखी जाएगी। जो भूमि यह देने की बात कर रहे हैं, उस भूमि का बाजार मूल्य 350 करोड़ रुपये के आसपास है और यदि हम इसके रिजर्व प्राइस की बात करें तो जो रिजर्व प्राइस आएगा, उससे केवल 7 करोड़ रुपये की लागत के मकान ही कबीर नगर में बनेंगे। जब 7 करोड़ रुपये की लागत के मकान कबीर नगर में बनेंगे तो निश्चित रूप से मकानों की संख्या कम होगी जब कि 18 हजार मकान अजमेर में बनने हैं। इसके अतिरिक्त, अजमेर में नगर सुधार न्यास ने पूर्व में जो मकान बना रखे हैं बीएसयूपी के तहत, उन मकानों के आबंटन का क्या होगा? उनको कोई लेने वाला नहीं है। इस पालिसी की मंशा यह थी कि अलग-अलग कालोनियों में इस प्रकार के लोगों को बसाया जाए, लेकिन अलग-अलग कालोनियों में बसाने की बजाय अजमेर शहर से बाहर एमडीएस यूनिवर्सिटी के आगे कबीर नगर में इनको बसाया जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि पालिसी की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप ही काम करें नगर सुधार न्यास और माननीय सरकार के मंत्री महोदय। माननीय माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी मेरा निवेदन है कि इस मामले में हस्तक्षेप करके पालिसी की मंशा के अनुरूप गरीब लोगों को मकान मिले। पालिसी बहुत अच्छी है लेकिन इस पालिसी को किसी भी तरह से तोड़ा –मरोड़ा न जाए और नगर सुधार न्यास की जो मंशा बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की है, वह उनको फायदा न मिले। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली शहर में सीवरेज लाइन बिछाने का बंद कार्य

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली शहर में खुले नाले और नालियों से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन के तहत सीवरेज लाइन बिछाने की स्वीकृति जारी की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 169 करोड़ रुपये की योजना पाली शहर के लिए बनी और पहले चरण के रूप में भारत सरकार ने लगभग 33 करोड़ की राशि स्वीकृत भी कर दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेण्डर हुए और 20 जुलाई, 2009 को हैदराबाद की फर्म एपीआर प्रोजैक्ट प्राइवेट लिमिटेड को यह ठेका दिया गया। उसने काम भी चालू कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह काम 19 जनवरी, 2012 तक पूर्ण होना था, पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि यह काम बीच में ही बंद कर दिया गया। जो काम 19 जनवरी, 2012 को पूर्ण होना था, मई, 2012 तक इस काम को अपूर्ण अवस्था में ठेकेदार बंद करके चला गया। उस कारण से जो स्थिति पैदा हुई-कई गली-मोहल्लों की सड़कें खोद दी गईं, वहां पाइपें डाल दी गईं लेकिन उनको जोड़ा नहीं गया। वे सड़कें अभी क्षतिग्रस्त पड़ी हैं, उनकी नालियां टूट गईं और उन क्षतिग्रस्त सड़कों पर गंदगी जमा हो गई, पानी वहां फैल रहा है। 10 माह में कोई भी सुध लेने वाला नहीं कि यह काम कब वापस चालू होगा, यह फर्म कब आएगी और सीवरेज बिछाकर पाली की जनता को राहत देगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब बात करते हैं नगर परिषद् के अधिकारियों से तो वे एक ही बात कहते हैं कि यह तो भारत सरकार का मामला है, शहरी विकास मंत्रालय का मामला है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी एक्शन होगा, वह शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जनता भुगत रही है, पाली शहर भुगत रहा है लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, पाली शहर का जो सिटी टैंक है, जहां से पानी का वितरण किया जाता है, वहां 10 से ज्यादा बस्तियों का गंदा पानी आता है और उसी टैंक में मिलता है, जो पानी पाली की जनता को पिलाया जाता है। पहले कहा जाता था कि अब सीवरेज का काम चालू हो गया, सीवरेज बिछाई जाएगी और ज्यों ही सीवरेज बिछाई जाएगी तो नाले-नालियों का गंदा पानी सिटी टैंक में आ रहा है, उससे पाली शहर की जनता

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

को मुक्ति मिल जाएगी। पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काम अधूरा रोकने से शहर की दुर्दशा हो गई, गंदी टूटी हुई सड़कों पर शहरवासियों का चलना दूभर हो गया है। मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली से बात करें और जो काम अपूर्ण पड़ा है जिसकी राशि मंजूर है, उस अपूर्ण काम को शीघ्र चालू करवाकर पाली की जनता को राहत दे। ऐसा मेरा निवेदन है आपसे।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। माननीया श्रीमती किरण माहेश्वरीजी।

प्रदूषण नियंत्रण की अधिसूचना से उद्योगों को उत्पन्न कठिनाई

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सदन के समक्ष रखना चाहती हूं और यहां पर बैठे हुए माननीय पर्यावरण मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी। हमारे यहां पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन एफ-4/38/पालिसी/आरपीएल/सीएलवी/151041 का संशोधन पोल्यूशन बोर्ड ने किया। दिनांक 24.06.2011 और 03.11.2011 को दो संशोधन पोल्यूशन बोर्ड ने जारी किये। ये संशोधन जैसे ही हुए, उससे जो वर्तमान में कार्यरत मार्बल उद्योग थे। उन पर बहुत भारी संकट आ गया यानी काम ठप सा हो गया। आप देखें, राजसमन्द माइनिंग की नगरी है और राजस्थान को जो राजस्व मिलता है माइनिंग से, उसका 80 परसेंट राजसमन्द से मिलता है। उसके बावजूद भी इस उद्योग के ऊपर भारी संकट आया, पोल्यूशन बोर्ड के इन दो संशोधनों की वजह से आया। ये संशोधन क्या हैं, इस ओर बताना चाहती हूं इस सदन के माध्यम से। जो मार्बल ग्राइंडिंग यूनिट्स ओरेंज कैटेगरी में पूर्व में थीं, उनको अब रैड कैटेगरी में डाल दिया। ओरेंज से रैड कैटेगरी में डालने की वजह से हुआ यह कि स्थापना, नवीनीकरण जो कुछ भी काम होंगे इन यूनिट्स के, वे सारे जयपुर प्रदूषण विभाग द्वारा किये जाएंगे। रैड कैटेगरी में होने से अभी परमिशन नहीं मिल रही है, लगभग 260 फाइलें आज रीजनल आफिस के अन्दर पैंडिंग पड़ी हुई हैं। न तो उसको मना कर दिया जाता है और न ही परमिशन दी जा रही है। एज ए रिजल्ट, हालत यह है कि इतने सारे लोग जिन्होंने वहां पर उद्योग के लिए एप्लाई कर रखा है और यूनिट्स डाल भी दी हैं, अब सिर्फ पोल्यूशन बोर्ड से एनओसी उनको नहीं मिल रही है जिसकी वजह से लाखों रुपये का इन्वैस्टेमेंट जो बैंक से लोन लेकर किया है, यूनिट्स चालू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन बोर्ड से एनओसी नहीं मिल

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रही है। पोल्यूशन बोर्ड से एनओसी इसलिए नहीं मिल रही है कि जो पूर्व में ओरेंज कैटेगिरी में था उसको रैड कैटेगरी में डाल दिया। सारा की काम वहां पर ठप कर दिया। उसके पीछे रीजन उन्होंने यह दिया कि ये हजार्डियस हैं। यहां पर बहुत प्रदूषण होगा इन ग्राइंडिंग यूनिट्स की वजह से, इसलिए इनको परमिशन नहीं दी जा सकती। अब मेरा आपसे यह निवेदन है कि आज तक जितनी ग्राइंडिंग यूनिट्स वहां पर डली हैं, उसके जो प्रदूषण की बात करते हैं तो प्रदूषण में कुछ नार्म्स तय होने चाहिए। अगर कोई बनानी है तो आप पालिसी बनाइए, लेकिन आप बार-बार संशोधन करते हैं। अगर आपने पोल्यूशन बोर्ड में कोई पालिसी बना दी कि इस पालिसी के तहत आप एप्लीकेशन लगाइए तो लोगों को भी समझ में आएगा कि अगर हम इस पालिसी के तहत आते हैं तो ही हम एप्लीकेशन लगाएं। अब वह एप्लीकेशन लगा दी, उनकी यूनिट्स डल गई हैं, वहां पर पूरा प्लांट लग चुका है और पोल्यूशन बोर्ड अब कहता है कि हमने तो अमैंडमेंट कर दिया हमारी पालिसी में, अभी इस अमैंडमेंट के तहत क्योंकि आप रैड कैटेगरी में आ गये, अब हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। हजारों लोगों के वहां पर बहुत संकट आ गया है। यह स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के अन्दर आता है, एसएसआई का प्रोजैक्ट है यह।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बहुत संक्षेप में और बहुत अच्छी तरह से। माननीय मंत्री से चाहूंगी कि इसका जवाब भी दें। नवीनीकरण और नई स्थापना का काम जो बंद कर दिया गया है, वह प्रोसेस जो बंद हो चुका है, इसको कृपया खुलवाने का प्रयास करें और पुनः ओरेंज कैटेगरी में डालें इन ग्राइंडिंग यूनिट्स को। जो भी आपको पालिसी बनानी है, वह पालिसी बनाइए, जितनी भी छोड़नी है जगह, आप बता दीजिए वह जगह क्लस्टर के रूप में। पर्यावरण के लिए वे लोग प्लांटेशन करने के लिए तैयार हैं। कोई क्लस्टर लैंड सरकार अगर दे दे तो वहां पर प्लांटेशन भी हो जाएगा ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एक सैकण्ड, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे थोड़ा-सा निवेदन करना चाहूंगी। जो दूसरा संशोधन है, वह और बताना चाहूंगी। दूसरा संशोधन इस प्रकार का है कि पोल्यूशन बोर्ड ने एक ग्राइंडिंग यूनिट को 3600 स्क्वायर मीटर का प्लाट होना आवश्यक बताया।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अगर 3600 स्क्वायर मीटर लेते हैं तो यह ढाई बीघा लगभग होती है। उस अमैण्डमेंट में कहा गया है कि 20 मीटर का सैट बैक चारों तरफ से हमें छोड़ना है। हम अगर 2600 स्क्वायर मीटर का प्लाट लेते हैं और 20-20 मीटर चारों तरफ से छोड़ते हैं तो वह 20 मीटर का प्लाट बच जाएगा। 20 बाई 20 मीटर में उन्हें रा मैटिरियल भी रखना है, प्लाट की स्थापना भी करनी है, लेबर रूम भी बनाना है, आफिस भी बनाना है जो कि बिलकुल असम्भव है कि 20 बाई 20 में उसको बना सकें। यह अव्यावहारिक है। एक तरफ तो हम 2.5 बीघा जमीन लें आप जानते हैं आज जमीन के भाव आसमान में छू रहे हैं। इतनी महंगी जमीन लेकर वहां पर अपना प्लांट लगाएंगे, वह मात्र 20 बाई 20 में हम लगा पाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि इसके अन्दर संशोधन हो। रीको के नोर्म्स कहते हैं कि ग्राइंडिंग यूनिट का प्लांट लगाना है तो उसको मात्र 2000 स्क्वायर मीटर की जरूरत पड़ती है जो लगभग आधा बीघा है। अगर 2000 स्क्वायर मीटर के रीको के नार्म्स को फालो कर लें पोल्यूशन बोर्ड तो इसमें काफी लोगों को राहत मिल जाएगी और यह जो अननैसेसरी का इन्वैस्टमेंट लैण्ड के लिए करना है वह इन्वैस्टमेंट लैण्ड के लिए खत्म होगा।

साथ ही यह भी कहना चाहूंगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आदेश दिया कि 1500 मीटर आबादी क्षेत्र से दूर होना चाहिए वह प्लांट जो भी बने। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है 1500 मीटर और पोल्यूशन डिपार्टमेंट कहता है 500 मीटर। पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने पहले 1500 कहा था, हमने जब उनको ज्ञापन दिया तो 1500 मीटर से 500 मीटर के ऊपर हम ले आये। हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी संशोधन चाहेंगे कि वह 1500 स्क्वायर मीटर से 500 स्क्वायर मीटर तक ले आएं। इन उद्योगों के अन्दर जो जटिलताएं हैं, एक तरफ हम एकल खिड़की की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक उद्योग को चलाने में कितनी जटिलताएं आज एक व्यक्ति को अनुभव होती हैं, उन जटिलताओं का सरलीकरण करें, ऐसा, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यहां पर विराजमान मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट है। मैं चाहूंगी कि इसमें आप अपनी तरफ से कहें और हमें आश्वस्त करें ताकि हम वहां की जनता को आश्वस्त कर सकें।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां बटन दबता है तो लाइट थोड़ी लेट आती है। मैंने माननीय सदस्य की पूरी बात सुनी है। पोल्यूशन निवारण मण्डल के जो दो अमैण्डमेंट हुए हैं ओरेंज टू रेड

(श्रीमती बीना काक)

और दूसरा 3600 स्क्वायर फीट का 20 परसेंट का सैट बैक...(व्यवधान) आप मेरा टैस्ट ले रहे थे घनश्यामजी कि मैं पूरा सुन रही हूं या नहीं सुन रही हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं टैस्ट यह ले रहा था, मैं देख रहा था कि ओरेंज कैटेगरी और रैड कैटेगरी में क्या फर्क है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो राजसमन्द में मामला रहेगा तो किरण जी की ओरेंज कैटेगरी में रहेगा और यहां आ जाएगा तो आपकी रैड कैटेगरी में आ जाएगा।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): आपको हमेशा दो महिलाओं के बीच में पंचायती करने की जरूरत क्या होती है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आनन्द ही इसी में होता है।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): अच्छा, आनन्द ही इसी में होता है। इसको मैं दिखवा लूंगी। और जो 260 फाइल आप कह रही हैं कि डिपार्टमेंट के अन्दर पैण्डिंग हैं, वे क्यों पैण्डिंग हैं और इनका निस्तारण क्यों नहीं हुआ है, मैं माननीय सदस्या को यह दो दिन के अन्दर ही जवाब दे दूंगी। बाकी कोई पालिसी बननी है या किस तरह से अमैण्डमेंट करना है वह बता दूंगी मैं आपको।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख। माननीय डा फूलचण्द भिण्डा (अनुपस्थित) । श्रीमती कमसा मेघवाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

भोपालगढ़ की मण्डोर पंचायत समिति के गांवों में पेयजल समस्या

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की मण्डोर पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्राम थबूकड़ा, जाजीवाल खींचिया, जाजीवाल भाटिया, जाजीवाल विश्नोईया, जाजीवाल जाखड़ा, जाजीवाल कांकरला गांवों में पीने के पानी की भारी समस्या चल रही है। गर्मियों के दिनों में आम जनता को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। पीने के पानी की समस्या विकराल है जिसके लिए ग्रामीणों, महिलाओं व बच्चों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे में पशुधन के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। दूर-दूर जाकर

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

आमजन को पानी के लिए भटकना पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं को पानी के लिए मटकियां लेकर दूर-दूर तक जाना पड़ता है।

अतः ऐसी स्थिति में सरकार पानी के टैंकर, पानी के टांके-हौज में पानी उपलब्ध करा वैकल्पिक सुविधा प्रदान करे ताकि आमजन व पशुधन को पानी की समस्या से निजात मिल सके। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से भोपालगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन की सुविधा की जावे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राधेश्यामजी गंगानगर। आप 5 सैकण्ड में स्टार्ट कीजिए, नहीं तो अगला नम्बर आ जाएगा।

श्रीगंगानगर नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, नगर परिषद श्रीगंगानगर में पूर्व में हुए तथा वर्तमान में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवाने बाबत प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

आपके माध्यम से मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नगर परिषद कार्यालय, श्रीगंगानगर इन दिनों भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों से घिरा हुआ है। नगर परिषद कार्यालय में बिना पैसे के कोई फाइल नहीं चलती। राजस्थान में सबसे अधिक भ्रष्टाचार नगर परिषद श्रीगंगानगर में हो रहा है। जनवरी, 2010 से मार्च, 2012 के अंतराल में फर्जी मस्टररोल के जरिये लाखों रुपये का भुगतान किया गया है। शहर में अवैध निर्माण नगर परिषद की मिलीभगत से बड़ी संख्या में हो रहे हैं। सफाई ठेका, मृत पशुओं को उठाने का ठेका, उपरोक्त अवधि में हुए निर्माण कार्यों की जांच, नगर परिषद स्टोर में समस्त सामान की जांच की जाए कि कितना सामान आया है तथा कितनी-कितनी राशि किस-किस व्यक्ति को किस एवज में दी गई। नगर परिषद में होने वाले निर्माण कार्यों के टेण्डरों की जांच की जाए कि प्रत्येक कार्य में कितने फार्म आये हैं तथा कितने-कितने रेट के आये हैं, कार्य कितने प्रतिशत के हिसाब से दिया गया है तथा इसकी तुलना अन्य नगर परिषदों से की जावे। चेयरमैन व कुछ पार्षदों द्वारा ठेकेदारों से हिस्सेदारी कर सड़क व निर्माण कार्य सम्पन्न करवाये जा रहे हैं। ठेकेदारों को नगर परिषद को खुला संरक्षण है। हाल ही में बनायी गई सड़कें बनाते ही उखड़ गयीं, सड़कों पर गड्ढे पड़ गये हैं। निर्माण कार्यों में नगर परिषद में आवासीय से

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

व्यावसायिक भू उपयोग बड़ी संख्या में हो रहे हैं। उपरोक्त अवधि में आवासीय से व्यावसायिक भू उपयोग परिवर्तन की फाइलें बीकानेर टाउन प्लानर के पास भेजी गयी थीं, किन्तु ये सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं कर रही थी इस कारण से इन्हें निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद खुले तौर पर नगर परिषद द्वारा आवासीय से व्यावसायिक भू उपयोग परिवर्तन हुआ। नगर परिषद की निर्माण शाखा में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। सम्पन्न हुए निर्माण कार्यों का सार्वजनिक निर्माण विभाग से क्वालिटी कंट्रोल व मिक्स डिजाइन का प्रमाण पत्र लिए बगैर ठेकेदारों को नगर परिषद द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। सफाई ठेका बहुत ऊंचे रेट पर छूटता है, फिर भी शहर में गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं तथा नालों व नालियों की सफाई भी नहीं होती है। उपरोक्त सब बिन्दुओं की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवायी जाए तो नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार की समस्त तस्वीर सरकार के सामने आ जाएगी।

इसके अलावा नगर परिषद श्रीगंगानगर में नवम्बर, 1999 से दिसम्बर, 2005 तक के अंतराल में उपरोक्त बिन्दुओं की जांच भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवायी जाए। उपरोक्त अवधि नवम्बर, 1999 से दिसम्बर, 2005 तक के अंतराल में तत्कालीन चेयरमैन श्री जगदीश जांदू ने ठेकेदारों से 26 प्रतिशत कमीशन प्रत्येक सम्पन्न कार्य में से वसूल किया है। उपरोक्त अवधि में लगभग 86 लाख रुपये चेयरमैन द्वारा नगर परिषद में सहभागी योजना के अन्तर्गत जमा करवाये गये। यह राशि क्यों और किस मद में जमा करवायी गई, यह जांच का विषय है। इस सम्बन्ध में चेयरमैन जांदू की फाइल भी सरकार के पास विचाराधीन थी उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है, अवगत करवाया जाए। उपरोक्त अवधि में कमीशन की राशि नगर परिषद में जमा नहीं करवायी गई, स्वयं हड़प ली गई। पांच साल तक 26 प्रतिशत लिए गये कमीशन की विस्तृत जांच करवायी जाए।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जनवरी, 2010 से मार्च, 2012 तक तथा नवम्बर, 1999 से दिसम्बर, 2005 तक श्रीगंगानगर में उपरोक्त लिखित बिन्दुओं की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: ये गंगानगर जिले में स्वायत्त शासन विभाग के मामले बहुत आते हैं। माननीय श्री शंकरसिंहजी रावत।

ब्यावर में यू.आई.टी. की पुनः स्थापना

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा उपखण्ड ब्यावर स्वतंत्रता संग्राम का गढ़ रहा है। प्रथम नगरपालिका, प्रथम चर्च, अ श्रेणी का चिकित्सालय, अ श्रेणी की कृषि उपज मण्डी, जिला स्तर का परिवहन कार्यालय है एवं लगभग ढाई लाख की जनसंख्या वाले शहर में अंग्रेजों के शासन में प्रदेश का प्रथम आयकर कार्यालय शुरू हुआ। यह शहर वर्तमान में राज्य व केन्द्र सरकार को 1200 करोड़ से अधिक का राजस्व अदा कर रहा है जो राज्य के अनेक जिलों से अधिक है। इसके बावजूद इस शहर को जिला नहीं बनाया गया है। सम्पूर्ण योग्यताओं के बाद भी यह शहर जिला क्यों नहीं बन पाया?

प्रदेश में सरकार चाहे कांग्रेस की रही अथवा भाजपा की रही हो, सभी सरकारें यह जानती और मानती हैं कि ब्यावर जिला बनना चाहिए लेकिन हर बजट में ब्यावर की जनता जिले की घोषणा का इंतजार ही करती है। सरकारों ने इस मांग को गम्भीरता से कभी लिया ही नहीं है। आखिर क्या कारण है, क्या मजबूरी है, क्या कमी है कि सभी आवश्यक जरूरतों के बावजूद ब्यावर को जिला नहीं बनाया गया? इस शहर से अनेक कार्यालय अन्यत्र स्थानांतरित किये गये लेकिन सरकार ने शहर को कुछ नहीं दिया।

भगत सिंह, चन्द्रशेखर, जगदगुरु शंकराचार्य, निरंजन देव तीर्थ सहित कांग्रेस के ही नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1942 में जिस शहर को देश में सबसे पहले आजाद घोषित किया, वह शहर 1200 करोड़ रुपये का टैक्स देने के बाद भी विकास के लिए तरस रहा है। इतना टैक्स अनेक जिले भी नहीं दे रहे हैं। यह दुर्भाग्य है कि यह शहर राज्य की किसी भी योजना में शामिल नहीं है। ब्यावर को विकास की विभिन्न योजनाओं में शामिल क्यों नहीं किया गया है?

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश में 10 लाख आवासीय मकान बनाने की घोषणा की है। क्या यह घोषणा ही है या इसकी क्रियान्विति भी होगी? और यदि होगी तो क्या ब्यावर के हिस्से में भी कुछ आएगा या सारे मकान जोधपुर, जयपुर और कोटा में ही बनेंगे?

प्रदेश भर में पत्रकारों के लिए रियायती दर पर पत्रकार कालोनी बसाने की घोषणा आपने पिछले कार्यकाल में की थी। इसके लिए कानून भी बना, गजट नोटिफिकेशन हुआ व मंत्रिमण्डल में भी अहम फैसला लिया गया लेकिन

(श्री शंकर सिंह)

इस घोषणा की क्रियान्विति राज्य के कितने उपखण्डों में की गई? शेष शहरों में यह लागू क्यों नहीं हो पाया? क्या सरकार इसकी सख्ती से पालना करवाएगी या जनता के साथ-साथ मेरे पत्रकार साथियों को भी झांसा दिया जाता रहेगा?

राज्य सरकार की जिन लोक कल्याणकारी योजनाओं की आए दिन सरकार घोषणा कर वाहवाही लूट रही है, इनमें अधिकांश योजनाएं या तो जोधपुर में अथवा जयपुर व कोटा में ही लागू क्यों होती हैं?

निवेदन है कि ब्यावर में सन् 1975 में यू.आई.टी. की स्थापना की गई थी। इसके तहत नगर में हरिजन कालोनी और सुभाष चौक में अनेक दुकानों का निर्माण किया गया लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने यू.आई.टी. समाप्त कर दी। क्या सरकार बताएगी? विकास इसी को कहते हैं तो सरकार ने इसे क्यों बंद कर दिया और क्या सरकार पुनः यू.आई.टी. शुरू करवाएगी?

मेरा निवेदन है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ब्यावर को जिला नहीं बनाया गया है....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री प्रदीप कुमार सिंह। आप विराजिए। अंकित नहीं होगा। क्यों आप बोल रहे हैं? श्री प्रदीप कुमार सिंह। माननीय श्री मानसिंह जी। श्री रमेश चन्द मीणा।

सीमलवाड़ा (डूंगरपुर) की नाव दुर्घटना में मृतकों एवं घायलों को सहायता

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा पंचायत समिति में नाव दुर्घटना में सात मृतकों एवं घायलों के परिवारों को सहायता देने एवं इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं।

महोदय, उपरोक्त विषय में उल्लेख है कि दिनांक 10.04.2012 को प्रातः करीब आठ बजे डूंगरपुर जिले की उप तहसील गलियाकोट, पंचायत समिति सीमलवाड़ा, ग्राम बाबा की बार, पुलिस थाना चीतरी के बंजारा समाज के सात बच्चों की मृत्यु सोम नदी पर नाव में डूबने के कारण हो गई। ये सभी बाल मजदूर ईंटों के भट्टे पर काम करने जा रहे थे। नाव दुखान्तिका में 1. सुमित्रा (14) पुत्री मधोर बंजारा ग्राम विजयपुरा, 2. अनिता उर्फ दुर्गा (13) पुत्र तलछा बंजारा ग्राम विजयपुरा, 3. अल्पा (11) पुत्री नाथू बंजारा ग्राम

(श्री रमेश चन्द मीणा)

विजयपुरा, 4. कपिला (18) पुत्री रामचंद बंजारा ग्राम विजयपुरा, 5. सुशीला (18) पुत्री बक्ता बंजारा ग्राम विजयपुरा, 6. चिंगा (12) पुत्री बबला बंजारा ग्राम विजयपुरा, 7. कल्पेश (14) पुत्र फतेहसिंह उर्फ फतिया बंजारा ग्राम मह्रुवाला की मृत्यु हो गई। अत्यन्त दुखद घटना के समय नाव में 18-20 व्यक्ति सवार थे जिनमें अधिकांशतः बाल मजदूर थे जो रोजाना अपने गांवों से नदी पार ईंटों के भट्टों पर काम करने जाते थे। इस क्षेत्र के गांवों में सर्व शिक्षा अभियान के स्थान पर बाल मजदूरी का यह अत्यन्त दर्दनाक स्वरूप है। इसके साथ-साथ नागरिकों को सुरक्षित यातायात उपलब्ध करवाने की भी सरकार की पूर्ण विफलता है। इस सोम नदी पर पुल बनाने की लम्बे समय से मांग के बावजूद सरकार ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब घटना के पश्चात् मृतकों के परिजनों को मात्र 20-20 हजार रुपये की घोषणा की गयी है। यह घोषणा गरीबों के साथ मजाक है। जबकि करौली जिले के गांव रौंधई में दिनांक 8.9.2008 को नाव दुर्घटना में चम्बल नदी में डूबने के कारण छह व्यक्तियों की मृत्यु होने पर 5-5 लाख रुपये तत्कालीन भाजपा सरकार ने दिये थे। चैक वितरण करने तत्कालीन प्रभारी मंत्री श्री कालीचरण सराफ ग्राम रौंधई जिला करौली गये थे।

अतः इस दु:ख की घड़ी में सरकार मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए और घायल व्यक्तियों को भी एक-एक लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शिवजीरामजी मीणा। केवल शिवजीरामजी का अंकित होगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: शंकर सिंहजी, आपको आसन जितना को-आपरेट करें, उतना ही बोलते हो। आप विराजिए। आप पर्ची भी देते हो और फिर बीच में बोलकर डिस्टर्ब करते हो। शिवजीरामजी मीणा का अंकित होगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। आप विराजिए।

जहाजपुर के फ्लोराइडयुक्त पेयजल वाले गांवों में शुद्ध पेयजल की योजना

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295

(श्री शिवजीराम मीणा)

के तहत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय सदन में उठाना चाहता हूं जो अत्यन्त लोक महत्व का है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कई गांवों में वर्तमान में फ्लोराइडयुक्त दूषित पेयजल ही उपलब्ध है जिससे इन गांवों के व्यक्तियों को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। कुछ गांवों के व्यक्तियों की तो पहचान ही इन बीमारियों से होने लगी है। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र के कई गांवों में कुओं का जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि वर्तमान में भी पेयजल की किल्लत होने लग गई है। ऐसी स्थिति में आगामी गर्मियों में तो पेयजल समस्या का निराकरण ही कठिन हो जाएगा।

मेरी जानकारी में आया है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय इस क्षेत्र के लिए तैयार पेयजल योजना ''शाहपुरा-जहाजपुर-पण्डेर वाटर सप्लाई प्रोजैक्ट'' को निरस्त कर विभाग द्वारा इसके बजाय जहाजपुर तहसील के 73 गांवों एवं 33 ढाणियों के लिए ''धुंवाला-जहाजपुर-पण्डेर वाटर सप्लाई प्रोजैक्ट'' के नाम से 38 करोड़ रुपये की नई पेयजल योजना तैयार की गई है जिससे जनगणना 2001 के अनुसार 75,952 जनसंख्या को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्रोजैक्ट के लिए जल स्रोत एवं फीजिबिलिटी भी करीब तीन-चार वर्ष पूर्व ली जा चुकी है तथा इस योजना से भविष्य में वर्ष 2025 तक संभावित एक लाख 33 हजार जनसंख्या लाभान्वित होगी।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि फ्लोराइडयुक्त पेयजल वाले गांवों में शुद्ध पेयजल शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए क्षेत्र की महती पेयजल योजना ''धुंवाला-जहाजपुर-पण्डेर वाटर सप्लाई प्रोजैक्ट'' की स्वीकृति कराने का कष्ट करें ताकि ग्रामीणों को दूषित पेयजल के कारण होने वाली बीमारियों से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री जगसीरामजी कोली।

रेवदर के शिक्षा विभाग की कार्यशैली एवं कार्मिकों की समस्या का समाधान

श्री जगसीराम (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के शिक्षा विभाग की कार्यशैली और मौजूदा कार्मिकों की समस्याएं संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

(श्री जगसीराम)

(1) रेवदर सिरोही जिले का सर्वाधिक विद्यालयों वाला ब्लाक है और राज्य के इस छोर का अंतिम ब्लाक है। इस ब्लाक में ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ई.ओ.) की पोस्ट रिक्त है और करीबन रिक्त ही रहती है। अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (ए.बी.ई.ई.ओ.) भी नहीं है।

(2) अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है जिससे अध्यापकों के वेतन, चिकित्सा और अन्य सभी प्रकार की वितीय समस्या बनी हुई है।

(3) आफिस में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों (दो) का व्यवहार विभाग के अध्यापकों को नागवार गुजर रहा है और अध्यापकों में कार्य के प्रति असंतोष है। अधिकतर अध्यापक बाहरी जिलों से हैं।

(4) जिले के अधिकारियों की इस आफिस की समस्याओं की ओर टालमटोल की प्रवृत्ति बन गई है और कुछेक गिने-चुने अधिकारी मूड होने पर यहां के बी.ई.ई.ओ. का चार्ज लेकर तीन-चार महीने आनन्द उठाते हैं और योग्य शिक्षकों का सर्विस रिकार्ड बिगाड़ने की धमकी देकर चलते बनते हैं। यह रवैया उचित नहीं है।

(5) इस आफिस में अध्यापकों के वेतन, चिकित्सा बिलों का कई महीनों का रिकार्ड खाली देखने को मिलता है। जिस अध्यापक को जरूरत हो, वह बाबुओं की जेब गरम करे तो मिल सकते हैं।

(6) मेडिकल बिलों और रिकार्ड का कोई ठिकाना नहीं है।

(7) आखिर इस बिना कप्तान की नाव को कौन चलाएगा? कर्मचारी (अध्यापक) पशोपेश में हैं कि क्या किया जाए?

अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रतिबन्धित डार्क जोन जिले की पिछड़ी तहसील रेवदर के इस महत्वपूर्ण आफिस के सामंतशाही रवैये की हकीकत जांच करवाकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री सूरजभानजी धानका। (अनुपस्थित) माननीय श्री पवनजी दुग्गल।

अनूपगढ़ से जयपुर तक संचालित रात्रिकालीन निजी बसों पर रोक की आवश्यकता

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

अनूपगढ़ से जयपुर तक कई रात्रिकालीन निजी बसें संचालित हैं। उपरोक्त बसों के पास न परमिट है एवं न ही आवश्यक कागजात उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में न केवल ये गैरकानूनी तरीके से संचालित हैं, बल्कि इससे लम्बे समय से राजकीय कोष को भारी नुकसान हो रहा है। उपरोक्त बसें अनूपगढ़, घड़साना, बीकानेर, सीकर होते हुए जयपुर तक पहुंचती है। ये रात्रिकालीन बसें यात्रियों से मनमाना किराया वसूलती हैं एवं उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करती हैं। इन निजी रात्रिकालीन स्लीपर बसों को डीटीओ व आरटीओ का पूरा संरक्षण मिलता है। अनूपगढ़, घड़साना से लेकर जयपुर तक समस्त पुलिस थानों में इनका कमीशन बंधा हुआ है जिस कारण से ये लम्बे समय से बेरोकटोक चलती हैं। अनूपगढ़ से जयपुर रात्रिकालीन चलने वाली अम्बिका ट्रैवल्स के पास कांट्रेक्ट कैरिज का परमिट है, जबकि कांट्रेक्ट कैरिज परमिट के अनुसार न तो जगह-जगह बुकिंग हो सकती है, न ही जगह-जगह पर उतार सकते हैं, न चढ़ा सकते हैं। केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं, वह भी कुछ समय के लिए। मगर पिछले चार-पांच सालों से नियमों एवं कानूनों को तोड़कर जगह-जगह इन्होंने अपनी बुकिंग बना रखी है, जैसे घड़साना, बीकानेर आदि।

अतः आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि उपरोक्त रात्रिकालीन बसों को तुरन्त बंद करवाएं, ताकि राजस्व का नुकसान न हो एवं यात्रियों का शोषण भी रुक सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बहादुर सिंहजी कोली।

वैर के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में बहुत पुराने समय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। पुराने समय से आज तक भी उस विद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या काफी तादाद में है। यह अच्छा स्टैण्डर्ड का विद्यालय माना जाता है लेकिन आज मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस विद्यालय में वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय का एक भी व्याख्याता पदस्थापित नहीं है। वर्तमान में वाणिज्य संकाय में तीनों व्याख्याताओं के पद रिक्त चल रहे हैं, जो बहुत विडम्बना की स्थिति है। वर्तमान सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ

(श्री बहादुर सिंह)

खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति इस सरकार के लिए और क्या हो सकती है।

इसी प्रकार उक्त विद्यालय में ही हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, भूगोल के भी पांचों व्याख्याताओं के पद रिक्त चल रहे हैं तथा द्वितीय ग्रेड के अंग्रेजी का एक पद, हिन्दी के दो पद और सामान्य विज्ञान का एक पद खाली है।

उक्त के अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भुसावर में भी हिन्दी, रसायन शास्त्र, संस्कृत और अर्थशास्त्र के व्याख्याताओं के एक-एक पद काफी लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर बिलकुल नहीं है। वर्तमान सरकार को बच्चों के भविष्य की बिलकुल चिंता नहीं है। सरकार कहती है कि हमारी सरकार संवेदनशील है। इसी विद्यालय में द्वितीय श्रेणी के सामान्य अध्यापक के भी दो पद रिक्त चल रहे हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि कस्बा भुसावर में तीन मिडिल सरकारी स्कूल संचालित हैं। उन तीनों विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त चल रहे हैं।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र के ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बल्लभगढ़ में भी द्वितीय ग्रेड में गणित जो कि महत्वपूर्ण विषय है, उसका भी पद खाली चल रहा है। गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल, बल्लभगढ़ में ही प्रधानाचार्य का पद खाली है तथा द्वितीय ग्रेड का गणित का अध्यापक का पद भी खाली है।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि आप बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। यह अन्याय और पाप आप क्यों कर रहे हैं? आपके अन्दर जरा-सी भी मानवता है तो आप खड़े होकर जवाब दें कि ऐसा अन्याय आप क्यों कर रहे हैं। आप मुझे जवाब दें कि उपरोक्त विद्यालयों के सभी पदों को कब तक भर देंगे? मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस आग्रह को आप स्वीकार करेंगे और इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करवाकर पदों को शीघ्र भरवाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डाक्टर फूलचन्दजी भिण्डा।

विराट नगर तहसील के नवरंगपुरा व करेली गांवों में सब्जी मण्डी यार्ड की स्थापना

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

निवेदन करना चाहता हूं कि विराट नगर तहसील क्षेत्र में एक भी मण्डी यार्ड नहीं है। सम्पूर्ण क्षेत्र में नलकूपों से सिंचाई होती है तथा नेशनल हाइवे-8 एवं अलवर स्टेट हाइवे पर स्थित होते हुए भी किसानों को अपनी सब्जी एवं कृषि उपज बेचने के लिए शाहपुरा, अलवर, कोटपूतली जाना पड़ता है। अव्यवस्थित रूप से आतेला एवं मैड से मटर, टमाटर, टिण्डा, लौकी की करोड़ों रुपयों की सब्जी का बाहर निर्गमन होता है, परन्तु सब्जी मण्डी यार्ड के अभाव में किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। सरकार बार-बार भूमि की उपलब्धता का बहाना बनाकर विषय को टालती रही है जबकि मैड से लगती पंचायत नवरंगपुरा में सरकारी भूमि उपलब्ध है, जहां सब्जी मण्डी यार्ड बन सकता है। आतेला में भी बस स्टैण्ड के पास अनियमित मण्डी चल रही है, उसी के नजदीक नेशनल हाइवे-8 पर करेली गांव में सरकारी भूमि उपलब्ध है। दोनों स्थानों पर सर्वे करवाकर व्यवस्थित सब्जी मण्डी यार्ड बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री प्रदीप कुमार सिंहजी।

माण्डलगढ़ के ग्राम बिगोद की पेयजल योजना का नवीनीकरण

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

महोदय, सादर अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के दस हजार से अधिक की आबादी के गांव बिगोद में पाइप लाइन पुरानी होने और छोटी आकार की होने से बिगोद के गली-मोहल्लों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता है जिससे ग्रामवासियों को पेयजल की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। कई नई बस्तियां बस गईं तथा कई बस्तियों का विस्तार हो चुका है, लेकिन पाइप लाइनों का विस्तार नहीं होने से नई आबादियों में बसे लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पुरानी पाइप लाइन छोटी होकर अन्दर से चोक हो गई हैं अवरूद्ध हो चुकी है जिससे पेयजल आपूर्ति बाधित होती है। बिगोद गांव की आबादी के अनुरूप जलाशय भी नहीं है। पूर्व में निर्मित उच्च जलाशय की क्षमता बहुत कम है। कम विद्युत आपूर्ति के कारण तथा जलाशय की क्षमता कम होने के कारण पेयजल की आपूर्ति विभाग के बस की बात नहीं है। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बिगोद ग्राम की

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)
आबादी को मद्देनजर रखते हुए बिगोद की पेयजल योजना का नवीनीकरण कराया जाए, त्रिवेणी से बिगोद तक की पाइप लाइनें बदली जाएं तथा गांव में गली-मोहल्लों की पाइप लाइन को बदला जाए। अधिक जल क्षमता के उच्च जलाशयों का निर्माण करके बिगोदवासियों को वांछित पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मान सिंहजी।

परबतसर के ग्राम जसराना का स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र

श्री मानसिंह (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की आपको सूचना देना चाहता हूं। निवेदन है कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जसराना में दिनांक 3.12.2009 को उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हुआ था, यह केन्द्र कुल स्वीकृत 403 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रम संख्या 299 पर स्वीकृत है। मेरा निवेदन है कि इस स्वीकृत केन्द्र को राजनीतिक दुर्भावना से ग्राम जसराना से जो कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र में स्थित है, लोहराना (नावां विधान सभा क्षेत्र) में दिनांक 4.5.2010 को स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि जसराना ग्राम की जनसंख्या 3000 के लगभग है और लोहराना ग्राम की जनसंख्या मात्र 800 के लगभग है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने चांद देवी, अनुबंधित सेवाकर्मी के द्वारा दिनांक 28.5.2010 को अपना व्यक्तिगत अनुबंध प्रस्तुत करने के पश्चात् उप स्वास्थ्य केन्द्र जसराना पर लगाने का आदेश प्रसारित किया। खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुचामन सिटी के क्रमांक स्वा.चि.क./10/575 दिनांक 31.5.2010 के द्वारा चांद देवी को एएनएम के पद पर नियुक्त कर इनका पदस्थापन उप स्वास्थ्य केन्द्र जसराना पर कर दिया गया जबकि केन्द्र को 4.5.2010 को ही लोहराना स्थानांतरित कर दिया गया था। 29 दिनों के पश्चात् चांद देवी एएनएम को उप स्वास्थ्य केन्द्र, जसराना क्यों लगाया गया? उप स्वास्थ्य केन्द्र जसराना पर प्राथमिक स्वास्थ्य अधिकारी, पांचवां ने चांद देवी को एएनएम को कार्य ग्रहण करने का आदेश दिनांक 2.6.2010 को दिया। नवसृजित उप केन्द्रों पर अनटाइड फण्ड की राशि स्थानांतरित दिनांक 16.3.2010 को ग्राम स्वास्थ्य समिति उप केन्द्र, जसराना बचत खाता संख्या में मार्फत चैक रुपये 10000/- चैक संख्या 836753 दिनांक 16.3.2010 द्वारा

(श्री मानसिंह)

जमा हुई। चांद देवी दिनांक 2.6.2010 से दिनांक 17.1.2011 तक लगातार इस केन्द्र पर उपस्थित रहीं जो उपस्थिति विवरण पर दर्ज है। श्रीमती चांद देवी, एएनएम को उप स्वास्थ्य केन्द्र, जसराना से खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुचामन सिटी के आदेशानुसार दिनांक 16.1.2011 को एपीओ किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय से मेरा नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि पूर्व में स्वीकृत जसराना उप स्वास्थ्य केन्द्र को ही पुनः स्वीकृत करवाया जाए और नियम के विरुद्ध कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री सूरजभानजी धानका। (व्यवधान) कृपया शांति रखिये, आप कृपया शांति रखिये। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन है। एक मिनट भी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आपका रिकार्ड नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आप जो हैं अख़बार की...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: रिकार्ड नहीं होगा। (व्यवधान) आपको बोलना है तो आप शांति रखें। (व्यवधान) अभी रिकार्ड नहीं होगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आप अख़बार के माध्यम से नहीं पढ़ सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आप अख़बार के माध्यम से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती सूर्यकांताजी व्यास। माननीय श्रीमती सूर्यकांताजी व्यास।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आप अख़बार के माध्यम से इनका कोई अंकित नहीं करवाएं। न यह पढ़ सकते। आपने दूसरा नाम पुकार लिया है, इसकी व्यवस्था करावें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कैलाशचन्दजी भंसाली। (व्यवधान) माननीय श्री कैलाशचन्दजी भंसाली। माननीय श्री केसारामजी चौधरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

विलायती बबूल से बने कोयले के परिवहन पर रोक

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। वन विभाग की अधिसूचना संख्या 15/33/फोरेस्ट 98 दिनांक 10 जनवरी, 2003 के द्वारा राजस्थान फोरेस्ट नियम, 1957 के तहत अंग्रेजी बबूल से बने कोयले पर राज्य में परिवहन पर लगी रोक हटाई गई थी जिससे राजस्थान प्रदेश में गरीब आदमी अंग्रेजी बबूल को काटकर अपने पेट का पालन कर रहे हैं। उससे कोयला बनाते हैं, वह कोयला मार्केट में बिक जाता है। गरीब आदमी अपना लालन-पालन इस लकड़ी के सहारे करते हैं। सारे प्रदेश में यह अंग्रेजी बबूल एक ऐसी जहरीली झाड़ी है जो पंचायतों के गोचर के अन्दर भी अत्यधिक पाई जाती है। उस पंचायत को भी नीलामी में काफी रुपया उससे प्राप्त होता है। किन्तु इस सरकार ने न मालूम क्या सोच कर और अपने डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार फैलाने के लिए वन विभाग की अधिसूचना संख्या 15/33/फोरेस्ट 98 दिनांक 12 जुलाई, 2010 के द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2003 की अधिसूचना को रद्द कर दिया जिससे राज्य में विलायती बबूल से बने कोयले के परिवहन पर रोक लगा दी गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में अंग्रेजी बबूल से कोयला बनाया जा सकता है किन्तु इसके ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा दी। कोयला व्यापारी कोयले के ट्रकों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वन विभाग के अधिकारी लोग उन कोयले के ट्रकों को रोकते हैं और रोककर सीज करते हैं। उसमें मनमाने तरीके से किसी ट्रक पर दस हजार रुपये, दूसरे ट्रक पर पचास हजार रुपये या एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाकर ट्रकों को छोड़ते हैं। पुलिस विभाग भी इन ट्रकों को इस अधिसूचना द्वारा रोक करके मनमाने जुर्माने लगाता है। कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कोयला बनाने पर कोई रोक नहीं और कोयले के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाई है। उसका मेन उद्देश्य यह है कि सिरोही में शकुंतला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा

(श्री केसाराम चौधरी)

अंग्रेजी बबूल और उसके कचरे से बिजली पैदा करने के लिए एक प्लांट लगाया गया है। उस पर सरकार से अस्सी करोड़ का लोन लिया और उस पर चालीस करोड़ की सब्सिडी प्राप्त कर ली। केवल उसको फायदा पहुंचाने के लिए कि यह किस तरह से बंद हो जाए। इस तरह से अंग्रेजी बबूल को नहीं काटने व उसके कोयले को ट्रांसपोर्ट नहीं करने, यह बात उन्होंने करके कि भई...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है और करोड़ों रुपये का इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। चालीस करोड़ रुपये की सब्सिडी उठा कर जो प्लांट लगाया, उस प्लांट को बंद कर दिया, इस आधार पर कि यह लकड़ी काटने पर रोक लग गई है। इसलिए मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि राजस्थान प्रदेश में वन विभाग द्वारा इस तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कोयले की दलाली में काले हाथ हो रहे हैं, इस व्यवस्था से कोयले के व्यापारी दुःखी हैं, परेशान हैं, इस कोयले में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी भ्रष्टाचार में आप जांच करवा दीजिये पूरे राजस्थान से ट्रकों में कोयले, कंटेनर में भर कर चोरी-छुपे दिल्ली बेचते हैं और इस कारण से इतना भ्रष्टाचार राजस्थान में हो रहा है, आप पता कर लीजिये...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए, आपने अपनी बात कह दी। अब तो आपने बात कह दी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): तो मैं चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कि यह वन मंत्रीजी बैठे हैं...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इन्होंने ही पहले यह रोक हटाई थी और वापस अब यह रोक लगा दी।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं कहना चाह रहा हूं कि इस रोक के लगाने का औचित्य क्या है? या तो राजस्थान में अंग्रेजी बबूल से कोयला बने ही नहीं और...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय विराजे हैं, कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, मैं नहीं रोक रहा हूं, मंत्री महोदय कहेंगे तो। आपके ध्यान में ला दिया।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि या तो कोयला बनाने पर ही रोक लगा दी जाए ताकि राजस्थान में कोई व्यक्ति इस तरह का कोई धंधा ही नहीं करे। इस पर ट्रांसपोर्टेशन पर जो रोक लगाई है.....

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उसको हटाया जाए ताकि वन विभाग के कर्मचारी जो करोड़पति बन गये हैं, आप जांच करवा सकते हैं... मैं चैलेंज करता हूं, एक-एक रेंजर ने करोड़ रुपए भ्रष्टाचार रिश्वत के रूप में किया है। मेरा खुला आरोप है कि आपने जान-बूझकर इसमें रोक लगाई है। इस शकुंतला ट्रस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए इस रोक को लगाया है। आपको तुरन्त प्रभाव से इस रोक को हटाना चाहिए, यह मेरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री बनवारीलाल जी सिंघल।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भवानीसिंहजी ने अभी अख़बार के हवाले से, मेरा यही निवेदन था हमने सुना नहीं आपकी व्यवस्था को।

श्री उपाध्यक्ष: यह अंकित ही नहीं हुआ है उनका, इसलिए डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अंकित ही नहीं हुआ है, आप तो उप-सचेतक हैं, आपको मैं सजैस्ट कर रहा हूं। माननीय श्री बनवारीलालजी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में मैं अलवर में..

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय मंत्रीजी बैठे हुए हैं, इसका जवाब तो आप दे दीजिए। इसमें रोक हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, यह तो बता दें। पहले भी आपने रोक हटाई और फिर आपने वापस लगाई, आपका क्या मंतव्य है, मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बनवारीलालजी सिंघल।

अलवर के चिकानी स्थित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में गम्भीर अनियमितता

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में मैं पिछले दिनों अलवर के चिकानी स्थित अनेक उच्च एवं

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

तकनीकी शिक्षण संस्थानों में हुई गम्भीर अनियमितताओं की ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित कर रहा हूं।

दिनांक 22.1.2009 को 14174 नम्बर का एक फर्जी भू-रूपान्तरण आदेश संस्था के अध्यक्ष ने जिला कलक्टर अलवर के कार्यालय का अपने कम्प्यूटर से बनाया। उस पर स्वयं ने अपनी भूमि का भू-रूपान्तरण आदेश किया, स्वयं ने उस पर हस्ताक्षर किया और जिला कलक्टर अलवर के कार्यालय की मुहर स्वयं ने लगाई। इस पत्र के माध्यम से एक 14174/22.1.2009 नम्बर के पत्र के माध्यम से इस संस्था के चेयरमैन द्वारा आल इण्डिया काउंसिल फार टैक्निकल एजुकेशन से संस्थान को चलाने के लिए अनुमति प्राप्त की। राजस्थान टैक्निकल यूनिवर्सिटी से इसी फर्जी पत्र के माध्यम से एफीलिएशन प्राप्त किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई, 2009 में इस संस्थान में सीबीआई की रेड में जब यह पत्र पकड़ा गया तो सीबीआई ने अलवर के जिला कलक्टर से पूछा कि क्या यह पत्र 14174 अलवर के जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा जारी करना पाया जाता है? माननीय, सीबीआई को अलवर के तत्कालीन जिला कलक्टर के द्वारा लिखा हुआ यह पत्र मेरे हाथ में है। पत्र का नम्बर राजस्व/09/7300/26.10.2009 है, इसको सीबीआई को अलवर के तत्कालीन जिला कलक्टर ने लिखा है, कि यह 14174/22.1.2009 नम्बर का पत्र जिला कलक्टर, अलवर कार्यालय से जारी होना नहीं पाया जाता है। इस पत्र के माध्यम से जिस जमीन का भू रूपान्तरण किया गया है इस संस्थान के चेयरमैन द्वारा, उस संस्थान को खोलकर हज़ारों बच्चों को एडमिशन दिया गया। 2009-10 में और 2010-11 में जिन बच्चों ने प्रवेश लिया, वे सड़कों पर आये। सीबीआई की रेड के बाद फर्जीकारी में संलिप्त पाए जाने के बाद इस संस्थान के सारे संस्थानों की मान्यताएं रद्द हुईं। मैं इस सदन के माध्यम से राजस्थान की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक मेरे विधान सभा प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 159/31.8.2010 मैंने जब राज्य सरकार से पूछा कि क्या ऐसे संस्थान के प्रबंधक के खिलाफ, अलवर के तत्कालीन जिला कलक्टर की यह जानकारी आने के बाद कि जिला कलक्टर के कार्यालय का फर्जी भू-रूपान्तरण आदेश कलक्टर कार्यालय का फर्जी लैटर पैड बनाते हुए उस पर फर्जी हस्ताक्षर करते हुए और फर्जी मोहर लगाते हुए संस्थान के संचालन ने बनाया, क्या जिला कलक्टर ने ऐसे संस्थान के संचालक के खिलाफ फर्जीकारी करने की एफआईआर कराई? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरोप लगा रहा हूं, बिना नाम के तत्कालीन जिला कलक्टर, अलवर ने बहुत भारी राशि इस फर्जीकारी

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

करने वाले संस्थान के संचालक से प्राप्त की और राज्य सरकार की ओर से फर्जीकारी करने वाले उस संस्थान के संचालक चेयरमैन के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गयी। इस प्रकार का कृत्य करके तत्कालीन जिला कलक्टर अलवर ने न केवल राजस्थान की सरकार के साथ धोखाधड़ी की, बल्कि हजारों छात्रों के साथ भी धोखाधड़ी की। इस प्रकार की फर्जीकारी का पर्दाफाश नहीं होने के बावजूद जानकारी के अभाव में हज़ारों बच्चों ने ऐसे कालेज में दाख़िले लिये। 2009-10 के सैशन में ऐसे बच्चों को राजस्थान की हाई कोर्ट ने दूसरे ऐसे संस्थानों में स्थानान्तरित करने के आदेश दिए। यह एक पत्र राजस्थान टैक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा का मेरे हाथ में है, पत्र संख्या 588/21.4.2011, इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, "Therefore this is to inform you that the examination of the students admitted and the above mentioned Institutes prior to session 2010-11 will be conducted by the RTU and their interest will be protected." पिछले वर्ष बच्चों ने अलवर में जबरदस्त प्रदर्शन किये। माननीय उपाध्यक्ष जी, 2010-11 में भी इतने सब कुछ के बावजूद इस संस्थान के संचालक द्वारा राजस्थान स्तर के समाचार पत्रों में भ्रामक विज्ञापन दिये गये-प्रतिभावान विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा। इंजीनियरिंग कालेज, मैनेजमेंट कालेज, फार्मेसी कालेज, बीएड कालेज, कम से कम सात संस्थान यह आदमी चलाता है। बड़े-बड़े विज्ञापन दिये जिनमें लक्ष्मीदेवी इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी का नाम छपा। किसी प्रकार का एफीलिएशन, किसी प्रकार की परमिशन इसके पास नहीं थी। इसके बाद इसने छापा, एलआईटी ग्रुप, अलवर यह लिखता है कि एआईसीटीई ने टीएफडब्ल्यूएस स्कीम के तहत पांच प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान रखा है, लेकिन हमारी संस्था ने इसे बढ़ाकर पचास परसेंट कर दिया है। बड़े दानवीर कर्ण की भूमि का इस संस्थान के संचालक ने दिखाई। इससे पहले कितनी बार उसने पांच परसेंट से छह परसेंट बच्चों को टीएफडब्ल्यूएस में एडमिशन दिये? बल्कि टीएफडब्ल्यूएस का पैसा खाने के आरोप में इन संस्थानों के चेयरमैन और इसके संचालक मण्डल पर आरोप लगे और इनकी जांच हुई। जांच के पश्चात इनके ऊपर सीबीआई की रेड हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पत्र मेरे हाथ में है, इसमें बिन्दु संख्या पांच, जो मैंने उपरोक्त प्रश्न संख्या 159/31.8.10 का हवाला दिया है, इसमें राज्य सरकार कह रही है, चूंकि प्रकरण सीबीआई की जानकारी में पूर्व में है इसलिए राजस्थान सरकार ने एफआईआर नहीं कराई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात बताना चाहता हूं कि जो प्रकरण सीबीआई की जानकारी में है वह

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

केवल सब्मिशन आफ रांग डाक्यूमेंट्स के माध्यम से एफीलिएशन और अनुमति प्राप्त करने का है, एप्रूवल प्राप्त करने का है।

श्री उपाध्यक्ष: काफी लम्बा ले लिया है आपने, थोड़ा शार्ट करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मामला ही लम्बा है, हजारों-हजारों बच्चों का। एक तरफ तो आज राजस्थान की सरकार शिक्षा के लिए बड़ी चिंतित नजर आती है, दूसरी ओर फ्राड हो रहे हैं। अगर उनकी चिंता नहीं करेंगे तो फिर लम्बे-छोटे से क्या अर्थ होगा? राजस्थान की सरकार यह कह रही है कि हमने एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं कराई कि प्रकरण सीबीआई में आलरेडी दर्ज है। सीबीआई में जो प्रकरण दर्ज है वह सब्मिशन आफ रांग डाक्यूमेंट्स का है, मेकिंग आफ फोर्ज्ड डाक्यूमेंट्स का नहीं है। मेरा निवेदन है सदन के माध्यम से राजस्थान की सरकार से, तत्कालीन जिला कलक्टर की जानकारी में यह आ गया था कि इतने बड़े स्तर पर जाकर कलक्टर के कार्यालय का फर्जी लैटर पैड बना, उसमें मोहर व दस्तखत करके फर्जी भू-रूपान्तरण आदेश बन गये, केन्द्र की सरकार से और राजस्थान की सरकार से अनुमति प्राप्त करके गलत तरीके से हजारों-हजारों बच्चों को एडमिशन देकर उन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं, अगर आसन अनुमति दे तो मैं इन सब पत्रों को टेबल करने को तैयार हूं, इनकी जांच कराई जाए। ऐसे संस्थान के संचालक और तत्कालीन जिला कलक्टर के खिलाफ भी जिसने भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए इस संस्थान के संचालक से लिए, इस बात के कि एफआईआर नहीं कराऊंगा। अन्यथा कोई ऐसा विभागीय नियम या राज्य सरकार का नियम नहीं है कि संस्थान के संचालक के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई जाती। बड़ी राशि प्राप्त करने के कारण से इस संस्थान के संचालक के खिलाफ कलक्टर अलवर ने एफआईआर इसीलिए नहीं कराई और बहुत बड़े भ्रष्टाचार में तत्कालीन जिला कलक्टर लिप्त हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिन्दु संख्या पांच में मुझको जवाब दिया गया है, 'क्या ऐसे शिक्षण संस्थानों के चेयरमैन व अन्य सदस्यों के स्थान पर राज्य सरकार स्तर पर प्रशासन नियुक्त कर पारदर्शितापूर्वक संस्थान के संचालन करने का विचार रखती है?' इसमें मुझको राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 जो उपलब्ध कराया गया है, इसमें स्पष्ट अंकित है, मान्यता का वापस लिया जाना- 'जहां किसी संस्था का प्रबंध कपट या दुर्व्यपदेशन से...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सिंघल साहब, अब आप समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बस एक मिनट लूंगा। 'जहां किसी संस्था का प्रबंध कपट या दुर्व्यदेशन से तात्विक विशिष्टियों को छिपाकर मान्यता प्राप्त करता है या जहां मान्यता प्राप्त करने के पश्चात कोई संस्था धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन विहित किन्हीं भी निबंधनों और शर्तों का पालन करने में विफल रहती है, वहां मान्यता देने वाला सक्षम अधिकारी ऐसे प्रबंध को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात् मान्यता वापस ले कर सकेगा।'

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय गम्भीर है। मैं सोचता हूं, मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, केवल दो चीजों का ही इसमें निस्तारण करना बाकी है। इनका नहीं, टैक्निकल एजुकेशन का है। निस्तारण इतना ही है, कलक्टर के कार्यालय से डाक्यूमेंट को बनाया संस्था ने, फर्जी डाक्यूमेंट बनाया। आपके यहां के जवाब में उनके पास ये डाक्यूमेंट प्रश्न के उत्तर में चला गया तो क्या ये कलक्टर कार्यालय का यह दायित्व नहीं बनता कि ऐसा फर्जी डाक्यूमेंट बनाने वाली संस्था के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करके कार्यवाही प्रारम्भ करे? वैसे तो बहुत सामान्य बात है जिसके लिए किसी को भी कोई न और हां का उत्तर देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। निश्चित रूप से जिस कलक्टर का फर्जी डाक्यूमेंट बनाया, पहला दायित्व उसका था। अपने कार्यालय का दुरुपयोग करने वाली जो भी एजेंसी थी, जांच से पता लगता और उस संस्था के खिलाफ कार्यवाही हो जाती। नहीं करना, इसका मतलब संदेह पैदा कर रहा है कि कलक्टर कार्यालय भी इस सारे के सारे में फंसा हुआ है। अन्यथा सीबीआई से जो जांच हो रही है, वो अपनी जगह चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फर्जी डाक्यूमेंट कलक्टर कार्यालय में तैयार हुआ, जिसका आधार लेकर संस्था ने अपने सारे के सारे डाक्यूमेंट पेश करके जो कुछ भी फार्मेलटीज उसको करनी थीं और जो परमीशन उसको मिलनी थी वो उसको मिली और बाद में जब इसका पता लगा तो वो सारे बच्चे सड़क पर आ गये। क्या राज्य सरकार के विभाग का, पिछले सत्र में प्रश्न पूछने के बाद दायित्व नहीं बन गया था कि इसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होनी ही चाहिए? उस एफ.आई.आर. से यह पता लग जाता कि कार्यालय में गड़बड़ हुई या संस्था प्रधान ने स्वयं गड़बड़ी की और इसमें जो दोषी होता उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाती।

श्री उपाध्यक्ष: सीबीआई इंक्वायरी चल रही है न।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीबीआई इंक्वायरी अलग मामले में है। अलग मामले में है।

श्री उपाध्यक्ष: सीबीआई अलग नहीं होता, उसको पावर है उसके जितने केसेज ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलग मामले में है, सब्मिशन आफ रांग डाक्यूमेंट्स है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): फाल्स डाक्यूमेंट बनाने की एफ.आई.आर. नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें अब। आप विराजेंगे तो मैं अगला नाम पुकारूंगा। माननीय श्रीमती चन्द्रकांताजी मेघवाल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपने यह मान लिया कि इतने बड़े लोकतांत्रिक हाउस में इतने गम्भीर विषय का प्रसंग आ गया, उसकी कोई एफ.आई.आर. दर्ज करने की आवश्यकता नहीं, कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं। सीबीआई के पास यह केस नहीं है कि फर्जी डाक्यूमेंट कैसे बना।

श्री उपाध्यक्ष: वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उनके पास है कि फर्जी डाक्यूमेंट से उसने मान्यता का या अपना काम कैसे पूरा किया। दूसरा प्रकरण है।

श्री उपाध्यक्ष: वो मंत्रीजी ने कहा न, कि हम इसको दिखवा लेंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): नहीं कहा, साहब, कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं कहा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कहने को ही तैयार नहीं हैं। इस हाउस में ऐसा गम्भीर प्रकरण डिस्कस हो जाने के बाद भी अगर इसको बर्फ में डाल दिया जाए तो मैं सोचता हूं कि हम सब लोगों को यहां बैठने का हक ही खतम हो गया।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कोई मतलब ही नहीं बचा साहब, इतना सब कुछ देखना, तैयार करना। हज़ारों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं- 2010-11 में एडमिशन हुए, 2011-12 में एडमिशन हुए। मैं आपको विज्ञापन दिखा रहा हूं, किस तरह का भ्रामक विज्ञापन देकर एडमिशन हुए हैं, कि हम आपको टीएफडब्ल्यूएस में पचास परसेंट छूट देंगे। यह क्या बात हुई? हजारों-हजारों बच्चों को सड़क पर

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

डाल दिया। उसके बाद भी राजस्थान की सरकार अपने ही कार्यालय के फाल्स डाक्यूमेंट तैयार करने वाले, फोर्जरी करने वाले के खिलाफ और भ्रष्टाचार करने वाले कलक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब सरकार की मिलीभगत है इसमें। इसका मतलब सरकार मिली हुई है क्या इसमें? सरकार की मौन स्वीकृति है ऐसे मामले में। यह क्या बात हुई, साहब? उपाध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाओ आप, माननीय मंत्रीजी बैठे हुए हैं यहां। बल्कि ऐसे तत्कालीन जिला कलक्टर को, उस भ्रष्ट आदमी को आज इतने बड़े राजस्थान के ओहदे पर बैठा दिया। इसका मतलब, सरकार ऐसे लोगों को और ज्यादा तवज्जोह देना चाहती है।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाएं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सरकार भ्रष्टाचारियों को बड़े-बड़े पदों पर बैठा रही है, यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाएं, मंत्रीजी बैठे हैं। मामला गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने...(व्यवधान) आप विराजेंगे। आप विराजिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ...(व्यवधान) प्रमाणित है प्रमाणित कर दिया, प्रमाणित हो गया।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, ये कल के समाचार पत्र हैं...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, प्रमाणित है...(व्यवधान) भ्रष्टाचार का मामला...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...(व्यवधान) कार्यवाही नहीं हो...(व्यवधान) यह क्या बात हो गई? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह क्या बात हुई, साहब, आपने तो हमारा सारा विषय ही खतम कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये तो सही। आप विराजें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): विराज रहे हैं, आप जवाब तो दिलवाएं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: देखिये, यह जीरो आवर की पर्ची है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह सीधा गृह मंत्रीजी का काम है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मंत्रीजी। जीरो आवर की पर्ची है। मंत्रीजी किसी भी आपकी इन्फार्मेशन पर या पर्ची पर बीच में इंटरवीन करें तो हमें कोई किसी को एतराज नहीं है। (व्यवधान) सुनिये, बात तो सुनिये। मंत्रीजी को कम्पैल किया जाए, वो बात मैं नहीं कह रहा। मैं तो यह कह रहा हूं कि आपने अपनी बात रख ली, सरकार बैठी है, मंत्रीजी जवाब देना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं। माननीय मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): सदैव तैयार हैं, साहब, संवेदनशील और पारदर्शी हैं। ये पुराने विषय लेकर आये हैं माननीय सदस्य। ध्यान किया जाएगा। आपने इस विषय को...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपकी सरकार का मामला है...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आप बैठ जाइये न। सारा आप ही करेंगे क्या? जवाब दें भी और बोलें भी नहीं, दोनों बात थोड़े ही चलेंगी। एक तो निर्णय हो जाए न। यह निर्णय कर लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्णय करवा दीजिये पहले कि पहले ये बोलेंगे क्या।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप बोलिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया, आपने इस विषय को पर्ची के माध्यम से उठाने के साथ जो जानकारी दी उस जानकारी में आपने स्वयं बताया कि इस विषय को लेकर सीबीआई द्वारा भी जांच की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: यह उन्होंने बताया है, मैंने नहीं बताया। माननीय सदस्य ने जो बोला उसके आधार पर कहा था।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जो माननीय सदस्य ने बताया, माननीय सदस्य ने यह जानकारी दी कि इस प्रकरण के सम्बन्ध में सीबीआई के द्वारा भी जानकारी की जा रही है। माननीय सदस्य ने यह बात भी बताई कि उस प्रकरण के सम्बन्ध में हाई कोर्ट तक में भी पीड़ित पक्ष के

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

लोग गये हैं। आपने अपनी भावना व्यक्त की इस प्रकरण के बारे में कि कोई एफ.आई.आर. भी दर्ज की जाए। इस प्रकरण को दिखवा लिया जाएगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और जो आवश्यक कार्यवाही होगी वो उसके अनुरूप की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय चन्द्रकांताजी मेघवाल।

सूचना

किसानों को समर्थन मूल्य के साथ बोनस का भुगतान

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से मैं इस बात को यहां उठाना चाह रही हूं। अभी गत दिनों स्थापना दिवस के दिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की कि बोनस के रूप में किसानों को सौ रुपये दिये जाएंगे, लेकिन कोटा में कल भी किसान परेशान रहे। एफ.सी.आई. के द्वारा एक भी किसान को सौ रुपये प्रति क्विंटल पर बोनस नहीं दिया जा रहा है जबकि राजफैड और तिलम संघ दोनों ही किसानों को 1,285 समर्थन मूल्य सहित सौ रुपये बोनस, 1,385 रुपये दे रहे हैं। किसान अस्सी किलोमीटर दूर से आते हैं। अभी तक राजफैड के खाते में जो राज्य सरकार द्वारा पैसा जाना चाहिए था, वो पैसा नहीं पहुंचा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मेरा सरकार से निवेदन है कि तुरन्त पैसा दिया जाए ताकि राजफैड भी बोनस किसानों को समय पर दे सके और किसानों को बार-बार चक्कर नहीं काटना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सूर्यकान्ताजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से बोलना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, चिट जो आपने दी है। अपने सब्जैक्ट तक रैस्ट्रिक्ट करिये आप।

जोधपुर की संकरी गलियों में लगी आग के शमन के लिए छोटी गाड़ियों की खरीद

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अच्छा, कोई बात नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल दोपहर में 11 अप्रैल को जोधपुर के भीतरी शहर में बहुत बड़ी आगजनी हुई। वहां इतनी संकरी-संकरी गलियां हैं कि वहां पर कम

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

से कम पांच घंटे तक वह आग जलती रही। उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वगैरह पहुंची, मगर वो वहां इसलिए नहीं पहुंच सकीं कि बड़ी गाड़ियां हैं तो वो आग पांच घंटे तक जलती रही। पिछले साल सुमेर उद्यान धानमण्डी में भी इसी तरीके से आगजनी हुई थी। शहर की तंग गलियों के अन्दर आगजनी को देखते हुए नगर निगम ने यह निर्णय किया था कि हम छोटी गाड़ियां खरीदेंगे। मगर अभी दो साल हो गये एक भी छोटी गाड़ी नहीं खरीदी है। आगजनी किसी को पूछ कर नहीं होती है मगर अभी तक दो साल में नगर निगम अगर गाड़ियां नहीं खरीदेगी और शहर के अन्दर तंग गलियां हैं पुराना शहर बसा हुआ है और कल ही इस तरीके से हादसा हुआ। मंत्री महोदय सामने विराजमान हैं, सरकार इतना खर्चा करती है, छोटी दमकल गाड़ियां खरीदें जो शहर में संकरी गलियों में भी जा सकें। जीप हो या कोई भी ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि कम से कम आग लगे तो उसको बुझाने में सहयोग मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं भी जोधपुर से हूं और उसी बात को रिपीट कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा है, माननीय भंसालीजी, यह बात तो माननीय सूर्यकान्ताजी ने बता दी।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): नहीं, मैं एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, सुनिये आप। आपकी जो पर्ची है जोधपुर के सिविल एयरपोर्ट के बारे में, उसके बारे में बोलना हो तो बोलिये, बस। वहां तक रैस्ट्रिक्ट करिये। थोड़ा संक्षेप में करना।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जोधपुर में हवाई अड्डे के लिए भूमि का निर्णय

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, पिछले तीन वर्षों से सिविल एयरपोर्ट जोधपुर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर का कहां बने, इसको लेकर जमीन का विवाद चल रहा है। काफी खोजबीन के बाद तथा डिफेंस द्वारा एतराज न होने के बाद तीन-चार जगहें अब निश्चित की गई हैं, कि वर्तमान में जो सिविल एयरपोर्ट है उसका विस्तार करके डिफेंस के एयरपोर्ट को कहीं अन्यत्र लगाया जाए। इतना बड़ा वो रनवे है जिसको डिफेंस भी छोड़ना नहीं चाहता। मेरा सुझाव है कि डिफेंस का भी काम चले और सिविल एयरपोर्ट एक

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

अलग से गेट बन जाए, अलग से बाउंडरी बन जाए परन्तु रनवे एक ही काम आए। दूसरा, जो कारिडोर बन रहा है उसमें भी बड़ी सुविधा रहेगी। नया जो बनेगा उसमें बड़ा खर्चा लगेगा डिफेंस के लिए भी खर्चा लगेगा। तो मेरा निवेदन है कि नगर निगम की जो जमीन पास में पड़ी हुई है, उसको सरकार मुआवजा देकर एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध करा दे तो यह काम आसान हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): एक मिनट, साहब। जो बात है वो तो कहने दीजिये आप, जो जोधपुर की जनता की खास बात है।

फाइटर्स सारे दिन, अब सारा शहर बस गया है, इतनी नई कालोनियां आ गई हैं, लोगों को रात को सोना हराम हो जाता है। मेरा निवेदन है, क्योंकि फलौदी में बहुत बड़ा रनवे बन गया, डिफेंस के लिये एयर पोर्ट की सुविधा हो गई इसलिए इसको वहां स्थानांतरित कर दिया जाए- एक तरफ तलाई में और दूसरी तरफ फलौदी में। दोनों अगर हो जाएंगे तो जोधपुर की जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए प्लीज। माननीय अमरारामजी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

सूचना

ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से नष्ट फसल का मुआवजा

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले तो शीतलहर और पाले ने फसलें नष्ट कर दीं और कल पांच बजे और परसों, दो दिन में सीकर में फागलवां, नेछवा, गोकुलपुरा, दासा की ढाणी, खेतड़ी, कोटपूतली, नीमकाथाना में सैकडों गांवों की फसलें ओलावृष्टि और बेमौसमी बरसात से बहुत बड़े इलाके में धराशायी हो गई। पकी हुई फसल पर ओलावृष्टि और बेमौसमी बरसात से किसानों की रही सही फसल भी नष्ट हो गई। ओलाजी पढ़ने वाले हैं, सहायता मंत्रीजी हैं, पहले भी सरकार ने पाले में किसानों के साथ धोखा किया, 60 प्रतिशत को 20 प्रतिशत ही बता दिया।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात आ गई, धन्यवाद।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार संवेदनशीलता के साथ जहां-जहां भी ओलावृष्टि, बेमौसमी बरसात और तूफान से किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उनकी गिरदावरी कराए और उनको मुआवजा देकर किसानों की थोड़ी बहुत सहायता करे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ग्यारसा रामजी कोली। आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 11.4.12 को मेरे बयाना विधान सभा क्षेत्र की तहसील रूपवास और बयाना में दिन के तीन-चार बजे के बीच में भारी ओलावृष्टि हुई है। इस ओलावृष्टि में 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के ओले पड़े हैं जिससे गेहूं की खड़ी फसल में करीब 70 प्रतिशत नुकसान हुआ है। किसान सड़क पर आ गया है, क्षेत्र में तबाही मची हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इसका आकलन करवा कर तुरन्त फसल मुआवजा दिलाने की कृपा करे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती अनिता भदेल, दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ओलाजी तो नहीं है लेकिन बाकी मंत्रीजी तो हैं, कुछ तो कहें। किसान पाले से मारा गया, अब ओलों से मारा गया।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो पुराने सदस्य हैं, कृपया विराजिए, मंत्री मंत्री होता है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, बाकी मंत्री तो हैं। पूरा तबाह हो गया। और ओलाजी तो गायब हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए, आप विराजिए। श्रीमती अनिता भदेल।

याचिका

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं :-

अजमेर के वार्ड संख्या 34 में नाले की चौड़ाई व गहराई में वृद्धि

(1) अजमेर के वार्ड संख्या 34 के प्रकाश रोड पुलिया के मोड़ से गोपालगंज नगरा आनासागर एस्केप चैनल तक जाने वाले नाले को चौड़ा व गहरा करने बाबत।

(श्रीमती अनिता भदेल)

अजमेर के वार्ड संख्या 43 की अनामिका कालोनी में नयी पेयजल लाइन

(2) अजमेर के वार्ड संख्या 43 में अनामिका कालोनी में पेयजल हेतु नई पाइप लाइन बिछाने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती कमला कस्वां एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

राजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के शहर राजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओम बिरला एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। (अनुपस्थित)

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक विशेष बिल...

श्री उपाध्यक्ष: आप वह जो ...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अब बिल में थोडे ही रोक-टोक है, बिल में पूरी बात कहूंगा मैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज एक विशेष बिल विचारार्थ आया है जिसका विषय पूरे देश में चल रहा है, आजादी के 62 साल बाद भी जिसके लिए पूरे देश की जनता संघर्ष कर रही है। जब जब देश की जनता जन प्रतिनिधियों को चुनती है देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्य मंत्री और तमाम लोक सेवकों पर जब जनता प्रश्न उठा रही है, उस समय तीन वर्ष बाद राजस्थान की सरकार ने राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को विधान सभा के पटल पर पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है और बिल महत्वपूर्ण होने के कारण राजस्थान के जनमत को इस बिल को जानने का अधिकार होना चाहिये। जिस तरीके से देश की पार्लियामेंट और लैजिस्लेटिव असैम्बली चुनी जाती हैं, जनता हमें इसलिए चुन कर भेजती है कि हम जो नियम और कानून बनाते हैं और उस नियम और कानून की व्याख्या हम भी जानें और जनता भी जाने। उपाध्यक्ष महोदय, जिस कानून के लिये हमें चुन कर राजस्थान की जनता ने भेजा है, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, इतना महत्वपूर्ण बिल सरकार दो दिन पहले हमें दे। विधायक के पास तो कोई विधिक अधिकारी भी नहीं है, अफसर भी नहीं है लेकिन सरकार के पास तो अधिकारी भी हैं, विधिक राय देने वाले लोग भी हैं, उसके बाद भी, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ सवाल इस बिल के विषय में उठते हैं।

(श्री ओम बिरला)

इस बिल में धारा 5 के तहत राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि राज्य सरकार की राय के बजाय राज्य सरकार के पास पर्याप्त आपदा होने का प्रावधान किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा 5 का इन्होंने जिक्र किया है उस धारा 5 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार अपनी राय के आधार पर किसी भी लोक सेवक को, लोक सेवक की परिधि के बारे में मैं अभी बताऊंगा, किसी भी लोक सेवक को दोषी मानकर या अवैध सम्पत्ति या भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति के आधार पर न्यायालय में घोषणा कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है, आपने मान लिया। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 2 (सी) जो कि सैक्शन 21 भारतीय दंड संहिता के सैक्शन 2 में आती है, उसमें लोक सेवक की परिभाषा, जब माननीय मंत्री महोदय जवाब दें तो बताएं। लोक सेवक की परिभाषा जो मेरे पास किताब में उपलब्ध है, लोक सेवक में देश के प्रधानमंत्री से लेकर, राज्य के मुख्य मंत्री, पंच, कांट्रेक्टर, एक लम्बी परिभाषा इसकी है। कौन-कौन परिभाषा में आता है, उसको मैं पढ़ूंगा तो आप टोकेंगे लेकिन मैं चाहूंगा कि यह स्पष्ट करें मंत्री महोदया कि लोक सेवक की धारा 2 (सी) के तहत राजस्थान के मुख्य मंत्री से लेकर कौन-कौन व्यक्ति लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं? राज्य ने या केन्द्र ने किन-किन को लोक सेवकों की इस धारा से विशेष छूट दे रखी है? उपाध्यक्ष महोदय, धारा 5 में सरकार द्वारा घोषणा की जाएगी। मैं भी समझ नहीं पाया, सरकार इस बिल के बाद नियम बनाएगी। नियम में सरकार किस एजेंसी को लेगी- एसीबी को लेगी, लोकायुक्त को लेगी या उस विभाग को लेगी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरा देश-प्रदेश इसलिए चिंतित है कि सरकारों की मंशा भ्रष्टाचार को समाप्त करने की नहीं है। अगर सरकारों की मंशा भ्रष्टाचार को समाप्त करने की हो तो हमारे खिलाफ देश और प्रदेश की जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी। आज आप बिल तो ला रहे हैं लेकिन आपकी नीयत पर संदेह उठ रहा है। अच्छा होता कि इस बिल को लाने के पहले, विशेष न्यायालय बनाने के पहले राज्य सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत एसीबी, लोकायुक्त जैसी एजेंसी को मजबूत करने का बिल लाती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां और चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन एसीबी का जो ढांचा राजस्थान के अन्दर है वह पूरा मुख्य मंत्री के नियंत्रण में आता है-एसीबी का डीजी, एसीबी के अधिकारी। राजस्थान में क्या हालत है, जिस एसीबी की हम बात कर रहे हैं? पिछले तीन साल के अन्दर एसीबी की स्थिति को देखा जाए, उनके चालानों की स्थिति को देखा जाए और

(श्री ओम बिरला)

कौन लोग पकड़े गए, उनकी स्थिति का अगर अध्ययन किया जाए तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस सरकार ने खुद कहा है कि हमने 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक कुल 557 परिवाद राज्यकर्मियों के विरुद्ध दर्ज किये, उनमें से 59 प्रकरण में एफआईआर लगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल के अन्दर इस राजस्थान का तमाम मंत्रिमण्डल का सदस्य क्या ईमानदार रहा है, क्या राजस्थान के इन मंत्रियों पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगे? एसीबी के अन्दर जो जांच गई है, मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि यह जांच बेनामी थी। परिवादी खुद एप्लीकेशन लेकर गया लेकिन उसको कहा कि बेनामी है इसलिए जांच नहीं करेंगे। माननीय मंत्री महोदय भी बैठे हैं, इनके विभाग के गृह मंत्रीजी भी रहे हैं यह, इनके खिलाफ मुख्य मंत्री कार्यालय से परिवाद जारी हुआ। वह परिवाद गृह में गया, गृह के बाद वह परिवाद एसीबी में गया। क्योंकि राज्य के मंत्री थे, उन्होंने कहा, यह बेनामी तरीके की जांच थी इसलिए गलत तरीके से जांच करने के कारण से उन अधिकारियों को सस्पैंड कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस बिल की बात हम कर रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इससे एक बात का पता तो लग ही गया कि सरकार चलाने में डिप्टी सैक्रेटरी काम करते हैं, मुख्य मंत्री व मंत्री काम नहीं करते हैं क्योंकि निलम्बित उनको किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: बिरला जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आज आबकारी, खनिज और उद्योग की तीन बड़ी मांगें हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): देखिये, अगर यही बात थी तो बिल को नहीं रखना चाहिए था।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं रखना चाहिये था। हमने तो विरोध किया था कि जिस चीज के लिए असैम्बली चुनी जाती है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस बिल पर पूरी बहस होगी। इस बिल पर पूरी बहस होगी, पूरा बहस में भाग लेंगे, बिल को पारित करेंगे। रात को दो बजे तक बैठना पड़े तो बैठेंगे, लेकिन इस बिल पर अच्छी तरह से पूरी बहस होगी।

श्री उपाध्यक्ष: अपनी बात संक्षेप में भी कही जा सकती है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): संक्षेप में ही कह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

जिस एसीबी की मैं चर्चा कर रहा था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 चल रहा है जिसमें आज भी राजस्थान के अन्दर केवल एक थाना है और जिले की सब चौकियां हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो यह जानते हैं कि एसीबी में किन अधिकारियों को लगाया जाता है। आज भी वही स्थिति है। एसीबी के अन्दर उन अधिकारियों को लगाया जाता है जिन पर करप्शन के आरोप होते हैं, जिन पर शिकायत होती है। मैं सारे अधिकारियों की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह चर्चा करना चाहता हूं कि अधिकांश अधिकारियों को लाइन हाजिर के नाम पर एसीबी में भेजा जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार गम्भीर होती तो सबसे पहले एसीबी का पुनर्गठन करती और एसीबी को एक ऐसी इनडिपेंडेंट एजेंसी बनाती जिस इनडिपेंडेंट एजेंसी से जनता यह मानती कि एसीबी के अन्दर कोई मुकदमा जाएगा तो उसे न्याय मिलेगा। लेकिन जो एसीबी सरकार के नियंत्रण में चलती हो जिस एसीबी के अन्दर चालान पेश होने से लेकर, ऊपर से नीचे तक कम्पलीट सरकार का नियंत्रण हो, उससे राजस्थान की जनता कैसे अपेक्षा कर सकती है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आजादी के बाद से अभी तक इस देश में ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही, यही कारण है कि आज इतने सालों के बाद भी सरकार ने एसीबी का पुनर्गठन नहीं किया। अगर भ्रष्टाचार को रोकने की सरकार की नीयत है तो राजस्थान की सरकार एसीबी के पुनर्गठन का बिल लाती, एसीबी के अन्दर कौन अधिकारी लगेगा, विशेषज्ञ आधिकारी लगेंगे, केवल एसीबी के अन्दर केवल एक पुलिस का अधिकारी लगता है जबकि एसीबी के अन्दर आज सड़क के अन्दर भ्रष्टाचार है, बिजली के अन्दर करप्शन है तो सड़क के भ्रष्टाचार को पुलिस का अधिकारी क्या जानेगा? क्या एसीबी के पास लेबोरेटरी है? क्या एसीबी उस पर जांच कर सकती है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर एसीबी एजेंसी मजबूत होती तो तमाम भ्रष्टाचार के विषय जिन पर आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, उन सारे विषयों के लिए एक विशेषज्ञों की टीम होती, उसके लिए एक सैन्ट्रलाइज लैब होती, लैब के साथ नये साधन होते। उसके साथ-साथ इस एसीबी के लिए राजस्थान के सबसे ईमानदार अफसर का चयन करने के लिए एक कमेटी बनती जिस कमेटी को नियुक्त करने वाला राजस्थान का सीजे हो, मुख्य मंत्री हो, प्रतिपक्ष की नेता हो। उस अधिकारी का चयन उस कमेटी के द्वारा हो ताकि एसीबी पर राज्य की जनता का विश्वास हो। आपको बोलना नहीं आता तो मैं बोल रहा हूं। आप बोल लो। मुझे

(श्री ओम बिरला)

सिखाओगे क्या? इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एसीबी जो स्वयं भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। जो सरकार की कठपुतली बन चुका है, जिसमें किन लोगों के खिलाफ जांच चलनी है, किसके खिलाफ चालान पेश होना है, यह सरकार तय करती है और हम कह रहे हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक नया अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं तो नीयत पर संदेह होता है।

(13.47 बजे)

(श्री सुरेन्द्रसिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

जिस लोकायुक्त की चर्चा मैं करना चाहता हूं, आज राजस्थान के लोकायुक्त की क्या स्थिति है? सभापति महोदय, पूरे देश के लोकायुक्तों को देखें, अगर हम मध्य प्रदेश के लोकायुक्त को देखें, हम आन्ध्र प्रदेश के लोकायुक्त को देखें तो लगता है कि सबसे कमजोर अगर लोकायुक्त है और लोकायुक्त की एजेंसी बना रखी है तो इस सरकार ने राजस्थान में बना रखी है। लोकायुक्त ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ, एक एडिशनल चीफ सैक्रेटरी रैंक के अधिकारी के खिलाफ सिनेमा घर में विशेष छूट देने के खिलाफ सरकार को जांच करके कार्यवाही के लिए लिखा। एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ पटवारी के एक लाख रिश्वत लेने का प्रूफ होने के बाद भी आज वह अधिकारी बैठा है। लोकायुक्त की उस जांच को सरकार ने ठण्डे बस्ते में पटक दिया। लोकायुक्त की एजेंसी कैसी बनाना चाहते हैं? आज राजस्थान हीं नहीं, देश के अन्दर जिस जन लोकपाल विधेयक को लाने की चर्चा हो रही है, जनता इसलिए समर्थन करती है कि सरकार की भ्रष्टाचार को रोकने की मंशा नहीं है। अगर सरकारों की मंशा होती तो देश में जनलोकपाल विधेयक जैसे बिल के लिए आम जन का समर्थन नहीं मिलता। यहां की लोकायुक्त की एजेंसी का क्या हाल है? सरकार ने कहा कि हम माथुर आयोग बनाएंगे, माथुर आयोग से जांच कराएंगे। हाई कोर्ट ने उसको रिजैक्ट कर दिया। लोकायुक्त को दे दिया। लोकायुक्त के पास इक्विपमेंट नहीं, साधन नहीं, अधिकारी नहीं। सरकार खुद अपने फैसलों पर जब जांच ही कराना चाहे, हम न्याय प्रक्रिया से गुजरना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से राजस्थान के मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि जनता की राय है, जनता यह बात कहती है। राज्य का मुखिया जनता के कहने की बात करे। आप राजस्थान के मुख्य मंत्री हो, आपको जो बात कहनी चाहिए वह प्रमाण के साथ कहनी चाहिए, सबूतों के

(श्री ओम बिरला)

साथ कहनी चाहिए। हम अगर जनता की राय कह दें तो सवाल नहीं उठता। लेकिन राज्य का मुख्य मंत्री जनता की राय कहे। आज तीन वर्ष हो गये, लोकायुक्त की स्थिति क्या है? आज सरकार ने सबसे कमजोर लोकायुक्त बना रखा है, माननीय सभापति महोदय, तो राजस्थान ने बना रखा है। अच्छा होता कि राजस्थान के अन्दर सरकार एक अच्छा जन लोकपाल विधेयक लाने की बात सदन में करती। ए.सी.बी. को मजबूत नहीं करो, जन लोकपाल बिल के लिये विधेयक नहीं लाओ और एक विधेयक ले आओ- राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012, माननीय सभापति महोदय, क्यों नहीं सरकार लोकपाल को मजबूत करने का बिल ला रही? क्या सरकार को डर है कि हमारे मंत्रियों के खिलाफ जांचें हो जाएंगी? क्या सरकार को डर है कि हमारे कई लोगों पर जो सवाल जनता उठाती है, उनके खिलाफ लोकायुक्त इंडिपेंडेंट एजेंसी होगा तो जांच करेगा? जांच का परिणाम आएगा, सरकार दबा देगी, लेकिन जनता उसको देखेगी।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल को लाने के पहले धारा 5 के तहत सरकार घोषणा करने जा रही है, मेरा प्रश्न इसलिये उठ रहा है कि हम ए.सी.बी. को मजबूत करें नहीं, हम लोकायुक्त को मजबूत करें नहीं, तो सरकार की कौनसी एजेंसी अपने नियम बनाएगी जिसके तहत सरकार यह कहेगी कि अमुक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसकी हमने यह यह सम्पत्ति जब्त की है? अमुक विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसकी यह-यह सम्पत्ति दर्ज की है? क्या सरकार से नियंत्रित एजेंसी धारा 5 के तहत विशेष न्यायालय के अन्दर घोषणा कर सकती है? यह सवाल इस बिल के माध्यम से उठ रहा है, माननीय सभापति महोदय। इसलिये मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार अगर करप्शन को रोकने की नीयत रखती है, जिस पर इस विधान सभा में पहले भी चर्चा हो चुकी है, तो अच्छा हो, राजस्थान के अन्दर ए.सी.बी. को एज इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाया जाए। इंडिपेंडेंट एजेंसी के कई ऐसे एरिया हैं, जब ए.सी.बी. के पुनर्गठन का बिल लाएंगे तब उस पर विशेष चर्चा करुंगा। उस तरीके से जन लोकपाल विधेयक को लाने की आवश्यकता है। क्यों जन लोकपाल विधेयक जैसे विधेयक को राजस्थान सरकार नहीं लाई? मुख्य मंत्रीजी ने तो बहुत वादा किया था। पहले अभिभाषण में कहा था, राजस्थान में भ्रष्टाचार की लोग चर्चा करते हैं। मुख्य मंत्रीजी, आपको तीन वर्ष हो गये, जिन चर्चाओं की आप बात करते थे, क्या उन चर्चाओं का निर्णय निकला? आपने तीन साल के अन्दर लोकायुक्त जैसी एजेंसी को जिन प्रस्तावों को भेजा,

(श्री ओम बिरला)

जांचों को भेजा, उन जांचों को क्यों ठण्डे बस्ते में डाल दिया? आज जन लोकपाल विधेयक जैसे बिल को लाने की बात सरकार ने की थी, क्या सरकार उस बिल को नहीं लाना चाहती? क्या सरकार की नीयत करप्शन को रोकने की नहीं है? माननीय सभापति महोदय, मेरा संशय हो रहा है। जो बिल यह लाये गये हैं, उन बिलों पर संशय हो रहा है कि सरकार के मंत्री जब इस बिल पर अपनी बात कहें तो यह जरुर बात बताएं कि धारा 5 में सरकार जब नियम बनाएगी तो जो घोषणा करने जाएगी, उस घोषणा के लिये क्या ए.सी.बी. जांच एजेंसी बनाएंगे? क्या लोकायुक्त को जांच एजेंसी बनाएंगे? लोकायुक्त ए.सी.बी. को जांच एजेंसी नहीं बनाएंगे तो क्या वाकई में सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिये एक नई एजेंसी का गठन करेगी? माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिये उठ रहा है कि सरकार इन दोनों एजेंसियों को कमजोर बनाना चाहती है। राजस्थान के अन्दर पिछले तीन वर्षों में न सत्ता पक्ष के विधायकों पर, न प्रतिपक्ष के विधायकों पर, न पंच पर, न सरपंच पर, न प्रधान पर, न जिला प्रमुख पर, न नगरपालिकाओं पर, राजस्थान के अन्दर, मैं रोज अखबारों में पढ़ता हूं, उस मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप, उस मंत्री के बेटे ने भ्रष्टाचार के आधार पर धन अर्जित गलत तरीके से किया, कई बेनामी सम्पत्तियों का पहाड़ लगाने का काम किया। जयपुर की महापौर पर सरकार ने खुद कहा, ए.सी.बी. की जांच करेंगे, कोटा की महापौर पर प्रश्न उठ रहा है। कई जिला प्रमुखों पर प्रश्न उठ रहा है। कई एम.एल.एज पर, जन प्रतिनिधियों पर, लोक सेवकों पर प्रश्न उठ रहा है। माननीय सभापति महोदय, जब सरकार की नीयत ठीक नहीं है तो विशेष न्यायालय 10 बना दें, उन न्यायालयों से क्या होने वाला है? माननीय सभापति महोदय, आज मुख्य सचेतक हैं, इस विधान सभा के अन्दर कई गम्भीर आरोप इनके विधायकों ने लगाये हैं, इनके मंत्रियों पर लगाये हैं। आर.टी.ओ., आज कौन नहीं जानता है, क्या आर.टी.ओ. के करप्शन को रोका जा सकता है? क्या सेल्स टैक्स के करप्शन को रोका जा सकता है? क्या नेताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत से सड़कों और बांधों का निर्माण कार्य होता है, उसको रोक सकते हैं? हम चिल्ला-चिल्ला कर थक जाते हैं कि काली सिंध के अन्दर ढाई सौ करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, कौन लोग हैं? कौन उनको संरक्षण दे रहा है? गोदाम बनाने वाली कौन कम्पनियां हैं, स्टेट वेयर हाउस को कौन दे रहा है? कौन होटल बना रहा है? ये सवाल जब उठाते हैं तो सवालों को यहां दबा कर रख दिया जाता है। इन सवालों को दबा कर रख दिया जाता है तो हम फरियाद दें तो कहां दें?

(श्री ओम बिरला)

आम आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ मय सबूतों के बावजूद ठोकरें खाकर दरवाजे पर से आता है। क्या ए.सी.बी. को दें, क्या लोकायुक्त को दें। ए.सी.बी. को दें तो ए.सी.बी. के अधिकारी, वहां के डी.जी. जाएंगे, मुख्य मंत्री से फाइल लेकर जाएंगे, वहां एप्रूव होने के बाद चालान पेश होगा। वहां की चौकियां जाएंगी, चौकियां पहले थाने में भेजेंगी, थाने यहां पर कहेंगे, रिजैक्ट किया जाता है, परिवाद दर्ज नहीं हो। और परिवाद दर्ज हो तो सस्पैंड कर दो। इसलिये यह प्रश्न उठ रहा है। माननीय मंत्री महोदय जवाब दें कि क्या इसके लिये इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाने की सरकार की नीयत है या नहीं। सरकार की यह नीयत भी है कि जन लोकपाल विधयक जैसी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी राजस्थान में बननी चाहिए? उस इंडिपेंडेंट एजेंसी के अन्दर सरकार या सरकार के किसी व्यक्ति का हाथ नहीं हो। मैं नहीं कहता कि सारे राजस्थान के अधिकारी करप्ट हैं या नीचे का सारा सिस्टम करप्ट है। लेकिन उसके अन्दर ईमानदार अधिकारियों का चयन हो। सब विशेषज्ञों की टीम हो। वह जो टीम बने, राज्य सरकार विशेष न्यायालय के अन्दर जो घोषणा करने जाए, उसके पहले पुख्ता सबूतों के आधार पर जाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, इसमें कुछ प्रश्न मेरे मन में हैं, मैं चाहूंगा कि जब मंत्रीजी जवाब दें तो बताएं।

माननीय मंत्री महोदय, विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील, सैक्शन दो में, 'यथा पूर्वोक्त के सिवाय, विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय, दण्डादेश या आदेश की किसी भी न्यायालय में कोई अपील अथवा पुनरीक्षण नहीं होगा।' माननीय सभापति महोदय, दण्ड संहिता की धारा 397, में विशेष रूप से लिखा गया है कि पीड़ित व्यक्ति को अपने आदेशों के विरुद्ध निगरानी और रिविजन करने का अधिकार होगा। जबकि इसमें लिखा है कि किसी भी अंतरिम आदेश के खिलाफ कोई व्यक्ति रिवीजन एप्लीकेशन नहीं लगा सकता

(14.00 बजे)

है। माननीय सभापति महोदय, 11 (2) में लिखा है 'विशेष न्यायालय, मामले के विचारण को, उसके संस्थित या, यथास्थिति, स्थानांतरित किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर निपटाने का प्रयास करेगा।'

मतलब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई को सरकार ने, मैलाफाइड इंटेंशन से किसी व्यक्ति को फंसा लिया, उस पर सरकार ने जाकर घोषणा कर

(श्री ओम बिरला)

दी। किसी निरपराध अधिकारी, नेता, विधान सभा में बोले तो मुख्य मंत्रीजी की आंखें टेढ़ी हो जाएं, मंत्रीजी की आंखें टेढ़ी हो जाए, मंत्रीजी कहें, जाओ, इसके खिलाफ आरोप बनाओ और अदालत में डाल दो। उसमें कहा कि नहीं, हम एक साल की कालावधि में निपटाने के लिए प्रयास करेंगे। माननीय सभापति महोदय, प्रयास नहीं, इसमें यह होना चाहिए कि हम एक वर्ष की कालावधि में निश्चित रूप से इस प्रकरण का निपटारा करें। जब तक समय सीमा निर्धारित नहीं होगी, जिस तरीके की राजस्थान के कोर्ट की स्थिति है, हाई कोर्ट की स्थिति है, जिस तरीके का न्यायिक बोझ आज जुडिशियरी पर है, सरकार की तरफ से न जुडिशियरी को न बजट मिलता है, न पद मिलते हैं, न आवश्यक बजट का प्रावधान होता है। और सरकार यहां पर कानून बनाकर यह कहे कि नहीं, हम विशेष न्यायालय बनाना चाहते हैं। क्या सरकार विशेष न्यायालय बनाने के लिए, अलग से जजों के अपाइंटमेंट के लिए अलग से बजट देगी? बजटों के क्या-क्या प्रावधान किये? कितना-कितना बजट कब-कब उपलब्ध करवाया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, सरकार के मंत्री यह भी बताएं क्योंकि मैंने मुख्य मंत्रीजी का बजट भाषण सुना है। उनको भी पता था कि यह बिल लाने जा रहे हैं, लेकिन उस बिल के साथ अच्छा होता कि मुख्य मंत्रीजी विशेष न्यायालय के लिए बजट का प्रावधान निश्चित करते। बजट मैंने पूरा पढ़ा है, उस बजट के अन्दर कहीं भी विशेष न्यायालय के लिए कोई बजट उपलब्ध नहीं है। और आपने कहा कि हम एक वर्ष के अन्दर इन सारे प्रकरणों को निपटाने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, आपने तो यहां तक भी कह दिया कि हाई कोर्ट के अन्दर भी सरकार यदि जाएगी तो हाई कोर्ट छह महीने के अन्दर उस अपील को निस्तारित करेगी।

अब, माननीय सभापति महोदय, एक बात बताएं, इस राजस्थान के अन्दर कई विधेयक बने, जिस विधेयक की मैं चर्चा करना चाहूं, रैंट कण्ट्रोल एक्ट बना, क्या हुआ रैंट कण्ट्रोल एक्ट का? कितने न्यायालय बना दिये? माननीय सभापति महोदय, आज भी राजस्थान के अन्दर जितना भी रैंट कण्ट्रोल एक्ट है उस रैंट कण्ट्रोल एक्ट के लिए जो वर्तमान में काम करने वाले मजिस्ट्रेट हैं, उनको ही आपने कह दिया कि इस रैंट कण्ट्रोल एक्ट का काम सुनने के लिए अधिकृत किया जाता है। सैशन जज अधिकृत किया जाता है। राजस्थान के अन्दर रैंट कण्ट्रोल एक्ट के तहत एक भी सैशन कोर्ट नहीं खुला है जिनका मैं उदाहरण दे रहा हूं केवल चार कोर्ट के अलावा। माननीय मंत्री

(श्री ओम बिरला)

महोदय, आपने ही यह रैंट कण्ट्रोल एक्ट रखा था, बड़े जोश के साथ में रखा था कि हम इस रैंट कण्ट्रोल एक्ट को रख रहे हैं, आप यह बता दें कि राजस्थान के अन्दर रैंट कण्ट्रोल एक्ट के तहत कितने सेशन जज अलग से पदस्थापित हैं जो केवल रैंट कण्ट्रोल एक्ट की अपील को सुनते हैं? कितने ऐसे जुडिशियल आफिसर्स हैं जिनको आपने राजस्थान के अन्दर रैंट कण्ट्रोल अधिकरण के अन्दर परिभाषित किया गया है?

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई वकील नहीं हूं, माननीय धारीवाल साहब तो वकील भी हैं। वह जिला प्रमुख भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं।

श्री सभापति: आप दोनों कोटा से ही हो और दोनो चम्बल का पानी पीते हो आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, हां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने तो वास्तव में इनके राज को खोज लिया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, सैक्शन 15(2) के तहत लिखा है, 'जहां प्राधिकृत अधिकारी यह विनिर्दिष्ट करता है कि हेतुक दर्शित करने के लिए नोटिस में निर्दिष्ट धन या सम्पत्ति या दोनों में से किसी को अपराध के माध्यम से अर्जित किया गया है किन्तु वह ऐसे धन या सम्पत्ति को विनिर्दिष्टतः चिह्नित करने में असमर्थ हो, वहां प्राधिकृत अधिकारी के लिए, अपने सर्वोत्तम विवेक से... ', मतलब किसी भी नेता को, किसी भी अधिकारी को अपने विवेक के आधार पर, बिना साक्ष्य, बिना सबूत, बिना तथ्य के आधार पर सरकारी नियंत्रण करने वाली यह एजेंसी दुरुपयोग करेगी, विवेक के आधार पर वह अधिकारी घोषणा करेगा कोर्ट में जाकर कि इस अधिकारी के खिलाफ, इस नेता के खिलाफ यह-यह अवैध रूप से भ्रष्टाचार में धन अर्जित मिला है। वह चिल्लाता रहे, कोर्ट में जाने से पहले, उसको चुनाव के पहले, एक साल पहले दोषी करार कर दे, क्या विवेक के आधार पर न्याय होता है? माननीय सभापति महोदय, आप भी न्यायाधीश कुर्सी पर बैठ जाओ तो आप भी न्याय करने के पहले तथ्यों और सबूतों के आधार पर निर्णय करोगे। लेकिन राजस्थान की सरकार एक अधिकारी को, जिस एजेंसी को भी ये नियुक्त करेंगे, उसको इतना अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के आधार पर बिना तथ्यों और सबूतों के आधार पर किसी को भी भ्रष्टाचारी बताकर उसके खिलाफ घोषणा करने का अधिकारी होगा।

(श्री ओम बिरला)

(14.06 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 18(3)- 'उप धारा (2) अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी, उप धारा (1) में निर्दिष्ट किसी धन या सम्पत्ति या दोनों का कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए, सहायता करने के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की अध्यपेक्षा करेगा और ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करना उस पुलिस अधिकारी का आबद्धकारी कर्तव्य होगा।'

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह कहना है कि कोई भी सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस अधिकारी की नहीं एक रेवेन्यू आफिसर की आवश्यकता होती है क्योंकि रेवेन्यू आफिसर और पुलिस अधिकारी दोनों के रवैये में अंतर होता है। पुलिस अधिकारी बिना कानून के भी, बिना नियम के भी कार्यवाही कर सकता है लेकिन जो राजस्व का अधिकारी होगा वह पूरा नियम और प्रक्रिया के तहत ही काम करेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक और बात लिखी है इसके अन्दर। आपने लिखा है कि अधिसूचना की धारा 5 की उप धारा-1 के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा, उनके जारी होने या किये जाने के पश्चात् यथा सम्भव, शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाएगी। इसमें यह क्यों नहीं रख सकते थे आप कि अगले विधान सभा सत्र के अन्दर जब भी सत्र चलेगा, उस समय घोषणा की जाएगी? यथा-सम्भव क्यों रखना चाहते हैं? आप जान बूझकर यह घोषणा विधान सभा में नहीं करना चाहते, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा स्पष्ट होनी चाहिए कि अगला सत्र जब भी होगा उस सत्र के समय विधान सभा मण्डल के समक्ष यह बात रखी जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई शंकाएं यहां पर रखी हैं, और भी शंका मेरे सामने हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप नाराज नहीं हो तो एक बात अर्ज करूं?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बिलकुल।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, कोटा में आपके भाषण सुनते हैं, सदन में आपके भाषण सुनते हैं। आप तो बहुत बड़ी बात को छोटे शब्दों में बोलने वाले हैं इसलिए आप बात करिये, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन

(श्री उपाध्यक्ष)

समय कितना हो गया, मैं बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि इतना समय हो गया क्या मुझे, you will wonder. यह है मेरा अर्ज करना। रिपीटीशन हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इर्रेलेवेंट बात नहीं की है। मेरे को जो शंका थी एज एन एम.एल.ए. ... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ए.सी.बी. पर कम और लोकायुक्त पर ज्यादा बोले हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, ए.सी.बी. पर। माननीय मंत्री महोदय, कौन सी एजेंसी को आप घोषणा के लिए अधिकृत करेंगे? आप नियम बनाओगे लेकिन नियम के पहले आप उद्देश्य में देते कि हम ऐसी एजेंसी बनाएंगे जो निष्पक्ष होगी, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा तो मेरा सवाल यह नहीं उठता। लेकिन आप पर्दे के पीछे इन बातों को रखना चाहते हो। जब नियम और प्रक्रिया बनाओगे तो आप सत्ता का दुरुपयोग करके निरपराध लोगों को फंसाने का काम करोगे, इसलिए मेरी, माननीय मंत्री महोदय, यह मंशा पैदा हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा था, अच्छे बोले हो। अब आप तो खड़े रह गये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस चीज को यह लाना चाहते हैं, स्पेशल जज की नियुक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 के सब सैक्शन थ्री के पांच में स्पष्ट रूप से यह है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत स्पेशल जज नियुक्त करने का अधिकार उनको है। आलरैडी इसके अन्दर यह अधिकार है। अब मुझे नहीं लगता कि इसको लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है। जब माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे तो मेरी जो शंका है, जो मैंने विधान सभा के पटल पर रखी है, वह निश्चित रूप से बताएंगे और हम चाहते हैं कि बिल आना चाहिये, ऐसा बिल आना चाहिये। लेकिन इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यह भी मंशा है कि सरकार की मंशा करप्शन को रोकने की होनी चाहिये। करप्शन को रोकने की मंशा सरकार की नहीं है जिसके कारण राजस्थान के अन्दर जो करप्शन नीचे से ऊपर तक हुआ है, सरकार ने उस करप्शन को रोकने के लिये तीन साल तक कोई कारगर कदम नहीं उठाये। जब मुख्य मंत्रीजी ने मुझे जन्म दिन की बधाई दी, तो मैंने खुद कहा, माननीय मुख्य

(श्री ओम बिरला)

मंत्रीजी, आप गांधीवादी मुख्य मंत्री हैं, ईमानदार तो मैं नहीं कह सकता। ईमानदार तो मैं उनको तब कहता जब राजस्थान की विधान सभा के पटल पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिये ए.सी.बी. लोकायुक्त या एक स्वतन्त्र एजेन्सी बनाते। जिसके लिये राजस्थान की जनता कहती कि नहीं, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जो कानून बनाया है उस कानून से न नेता बच सकेगा, न कर्मचारी बच सकेगा, न ठेकेदार बच सकेगा, न ठेकेदार से मिलीभगत करके अधिकारी और नेता बच सकेगा तो मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता, लेकिन तीन साल हो गये। राजस्थान सरकार की मंशा भ्रष्टाचार को रोकने की नहीं है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये न कारगर कदम उठाने की है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार से मेरी यह मांग है कि इस बिल को लाए, लेकिन इस बिल के साथ-साथ इसी विधान सभा के अन्दर एक स्वतन्त्र एजेन्सी बनाई जाए, जो भ्रष्टाचार को रोकने में कारगर हो, जिस पर सरकार का नियन्त्रण नहीं हो, जिसकी नियुक्ति आथोरिटी सरकार नहीं हो। तब जाकर हम न्याय की बात कर सकते हैं, तब हम इस देश के अन्दर और राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती अनिताजी भदेल। (अनुपस्थित)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हैं नहीं अनिताजी भदेल।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्षजी, यह मेरे बोलने का अधिकार है। अनिता भदेलजी हैं नहीं, इसलिये मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अभी नहीं, बाद में बोलने की स्टेज आए तब बोलना। माननीय मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट, 1988 में में लोक सेवकों की आय के बाबत पहले यह प्रावधान नहीं था, कि अगर मान लीजिये, डिसप्रपोर्शनेट असैट्स पाये जाते हैं तो उनको किस प्रकार से कन्फिसकेट किया जाए। यह बिल बहुत ही लिमिटेड बिल है, लम्बा-चौड़ा बिल नहीं है। यह इस तरीके का बिल है कि अगर उसके पास आय से ज्यादा की सम्पत्ति है, तो

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

सरकार को यह अधिकार होगा कि सरकार एक प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करेगी। एक न्यायाधीश होगा जो डी.जे. और ए.डी.जे. लेवल के लोग होंगे, दो अधिकारी होंगे। इसलिये यह शंका करना कि सरकार चाहेगी जो कर लेगी, यह बिलकुल गलत है। यह गलत इसलिये है कि सरकार अपना प्रार्थना पत्र प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी, सबूत देगी। वह प्राधिकृत अधिकारी तीन महीने का वक्त देगा उसको, जिसके खिलाफ सरकार ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तीन महीने के बाद में वह उस पर फैसला छह महीने के अन्दर-अन्दर कर लेगा कि वाकई इसके पास डिसप्रपोर्शनेट असैट्स हैं। अगर हैं तो उसको कन्फिसकेट करके वह सरकार को दे देगा और सरकार उसको काम में लेगी। जैसे बिहार में एक सम्पत्ति जब्त की, बिहार की सरकार ने उसमें स्कूल खोल दिया। तो इधर-उधर की बात करना, लोकायुक्त को देना और ए सी बी के गठन के बाबत चर्चा करना और चारों तरफ की बातें फैलाकर इसको कन्फ्यूज करना, मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गलत है। यह बिलकुल लिमिटेड बिल है, इस बिल को पढ़िये और पढ़ने के बाद में समझिये कि बिल है क्या। अगर यह नहीं किया जाए तो क्या किया जाए? जिसकी सामने दिख रही है कि इसके पास डिसप्रपोर्शनेट असैट्स है और खुलेआम काम में ले रहा है वह, क्या सरकार उसको जब्त नहीं करे? क्या बिहार सरकार ने गलती की, क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गलती की, क्या उड़ीसा सरकार ने गलती की?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने जिस वक्त यह बिल बनाया, हाई कोर्ट गये। हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट ने उसको बहाल रखा। दूसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गयी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्टे नहीं दिया। यह बिल करीब-करीब उन्हीं लाइनों पर है। करीब-करीब बिलकुल उसी लाइन पर है। मेरा आपसे यह निवेदन है, इसमें कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। बिरला जी, आपने इसमें जो मुद्दे उठाये हैं, चल दिये।

श्री उपाध्यक्ष: कोटा, कोटा की बात नहीं सुन रहा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जितने मुद्दे उठाये, एक-एक के जवाब दूंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कानून की मंशा को देखिये। अगर सरकार की मंशा यह नहीं होती तो जिस व्यक्ति ने अपनी आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित कर ली है और जनता की निगाहों में यह माना जाता है कि इसकी इतनी आमदनी थी, लेकिन इतना पैसा इसके

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

पास कहां से आ गया, क्या सरकार उसको देखकर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे? इसीलिये यह बिल लाया गया है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बहुत सालों बाद आया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, बहुत सालों बाद आया है। मुझे दुःख इस बात का है कि पांच साल आपको भी याद नहीं आया। हमें कम से कम तीन साल में तो याद आ गया। इसलिये आपको तो धन्यवाद देना चाहिये। आप जैसे आदमी को तो इस बिल का सपोर्ट करना चाहिये, धन्यवाद देना चाहिये और खास तौर पर मुझे देना चाहिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अन्ना हजारे जैसे आदमी ने ध्यान दिला दिया।

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों मिलकर सदन को देना, जो पास करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। चारों तरफ से इस प्रकार का माहौल बनता जा रहा था। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठी, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात का सवाल उठाया गया कि मौजूदा प्रावधान जो हैं, क्या वे इतने सशक्त हैं? उनको सशक्त नहीं देखा गया तब ही जाकर यह बिल लाया गया कि किसी प्रकार से उसकी प्रोपर्टी तो सीज की जाए। अगर आपको यह एप्रीहैन्शन है कि उसके साथ अन्याय होगा, उसको फांस दिया जाएगा, उसको यह कर दिया जाएगा। आपने पूरा बिल पढ़ा नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के पास जब सरकार प्रार्थना पत्र लेकर जाएगी, तो प्राधिकृत अधिकारी उसको तीन महीने का नोटिस देगा और छह महीने के अन्दर-अन्दर उस पर फैसला करेगा। अगर मान लीजिये, उस प्रोपर्टी को वह कन्फिसकेट नहीं करना चाहता, तो वह छोड़ देगा। और अगर गलत कर दिया गया, न्यायालय का फैसला अगर गलत हो गया कि इसकी प्रोपर्टी कन्फिसकेट की, वह गलत थी, तो बाकायदा उसको प्रोपर्टी भी लौटाई जाएगी और पांच परसेंट का ब्याज भी सरकार देगी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पांच परसेंट ब्याज का आपने इसमें लिखा है? आपने यह लिखा है कि पांच परसेंट ब्याज भी मिलेगा और जरूरत होगी तो उस सम्पत्ति को सरकार को दे दिया जाएगा?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सरकार पांच परसेंट दे दे, वही बहुत है। किस भरोसे हो, सरकार देती है क्या?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपने यह भी लिखा है कि उसी को किराये पर दे देगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पांच परसेंट लेकर ही सब्र करना।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैंने तो पहले ही कह दिया, मैं अनपढ़ हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पांच परसेंट में ही संतुष्ट हो जाना मेरे कार्यकाल में। (व्यवधान) तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो जिला और सत्र न्यायाधीश के यहां पर अटैचमेंट के आदेश जारी करवाने में डिले होता था, कम से कम वह डिले नहीं होगा। डिले नहीं होने के कारण क्या होगा कि जो सम्पत्ति वह खुर्द-बुर्द कर देता था, बेच देता था, वह नहीं बेच पाएगा। अक्सर क्या देखा जाता था कि यह देख लिया गया कि मुझ पर सरकार की निगाह है, ए.सी.बी. की निगाह है और मेरे खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है तो वह फटाफट उसको ट्रांसफर करा देता था, प्रोपर्टी को ट्रांसफर कर देता था। लेकिन इसमें यह भी प्रोविजन डाला गया है कि अगर प्राधिकृत अधिकारी यह तय कर लेता है कि इस प्रोपर्टी जो जब्त किया जाएगा, तो उसके द्वारा किया हुआ ट्रांसफर भी नल एण्ड वाइड माना जाएगा। इसमें इतना बड़ा प्रोविजन रखा गया है। मोटे तौर पर यह बिल प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट, 1988 की जो धारा है 13 वन ई, सिर्फ उस तक सीमित है। उस तक वह सीमित है। आपने कहा, लोक सेवक कौन है। लोक सेवक कौन है, यह तो पढ़ लेते आप। एक्ट में दे रखा है। इसकी पूरी की पूरी डेफिनिशन दे रखी है। इसमें मंत्री आते हैं, जो भी सरकार से पे लेते हैं, वे सब आते हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 क, जो कि 21 आई पी सी की धारा से गवर्न होती है...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बैठिये, बैठिये, अब मैं सबका जवाब दे दूंगा ओमजी, आप विराजो।

अक्सर यह देखा जाता था कि ऐसे डिसप्रप्रोर्शनेट असैट्स के मामलों में एक तो दस्तावेज बहुत होते थे और गवाह बहुत होते थे और ये केसेज सालों चला करते थे। 1983 का केस आज भी जेरकार है। अदालत में आज भी जेरकार हैं, उनमें फैसला नहीं हो पाया। 46 केसेज ऐसे हैं, वे आज जेरकार हैं। आप यह कहते हैं कि आपने रैंट ट्रिब्यूनल बना दिया, रेन्ट ट्रिब्यूनल में आपने एक भी न्यायाधीश नहीं बनाया। न्यायाधीश बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

इतना सरल प्रोसीजर किया है उसका। इतना टाइम बाउण्ड प्रोग्राम दिया है कि उसमें लाखों की तादाद में फैसले हुए हैं। उसमें खास तौर पर सात न्यायालय तो आज भी चल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): तो इसके लिए आप हमें धन्यवाद दो कि रैंट कन्ट्रोल एक्ट हमने बनाया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): रैंट कन्ट्रोल एक्ट, माफ करना, आपके टाइम पर नहीं बना, हमारे टाइम पर बना है और यह रिकार्ड की बात है। यदि हमारे टाइम पर नहीं बना हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा यहां से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): स्पेशल कमेटी बनी थी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): स्पेशल कमेटी नहीं, सलैक्ट कमेटी में आप मैम्बर थे और मैं उसका चेयरमैन था। आप भूल रहे हैं। आप भूल रहे हैं उस बात को। उसमें एडवोकेट जनरल भी आया करते थे और ये सब आया करते थे। नीचे मीटिंग होती थी। एक महीने के अन्दर-अन्दर उस सलैक्ट कमेटी ने उस बिल को बना दिया था जिसमें आपका कोआपरेशन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह मत कहो कि आपके वक्त में बना। आपके वक्त में नहीं बना, हमारे वक्त में ही बना और हमारे वक्त में ही वह लागू हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप दोनों ही सही हो। पहले आपने बनाया, उसमें कमियां थीं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसमें अमैंड किया बाद में। एक सैक्शन अमैंड किया। 32 में से एक अमैंड किया आपने। उसके लिए भी आपको धन्यवाद। (व्यवधान) आखिरी में बात मान गये मेरी आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप इस्तीफे की इतनी जल्दी मत करो। कल श्रवणजी ने भी इस्तीफा दिया था और आज आप दे रहे हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा अर्ज करना यह है कि इतने तो दस्तावेज हो गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस्तीफा वाला प्रकरण बन्द करो। इस्तीफे के बाद में श्रवणजी गायब हो गये। इस्तीफे वाली चर्चा मत करो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): श्रवण लालजी गायब हो गये, वह तो आपने करवा दिया। आप नहीं चाहते न, क्योंकि आप पर प्रैशर था। एक झुन्झुनूं का आदमी अगर इस्तीफा देता है तो सीकर का आदमी बचकर कहां जाएगा। तो आपने कहा कि यह मरा तो हम भी मर जाएंगे। आपने उनको तरकीब से गायब करवा दिया।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि इतने सारे दस्तावेज, इतने सारे गवाहों को देखते हुए कई सालों तक वे केसेज चला करते थे। इसीलिए सारी चीज टाइम बाउण्ड रखी गयी है। प्राधिकृत अधिकारी को तीन महीने का टाइम दिया गया है। फैसला करने का टाइम दिया गया है छह महीने का। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जाएगा तो उसको एक साल का टाइम दिया गया है। हाई कोर्ट तक को छः महीने के लिए पाबन्द किया गया है कि छह महीने के अन्दर-अन्दर आप अपील कर देंगे। तिवाड़ी साहब, एक प्रोविजन और आपकी जानकारी में नहीं आया होगा, वह मैं बता देता हूं आपको। यह पहली बार देखा होगा आपने, कि अगर हाई कोर्ट स्टे दे भी देता है तो तीन महीने के अन्दर अन्दर वह स्टे इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): छह महीने।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तीन महीने, फिर पढ़ लो। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। बाकी सब चीजों का जबाव दूंगा।

लोक सेवक की परिभाषा के लिए बहुत स्पष्ट बात मैंने आपको बता दी कि जो भी सरकार से तनख्वाह लेता है, चाहे वह मुख्य मंत्री हो, चाहे मंत्री हो, सब उसके दायरे में आते हैं। इसलिए आप निश्चिन्त रहो, कोई बचकर नहीं जाएगा। यदि, मान लीजिए, किसी के पास डिस्प्रपोर्शनेट असैट्स होंगी तो। दूसरी बात यह है कि किसी के साथ नाइंसाफी हो नहीं सकती। एक अदालत नहीं है, एडीजे और डीजे लेवल के लोग मिलकर इसका फैसला करेंगे। प्राधिकृत अधिकारी भी वही होगा। प्राधिकृत अधिकारी को अलग बनाने का कारण क्या था, यह भी समझने की आवश्यकता है। प्राधिकृत अधिकारी को अलग इसलिए रखा गया है कि प्राधिकृत अधिकारी के फैसले से जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश है, वह प्रभावित नहीं हो। इसलिए अलग-अलग रखा गया है ताकि फैसला जो कुछ भी हो वह बिलकुल न्यायप्रिय फैसला हो। बिलकुल वाजिब फैसला हो, किसी के साथ ज्यादती न हो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): लिस्ट तो बना ली होगी पहले?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप और मैं बैठेंगे जब बनेगी। साथ-साथ बैठकर ही बनाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें काफी कुछ कहने की गुंजाइश है। जो सवाल आपने उठाये हैं, उनकी बाबत् एक-एक के बारे में बताऊंगा कि एसीबी क्या है, किस तरीके से एसीबी में अधिकारी पहुंचते हैं। एसीबी का इन तीन सालों में सरकार ने सुदृढ़ीकरण किया है। कितना सुधारीकरण उसमें किया गया है, यह सब डिटेल में बाद में बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को परिचालित किया जाए? (व्यवधान) आप विराजेंगे तो आगे बढ़ूंगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, आप फुटेज देखो। मेरा दावा है कि मंत्री महोदय से लेकर सबने अगर जनमत जानने के लिए हाथ खड़ा नहीं किया हो तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो जनमत जानने के लिए इस बिल को भेजा जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजेंगे तो बात आएगी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): फुटेज लाओ। फुटेज के आधार पर हमारे एक एमएलए को निलम्बित कर दिया। फुटेज प्रस्तुत करो सदन के अन्दर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दुबारा पूछ लो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, 'हां पक्ष' जीता। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह तो संवैधानिक प्रश्न रख दिया है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, जब एक बार आसन ने प्रश्न रख दिया और 'हां पक्ष' जीत गया तो अब आपके पास एक ही विकल्प है ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई 'न' तो आया ही नहीं। अभी तो सिर्फ उन्होंने 'हां' बुलवायी है, 'न' भी तो बुलवायेंगे न। 'न' बुलवाने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो अब आपके सामने एक ही विकल्प है कि आप घंटी बजाएं। सब लोगों को बुलाएं और दुबारा हमारे सामने प्रश्न रखें ताकि इसका सही निर्णय हो सके।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ऐसा नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष: मैं पूरा बोलता उसके पहले आप...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): घंटी बजाओ न।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिए। 'न' तो कहा ही नहीं। मैं सारा आपको समझा देता हूं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब समझाने की कहां गुंजाइश रही है? अब कौनसी बात समझायी जाएगी? समझी समझायी बात हो गयी यह तो। एक बार नहीं दो बार समझा दी, फिर भी वही बात।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, ये 'हां' और 'न' को ही इतनी देर में समझ पाए तो इस बिल को क्या समझा होगा इन्होंने? इस बिल के बारे में क्या समझ में आया होगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय दिगम्बर सिंहजी, मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी से यह निवेदन करता था, यह करना चाह रहा था कि दो साल रह गये। एक दफा हमारी ट्रेनिंग और करा दो कहीं न कहीं।

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 26, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 26 स्वीकार किये जाएं?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 26 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री शांती धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जो तर्क दिये गये हैं कि हम सब लोग भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना चाहते हैं, भावना बहुत अच्छी है। बिल इस बात का संकेत दे रहा है कि हम लोग इस बुराई पर नियंत्रण करना चाहते हैं। इस भावना के लिए तो आपको धन्यवाद। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जनता के पैसे पर चाहे जन प्रतिनिधि हों, चाहे जन सेवक हों, अपना जीवन गुजारते हैं और अपने स्वयं का पालन करते हैं।

गरीब बड़ी मेहनत से मजदूरी करके टैक्स का जो पैसा चुकाता है, वो राज के खजाने में जमा होता है और हम एक ट्रस्टी के रूप में इस राज के खजाने को उपयोग में लेने के लिए राज की मशीनरी का उपयोग लेकर दिये हुए व्यक्ति के पैसे को दिये हुए तक पहुंचाने का काम करते हैं।

आज 65 वर्ष बाद इस देश को इसके बारे में विचारने के लिए मजबूर होना पड़ा कि जिसको हमने सेवक रखा, वो ही हमको लूट रहा है। हमने जिस काम के लिए इनको नुमाइंदा बनाया, दुर्भाग्य से आज देश भ्रष्टाचार की भट्टी में जलकर खाक हो गया। चारों तरफ से एक तूफान-सा उठा। जिधर हाथ डालो उधर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता- सरकारी एजेंसी हो चाहे राजनेता हों, चाहे मैं जन प्रतिनिधि हूं, चाहे और कोई भी हो। हिन्दुस्तान की 120 करोड़ जनता के मन में आज इस बात के लिए अफसोस है कि जिसको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमने पढ़ा-लिखाकर तैयार किया, जिस कालेज में हम पढ़े, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो गरीब के पैसे के आधार पर चलने वाले यूनिवर्सिटी और कालेज, आप और मेरी शिक्षा जिस व्यक्ति ने अपने खून-पसीने के पैसे से करायी, सारी काबिलीयत अर्जित करने के बाद, इतने बड़े पदों पर आने के बाद, इतना नाम और वाहवाही होने के बाद हम गरीब के धन को ही लूटने का मान लो जैसे कोई सर्टिफिकेट लेकर आ गये हों। जन भावना में यह बार-बार घुटता जा रहा है, घुटता जा रहा है और लोगों के मन में लग रहा है कि जिसको अपन ने यह खजाना सौपा, वह तो स्वयं ही डकैत निकल गया तो अब इसकी रक्षा कौन करे। बाढ़ ही खेत को खा रही है। जन भावना इतनी उग्र हो गयी कि चारों ओर से देखो, एक ही आवाज उठती है कि भ्रष्टाचार को रोको, भ्रष्टाचार को रोको।

अन्ना हजारे को कोई नहीं जानता था दो साल पहले, हमें स्वयं भी पूरा पता नहीं था कि अन्ना हजारे क्या बीमारी है। एक छोटे-से गांव में काम करने वाला व्यक्ति अपनी सही बातों को लेकर जनता के बीच में गया। जन मानस इस बात के लिए तैयार हुआ कि वास्तव में हमारा खजाना, हमारी मेहनत का पैसा हमारे ही नौकर लूट रहे हैं, तब यह जन लोकपाल का विषय खड़ा हुआ। जब यह इतना गरम हो गया कि हम सब लोगों को लगा कि अगर हमने इसके लिए कोई मरहम पट्टी नहीं की तो यह फोड़ा कैंसर बनकर खा जाएगा।

यह कोई अपनी कृपा से या अपने मन की इच्छा से नहीं है, दबाव ऊपर इतना भारी आ गया कि हमको यह भय लगा कि सड़कों पर और गलियों में निकलना और अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर भाषण देना ही बहुत कठिन पड़ जाएगा। जनता ने जिस विषय को पकड़ लिया है, वो विषय धीरे-धीरे गांव तक, गली तक और कूचे-कूचे में पहुंच गया है और इसलिए अब इसका जवाब देना बहुत महंगा पड़ेगा। इसके लिए हमने इसके ऊपर मरहम-पट्टी लगाने का काम किया और उस मरहम-पट्टी के आधार पर बड़ा हम समझ रहे हैं हमने ऐसा कर दिया, हम ऐसा करना चाहते हैं। ऐसा करना चाहते थे तो फिर घबराने की बात क्या है? अगर मन में यह निश्चय है कि बेईमान चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, जो राज के खजाने से पहली तारीख को तनख्वाह लेता है, उस पर शिकंजा कसना चाहिए, उस पर अपना, जनता का आधिपत्य आना चाहिए, उसके लिए ही तो कानून की मांग कर रहे हैं। यह कानून जो हिमाचल प्रदेश ने पहले बनाया, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार, फिर उड़ीसा फिर अपन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और लगभग वो के वो ही शब्द हैं, थोड़े-बहुत इधर उधर बदले होंगे तो बदले होंगे। यह सारा जो कुछ भी आ रहा है, न लोकपाल का जो डंडा चला न उसने आपको- मुझे सबको सचेत कर दिया इसके कारण से लाये हैं। लाये भी ऐसा आधा-अधूरा और ऐसा कच्चा जिसमें निकलेगा कुछ नहीं। इसलिए नहीं निकलेगा कि हमारी आदत इतनी बिगड़ चुकी है कि अब तो भगवान ही आकर इस देश को सुधारे तो मैं नहीं कह सकता, बाकी हम से तो सुधरना नहीं। क्योंकि हमारे मन में इतनी कमजोरी बैठ गयी है कि हम चोर को चोर कहने को तैयार नहीं हैं, चोर को चोर समझने को तैयार नहीं हैं। हम स्वयं अपनी आत्मा से पूछने को तैयार नहीं हैं कि मैं कहां खड़ा हूं। जिसको रक्षा करनी है वो ही भक्षक बनकर देश को खा रहा है और वो ही कानून बनाकर अपने हाथ में अधिकार ले रहा है। निर्माण कौन करेगा? वो ही करेगा जो लूट रहा है इस देश को।

क्या यह कानून कारगर कानून बनेगा? यह कारगर कानून नहीं बनेगा, यह जले पर छींटे लगाकर उसको शांत करने का काम थोड़े दिन तक जरूर करेगा। लेकिन जनता के अन्दर का जो लावा है, वो एक दिन फूटेगा, फूटेगा और आपको और मेरे को, सब को जलाकर राख करेगा। क्योंकि आज भी हिन्दुस्तान में 48 करोड़ लोग भूखे सोते हैं जिनकी आमदनी 22 रुपये और 32 रुपये गरीबी की रेखा के नीचे का आंकड़ा आता है। हम यहां बहुत अपने आपको बादशाह समझ रहे हैं लेकिन उस गरीब की अन्तर की पीड़ा को कौन समझता है कि उसे क्या सवेरे खाने को मिलता है और क्या शाम को मिलता है।

हम जो कुछ भी बना रहे हैं उस बनाने में मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी मंशा हो, अगर मन में सच्चाई हो तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से बनाएगी इसको उलटा कर दो, कि उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सलाह से न्यायाधीश बनाए। इसका निर्णय करने वाला अधिकारी बनाए। क्यों नहीं कर सकते उलटा? राज्य सरकार जो सलाह देगी उसको उच्च न्यायालय माने, उलटा करो, कि उच्च न्यायालय जो सलाह देगा उसको हम मानें। उसमें भी अगर दिल में दम हो तो कोई क्राइटेरिया बनाओ, कि किस प्रकार के लोगों का चयन होगा, क्या उनकी विशेषता होगी और वो कैसे लोग होंगे। केवल अपने-अपने लोगों को लाकर, बैठाकर इस एक और संस्था का एक तरह से बेड़ा गर्क करना ही अगर इस देश को मंजूर है तो वो भी समय निकल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाएगा। लेकिन हमारी मंशा में खराबी लगती है, हम इसको जितना सही बनाना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते।

इसके आगे आपने और लिखा है तीन के तीन में,- 'कोई भी व्यक्ति, विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नाम निर्देशित किये जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह राजस्थान न्यायिक सेवा का सदस्य न हो और राज्य में सैशन न्यायाधीश या अपर सैशन न्यायाधीश न हो या नहीं रहा हो।' यह 'नहीं रहा' शब्द कहकर आपने इस पूरी यूनिट का बेड़ा गर्क कर दिया। इसका मतलब यह है कि जो रिटायर लोग हैं उनको भी आपने एक लटकता हुआ, लालच का लड्डू दे दिया है कि अगर तुम्हें इस सरकार की मेहरबानी पर दोबारा बनना हो तो रास्ता तुम्हारे लिए खोला हुआ है। तो बचाखुचा जो कुछ भी न्यायालय का निर्णय है, उसको भी आप गर्त में डुबाने की ओर जा रहे हो। जिंदा रहा तो बताऊंगा, आपने व्यक्ति को इस चोर रास्ते से घुसने का अवसर दिया है जो सरकार की चमचागिरी करता है, जो सरकार की हां में हां मिलता है, जो सरकार के अनुसार फैसला करता है, सरकार के हिसाब से चलता है। चाहे राज में आप रहो, चाहे कल हम आ जाएंगे, परसों कोई आ जाएगा लेकिन राज के लालच में इस न्यायपालिका को भी बरबाद करने का एक अच्छा शगूफा आपने छोड़ा है। इसका परिणाम भुगतना है। राजनीतिक पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी लेकिन आप नेताओं के हाथ में ऐसी तलवार पकड़ा रहे हो जिसके कारण से जिसकी चाहो उसकी तो छुट्टा लेकर करो और जिस बदमाश को चाहो उसको बचाओ।

अगर हमारी नीयत साफ है ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये तो सब राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज के लोग होंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हायर जुडिशियल सर्विसेज से ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरी बात यह है कि यह हाई कोर्ट की सहमति से होगा, अपनी मर्जी से नहीं होगा। इस बात को तो समझिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): तो आप इसको शब्द उलटा कर दो न, राज्य सरकार प्रपोज करे और सहमति हाई कोर्ट की ले ले। आपको क्या तकलीफ है? जो शब्द ऊपर लिखे वो नीचे ले आओ, नीचे लिखे ऊपर ले आओ, मंशा समझ में आ जाएगी, मन में आ जाएगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक ही रहेगी बात। बात एक ही रहेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मतलब यह है कि सारे राजनीतिक अधिकार जो आप ला रहे हो न, आज आप सत्ता में हो इसलिए अच्छा लग रहा है। कल जब सरकार में नहीं रहोगे? जिस प्रकार की राजनीतिक गिरावट इस देश में आ रही है, क्या भरोसा करोगे राजनेता पर या किसी पार्टी पर कि वो चयन ठीक प्रकार से और योग्यता के आधार पर करेगी? अपने-अपने हिसाब से ढपली बजाने वाले व्यक्ति को इन पदों पर ला कर, बैठा कर आप जनता को कह रहे हो कि हम यह कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इसका यह जो शब्द है नीचे का, भगवान के लिए कम से कम इतना करो, जो नौकरी में है, उसके ऊपर कुछ गड़बड़ करे तो कुछ कसने का तो मौका रहे। रिटायर आदमी को लगाओगे, वो सवेरे-शाम आपकी हाजिरी बजाएगा क्योंकि उसको और कहीं न कहीं किसी न किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनना होता है। रिटायर लोगों को विभिन्न पदों पर लगाने का चाहे मेरी सरकार ने चाहे आपकी सरकार ने जो प्रयोग किया, यही इस देश को गलत रास्ते पर ले जाने वाला सिद्ध हो रहा है और आगे होगा क्योंकि ये सब के सब इसी में लगे रहते हैं। 59 साल की उम्र होते ही रात और दिन नेताओं के चक्कर लगाकर कोई बोर्ड में एडजस्ट हो रहा है, कोई मानवाधिकार आयोग, कोई इस आयोग, कोई इधर बोर्ड में। क्या जरुरत है? जब उसने सेवा कर दी तो कर दी। आज की तारीख में आपके पास स्टाफ है उस स्टाफ में से अच्छे लोगों का सलैक्शन करने के लिए कोई सलैक्शन बोर्ड अलग से तैयार करो। राज्य सरकार भी उसमें इन्वाल्व है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यह मंशा पहले से ही अगर आप करोगे तो जो इसके परिणाम आप चाह रहे हो, वो परिणाम इसमें से नहीं आने वाले।

अब यह जो सैक्शन-5 है आपका, इस सैक्शन-5 ने तो पूर्णतया सरकार के ऊपर छोड़ दिया, वह चाहे जिसका केस भेजे और चाहे जिसका नहीं भेजे। तो निर्णय तो सरकार के हाथ में हो गया। ए सी बी ने इतने बड़े-बड़े डाकू पकड़े हैं कि जिनको पढ़कर सारा राजस्थान इनको धन्यवाद देता है दूसरे दिन। फुल पेज का आता है कि यह आई ए एस अधिकारी पकड़ा गया, उसके पास पचास करोड़ की सम्पत्ति मिली, यह आर ए एस पकड़ा गया, इसके राजस्थान में बीस जगह प्लाट मिले, इतना लम्बा-लम्बा। उनमें से एक को सज़ा मिली? ए सी बी ने एक को सज़ा दी? हां, एक पटवारी को जरूर दी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई कांस्टेबल बापड़ा चक्कर में फंस गया होगा तो उस गरीब का गला जरूर घोंट दिया होगा ताकि उसके बच्चे भूखे मर जाएं। लेकिन किसी में यह इन्सानियत नहीं है कि मारूं तो साला शेर मारूं। कागले का शिकार करके इस देश को आप भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकोगे? नहीं होगा, कभी नहीं होगा।

मेरे यहां का अधिकारी जो आर ए ए था, उसका केस छह महीने तक अखबारों में आता रहा, इतने करोड़, इतने करोड़, इतनी जमीन, इतना ये, अन्ततोगत्वा वो बरी हो गया। तो या तो इनको पकड़ने वालों को लटका देना चाहिए कि आपने गलत आदमी को कैसे पकड़ा। आखिर कोई न कोई तो गुनाहगार होगा। लेकिन गुनहगार को निकालने के लिए इतने दिन तक फाइलें घूमती रहती हैं कि वो यहां से कागज लाता है, यहां से लाता है, ससुराल से लाता है, पीहर से लाता है, मामा से लाता है, भांजे से लाता है। तरह-तरह के डाक्यूमेंट बनाता है, यह गिफ्ट तब हुई, यह गिफ्ट तब हुई। सारे गिफ्ट के कागज मिल गये, हो गया फैसला। इसी तरह का फैसला चाहते हो न। यह राज्य सरकार क्यों तय करे कि कौनसा केस इस कोर्ट के पास जाए, स्पेशल कोर्ट के पास जाए और कौनसा नहीं जाए? अगर मन में ईमानदारी हो तो कोई भी स्वतन्त्र एजेन्सी बनाओ। जिनके पास शिकायत जाए वह उन केसेज को सार्ट आउट करे। सार्ट आउट करने के बाद उसमें से लगे कि यह केस ठीक है इसको भेजना चाहिए, यह केस नहीं। मतलब बांटने वाले भी आप और खाने वाले भी आप, वाह। क्या कमाल कानून ला रहे हो आप। पास तो आप करोगे क्योंकि बहुमत है। हमारा तो दुर्भाग्य ही यह है कि कभी भी इस विधान सभा में कानून को पास करने की प्रक्रिया ही नहीं आयी। तभी तो उन्होंने हां को न कहा और न को हां कहा। हमने इस विधान सभा को विधान और कानून बनाने वाली एजेन्सी बनने ही नहीं दिया। हमने इसका गला घोंट दिया। एक भी कानून आज दिन तक यहां ऐसा नहीं हुआ जो डिस्कस हुआ है। आपको और हमको शर्म आती है। जनता हमें जिस काम के लिए भेजती है, वो इसी काम के लिए भेजती है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि इसको पढ़ने का समय भी नहीं मिलता है। आपने तो एक मांग और एक कानून, एक मांग और एक कानून, एक ही दिन धावा धोप कर दो, पास कर दो, जो होगा देखेगा देश। अगर यही सब इसके भाग्य में लिखा है कि तुम सब लोगों को खिलाकर इसको भूखा नंगा रहना है तो रहना है। उसके भाग्य में लिखा है तो वो भुगतेगा, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी मंशा साफ नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसलिए हमने इसमें लिखा है, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने वाले मामलों की घोषणा यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसे अपराध के कारित किये जाने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्य हो..., राज्य सरकार प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य ढूंढती है। जैसा आपका मेरा कैरक्टर है, अपन अपने दुश्मनों को ही ढूंढते हैं। अपने भाई को तो ढूंढते नहीं, अपने परिवार को तो ढूंढते नहीं, क्योंकि हमारा कैरक्टर ही खतम हो गया है। हमारी निर्णय करने की शक्ति समाप्त हो गयी इस देश में। हर आदमी जिस आंख से देखता है, उस आंख में उसको अपना और पराया दिखाई देता है, न्याय दिखाई नहीं देता। इसके कारण से इस देश का जो भी होना है होगा, मैं क्या कर सकता हूं।

आपने ए सी बी बनाई, ए सी बी अपना केस बनाकर पूरा सरकार के पास भेजती है। डी ओ पी को भेजती है, डी ओ पी छह-छह साल तक उस पर धूला डालकर बैठ जाती है। तब तक तो आदमी रिटायर हो जाता है। और रिटायर हो जाता है फिर आपका कानून आड़े आ जाता है। क्योंकि इसकी सेवानिवृत्ति को अब तीन साल हो गये इसलिए अब कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा है, यही अगर आपके करने की मंशा है।

अब आपने इसमें लिखा है, राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें उसकी पूरक राय हो, इस प्रभाव की घोषणा करेगी। सारा डिपेंड किस पर है? राज्य सरकार पर। अभी आप हो, दो साल तक आप करो, फिर कभी हम आ गये तो हम करेंगे। हम अपने लोगों को लड्डू बांटेंगे तो आप अपने लोगों को बांटो। इस देश की गरीब जनता के तो यही भाग्य में लिखा है तो लिखा है।

इसी जगह अगर आपकी मंशा हो तो राज्य सरकार की जगह स्वतन्त्र एजेन्सी शब्द लिख दो। अगर कुछ करने की इच्छा हो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप पास करोगे। हमें भी यहां बैठे-बैठे सुनना है, पास करना है। अगर कुछ करने की मंशा है तो राज्य सरकार की जगह शब्द बदल दो, स्वतंत्र एजेन्सी कर दो, थोड़ा बहुत तो इसमें दम आ जाएगा। पर वो अपन करने की इच्छा नहीं रखते।

फिर, इसके तीस दिन में अपील कर सकेगा। यह उसका अधिकार है, उसको अपील करनी चाहिए। हो सकता है, किसी एक विशेष न्यायालय से जो फैसला हुआ उसके बारे में उसको न्याय नहीं मिला, यह उसका राइट है। लेकिन आपने इसमें गली क्या की है? परन्तु उच्च न्यायालय तीस दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा। आपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक ऐसा छोड़ दिया कि किसी को अगर आपको दो साल बाद भी रगड़ना है, समय निकल गया तो निकल गया, कोई बात नहीं, रगड़ना है, आ गया आपकी चपेट में। उससे कोई न कोई राजनीतिक वोटों की गणित बैठती हो तो चाहे जो कर देना। आप इसको बांधते क्यों नहीं हो? अगर आपको लगता है कि तीस दिन कम हैं, इसको नब्बे दिन कर दो, नब्बे दिन कम हैं छह महीने कर दो। लेकिन इसको समयावधि में बांधो। यह नहीं कि आप दो-दो, चार-चार साल बाद भी कोई भी रीजन देकर यह बता दोगे कि इस कारण से यह अपील लेट हुई। आपने तथ्य ऐसे समझा दिये कि जिसके कारण से आपकी अपील चल सके।

अब इसमें 11 में जो है, विशेष न्यायालय मामले में विचारण को यथा स्थिति किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर निपटाने का प्रयास करेंगे, यह प्रयास तो अपने हिन्दुस्तान में प्रयास ही होता है। निर्देश जारी कर दिये, निर्देशों की किताब उठा लाओ आप कभी सचिवालय में कि आपके कब से निर्देश जारी हैं, नीचे कोई पालना करता ही नहीं है। मैं तो जिस कमेटी में हूं उस कमेटी में रोज ये ही देखता हूं। हर आदमी अपनी बला टालने के लिए कागज सचिवालय से निकालकर नीचे भेज देता है, निर्देश दिया। पालना हो या मत हो, रोओ बैठकर। अब आपने कहा, गुलाबजी, ऐसे कठोर शब्द क्या बोलते हो। आत्मा दुखती है कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं लेकिन हमारा मन ठीक नहीं है। हम राजनीतिक चश्मे से इस देश को देखते हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि लोकतंत्र की इतनी गिरावट आ गयी कि हमको बुराई बुराई नहीं दिखती है, राजनीतिक चश्मा दिखता है। हम चन्द दिन के मेहमान हैं, चले जाएंगे। लेकिन इस देश को बिगाड़ कर मत जाओ, इस देश को समाप्त मत करो।

आपने ऐसे-ऐसे डाले हैं, फिर अपील है, सारा का सारा लब्बोलबाब यह है कि देश की जनता का, हम जो जन सेवक कहलाते हैं या राजकीय कर्मचारी कहलाते हैं, उनसे विश्वास उठ गया है। चाहे आप यहां कुछ भी बोलो लेकिन जनता का आपसे विश्वास उठ गया कि जिसको हमने पाला-पोसा, बड़ा किया, योग्य किया, वही सबसे ज्यादा हमको तकलीफ दे रहा है। इसलिए जिस मंशा से अन्ना हजारे ने ..

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन यह कर रहा हूं कि आपकी पीड़ा वाजिब है पर उपाय भी साथ की साथ बताते जाओ ताकि सदन यह सोचे तो सही कि ये उपाय हो सकते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैंने उपाय बताया। इस विशेष न्यायालय का गठन करके कौनसा केस इसमें जाएगा, इसका निर्णय करने के लिए स्वतंत्र एजेन्सी बनाओ और उसको टाइम बाउण्ड कार्यक्रम देओ। अभी आपने कहा कि कोर्ट कितनी बनाएंगे, जैसा सरकार चाहेगी उतने ही बनाएगी। अभी आपने जो कुछ भी इसमें बजट रखा है, वो दो न्यायालय का बजट रखा है। जितना आपके पास वर्क आएगा, आप इसे दो रखो, कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें वर्कलोड जितना बढ़ता है उसके बाद आप इसका निर्णय करना। यह अधिकार आपके पास सुरक्षित रखो, इसमें कहीं एतराज नहीं है।

लेकिन हम जिस निर्णय के आधार पर चलना चाहते हैं, वास्तव में अगर कुछ करना चाहते हैं तो चाहे राज का नौकर हो चाहे वो जन प्रतिनिधि हो, जिस दिन वो इस पद के लिए आता है, जैसे आजकल अपन फार्म भरते हैं तो अपनी प्रोपर्टी लिखते हैं सब, पर हर साल लिखते हैं क्या? आधे तो वैसे ही चले जाते हैं घर जिनको टिकट ही नहीं देती पार्टी। क्यों नहीं कोई भी राज्य कर्मचारी को जो राज्य सेवा में आता है और पहली तारीख को तनख्वाह लेता है, चाहे एम एल ए लेता है चाहे वो लेता है उसको आप पाबन्द करिये कि हर साल की समाप्ति के बाद अप्रैल से लेकर जून तक एक साल में जो कुछ भी उसने अर्जित किया है, उसको वह रिकार्ड पर लाए और वह उसकी पर्सनल फाइल में लगा रहे? तब पता लगता है, भराने के लिये कितना जोर लगता है। कितना सही है, कितना नहीं है। फिर टैस्ट केस करो उसमें से पकड़ करके, 2 परसेंट, 5 परसेंट। और कुछ मत करो, गोटी से निकालो। जिस अधिकारी का गोटी में आ जाता है उसका करो पूरा पोस्टमार्टम कि जो हमें कागज दिया है वह सच है या जमीन पर है कि नहीं। तब तो कहीं आपका किसी पर कण्ट्रोल होगा। बाकी तो यह नाटकबाजी चलती रहेगी और इस जनता को अपन इसी तरह से गुमराह करेंगे।

सदन, आप और मैं वास्तव में भ्रष्टाचार के इस राक्षस पर काबू करना चाहते हैं, यह भ्रष्टाचार सामान्य जनता में नहीं है। लगता तो दुनिया को है कि हिन्दुस्तान भ्रष्ट हो गया है। हिन्दुस्तान भ्रष्ट नहीं है। 1 परसेंट, 2 परसेंट लोग हैं आप और मैं। इसमें राज का नौकर भी आ गया है। एक-दो परसेंट लोगों की भ्रष्टता के कारण से, इनके काले कारनामों के कारण से दुनिया आज हम पर नफरत की निगाह से देखती है। बच्चा जैसी नफरत हमसे करता है, उसके बारे में हमको सचेत हो जाना चाहिये। जो ये लोकपाल और दूसरे बिल हैं, जब जनता को लगेगा कि सब केवल इन्होंने अपनी सुरक्षा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करने के लिये किया उस दिन जनता न आपको बख्शेगी, न मुझे बख्शेगी। इस देश में एक विद्रोह होगा, विद्रोह। उसकी कल्पना करके बैठ जाओ। ज्यादा दिन तक बरदाश्त की सीमा नहीं है। अब तो एक और आ रहा है कि दाने के लिये मोहताज होकर, आपका 110 रुपये किलो का तेल खाकर, सब्जी छौंक कर उसका बच्चा खायेगा, वह तो पानी ही खाएगा। हम लोग हलवा-पूरी खाएंगे, मजे लूटते रहेंगे और वह इस तरह से मरता रहेगा। एक न एक दिन हथियार उठेगा। निश्चित रूप से एक-एक हाथ आमने-सामने होगा। आज नहीं होगा तो कल, कल नहीं होगा तो परसों। पर इस अन्याय को अब इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं चाहता हूं कि अगर कोई कानून बनाना चाहते हो तो पुख्ता ईमानदारी से बनाओ जिसके असर से वास्तव में राजनेता के ऊपर भी दवाब बना रहे और राज्य कर्मचारी के ऊपर भी कसा हुआ रहे। यही मेरी भावना है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। एक मिनट। माननीय प्रताप सिंहजी खाचरियावास, कुछ बोलना चाह रहे हैं?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार को लेकर बड़े-बड़े भाषण की शुरूआत में कोटा से आने वाले हमारे आदरणीय साथी ने बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दिया। आश्चर्य हो रहा है, शुरूआत यहीं से करनी पड़ेगी। राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 बनने जा रहा है। एक पक्ष यह सोच रहा है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। अंधेरा छा गया है। विद्रोह होगा। मुकाबला होगा, गोलियां चलेंगी। देश बरबाद हो जाएगा। जिन सत्ताधीशों के हाथ में सत्ता सौंपी जाए, जिनको देवदूत बनाकर विधान सभा और लोक सभा में भेजा जाए, जिनको यह कहा जाए कि ये लोकतन्त्र के प्रहरी हैं, हम इनको बनाकर भेज रहे हैं, कहीं न कहीं कमियां सब तरफ हैं। लेकिन जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा होता है। इससे फैसले नहीं होते कि अब अंधेरा हो गया, हम रोशनी करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम आगे नहीं बढ़ेंगे।

कल 90-ए बिल आया। किसने मना किया था बहस करने को? कौन मना कर रहा था कि 90 ए पर चर्चा नहीं होनी चाहिये? कोई 90-ए पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि 90-बी बीच में आती है। 90-ए पर चर्चा होगी तो 90-बी आएगी। 90-बी आएगी तो करप्शन आएगा। करप्शन आएगा तो बिल आएगा। एक सरकार है, एक मुख्य मंत्री है, सरकार के प्रतिनिधि हैं, यह सदन

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बी जे पी और कांग्रेस से ऊपर उठकर विचार करता है तब राजस्थान के लोग भरोसा करते हैं। आज हम बी जे पी और कांग्रेस से ऊपर उठकर विचार नहीं कर रहे। कहीं एक शुरूआत हो गयी कि मैं बिल लाना चाहता हूं, सरकारी तनख्वाह लेने वाला हर व्यक्ति उस बिल के दायरे में आएगा, वह चाहे मुख्य मंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो।

इसी के बीच में कह दिया, एण्टी करप्शन ब्यूरो कमजोर है, गड़बड़ कर रहा है, फेल हो गया। कहां से फेल हो गया? आजादी के बाद 64 वर्षों में 3 वर्ष का इतिहास पिछली सरकार का उठाकर देख लो, 3 वर्ष का यहां का उठा कर देख लो। इन 3 वर्षों में एण्टी करप्शन ब्यूरो ने जितने अधिकारियों को जेल में भेजा है, यदि आपने उतने भेजे हैं तो मैं आपसे कहीं भी बैठकर चर्चा करने को तैयार हूं। आदरणीय घनश्याम जी भाईसाहब बता दें खड़े होकर। इन 3 वर्षों में सबसे ज्यादा कार्यवाही एण्टी करप्शन ब्यूरो ने की है। रोज अखबारों में आ रहा है, कोई थानेदार जेल जा रहा है, कोई डी वाई एस पी जेल जा रहा है, कोई इंस्पैक्टर जेल जा रहा है, कोई बाबू जेल जा रहा है। रोज अख़बार में पढ़ने को मिल रहा है। क्या यह बिना सरकार के इशारे के हो रहा है? क्या सरकार करप्शन रोकने के लिये मना कर रही है? यह वही सरकार है जो मंत्रियों से कह रही है, अपनी सम्पत्ति की घोषणा कर दो। आई ए एस अधिकारियों से कह रही है, अपनी सम्पत्ति की घोषणा कर दो। यह सरकार बिल लेकर आ रही है। उस बिल में हम आगे-पीछे छोटी-मोटी कमियां निकाल रहे हैं। बहुत बड़ी बात हो गयी।

कह दिया, जन लोकपाल लाना चाहिये। जन लोकपाल लाओ, किसने मना किया था? लोकपाल लेकर आ रहे थे। चुनाव आयोग की तरह दर्जा मिल रहा था। लोक सभा में पास हो गया। राज्य सभा में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गयी कि लोकपाल को पास नहीं होने देंगे। क्या हो गया था? होने देते पास। कहीं से तो शुरूआत होती। नहीं पीछे तो काणो मामो ही चोखो। कुछ तो आ रहा था। कुछ तो शुरूआत हो रही थी। लेकिन जनता के बीच में कुछ और कहेंगे, अन्दर कुछ और कहेंगे, बाहर कुछ और कहेंगे। इससे फैसले नहीं होते। आज कोई बिल आया, सदन में आ गया, आने के बाद उसमें ठीक है, कहीं से शुरूआत हुई है, उसमें आप अपने सुझाव दे रहे हो।

अभी बात हुई, रैंट को लेकर बिल कांग्रेस सरकार लायी, आपने अमैण्डमेंट किया। एक अमैण्डमेंट था सही हो गया। कहीं से शुरूआत तो हुई

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

है। कहीं तो कोई कुछ कर रहा है। आपने तो तय कर लिया कि हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर नहीं सोचेंगे। चाहे कितना भी अच्छा काम हो जाए, हमें तो उसमें कमियां निकालनी ही हैं। यह आपका अधिकार है। यह विपक्ष का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। विपक्ष ऐसा होना भी चाहिये कि हमेशा सड़कों पर नजर आए। हंगामा हो। कभी सिविल लाइन्स को घेरा जाए। कभी विधान सभा को घेरा जाए। लेकिन अब बाहर की घेराघारी तो बन्द हो गयी, भीड़भाड़ है नहीं, किसी को घेर सकते नहीं। इधर विधान सभा में जितना घेर सकते हैं उतना घेरें। कौन मना करता है? होना चाहिये। मुकाबला हो, बराबर का हो। लगे लोगों को कि राजस्थान की सड़कों पर जलजला आ रहा है। राजस्थान की जनता खड़ी हो गयी। राजस्थान की जनता ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलन्द कर दी। कहां से कर दे? राजस्थान की सरकार जानती है। हर बिल आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिये लेकर सरकार ला रही है। सरकार अपने हाथ बांधने को तैयार है। मुख्य मंत्री, मंत्री, विधायक, सब अपने हाथ बांधने को तैयार हैं लेकिन भ्रष्टाचार से यह सरकार लड़ना चाहती है। भ्रष्टाचार को खतम करना चाहती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ना चाहती है।

सरकार के 3 वर्षों के कामकाज का आकलन, मैं कह रहा हूं, आज सदन में दो सीनियर विधायक बैठे हैं जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, खिलाड़ी हैं दोनों विधान सभा के और कहीं भी घुमा सकते हैं, इन 3 वर्ष के काम के आधार पर आप, आदरणीय घनश्यामजी और गुलाबजी भाईसाहब दोनों खुद 5 नाम तय करो ईमानदारी से और 3 वर्ष के काम को लेकर इसी सदन में डिबेट कराओ। यदि वे 5 आदमी यह कह दें कि कांग्रेस सरकार के इन 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के उन 3 वर्षों से कम काम हुआ है तो हम मान लेंगे कि आप जीत गये और हम हार गये। लेकिन आकलन कराओ, बनाओ 5 आदमियों की कमेटी जो फैसला करे कि आम आदमी के लिये..(व्यवधान) बिलकुल। बिलकुल 5 आदमियों की कमेटी बने जो तय करे विकास के कितने काम हमने किये, विकास के कितने काम आपने किये जिससे फैसला हो सके। हम तो फैसला कहां करवा रहे हैं? हम तो फैसला खुद कर रहे हैं। 90-ए लेकर आये। लोगों ने सुबह पढ़ा अखबारों में, कल 90-ए आया, आज फिर करप्शन को रोकने के लिये एक बिल आ गया। हंगामा हो गया। आप पता नहीं क्या कर दोगे? क्या कर दिया? राजेन्द्र राठौड़ गिरफ्तार हुआ तो लोगों ने कहा, कांग्रेस के लोग खुश हो रहे हैं। कोई खुश नहीं हो रहा है। हमारे सदन का कोई भी सदस्य जेल जाता है तो हमें दुःख होता है। यह सदन एक परिवार है। हम

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

नहीं चाहते कि हमारे सदन का कोई भी सदस्य जेल जाए। हम नहीं चाहते थे, महीपाल जी जेल जाएं।

(15.00 बजे)

हम नहीं चाहते थे कि मलखान सिंह विश्नोई जेल जाएं, कल तक वह हमारे साथ थे। यह किसने कह दिया? बाहर यह माहौल बना दिया गया कि विधान सभा में जो लोग बैठते हैं, ये आपस में एक-दूसरे को निपटाने का काम करते हैं। यह काम हमारा नहीं है, न हम यह चाहते हैं। यह एक परिवार है। आज विधायिका क्यों कमजोर हो रही है? क्योंकि हम आपस में एक-दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसको नीचा दिखाना है। हम उसको नीचा दिखाएंगे, ये हमको नीचा दिखाएंगे, इसी काम में हमारा समय व्यतीत हो रहा है। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उस अच्छे काम में हम खड़े होकर सच को सच नहीं कहना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी बात जब भावना से निकले तो, आखिर यह बिल आ रहा है तो इस बिल से डरने की कहां जरूरत है? ऐसा क्या हो गया कि इस बिल के आते ही डर शुरू हो गया? कोई कह रहा था कि आज पूरा देश लोकपाल की बात कर रहा है, इसलिए आप अगर ईमानदार हैं तो आप लोकपाल लेकर आइये। नाम से ही बिल होता है क्या? जरूरी है इसका नाम लोकपाल रखा जाए? कोई कमी है बिल में तो वह बताइये। आप तो नाम पर आ गये।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्ना हजारे को मैंने इसी सदन में सैल्यूट किया था, आप बड़े साथ खड़े थे। हम आज भी उनका सम्मान करते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने देखा, कल तक तो हमें ही हमें कहा जा रहा था, आदरणीय सुषमा स्वराज भी खूब जमकर अन्ना हजारे जी के खिलाफ बोलीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी जमकर खिलाफ बोली। जब तक आप हमारे पक्ष में हैं, तब तक हम आपके साथ खड़े हैं। जिस दिन आप हमारे पक्ष में नहीं हैं, जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। डबल बात नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सच कह रहा हूं, कल मैं किसी पार्टी में गया था इसलिए मैंने इस बिल को देखा नहीं। मैंने तैयारी की नहीं। लेकिन इस बिल के बारे में मेरी दो-तीन दिन पहले चर्चा हुई थी मेरे साथियों से, अभी जस्ट मैंने चर्चा की। जब मैंने इतना बड़ा स्पीच सुना तो मुझे यह लगा कि एक आदमी अच्छा काम करने के लिए जा रहा है, एक सरकार बहुत बड़ा काम करने के

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

लिए जा रही है, तब उस सरकार का चेहरा ये दिखाना चाहते हैं कि यह भ्रष्टाचार रोकना नहीं चाहते। ये तो हमको मारना चाहते हैं। अगर आपने भ्रष्टाचार किया ही नहीं तो फिर डर क्यों रहे हो? डरने की क्या बात है? डरे वह जिसने भ्रष्टाचार किया हो।

उपाध्यक्ष महोदय, आप यह बताएं, यह काम आपने क्यों नहीं किया कि हर आईएएस अधिकारी को अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी? आप भी इसमें दिखाते। आप भी यह बिल लेकर आते। आपने यह काम क्यों नहीं किया कि 90-बी की जगह 90-ए आ जाए? यह झगड़ा खत्म हो जाए। हम तो महिन्द्रा सेज लेकर के नहीं आये। मैं भी विरोध कर रहा था। आदरणीय घनश्याम जी भी विरोध कर रहे थे। हंगामा हुआ और उसमें से उस वक्त जितनी जमीन निकलवा सकते थे, उतनी आपने निकलवायी। मैं भी खड़ा था। हमने भी उस वक्त विरोध किया। लेकिन इस बार कोई भी बिल, कोई भी कानून, किसी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं आ रहा है। आम अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए आ रहा है, राजस्थान की जनता को फायदा पहुंचाने के लिए आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, लोक सेवा गारंटी बिल आया, उसमें लोगों को फायदा मिला। आज जो बिल आ रहा है, विशेष न्यायालय, 2012 का, वह आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए है। कहीं न कहीं तो डर पैदा होना चाहिए उनमें जो लोग करप्ट हैं, जो बेईमानी करते हैं। कोई सड़क में खा जाता है, कोई आटे में खा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा छोटा करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): छोटा कर रहा हूं। कोई पानी में खा जाता है। कोई पाइप लाइन डालने में खा जाता है। खाने की होड़ लगी हुई है। कोई न कोई खड़ा है हाथ में कैंची लेकर। जिसका मौका लग गया वही जेब काट देता है। यह जो जेब काटने का धंधा है, इसको कहीं तो बंद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हाथ पर हाथ धरकर हम बैठ जाएं, सरकार यह तय कर ले कि जेबकतरे जेब काटेंगे और हम इनको माला पहनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी जेबकतरा जेब काटेगा उसको जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह राजस्थान की सरकार की मंशा है और उसी मंशा को लेकर यह बिल लेकर आये हैं। जिससे राजस्थान के अवाम को पता चले कि वास्तव में संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार है, ऐसी जवाबदेही कि जिसमें

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

भ्रष्टाचारी को कोई जगह नहीं मिले। आज आम आदमी परेशान है। कोई भी कितनी भी बड़ी सम्पत्ति कर ले, क्या कहा इस बिल में? सबसे बड़ी बात एक ही है जो लोगों के गले उतरती है कि जो भी ज्यादा सम्पत्ति होगी उसको सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। पहले यह प्रावधान नहीं था। ऐसा कोई कानून ही नहीं था। पकड़ा गया, जेल भेज दिया। एंटी करेप्शन ब्यूरो ने अपने ही पुलिस के लोगों को जेल में भेजा। आज उनकी जमानतें नहीं हो रहीं, वे जेल में बैठे हैं। रोज पकड़ रहे हैं, रोज। ऐसे-ऐसों का इलाज कर दिया जिनकी कोई उम्मीद नहीं करता था। लोगों को मजा आता है। डर पैदा हो गया। एंटी करेप्शन ब्यूरो ने इन पिछले 3 वर्षों में जब ज्यादा पकड़ा तो अधिकारी पैसे खाने से डरता है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार कहती है, क्या विपक्ष कहता है पर मैं कह रहा हूं इस सदन में कि जो भी खाए उसके कीड़े पड़ने चाहिए। मैं खाऊं तो मेरे कीड़े पड़ने चाहिए। दूसरा खाए तो उसके भी कीड़े पड़ने चाहिए। लेकिन डरते हैं लोग कहने से। मैंने कहा कई अधिकारियों को जो मेरे साथ घूमते हैं, मैंने कहा, मंदिर में बोल दूं आप भी आ जाओ, मंदिर में सौगन्ध खाओ कि पहले तो मैं कह रहा हूं, प्रताप सिंह खाचरियावास खाए तो उसके कीड़े पड़ें, आप भी बोलो कि आप खाओ तो आपके भी कीड़े पड़ें। एक जलदाय विभाग का अधिकारी बोला कि, साहब, आप तो खा सकते हो, लेकिन आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो, हमारा तो एक-दो परसेंट का ही खेल है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रताप सिंहजी, थोड़ा समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हां, करता हूं! (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ओमजी, आपको बोलने का मौका मिलेगा। वह बाद में आपको डिस्टर्ब करेंगे।

एक माननीय सदस्य: आप दोनों को ही डर है क्या कीड़े पड़ने का? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप शांत रहिये। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह तो कीड़ों की साइज भी इतनी मोटी होगी कि चिमटे से निकालने पड़ेंगे, चिमटी की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: ये बाद की बातें हैं अभी की नहीं। प्रताप सिंह जी, थोड़ा समाप्त करें। डिमांड हैं तीन, बड़ी और इम्पोर्टेंट हैं। बहुत लेट होंगे।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कोई बात नहीं। गुलाब जी की एक बात, उपाध्यक्ष महोदय आप ध्यान रखें कि हम जल्दीबाजी में लगे हुए हैं। वास्तव में यह सदन कोई जल्दीबाजी का अखाड़ा नहीं है। आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी ने बहुत अच्छी बात कही, न तो धारीवाल जी को जल्दी है। आपको जल्दी है, रघु जी? नहीं है? न कांग्रेस को जल्दी है न बीजेपी को, एक, उपाध्यक्षजी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जितने बैठे हैं, सब अपनी समपत्ति यहीं छोड़कर जाएंगे।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यहां कुछ नहीं है, सब खाली जेब वाले हैं, मैं जानता हूं सबको। साथ लेकर कोई नहीं आता है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय इस सदन में सबसे बड़ी दिक्कत एक है, हम तो, माननीय, आपके सामने बच्चे हैं इसलिए कह रहा हूं। इस सदन में या बाहर, कोई अधिकारी हो, चपरासी हो, कर्मचारी हो, एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, एक सबसे बड़ी प्राब्लम हो गयी, हर आदमी यह कहता है कि मैं सबसे बड़ा सपूत हूं। मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूं। मैं सबसे अच्छा आदमी हूं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। उस मां से जाकर कोई सर्टिफिकेट नहीं लेता कि आपका बेटा सपूत है कि नहीं है। वह बताएगी, तय करेगी कि सपूत है कि नहीं है। लोग जो उसके संपर्क में हैं, वे बताएंगे कि हमारे से लिया कि नहीं लिया। अभी हो क्या रहा है? हम इस विधायिका को कमजोर करने में लगे हुए हैं। विधायिका को न्यायालय जब चाहे तब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं, कभी बजरी पर रोक, कोई और काम पर रोक ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): बजरी पर रोक थी, वह तो मैं करवा रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आज विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सबके अपने-अपने काम बंटे हुए हैं। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हम विधायिका के लोग, विधायिका को कमजोर करने में हमारा भी हाथ है। हम उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं, धारीवालजी, गुलाबजी, आपको भी यह सोचना पड़ेगा कि रोजमर्रा के कामों में जो स्थिति अब पैदा हो गयी, विधान सभा और पार्लियामेंट, जिस लोकतंत्र पर यह पूरा देश टिका हुआ है, उस लोकतंत्र के

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सामने आज एक चुनौती है। रोजमर्रा के काम बंद हो रहे हैं। क्या हम ऐसे बिल नहीं ला सकते? क्या हम कुछ और नहीं कर सकते कि कम से कम लोगों के दैनिक जीवन के काम चल सकें? एकदम शांति हो जाती है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम नीचे देखते हैं, हमारे पांव कमजोर हैं। इस विधायिका पर पूरा देश टिका हुआ है।

ऐसे में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक ही बात कहना चाहूंगा कि यह जो बिल आया है यह बिल बेईमानों में, चोरों में डर पैदा करेगा। इस बिल के लिए मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को, राजस्थान की सरकार को और हर जन प्रतिनिधि को और सदन में विपक्ष के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा। पूरी तो बुराई कर दी उसके बाद में एण्ड में श्योर कह दिया, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिल पर या तो विरोध करो, कहो हां या न, सब बुराई करने के बाद आप कहें, हम यह चाहते हैं कि यह पास हो जाए लेकिन इसमें सारी गड़बड़ है। आप बता दो सुझाव, बैठकर बात हो जाएगी, खुलकर बात हो जाएगी। आप ऊपर-नीचे कुछ करना चाहते हैं, उसमें शब्दों का कोई हेर-फेर है वह भी हो जाएगा लेकिन जो सही बात है उस सही बात को स्वीकार करेंगे, करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि यह बिल राजस्थान का पूरे देश में नाम करेगा। आम आदमी यह महसूस करेगा कि विधायिका करप्शन रोकना चाहती है, राजस्थान की विधान सभा का हर सदस्य भ्रष्टाचार को खतम करना चाहता है। आम आदमी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागेगा और जागकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेगा और भ्रष्ट लोगों का खात्मा होगा। जो लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं, वे इस सदन को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: काफी बोल लिये, ज्यादा की तो आवश्यकता नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) जी में तो सारा काम आ ही रहा है। जी से ही तो शुरू हुआ सारा काम इस पर यहां तक आने का-टू-जी, थ्री-जी। फोर-जी और आ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत-सी बातें कहीं जिनमें एक बात यह भी कही कि हम विधायिका को कमजोर कर रहे हैं और विधायिका को कमजोर करने से अन्य जो बैलेंस रहता है न्यायपालिका का है, कार्यपालिका का है, उस पर सब प्रकार से असर पड़ता है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं और सहमत होकर ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी बिल हम यहां पर बनाते हैं, उन बिलों के लिए

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमने बहुत से प्रोसीजर तय कर रखे हैं। उन प्रोसीजर्स में एक प्रोसीजर यह भी है कि जो महत्वपूर्ण बिल आते हैं, हम उनको सलैक्ट कमेटी को भेजते हैं, प्रवर समिति को भेजते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जितने भी बिल प्रवर समिति को गये हैं, उन सारे बिलों पर आम राय होकर सदन में आती है और पारित किया जाता है। हमारा यह प्रोसीजर बना हुआ है।

इस बिल का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन यह बिल, हमारे माननीय श्री शांती धारीवालजी, न तो आपकी उपज है, न माननीय गहलोत साहब की उपज है। हमारी सरकार राजस्थान की, एक काम के लिए उसको इनाम है, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी जो हैं, वह मध्य प्रदेश का बड़ा आचरण करते हैं, पहले दिग्गी राजा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने पैराटीचर्स लगाये तो मुख्य मंत्रीजी ने भी पैराटीचर्स लगा दिये। अब यह बिल भी मध्य प्रदेश में आया तो फिर मुख्य मंत्रीजी ने यह किया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सबसे पहले बिहार में आया। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आ रहा हूं, बिहार पर भी आ रहा हूं, हिमाचल पर भी आ रहा हूं, उड़ीसा पर भी आ रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में आया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अच्छा, यह आया हिमाचल प्रदेश में लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आने के पीछे संघर्ष करना पड़ा। मध्य प्रदेश ने यह बिल बनाकर भेज दिया, उसके बाद में उनको अनशन की धमकी देनी पड़ी, एक दिन का मौन व्रत रखा तब भारत सरकार ने बिल को भेजा और राष्ट्रपति ने दस्तखत किये। बिहार के मुख्य मंत्री को भी धरने की घोषणा करनी पड़ी उसके बाद में भारत सरकार ने बिल को दिया है। एक-दो छोटी-सी बातें, बिल में खामियां गुलाबजी या ओमजी ने बता दीं कि इस बिल में यह परिवर्तन होना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिल की भावनाओं के खिलाफ हैं, मगर यह बिल इतना बड़ा है, और उसमें मध्य प्रदेश फर्स्ट। मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस की सरकारों में आप पहले हो, जो बिल बना रहे हो, बाकी तो हमारी सरकारों ने ही बनाये हैं। इसमें हमारा और तुम्हारा नहीं है, यह देश में एक भावना बन गई और हम सब इस बात को महसूस करने लग गये कि इस प्रकार के कानूनों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की आवश्यकता है। अब कानून के बारे में अलग-अलग विचार हो सकते हैं लेकिन इस कानून की आवश्यकता क्यों है? मैं आपको कहना चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट पर हमारे सीसीबी ने हमको एक उदाहरण दिया है कि 20 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष भारत में भ्रष्टाचार में लगते हैं। इसका उदाहरण सतर्कता आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में दिया है जो ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल ने अपने रिपोर्ट में दिया है, उसमें 2535 करोड़ रुपये न्यायपालिका में भी जाते हैं। इसमें से 9 हजार करोड़ रुपये बिलो पावर्टी लाइन रहने वाले लोग अपने काम कराने के लिये ब्यूरोक्रेसी को देते हैं और बाकी राजनेताओं के पास जाता है। जाने के अलग-अलग जरिये पैदा हो गये हैं। फिर इसके कारण से देश में आंदोलन खड़े हो गये। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जो आपने कहा यह अपनी पसन्द की बात नहीं है। जब भारत की संसद के बारे में गलत शब्द कहे अन्ना हजारे की टीम ने तो खड़े होकर बीजेपी, कांग्रेस और सभी लोगों ने समर्थन किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे मन की बात थी तो हमने अन्ना हजारे का समर्थन कर दिया और मन की बात नहीं थी तो अन्ना हजारे का समर्थन नहीं किया। एक प्रतिष्ठा भारत की संसद की है, एक प्रतिष्ठा विधान सभा की है, इस प्रतिष्ठा को अगर हमने कम किया तो जनता का विश्वास डगमगाएगा। और जनता का विश्वास न न्यायपालिका बहाल कर सकती है और न कार्यपालिका बहाल कर सकती है। जनता का विश्वास बहाल करके रख सकती है तो भारत की विधायिका-लोक सभा और विधान सभा ही रख सकती है। हमको इस बात का ध्यान करना चाहिए, हम सबको मिलकर यह बात करनी चाहिए। हम जब यह बिल लेकर आये तो भ्रष्टाचार कितना रुकेगा, नहीं रुकेगा लेकिन पहल अच्छी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं और राजस्थान में दो-तीन उदाहरण तो मैंने अभी सुने हैं, आश्चर्य होता है। कि हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ते होंगे लेकिन आश्चर्य है, सरस डेयरी जो पशु आहार बनाती है, उनके जो मैनेजर्स हैं उन मैनेजरों के छापे पड़े तो आठ-आठ करोड़ रुपयों पर तो वे सो रहे थे। यानि भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में कहां तक गया है। हम सब इस बात को जानते हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो प्रैक्टिकल ज्ञान रखते हैं, रजिस्ट्रार का पद हो, अभी गुलाबजी, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य आरएए की चर्चा कर रहे थे। आरएए एक ऐसा पद हो गया, किसी भी अधिकारी को और कहीं नहीं लगाया जा सकता है उसको आरएए में लगाते हैं कि इससे तो कोई खराब पोस्ट नहीं। वह वहां देखता है कि मेरा तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अंतिम स्थान है यह, अब वह वहां तौलता है फैसलों को। कि बोल प्यारेलाल, कैसा फैसला कराएगा, कैसा फैसला दूं? उसमें होता है भ्रष्टाचार। आप जानते हैं कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति कैसे होती है। कौन नहीं जानता हम में से कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति कैसे होती है, परिवहन, आबकारी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के इन्सपैक्टरों की नियुक्ति कैसे होती है। आप और हम लगते कहां पर हैं, हम फालतू ही झंझट लड़ाई कर रहे हैं। सम्पति तो जहां जा रही है, जा रही है। जितना पैसा राज्य सरकारें टैक्स से वसूल करती हैं, उतना पैसा ही इनको उगाहने वाली एजेंसी के लोग वसूल करते हैं। इसका प्रमाण यह है कि दो सौ वर्ष में अंग्रेज यहां से एक लाख करोड़ रुपये लेकर गये लेकिन इन 60 सालों में काले अंग्रेजों ने 284 लाख करोड़ रुपये स्विटजरलैण्ड के बैंकों में जमा करा दिये जिसकी हमारे माननीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी भारत की संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं। तो यह भ्रष्टाचार इस सीमा तक पहुंच गया इसलिए यह कानून लाना, मैं समझता हूं, बहुत आवश्यक था। अब सजा होती थी, 6 महीने जेल में, 8 महीने जेल में, 12 महीने जेल में, सम्पत्ति तो मेरे पास है ही। कई बार हम यह कहानियां सुनते थे कि यह राक्षस है, 7 समुन्दर पार एक तोता है, उस तोते में उसकी जान है। भ्रष्टाचार के जितने भी राक्षस हैं, इनकी जान उस सम्पत्ति में है। यह सम्पत्ति अगर जब्त हो जाएगी तो भ्रष्टाचार के राक्षस पर नियंत्रण हम निश्चित रूप से कर पाएंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

अब कानून में कमी तो होती है। इस कानून में मैंने देखा, मध्य प्रदेश के कानून में, हिमाचल प्रदेश के कानून में, बिहार के कानून में, आम तौर पर एक जैसे कानून हैं। लोक सेवा गारण्टी वाला भी जो विधेयक आया था वह भी उसी प्रकार का बिल था, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि हम कर क्या सकते हैं। क्या हम यह कर सकते हैं? माननीय धारीवाल साहब, तीन प्रकार से भ्रष्टाचार होता है। उसकी सम्पति पर तो हम नियंत्रण कर रहे हैं, उसके उद्‌गम पर नियंत्रण का इसमें नहीं है। भ्रष्टाचार केवल एक आदमी नहीं करता है, सिस्टम में भ्रष्टाचार आ गया है। हम काम कराने के लिए जाते हैं तो कई बार खुद चाहते हैं कि, यार, कुछ ले देकर काम करवा लो, काम जल्दी हो जाएगा। हम अगर इसका सर्वे करें तो हमें पता लगता है। मैं जयपुर की ही बात करता हूं, जयपुर में जितने मकान बने हुए हैं परकोटे के बाहर में, वह सारे मकान बिना अनुमति के बने हुए हैं। किसको, तोड़ने जाएंगे? उन मकान बनाने वाले लोगों ने तो अपने मकान बनाये, लेकिन मकान बनाने के साथ-साथ जेडीए के जितने अधिकारी थे और नगर निगम के जितने अधिकारी थे, उनकी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देख-रेख में उनका निर्माण भी हुआ और इसका एक उदाहरण था, मैं नाम लेकर नहीं बोलूंगा, एक बार हम एक बहुत बड़े कांग्रेस नेता के यहां किसी मकान को तोड़ने की बात कर रहे थे, कांग्रेस के नेता थे, हम विरोध में ही थे, उनका मकान तोड़ने की बात थी कि मेरा मकान क्यों तोड़ रहे हैं। किसी कारण से हो रहा होगा। लेकिन वहां जाकर देखा उसके पास में, तो वहां पर जो तोड़ने वाला दस्ता जाने वाला था, उसका जो डीवाई.एस.पी. था, उसका मकान तो उसी जगह, उसी स्थान पर तीन मंजिल का बना हुआ था। उसके बाद में आई.जी., उसका दो मंजिल का था बेचारे का और फिर डी.जी. उसका एक ही मंजिल का बना हुआ था तो हमने कहा, भाई, तोड़ने से पहले इन तीनों की तरफ तो हाथ लगाओ। डीवाई.एस.पी. का तो आई.जी. की छाती पर तीन मंजिल का और आई.जी. का बेचारे का दो मंजिल का और डी.जी. का एक मंजिल का। तो सारे हनुमान नगर में जाओ, किसी नगर में जाओ, मैं हनुमानगढ़ का नाम बोल गया, इस प्रकार के काम सारे के सारे हैं। हमको सारा पता है भ्रष्टाचार कहां है। इसलिए इन सम्पतियों पर अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं, बिहार में भी एक उदाहरण आया है, बिहार में एक सम्पति का कंट्रोल किया गया और उसकी स्कूल खोल दी। अब मैं चाहता हूं कि आप इसमें इंसेंटिव भी दें। आप कुछ घोषणा करें, जो कर्मचारी, अधिकारी और नेता स्वयं अपनी सम्पति घोषित करके सरकार को सम्भला देते हैं। यह काम हमको भी करना चाहिए। जहां तक प्राधिकृत अधिकारी बनाने का सवाल है, उसको जैसा गुलाबजी ने शंका पैदा की, वह बिना शंका के बने, ऐसा आदमी चरित्र का नहीं बनना चाहिए। जैसा थामस बन गया, वैसा आदमी नहीं बने। इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। वह आदमी आकर अपना काम करे, यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अब भ्रष्टाचार ...

श्री उपाध्यक्ष: कितना बाकी है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बस खतम कर ही रहा हूं, इसका मैं समर्थन ही कर रहा हूं।

मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार का मामला अब एक जगह नहीं रहा है। नेताओं पर तो आरोप हैं ही- हमने तो राष्ट्रमण्डल का भी कर दिया, टू-जी का भी कर दिया और कोयले का भी कर दिया, सारे कर दिये। हम तो उस पर भी आ गये कि हम इन्क्वायरी भी कर रहे हैं और जेलों में भी डाल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी का मैंने बताया ही आपको। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भारत के निचले स्तर की न्यायपालिका पर 2563 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष भ्रष्टाचार का आरोप है। सेना पर है और राडिया प्रकरण के उजागर होने के बाद और पेड न्यूज के बाद मीडिया पर भी आया है। लोग मीडिया के बारे में भी प्रश्न करने लग गये हैं, मीडिया है कि राडिया है। एक राडिया ने इतने सारे टेप कर करके पता नहीं तीन सौ की एजेंसी लेकर क्या क्या काम कर दिये। इस देश में एक आदमी भी बहुत काम कर सकता है। गुलाबजी कह रहे थे कि इतना काम कौन कर पाएगा। यहां तो एक आदमी ही भारत में इतना काम कर लेता है, तीन सौ कम्पनियों की एजेंसियां लेकर 8-8 हजार टेलीफोन टेप करके सारे दे दिये, तो यहां कोई कमजोर आदमी है? आप चिन्ता मत करो, यहां बहुत मजबूत आदमी रहते हैं। इसलिए हम उन कामों का कहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ रहा है, सेना में है, सेना के बड़े-बड़े जनरलों ने मुम्बई की विधवाओं के जो शहीद की विधवाएं थीं, उनको मिलने वाले प्लाट थे, हमारी सेना ने मुम्बई में ही ले लिये। तो सारा जो रोग है आज भ्रष्टाचार का, इस रोग के खिलाफ जन जाग्रति पैदा हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रामदेवजी महाराज को भी, धन्यवाद देना चाहूंगा अन्ना हजारे जी को भी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन सब सरकारों को भी, जो ये बिल लेकर सब आ रही हैं। हमको कंट्रोल करना है। सारी जो भ्रष्टाचार की सम्पति है, वह जब्त होगी तब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही होगी। लेकिन इसके लिए हमारा चरित्र बड़ा निर्मल करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों के नेताओं का चरित्र अगर निर्मल नहीं होगा तो हम इफक्टिव कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले सब को अपनी-अपनी सफाई भी करनी पड़ेगी। यह नहीं कर सकेंगे तो हम नहीं कर सकते। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की देखो, क्या हालत है। जो बढ़िया अधिकारी काम करता है, रिस्क ले सकता है, काम कर सकता है, उसकी तो जांच होती है। और कई माई के लाल ऐसे हैं कि वे जिंदगी भर में 56 ट्रांसफर करा लेते हैं, एक भी काम नहीं करते और आराम से रिटायर होकर चले जाते हैं। काम ही नहीं करते। अब उनके बारे में एक आवाज बहुत जोर से आई कि, साहब, वह ईमानदार आदमी है। एक आदमी भैंस लेने के लिए गया, बोला, यह भैंस ले लो। बोला, कितने की? बोले, 15 किलो दूध देती है, इसके 40 हजार रुपये लगेंगे। और बढ़िया दिखाओ। तो यह 20 किलो की लो। इसका क्या तो बोले इसका 50 हजार है, बोले और बढ़िया दिखाओ। तो एक गाय के पास ले गया, बोले, इसको ले लो। क्या है? बोले, 8 वर्ष की हो गई है। दूध

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देती है। बोले, दूध नहीं देती, कितनी बार ब्याई, एक बार ही ब्याई नहीं है, फिर क्या लोगे इसका? तो बोले, एक लाख लगेंगे। बोले, इसके किस बात के बोले, इसका कैरक्टर तो देखो, सांड को पास ही नहीं आने दिया इसने। तो कई अधिकारी भी ऐसे हैं। पूरी जिंदगी में नौकरी करके पेंशन ले जाते हैं, माई के लाल काम नहीं करते, ईमानदार रहते हैं। ऐसे लोगों पर कार्यवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार का पैसा ले रहे हैं, जनता का पैसा खा रहे हैं, पर माई के लाल काम नहीं करते। मंत्रीजी क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। धारीवाल साहब, इन आईएएस, आरएएस की एक लिस्ट मंगवाओ। 28 साल की नौकरी में आपके 60 ट्रांसफर हो गये, 5-6 महीने में हर विभाग में ट्रांसफर होता गया और अंत में कोई ऐसी जगह आप उसको बैठाते हो कि, महाराज, आप तो यहां विराजमान रहो। जब तक आप रहते हो, तब तक पैसा लो और काम करो मत। क्या है? यह दो प्रकार का काम है, इन सारी बातों की ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा। यह इसकी तरफ एक छोटा-सा प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि अन्य राज्यों में लागू कर चुकी है और हम चाहते हैं कि यह प्रयोग सफल हो, इसलिए इस सुझाव के साथ जो सुझाव गुलाब जी ने दिये, उन पर आप विचार करिये, जो ओम जी ने दिये, उन सुझावों पर आप विचार करिये। इस सारे को विचार करके हम इस प्रकार से बिल को बनाएं ताकि भारत के प्रजातंत्र और भारत की न्यायपालिका में, भारत की कार्यपालिका में जो लोगों का विश्वास समाप्त हो रहा है, वह विश्वास पुनः कायम हो और जो भ्रष्ट लोग हैं, इनको अपना निश्चित स्थान दिखाएं। कम से कम भ्रष्ट लोगों की सम्पति तो पब्लिक के काम आए, यह काम करने में सफल हों। इसी के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत बहुत, धन्यवाद।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): दो पाइंट का विषय नहीं, पाइंट एक है कि ....

श्री उपाध्यक्ष: आप वैसे तो काफी बोल लिये ...(व्यवधान) एक मिनट।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 17(3) में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उप धारा(1) के अधीन की गई कोई अपील, अपील किये जाने की तारीख से 6 मास की कालावधि के भीतर-भीतर अधिमानतः निपटायी जाएगी और ऐसी किसी अपील में पारित किया गया कोई रोक, आदेश, यदि कोई हो, अपील के निपटारे के लिए विहित कालावधि के बाद प्रवृत्त नहीं रहेगा।

(श्री ओम बिरला)

मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन है, उन्होंने यह कहा था कि यह 6 माह नहीं, यह 3 माह है, मेरे को बिल में कहीं भी 3 माह लिखा हुआ नजर नहीं आया, जब वे अपनी बात बताएं तो उस पर कह दें।

एक 23, उसमें लिखा है सद्‌भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण– इस अधिनियम के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय दण्ड संहिता की धारा में स्पष्ट लिखा है कि लोक सेवक द्वारा कोई गलती की जाती है तो उस पर दण्डनीय अपराध लागू होगा। आप खुद एडवोकेट हैं इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब दें कि सद्‌भावपूर्वक कार्यवाही क्या मानी जाएगी। किसी व्यक्ति ने अगर गलत कार्यवाही की है, मैलाफाइड इंटेंशन से कार्यवाही की है और उसको भी दोषी नहीं मानें, उसका एक्शन प्लान नहीं हो तो क्या उस व्यक्ति को जिसने मानसिक प्रताड़ना की है उसके साथ न्याय नहीं होगा?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय किरणजी माहेश्वरी। थोड़ा संक्षेप करें। बोलने वाले को ध्यान नहीं रहता वो कितना बोल गया। बोलने वाला बोलता जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता इसलिए थोड़ा ध्यान रखें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं हमेशा संक्षेप में ही बोलती हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 प्रस्तुत किया गया है, कोई कारण नहीं कि हम इसका विरोध करें, लेकिन इसमें कुछ संशोधन तो हो नहीं पाएंगे। बहुत सारे मैम्बर्स ने अपने विचार रखे, अपेक्षा कर रहे हैं मंत्रीजी से कि कहीं सम्भव हो सके तो इन विचारों को इसमें सम्मिलित करें। यह विधेयक रखने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि कहीं न कहीं नीयत में खराबी है। अगर नीयत साफ हो तो शायद ऐसे बिल की जरूरत ही नहीं है। कानून बनते ही इसलिए हैं कि उन कानून के माध्यम से कहीं न कहीं व्यक्ति के मन में डर रहे, भय रहे कि अगर उसने कुछ गलत किया तो कानून का डण्डा उस पर चल सकता है। इसलिए कानून बनाये जाते हैं। लेकिन Prevention is better than cure. कानून बनाया, अच्छी बात है। हमने चार साल पहले मध्य प्रदेश में यह कानून बना लिया। बिहार ने यह कानून बनाया और कानून लागू भी किया, वहां पर उनकी वाहवाही भी हुई। उसी को देखते हुए हमने भी यहां पर सोचा, राजस्थान ने भी इसकी पहल की। राजस्थान ने भी

(श्रीमती किरणा माहेश्वरी)

इसी तरीके का कानून जो पेश किया है, मेरे मन में सिर्फ एक बात की ही शंका है। बाकी सब तो मुझसे पूर्व सभी ने कह दिया इसलिए मैं इसमें कोई भूमिका नहीं बनाना चाहती, लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से एक चीज पूछना चाहती हूं, प्राधिकृत अधिकारी को आपने पावर्स दिये, आपने कहा कि प्राधिकृत अधिकारी समय-समय पर, थ्री मन्थस के अन्दर प्रोपर्टी आपकी इनकम से ज्यादा आ रही है तो वह प्राधिकृत अधिकारी तीन महीने के अन्दर यह करेगा। 6 महीने उसकी अपील अवधि होगी जहां पर हम लोग अपील कर सकेंगे उसको अपील करने का अधिकार होगा और उसके बाद डिसीजन होंगे। चाहे हाई कोर्ट को भी आपने सिक्स मंथ्स के अन्दर बाउंड किया, वो भी होगा। जो प्रोपर्टी सीज की या जिस भी व्यक्ति को पाया कि यह व्यक्ति दोषी है, अल्टीमेटली, लास्ट में यह आया कि वह दोषी नहीं है तो उसकी प्रोपर्टी को फिर से लौटाया जाएगा? आपने कहा कि हम 5 परसेंट ब्याज भी दे देंगे, यह भी कर देंगे। सारा सब कुछ इसमें दिया है, मुझे उसमें कहने की जरूरत नहीं। लेकिन वह लौटा तो देंगे, मुझे तो सिर्फ एक बात का जवाब दें? जिस व्यक्ति के ऊपर शंका की, जिस व्यक्ति की प्रोपर्टी उसकी इनकम से ज्यादा मानी, सारा सब कुछ करने के बाद दो बातें मेरे सामने आती हैं- एक तो यह कि लास्ट में जाकर वो निर्दोष साबित हुआ तो आप प्रोपर्टी तो देंगे लेकिन उसका जो सम्मान उस सोसायटी के अन्दर था, उस सोसायटी के अन्दर सम्मान खतम हो गया, एलीगेशन लगने के बाद कानून के तहत सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए जितना उसको मैंटल हरेसमेंट हुआ, उसकी इज्जत कम हुई सोसायटी के अन्दर, उसको किस तरह से हम करेंगे? क्या उसके लिए प्राधिकृत अधिकारी कहीं न कहीं लाइबल होगा जिसने गलत तरीके से सारी चीजों को उसके ऊपर आरोपित किया, उसे फंसाया या जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसके लिए कोई कार्यवाही की जाएगी? आज देश में कानून बनते हैं, सारा सब कुछ होता है, हम छोटा-सा उदाहरण ले लें टाउन प्लानिंग का, टाउन प्लानर पूरे शहर की टाउन प्लानिंग करता है। बाद में वह टाउन प्लानिंग गलत होती है, जो नहर के क्षेत्र हैं उनमें वे परमिशन दे देते हैं, जब पानी आ जाता है, सब कुछ हो जाता है तब तक टाउन प्लानर ट्रांसफर होकर दूसरे शहर में चला जाता है। वह टाउन प्लानर कहीं दोषी नहीं होता है, दोषी होती है वो जनता जिसने प्लाट लिया। मेरा यह कहना है कि क्या प्राधिकृत अधिकारी के ऊपर भी कोई कार्यवाही करने की स्थिति में सरकार रहेगी इस कानून के तहत? अगर नहीं रहेगी तो यह एक सैक्शन के साथ में अन्याय भी होगा।

(श्रीमती किरणा माहेश्वरी)
अगर वह दोषी नहीं है तो उसके साथ में जो अन्याय हुआ है, उसके लिए क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष: शार्ट करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): दूसरा, मेरे मन की एक शंका है। इतने सारे लम्बे-लम्बे भाषण हुए, हमने तो सब भाषण सबके सुने, हमने कहीं यह नहीं कहा। क्योंकि मैं सोचती हूं कि इस सदन के अन्दर आने वाले सारे इलैक्टेड पर्सन हैं, सब लोग अच्छे-अच्छे भाषण भ्रष्टाचार पर दे सकते हैं। हम लोग सब भुगत रहे हैं भ्रष्टाचार को, हम लोग इस सारी चीज को महसूस कर रहे हैं। आज पूरे देश की जनता भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी है, और यह सारी बात हम सब लोग जानते हैं, रोज टीवी पर देखते हैं और इसीलिए इस कानून बनाने के बारे में सब सरकारें चिन्ता करने लगी हैं।

मेरी एक दूसरी बात है कि जो ऐसी प्रोपर्टीज हैं जो कहीं उसके नाम पर ही दर्ज नहीं हैं, ऐसी सारी प्रोपर्टीज के अन्दर हमारा क्या रहेगा? कि इस तरीके की हम लोग उसके बारे में सोच रखते हैं वह भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। तब पता चले कि यह कानून किस तरीके से कारगर हो सकेगा। माननीय मंत्रीजी, क्योंकि आपने सारी धाराएं, सब कुछ हम लोगों को यहां पर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है इसलिए मैं चाहूंगी कि इसको भी थोड़ा अच्छा-सा एक्सप्लेन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राव राजेन्द्र सिंह जी, आप बोलना चाहते हैं?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पाइंटेड क्वेश्चन कर सकते हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): Do you recollect when the first letter was written on corruption.? The first letter on corruption was written just six months after India got Independence. A gentleman who goes by the name Mr. Kandopadhyay, wrote the first letter on corruption to the Hon'ble Mahatama Gandhi on the prevalent corruption within the Congress Party. It is a matter of record. In the last 63 years every party has made efforts to see that the corruption gets eradicated. चाहे यह विधान सभा हो, चाहे वो लोक सभा हो, सारे कानून सदन ने बनाये, लेकिन सबसे ज्यादा छींटे सदन में बैठने वाले व्यक्ति पर ही पड़े। जिस बात की चर्चा हम कर रहे हैं, आपके जितने भी बिल ड्राफ्ट होते हैं, चाहे यह बिल हो, चाहे वो बिल हो, उसमें एक क्लाज हरदम आता है। क्लाज नम्बर 23 इसमें है। क्लाज नम्बर 23 है, अगर आप उसको पढ़ेंगे,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

Protection of action taken in good faith. What do you mean by good faith? यह प्रोटेक्शन इन गुड फेथ उस जमाने में दिया जाता था जिस जमाने में अंग्रेजों का राज था और एक्ट बनकर एक्ट को लागू करने का अधिकार अंग्रेज राज्य के उस अधिकारी को था जो अंग्रेज था। उसको अपने एक्शन से टार्गेट करने का यह क्लाज था। आज 63 वर्ष की आजादी के बाद भी आप इस क्लाज को ला-लाकर इस क्लाज के आधार पर लागू करने वाले व्यक्ति को गुड फेथ में प्रोटेक्शन देते हैं, इस फार्मेट को आप क्यों नहीं बदलते? मैं तो नहीं कहता, लेकिन एक बात बताइए, अगर फण्डामेंटल राइट में राइट आफ प्रोपर्टी खतम नहीं होता तो क्या इस एक्ट को इस तरीके से ले आते क्या? 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने फण्डामेंटल राइट्स से राइट आफ प्रोपर्टी को हटाकर लीगल राइट किया। लीगल राइट करने के बाद आपने ड्राफ्टिंग किया है, ‘‘whether or not the Special Court has taken cognizance of the offences authorised the Public Prosecutor for making an application to the authorised Officers for confiscation of property.” ऐसे नहीं लगता कि the judgement is coming before within the jury assembled.? उसकी प्रोपर्टी को कन्फिसकेट करने की आप में बहुत जल्दी है, उसको प्रोसीक्यूट करने की जल्दी क्यों नहीं है? आखिर नैचुरल ला आफ जस्टिस को क्यों डिनाई करना चाहते हैं? मेरी ट्रायल नहीं हुई उसके पहले तो आपने मेरी प्रोपर्टी को कन्फिसकेट करने की बात कही। मैं बहुत सम्मान से कहना चाहता हूं कि जितनी अदालतों ने हमारी इस संस्था के खिलाफ टिप्पणी की है, हरदम यहां खड़े रहकर इस संस्था का सदस्य यह कहता है कि जो उस अदालत में चीज चल रही है, जिस सम्माननीय अदालत में चल रही है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। और सम्माननीय न्यायालय बार-बार इस सदन के बारे में टिप्पणी करता है। आदरणीय, आखिर न्यायालय को अधिकार किसने दिया? जिस वक्त संविधान निर्माता ने संविधान का निर्माण किया था, क्या उसकी सोच में करप्शन जैसी बात नहीं थी? न्यायालय को अधिकार देने की शक्ति तो इस सदन को है और न्यायालय को भी अधिकार है कि सदन के किसी सदस्य के ऊपर टिप्पणी कर दे लेकिन इस सदन में खड़ा रहकर न्यायालय के सम्बन्ध में टिप्पणी करने का अधिकार हमको प्राप्त नहीं है। यह सारा का सारा मारल कैरक्टर पर बेस्ड है। आप कानून बना-बना कर चोर तो ढूंढ रहे हैं लेकिन वह कानून बनाने से पहले आप प्रिवेंशन की बात क्यों नहीं करते। हम जन-प्रतिनिधि कहलाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी लायर हैं, कि जन-प्रतिनिधि का अंग्रेजी में क्या

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अनुवाद है? पब्लिक रिप्रजेंटेटिव नाम की कोई चीज डिक्शनरी में नहीं है, आप डिक्शनरी निकलवा लें।

श्री उपाध्यक्ष: आप मुझसे पूछ रहे थे और खुद ही जवाब दे दिया तो मैं क्या करूं?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब अगर हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव न होकर पब्लिक सर्वेंट में आते हैं तो पब्लिक सर्वेंट तो प्रोफेशनल हो गया। जब हम संविधान की शपथ लेते हैं, चाहे यहां लें या लोक सभा में लें, तो हम प्रोफेशनल नहीं हो सकते। मंत्री पहले तो यहां की शपथ लेते हैं और फिर मंत्री बनते हैं। आपने मंत्रिमण्डल को लपेट लिया, मुख्य मंत्री को लपेट लिया। मैं कहता हूं कि अगर मुख्य मंत्री को लपेटते हैं, प्रधानमंत्री को लपेटते हैं, जो जनता के सामने पांच साल बाद जाता है, तो उसका परीक्षण तो वहां होता है, अदालतों में कम से कम जन-प्रतिनिधि को तो बाहर करिए। उसकी तो जनता की अदालत में हर पांच साल बाद में अनिवार्य रूप से पेशी लगती है और निर्णय भी होता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, ज्ञानवर्धक है मामला। हां, राव साहब बोलिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, मैं सरकार के उद्देश्य की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार के इंटेंशन की आलोचना नहीं कर रहा, मैं उस महामनस्वी जीव अन्ना हजारे के इंटेंशन की आलोचना नहीं कर रहा। लेकिन जब-जब करप्शन के नाम पर जन-प्रतिनिधि पर उंगली उठती है तब-तब जनतंत्र पर भी उंगली उठती है। जिस जनतंत्र के निर्माण में आम जनता ने अपना रोल अदा किया है, उसके विवेक पर भी उंगली उठती है। जब जन-प्रतिनिधि पर उंगली उठ कर उसको कठ घरे में किया जाता है तो प्रत्यक्ष में नहीं लेकिन फिर भी आप जनता को कटघरे में खड़ा करते हैं। आम जनता को कठघरे में खड़ा करने का अधिकार किसी संविधान ने किसी संस्था को नहीं दिया है। जब जन-प्रतिनिधि कठघरे में खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि जनता भी कठघरे में खड़ी है। इसलिए यह सदन नियम बनाए, काननू बनाए लेकिन कम से कम एक बात का ध्यान रखे कि हम नियम और कानून जिस पद्धति से बना रहे हैं, उस पद्धति में कहीं न कहीं अंग्रेजी साम्राज्य की आज भी बू आती है। आप जो भी काम करें, जुडिशियरी पर अगर आपको विश्वास है, न्यायालय पर आपको इतना विश्वास है तो नये-नये कानून लाकर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

नये-नये न्यायालय क्यों बना रहे हैं? आपके संविधान के निर्माता में इतना विवेक था, हर परिस्थिति के लिए उसने कानून तैयार किया था। उन कानूनों की पालना नहीं हो रही तो क्या आप आज इस बात की शर्त रखते हैं कि इस नये कानून की भी पालना हो जाएगी? पिछले दिनों जिस वक्त न्यायालय में करप्शन का मामला चल रहा था तो एक अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में खड़े होकर यह कह दिया कि आपके इस पैनल में इतने न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ करप्शन का केस है। उस संस्था में जो आदमी बैठेगा वो कोई दूसरे प्लेनेट से आएगा? दूसरे देश से आएगा? 200 आदमी बैठकर न्याय नहीं कर सकते हैं और एक आदमी से हम न्याय की उम्मीद करते हैं कि वो न्याय करेगा। आखिर यह हथियार देने से पहले इतना तो हम विवेक से सोच लें कि यह किसी एक पार्टी की महत्ता का प्रश्न नहीं है, लैजिस्लेचर, विधायिका की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कानून बना-बनाकर विधायिका का गला किसी आदमी के हाथ में नहीं दें। हमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि विधान सभा का प्रत्येक सदस्य जब बात करता है, विवेक से करता है, आत्मा से करता है और जनतंत्र की सत्यता पर, कसौटी पर परखने का उसमें महात्म्य है इसलिए करता है। जनतंत्र किसी एक संस्था से नहीं चलता, जनता से चलता है और जनता का परीक्षण वास्तविक परीक्षण होता है। अदालतों के परीक्षण तो कहीं बदलते हैं और कहीं कुछ आते हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। जवाब आपको ही देना है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो किरण माहेश्वरी साहिबा का जवाब देना चाहता हूं। आपको एतराज है क्या इसमें? नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: उदयपुर का देंगे पहले, या तो कटारियाजी का देंगे या किरण जी का देंगे, आपका क्यों देंगे?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने बदनीयती की बात कही, मान लीजिए, प्राधिकृत अधिकारी बदनीयती रखता हो या कोई और अधिकारी बदनीयती रखकर किसी को फंसाना चाहता हो तो प्रोविजन बहुत साफ हैं। सैक्शन 23 को आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि बदनीयती को कतई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। आईपीसी में भी बदनीयती के बाबत कार्यवाही करने वालों को दंडित करने का प्रावधान होता है। यह अलग बात है कि प्रावधान कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा, कितना होता है,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

कितना नहीं होता है, कितना उस पर अमल होता है, कितना नहीं होता है। लेकिन ये सब प्रावधान मौजूद हैं। इसी के साथ-साथ प्राधिकृत अधिकार के बाबत जो आपने कहा, तो प्राधिकृत अधिकारी उच्च न्यायालय से कंट्रोल होता है और उच्च न्यायालय के ही नियंत्रणाधीन वो काम करता है। यह तो सब उच्च न्यायालय देखता है। इतना तो विश्वास हमें हमारे न्यायालयों पर, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पर करना पड़ेगा। प्राधिकृत अधिकारी एक न्यायिक अधिकारी होता है, कोई दूसरा तो होता नहीं है और उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का भी जुडिशियल प्रोसेस होता है, न्यायिक प्रक्रिया ही तो वो अपनाएगा। चूंकि न्यायिक प्रक्रिया अपनाएगा इसलिए मैलिशियस कार्यवाही होने की इसमें न के बराबर संभावना रहती है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय मंत्रीजी, मुझे क्षमा करें, मैं बीच में आपको टोक रही हूं। लेकिन जो आपने बात कही कि उसमें गुंजाइश न के बराबर है...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके टोकने पर मुझे एतराज नहीं होता, आप तो टोका करो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): न के बराबर आपने कहा कि उसमें गुंजाइश रहेगी। लेकिन हमारा इसमें आपसे निवेदन है। ना के बराबर भी, पाइंट परसेंट भी अगर है तो आपने जैसा कहा कि उच्च न्यायालय का आ जाएगा इसलिए इसके अन्दर कोई शंका की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन जैसा राव साहब ने कहा कि वो होगा तो इसी धरती का व्यक्ति, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी करने के अन्दर कुछ तो हो सकता है। अगर पाइंट परसेंट भी कहीं गुंजाइश है तो क्यों नहीं हम उसको भी कहीं न कहीं लाइबल करते हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस एक्ट के तहत....

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप तो साफ नीयत से काम करो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इस एक्ट के तहत न्यायिक अधिकारी भी आते हैं, उन पर भी यह एक्ट लागू होगा। प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट, 1998 की धारा 13 (1) (ई) उन पर भी लागू होगी। वो बचकर नहीं जा सकते हैं। सवाल है सबूतों का।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

उदयपुर से आने वाले माननीय गुलाब चन्दजी साहब ने जो बात कही है, जो कुछ आपका भाषण था वो एक ही बात पर केन्द्रित था और केन्द्रित यह था कि जो लोग सरकार के आगे-पीछे घूमेंगे, उनको रोजगार दे दिया जाएगा, उन्हें अपाइंटमेंट दे दिया जाएगा, रिटायर होने के बाद उनको कहीं न कहीं बिठा दिया जाएगा और उनसे फिर चाहे जैसी कार्यवाही करवा दी जाएगी। मैं तो यह समझा कि जितना भी आपका भाषण था, कुल मिलाकर इस बात पर था और इसीलिए आपने यह कहा कि इसको उलटा कर दो। मतलब उच्च न्यायालय से मांगो, उच्च न्यायालय को दो मत। सहमति के लिए मत भेजो लेकिन उच्च न्यायालय से लिस्ट मांगो। मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं, सैक्शन 3 को आप पढ़ें। मैं पढ़कर सुनाता हूं "No person shall be qualified for nomination as a Judge of a Special Court unless he is a Member of the Rajasthan Judicial Services, पहली बात। मैं आ रहा हूं, यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। "...and is or has been Sessions Judge or Additional Sessions Judge in the State." इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, मैं समझा रहा हूं आपको। मेरी बात आपके गले नहीं उतरे तो फिर आप फरमा देना। इसका मतलब साफ-साफ यह है कि जुडिशियल सर्विसेज का मैम्बर होना तो उसके लिए लाजिमी है। अगर वह रिटायर हो जाता है तो वह जुडिशियल सर्विसेज का मैम्बर नहीं रहता है, पहली बात, तो वह क्वालिफाइड होगा ही नहीं और प्राधिकृत अधिकारी बन ही नहीं सकता वह। दूसरी बात, ...(व्यवधान) आप मुझे बोलने दो। कागज-वागज बाद में उठाना आप। (व्यवधान) और दूसरी बात, दो शर्तें हैं। पहली शर्त मैंने आपको बता दी कि न्यायिक सेवा का अधिकारी सदस्य होना चाहिए। दूसरा, जज हो या जज रहा हो। अब जज कौन रहा हो? हमारे यहां डाइरेक्टर प्रोसीक्यूशन है, वह भी जज रहे हुए हैं, वह भी प्राधिकृत अधिकारी बन सकते हैं। जेडीए में डाइरेक्टर ला है, वह भी सैशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट आदमी हैं, तो 20 आदमी इस तरह के मिलेंगे आपको राजस्थान में ही, जो कि सैशन जज और डीजे रहे हुए हैं। यह उनके लिए है, यह रिटायर्ड जजों के लिए नहीं है। तो जो बात आप कहना चाहते थे, वह कुल मिलाकर यही बात है।

दूसरी बात, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजता है, सरकार नहीं भेजती है। आज मैं जेडीए देखता हूं, अगर जेडीए में डाइरेक्टर(ला) लगाना

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

होता है तो हाई कोर्ट को हम लिखकर भेजते हैं। वे तीन आदमियों का पैनल भेजते हैं, उन तीनों आदमियों में से हमें एक को सलैक्ट करना पड़ता है। तो ये सरकार से प्रस्ताव नहीं जाते हैं। हाई कोर्ट को आदेशों की पालना करनी पड़ती है। सरकार अपनी मर्जी पर न। कोई जज नियुक्त कर सकती। और एसीबी की अदालतों में भी आज भी जितने भी न्यायाधीश लगे हुए हैं, वे सब हाई कोर्ट के द्वारा ही लगाये गये हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपका कन्फ्यूजन था...(व्यवधान) वह मेरा खयाल है, इस कन्फ्यूजन को आपने दूर कर लिया होगा। (व्यवधान) अब भी रह गया कुछ? आपके सवाल का जवाब मैंने अच्छी तरह से दे दिया और इससे ज्यादा तो कोई जवाब बनता भी नहीं है। आपका कन्फ्यूजन भी मैंने दूर कर दिया। सब कुछ करेगा तो हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट ही नियुक्ति करेगा और हाई कोर्ट के नियंत्रण में ही वह चलेगा। सात और नये कोर्ट खुलने वाले हैं, उनमें भी प्राधिकृत अधिकारियों की और उनकी नियुक्ति वहीं से होगी।

यह जो शब्द है has been, यह जिला और सैशन न्यायाधीश की पोस्ट के लिए लिखा गया है क्योंकि डीजे कई डैपुटेशन पर जाते हैं। डैपुटेशन पर कई डीजे होते हैं, इसीलिए वर्ड लिखा गया है has been । उस has been को अपन गलत समझ गये। Has been का मतलब यह समझ गये कि रिटायर्ड आदमी को हम ले रहे हैं, जबकि रिटायर्ड आदमी को नहीं ले रहे हैं। इसलिए वह सम्भावना जो आप व्यक्त कर रहे थे कि सरकार अपने खुशामदों को, चमचों को, जिनसे बात कहलवा सकती, मनवा सकती हो, उनको अपाइंट करके कुछ न कुछ रीवेंजफुल एटीट्यूड रखेगी। रीवेंजफुल एटीट्यूड...

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): चमचा शब्द असंसदीय है, साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): तो जो इन-सर्विस है, चाहे वह किसी भी जगह बैठा हो, वह सैशन जज होगा और इन-सर्विस होगा, यही मतलब है आपका?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कटारिया साहब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यही मतलब है।

श्री उपाध्यक्ष: आपने चमचा शब्द के लिए कहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका जो एप्रिहैंशन था टोटल, वह था रिटायर्ड आदमियों के लिए, वह दूर हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह दूर हो गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, आपकी बात से और क्लीयर हो गया। कल आप कहीं गली में से निकलो तो नहीं निकल पाओगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, बिलकुल नहीं निकल पाऊंगा। (व्यवधान) अब मैं आपसे थोड़ी-सी दो-चार चीजें और निवेदन करना चाहता हूं। इनकी भी बात का जवाब दूंगा, ओमजी बिरला साहब की भी। छह महीने ही हैं, तीन महीने नहीं हैं। छह महीने हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपने बोला है। आपने कहा था कि तीन महीने।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, हां, छह महीने हैं। हो गयी बात, मैंने कहा न, हाई कोर्ट का फैसला छह महीने में होगा और ज्योंही फैसला होगा, वह इन्फैक्चुअस हो जाएगा। प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 1944, ये दोनों प्रभावी हैं। यह जो विशेष अधिनियम है, इन दोनों अधिनियमों के साथ-साथ यह भी प्रभावी होगा। एक बात जो आपने कही थी आईपीसी को कोट करते हुए, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अधिनियम का ओवरराइडिंग इफैक्ट सब पर होगा। आप समझे ओवरराइडिंग इफैक्ट को? समझ गये न, हां।

किरणजी ने एक बात कही थी, उसका मैं जवाब देना चाहता हूं, सम्पति की बाबत। जो भी सम्पति है, उसका जो आकलन होगा, यह शायद आपने बात उठाई थी। वह तत्समय की जो प्रचलित बाजार दर है, उसके अनुसार किया जाएगा। इसी के साथ-साथ जब्ती के लिए प्राधिकृत अधिकारी को नोटिस जारी करने की बात है तो यह मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर वह नोटिस जारी कर देता है और इसी बीच में वह व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति है, अगर वह सम्पत्ति ट्रांसफर करता है तो वह ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, नल एण्ड वाइड हो जाएगा।

ठीक इसी तरीके से उसको पांच प्रतिशत ब्याज के लिए मैं पहले भी निवेदन कर चुका। ट्रायल के दौरान कोई भी कोर्ट, किसी भी स्तर की कोर्ट आसानी से स्टे नहीं देगी। ऐसा नहीं होगा कि, साहब, मैं चला गया और जाकर एक्स-पार्टी स्टे ले आया। यह नहीं होगा। इसमें असाधारण परिस्थितियां बताई गई हैं कि असाधारण परिस्थितियों में ही वह स्थगन प्राप्त कर सकेगा। इसी के साथ-साथ न्यायालय में... (व्यवधान) यह तो पहले कह चुका मैं।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

अब मैं उस बात पर आता हूं, जो आपने शंका जाहिर की थी एसीबी के बाबत। आपको ध्यान होगा कि एसीबी में अधिकारियों के चयन के लिए और उनके पदस्थापन के लिए पहली बार 2011 में नियम बनाये गये हैं। नियम ही नहीं बनाये गये हैं, बल्कि एक चयन समिति बनाई गई जो कि आवेदन लेती है और आवेदन लेकर यह देखती है कि यह वाकई एसीबी में काम करने लायक है कि नहीं है। फिर उस व्यक्ति को 25 प्रतिशत का इंसेंटिव भी दिया जाता है। इंसेंटिव ही नहीं, बल्कि उसको एक पोस्ट हायर पर वहां पर किया जाता है। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान में एसीबी जो आज काम कर रही है, हम लोगों को उस पर गर्व होना चाहिए। इस बात पर शक नहीं करना चाहिए कि इस तरीके की अपन बात करें कि ये भ्रष्ट लोग हैं, ये हैं। मुझे एक अधिकारी का नाम बता दो जो एसीबी में काम कर रहा हो और जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हों। एक अधिकारी का नाम मुझे बता दो आप। आप नहीं बता सकते।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह मत कहो, मंत्रीजी, कि एक अधिकारी का नाम बता दो। (व्यवधान) नामजद आपका यह प्रश्न का जवाब है एसीडी का, जिस एसीडी में आपने कहा है कि इतने प्रकरण 1.1.2011 में दर्ज हो गये- 557 और उक्त प्रकरणों में दर्ज एफआईआर में से एक प्रकरण में चालान पेश किया हुआ है यानी सिंगल चालान। अब नाम बताने लगेंगे तो एक-एक अधिकारी पर चर्चा, आप कहेंगे तो मैं कर लूंगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, भाई साहब।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): तो मैं चर्चा कर लूंगा, इजाजत दे दें उपाध्यक्षजी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मंत्रीजी, मैं नाम बता रहा हूं जिनके खिलाफ एसीडी में एफआईआर लाज हो गई। मैं नाम बता रहा हूं, नोट करो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): है ही नहीं। आप विराजिये। आपका एसीडी से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप नोट करो, आपने नाम पूछा है। मैं प्रमाण सहित कह रहा हूं। आप कहो तो मैं एफआईआर अभी टेबल करता हूं एसीडी की। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आज तक राजस्थान में

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

आपके राज में कुछ हुआ ही नहीं। (व्यवधान) आप तो कहो। आप कहें तो एफआईआर टेबल करता हूं अभी। दो अधिकारियों के खिलाफ एसीबी में मुकदमे दर्ज हैं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय सिंघल साहब, विराजिये। (व्यवधान) विराजिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अभी आप 90-ए और 90-बी की बात कर रहे थे, दो अधिकारियों के खिलाफ एसीबी में मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2011 में हुए हैं और आप कोई कार्यवाही नहीं करा रहे हो उस पर। एसीडी में। (व्यवधान) एसीबी और एसीडी अलग-अलग हैं क्या? एसीडी में दो अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। (व्यवधान) आप नाम की बात कर रहे हैं, नाम लिखिये आप, जी.डी. आर्य और प्रकाश चन्द यादव, ये दोनों आरएएस अधिकारी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विघ्न नहीं डालें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एसीडी के पुनर्गठन के लिए जितना बजटरी प्रावधान इस बार किया गया है, 16 आउटपोस्ट और छह इंटेलीजेंस यूनिट का सृजन भी किया गया है, स्टाफ भी बढ़ाया गया है। एसीबी में हर किसी की पोस्टिंग नहीं हो सकती, उसका बाकायदा चयन किया जाता है। चयन समिति चयन करती है। इससे ज्यादा किसी प्रकार का कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिससे कि इसको और ज्यादा पुख्ता किया जाए। यह सब कुछ किया है, यह सब कुछ एसीबी को मजबूत करने का ही तो है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, एसीबी में एक पोस्ट हायर तो शुरु से लगते आये हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): डाक्टर साहब, यह कोई मलेरिया की बीमारी तो है नहीं, कोई डेंगू-फेंगू तो है नहीं, जो आप...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मेरा निवेदन सुनें। एसीबी में पोस्टिंग की बात है, आज भी जिनकी पोस्टिंग है, अपनी सज़ा उसको मानते हैं। अगर इतनी निष्पक्षता से एसीबी काम करती है तो माननीय मंत्री महोदय के खिलाफ जो एप्लीकेशन लगी थी और जो चार्ज लगे थे, एसीबी ने केवल यह कहकर दफ्तर-दाखिल कर दिया कि उस पर हस्ताक्षर नहीं थे, बेनामी थी।

(डा. दिगम्बर सिंह)
अभी ओमजी बिरला ने पूरी बात बताई, जबकि वह हस्ताक्षरित थी। जिस व्यक्ति ने शिकायत की, वह पूरा पुलिंदा लेकर एसीबी की हाइएस्ट अथोरिटी के पास पहुंच गया। तो आप जो क्लीन चिट दे रहे हो...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो आप पर्टिकुलर एक केस की बात कर रहे हो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ACD is the most corrupt department.

(16.00 बजे)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो आप पर्टिकुलर एक केस की बात कर रहे हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि एसीबी में केवल पुलिस अधिकारी ही नहीं हैं, रेवेन्यू के आफिसर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, ला ग्रेजुएट्स भी हैं, अकाउंटेंट्स भी हैं, वगैरह-वगैरह। सबको मिलाकर इस तरीके का सैट-अप वहां पर जमाया गया है ताकि फुलप्रूफ मामला हो। यह एसीबी किसको छोड़ती है? मेरे खिलाफ अनोनिमस एक दरख्वास्त पहुंच गई कि, साहब, 2008 या 2007 में नगर निगम के सामने एक इमारत है इसकी इजाजत में धारीवाल ने कुछ ले लिया, अनोनिमस। मुझे पता लगा, मैंने कहा, भई, यह क्या मामला है। मैंने दिखवाई फाइल तो उसमें परनामी साहब की इजाजत निकली 2008 की। (व्यवधान) मैंने एसीबी वालों से कहा, यह क्या किया? तो कहा, साहब, ऐसा है कि हमारे पास कोई आता है तो हम तो छोड़ते हैं नहीं, आप होम मिनिस्टर होंगे तो होंगे। यह जवाब मुझे दिया। मैं होम मिनिस्टर राजस्थान का, मेरे खिलाफ अनोनिमस शिकायत और शिकायत पर कार्यवाही करने के लिए अगर एसीबी काम करती है तो मैं तो एसीबी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं इन लोगों को कि इन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाई।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): तो खाद्य मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं हुई?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो आप एक-दो एग्जाम्पल, पता नहीं क्या बात है, क्या नहीं रही होगी आपकी... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को सस्पैण्ड क्यों किया, यह भी बता दें आप। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जहां तक भ्रष्टाचार की बात आप फरमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है, कोई मना नहीं कर सकता इस बात को। लेकिन एक बात और मैं निवेदन करता हूं, जो आप मन से बोलते हैं न, लेकिन मन से बोलते-बोलते आप इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल होकर हम अपने आप को गाली देने लग जाते हैं। एक जो छोटा अधिकारी है वह बड़े अधिकारी को चोर बताता है और जो छोटा पोलिटिशयन है वह बड़े पोलिटिशयन को चोर बताता है। ये चीजें अपन को बंद करनी चाहिए। अभी राव साहब ने जो बात कही, मैं उनसे बिलकुल सौ प्रतिशत एग्री करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कृपा करके आपके पास सरकार है, अगर कोई हो तो निकाल लाओ न। अगर है तो लाओ निकाल कर।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, क्या लाऊं? आपके खिलाफ? आपके खिलाफ कुछ नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, आप यह कह रहे हैं न कि छोटे चोर ने बड़े चोर को...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, नहीं, आपके खिलाफ कुछ नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि आपको यह नहीं कहना चाहिए। मेरी सलाह है आपको। आपके खिलाफ कुछ नहीं है। आप गलत समझ गये मेरी बात को। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप यह गलतफहमी मत पाल लेना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप गलत समझ गये। बिलकुल नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि ये बातें अपन को नहीं कहनी चाहिए। आप फिर सुनिये, आज पता नहीं, क्या बात है, आप पहली वाली बात भी गलत समझ गये और दूसरी भी समझ रहे हैं। अब यह तीसरी भी करूंगा तो यह तो छोड़ो अब, कहूं ही नहीं, हटाओ जी। फिर एक बात बताओ आप, भ्रष्टाचार की बात आज तो आप कर रहे हो लेकिन आपके जमाने में जब रामबाग पैलेस होटल पर अधिकारियों को बुलाकर डाइरेक्शन दिये जाते थे तब तो आप खुद चुप...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आज तीन साल हो गये हैं, माननीय मंत्री महोदय, तीन साल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप उस वक्त क्यों चुप थे? आप यहां जोर-जोर से बोल रहे हैं, यह बात कर रहे हैं लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई थी? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माथुर आयोग बनाया, लोकायुक्त को भेजी, जांच कर लो। रामबाग में बैठकर तो...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उस वक्त आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? एक शब्द बोला कभी आपने पांच साल में? (व्यवधान) आपने उस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द बोला? कभी नहीं बोला आपने। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कोठारी बंधु डाइरेक्ट करते हैं सरकारों को। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कोई पट्टी बंधी हुई नहीं थी, आज भी पट्टी बंधी हुई नहीं है और अब जब तक मरेंगे तब तक पट्टी बंधी नहीं रहेगी। भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी ही होता है और हमने कभी उसको कोई क्लीन चिट दी नहीं, आज दिन तक। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर भी यह निवेदन कर रहा हूं कि यह एक लिमिटेड एक्ट है। सीमाओं में बंधा हुआ है। जो डिसप्रपोर्शनेट असैट्स हैं उन तक ताल्लुक रखता है। निश्चित तौर पर यह एसीबी को और भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट को मजबूत करने वाला एक्ट है इसलिए इसको पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 पारित किया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री अनुदान की मांग संख्या 42 – उद्योग, मांग संख्या 43 – खनिज एवं मांग संख्या 13 – आबकारी मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42-उद्योग की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,42,89,63,000/- (एक अरब बयालीस करोड़ नवासी लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 43-खनिज की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,40,43,51,000/- (एक अरब चालीस करोड़ तियालीस लाख इक्यावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 13-आबकारी की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,14,92,000/- (एक अरब चौदह लाख बानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 42, 43 व 13 पर कटौती प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डाक्टर दिगम्बर सिंह।

मांग संख्या 42, 43 व 13 पर विचार

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक पर बहुत लम्बी बहस हुई और इस विधेयक में क्या-क्या कमी-खामी हो सकती थी, इसका भी जिक्र सदन के अन्दर हुआ। मेरे एक बात समझ में नहीं आई, आदमी दुर्भावनावश अगर काम अपना शुरू करे तो अब तक जितने भी कानून बने हैं, इनमें से कितने कानूनों का दुरुपयोग आज हमारी जनता के बीच में हो रहा है, हमारे समाज में हो रहा है। तो कल अगर आप कहें कि यह विशेष न्यायालय विधेयक से करप्शन खत्म हो जाएगा, जब

(डा. दिगम्बर सिंह)

तक आदमी की बिलकुल अन्दर से आत्मा परिवर्तित नहीं होगी तब तक करप्शन खतम नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस दुर्भावना का जीता-जागता उदाहरण मैं अभी बताता हूं आपको। इस 9 अप्रैल को गंगानगर के किसी श्रीकृष्ण कुक्कड़ ने मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ एक इस्तगासा पेश किया। सीबीआई मामलों की जो कोर्ट है, उसमें इस्तगासा पेश किया और उसमें यह आरोप लगाया कि भंवरी देवी जब मिलने आई मुख्य मंत्री महोदय से तो उसने पूरी उनको अपनी कहानी सुनाई। (व्यवधान) अगर मुख्य मंत्रीजी चाहते, अगर मुख्य मंत्रीजी चाहते तो भंवरी देवी की जान बचाई जा सकती थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय, एक मिनट। एक मिनट, मेरी अर्ज सुनें। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): बात यह है महत्वपूर्ण, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज उसको गंगानगर में गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बहुत उसमें हैं, मेरा यह अर्ज करना है कि आज अनुदान की मांग का है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं बिलकुल अनुदान पर आ रहा हूं, पर अनुदान से ज्यादा महत्वपूर्ण....

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं, भूमिका में वही चीज, वही बात बोलें जो आवश्यक है, मैं अर्ज कर रहा हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): बिलकुल वही बोल रहा हूं। वही बोल रहा हूं। आज...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप तो सीधे-सीधे आबकारी पर आ जाओ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आज गंगानगर के अन्दर उस श्रीकृष्ण कुक्कड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर इस तरह की दुर्भावनाएं चलीं तो...(व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्षजी, इसको एक्सपंज कराएं। आप व्यवस्था दे दो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं समझता हूं, इस राजस्थान का रखवाला कौन होगा?

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं, आप व्यवस्था दे दो।

श्री उपाध्यक्ष: जो असंसदीय शब्द है उसकी व्यवस्था दी हुई है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें असंसदीय कोई शब्द ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: जो भी असंसदीय है तो। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या असंसदीय शब्द है? (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): हमने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है, व्यवस्था दी है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या है असंसदीय, क्या है?

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): तो आप तो कुछ भी डिस्कस करने लगोगे कल को। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, क्या है? आपने बोला है वह है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): नहीं, असंसदीय शब्द क्या है इसमें? (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): लेकिन अनुदान की मांग है, कल को कोई दूसरा नाम लेगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मांग तक रहिये। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): जो हुआ है वह बोला है। हमारी सरकार ने किया, वह बोला है।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आपको कहकर गई थी, मिलने जा रही हूं?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): गृह मंत्री के दबाव में जबरदस्ती कुक्कड़ को गिरफ्तार किया है, यह बोला है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष: मांग तक सीमित रखें।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): बात कर रहे हैं। फिर वापस माहौल होगा, यहां से कोई और बोलेगा, दूसरा बोलेगा। आप समझना ही नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डाक्टर साहब, मांग तक सीमित रहें आप। यह जनरल नहीं बोल सकते। (व्यवधान) कृपया आप बैठे-बैठे नहीं बोलें। आप इस

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग को, इतनी इम्पोर्टेंट मांग है, इसको लाइटली मत लीजिये आप, विराजिए। (व्यवधान)

(14.00 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, किसी भी राज्य का...(व्यवधान) आपका नहीं है, आप चिंता मत करो। आप थे ही नहीं उस समय मैदान में। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): किसी और की सीडी है क्या, यह तो बताओ, एक सौ पचास।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपकी नहीं है आप चिंता मत कीजिए, आप नहीं थे उस समय। सभापति महोदय, टाइम देख लेना, आते ही घंटी मत बजा देना। मैं केवल मांग संख्या 42 तक सीमित रखूंगा। आबकारी पर मैं नहीं बोलूंगा, आबकारी में तो दो साल के लिए इन्होंने कर लिया अपना कबाड़ा अब बोलने से कोई फायदा थोड़े ही है।

सभापति महोदय, किसी भी राज्य का या देश का डवलपमेंट सीधा-सीधा उस राज्य के इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट से रिलेटेड होता है। It is directly proportional. जितना औद्योगिक विकास होगा उतना ही पैसे का इन्फ्लो होगा और निश्चित रूप से विकास के आयाम ज्यादा अच्छे होंगे। चूंकि भौगोलिक परिस्थिति राजस्थान की विषम है, इसलिए अलग तरह का एक स्टेट है। किसी भी राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उनमें भूमि चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन की, रेल की, रोड की सुविधाएं उपलब्ध हों। और इसके साथ-साथ राज्य के अन्दर वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, ब्यूरोक्रेसी में इण्टरप्रिन्योर्स को लगे कि हमको पूरी मदद इससे मिलेगी तब निश्चित रूप से निवेश करने वाले लोग आगे आते हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि विगत सरकार के समय में रिसर्जेन्ट राजस्थान का प्रोग्राम हुआ। 1 लाख 62 हजार करोड़ के निवेश यहां पर आये। एमओयू साइन हुए और उसके कुछ दिन बाद सरकार बदल गई। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस समय जितने एमओयू साइन हुए थे अगर यह सरकार उन पर ध्यान देती तो निवेश जो करने वाले लोग थे, उनसे संपर्क करती, उनको फैसिलिटीज अवेलेबल कराती तो आज राजस्थान का परिदृश्य दूसरा होता। मैंने कई बार अख़बारों में पढ़ा कि

(डा. दिगम्बर सिंह)

मुख्य मंत्रीजी और हमारे उद्योग मंत्रीजी कभी तो खुशखेड़ा में, कभी भिवाड़ी में कई यूनिट्स का, चाहे होण्डा सिएल की यूनिट हो, चाहे वह सेन्ट गोबिन ग्लास की यूनिट हो, बड़ी-बड़ी यूनिट्स का आप उद्‌घाटन करके आये। मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में भी बड़े जोर शोर से कहा कि हमने राजस्थान के अन्दर बहुत काम उद्योग के लिए किया है और बहुत बड़े-बड़े उद्योग हमने लगा दिए। जापानी जोन अलग से तैयार कर दिया। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी उद्‌घाटनों में फीते आप लोगों ने काटे, ये सारे प्रोजेक्ट्स पिछली सरकार के स्वीकृत हैं। इन तीन साल के अन्दर कोई नया प्रोजैक्ट, कोई नया निवेश राजस्थान में लाने की चेष्टा मंत्री महोदय ने नहीं की। आपने भी अप्रवासी भारतीय सम्मेलन किया, बहुत दूर-दूर से लोग आये। सब लोगों की राजस्थान में यह टक-टकी लगी थी कि राजस्थान के अन्दर कुछ अच्छे उद्योग लगेंगे, लोग निवेश करेंगे। परन्तु जब मुख्य मंत्री महोदय खुद यह बोलें कि हमने कोई निवेश के लिए नहीं बुलाया, हमने तो उनको मातृभूमि से उनका लगाव रहे, उनका आना-जाना रहे, अपनी मातृभूमि से प्यार बना रहे इसके लिए उनको बुलाया था। मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हम बाहर तो निवेशकों की तलाश करते हैं, लोगों को लुभा-लुभा करके बुलाते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान के जो इन्टरप्रिन्योर्स बाहर अपना इन्वैस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम उनको यहां रोक सकें और जिन लोगों ने यहां पर उद्योग लगा रखे हैं उनको हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करें तो निश्चित रूप से यहां पर बहुत अच्छा डवलपमेंट उद्योग में हो सकता है।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य। उप नेता महोदय, माननीय सदस्य सूर्यकान्ताजी की तबीयत तो ठीक है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सदन में सोना अलाउड है, खर्राटे लेना बंद है। लिखा है, व्यवस्था में है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सिंगल विंडो एक्ट भी आप लेकर आये, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। परन्तु जब तक आप मानिटरिंग नहीं करेंगे, एक्ट तो बहुत आ गये परन्तु एक्ट आने के बाद जब तक मानिटरिंग प्रोपर नहीं होगी, जनता के लिए उसका कोई उपयोग होने वाला नहीं है। सिंगल विंडो एक्ट 2011 में लागू हुआ और आज 2012 चल रहा है, कितने लोगों को उस एक्ट का फायदा मिला? क्या आज भी इन्टरप्रिन्योर्स अलग-अलग विभागों में धक्के खाते नहीं फिर रहे हैं? या सिंगल विंडो एक्ट से उनको कुछ मदद

(डा. दिगम्बर सिंह)

मिल रही है? मंत्री महोदय, इसकी एक बार आप निश्चित रूप से मानिटरिंग करें, यह मेरा आपसे निवेदन है। आज राजस्थान के अन्दर जो हालात मैं देख रहा हूं, हमारी रीको जमीन प्रोवाइड करती है, सड़क, पानी की सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड करती है, लोग आते हैं जमीन खरीदते हैं, कुछ लोग इण्डस्ट्री लगाते हैं, कुछ लोग जमीन को केवल छोड़ देते हैं। कुछ लोगों ने दो साल इण्डस्ट्री चलाई, तीन साल चलाई, उसके बाद बंद पड़ी है। आज मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ जब मैं सुबह अख़बार पढ़ रहा था, कम से कम रीको ने इतना तो किया 1756 उद्यमी वादा भूले, यह आज के अख़बार में हैं। यह रीको की ही रिपोर्ट है, रीको ने उनसे जमीन वापस ली है। इनमें अगर सबसे ज्यादा संख्या है तो भरतपुर की है 562 । ऐसा क्यों है? अगर आदमी इण्डस्ट्री नहीं लगाना चाहता तो वह आएगा क्यों, जमीन लेगा क्यों? अगर उसने जमीन ली है तो उसको एक फिक्स टाइम पीरियड के अन्दर निर्माण भी करना चाहिए और उसको इण्डस्ट्री शुरू भी करनी चाहिए। परन्तु आज जिस तरह से जमीन की कास्ट बढ़ रही है, जमीन लेकर डाल दी। आज केवल भिवाड़ी में ही जाकर आप देख लीजिए, कितनी इण्डस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, कितने सालों से बंद पड़ी हैं और उनको चलाने का दुबारा उनका मानस नहीं है क्योंकि उसकी दस गुना से बीस गुना ज्यादा उसकी जमीन की कास्ट हो गई। उनको इण्डस्ट्री चलाने में उतना फायदा नहीं है जितना उस जमीन को बेचने में फायदा है। तो ऐसे लोगों को भी आप चिह्नित करें जिन्होंने इण्डस्ट्री खोली, बंद करके चले गये। उस जमीन को रीको वापस अधिग्रहण करे या उनको वापस चालू करवाएं। जिस तरह अभी रीको ने किया है कि इनसे जमीन वापस ली है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसे लोग तो कम से कम नहीं आएंगे जो जमीन लेकर पटक दें और इण्डस्ट्री चालू नहीं करें। परन्तु इण्डस्ट्रीज के लिए आपको फैसिलिटीज तो निश्चित रूप से प्रोवाइड करनी पड़ेगी।

एक सबसे बड़ा मुझे इन तीन साल के अन्दर जो लगा है उद्योग विभाग में वह यह कि सिक यूनिट्स की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। ऐसी कितनी यूनिट्स पड़ी हैं जिनको आप थोड़ा-सा प्रयास करें तो निश्चित रूप से उनको वापस चालू करवाया जा सकता है। मुझे याद है, पिछली सरकार के समय में तीन इण्डस्ट्रीज को लेकर के हमने कोशिश की कि उनको चालू कराया जाए- भरतपुर की सीमको लिमिटेड को, जयपुर में जो जयपुर मैटल्स है उसको और सवाई माधोपुर जो सीमेंट उद्योग है उसको। इन तीन को लेकर हमने प्रयास किये। उनमें सिमको तो चालू हो गई थी, वह तो आपकी नालेज

(डा. दिगम्बर सिंह)

में भी है। जयपुर मैटल को भी चालू करवाने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। आज जितनी कास्टली जमीन जयपुर मैटल ने घेर रखी है शहर के अन्दर, अगर इस इण्डस्ट्री को जयपुर से बाहर कहीं शिफ्ट कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि काफी पैसे तो इसमें सरकार के बच जाएंगे। इसमें सरकार को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसी तरह का मामला सवाईमाधोपुर में जो सीमेंट उद्योग है, उसका है। 1992 में सवाईमाधोपुर उद्योग को एक जीडीसीएल कंपनी है उसने कहा था कि हम उस कम्पनी को चलाएंगे। इसके टोटल जो सम्पत्तियां थी, उनका एस्टीमेशन करीब तीन-साढ़े तीन हजार करोड़ का 2008 में था, तो आज उसकी कास्ट कितनी हो गयी होगी। 1992 से लेकर 2012 तक उसमें कोई प्रयास नहीं किया गया, सभापति महोदय, कि सीमेंट उद्योग को चलवाया जाए। इसमें जितने भी कर्मचारी थे, इसमें जो लेबर थी, आज वो भूखे मर रही है। उनकी तरफ किसी का ध्यान गया? तीन साल के अन्दर कोई प्रयास इस सरकार ने नहीं किया। वो भी प्रोपर्टी को खुर्द-बुर्द करने की एक साजिश है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया और जीडीसीएल का उसमें से अधिकार खतम कर दिया। परन्तु उसने मेरे खयाल से डबल बेंच में एक अपील अटका रखी है जिससे डिले हो जाए। अगर सरकार चाहेगी, सरकार अपना नुमाइंदा खड़ा करेगी तो निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। एक बहुत बड़ी यूनिट है जहां बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है।

मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ हुई जब मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि हमने बहुत तो इंजीनियरिंग कालेज खोल दिये, बहुत हमने पालीटैक्निक कालेज खोल दिये, हमने आईटीआईज हर कस्बे में छोटे-छोटे हमारे तहसील हैडक्वार्टर्स पर खोल दिये, परन्तु आईटीआई करने के बाद और बी.टैक. करने के बाद इन बच्चों को कोई जाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस बात की कभी किसी ने चिन्ता की क्या? आप केवल भिवाड़ी का, नीमराना का, खुशखेड़ा का, टपूकड़ा, इन क्षेत्रों का ही निकलवा लीजिये, वहां जितने एम्प्लाइज काम कर रहे हैं उनमें राजस्थान के केवल सात परसेंट लोग हैं बाकी बाहर के लोग आकर काम कर रहे है। हमारे राजस्थान को क्या फायदा होगा? जब ये प्रोजैक्ट सब्मिट करते हैं, जब गवर्नमेंट के पास आते हैं तब तो बहुत बड़े-बड़े लम्बे ख्वाब दिखाते हैं कि पांच हजार लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा सीधा-सीधा और पन्द्रह हजार को इनडाइरेक्ट इससे फायदा मिलेगा। ये फायदा होगा, वो फायदा

(डा. दिगम्बर सिंह)

होगा और जब उनकी इण्डस्ट्रीज सैट अप हो जाती है तो सारी लेबर बाहर की, सारे कर्मचारी बाहर के, अपने राजस्थान के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं। तो कोई इस तरह का भी अपने को विचार करना चाहिए कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को इसमें रोजगार मिले और हमारे यहां की बेरोजगारी भी दूर हो।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा टैक्सटाइल का बहुत अच्छा स्थान है, कितनी यूनिट्स भीलवाड़ा के अन्दर लगी हुई हैं। गत सरकार के समय में एक टैक्सटाइल पार्क के लिए हमने व्यवस्था की थी, जमीन चिह्नित करके अलाटमेंट भी हो गया था। एक संस्था है बद्रीलाल सोनी चैरिटेबल ट्रस्ट संगम इंडिया लिमिटेड, इस पर स्टे लगवा रखा है। खुद इस संस्था को, इस कम्पनी को सरकार ने बहुत सस्ती दरों पर लैण्ड दी हुई है। जिस कम्पनी ने स्टे लगवा रखा है, उस कम्पनी को सरकार ने बहुत सस्ती दरों पर लैण्ड दी थी। भीलवाड़ा के इस टैक्सटाइल पार्क के लिए चालीस करोड़ रुपये सब्सिडी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आ चुकी है, इसके बावजूद भी टैक्सटाइल पार्क अभी तक वहां नहीं लग पा रहा है क्योंकि इसमें भी सरकार सो रही है, सरकार जागरूक नहीं है। सरकार इसमें अपना वकील खड़ा करे, इस स्टे को वेकेट कराना चाहिए और इसको डवलप कराना चाहिए।

मैं तो एक निवेदन और करना चाहूंगा कि राजस्थान में पचास करोड़ रुपये से ज्यादा कितने लोगों ने इन्वैस्ट किया। एक बार इन तीन साल का आप सर्वे करा लीजिये, उन्होंने क्या फैसेलिटीज मांगी और अपन ने कितनी प्रोवाइड कीं, कितनी नहीं कीं। भीलवाड़ा में जो स्माल यूनिट्स हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इक्विपमेंट्स हैं, स्माल इण्डस्ट्रीज में तो उन पर सब्सिडी है परन्तु जो बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं उनमें इसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है। आर.ओ. की कास्ट इतनी ज्यादा है कि उन इण्डस्ट्रीज पर बहुत बड़ा लोड इसका पड़ता है। अगर बड़ी इंडस्ट्रिज को भी इसमें सब्सिडी आप लागू कर दें तो मेरे ख्याल से काफी उनको प्रोत्साहन मिलेगा।

दूसरा जो भीलवाड़ा में कर रखा है, मैं ताज्जुब करता हूं, जाब वर्क कराने के लिए एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत यार्न को भेजते भी हैं तो पांच परसेंट की चुंगी। इस ग्राम पंचायत से उस ग्राम पंचायत में भेजने पर पांच परसेंट की चुंगी लगा रखी है। मंत्री महोदय ये चुंगी समाप्त कराएं क्योंकि

(डा. दिगम्बर सिंह)

गरीब लोगों को काम मिलता है और वो अपना जीवनयापन भी इससे कर सकते हैं। लेकिन इस चुंगी के कारण से वो इधर से उधर नहीं कर सकते।

दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि पोलीएस्टर विस्कोस जो ब्लैंडेड यार्न है, उस पर टैक्स है। इसमें चोरी का रास्ता खुला है। इसमें थोड़ी-सी काटन अगर मिला देंगे तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। सरकार कोशिश तो करती है चोरी को रोकने के लिए, परन्तु निश्चित रूप से इसमें चोरी के चांसेज बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। इसका भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी बीकानेर के अन्दर भी आप टैक्सटाइल पार्क की शुरूआत करने वाले थे। मुझे बड़ा दुःख हुआ, आज मैंने पढ़ा, 'फाइलों में अटका बीकानेर का टैक्सटाइल पार्क।' क्यों अटका, एक साल से प्रस्तावित है केवल एसपीवी नहीं बनने के कारण। एसपीवी उनको लगाना था। वो कहते हैं कि पहले आप अपना डवलपमेंट करो तो हम लगाएं और सरकार कहती है कि पहले आप एसपीवी लगाओ उसके बाद हम डवलपमेंट करें। एक साल से बीकानेर का टैक्सटाइल पार्क भी अधर में पड़ा है। इसकी भी मेरे ख्याल से सब्सिडी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आयी हुई है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आज हर शहर में जयपुर में इण्डस्ट्रीज का बहुत लोड हो गया, जोधपुर में बहुत लोड हो गया। तहसील हैडक्वार्टर्स पर अगर बिजली-पानी की प्रापर व्यवस्था हो जाए और अब नयी जो इण्डस्ट्री लगे उसको पैरीफेरी की तरफ शिफ्ट करें तो निश्चित रूप से राजस्थान का डवलपमेंट बढ़ेगा, राजस्थान का विकास होगा। वहां के लोगों को धन्धा मिलेगा तो उनका जीवन स्तर बहुत सुधरेगा। राजस्थान के अन्दर जमीन की कमी तो है नहीं, राजस्थान में जमीन तो बहुत है परन्तु पानी, सभापति महोदय,...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): डा. साहब, एक मिनट। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आठ बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय आठ बजे तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42, 43 व 13 पर विचार

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पानी की कमी है, बिजली की कमी है। बिजली के बारे में भाषण तो बहुत लम्बे-चौड़े सुने हमने कि हमने इतना उत्पादन बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर वास्तव में बिजली जितनी मिलनी चाहिए, मिल नहीं रही है। यहां पर व्यापारियों ने बिजली के लिए जबरदस्त आंदोलन किया, उद्योगपतियों ने आंदोलन किया। गांवों में किसानों ने जबरदस्त आंदोलन किया। पढ़ने वाले छात्रों को टाइम से बिजली मिल नहीं पायी। इसमें मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जैसे हमारे जैसलमेर जिला है, कल हमारे विधायक महोदय ने भी यह बात रखी थी। आज जैसलमेर का डवलपमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर पानी नहीं है। लेकिन वहां पर जो बहुत अच्छे प्रोजैक्ट्स लगे हैं उनसे निश्चित रूप से काफी बिजली पैदा होने लगी है। लाइमस्टोन का जितना भण्डार जैसलमेर में है, अगर वहां पर सीमेंट इण्डस्ट्रीज लगाई जाएं तो निश्चित रूप से बहुत कारगर होगा और जैसलमेर जिले का वातावरण बदलेगा। परन्तु प्राब्लम यह है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा महंगा होगा जैसलमेर से अगर कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन होगा तो, क्योंकि बार्डर पर जैसलमेर है। तो वहां पर सरकार को निश्चित रूप से अट्रेक्टिव सब्सिडी देनी पड़ेगी। तब जाकर जैसलमेर की तरफ कुछ एन्टरप्रिन्योर्स जाएंगे। उनको एट पार रेट में भी अगर पड़ जाता है तो लोग लगा लेंगे। तो जैसलमेर जिले जो आज रेत के टीबे ही टीबे नजर आते हैं, उस जिले का भी विकास हो जाएगा। मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी जगह को आपको निश्चित रूप से तलाश करना चाहिए। मैंने पहले भी एक दिन सदन में कहा था जहां जरूरत है जमीन की, हमको उतनी ही जमीन लेनी चाहिए। कोशिश यह होनी चाहिए कि किसान की जो इर्रिगेटेड लैंड है, जो सिंचित भूमि है, जो वैल्युएबल लैंड है उसको हम न लेकर और ऐसी जमीन का अधिग्रहण कर लें जिससे बहुत ज्यादा पैदावार नहीं हो रही हो। परन्तु होता क्या है? किसान की बहुत वैल्युएबल लैंड को बहुत सस्ती दर पर खरीद कर, किसान को तो हम मार्केट रेट देते नहीं हैं, उसको हम एंटरपिन्योर को पकड़ा देते हैं कि यहां आप अपनी इंडस्ट्री लगाओ। और किसान थोडे दिन बाद सड़क पर आ जाता है क्योंकि उसको इतना ज्ञान कि मेरे पास 2 करोड रुपया एक साथ आ गया तो इसको मैं कहां लगाऊं कहां नहीं लगाऊं। दो गाडी लाकर खडी कर लेता है और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करके चार-पांच दिन

(डा. दिगम्बर सिंह)

में बिलकुल सड़क पर आ जाता है। उनके बच्चों के रोजगार को इसके साथ जोड़े। जैसा मैंने कहा, जोधपुर में बोरानाडा है, हीरखेड़ा, सालावास तहसील लूणी के हैं, इसमें निजी खातेदारी की 3151 बीघा 4 बिस्वा जमीन को रीको अधिग्रहण करना चाह रही है जिसमें धारा 4 इन्होंने लागू कर दी है। मुझे जानकार बहुत ताज्जुब हुआ कि अभी वहां पर करीब 8 लाख वर्ग मीटर जमीन रीको के पास खाली पड़ी है। उसे एंटरप्रिन्योर को नहीं देकर और जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। गत सरकार में 2005 में जब एक बार शुरूआत की थी उस समय भी सरकार ने इसको रोक दिया था, आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, फिर इस सरकार ने चालू किया है। मंत्री महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों की उपजाऊ जमीन का रीको अधिग्रहण नहीं करे, यह आप थोड़ी-सी व्यवस्था देख लें।

थोड़ी-सी बात मैं अपने जिले के बारे में भी करना चाहूंगा कि रीको से प्लाट तो सब लोगों ने ले लिये, 562 प्लाट तो अभी रीको ने भरतपुर में लिये हैं, सबसे ज्यादा लिये हैं। भरतपुर का दुर्भाग्य है कि भरतपुर में कोई इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट नहीं है। सभापति महोदय, मात्र तीन इण्डस्ट्री भरतपुर में थीं- एक सिमको थी, एक डालमिया डेयरी थी, एक जनरल इंजीनियर्स वर्क्स करके कलकत्ता फैक्टरी बोलते थे, वह थी। ये तीनों बंद हो गयीं, एक चालू हो गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि डालमिया डेयरी को चालू करवाएं। हमारे भरतपुर में दूध की कोई कमी नहीं है, डेयरी बहुत प्रोफिटेबल भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वहां प्रोफिटेबल नहीं हो सकती। एक बार आप प्रयास करें। वहां तो मेरे ख्याल से जिनकी भी वह इंडस्ट्री है, वे सारे सामान को खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं। हमने कोशिश की है, हमने सामान निकलने नहीं दिया है। यह वापस चालू हो, इसके लिये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यही हाल जनरल इंजीनियर्स वर्क्स का है। जब मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किया था तो एक बार तो उन्होंने साफ-सफाई की। जब सिमको चालू की तब जीईडब्ल्यू वाले भी आये और उन्होंने साफ-सफाई भी की, परन्तु उन्होंने अभी तक अपनी मैन्यूफैक्चरिंग चालू नहीं की है। एक बार आप प्रयास करें तो हमारी ये दो-तीन इंडस्ट्रीज रिवाइव हो जाएं। साथ-साथ भरतपुर का जीवन स्तर भी थोडा सुधरे, और लोगों का जीवन-यापन ढंग से हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझे पता था कि आप घंटी बजाने वाले हैं। मंत्री महोदय, जब आप इस डिमांड पर अपनी बात कहें तो निश्चित रूप से इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, हमें बोलने का मौका दिया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): राजस्थान के मुख्यमंत्री गरीब-अमीर सब लोगों के होते हैं, उनसे सभी जनता को मिलने का अधिकार भी होता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका बोलने वालों की सूची में नाम है। अभी आपका अंकित नहीं होगा, आपका बोलने वालों की सूची में नाम है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री सभापति: आप किस चीज को उठा रहे हैं? किस चीज को उठा रहे हैं आप? किस बात के ऊपर उठा रहे हो आप यह चीज?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप विराजिए। आप विराजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिए ।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजिए। विराजिए। अब आप विराज जाओ। अब आप विराज जाओ। आसन पांवों पर है, अब आप विराज जाओ। माननीय सदस्य, विराज जाइए। श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आसन पांवों पर आते ही आप सारे के सारे बैठ गये। सभापति महोदय, उद्योग, आबकारी और खनिज की मांग पर चर्चा हो रही है। मैं तीनों पर थोड़ा जल्दी-जल्दी बोलूंगा, मेरा गला खराब हो रहा है। मंत्रीजी, हमारे शासन को तीन वर्ष हो गये। हमारी तरफ से प्रयास अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है, आपकी मेहनत अच्छी है। पूरी सरकार राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है। आप सिंगल विंडो एक्ट लेकर आये, आपकी मंशा अच्छी थी, आपकी सोच अच्छी थी। पूरी सरकार का यह प्रयास रहा कि एक ही विंडो पर कोई भी उद्योगपति आए तो उसका बिना परेशानी के काम हो सके। प्रदेश में उद्योग लगें, उससे लोगों को रोजगार मिले, राजस्थान की सरकार के पास पैसा आए और राजस्थान प्रगति के रास्ते पर बढ़े। इन तीन वर्षों में रिजल्ट भी नजर आये, इसमें कोई दो राय नहीं। राजस्थान में कुल घाटा कम हुआ, सरकार की आय भी बढ़ी, उद्योग धंधे भी बढ़े, राजस्थान में बड़े-बड़े बिजनसमैन आने भी लगे।

लेकिन, मंत्रीजी, इसमें तय करना पड़ेगा। आजकल न्यायपालिका खुलकर किसी भी मामले में आगे बढ़कर जितना जल्दी फैसला करती है उसमें न्यायपालिका को यह सोचना नहीं पड़ता कि क्या होगा या नहीं होगा, उसमें विधायिका को ध्यान देना पड़ेगा। न्यायपालिका का जब कोई भी आदेश आता है तो पास्ट से क्या चल रहा है, फ्यूचर के लिए आए, तब तक तो ठीक है, सरकार कोई भी नई पालिसी लाती है तो फ्यूचर से लागू करती है, कभी भी पास्ट से लागू नहीं होता कि भूतकाल में जाकर लागू कर दें कि दस साल पहले से इतना टैक्स लगेगा। यह करेंगे तो हंगामा हो जाएगा। न्यायपालिका डिसीजन दे देती है कि, साहब, पोल्यूशन फैल रहा है इसलिए राजस्थान की इतनी औद्योगिक इकाइयों को बंद कर दिया जाए। सुबह-शाम मजदूर को रोटी चाहिए, जो आदमी फैक्टरी में काम कर रहा है उसके बच्चों की चिंता राजस्थान की सरकार को करनी पड़ेगी। आज बालोतरा में फैक्टरियां बंद हो गईं, हंगामा हो गया। मजदूर भूखा मर रहा है, आंदोलन हो रहा है। वह कह

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

रहा है, मेरे बच्चों का पेट भरो, मुझे रोटी चाहिए। हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और कह दिया कि बंद कर दिया जाए। क्या पोल्यूशन पहले नहीं था? हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया बजरी नहीं खोदोगे, मौके पर कौन गया, किसने जाकर देखा कि क्या नुकसान हो रहा है? यह प्रकृति है, वहां जाकर देखों आप, खड्डे नहीं मिलेंगे ज्यादा आपको। अचानक सब कुछ रूक गया। विधायिका को यह फैसला करना पड़ेगा, सरकारों को, कि जितना फास्ट आप डिसीजन लोगे, उतना राजस्थान की प्रगति चलती रहेगी, नहीं तो प्रगति रूक जाएगी। बालोतरा में फैक्टरियां बंद हुई, हजारों मजदूर आमने-सामने खड़े हैं, पुलिस और मजदूर आमने-सामने खड़े है, क्या किया? हमने मंत्रीजी, आपको सदन में बताना चाहिये कि हम यह करने जा रहे हैं कि हमने अब तक यह किया और कि हम मजदूर को भूखा नहीं मरने देंगे। यह हमारी मारल ड्यूटी है। आज बालोतरा हुआ है, कल जयपुर होगा, परसों जोधपुर होगा फिर बीकानेर होगा, फिर पूरा राजस्थान होगा। हाई कोर्ट तो कह देगा राजस्थान में कहीं भी उद्योग धंधे नहीं चल सकते, आप स्वीकार कर लोगे? हाई कोर्ट में कोई भी डिसीजन आता, फ्यूचर से आता कि आने वाले समय में जो भी फैक्टरी लगेगी, उसको इन नार्म्स के आधार पर ही परमिशन दी जाए, सरकार ऐसा करें। जयपुर मैटल फैक्टरी बंद पड़ी है। पिछली सरकार ने जो पाप किया उस पाप के कारण जयपुर मैटल फैक्टरी का मजदूर आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है। मैंने खुद जयपुर मैटल फैक्टरी का आंदोलन चलाया, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे पिछली सरकार में। मैं खुद लड़ा। इन्होंने तीन बार इनको पैसा दिया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं खुलकर कह रहा हूं, शपथपूर्वक कह रहा हूं जीनस के साथ लेन-देन हुआ। अन्याय हुआ, जयपुर मैटल फैक्टरी के मजदूर का गला कट गया। पुरानी राजस्थान की सरकार की बद्दुआ लगेगी कि इस बात को लेकर आपने जीनस से समझौता किया। उस वक्त मैं गया मजदूरों के बीच में, मजदूरों ने कहा कि हम भूखों मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इस फैक्टरी को बीजेपी की सरकार जीनस वालों को दे रही है, हमें 80 करोड़ रुपये मिलेंगे। मैंने कहा कि कम है, बोले कम ही आवे लेकिन हमें रोटी चाहिए, आप प्लीज मत बोलो। मैंने प्रेस कांफ्रेस की, मैंने कहा, सिर्फ 80 करोड़ ही देने हैं तो इन मजदूरों को एक साथ दो, धोखा मत करो। वहां मजदूरों के बीच में बीजेपी के नेता गये, जाकर उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी है जहां मेरे खुद के डायरेक्टर जीते हुए थे, उनको सबको विश्वास में लिया। मैं चुप रहा और इन्होंने कोआपरेटिव सोसाइटी से डिसीजन करवाया।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

उनमें से एक डायरेक्टर जो भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ था, उसको बहाल किया गया और फिर कोआपरेटिव सोसाइटी से समझौता हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कोआपरेटिव सोसाइटी और जीनस तीनों ने मिलकर समझौता किया और यह तय हुआ कि जीनस मजदूरों को 80 करोड़ रुपये बांटेगी और यह फैक्ट्री जीनस के पास चली जाएगी । बड़ा खेल हुआ, ठीक है, जीनस ने क्या किया, सरकार में बैठे हुए लोगों ने क्या किया लेकिन, मंत्रीजी उन लोगों ने जो पाप किया, लेन-देन हुआ, उसका मतलब यह नहीं है कि जयपुर मैटल का कितना ही मजदूर चुका है। आज वह मजदूर भूखा मर रहा है। अगर पिछली सरकार ने गलती की है जांच भी कराओ, आपकी इच्छा हो तो कराओ। उस समझौते को तोड़ना है तो तोड़ो। कोर्ट में अटक गया मामला। जीनस ने पैसे दिये नहीं। क्योंकि समझौता इस ढंग से किया गया था कि जयपुर मैटल के मजदूर को कुछ मिला ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, सरकार जन कल्याणकारी होती है। आपकी-हमारी डयूटी बनती है, जयपुर मैटल के मजदूर को किसी भी फण्ड से हम लगभग 6 महीने की तनख्वाह दें। मैटल फैक्टरी को बेचना है आप बेचो, रखना है रखो, जीनस से बात करनी है करो, पुरानी सरकार को सज़ा देनी है दो, लेकिन जयपुर मैटल फैक्ट्री के मजदूर को उसका अधिकार दो। आज वह भूखा मर रहा है उसको रोटी चाहिए, उसको अपना अधिकार चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। यह करना हमारी डयूटी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर मैटल फैक्टरी मजदूर टकटकी लगाकर देख रहा है। पहले बीजेपी राज में धोखा हुआ, गड़बड़ हो गई, लेकिन अब इस राज में तो सुधार कर दो। मैं फिर कह रहा हूं, उद्योगों के मामले में नीयत और काम हमारा अच्छा है। बालोतरा का उदाहरण पूरे राजस्थान में फैले, उससे पहले कोई ऐसा बिल लाओ जैसे 90-बी को खतम करके 90-ए लाये। लेकिन उद्योगों पर संकट नहीं आना चाहिए, ये राजस्थान के विकास के आधार हैं। यदि संकट आ गया, मजदूर को संकट आ गया। राजस्थान की फैक्टरियों में लाखों मजदूर काम कर रहे हैं, लाखों मजदूर बजरी निकाल रहे हैं, लाखों मजदूर कंकरीट पीस रहे हैं, लाखों मजदूर पत्थर निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं पर्यावरण सुरक्षित रहे, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। शाम की रोटी चाहिए, मजदूर चटनी से रोटी खाकर, कांदे से रोटी खाकर, छाछ के साथ रोटी खाकर घर का पेट भर रहा है, उस मजदूर का कल क्या होगा? अपनी डयूटी है, उस डयूटी से हम पीछे नहीं हट सकते।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

मैं आपसे कहूंगा, एक तीसरा काम, मंत्रीजी और करो, धर्म का काम है। राजस्थान में जयपुर में, अकेले जयपुर में ऐसी फैक्टरियां हैं जिनको सरकार ने जमीन दी थी 100 बीघा और काबिज हो गए 600 बीघा पर। वे जंवाई नहीं लगते सरकारों के। बड़े धन्ना सेठ हैं। जयपुर में ऐसे उद्योग समूह है जिनकी जमीनें खाली पड़ी हैं, उन्होंने कुछ नहीं बना रखा और काबिज होकर बैठे हैं उद्योग के नाम पर। कोई डंडा नहीं बना रखा, असत्य ऊपर से अपना आवरण दिखाकर बैठे हैं। वे जमीनें वापस सरकार ले लें। अकेले जयपुर में कम से कम 10 हजार करोड़ की जमीने ऐसी है जहां पर बड़े उद्योग समूह कब्जा करके बैठे हैं। उनमें सबसे बड़ा उद्योग समूह है एनबीसी जिसको आज के 30-40 वर्षों पहले जमीन मिली थी। कुछ कम और आज भी सरकारी रिकार्ड में वह जमीन, ऐसे डाक्यूमेंट मैं दे दूंगा, टेबल कर दूंगा, जो जमीन सरकारी है, जहां उसकी फैक्टरी का धुआं नहीं निकलता है। वे बढ़े जा रहे हैं। यह हमारी ड्यूटी है, हम वे जमीनें निकालें। वह सरकार की प्रोपर्टी है, राजस्थान की जनता की प्रोपर्टी है, उस प्रोपर्टी को लेकर राजस्थान के विकास में लगाएं।

एक बात आई खनिज की, खनिज के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि यह जो खनिज नीति आई है, सभापतिजी, यह राजस्थान का खजाना भरेगी। इस सरकार को, गहलोत सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। पहली बार बड़ी हिम्मत का काम हुआ है। क्योंकि पहले बंदरबांट होती थी। पूरे देश में कहीं कोयला खा रहे हैं, कहीं पत्थर खा रहे हैं, कहीं मिट्टी खा रहे हैं। लेकिन सब खा रहे हैं। पहली सरकार है जिसने खनिज नीति लागू की। इस गहलोत सरकार ने फैसला किया कि अब खानों का आबंटन नहीं होगा, नीलामी होगी। जब नीलामी होगी तो खुली बोली में खानों की रेटें बढ़ेंगी। खुलेआम इतना पैसा आएगा जिसका आप अंदाज नहीं कर सकते हैं। मैंने खुद अभी देखा, चार खानों की नीलामी हुई, खूब पैसा आया। इसमें एक काम आप कर सकते हैं। एक खनिज माफिया है, गैंग है राजस्थान में जो न बी.जे.पी. से डरती है, न कांग्रेस से। वह खनिज माफिया राजस्थान के विकास को रोक रहा है। वह एक गैंग है, उन्होंने कर्मचारी रखे हुए हैं आफिसों में। वह हजारों खानों के एरिया को देखकर वहां एप्लीकेशन लगा देती है। खनिज नीति तो आ गयी लेकिन उसमें एक गड़बड़ हो गयी। जिस एरिया की पहले से किसी ने एप्लीकेशन लगा रखी है, उसकी नीलामी नहीं होगी। मजा तब आए जब इसी सदन में यह फैसला हो, ध्वनि मत से, कि खानों के आबंटन की पुरानी जो एप्लीकेशन लगाई है उनको भी यह सदन खारिज करता है, उनकी भी नीलामी होगी। तब

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जाकर मजा आएगा और ईमानदारी का संदेश जाएगा। मंत्रीजी, आप देखिये, अभी भी हम यह कर सकते हैं, उसमें अलग ही मजा आएगा। इतना पैसा मिलेगा, आज भी बीकानेर में राजवी साहब को भी पता है, भाटी साहब को भी पता है, एक ऐसा बैल्ट है जहां शायद जिप्सम या क्या निकलता है, मुझे पता नहीं, वहां जबरदस्त खनन हो रहा है, कई बार राजवी साहब, भाटी साहब बोल चुके हैं। मुझे भी किसी ने बताया, वहां एक माफिया खड़ा हो गया है। सरकार ने हालांकि काफी गार्डस वहां लगा रखे हैं लेकिन वह ऐसा बैल्ट है कि यदि उस बैल्ट को खुले आम बोली में किसी भी तरीके से सरकार किसी को दे दे, पैसों से, तो कम से कम अवैध खनन तो बंद हो। खनिज डिपार्टमेंट हमको इतना पैसा दे सकता है कि सरकार को और कहीं से पैसे की जरुरत ही नहीं है। उस खनिज डिपार्टमेंट को और सरकार को यह खनिज नीति लगने के बाद बच्चा-बच्चा दुआ देता है। कई काम ऐसे होते हैं जो सदियां बनाती हैं, यह खनिज नीति सदियों तक लोग याद रखेंगे। यह काम कर देंगे मैटल का बालोतरा वाला, तो कहीं पर न्यायपालिका रुकेगी। उनको भी लगेगा कि विधायिका जाग गयी, लोगों की रोटी पर संकट आ रहा है। तो लोग सदियों तक हमको याद करेंगे। मैं आज कह रहा हूं, इस खनिज नीति पर सारा राजस्थान गर्व करता है। पढ़ा-लिखा नौजवान, वह देखता है, इस सरकार के मन में कुछ बात है, कि यह राजस्थान को आगे ले जाना चाहती है। पैसा आएगा कहां से? यहीं से आएगा और वह पैसा लोग देने को तैयार बैठे हैं। आज भी राजस्थान के पास खनिज के नाम पर इतना है कि राजस्थान की सरकार और पूरे लोग मिलकर भी इसको सम्भाल नहीं सकते। लेकिन उसके लिये पूरा प्लान करने की जरूरत है कि आखिर इस खनिज क्षेत्र को हम किस ढंग से प्लान करें कि राजस्थान को पावर देने में, पैसा देने में, ताकत देने में यह एक आधार बन जाए। प्रापर प्लानिंग हो।

मैं जानता हूं कि हमारी सरकार की अच्छी नीयत का परिणाम है कि हम आये, आते ही दारू की दुकानों का समय आठ बजे तक कर दिया। लोगों में बहुत बड़ा संदेश गया, लोग बड़े खुश हुए। बच्चा जब वहां जाता था तो 12 बजे तक दुकान खुली रहती थी। यह पीने वाला तो हुआ कि नहीं हुआ पर उसकी पत्नी दुआ दे रही है अशोकजी गहलोत को, राजस्थान सरकार को, इस बात के लिये कि जो दो पव्वे पीता था, वे एक पीने के बाद दुकान बंद हो गयी। दुबारा लेने जाए तो दुकानदार ब्लैक में बेचने वाला है। वह दस रुपये ज्यादा मांगे तो कहता है कल ही पी लूंगा। पीना कम कर दिया। आठ बजे

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

दुकान बंद हो गयी, वहां नहीं मिली। पुलिस वाले खड़े हैं तो उसने उस दिन नहीं पी। दुकान का समय सुबह स्कूल खुलने के बाद बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद दुकान खुलती है। पहले पांच बजे खोल लेते थे, अब दस बजे खुलती है। जब सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद दुकान खुलती है। इसमें सरकार का कुछ गया नहीं। लेकिन इससे सरकार की मंशा स्पष्ट होती है कि हम लड़ना चाहते हैं। आज मैं मानता हूं, दो नम्बर की दारू जितनी बिकती थी वह बहुत कम हो गयी। सबसे अच्छा काम तो यह हुआ कि जो हथकढ़ शराब थी, वह बहुत कम हुई है। लोगों में अवेयरनैस भी आई है। यह इसका भी कारण है। एक लोगों के पास पैसा भी बहुत आ गया तो निकाले कौन? खरीद कर ही पी लेते हैं लोग। निकालने के झगड़े में नहीं पड़ते। पहले पैसा नहीं था, हाथ से निकालते थे। कानून सख्त हो गया। पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। बेल नहीं होती दारू निकालने वाले की। गाड़ी में दारू लेकर जाता है वह गाड़ी छूटती नहीं है। कानून सख्त हो गया। यह जो कानून की सख्ती है वह इन दो नम्बर का काम करने वालों को सही सबक देगी। माननीय मंत्रीजी, इसमें एक बात जरूर कहता हूं। अभी हमने दारू की दुकान का समय बढ़ाया, अच्छी बात है। लोग बेरोजगार हैं। दुकान अलग-अलग नीलाम करते हैं उससे नो-डाउट लोगों को रोजगार मिलता है। बड़े शराब माफिया कम हुए, उसका फायदा मिला। पहले एक ही शराब माफिया पूरी डिस्ट्रिक्ट के ठेके ले लेता था। चाहे जैसे करता था, गुण्डगर्दी बढ़ती थी। रेड पार्टीज थीं। पता चलता था, रेड पार्टी ने अटैक कर दिया। आमने-सामने झगड़े हुए, गोलियां चलीं, मर गये। एक-एक दुकान हो गयी, अलग-अलग रोजगार मिला। बीच में यह बात उठी कि आपकी सरकार ने दो वर्षों के लिये ठेके बढ़ा दिये। इसमें इस सरकार की नीयत खराब नहीं है। नीयत तो आपकी सही थी कि इनको दो साल के लिये बढ़ा दें, इतने परसेंट बढ़ा कर लोगों को दे दें। वह तो राज़ी हो गये। लेकिन चार्ज लगे। ऐसे में मैं कहूंगा, ट्रांसपेरेंसी के लिये, हमें जब इस तरह का टाइम आए तो उनका टाइम नहीं बढाना चाहिए। हमें पैसा सौ-दो सौ करोड़ रुपये ज्यादा मिल रहा है खुली बोली में। जनता भी यदि यही चाहती है, एक तरफ तो मैं मानता हूं, एक जो छोटा-सा दुकानदार है वह नाराज होता है, कि मेरी दुकान का टाइम बढ़ जाता, मैं पैसे दे देता। मेरे वे भी जानकार हैं। मैंने कहा, यह गलत हो गया हमारी सरकार से। वे बोले, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो, कमाकर खाने दो। हमारी तो एक ही दुकान है। कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम दस जनों ने मिलकर एक दुकान ली है। कई लोग ऐसे हैं जो एक दुकान

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

के लिये दो सौ फार्म एक साथ डालते हैं, फिर भी नहीं आती। कई दुकान वाले ऐसे हैं, एक दुकान के लिये एक ही फार्म डालते हैं और वह दुकान ले आते हैं। इसमें फायदा तो लोगों को हो रहा है। लेकिन इस आबकारी में यह बड़ा काम है। यह हमको बहुत बड़ा पैसा देती है। सरकार किसी की भी हो, सरकार को पैसा आता है। खजाना भरता है आबकारी से। दारू से पैसा सारी सरकारें बनाती हैं। कोई सरकार आ जाए। जब पैसा कमाने का टाइम आता है तब कहते हैं, 'दारू-दारू'। वैसे किसी से बात कर लो, दारू के नाम से ही चिढ़ते हैं। शाम को मैंने देखा दारु की दुकान पर, जैसे कोई गोबिन्द देवजी के मंदिर में प्रसाद बंट रहा हो, आठ बजने में 4-5 मिनट होते हैं, उससे पहले आप बाजार की कोई दुकान देख लो, पैसे हाथ में, गिन नहीं रहा है, भीड़ लग रही है, धक्के लग रहे हैं। मैंने कहा, यह गजब, खुले में गरीब, अमीर, मीडियम क्लास, सब खड़े हैं लाइन में। सब दारू ले रहे हैं। प्रसाद की तरह वहां पर भीड़ लगी हुई है। मैं आज कह रहा हूं, आबकारी से राजस्थान की सरकार को इसमें सबसे बड़ा रेवेन्यू मिल रहा है। जनता ही रेवेन्यू दे रही है। मुझे कई बार लगता है, मैं खुलकर कहता हूं, लोग जो भाषण देते हैं, बड़े-बड़े फंक्शन हो रहे हैं, उसमें भाषण दे रहे हैं, दारु नहीं पीनी चाहिए। जो दारू पीता है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(17.00 बजे)

बस मैं खतम कर रहा हूं। वह बिलकुल गलत काम करता है। जो भाषण दे, शाम को वही दारू पी रहा है। मैं कहूं, यह काम ठीक है। सुबह भाषण और शाम को दारू।

यह काम ठीक है। यह जो आबकारी का मामला है, यह बड़ा स्पेशल और सैंसिटिव है लेकिन हम इसमें इतना-सा ध्यान रखें। नो-डाउट कि आबकारी में हमको पैसा ज्यादा मिला है। हमने कमाई भी बढ़ाई है और आबकारी में दिन-प्रतिदिन सरकार का फायदा भी बढ़ रहा है। इससे प्रदेश का विकास भी बढ़ रहा है। खनिज में, उद्योग में, सब जगह हम आगे बढ़े हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि खनिज, उद्योग, आबकारी में सरकार के काम-काज में कोई कमी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन हमारा जबरदस्त होना चाहिए। हम जो पालिसी लागू करें, उसको चैक करने के लिए, मैंने कल भी कहा था जलदाय मंत्रीजी को, 32 डिस्ट्रिक्ट्स में जाओ, जयपुर में भी बैठो, बी.जे.पी., कांग्रेस के विधायकों को भी बुलाओ, सब अधिकारियों को बुलाओ और बुलाकर टाइम तय करो, 45 दिन

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

का टाइम दो कि ये बजट में सरकार ने प्रावधान किये हैं। 45 दिन में रिजल्ट चाहिए।

उद्योग मंत्रीजी, खनिज मंत्रीजी, आबकारी मंत्रीजी, आप भी तय कीजिए पालिसी, 32 दिन का टाइम तय कीजिए क्योंकि आप आपके विधान सभा क्षेत्र के ही मंत्री नहीं हैं। सारे मंत्री पूरे राजस्थान के मंत्री हैं। सिर्फ कांग्रेस के मंत्री हम नहीं हैं, हम सबके मंत्री हैं। पता चलना चाहिए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का। जो बजट में आपके इन तीनों विभागों में प्रावधान किये गये हैं, वे प्रावधान लागू हों। उसके लिए आप सबकी मीटिंग बुलाओ और जो आपका आदेश नहीं माने उसको रवानगी दो। लोगों को टाइम बाउंड करो। इस बार, मंत्रीजी, उद्योग के मामले में टाइम बाउंड करो। डेढ़ महीने से ज्यादा का टाइम मत देना। टाइम ज्यादा दे दिया तो उद्योग-धंधे खराब हो जाएंगे। खानों के मामले में ज्यादा टाइम मत दो। मैं विश्वास करता हूं कि जो पालिसी सरकार ने लागू की है उसको लागू करवाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस विभाग के मंत्री की है। फिर भी काम नहीं हो तो वे मुख्य मंत्रीजी से बात करें। और फिर भी नहीं हो तो वे हमें बता दें, सारे एम.एल.ए. खड़े हैं, हमको इलाज करना आता है। आप हमको बता देना, हम सब आपके साथ हैं। पूरा प्रदेश आपके साथ है। सरकार का काम अच्छा है, नीयत अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है और मुझे भरोसा है कि जिस विश्वास के साथ यह सरकार आगे बढ़ रही है, वह प्रदेश को विकास के रास्ते में आगे लेकर जाएगी और प्रदेश दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज हम उद्योग, खनिज और आबकारी पर चर्चा कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उद्योग पर अपनी बात प्रारम्भ करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट का भाषण पढ़ा उसमें मात्र डेढ़ पेज का, डेढ़ पेज भी नहीं, डेढ़ पेज से भी कम, एक पेज का ही उद्योग का सारा चैप्टर रखा है।

उद्योग किसी भी प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होता है। जैसे हमारा देश कृषि प्रधान है, कृषि भी एक उद्योग है। परन्तु जो वर्तमान में उद्योग हैं- आई.टी. से लेकर सब तरह के, सिंथेटिक, टैक्सटाइल्स, सीमेंट, इंजीनियरिंग, इत्यादि-इत्यादि इन सबको कितना महत्व दिया है। पूरा बजट जो इनका

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

उद्योग का है, हमारा सौभाग्य मैं इसको कहूंगा, अच्छी बात है, कि पूरा अलवर को ही समर्पित किया है। बाकी राजस्थान को, 32 जिलों को वे भूल गये। हम 32 जिलों के साथ भी न्याय करना चाहते हैं लेकिन अलवर को ही पूरी तरह से समर्पित किया है। लेकिन अलवर में भी क्या दिया है, यह देखने लायक बात है। वस्त्र उद्योग में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। टपूकड़ा-अलवर में विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में 250 एकड़ भूमि पर उन्होंने रेडीमेड वस्त्रों के निर्माण का कहा है और यह भी कहा है बजट में कि 36 हजार श्रमिकों को प्रत्यक्ष और 56 हजार व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अब यह 250 एकड़ की बजाए अगर ढाई-तीन हजार एकड़ भूमि होती तो शायद 25 हजार, 30 हजार लोगों को रोजगार मिलता। यह बिलकुल अकल्पनीय है, क्योंकि मैं उद्योगों से और श्रमिकों से जुड़ा रहा हूं। 20 वर्ष मैं लेबर लीडर रहा हूं, ट्रेड यूनियंस का रहा हूं, अतः यह कपोल-कल्पित है। वह भी 850 करोड़, वह भी वस्त्र प्रदर्शनी का हवाला भी दिया है, यह बिलकुल अकल्पनीय है। वैसे गालिब ने एक शेर लिखा है कि- 'यूं तो जानते हैं जन्नत की सब हकीकत, पर दिल बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है।' टपूकड़ा वालों ने मेरे से पूछा कि, ज्ञानदेवजी, यह क्या रहेगा। तो मैंने कहा कि यह काल्पनिक बात है और यह आने वाले दो-ढाई वर्ष तक भी प्रैक्टिकल होने वाला नहीं है।

एक आटो-हब का हवाला उन्होंने दिया कि राजस्थान देश में आटो-हब के रूप में उभर रहा है। वर्तमान में बड़ी उत्पादन इकाइयां जैसे होण्डा सीएल कार, होण्डा मोटर साइकिल व स्कूटर, अशोका लेलैण्ड और आयशर- मुझे बड़ा आश्चर्य है, यहां पर उद्योग से जुड़े हुए सारे अधिकारी, रीको के भी, आर.एफ.सी. के भी, उद्योग विभाग के भी बैठे हैं। कितना असत्य यह प्रपत्र, यह बजट का एक पेज का चैप्टर है। आयशर को अलवर में, राजस्थान में लगे हुए 40 वर्ष हो गये, माननीय सभापति महोदय, उसका हवाला अब दे रहे हैं जैसे यह गहलोत साहब ने लगवाया हो, इस सरकार ने लगवाया हो। और लेलैण्ड को लगे हुए 30 वर्ष हो गये, माननीय सभापति महोदय। अशोका लेलैण्ड जो है, उसमें कोई उत्पादन नहीं होता है, यह मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, और मंत्रीजी को भी कि वहां पर कोई उत्पादन नहीं होता है, सिर्फ पुर्ज़े ही आते हैं तमिलनाडु से, चेन्नई से उत्पादित होकर। वहां पर तो सिर्फ असेम्बलिंग होता है। होण्डा सीएल का जो हवाला दिया है, सारे उद्योग के अधिकारी बैठे हैं और आपको भी पता है कि

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

माननीय वसुन्धराजी के समय वहां पर प्रारम्भ हुआ। उस समय स्कूटर-मोटर साइकिल का था, बाद में कार का विस्तार हुआ क्योंकि कोई भी इण्डस्ट्री एक साथ प्रारम्भ नहीं होती, उसका एक्सपांशन होता है। बाद में होण्डा सीएल का हवाला उन्होंने दिया है।

जापानी निवेशकों का हवाला भी उन्होंने नीमराना का दिया है। जापानी निवेशकों को भी माननीय वसुन्धराजी ने, तत्कालीन लोकप्रिय मुख्य मंत्री एवं वर्तमान में प्रतिपक्ष की नेता ने बुलाया था। उसके बाद उन्होंने अब नया कहा है, इस प्रगति से प्रेरित होकर रीको औद्योगिक क्षेत्र घीलोट, घीलोट एक गांव है बहरोड़ का, अलवर जिले में, वहां पर 500 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यह कह रहे हैं मुख्य मंत्रीजी बजट में। लेकिन रीको का प्रतिवेदन कहता है, कितना आपस में विरोधाभास है, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी तो कह रहे हैं 500 एकड़ और रीको के प्रतिवेदन में है, 1851 एकड़ में यह विकसित किया जाएगा। यानी, दोनों के प्रतिवेदन, रीको का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का बजट उसमें कितना विरोधाभास है।

अलवर के अलावा, माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने सिर्फ थोड़ा-बहुत जोड़ने के लिए दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारिडोर परियोजना के अन्तर्गत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना में लघु, यह तो अलवर का है ही, तथा जोधपुर-पाली-मारवाड़ क्षेत्र में वृहत नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड इन्वैस्टमेंट जोन स्थापित किये जाएंगे, यह कहा है। सब अधिकारीगण बैठे हैं, सदन को मैं बताना चाहता हूं, कोई भी बड़ा उद्योगपति हो राजस्थान का या देश का, अलवर का जो बैल्ट है हमारा, अलवर के 18 इण्डस्ट्रियल एरिया हैं, मैं पूरा हवाला देना चाहता हूं-भिवाड़ी, चौपानकी, खुशखेड़ा, मटिरा, टपूकड़ा, तिजारा, नीमराना, शाहजहांपुर, बहरोड़, घीलोट, खैरथल, खैरड़ी, थानागाजी, राजगढ़, मत्स्य इण्डस्ट्रियल एरिया यानी, एम.आई,ए., बार्डर डिस्ट्रिक्ट अलवर और किशनगढ़, ये जो 18 इण्डस्ट्रियल एरिया हैं, यहां पर लोग उद्योग लगाना चाहते हैं। चाहे दुनिया के उद्योगपति हों और चाहे राजस्थान के हों या देश के। पहली बात तो गुजरात में जो तरक्की हुई है इस सम्बन्ध में, उस तरक्की को आप कर नहीं रहे हैं।

आपने कहा सिंगल विंडो। ब्यूरो आफ इंवैस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान उद्योग भवन की ओर से है और इसमें सिंगल विंडो के लिए हवाला दिया है। वर्तमान में हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य हैं सदन में, माननीय सभापति

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

महोदय, आप भी उस समय थे जब पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी थे गहलोत साहब, उस समय भी उन्होंने सिंगल विंडो का हवाला दिया था, लेकिन सक्सेस नहीं हुए थे। एक भी इंडस्ट्री सिंगल विंडो के नाम पर नहीं आई थी तब भी। मैंने तब भी मजाक में कहा था कि क्या करेगा सिंगल विंडो, भिंडी और टिंडो। यह भिंडी और टिंडो को लेकर आप कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, गुजरात के माडल को जब तक आप नहीं लेंगे।

भले ही आप माननीय नरेन्द्र मोदीजी को अपना विरोधी बताते हों, लेकिन उनसे आपको माडल लेना पड़ेगा। यह जो वी.आई.पी. है, वैसे तो इसका सोसायटी एक्ट में हुआ है, लेकिन सोसायटीज एक्ट में बड़े-बड़े आई ए एस और अधिकारी बैठते हैं। नोडल एजेन्सी माह जनवरी, 2000 के अन्तर्गत एकल खिड़की योजना से, इसमें यह बताया गया है, लगभग रुपये 14,429 करोड़ के कुल 232 प्रस्ताव हुए। माने प्रस्ताव आये हैं, लगे नहीं हैं। लगा नहीं है कोई भी, और लगेगा भी नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं। क्योंकि उद्योग कैसे लगता है, उसकी बारीकियों से मैं जुड़ा रहा हूं। इसमें करीब 3,599 करोड़ के 67 प्रस्ताव स्वीकृत किये जा चुके हैं। आप स्वीकृत कर दें तो भी कोई उद्योगपति आप पर भरोसा नहीं करता। इसके अतिरिक्त एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत गठित राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति के द्वारा पांच बैठकों में 27,913 करोड़ के निवेश के 13 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं। अनुमोदित कर दें, प्रस्ताव पास कर लें, प्रस्ताव आप बोर्ड में ले लें, लेकिन इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह पूरी तरह से फेल है जब तक आप इसको गुजरात के माडल पर नहीं लेंगे।

मैं इससे आगे कहना चाहता हूं। दिल्ली-मुम्बई कारिडोर का जो हवाला दिया, वह पहले मैं बोल चुका हूं आपके बीच में। माननीय सभापति महोदय, आज तीन डिमाण्ड रखी हैं, तीन डिमाण्ड में उद्योग सबसे पहले है। उद्योग में आपने जो हवाला दिया है, रीको के ही इस प्रतिवेदन में है कि 31 दिसम्बर, 2011 तक अन्य पुराने औद्योगिक क्षेत्र, 323 तो रीको के द्वारा नये औद्योगिक क्षेत्र इस समय चल रहे हैं और 153 पुराने हैं जो तिलहन, दलहन या ग्वार गम पर आधारित हैं। वर्ष 2010-11 में निगम को 291 करोड़ का लाभ हुआ। यह लाभ वैसा ही है जैसे कोई सज्जन जा रहे थे, उनकी जेब पर किसी ने झपट्टा मारा और 100 का नोट छीनकर भागा। वह भागा और वह उसके पीछे भागा। भागते-भागते बाल बिखर गये, धूल-मिट्टी में हो गया, पसीने में हो

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

गया। माननीय सभापति महोदय, जब उसने पकड़ो-पकड़ो कहा तो लोगों ने उसे पकड़ लिया और उससे 100 रुपये वापस ले लिये। जब वह अपने दोस्तों में आया, आकर कहने लगा आज मेरी 100 रुपये की लाटरी निकल गयी है। यह कौन से 100 रुपये की लाटरी निकली? 100 रुपये की लाटरी तो खुद की थी। यह 291 करोड़ का जो हवाला दिया है, यह वैसे ही बेवकूफ बनाने वाली बात है। इसी प्रकार से कुछ और आंकड़े दो वर्षों के दिये हैं। जो दिसम्बर तक दिये हैं, पहले 704 करोड़ और अब दिया इस वर्ष दिसम्बर तक का 566 करोड़, शायद जनवरी, फरवरी, मार्च का और गिनेंगे, लेकिन ये सब धोखा देने वाली बातें हैं। रीको जमीन बेच रहा है उसको 291 करोड़ का लाभ हुआ है, यह सोचने की बात है।

एक बात, जो सबसे दु:खद मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, वह यह है कि उद्योग में सिर्फ पूंजी काम नहीं करती, उद्योग में सिर्फ मशीनें काम नहीं करतीं, उद्योग में श्रमिक भी काम करता है। उस श्रमिक का आज पूरे बजट के दौरान, उस पर कोई डिमाण्ड नहीं रखी गयी है, अतः मुझे उद्योग के साथ ही बोलना पड़ेगा। कुल 24 एक्ट हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 से लेकर, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 है, फैक्टरीज एक्ट, 1948 है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 है, मातृत्व हित लाभ अधिनियम, 1961 है, उपादान उपभोक्ता अधिनियम, 1972 है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948 है, कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 है, भवन एवं निर्माण है। अब भवन का भी हवाला दिया है कि आप ढाई परसेंट डवलपर्स का, बिल्डर्स का काट रहे हैं। तो क्यों बेवकूफ बना रहे हो कि हम श्रमिकों को साइकिल दे रहे हैं और यह कल्याण कर रहे हैं? उन्हीं का पैसा आप उनको दे रहे हैं। आप राजस्थान सरकार की ओर से एक रुपया भी नहीं दे रहे हैं, जो भवन का टैक्स आप काट रहे हैं। इसी प्रकार से आगे सारे एक्ट हैं-असंगठित श्रमिक का सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 2008 है, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 है, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 है, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 है, बीड़ी-सिगरेट का है, बाल श्रमिकों का 1986 है, ठेका श्रमिकों का 1970 है। ये सारे 24 कानून हैं, इनमें से एक की भी पालना आप कह दें तो बताइये। मैं 1993 तक लेबर लीडर था, 1993 में मुझे भारतीय जनता पार्टी का रामगढ़ से टिकट मिला। उस समय तक 90 परसेंट श्रमिक परमानेंट था और इन 24 एक्ट में से करीब सब लागू थे, कुछ एक्ट बाद में हुए हैं। आज फैक्टरीज एक्ट का उल्लंघन है, आई डी एक्ट का उल्लंघन है। आज सारे कानूनों का उल्लंघन है। वहां श्रमिक दु:ख

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, पहले क्या था, पहले यह था कि कोई भी उद्योगपति बिड़ला, टाटा, मोदी, मोरारका, तापड़िया, कांकड़िया, कोई भी उद्योग लगाता था तो साथ में अपनी कालोनी भी बनाता था और कालोनी के साथ में श्रम कल्याण केन्द्र भी बनाता था। आज रीको के औद्योगिक क्षेत्र खुल गये हैं, वहां इंडस्ट्रीज लग रही हैं। रीको की ओर से कोई मजदूरों की चिन्ता नहीं करता। आज वहां कोई श्रम कल्याण केन्द्र नहीं हैं, वहां कोई कालोनी नहीं है। आज मजदूर बेचारा जैसे भिवाड़ी है, भिवाड़ी में भारी किराये पर, दो-दो, तीन-तीन हजार रुपये किराये पर कमरा लेते हैं। वहां एक लाख से ज्यादा मजदूर हैं। हालांकि यह लेबर डिपार्टमेंट का जो प्रतिवेदन है, उसमें तो पूरे प्रदेश में 70 हजार समथिंग उसकी पूरी गिनती गिनायी गयी है। लेकिन वहां दुर्भाग्य क्या है? आज से 20 साल पहले 90 परसेंट श्रमिक परमानेंट था, 10 परसेंट टेम्प्रेरी था, लेकिन अधिकारियों के षड्यन्त्र के कारण, आई.ए.एस. महोदय की योजना के कारण इसमें अब क्या हुआ कि 90 परसेंट ठेकेदार लेबर हो गया और 10 परसेंट परमानेंट हुआ है। ऐसे में आप इंडस्ट्रीज का हित चाहते हैं? आप इंडस्ट्रीज का हित कैसा चाहते हैं? मैं भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र के लिये कुछ सुझाव भी दूंगा। ये कुछ अख़बार हैं, इसमें है कैसे रोकेंगे प्रदूषण। भिवाड़ी में प्रदूषण का, पर्यावरण का आफिस ही बन्द है। आप बताइये, कैसे इंडस्ट्रीज को आप वहां बढ़ाना चाहते हैं? सिर्फ बजट में एक पेज देकर समस्या का नहीं हुआ समाधान, शीतल और चरगाहों में दूषित पानी बढ़ने से परेशान, कोई ट्रीटमेंट प्लांट वहां पर नहीं है। कई गांव औद्योगीकरण की कीमत चुका रहे हैं। यह भी इसी से जुडा हुआ है। बंजर होती वसुन्धरा, कारखानों का गंदा पानी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सारे अख़बार वहां रोज लिखते हैं। इतना ही नहीं है, माननीय सभापति महोदय, यह जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर कितनी भारी समस्या है लॉ एण्ड आर्डर की। आये दिन वहां हत्याएं, उद्योगपतियों का, उद्योगपतियों के परिवार का अपहरण होता है, वहां पर इंडस्ट्रीज में लूटपाट होती है, वहां पर पूरी की पूरी फैक्टरी का सामान चोरी हो जाता है। पहले चौकी थी, फिर थाना हुआ, दो थाने हुए, तीन थाने हुए, एडिशनल एस.पी. है, डी.एस.पी. है, लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं। उद्योगों की जो स्थिति है, वह बहुत दयनीय है।

मैं उद्योगपतियों के लिये भी कुछ सुझाव दूंगा, आप उसमें से उनको स्वीकार करें। राजस्थान के महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर में कोई रेल सुविधा नहीं है। यानि आज वर्ल्ड का, राजस्थान का नहीं, पूरे वर्ल्ड का भिवाड़ी, खुशखेड़ा,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

चौपानकी और उससे लगा हुआ एरिया नीमराणा, शाहजहांपुर, इसमें रेल नहीं है। अब मैट्रो रेल दिल्ली से, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी इसके बारे में क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा चिन्तन करने की बात है। ये सुझाव हैं मेरे, आपको अच्छे लगें तो आप लीजिये। नहीं लगें तो कोई बात नहीं। लेकिन उद्योगों को पनपने के लिये, उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिये मेरे सुझाव हैं। दिल्ली से गुड़गांवां, मानेसर तक मैट्रो रेल आ रही है, उसको आगे भिवाड़ी और नीमराणा से जोड़ दिया जाए, तो मैट्रो रेल का बहुत बड़ा फायदा होगा। भिवाड़ी में रेल सुविधा और खास तौर पर औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए इंडस्ट्रियल रेलवे लाइन डाली जाए। यानि जहां-जहां सीमेंट फैक्टरियां हैं, जहां बड़े इंजीनियरिंग उद्योग हैं, वहां रेलवे लाइन ठेठ अन्दर तक जाती है और रेल के वैगन भरकर आते हैं। यहां पर भी ऐसा हो, यहां पर भी कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। ट्रकों से यातायात में दो-दो घंटे जाम लगता है। आप में से कोई भी जाता हो, चाहे कोई माननीय सदस्य, मंत्रीजी या अधिकारी जाते हों, मानेसर से आगे बड़ा जाम लगता है। ऐसी व्यवस्था में कैसे वहां उद्योगपति पनपेंगे, उद्योग पनपेंगे? माननीय सभापति महोदय, भिवाड़ी से मानेसर सिर्फ 20 किलोमीटर है, ट्वेंटी किलोमीटर्स ओनली, मैट्रो रेल अगर वहां तक आती है तो बहुत बड़ा लाभ होगा। एक लाख से अधिक लोग प्रति दिन आते और जाते हैं। कई बार बहुत बड़े एक्सीडेंट भी होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भिवाड़ी, खुशखेड़ा इत्यादि-इत्यादि औद्योगिक क्षेत्रों के लिये वहां पर शिक्षण संस्थाओं का भी अभाव है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, अभी तो माइन्स के बारे में भी बोलना है, मैं तो बहुत कम बोलता हूं। आप बाकी को एक-एक घंटा दे देते हैं, कृपा करें मेरे ऊपर। माइन्स के और आबकारी के बारे में और बोलना है।

श्री सभापति: थोड़ा जल्दी-जल्दी करो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप कृपा करें। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का स्टाफ एक लाख से ज्यादा दिल्ली नियमित आता-जाता है, यह भी आपको निवेदन करना चाहता हूं। इसी प्रकार से भिवाड़ी एवं खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र का एनएच-8 से फ्लाई ओवर एवं सड़क लिंक रोड बनता है तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। कृपा करके यह भी नोट करें, माननीय मंत्री महोदय को

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

निवेदन करना चाहता हूं। भिवाड़ी मोड़ 2 से एनएच-8 तक फ्लाई ओवर निर्माण हेतु मास्टर प्लान एनसीआर, हमारा अलवर एनसीआर में है, एनसीआर में हमारे यहां से टैक्स भी जाता है लेकिन हमारे टैक्स का हिस्सा माननीय मुख्य मंत्रीजी, उद्योग मंत्री और राजस्थान सरकार ला नहीं पाती जिससे एनसीआर का लाभ हो।

इसी प्रकार से और भी बहुत सारे सुझाव हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। समय कम है इसलिए उनको मैं संक्षेप में कह रहा हूं। सभापति महोदय बन्द उद्योगों के बारे में कहा। जयपुर मैटल जो बन्द हुई, माननीय प्रताप सिंहजी खाचरियावास चले गये, उनकी कृपा से हुई। और एक समीर सिंहजी आईएएस थे, वह यहां नहीं हैं, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मुझे मजबूर होना पडा, उनकी कृपा से बन्द हुई। बस इतना ही कहना चाहूंगा। क्या कारण रहा? राजस्थान में आज लगभग 27 प्रतिशत उद्योग बन्द हैं। रुग्ण हैं या बन्द हैं। उनमें से सिमको, भरतपुर, जीईडब्ल्यू, भरतपुर, डालमिया डेयरी, भरतपुर है, माडर्न सिंटेक, माडर्न सूटिंग अलवर है। बड़े उद्योग गिना रहा हूं मैं। जयपुर सिंटेक बहरोड़ है। इसी प्रकार जयपुर मैटल, जयपुर है। ऐसे 27 प्रतिशत उद्योग बन्द हैं। अकेले अलवर में तीन सौ से ज्यादा रजिस्टर्ड उद्योग बन्द हैं। सभापति महोदय, इन सब रुग्ण मिलों को चालू करवाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, इस बारे में भी मंत्री महोदय सोचें। बाकी जगह टपूकडा, भिवाड़ी वगैरह में भी कुछ उद्योग बन्द हैं। इस पर मैं और आगे नहीं कहना चाहता।

सभापति महोदय, यह बीआईपी का प्रतिवेदन, उद्योग का या आगे बढ़कर रीको का, आरएफसी का, इनके बारे में खुलासा और करना था लेकिन समय कम है इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा।

सभापति महोदय, मैं माइन्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में अवैध खनन का बोलबाला बहुत ज्यादा है जिसमें से मैं समझता हूं कि पचास प्रतिशत से ज्यादा तो मेरे अलवर और भरतपुर में है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को मुझे पत्र लिखना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश को लिखे मेरे पत्रों के कारण कार्यवाही हुई, मैं यह नहीं कहता, मैं यह असत्य दावा नहीं करता लेकिन कार्यवाही हुई है। रोजाना कार्यवाही हो रही है। खान और भू-विज्ञान विभाग में मनमानी हुई है, धांधली हुई है। पूर्व कलक्टर के बारे में हमारे बनवारी लालजी सिंघल ने कहा। अलवर में रहते हुए, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने अपने जाति बन्धुओं को,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

लोग भला करते हैं अपने लोगों का, लेकिन इस ढंग से नहीं कि अन्धा बांटे रेबड़ी, और रेबड़ी नहीं लड्डू और लड्डू नहीं रसगुल्ले, रसगुल्ले नहीं चमचम और चमचम से ऊपर कोई मिठाई है तो वह, अपने स्वजाति बन्धुओं को दे, वहां अलाट कर दिया। वैध और अवैध रूप से अलाटमेंट हो गया। वह हमारे माननीय सदस्यों और अधिकारियों सबको पता है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी क्या पोजिशन है, आप यह देखिए। आज ही अख़बार में दिया है, पहले भी आया था कि अवैध खनन रोकने हेतु पुख्ता इन्तजाम नहीं हुए। इसी प्रकार से समाचार पत्र तो खूब लिखते हैं। अवैध खनन का लाइसेंस कहां पर है? भिवाड़ी, खुशखेड़ा, नीमराना इसी बैल्ट में है। अवैध खनन का लाइसेंस कह रहा हूं मैं। पांच हजार डम्पर चल रहे हैं। डम्पर से वहां सड़कों पर रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। लगभग साढ़े चार हजार लोग या तो घायल हुए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे डम्पर बने यमदूत, ऐसा अखबारों में आता है। इतना ही नहीं है, आज ही अख़बार में आया है कि अवैध खनन पर लगाम नहीं लगा। इसी प्रकार से आज के पत्रिका और दैनिक भास्कर दोनों में आया है कि हाई कोर्ट के मना करने के बाद भी, यहां पर कोई कहता है कि विधान सभा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, विधायिका ऊपर है लेकिन प्रकृति को बर्बाद मत करो, पर्यावरण को बर्बाद मत करो। मैं पहला आदमी जिसने यह कहा अलवर में, कि सरिस्का का रास्ता बन्द होना चाहिए। हमारे एक माननीय सदस्य नाराज हुए। वहां की जनता भी नाराज हुई। लोग बोले कि आप जनता को नाराज मत करो। मैंने कहा कि मैं जनता के साथ हूं लेकिन जनता चौरासी लाख योनियों में से एक योनि है। सरिस्का में 300-350 टाइगर थे, वहां हिरण थे, चीतल थे, सांभर थे, पता नहीं कैसे-कैसे जीव जन्तु थे, सबका खात्मा कर दिया। इम्पोर्टेड टाइगर वहां लाकर रखे गये। माइन्स का अवैध खनन, पेड़ों की अवैध कटाई और कुछ नहीं करता पर्यावरण विभाग। सभापति महोदय, जहां अवैध खनन से अरबों खरबों रुपया और रायल्टी हमारी जा रही है, वहां एक खनन है जो वैध है लेकिन उसको जबरदस्ती सरकार ने व्यक्ति रूप से या किसी कारण से रोका हुआ है। आवेदित खनन पट्टा वास्ते चेजा पत्थर निकट ग्राम मांडला तहसील रामगढ़, मेरे क्षेत्र का है, अलवर 366/09 एवं 367/09, यह आबंटन है। उक्त आवेदन क्षेत्र वन भूमि से मुक्त है। फोरेस्ट वाले आपत्ति करते हैं वह क्षेत्र सौ मीटर से नीचे का है। उसके लिए पर्यावरण विभाग ने अनुमति दे दी। पर्यावरण ने अनुमति दे दी, फोरेस्ट ने अनुमति दे दी, माइन्स ने अनुमति दे दी लेकिन

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)
उक्त पट्टे को जबरदस्ती रोका हुआ है और अवैध खनन के लिए लगातार कार्यवाही हो रही है। यह है 366/09 और 367/09, यह सारा ऐसा प्रकरण है कि जिसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। आज बहुत भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही थी, मैं चुपचाप सुन रहा था। इस भ्रष्टाचार की बू को और इस पट्टे को जारी किया जाए क्योंकि यह लीगल है, मेरे क्षेत्र में है।

मैं इल्लीगल काम के लिए कभी नहीं कहता क्योंकि मैं तो उनमें से हूं नो डार्लिंग नो डीयर, नो एग नो बीयर, नो स्मोक, नो चीयर। पत्नी के अलावा प्रेमिका नहीं, चमचा और कुत्ता नहीं, अण्डा, मीट, मछली नहीं, पान-सुपारी–जर्दा नहीं, बीड़ी और सिगरेट नहीं, बीयर और शराब नहीं, चुर्री और गुटखा नहीं, काफी और चाय नहीं, खामख्वाह की हाय नहीं, ठण्डा और फण्डा नहीं। मैं सुपारी तक नहीं खाता। जीवन में शुद्ध सात्विक हूं। इसलिए मैंने कहा कि सरिस्का का रास्ता बन्द होना चाहिए। माइन्स के रहते हुए और अवैध खनन के रहते हुए...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम अप करो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): दो मिनट और। अभी तो यह बहुत बड़ा है। आज मैं बहुत सामग्री लाया हूं। सूचियां हैं कितने बड़े मिनरल्स हैं राजस्थान में। कुछ मिनरल्स तो जिंक और जस्ते जैसा, अभ्रक जैसा, ये सब तो नम्बर एक पर हैं। कुछ ऐसे हैं जो 90 प्रतिशत हैं। ऐसे सभी माइन्स को किस प्रकार से बरबाद किया जा रहा है। अवैध खनन हो रहा है, यह मैं बताना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं आपकी घंटी का स्वागत करता हूं। श्रीमान्, दो मिनट। आखिरी दो मिनट आबकारी के बारे में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। श्री मदन प्रजापत। आबकारी आपका विषय ही नहीं, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, आबकारी के बारे में मेरा यह कहना है कि आपकी यदि हिम्मत है तो, मैंने पहले भी कहा था कि आप आठ बजे तक शराब की दुकानें क्यों खोल रहे हैं? मुख्य मंत्रीजी, गांधीवादी हो, जयप्रकाशवादी हो, सर्वोदयवादी हो, खादी पहनते हो, ईमानदारी दिखाते हो तो फिर आप कम्पलीट शराब पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाते हो? क्यों दो साल के लिए पट्टे बढ़ा दिये? आपने शराब के ठेकेदारों को क्यों दो साल के लिए अनुमति दे दी? आप बताइये? राजस्थान सरकार इस बात का जवाब दे। मैं कहना चाहता हूं कि तम्बाकू, गुटखा और जर्दे पर आपने टैक्स

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बढ़ाया, किसलिए टैक्स बढ़ाया? मध्य प्रदेश में प्रतिबन्ध लगा दिया, आप भी प्रतिबन्ध लगाइये। टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं? आप इसके बारे में चिन्तन करें। माइन्स और शराब माफियाओं की मिलीभगत है। सारे मिले हुए हैं इसलिए इस पर प्रतिबन्ध लगाएं तो उपकार होगा। राजस्थान का कल्याण होगा। आपका, मेरा, सदन में बैठे सभी का होगा। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा)ः सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42, 43 और 13 जो उद्योग, खनिज और आबकारी से जुड़ी हुई हैं, के सम्बन्ध में मैं भी चर्चा में भाग ले रहा हूं। उद्योग से बेरोजगार को रोजगार मिलता है और प्रदेश की प्रगति होती है। माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी की भावना है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगें, अपना प्रदेश प्रगति करे, इसी कड़ी में माननीय मंत्री पारीक साहब जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं।

साथ ही उद्योग से जुडी हुई समस्या के सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं कि बालोतरा कपड़े के मामले में वस्त्र इकाई के मामले में विशाल औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन आज बालोतरा में ढाई महीने से उद्योग एकदम बन्द हैं। हम भी मानते हैं कि इसमें सरकार का कसूर नहीं। एक ही जबाव मिलता है कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हम भी हाई कोर्ट के निर्णय की इज्जत करते हैं, लेकिन बड़ा दुःख होता है कि ढाई महीने से दो जून की रोटी एक लाख गरीब, बेरोजगार मजदूर को नहीं मिली। इतना बड़ा व्यापार, सात हजार करोड़ का सालाना टर्न ओवर है। उन व्यापारियों के ऊपर 1500 करोड़ का बैंकों का कर्ज है, इतना बड़ा प्रभाव। और दो महीनों से जनता कण्ट्रोल में है, कि, भाई, हाई कोर्ट ने रोक लगायी है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देता हूं कि वो मेहनत कर रहे हैं, जब भी हाई कोर्ट में जज साहब बैठेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि लगभग पूरी बात जानकारी में अधिकारियों के भी है लेकिन हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, इस बात का हमें दुःख होता है। सेम धंधा पाली में है, सेम धंध जोधपुर में है और सेम धंधा सांगानेर में भी है, अगर वहां उन इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित पानी से अगर कोई खराब नहीं होता है, सभापति महोदय, तो बालोतरा से औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला पानी कोई अलग नहीं है।

(श्री मदन प्रजापत)

आज बालोतरा में औद्योगिक क्षेत्र है, ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगे हुए हैं और बाकी जगह में, हम विरोध नहीं करते हैं लेकिन न तो प्लाण्ट है, न औद्योगिक क्षेत्र है, उसके उपरान्त भी वहां चलते हैं। हम चाहते हैं सब जगह उद्योग चलें, सब को रोजगार मिले। हमारा विरोध नहीं है लेकिन आज इस उद्योग के मामले में मैं निवेदन करता हूं कि जो भी प्रक्रिया है वह सभी अधिकारी और मंत्रीजी की जानकारी में है और हमें पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि जज साहब बैठेंगे।

सरकार की तरफ से, दो मांग मैं निवेदन करता हूं कि आज शपथ पत्र दिया जाए कि जो भी हाई कोर्ट निर्देश करेगा उसकी बालोतरा के व्यापारी पालना करेंगे। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, पालना के उपरान्त एकदम रोक लगाना, इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि आज आम मजदूर घर पर बैठ गया है, उनके लिए कोई रोजगार नहीं। व्यापारी के तो लम्बा फर्क पड़ेगा लेकिन लम्बे समय से पड़ेगा, माननीय सभापति महोदय, मजदूर के तो हाथों-हाथ प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सरकार शपथ पत्र दे, जो भी पालना में राय ली गयी है, प्रदूषण विभाग से भी विचार-विमर्श हुआ है कि हमें सालभर का समय दिया जाए ताकि रोजगार शुरू हो सके। वहां की जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आज दो महीने के बाद में भी बिलकुल कण्ट्रोल में है। जनता को सरकार के ऊपर विश्वास है, माननीय मंत्रीजी के ऊपर भरोसा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के ऊपर भरोसा है, तभी दो महीनों से जनता आज शांत बैठी हुई है। अगर समय रहते यह निर्णय नहीं हुआ तो जनता को कण्ट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, हजारों औद्योगिक इकाइयां हैं।

हमें इस बात की खुशी है कि कपड़े का उद्योग जो पूरे राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है, इतनी बड़ी मात्रा में रंगाई-छपाई का उद्योग राजस्थान में और कहीं नहीं है। हमें इस बात की खुशी है। एक मिसाल है कि उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि कल ही उद्योग विभाग सरकारी वकील को अपने दो लाइन का शपथ पत्र देगा। जमीन की जो हमने मांग की है, वो बाड़मेर जिला कलक्टर से फाइल आ गयी है या आने वाली है, उनको भी औद्योगिक हित को देखते हुए लीज के ऊपर दी जाए। ये दो बालोतरा उद्योग के सम्बन्ध में हमारी मांगें हैं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी हमारी मांग है कि पावर लूम अगर स्थापित किये जाएं तो और भी रोजगार बढ़ सकता है। हिन्दुस्तान के साउथ क्षेत्र में चाहे मालेगांव हो चाहे और भी त्रिचूर वगैरह सूती कपड़ा ग्रे आता है और उसके बाद में तैयार होकर हिन्दुस्तान और विश्व में जाता है। अगर यहां

(श्री मदन प्रजापत)

लूम्स लगते हैं तो बाहर से आने की जरूरत नहीं है। ये लूम तभी सक्सैस हो सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार और अन्य सरकारें बिजली में रियायत देती हैं, मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि मजदूर और उद्योग के हित को देखते हुए पावर लूम स्थापित करने के लिए जमीन और बिजली में कुछ रियायत की जाए तो पावर लूम स्थापित हो सकते हैं, व्यापार का दायरा और बढ़ सकता है। माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, आपकी मेहनत से और आपकी लगन से हमें विश्वास है कि राजस्थान उद्योग में हण्ड्रेड परसेंट प्रगति करेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा आपकी मेहनत के कारण। और भी आपने जो निर्णय लिये हैं वे उद्योगों के हित में हैं।

माननीय सभापति महोदय, तीसरा, हमारा नमक उद्योग है, अंग्रेजों के शासन में महारानी विक्टोरिया के समय में। इतिहास गवाह है, पचपदरा का नमक पूरे विश्व में जिस क्वालिटी का नमक है। चाहे गांधी धाम हो, अन्य और भी हो, डली में नमक या बाकी जो पैटर्न हैं उनमें नमक सूखने के बाद नमक बनता है और हमारे वहां पुराने पैटर्न पर पानी के अन्दर नमक जम जाता है। इस क्वालिटी का नमक और कहीं नहीं मिलता। आज से 150 साल पहले दो ट्रेजरार पचपदरा साल्ट में बैठते थे, आज धंधा नहीं के बराबर रह गया है। आपने मजदूरों के हित में और नमक उद्योग के लिए जो फैसले लिये हैं, इस बात का मैं आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। लेकिन नमक उत्पाद के लिए मेजर मात्रा में दायरा बढ़ाया जाए। उनकी सड़कों का मामला है या पीने के पानी का मामला है, इस मामले में अगर निर्णय करें तो उनको राहत मिलेगी। पुराना पचपदरा का नमक उद्योग और पनपेगा और नमक के मामले में ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व की सरकार के समय, जो वसुन्धराजी की सरकार थी उसमें आम नमक उत्पादकों की मांग थी कि कम रायल्टी इनकम है इसके लिए स्टाफ नहीं पोसाता है। तो चाहे आर.एफ.सी. या उद्योग विभाग के अन्दर दे दें, हम नियमानुसार वहां जमा करा देंगे। यही तो रायल्टी का मामला था। लेकिन स्टाफ हटाने की जगह 2007 में यह फैसला हो गया। हमें इस बात की खुशी है कि आज माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी प्रयास कर रहे हैं, बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित होगी और जब भी बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित होगी तो हजारों बीघा सरकारी लैण्ड, एक हजार नहीं कई हजारों बीघा जमीन सरकार के पास है, वो निर्णय वसुन्धराजी के समय राजस्व विभाग को देने का हो गया। मैं निवेदन करता हूं कि वो फैसला अगर लागू हो

(श्री मदन प्रजापत)

गया तो नमक क्षेत्र की जमीन जो अपने लैण्ड विभाग उपक्रम है उनकी निजी सम्पत्ति है, और वो राजस्व विभाग में दे दी गयी तो लोग वहां कब्जा कर लेंगे, जमीन खतम हो जाएगी। इसलिए सरकार के हित में है, आम जन के हित में है कि वो निर्णय हो। मुझे विश्वास है, अभी इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी से हम मिले थे, पचपदरा के जो निवासी हैं खारवाल जाती के, नमक उत्पादन करते हैं वो भी प्रतिनिधिमण्डल के रूप में आये थे, मंत्रीजी ने हमें विश्वास दिया कि बिलकुल, उपक्रम की जमीन उपक्रम के पास रहेगी और आपकी जमीन कहीं नहीं जाएगी। जो लीज आबंटित हैं वो तो अलग बात है। उनके अलावा और भी जो तमाम क्षेत्र हैं, वो सरकार और उपक्रम का निजी मामला है, सरकारी सम्पत्ति है। भविष्य में अगर सरकार के उद्योग के सम्बन्ध में कहीं जरूरत पड़े तो तीस-तीस हजार बीघा जमीन एक साथ में सरकार के पास बिना मुआवजा दिये, बिना पैसे दिये अगर मिल जाती है तो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, चौथा नम्बर मैं निवेदन करता हूं कि बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में तीन फेज पुराने आबंटित हैं, फोर्थ फेज में शहरी क्षेत्र में जो भी इकाइया थीं उनको शिफ्ट करने के लिए निर्णय हुआ था। लेकिन तीन साल हो गये, प्रक्रियाधीन है। किसानों को मुआवजा दे दिया गया है, लाटरियां निकाल दी गयीं, तय हो गया किसको देना है, जो दो सौ आवेदनकर्ता हैं। लेकिन फाइल नहीं होने की वजह से न वो व्यापारी अपना उद्योग शिफ्ट कर सकता है न अपना निर्णय ले सकता है। माननीय सभापति महोदय, नयी बात कुछ नहीं है, जिला कलक्टर, बाड़मेर के लेवल की जो कमेटी बनी हुई है उसमें उपखण्ड अधिकारी, व्यापारी, ट्रीटमेंट प्लाण्ट, ट्रस्ट वगैरह हैं, मेरा निवेदन है मंत्रीजी से कि उनका तुरन्त नियमन किया जाए जो भी नियम के अन्तर्गत हों, ताकि वो व्यापारी अपना उद्योग स्थापित करें और उद्योग की शुरूआत हो और बालोतरा के आम-अवाम और मजदूर को फायदा मिल सके।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, माननीय मंत्रीजी को और राजस्थान सरकार को कि रैगुलर मेहनत रिफाइनरी की मांग के लिए चल रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना के अनुरूप बाड़मेर जिले में रिफाइनरी की स्थापना होगी। जब रिफाइनरी लगेगी तो बाड़मेर ही नहीं, राजस्थान प्रगति

(श्री मदन प्रजापत)

करेगा, राजस्थान अग्रसर होगा, राजस्थान का विकास होगा। हमें विश्वास है कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोतजी जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमें 100 परसेंट सफलता हासिल होगी।

माननीय सभापतिजी, दूसरा आज उद्योग से जुडा हुआ मामला है, मैं शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के बारे में निवेदन करता हूं। और भी कई बोर्ड बने हुए हैं, हमें भरोसा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जल्द ही माटी-कला बोर्ड का गठन करेंगे। शिल्प एवं माटी कला पुरानी पुश्तैनी कला है, उस कला में चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने का मामला हो, चाहे मूर्ति का मामला हो, और भी जो है, मैं धन्यवाद देता हूं उन तमाम कलाकारों को और मेहनत करने वाले मजदूरों को। आज विज्ञान मान रहा है, अपने शास्त्र मान रहे हैं कि संसार में सबसे पहले आविष्कार किसी चीज का हुआ है तो पहिए और चाक का हुआ है। मिट्टी के बर्तन बनाने के मामले में मिट्टी कला बोर्ड का गठन होता है तो आज बढ़ती हुई आबादी को मिट्टी के मामले में, कच्चे मैटीरियल के मामले में कई तकलीफें जो आ रही हैं, चाहे लोनिंग का मामला हो, उन गरीब परिवारों और उस गरीब को जीवित रखने के लिए मैं निवेदन करता हूं माननीय मंत्री जी से कि शिल्प और कला बोर्ड जो सरकार का बना हुआ है, उस मामले में और बजट का प्रावधान करें ताकि उन कलाकारों और मजदूरों को राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आज हर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम करता है लेकिन नियम नियम होते हैं। बड़ा दुःख होता है कि नियम इस प्रकार के बने हुए हैं। प्रदूषण बोर्ड में नार्म्स हैं कि जो भी पानी है वह ट्रीट करने के बाद 2100 टी डी एस का होना चाहिए। जबकि नैचुरल पानी 15 हजार से 30 हजार, 25 हजार टी डी एस का है। बोरवैल कर दे तो 25 हजार जो ओरिजिनल पानी है, कौनसी हिन्दुस्तान में मशीन है जो वह 2100 हो जाएगा? नैचुरल पानी भी 2100 नहीं हो सकता है। फिर कलर और औद्योगिक इकाई में काम में लेने के बाद में यह कहते हैं कि ट्रीटमेंट प्लाण्ट आपका लगा हुआ है, इसमें जीरो डिस्चार्ज है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ सरकार रेन वाटर और रिसाव पर बजट दे रही है, पैसा खर्च कर रही है, अगर जीरो डिस्चार्ज और आर ओ प्लाण्ट का हो गया तो यह रिसाव होना बंद हो जाएगा। लूणी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, बाइस साल हो गये, नदी नहीं आयी। पानी नहीं आएगा और वह भी पानी पड़ा नहीं रहता है तो जीरो

(श्री मदन प्रजापत)

डिस्चार्ज और आर ओ हो गये तो जल स्रोत और रेन वाटर नहीं होगा, और भी एरिये में पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए नार्म्स में थोड़ा सुधार किया जाए। 2100 नैचुरल पानी है वह हम कर सकते हैं अगर कोई इंजीनियर राय दे कि ऐसी मशीन है, अधिकारी और हम कर सकते हैं तो हम उनको टेंडर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सम्भव चीज नहीं है और कागजों में यह नियम बन गया, इनकी वजह से आज बालोतरा उद्योग की हालत बड़ी दयनीय है। बड़ा दुःख है, आज आम आदमी बड़ा दुःखी हो रहा है। आज मजदूर दो जून की रोटी के लिए तड़पता है, माननीय मंत्रीजी, मैं पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप शपथ पत्र उद्योग विभाग और जो भी...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट का समय और निवेदन करता हूं, स्थान ग्रहण करता हूं।

प्रदूषण बोर्ड के अलावा दिल्ली-मुम्बई कारीडोर हो चाहे एकल खिड़की हो, माननीय मंत्रीजी, माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी, प्रयास कर रहे हैं। 100 परसेंट यह कारीडोर बना, राजस्थान के भाग्य का फैसला हो गया। राजस्थान इतनी प्रगति करेगा कि एक तरफ तो रिफाइनरी आ गयी और एक तरफ कारिडोर बन गया। तो मैं हकीकत में कह सकता हूं कि राजस्थान का नक्शा बदलेगा, राजस्थान अग्रसर श्रेणी में आएगा। हिन्दुस्तान में जो फैसले हो रहे हैं चाहे कर्मचारियों के हित के मामले में हो, जो भी सैण्ट्रल फैसला करता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी सेम दिन फैसला लेते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। आज भी जो बिल आया, कह रहे थे कि दो अलग राज्यों में हुए हैं, तो यह अपने आप में कम नहीं है। इनसे साफ जाहिर होता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना है। राजस्थान सरकार में मंत्री हों चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, उनका अपनी सम्पत्ति उजागर करना, एकदम खुली तस्वीर करना, शायद और कोई हिम्मत नहीं कर सकता, यह फैसला लेना अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, खनिज के सम्बन्ध में निवेदन है कि पचपदरा तहसील क्षेत्र में जो कर्णावटी एरिया कहलाता है, जो मंडली का एरिया है, उसमें बड़े तालाब हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था, खनिज से जुड़ा हुआ मैटर है, कि इतना बड़ा तालाब जिसका आगोर पांच हजार बीघा, चार हजार बीघा का, जैसा कि हिन्दुस्तान की अपनी विरासत है, पुरानी संस्कृति है। लोगों

(श्री मदन प्रजापत)

की एडवांस सोच थी, इस एडवांस सोच की वजह से आज अपने पास में पर्याप्त जमीन है और ऐसे तालाब हैं। तिरसिंगड़ी हो, चाहे मण्डली हो, चाहे गंगावास हो, आज दिन तक पानी कम नहीं पड़ा। चाहे तीन दिन अकाल पड़ जाए, उस तालाब में पानी कम नहीं पडा। पानी का जरिया अगर कोई है तो वह तालाब है। लेकिन बड़ा दुःख होता है, आगोर क्षेत्र में कागजों में गैर मुमकिन छोटी-छोटी कई पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में अधिकारियों को मना के बावजूद, आज मैं इस बात का माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि नीलामी और लाटरी के आधार पर लीज आबंटन का फैसला सरकार ने लिया

(17.47 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

है, लेकिन बाड़मेर ए एम ई बैक डेट में उन क्षेत्रों में लीज दे रहे हैं। हमने निवेदन कर दिया कि यह कैचमेंट एरिया कागजों में भले ही गैर मुमकिन है लेकिन वह आगोर क्षेत्र है, गैर मुमकिन पहाड़ियां नहीं हैं और पहाड़ियों के ऊपर लीज आबंटन हो गयी तो पानी की आवक बंद हो जाएगी। पानी की आवक बंद हो गयी तो हजारों लोगों के पीने का जो साधन है, वह नहीं रहेगा। जो भी लीज इन दो-तीन सालों में प्रक्रियाधीन है, नियम तो लाटरी का बन गया लेकिन फाइलें आज भी जारी हैं, मैं निवेदन करता हूं, इस प्रक्रिया में जो भी आबंटन हो गया है या होने वाला है या होने जा रहा है, उनकी जांच करवाकर उस तालाब आगोर क्षेत्र में है तो उनको तुरन्त निरस्त करावें। क्योंकि यह जल का मामला है, जल है तो भविष्य है, पानी के बिना कुछ नहीं है। माननीय मंत्रीजी की मंशा है, भावना है तो मण्डली एरिया, कर्णावटी तहसील में जो भी लीज तालाब और आगोर क्षेत्र में आबंटित हुई हैं, उनको निरस्त करें, आम जन के हित में होगा।

बार-बार यह बात आती है, लोगों की नजरों में तो कानून बनाने वाले बने हैं लेकिन बड़ा दुःख होता है, मैं विधायक होते हुए भी कह रहा हूं, कि बजरी के ऊपर रोक लगी। माननीय मंत्री महोदय, आज बजरी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि कोर्ट का मामला है, सरकार का नहीं है, लेकिन मजदूर जो काम पर जाता है, वह नहीं समझता कि कोर्ट क्या है, सरकार क्या है। उनकी नजरों में आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, एम ई साहब से बड़ा कोई है नहीं। उनमें गलत संदेश जाता है इसलिए इस प्रकार का सामूहिक निर्णय लें, बजरी के बिना सब काम रुक जाएंगे।

(श्री मदन प्रजापत)

बजरी के मामले में तो कोर्ट का मामला है, समय रहते अगर कुछ नहीं किया गया तो, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि दल से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर कानून बनाने वाले सर्वोपरि हैं, विधायिका सर्वोपरि है, इस मामले में ठोस निर्णय लें जो आम जनता के हित में हो। लोकतंत्र के जो चार स्तम्भ हैं, अपनी-अपनी जगह सब हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं, यह अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में इसके बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के मामले में विवाद की वजह से काम नहीं हो सके। आज कई जो कालेज हैं उस एरिये में, एक भवन में सात सात कालेज हैं। इस प्रकार की जांच करवाई जाए। माननीय सभापति महोदय, माननीय तिवाड़ीजी ने उस बात को कहा, सभी सदस्यों की भावना है तो मैं एक बात का निवेदन करता हूं। जब भी माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे, हमें विश्वास है कि सभी बातें बजट में लेंगे। हमारी भावना की कद्र की और इतना अच्छा शानदार बजट दिया है।

एम एल ए कोटा है वह एम पी कोटे के अनुपात से बहुत कम है। हमें पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि सर्वसम्मति से जब भी माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे, 5 और 1 का बहुत बड़ा अन्तर है, जो हमारा रेश्यो है वह उनके अनुकूल हो तो सबके हित में होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, आभार व्यक्त करता हूं। आज जो बिल के बारे में अच्छे सुझाव आये, समय नहीं है, मैं भी इस बात को समझता हूं लेकिन आज मैं यह कह सकता हूं यह क्रान्तिकारी कदम सरकार ने उठाया है। इससे भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगेगी, अंकुश लगेगा और बिलकुल कारगर यह साबित होगा।

सड़कों के ऊपर बात करते हैं, इनसे कानून नहीं बनता है। कानून बनाने वाले सर्वोपरि हैं, सदन सर्वोपरि है, चाहे लोक सभा है। रोड के ऊपर अगर अशोभनीय बातें कहें, अपराधी हम मानते हैं कि सभी एक प्रकार के नहीं होते...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें आप।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, भगवान राम के राज में भी रावण था। कृष्ण के टाइम में कंस और दुर्योधन थे। सदन में इस तरह की बात करना और रोड के ऊपर टोपी लगाकर रहना...

(श्री मदन प्रजापत)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो उन 10 लोगों से देश का शासन नहीं चल सकेगा। शासन तो चलाने वाले ही चलाएंगे। इसलिये सभी मिल-जुलकर मुकाबला करें। कई लोग कहते हैं हमने राजनीति में आकर गलती कर दी..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें अब आप। कृपया समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अब कह रहे हैं गलती नहीं की, ईमान से सेवा कर रहे हैं। कोई गलती का मामला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, कोई कह रहा कवि सम्मेलन में मत जाना क्योंकि नेता शब्द गाली बनता है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह चिन्ता का विषय है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं अगला नाम बोलने जा रहा हूं अब कृपया समाप्त कीजिये आप।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभी मिल-जुलकर विश्वास कायम करें। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: डा. जसवन्त सिंह यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सम्माननीय, मैं भी इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। वैसे तो जब से कांग्रेस की सरकार आयी, सारी समस्याओं का समाधान हो ही गया है। पर मेरे जिले की भिन्न स्थिति है, उसमें अभी समस्या है और शायद आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।

सभापति महोदय, और जिलों में तो जरूरत है, पर मेरा जिला अलवर इन तीनों मांगों से ग्रस्त है। तो मंत्री महोदय, मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चारों तरफ हर गांव बार्डर एरिया हरियाणा से है, उधर यू पी से है, इधर दिल्ली से बहुत नजदीक है, और आप जो 8 बजे शराब की बात करते हैं, इस बात में हमेशा ही मेरे तो विचार ही भिन्न हैं कि 8 बजे सरकार ने टाइम कर दिया, यह सरकार की उपलब्धि हो गयी। पर मेरे जिले में इसके निगेटिव पाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, अगर उन पर ध्यान दे सको तो जिले को बचाया जा सकता है। हरियाणा में ट्वेंटी फोर आवर्स शराब मिलती है, दिल्ली में मिलती है 11 बजे तक, यू पी में 24 घण्टा मिलती है, आपने 8 बजे तक का टाइम बांध दिया। अब जो आपने दुकानें अलाट कीं, ऐसा एक भी गांव नहीं है, यह न मैं आप पर एलीगेशन लगा रहा हूं, न आपके विभाग पर, पर यह

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

मेरा सजेशन सबका सजेशन है। ऐसा एक भी गांव नहीं है, जितनी दुकानें खोली हैं, आपने सरकारी अलाटमेंट जो किये हैं वे तो ज्यादा नहीं, पर हर गांव में इल्लीगल दुकानें खुली हुई हैं। दिन में तो राजस्थान की दुकानें कहलाती हैं और शाम को वे हरियाणा के ठेके बन जाते हैं। जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जो ब्राण्ड चाहें, वह हमारे यहां अलवर जिले में हर गांव में उपलब्ध है। हालांकि मिलती तो सभी जगह है, थोड़ा-सा पैसा ज्यादा लेते हैं। सबने अपने साइड से मोखले खोल रखे हैं। उनका एक सेल्समैन अन्दर ही सोता है, आराम से उसको जगा लो, जब चाहे ले लो। तो इस पर ध्यान दोगे।

भाई प्रताप सिंहजी चले गये, वह कह रहे थे कि वहां ठेकों के ऊपर अमीर भी खड़ा रहता है, गरीब भी खड़ा रहता है। गरीब ही खड़ा रहता है, अमीर तो क्यों खड़ा होगा? अमीर के लिये तो फाइव स्टार होटल भी, बार भी है, अच्छी-अच्छी और भी जगह हैं। वह तो गरीब आदमी ही खड़ा होता है और गरीब आदमी ही उसके बाद ठगा जाता है। तो आपसे निवेदन है कि या तो इस कानून को हटा दो। यह एक आपकी उपलब्धि मान रहे हो। आपसे बहुत एडवांस चाइना है, अमेरिका है, कनाडा है, यू एस ए है, इंग्लैण्ड है, इनमें 25 घण्टा दारू मिलती है,? कोई आज तक बरबाद नहीं हुआ।

हरियाणा में शराबबंदी हुई थी, नतीजा क्या निकला? आखिर खोलना पड़ा। 24 घण्टा नकली दारू बिकने लगी। गुजरात की बात चाहे कितनी ही कह लें, हो सकता है मेरे विरोध में भी यह बात जाए, पर वहां चाहे जो ब्राण्ड लो। नकली मिलती है इसलिये। इस बात पर ध्यान दें, अगर दे सकते हैं। और इससे आपका वोट नहीं बढ़ा। यह आपकी कल्पना है कि 8 बजे तक दी और हमारा वोट बढ़ गया। न तो वोट बढ़ा, लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान और हुआ। स्मगलिंग और हो गयी। क्राइम और बढ़ गया। आप किसी भी ठेके पर चले जाओ। हरियाणा में भी शराब मिलती है एक तरफ रखी हुई।

जो आप बात कहते थे कि हम पुनर्वास करेंगे अवैध शराब निकालने वालों का, कितनों का पुनर्वास कर पाये और कितनी शराबबंदी की? यह नवाब साहब बैठे हैं, मंत्री हैं यह तो, सबसे ज्यादा इन्हीं के गांवों में निकलती है.. (व्यवधान) कैसे नहीं निकलती है? चावण्डी में निकलती है, सब जगह निकलती है। मैं आपको गांवों के नाम बताऊं? आपको गांवों के नाम बताऊं... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बहुत गम्भीर आरोप है। कोई मिलीभगत से तो नहीं निकलती?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, नहीं, मिलीभगत की बात नहीं कर रहा। तो आपसे निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दें।

अब रही बात तो आप देखिये छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, इनमें बहुत प्रचुर मात्रा के अन्दर खनिज के भण्डार हैं और एक दुबई ले लो आप, इसके अन्दर रेत के अलावा कुछ नहीं था। पीने का पानी ही नहीं था। अपना कुआ भी नहीं था। आज दुबई तो बन गया विकास के मामले में रोल माडल और आपके झारखण्ड और ये बन गये नक्सलाइट क्षेत्र। वहां लोग जाते हुए भी घबराने लगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी जो पालिसी रही इन क्षेत्रों के अन्दर। बड़े-बड़े लोगों ने खानें ले लीं और स्थानीय लोगों को भागीदारी नहीं मिली। दुबई ने जब देखा कि उनका तेल खतम होने जा रहा है तो उन्होंने कहा कि और भी हमको धन्धे करने चाहिये। एक बात उनके दिमाग में बैठ गयी कि स्थानीय लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। वहां चाहे कितनी ही बड़ी इण्डस्ट्री लगे, कोई बड़े से बड़ा काम हो, स्थानीय लोगों की फिफ्टी वन परसेण्ट भागीदरी रही। इसलिये भी उनका डवलपमेंट तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ और इनके अन्दर इसलिये अराजकता फैल गयी कि वहां के स्थानीय लोगों की उसके अन्दर सहभागिता नहीं है।

इसी तरह आपके यहां हो रहा है। आप उद्योग लगाएं, उद्योग बिना क्षेत्र का डवलपमेंट नहीं हो सकता। उद्योग बिना स्टेट का विकास नहीं हो सकता। आप खूब अच्छी उनको सड़कें दें, बिजली दें, तुरन्त उनका काम करें, तुरन्त लोन दें। कम से कम इंस्पैक्टर राज करें। हर तरह की उनको सुविधा दें। वह आएगा, वातावरण बनेगा। बनिये को तो दो पैसे चाहिये। पूछा है देशी भाषा में कि, भाई, स्वर्ग में या नरक में जाओगे? बोला, मैं तो वहां जाऊंगा जहां दो पैसे मिलेंगे। अब अलवर जिला एक सैचुरेटेड पाइंट पर आ चुका है इण्डस्ट्री के मामले में। दिल्ली से लोग आते हैं उनके नजदीक पड़ता है, और वे इनवैस्ट करते हैं। पर यही अच्छा आप इन्सेंटिव और जिलों में देने लग गये तो वहां पहुंच जाएंगे। आप पीछे पड़े हुए हैं सारा का सारा दिमाग तो केवल अलवर में। अलवर को ले रहे हैं तो आपको यह ध्यान नहीं रखना चाहिये कि इसी तरह नोएडा इण्डस्ट्रियल एरिया, इसी तरह गाजियाबाद, फरीदाबाद डवलप हुए थे हमसे पहले ? वहां लोग उद्योग लगाना कम पसन्द कर रहे हैं और हमारे यहां आ रहे हैं। अभी तक हमारे स्टेट की जो छवि है वह शान्त है। अच्छे लोग हैं। लूट-खसोट नहीं है। लेकिन इसको अब बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा अगर आपने अभी रहते हुए नहीं सम्भाला तो। क्योंकि आप स्थानीय लोगों को तो इग्नोर कर रहे हैं।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

उद्योगों में इन्वैस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एक बात माफ करना, शायद यह आपके खिलाफ जाएगी, आपने बजट में जो सहारा लिया कि आटो जोन डवलप हो रहा है, वह भी आपके टाइम में नहीं हुआ। होण्डा सीएएल वगैरह जिनका भी नाम लिया है, गोविन्द रबर वगैरह, इन सबका एम ओ यू शुरू तो वसुन्धराजी के राज में हो गया था। उन्होंने तो अपनी एक यूनिट और लगायी है इसके अन्दर।

(18.00 बजे)

इसी तरह नीमराना का जापान जोन है, उसको देख लीजिये। पहले यह देखिये कि यह करने के बाद भी जो इन्वैस्टमेंट हम चाहते थे वह तो हुआ नहीं। फिर हम गांवों को भी क्यों उजाड़ें? गांवों को भी क्यों बरबाद करें? अब आप घिलोट की बात करते हैं कि हमने 500 एकड़ जमीन ले ली। लेकिन हम सब गांव के ही लोग हैं। आपने जमीन ले ली, सरकार चाहे जिसकी जमीन ले सकती है, चाहे जहां कुछ कर सकती है, यह सरकार का अधिकार है। लेकिन जो 500 बीघा जमीन ले ली, एक बार आप लिस्ट निकलवाकर देखो, आपने उस जमीन का जो मुआवजा दिया है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख बहरोड़ में। आपने तिजारा में 10 से 18 लाख के बीच मुआवजा दिया। तिजारा में जो जमीन 18 में ली है, वह जमीन आज के दिन 2 करोड़ रुपये बीघा में प्राइवेट लोग लेने को तैयार हैं। बहरोड़ के अन्दर जो जमीन आपने 6 लाख रुपये बीघा में ली है, वह जमीन 50 लाख और 1 करोड़ रुपये में लेने को तैयार हैं। सभापति महोदय, अब किसान की जमीन ले ली, टैक्निकल हैंड वे हैं नहीं, और कोई रोजगार वह कर नहीं सकते। आपके जो उद्योग वाले आते हैं, आप अपना कानून सख्त बना नहीं सकते क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। आपके यह दिमाग में है कि हमने जहां कानून सख्त किया वैसे ही हमारे पास इनवैस्टमेंट बिलकुल ही नहीं आएगा। क्यों नहीं होगा? मोदी को देखो आप, मोदी यह कहता है कि एक मिनट में मुझसे आप काम कराओ। आपसे कोई पैसा मांगता हो तो मुझे बताओ। लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप बाहर के मजदूर नहीं भरेंगे, यहीं के लोगों को काम देंगे। और वे दे रहे हैं।

सभापति महोदय, यहां पर उद्योगपतियों को इनवाइट तो कर लिया, और हमारी ताकत यह नहीं है कि कह सकें कि आप हमारे कानून को फालो करेंगे। हकीकत है यह, यह एलिगेशन नहीं है। आपके टाइम ही नहीं हुआ, जितनी भी सरकारें रहीं, चाहे वह बीजेपी की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

रही, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। आपने कहा जापानी जोन की 11 इकाइयां स्टार्ट हो गयीं, लेकिन आज हकीकत है कि वहां के स्थानीय लोगों को मजदूर के अलावा तो वहां नौकरियां नहीं मिल सकतीं क्योंकि उनका तो अपना सैट अप है सारा। वे जो भी चीजें बनवाते हैं उसकी एक-एक, छोटी-छोटी यूनिट अपने साथ लेकर आते हैं। उसमें तो हमारी भागीदारी हो नहीं सकती। हमारे लोगों को वहां रोजगार मिल सकता है, लेकिन रोजगार वहां हमारे लोगों की बजाय यू.पी. और बिहार के लोगों ने ले रखा है। मुश्किल से 7-8 परसेंट लोग हमारे इलाके के हैं।

सभापति महोदय, अब वहां क्या हो रहा है, भिवाड़ी है, कितना लम्बा हो गया? आज 35-40 साल हो गये इंडस्ट्रियल एरिये को बने हुए। इंडस्ट्रियां वेस्ट पानी तो छोड़ती ही हैं, केमिकल भी उनमें होता है, जहरीला पानी भी होता है। अब या तो उसका ट्रीटमेंट प्लांट हो या कोई निकासी की व्यवस्था हो। अन्यथा वह जमीन में जाएगा। जहां-जहां आपने इंडस्ट्री लगायी हैं अलवर जिले के अन्दर, वहां की जमीन का पानी सब जगह जहरीला हो गया। पोल्यूशन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो चुका है। मजे की बात यह देखो कि 40 साल में भिवाड़ी में जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी है, उसका कामन ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं हुआ है। जब तक तुरन्त प्रभाव से आप जल वितरण की प्रणाली में स्केडा टेक्नोलोजी को नहीं लाएंगे, तब तक ये इंडस्ट्रियलिस्ट आपके कब्जे में भी नहीं आएंगे। उसके अन्दर सारा सेंसर लगा होगा, वह बता देगा कि किस इंडस्ट्री ने कितना पानी लिया, कितना कंज्यूम हुआ, कितना इन्होंने छोड़ा और इसमें कितना केमिकल मिला हुआ था और इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट चालू रखे या नहीं रखे। जन हित में, चाहे कितनी भी महंगी हो, वहां के लोगों को बचाने के लिए आपको यह प्रणाली और कामन ट्रीटमेंट प्लांट को चालू कराना चाहिए। चाहे आप उद्योग बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। नहीं तो लोगों में अराजकता फैल जाएगी।

सभापति महोदय, आज हमें रोज जाना पड़ता है, सार्वजनिक जीवन में हैं, पता लगता है, जवान-जवान बच्चे मर गये किससे? कहते हैं कैंसर से। किससे मर गये, हार्ट अटैक से मर गये। चर्म रोग हो रहे हैं। दमा हो रहा है। टीबी हो रही है, इस युग में। फिर भी हम उन लोगों को नहीं बचाएंगे तो कब बचाएंगे? मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरफ आप ध्यान दो। पानी इतना भरा हुआ है, अभी नीमराणा नया चालू हुआ है, भिवाड़ी में तो आप निकल ही नहीं

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

सकते। बरसात में तो यह हाल होता है कि आप पास ही नहीं कर सकते। हर जगह वही केमिकल वाटर भरा पड़ा है और बुरा हाल हो रहा है। नीचे का सारा पानी जहरीला हो चुका है।

सभापति महोदय, आप कोई विधि निकालें, कैसे भी निकालें। उनको समझाएं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ और बिहार के अन्दर नक्सली पैदा हो गये, यह हकीकत बता रहा हूं, यह मैं खाली आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, हमारे क्षेत्र में भी, अलवर जिला जो सबसे शांतिप्रिय जिला था, क्या कारण है कि राजस्थान में पहले नम्बर का क्राइम जिला बन गया? उसमें वहां के लोग दोषी नहीं हैं, उनकी आवश्यकताएं दोषी हो गयीं।

सभापति महोदय, वहां लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियों में बैठकर आते हैं, उद्योग करते हैं लेकिन वहां के लोगों को नौकरी नहीं देते हैं। वहां के लोग भूखे मरते हैं। रोटी तो उनको भी चाहिए, अब रोटी खाने के लिए आदमी को चाहे लूट करनी पड़े। अपना जीवन बचाने के लिए जो मर्जी में आए करना पड़े। वहां का क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, एक दिन यह आएगा कि आप चाहे जितना इंसेंटिव दे लेना, चाहे जितनी सुविधाएं दे लेना, लेकिन 4-5 साल तक अगर यही वातावरण रहा तो लोग वहां से उद्योग छोड़कर भगेंगे। रूक नहीं सकते क्योंकि वहां के लोग लठ्ठ उठाएंगे। डकैती डालेंगे, चोरी करेंगे। भूखा मरता क्या नहीं करता।

सभापति महोदय, आप उन लोगों को समझाएं कि इन लोगों को अपने साथ शामिल करें। गांव को उनसे गोद दिला दें। उनके पास खूब पैसा है। खूब वहां से कमा रहे हैं। जैसे एयरटेल वाले पूरी दुनिया में छा गये। क्यों छा गये? इसलिए छा गये क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जब तक दुनिया को साथ नहीं लेंगे, आम जनता को साथ नहीं लेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एयरटेल जैसा उदाहरण दीजिये, कि अगर आप 5 गांवों को भी गोद ले लेते हैं, इन 5 गांवों में भी आप सुविधा दे देते हैं तो आप यहां हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा।

सभापति महोदय, वहां गांव के लोग ट्रांसपोर्टर हैं। आप फिक्स कर दीजिये रेट। वहां के ट्रांसपोर्टर्स को काम नहीं देते हैं। उनको काम दीजिये। आप वहां के नौजवानों के लिए कोई ऐसा प्लान बनाइये, वहां बाजार बनवा दें, कोई और चीज बनवा दें कि इन दुकानों में हिस्सेदारी आपकी होगी। नहीं तो यह होगा कि इंडस्ट्रियां सारी की सारी बरबाद हो जाएंगी। लूट-खसोट चलती रहेगी।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

सभापति महोदय, खनिज के मामले में आप कह रहे हैं कि आप नीलाम करेंगे। कर देना, इससे लोकल लोगों को तो कुछ मिलेगा नहीं। गरीब आदमी को तो कुछ मिलेगा नहीं। नीलामी में बड़े-बड़े सेठ-साहूकार ले जाएंगे और वही झारखंड वाला हाल होगा। फिर यही स्थिति आएगी कि आप राजस्थान को भी बरबाद करके रख देंगे। सरकारें किसी की भी हों, नीतियां खराब नहीं होती हैं। लेकिन नीतियों के पीछे आप फ्यूचर को भी देखें। आज के दिन पैसा ले लो, आज के दिन पैसा आ जाए सरकार में। सरकार का प्लान है, कौन नहीं चाहता है कि राजस्थान का विकास नहीं हो? हम सब राजस्थान में रहने वाले हैं। सरकारें तो आती-जाती रहती हैं। कौन नहीं चाहता है भारत का विकास हो। सभापति महोदय, लेकिन इसके लिए अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। केवल यह कह देने से कि 8 बजे शराब की दुकान बंद कर दो, इससे क्या होने वाला है? अवैध शराब बंद करवा दो। अवैध शराब का उत्पादन बंद करवा दो, तब तो मानी जाए बात। 8 बजे के बाद में थर्ड ग्रेड शराबें खूब मिलती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो कही नहीं जा सकतीं। नहीं तो, आबकारी मंत्री जी, आप मेरे साथ बैठो, मेरी गाड़ी में बैठो और जहां चाहे, जितनी चाहे दारू ले लेना और जो ब्रांड मांगो वह ले लेना। यह हो सकता है कि वह 10, 50, 100 रुपये महंगी हो। 8 बजे के बाद जितनी चाहो। मैं खाली सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं आप सब छोड़ दो, कतई मत पीओ। हम कब कह रहे हैं कि पीओ? यह तो मेरी मर्जी की बात है। कोई आदमी पीता है, कोई नहीं पीता है। कोई खाता है, कोई नहीं खाता है। यह इस देश में ही चर्चा होती है, बाकी दुनिया में तो कहीं चर्चा होती नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप दिल्ली और मुम्बई इंडस्ट्रियल कारिडोर की बात कर रहे हैं, इसमें भी आप जमीन ले रहे हैं। लेकिन आज की रेट के अनुसार उनको मुआवजा दे दो। वहां का जो मार्केट डवलप है, वहां पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दे दो। अब आपका थ्रीडब्ल्यू में आता है यह एनसीआर तो, इसमें आप कम से कम लोकल लोगों के लिए यह कह सकते हो कि आप इंडस्ट्री लगाएंगे। आक्शन का काम तो आपने ठीक कर दिया, बहुत अच्छा काम किया है। अब उन लोकल लोगों को प्राथमिकता के आधार पर इंडस्ट्रियल प्लाटों को कर दो।

सभापति महोदय, दिल्ली, बाम्बे, जयपुर, चंडीगढ़ के लोग प्लाट ले लेकर बैठे हुए हैं, उन प्लाटों को करो दनादन रिजैक्ट जिससे लोकल लोगों का

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

भी नम्बर आए और इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए। औरों का भी काम बने उसी जगह पर। उनमें क्यों देरी कर रहे हो? झूठमूठ कर रहे हैं आप। ईपीआईपी बना है, उसमें मैने पूछा कि आप लोग तो कोई चीज करते नहीं हो, यह कैसे चला रखा है? इस पर एक आदमी कहने लगा कि 10 परसेंट हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। वह तो किसी से भी कोई चीज लेकर हम कर देते हैं। हमारा काम सही चल रहा है।

सभापति महोदय, इन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आपसे मेरा यह निवेदन है, मेरी यह सलाह है कि उद्योग लगने चाहिए। लेकिन जब सैचुरेट कोई जिला हो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरे जिलों में भी आप उससे ज्यादा इंसेंटिव देने लग जाओ, उद्योगपति वहां पहुंचेगा और राजस्थान में अमन-चैन भी रहेगा। लोकल हित का ध्यान रखना, आम जनता की भागीदारी करोगे तो दुबई की तरह आप रोल माडल बन जाओगे। और आपने आम जनता को इग्नोर किया तो आपका वही हाल होगा जो नोएडा के अन्दर इंडस्ट्रियलिस्ट का हुआ है, गाजियाबाद में हुआ है, फरीदाबाद में हुआ है और छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसलिए मेहरबानी करके इस राजस्थान को बचाओ, इसके उद्योगों को भी बचाओ। लेकिन आम जनता को भी बचाओ, यह मेरा आग्रह है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, मैं खनिज और उद्योग की मांग में अपनी बात रखना चाहूंगा, उद्योग मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। मैंने जब भी देखा है, उद्योगों के विकास के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम जैसी व्यवस्था लाकर न केवल उद्योगपतियों को आमंत्रित किया बल्कि उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाकर स्टेट मे एक इण्डस्ट्रियल एटमोस्फियर डवलप करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे उद्योग विभाग ने, हमारी नीतियों ने।

नीमराणा जैसे इण्डस्ट्रियल एरिया काफी डवलप हुए, उनमें दिल्ली और आसपास के उद्योगपतियों ने और बाहर के उद्योगपतियों ने आकर अपनी यूनिट्स लगाईं जिनका हमारे उद्योग मंत्री महोदय और हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने उद्घाटन किया। यह अच्छा और शुभ संकेत है स्टेट के लिये।

मेरा एक छोटा-सा सुझाव है उद्योग मंत्रीजी से, इण्डस्ट्री लगाने के लिए हम चाहे एनआरआई को इनवाइट करें चाहे सिंगल विण्डो सिस्टम का प्रावधान

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

करके उसको डवलप करें, हमारे उद्योगपति व नौजवान जिनके पास में न केवल उद्यम लगाने की योग्यता है बल्कि आर्थिक मजबूती के साथ-साथ उस क्षेत्र में अगर वह सब रॉ मैटीरियल उपलब्ध है, उसकी अनदेखी अगर उद्योग विभाग करेगा तो यह बड़ी बेईमानी होगी कि हम उद्योगों को विकास की तरफ ले जा रहे हैं, औद्योगिक वातावरण बना रहे हैं, औद्योगिक एन्वायर्नमेंट डवलप करके हम बेरोजगारों को रोजगार देने की योजनाएं बना रहे हैं।

उद्योगपति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे नीमकाथाना क्षेत्र में...(व्यवधान) उद्योग मंत्री, उद्योगपति ही हैं जी, एक ही बात है जी। क्या करें, आप मेरे डिस्ट्रिक्ट के रह गये, सम्मान देने में ऊक-चूक हो रहा हूं। एक जिले का होने की वजह से आत्मा में तकलीफ तो है लेकिन बार-बार मैं सम्मान जोड़ रहा हूं किसी तरह।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज तीन साल हो गये, तीन साल से बराबर मैं आपके विभाग में चक्कर लगा रहा हूं एक साधारण आदमी के रूप में, जबकि मैं विधायक हूं, इस सरकार का एक पार्ट हूं। मेरा यह हक और अधिकार बनता है कि जो योजना राजस्थान की सरकार बनाए उस योजनाओं में मैं मेरी कांस्टीट्यूएंसी के लोगों को उनका हक दिलाऊं। न केवल हक दिलवाऊं बल्कि उन सब योजनाओं से उनको लाभांवित करूं, चाहे वे वहां के बेरोजगार हों, चाहे वहां के नौजवान हों जो रोजगार के लिए सूरत, मुम्बई, बड़ौदा, न जाने कितनी दूर-दूर जाकर अपना रोजगार करते हैं। उनके परिवार के लोग किस तरीके से उनका इन्तजार करते हैं, उनके मां, बाप, भाई और बहन यह देखते हैं कि पता नहीं मुम्बई में किस तरीके से रह रहा होगा मेरा बेटा, क्या कर रहा होगा। यही नहीं, हमारे यहां से मजदूर लोग पलायन करके जब जाते हैं पंजाब और हरियाणा के भट्टों पर, 407 गाड़ी के अन्दर अपने परिवार को पशुओं की तरह भर कर, उलटी खाट लटकाकर उसकी छत पर जब जाते हैं तो हमें शर्म आती है कि 65 साल की आजादी के बाद भी हम ऐसी योजनाओं को अंजाम नहीं दे सकें जो रोजगार दिला सकें, जो उन लोगों के पलायन को रोक सके। वहां जाकर क्या उनके दिल पर गुजरती है? कई बार हम पंजाब के भट्टों पर जाते हैं, कई बार पंजाब की सरकार से बात करते हैं, कई बार हरियाणा की सरकार से बात करते हैं कि आपने हमारे यहां के लोगों को बंधक बना लिया। यह बंधक की प्रथा के बारे में बात करते हैं जन प्रतिनिधि होने के नाते। उनका पलायन होता है। यहां स्पीकर महोदय नहीं बैठे

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

हुए वरना मैं यह भी बताऊं आपको कि हमारे यहां के नौजवान दूर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जब वापस आते हैं तो पता नहीं कैसी-कैसी बीमारियां, एड्स जैसी लेकर आते हैं। चीपलाटा, सकराय, भारू की ढाणी, गणेश्वर, आगरी, ऐसे पांच-सात गांव आजकल स्पीकर महोदय की कांस्टिट्वेंसी में चले गये हैं, दो-तीन मेरे यहां पर भी हैं, सिर्फ इस वजह से वहां जवान नजर नहीं आते हैं यदि ढूंढें भी तो। उसके पीछे जब हमने गहराई से देखा तो एक ही कारण है कि इनके बच्चे या वे मजदूरी करने के लिये मुम्बई गये, सूरत गये, बड़ौदा गये और वहां जब लम्बे समय तक अपनी मजदूरी करते रहे तो किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ गये।

मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि रोजगार की तलाश में अपने परिवार को पालने के लिए वे वहां जाते हैं और मजबूरी में वहां से बीमारी लेकर आते हैं। वे बीमारियां फैल रही हैं और हम फिर भी नहीं सोच पाये उनके लिये।

मैं आज उद्योग पर बोलना चाह रहा हूं। तीन साल पहले हमने एक योजना बनाई थी नीमकाथाना में, हमारे यहां मिनरल होता है, फैल्सपार होता है, कैल्साइट होता है, चायना क्ले होती है, लाइम स्टोन होता है, क्वार्टज होता है जो उद्योगों का रॉ मैटीरियल है, बेस मैटीरियल है। यहां से रा मैटीरियल दूर मोरवी तक सप्लाई होता है, दूर हरियाणा में सप्लाई होता है। क्वार्टज के दाने बनकर पंजाब तक जाते हैं जो बड़ी-बड़ी भट्टियों में काम आते हैं। लेकिन यहीं अगर हम इन उद्योगों को लगा दें तो यहां से मजदूरी करने के लिए जो हमारा नौजवान बाहर जा रहा है या जो लोग यहां रोजगार लगाना चाह रहे हैं, उनके लिये हम बहुत-सी व्यवस्था यहीं कर सकते हैं।

एक छोटा-सा इण्डस्ट्रियल एरिया बना था सन् 1977-80 के बीच में, वह पूरा आक्यूपाई हो चुका है। अपने यहां दो-तीन पंचायतों से लिखवाकर 250 हैक्टेयर के एक इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए हम, उद्योग मंत्री महोदय, आपके यहां पेश हुए थे जिसमें 127 हैक्टेयर जमीन थी गवर्नमेंट की-स्टेट हाइवे जो आजकल मेगा हाइवे बन रहा है, उसके साथ में लगती हुई जमीन। एक चक पूरा, नदी-नाले उसके साथ में जो 123 हैक्टेयर जमीन थी, वह बिलकुल ऊबड़-खाबड़ था और वहां के लोग चाह रहे थे कि हमारी जमीन भी ले लो। लेकिन जब हमने देखा कि आपकी यह ब्यूरोक्रेसी हमें निहाल नहीं होने देगी तो हमने दूसरी योजना बनाकर दी डेढ़ साल बाद, कि आप मेहरबानी करके उसके उपर एक्विजिशन की आड़ लगाकर, नियम का हवाला देकर हमें गुमराह न करें और

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

हमें उन योजनाओं से वंचित न करें जिनकी सख्त जरूरत है हमारी जनता को, जिनकी सख्त जरूरत है वहां के बेरोजगारों को, जिनकी सख्त जरूरत है हमारे यहां के आम गरीब लोगों को। इसलिए हमने 127 हैक्टेयर में एक नई योजना बनायी और मुख्य मंत्री महोदय के यहां पेश होकर आपके विभाग में दी। लेकिन आपका विभाग पता नहीं किस बात को लेकर 127 हैक्टेयर जमीन जो 508 बीघा होती है, उस पर इण्डस्ट्रियल एरिया बनाने के मूड में नहीं है। एक तरफ तो हम रैड कारपेट लगा-लगाकर इन्वाइट कर रहे हैं एनआरआई को, हम उनके हाथ जोड़-जोड़कर इन्वाइट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे यहां रॉ मैटीरियल होते हुए, उद्यमी होते हुए, नौजवान रोजगार लगाने के लिए लालायित होते हुए अपने इण्डस्ट्रियल एरिये की तलाश करते हुए भटक रहे हैं। यह हालत हमारी बन रही है, उद्योग मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेहरबानी करके मेरे क्षेत्र की जो मांग है, उस मांग के प्रति ज्यादा अनदेखी न करें। मैं कारण समझ नहीं पा रहा हूं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं, मैंने पांच-सात-दस दिन में देखा है, सब कुछ करने के बाद भी आखिर औद्योगिक क्षेत्र क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा। तब मैंने महसूस किया वहां पर एक क्रैशर लगा हुआ है इनका, 127 हैक्टेयर के पास में, यहां की जो ब्यूरोक्रेट की लाबी है, आईएएस लाबी है, उनकी उसमें पार्टनरशिप है। एक-दो बार तो उनके यहां बड़ी-बड़ी बिजली की चोरी करते हुए भी पकड़े गये हैं, तब यह महसूस हुआ कि यह ब्यूरोक्रेसी हमें निहाल होने नहीं देगी। यहां के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिये आगे बढ़ने नहीं देगी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बिजली की चोरी और आईएएस अधिकारी, कितनी गम्भीर बात है। आप नाम बताओ।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): यह ढूंढ लिया जाएगा। आप हमारी कंस्ट्रक्टिव विचारधारा को चलने दो आगे। आप तो कुबध करते हो, मुझे तो बोलने दो। हमारी मांग को सार्थक करने दो। उद्योग मंत्रीजी बैठे हैं, किसी तरह औद्योगिक क्षेत्र बन जाए। पहले का जो औद्योगिक क्षेत्र है वह छोटा-सा है, उसमें फैल्सपार वगैरह की ग्राइण्डिंग यूनिट्स लगी हुई हैं। साढ़े सात-आठ हजार लोग उस छोटे-से औद्योगिक क्षेत्र में अपना रोजगार पा रहे हैं। अगर यह पांच सौ बीघा गवर्नमेंट लैण्ड में बनता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि रोजगार 40-50 हजार लोगों को मिलेगा। आप गवर्नमेंट की नौकरी के पीछे बेरोजगारी को खतम करना चाहें, आप अकेले गवर्नमेंट की नौकरी के पीछे ही

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

सब को रोजगार देना चाहें, यह कभी सम्भव नहीं हो पाएगा। यह तब सम्भव हो पाएगा। जब प्राइवेट सैक्टर भी आगे बढ़कर बेरोजगारों को रोजगार देगा। जब प्राइवेट सैक्टर के साथ इण्डस्ट्रीज आएंगी, न केवल बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, बाकी और भी बहुत-से रोजगार की सम्भावनाएं खुलती हैं। आज पाटन क्षेत्र हमारे सामने है। इण्डस्ट्रियल एटमोस्फियर बनाने के लिए जन प्रतिनिधि को कई दौर से गुजरना पड़ता है, कई बार वह यह भी महसूस करता है कि मेरे जो उद्योग लग रहे हैं, सही तरीके से पोल्यूशन के नियम और नार्म्स के अनुसार अगर वे आगे चलते हों तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन कई बार एनजीओज आकर विरोध करते हैं। हम उन एनजीओज के सामने कई बार कहते हैं कि आपको सिर्फ अपनी बात रखनी है, जबकि हमें यहां के रोजगार की चिंता है, अपने क्षेत्र के विकास की चिंता है। तो कई बार वे एनजीओ गये हैं, हमारे और आपके सामने की बात है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग जो ये नार्म्स बने हुए हैं पोल्यूशन बोर्ड के, या उद्योग से सम्बन्धित जो नियम और कायदे हैं, उनके हिसाब से आप उद्योगों को बढ़ावा दें और मेरे नीमकाथाना क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र माहवा के नाम से जो आपके यहां पैंडिंग है, मेहरबानी करके आप इसको डिक्लेयर कीजिए। आज ही डिक्लेयर कीजिए डाक्टर जितेन्द्र सिंह की तरह, जैसे उन्होंने कल हाथों-हाथ मांग डिक्लेयर की है। हम मांग कुछ नहीं रहे, मतलब आपसे लेना कुछ नहीं चाह रहे। गवर्नमेंट की लैण्ड और उसमें उद्योग लगाने के लिए सारी सम्भावनाएं हैं। उन सम्भावनाओं को भी आप देने में हिचकिचा रहे हैं। आपके अधिकारी कहते हैं कि मुख्य मंत्री महोदय के पास पड़ी हुई है फाइल। हम जानते हैं हमारे मुख्य मंत्री महोदय को, उनके पास तो कोई फाइल पैंडिंग नहीं होती है। यह तो ब्यूरोक्रेसी में अटकी हुई फाइल है कहीं न कहीं।

अब मैं माइनिंग के बारे में और कहना चाहूंगा, हमारे यहां माइनिंग जोन भी नीमकाथाना क्षेत्र में काफी कुछ है। माइनिंग जोन में जितने भी क्रैशर लगे हैं, उद्योग मंत्री महोदय, स्टेट हाई-वे या मेगा हाई-वे से तीन सौ मीटर के लगभग क्रैशर लगते थे, एकदम पता नहीं, क्या कानून का उल्लंघन हुआ है या कोई नया कानून बना है, हमने पोल्यूशन के कानून में सख्ती होते तो कई बार देखा है लेकिन शिथिलता इस तरीके से मिलते हुए हमने कभी नहीं देखी। रोड पर सौ मीटर के अन्दर क्रैशर लगा दिये, उनसे जो पोल्यूशन फैल रहा है, जो वातावरण बन रहा है पाटन का कि आप देख नहीं सकते। कभी-कभी हम एनजीओ का विरोध भी करते हैं, अपनी सरकार होने के नाते, कि आप गलत

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

बोल रहे हैं, लेकिन आत्मा हमारी भी कहती है कि एनजीओ गलत नहीं बोल रहे हैं, हम जानकर, आंख मीचकर अपनी सरकार का बचाव करने के लिए सिर्फ विरोध कर रहे हैं। मेहरबानी करके आप इसका पूरा डिटेल में पता लगाएं कि आखिर हो क्या रहा है, कि मेगा हाई-वे जो बन रहा है, उसके ऊपर लोगों ने क्रैशर लगा दिये। वहां धुआं बना रहता है। एक माइनिंग डिपार्टमेंट के जितने भी आपके अधिकारी हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा, झुंझुनूं और सीकर का 80 परसेंट मिनरल नीमकाथाना में होता है और इतना बढ़िया तरीके से, इतना अच्छा उसका रेवेन्यू आता है कि आप आंकड़े खुद पूछ सकते हो। सीकर में जब कभी डिपार्टमेंट के अधिकारी या कोई कर्मचारी आता है तो वे नीमकाथाना के होटल में ठहरते हैं क्योंकि वहां आपका कार्यालय नहीं है। कितने दुःख की बात है। मानिटरिंग करना चाहते हो, आप डिपार्टमेंट को बढ़ाना चाहते हो जो 1975 करोड़ रुपये रेवेन्यू देता है और जिस डिपार्टमेंट की रेवेन्यू बढ़ने की बहुत सम्भावनाएं हैं आगे तक, उस डिपार्टमेंट का कार्यालय वहां नहीं। और जिसकी वहां सैकड़ों लीज लगी हुई हैं। वहां का कोई कर्मचारी आकर रात को ठहरता है, सर्वेयर है या कोई और है, तो वह भीड़ लगी रहती है, बड़ी- बड़ी गाड़ियों की। हम पूछते हैं कि आज कौन आ गया? कि साहब, आज माइनिंग वाले आ गये। आ-आकर वे अपनी मंथली दे-देकर जाते हैं कि मिनरल का कहीं कार्यालय यहां न खुल जाए, ये लोग यहां रुक न जाएं। वर्ना अवैध जो माइनिंग की हम चोरी करते हैं, रायल्टी की चोरी करते हैं? आयरन ओर चुरता है, पूरी रात चुरता है और जाकर कांडला के दाम पर किसी न किसी बिल्टी के साथ पहुंच जाता है। फ्लोसपार और क्वार्टज चुरता है, पूरी रात चुरता है, चोरी होने के बाद हरियाणा की बार्डर में पहुंच जाता है। मैं कह रहा था दो साल से कि कोई कार्यालय खोले, कोई मानिटरिंग तो हो। आखिर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा क्यों इन लोगों के हाथ में छोड़ रखा है, इन कर्मचारियों और अधिकारियों को क्यों छूट दे रखी है कि ये महीने में अपनी कमाई तो कर लें, लेकिन हमारी जनता का जो इकट्ठा पैसा है, वह टैक्स के रूप में सरकार के पास नहीं पहुंचे। यह निवेदन आपसे बार-बार किया है हमने। आज के 10 साल पहले तब विभाग का कार्यालय 40 साल तक रहा, नीमकाथाना में। हटा उस वक्त परिस्थिति कुछ और थी। उस वक्त हालात ये थे कि मिनरल जोन इतनी तेजी से नहीं बढ़ा था। लेकिन आज? आज तो सीकर और झुंझुनूं का ज्यादा मिनरल जोन ही हमारे यहां है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, न केवल जन हित में, न केवल राज्य हित में बल्कि मैं

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

तो यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां के राजस्व के हित में भी इस कार्यालय को खोला जाना अति आवश्यक है। यह कितनी अजीब बात है कि वहां इस कार्यालय की अनदेखी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि न खोलने के लिए ये अधिकारी लोग पता नहीं क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि नीमकाथाना में माइनिंग का कार्यालय जरूर खुले।

खनिज मंत्री महोदय, मेरा आज आपसे एक निवेदन है, आप एक बात का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से दें कि जनता के स्वास्थ्य की कीमत पर कोई भी रोजगार न तो बढ़ सकता है, न माइनिंग की किसी को खुली छूट दी जा सकती है। डीप ब्लास्टिंग के नाम का एक बड़ा फ्राड चला रखा है इन माइनिंग वालों ने। हरियाणा बंद हो गया। ट्रेडिश्नल माइनिंग जो होती थी, परम्परागत खनन जिसको कहें हम, ट्रैक्टर की डेढ़ इंच की राड की ब्लास्टिंग से, और एक ब्लास्टिंग से लगभग लगभग दो या तीन ट्रैक्टर का माल आ जाता था। हरियाणा बंद होने पर नीमकाथाना में माइनिंग जोन बहुत तेजी से डवलप हुआ है, इन लोगों को एक भूख लग गई। बहुत तेजी से फरीदाबाद से लोग आये हैं, हरियाणा से लोग आये हैं, दिल्ली से लोग आये हैं कि पता नहीं हरियाणा कब खुल जाए, माल जितना तेजी से होता है, इकट्ठा कर लो। तो ये ब्लास्टिंग करते हैं चार इंच का बोर। होता है डेढ़-इंच का बोर और ये चार इंच का बोर करते हैं, 20 मीटर गहरा करते हैं। 20 मीटर गहरे में माल अमोनियम नाइट्रेट पड़ता है ज्यादा से ज्यादा डेढ़ किलो, दो किलो लेकिन ये उसमें पटकते हैं 20-20 किलो के 16-16, 17-17 कट्टे। जब इनकी ब्लास्टिंग होती है तब लोगों को ऊपर नजर बहुत देर बाद आता है, पहले नीचे की धरती कांपती है और ड़ेढ़-डेढ़ किलोमीटर दूर के मकान गिर जाते हैं। वे लोग बार-बार कहते हैं, गरीब लोग आते हैं, एनजीओ वाले भी, हम उनके सामने तो विरोध करते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन हकीकत तो यह है कि लोग तंग आ चुके हैं, आपके इस माइनिंग की अवैध ब्लास्टिंग से। हमने कई बार कलक्टर साहब को कहा, कई बार डिपार्टमेंट में आये, कई बार टीम इकट्ठी की, टीम गठित करके हम लोग वहां गये लेकिन ढाक के वही तीन पात। उन लोगों को पैसा पहुंचता है क्योंकि उनको माल चाहिए, पूरे दिन में एक ब्लास्टिंग में उनको दो सौ ट्रक चाहिए जबकि परम्परागत माइनिंग से उनको तीन या चार ट्रैक्टर मिलते हैं एक ब्लास्टिंग में। वह ब्लास्टिंग जब होती है, थोड़ी देर जमीन हिलती है, उसके बाद जैसे पोकरण का बम ब्लास्ट होता है, ऐसे काले और पीले धुएं के

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

बादल ऊपर आसमान में उछलते हैं और वह पूरे छा जाते हैं डेढ़-डेढ़, दो-दो किलोमीटर तक। मेहरबानी करके जनता के स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, इलाके के स्वास्थ्य की चिंता कीजिए। आज यह मेरा माइनिंग का मैटर है, दो मिनट रूकें...(व्यवधान) बिलकुल, यह वह मैटर है जिसमें एनजीओज हाई कोर्ट जा चुके, हम लोग अपनी सरकार के नाते एनजीओज से टकरा चुके। यहां मिस्टर सैक्रेटरी जो बैठे होते थे, हम उनसे भी लड़ पड़े। और काफी लम्बा है। माइनिंग में हमारे अच्छे-अच्छे अधिकारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन उनको नीचे तक पता नहीं कि नीचे क्या हो रहा है। ऊपर बैठे हुए अधिकारी और हमारे मंत्री महोदय की किसी भी चीज पर कोई संदेह नहीं लेकिन कोई जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे, कोई जनता की शांति को भंग करे, कोई गांव का आदमी चिल्लाए उसके ऊपर मुक़दमे लग जाएं यह ठीक नहीं है। वे लोग इतने पावरफुल हैं कि कोई कार्यवाही करें और हाई कोर्ट में आ जाते हैं। हाई कोर्ट में आने के लिए आम जनता को, गरीब लोगों को चाहिए 50 हजार रुपये, आकर इनका सामना कैसे करें? जब एजेंसी गवर्नमेंट बना दी जाती है उस मुकदमे में, तो गवर्नमेंट के अधिकारी अपनी गांठ बनाकर बैठे रहते हैं। वह हाई कोर्ट में एक-एक, दो-दो, डेढ़-डेढ़ साल तक चलता है और गरीब आदमी रोता रहता है, दहाड़ मारता रहता है। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि यह सिस्टम के सुधार का मामला है। मैं किसी को यह नहीं कह रहा हूं न मैं यह ब्लेम कर रहा हूं कि ये लोग गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है डीप ब्लास्टिंग का, उसको मेनिपुलेशन करके जिस तरीके से बता रहे हैं इन अधिकारियों को, मैं इन अधिकारियों से कहना चाहूंगा, इनकी आंख खुल जानी चाहिए। इनका परिवार अगर कोई पास में हो, तब इनको पता लगे कि रात को कौन-सी पट्टी गिर जाएगी, कौन-सी टूट जाएगी। तभी पता लगता है। ये कहते हैं कि अपने आदमी खड़े रहते हैं, कोई आदमी नहीं आता। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि डीप ब्लास्टिंग में आप मेहरबानी करिये। माल जमीन में यहीं रहेगा, यह एक लाख साल पहले भी यहीं था और बाद में भी यहीं रहेगा। हरियाणा वालों को आग ज्यादा लग रही है, हरियाणा बंद होने की चिंता है तो आप कहीं और जाइए। लेकिन इस तरह की अफरा-तफरी राजस्थान में करने की न तो आपको इजाजत दी जाएगी, न हमारी जनता के स्वास्थ्य के साथ आपको खिलवाड़ करने दिया जाएगा। जो परम्परागत ब्लास्टिंग है ट्रैक्टर की और ट्रैक्टर के साथ जो होल लगता है उसमें डेढ़ इंच का चौड़ा ब्लास्टिंग होता है, उसके अलावा आप परमिशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

कर दें। वरना तो जनता आंदोलन पर आ जाएगी। जनता हमारे खिलाफ लगभग बोलने भी लग गई है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप डीप ब्लास्टिंग की इन व्यवस्थाओं को खतम करें और परम्परागत व्यवस्था को चालू करें।

माननीय खनिज मंत्री महोदय, मैं आपके अधिकारियों के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा। बड़े-बड़े उद्योगपति और बड़े-बड़े प्राइवेट लिमिटेड जिनकी लीज है, वो अवैध खनन कर लें तो उनके लिए कोई आंट नहीं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। और गरीब आदमी अगर एक छोटा-सा टुकड़ा भी तोड़ ले तो आपका विभाग उसको क्या बर्बाद करता है, इसके लिए मैं आपको एक लीज का उदाहरण देना चाहूंगा। लक्ष्मी मार्बल एण्ड ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड एक लीज है जिसने लगभग चार करोड़ रुपये का फ्लोसपार चोरी कर लिया। आपके विभाग से हमने पहले कही, तत्कालीन जो खनिज मंत्री महोदय थे। मेरे कहने से पहले मैसेज पहुंच गया और मैसेज पहुंचने से पहले उन्होंने मशीनें लगाकर मिट्टी भर दी। लेकिन फिर भी ढाई लाख की पैनल्टी माइनिंग विभाग लिखकर दे रहा है, लिस्ट बनाकर दे रहा है कि अवैध खनन हो चुका, 30 मीटर गहरा, 100 मीटर लम्बा, 14 मीटर चौड़ा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह रहा है, रिकार्ड बनाकर दे रहा है लेकिन आपका माइनिंग विभाग डर के मारे अपनी व्यवस्थाएं कर रहा है। उसके ऊपर दो या तीन करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाकर लीज को कैन्सिल नहीं करते हैं। उसी के साथ-साथ एक गरीब आदमी ख्यालीराम मीणा है जिसकी 54/5 है। मैंने आपको अभी यह प्राइवेट लिमिटेड फर्म की बताई है। वह 53/3 बताई है। ख्यालीराम मीणा गरीब-सा आदमी है, वो कोई 5-7 मीटर आगे चला गया होगा तो उसका मकान भी कुर्क कर दिया। वो परिवार दिन-रात रोता फिर रहा है। यह कैसा न्याय है? यह तो संवेदनशील सरकार है, यह अशोक जी गहलोत साहब की वो सरकार है जहां न्याय और धर्म बराबर मात्रा में चल रहा है। आपके अधिकारी अगर व्यवस्थाओं को खराब करना चाहें तो हम किसी हालत में व्यवस्था को खराब नहीं होने देंगे। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप अपने इन अधिकारियों को पाबंद कीजिए, इनका कार्यालय नीमकाथाना खोलिए और जो आपने पुलिस का फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है, वो इनके साथ लगाइये। लगभग ढाई करोड़ रुपये महीने की चोरी हो रही है। ढाई करोड़ की चोरी के साथ में मेरे वहां की कम से कम 200-225 घरों की 15-20 हजार की आबादी के लोग रात को सोते नहीं हैं कि पता नहीं किसकी पट्टी कब टूट जाए। किसी को भरोसा नहीं कि किसके साथ क्या बीत जाए। कोई भरोसा नहीं है। हमें पैसा चाहिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह ढ़ाई करोड़ रुपया कहां जा रहा है, यह तो बता दें।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): हमें रेवेन्यू चाहिए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कोटा दक्षिण में।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): हमें रेवेन्यू चाहिए। हमें गरीब आदमी की कीमत पर रेवेन्यू नहीं लेनी, हमें गरीब आदमी की कीमत पर रेवेन्यू नहीं लेनी। उसके मान-सम्मान को भंग करके, उसको प्रताड़ित करके रेवेन्यू नहीं लेनी। उसको जीने का जो मौलिक अधिकार है, रात को अपने मकान में सोने का अधिकार है, उसको भयभीत करके रेवेन्यू नहीं लेनी। हमें रेवेन्यू लेनी है, यह संवेदनशील सरकार....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): यह कांग्रेस की सरकार गरीबों की है, यह गरीबों के हितों की योजनाएं बनाती है इसलिए मेहरबानी करके आप इन योजनाओं को लागू करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42, 43 और 13-उद्योग, खनिज और आबाकारी पर आज चर्चा हो रही है। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, वह एक खनन क्षेत्र है और कोटा एक औद्योगिक नगरी के रूप में देश और विदेश में विख्यात है।

मैं सर्वप्रथम खनन की अपनी बात रखना चाहूंगी और वो भी मात्र कोटा जिले की। हम कोटा शहर से लेकर रामगंजमण्डी तक चले जाएं तो शायद मुझे लगता है कि कोटा नगर से ही हमें यह देखने को मिलेगा कि किस तरह से सरेआम रोज अवैध खनन कोटा में हो रहा है। चाहे हम खड़े गणेश जी की तरफ चले जाएं, चाहे हम रावतभाटा रोड पर चले जाएं या चाहे हम कोटा अनंतपुरा से झालावाड़ रोड तक चले जाएं, पूरे रामगंजमण्डी तक यही हाल हमें अवैध खनन के मामले में देखने को मिलता है। इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जनता ही दोषी नहीं है, वन विभाग के कर्मचारी, खनन विभाग के कर्मचारी भी इसके लिए उतने ही दोषी हैं जितने अवैध खनन करने वाले लोग हैं। मैंने कितनी ही बार विभागों को चेताया, चाहे मैं जिला परिषद की बैठक में जाऊं, या पंचायत समिति की बैठक में जाऊं, चाहे जिला कलक्टर को निर्देश दूं, हमेशा मैं यही बात रखती हूं कि इस अवैध खनन पर कहीं न कहीं रोक लगाई जाए।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी इस सदन में इस बात को उठाया था और अब फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह खनन मालिकों ने एक जो हमारा कृषि उपज मण्डी का रोड था, वर्तमान में तो करीब-करीब सभी रोड पीडब्ल्यूडी को दे दी गई हैं, उस रोड को खुर्द-बुर्द कर दिया गया यानि कि उस रोड को उखाड़ कर फेंक दिया और जनता का गांव का मार्ग भी परिवर्तित कर दिया। वो भी मैंने विभाग के नोटिस में डाला और कितने ही मैंने अधिकारियों को लैटर लिखे लेकिन कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई। फिर आपको बताना चाहूंगी कि चाहे सातलखेड़ी का रोड हो, चाहे पीपाखेड़ी का रोड हो या चाहे पारसा माता चौराहा रामगंजमण्डी से अमरपुरा जाने वाला रोड हो, बड़ी मुश्किल से, चाहे हमें धरना देना पड़ा हो चाहे प्रदर्शन करना पड़ा हो, जनता को साथ लेकर आये दिन धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देकर इन रोड को रुकवा रखा है।

(18.36 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मंत्रीजी, मैं आपसे पूछूंगी, खनन विभाग के आपके नियम बने हुए हैं, उन नियमों में कहीं न कहीं इस तरह का कोई नियम है क्या कि आप सरकारी सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द कर दें या उसको उखाड़ कर फेंक दें या गांवों का मार्ग परिवर्तित कर दें? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दु:ख इस बात का हो रहा है, अंधाधुंध अवैध खनन हो रहा है उसका शायद भगवान ही मालिक है। पूरे रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में, वन विभाग के पूरे वन क्षेत्र में आप देखिए, नेशनल हाइवे नम्बर 12 कोटा से झालावाड़ है, उसके दोनों किनारों पर स्थिति यह हो चुकी है कि दोनों तरफ हमें 30-30, 40-40 गड्ढे मिलेंगे। यह बड़े शर्म की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से पूछना चाहती हूं कि आखिर खनन विभाग के क्या नियम हैं और क्या इन सड़कों को इसी तरह से खोदकर खनन विभाग फेंकता रहेगा?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों की सारी चरागाह की जमीन देखिए। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर, हमारे कोटा जिले के अन्दर और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर उद्योग आएं ताकि जनता का विकास हो, बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिले। लेकिन अगर हम उद्योग लगाएं और वो उद्योग गांवों के चरागाह पर अतिक्रमण कर ले, गांव की जो और जमीनें हैं उन पर अतिक्रमण करके अवैध खनन करने लग जाए, तो मुझे लगता है कि न तो

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

गांव सुरक्षित है और न जनता सुरक्षित है। यह बहुत बड़ी कमी हमारे खनन विभाग की है। हमारे हाड़ौती से पधारे हुए पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, आपका भी बहुत सहयोग रहा कि दर्रा अभयारण्य मुकुन्दरा हिल्स के रूप में पहचाना जाए और बहुत अच्छा अभयारण्य यह बन जाए। अवैध खनन सबसे ज्यादा अगर हो रहा है तो इस दर्रा अभयारण्य में हो रहा है और यह बड़ा चिंता का विषय है। इस पर कहीं न कहीं हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली सरकार, मुझे लगता है कि साढ़े तीन-चार वर्ष पूर्व की बात है, हमारे रामगंजमण्डी का पैसा था, पिछले 10 वर्ष से कभी क्षेत्र के विकास के लिए नहीं मिला। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि साढे तीन वर्ष पूर्व, चार वर्ष पूर्व वह पैसा कोटा जिला परिषद में पहुंचा, उसके तीन वर्ष बाद, 6-7 महीने पहले, पंचायतों को ट्रांसफर कर दिया गया। आज उस पैसे की यह स्थिति हो रही है कि उसको सरपंच खर्च नहीं कर पा रहा है, वह पैसा जैसे की तैसे पड़ा हुआ है। यानी राज्य सरकार से पैसा गया है और उस राज्य सरकार से जाने वाले पैसे से अगर पंचायत विकास करना चाहती है तो उसकी गाइडलाइंस राज्य सरकार के नियमानुसार होनी चाहिए। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि जिला परिषदों ने जैसे ही पैसा पंचायत समिति में ट्रांसफर किया तो एक नियम डाल दिया कि पंचायत की गाइडलाइन के अनुसार ही पैसा खर्च हो। आप बताएं, एक गांव के अन्दर 30 लाख, 20 लाख रुपया मात्र पेयजल के लिए खर्च करेंगे? हमारे यहां पचवाड़ पेयजल योजना चालू हो चुकी है, गांव-गांव में पानी हमारे यहां पहुंच चुका है। अगर उस पैसे को नाली और पीने के लिए खर्च करेंगे तो इतना पैसा वे कैसे खर्च कर सकते हैं? खनन क्षेत्र है, पथरीला इलाका है और नालियां भी इतनी आसानी से वहां नहीं बन सकतीं। खासकर ग्राम पंचायतों में इतनी परेशानी आ रही है कि सरपंचों ने नाराज होकर सीईओ, जिला परिषद, कोटा और जिला प्रमुख को जैसे ही वे पंचायत समिति में गये, उन्हें ताले के अन्दर बंद कर दिया। मेरा निवेदन है कि उसकी गाइडलाइन चेंज की जाए ताकि उस पैसे को विकास के लिए सरपंच लगा सकें।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगी। खनन क्षेत्र के जो मजदूर परिवार के सदस्य हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में विभाग को विचार करना चाहिए। आज की

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

तारीख में जितने भी मजदूर खनन क्षेत्र में मजदूरी करते हैं, उनकी सुरक्षा का कोई दायित्व खनन मालिकों का नहीं होता। अगर कोई मजदूर भी कहीं ट्रक से पत्थर गिरने से मर जाता है तो उसके लिए भी कुछ सहायता राशि दिलाने के लिए हम लोगों को रोड पर बैठना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): इसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। कोटा स्टोन की खानों में काम करने वाले मजदूरों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में भी विभाग को कुछ विचार करना चाहिए और खनन क्षेत्र की खानों में काम करने वाले मजदूरों के आवास, पेयजल और चिकित्सा के बारे में विभाग को ध्यान देना चाहिए।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगी, हमारे औद्योगिक क्षेत्र कोटा में जो उद्योग चल रहे हैं आज उन उद्योगों के ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है। मनमर्जी से उद्योग चल रहे हैं, प्रदूषण पर कोई अंकुश नहीं है, ठेकेदारी प्रथा पर कोई कंट्रोल नहीं है। स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता उन उद्योगों में नहीं दी जा रही है। आप देखें, उद्योग डलते हैं, जब उद्योग डलें तो लोगों से इस तरह का वादा उद्योगपति करते हैं कि आपको हम यहां पर नौकरी देंगे। लेकिन आप देखें, उद्योग डले वर्षों हो गये, लेकिन मैं मेरी कांस्टिट्वेंसी की बात कर रही हूं और कोटा की भी कहना चाहूंगी, कि वहां के स्थानीय व्यक्ति जो दिन-रात वहां के उद्योगों के चलने से धूल खाते हैं, समय के पहले बूढ़े हो जाते हैं, बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, उन लोगों को कोई नौकरियां उनमें नहीं दी जातीं। हम चाहते हैं उद्योगों को बढ़ावा मिले, कोटा स्टोन की फैक्ट्रियां रामगंजमण्डी के अन्दर लगी हुई हैं...

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें। थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं आपको बताना चाहूंगी ...(व्यवधान) बिलकुल, मैं मेरे क्षेत्र की समस्या रख रही हूं, इसके अलावा कोई बात नहीं कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्षेत्र की बात नहीं, समय की बात है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हम उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन उन उद्योगों की दुर्दशा हो रही है। लाखों-करोड़ों का कर्जा लेकर किसी भी उद्योगपति ने उद्योग डाला, वह उद्योगपति यह चाहता है कि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

समय पर उसका कर्जा चुके, वहां के मजदूर को समय पर पेमेंट मिले। लेकिन कोटा जिले की स्थिति यह हो रही है, चाहे फतेहपुर इण्डस्ट्रीज इलाके को लें, किसी को भी लें, उसे रूरल फीडर से जोड़ रखा है, उन्हें मात्र चार घण्टे लाइट मिलती है। मजदूरों को पैसे का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रभारी मंत्रीजी गये थे उनसे भी उन्होंने पीड़ा व्यक्त की थी, लेकिन दो माह के बाद भी वह बात जैसे की तैसे पड़ी हुई है, कोई काम नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली सप्लाई की जाए तो उसे इण्डस्ट्रीज से जोड़ा जाए न कि रूरल फीडर से जोड़ा जाए।

मैं एक निवेदन और कहना चाहूंगी, उद्योगों की जो खानें चल रही हैं, बड़ी-बड़ी खानें हैं। अभी भी कोई देखना चाहे तो रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में जाकर देखे, रोड पर इतना पानी नदियों की तरह बहा करता है, आज भी बह रहा है। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम वाटर रिचार्जिंग की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि पानी को बचाया जाए, लेकिन बरसात का हजारों एमएलडी पानी, करोड़ों एमएलडी पानी रोड पर बह रहा है, लेकिन उस पर आज तक किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं गया, कोई योजना उस पानी के लिए नहीं बनी। आज स्थिति यह हो गई कि पूरे रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र पर डार्क जोन का काला धब्बा लग गया। यदि आज वहां का किसान लोन लेने के लिए जाता है तो उसे कोई लोन नहीं मिलेगा, कोई जमीन पर उसको कर्जा नहीं मिलेगा। मेरा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि कुछ ऐसे नियम बनें और ऐसी ठोस योजनाएं बनें और जो बारिश का पानी है, जो खनन क्षेत्र का पानी है, उसे हम कैसे न कैसे रोकें ताकि उस क्षेत्र की उन्नति हो और उस क्षेत्र पर जो डार्क जोन का धब्बा लगा हुआ है उससे मुक्ति मिले।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगी कि कुछ नये उद्योग हाड़ौती में विकसित करने चाहिए क्योंकि वहां चम्बल का पानी है, वातावरण अनुकूल है और ट्रांसपोर्टेशन की पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब बजट भाषण प्रस्तुत किया तो उसमें रामगंजमण्डी का कहीं कोई नाम भी नहीं था जबकि कोटा जिले में इन सब बातों की सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं।

कोटा के बंद उद्योग हैं उनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। खासकर निवेदन कर रही हूं कि जब दीपावली का त्यौहार आया तो मजदूर भाइयों के साथ हमें भी वहां के जन प्रतिनिधि होने के नाते धरने पर बैठना

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

पड़ा। आप देखिए, चाहे सेमटेल फैक्ट्री हो, चाहे कोटा के केवलनगर की फैक्टरि हो, इन सब फैक्टरियों में यह स्थिति बनी हुई है कि सारी फैक्ट्री बंद होने के कगार पर हैं। कुछ तो बंद हो चुकीं और कुछ बंद होने के कगार पर हैं। वहां के फैक्टरी मालिक क्या करते हैं कि राजस्थान के बाहर के मजदूरों को लाकर राजस्थान के मजदूरों को वहां से भगाने में हमेशा लगे रहते हैं। तो इस पर भी राज्य सरकार का कहीं न कहीं कुछ अंकुश होना चाहिए। कुछ अंकुश होगा तो निश्चित है कि जो राजस्थान के विकास की बात करते हैं उस विकास में कहीं न कहीं हमारी और इस सरकार की कुछ भागीदारी होगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय चन्द्रकांताजी, विराजें आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): दो मिनट, ओनली दो मिनट। दो मिनट से तीसरी मिनट नहीं लूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: आपको कितना टाइम हो गया, पता है? आपको सबसे ज्यादा टाइम हो गया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): कुछ नहीं बोली। आबकारी की मैं बात रखना चाहती हूं, बहुत अच्छी बात है। मैं इस सदन में यह नहीं पूछना चाहती कि अवैध स्पिरिट राजस्थान से बाहर गयी, मैं मात्र इतना-सा निवेदन करना चाहती हूं कि आज आपने जो आबकारी की नीतियां बना रखी हैं वो नीतियां क्या हैं? आज देखिए, इस आबकारी विभाग के रवैये से सबसे ज्यादा परेशानी देखनी पड़ रही है तो वह राजस्थान की महिलाओं को देखनी पड़ रही है। सीधा-सीधा इस आबकारी का, इस शराब का जो असर पड़ता है, उसका असर देखने को मिलता है, चाहे किसी भी रूप में हम देखें, वह महिलाओं को भुगतना पड़ता है-चाहे उसके बच्चों के संस्कारों की बात हो, चाहे पैसों की बात हो। किसी भी दृष्टि से देखें तो महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी देखनी पड़ती है। अभी मुझसे पूर्व सदस्यों ने अपनी बात रखी कि आठ बजे बाद कोई दुकान नहीं खुलती। यदि कभी भी मंत्री महोदय कोटा या हाड़ौती में पधारें तो मैं खुद उनको साथ लेकर चलूंगी और दिखाऊंगी कि किस-किस जगह आठ बजे बाद कितनी अवैध शराब की दुकानें और जो लाइसेंसशुदा हैं वो दुकानें भी कितनी खुली हुई मिलेंगी। हमारे पास रात को 12 बजे भी फोन आता है बहनजी, जुल्मी में दुकान खुली हुई है, बहनजी मोडक में दुकान खुली हुई है, बहनजी, सातलखेड़ी में दुकान खुली हुई है। मैंने खुद प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग के नीचे से चिल्ला-चिल्लाकर शराब की अवैध दुकान हटवाई है। इससे

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

बड़ी शर्म की बात इस राजस्थान के लिए कोई नहीं हो सकती। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करती हूं, यह आप देखें कि आपका लाइसेंस एक है तो आपकी दुकानें अनेक क्यों हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय चन्द्रकान्ताजी, आप लगातार बोलती जा रही हैं, मैं आपको रोक भी नहीं पा रहा हूं, बीच में आप गैप दो तो मैं आपको रोकूं। अब समाप्त करो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस मैं अपनी बात को खतम कर रही हूं। ये जो गांव-गांव में शराब की दुकानें खुली हुई हैं, उन पर कहीं न कहीं हम लोग अंकुश लगाने की बात करें तो मैं समझती हूं कि हमारा जिला और प्रदेश और देश खुशहाल होगा, यही मैं निवेदन करना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय श्री महेन्द्रजी चौधरी। मांग संख्या कोई है ही नहीं, सब शामिल हैं आज।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 42, 43 और 13-उद्योग, खनिज और आबकारी पर चर्चा हो रही है। उद्योग पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से मजदूर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट में विशेष प्रावधान किया है। वस्त्र उत्पादन में राजस्थान का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। टपूकड़ा (अलवर) में विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में 250 एकड़ भूमि रियायत दर पर रेडीमेड वस्त्रों के निर्माण हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी जिसमें 36,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से और 56,000 से अधिक व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। 850 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। वस्त्र प्रदर्शनी, 2012 में विभिन्न देशों की कपड़ा कम्पनियां भाग लेंगी। राजस्थान आटो हब बन चुका है। होण्डा सिएल कार और होण्डा मोटरसाइकिल व स्कूटर, अशोका लीलेण्ड, आयशर उत्पादन इकाइयां अपनी उपस्थिति यहां दर्ज करा चुकी हैं। खुशखेड़ा और टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 700 एकड़ भूमि में दो आटो जोन भी बनाये जाएंगे।

मेरे नागौर जिले का विधान सभा क्षेत्र नावां जहां नमक का उत्पादन होता है, उस नमक उत्पादन में राजस्थान के बाहर के करीब एक लाख मजदूर काम करते हैं- वह चाहे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का हो, चाहे उत्तर प्रदेश

(श्री महेन्द्र चौधरी)

का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, चाहे राजस्थान में फलौदी का हो, सुजानगढ़ का हो या। अन्य जगहों के भी मजदूर नमक उत्पादन के अन्दर नावां के अन्दर निवास करते हैं, काम करते हैं। 3,000 ट्रेक्टर उस नमक के कार्य में रोजाना कार्यरत हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी ओर से मांग रख रहा हूं कि नावां और कुचामन दोनों कस्बे हैं, दोनों को औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर शामिल किया जाना चाहिए। लवण क्षेत्र में सड़कों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वहां पर नई सड़कें बनाई जानी चाहिए। उसके साथ-साथ में सड़कों की मरम्मत भी करनी चाहिए। सरगोठ-कुचामन सिटी, जाब्ती नगर लवण क्षेत्र में पानी की जो टंकियां बनी हुई हैं, उनमें पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, यह भी मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं।

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने गरीब और मजदूर का विशेष ध्यान रखा है। जो मजदूर काम करते हैं, उनकी स्थिति अगर देखी जाए तो मजदूर नमक में अपने पैर गड़ाये रखता है, उसकी आंखें हरदम नमक की पानी और हवा को सहन करती है। उसके लिए कांग्रेस की सरकार ने मजदूरों को समय-समय पर गमबूट्स भी दिये हैं, उन्हें गोगल्स भी अवेलेबल कराये हैं। मजदूरों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको साइकिल भी वितरित की जा रही है। उसके अलावा उनकी नि:शुल्क चिकित्सा की व्यवस्था कराई जाती है। मजदूर श्रमिकों के बच्चों को जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें, पढ़ाई के अन्दर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लेकिन, मंत्री महोदय, इस वर्ष नागौर में अधिकारी नहीं होने की वजह से जो गमबूट्स, साइकिल, चश्मा जो आपके द्वारा वितरित किये जा रहे थे, वे नहीं बंट सके हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनका भी आप विशेष रूप से ध्यान दें।

दूसरा, नावां के अन्दर नमक श्रमिकों के रहने के लिए 361 मकान इस सरकार ने उपलब्ध करवाये हैं, वहां पर पानी की व्यवस्था भी करवाई है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि नावां के अन्दर 1,500 के करीब औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं और नई इकाइयां और भी लगाई जा रही हैं। इनसे सम्बन्धित किसी का भी कोई कार्य होता है तो उनको नागौर जाना पड़ता है और वहां से नागौर की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, इसलिए मेरी मांग है कि जिला उद्योग उप केन्द्र की स्थापना नावां के अन्दर कराई जाए ताकि लोगों को नागौर न जाना पड़े।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

लवण निरीक्षक कार्यालय के लिए सरकारी भवन की आवश्यकता है, उसके लिए भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, नावां नगरपालिका परिधि नियंत्रण पट्टी में दो साल तक औद्योगिक कन्वर्जन नहीं हो रहा है। नमक उद्योग के लिए पेराफेरी क्षेत्र में नगरपालिका की तरह कन्वर्जन होना चाहिए। दो साल की जो बंदिश लगी हुई है, उसको मैं हटाने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं।

लघु उद्योगों में बिजली कनेक्शन के लिए एस.आई.टी. श्रेणी 25 एचपी की है, उसको बढ़ाकर 40 एचपी किया जाए और उसका लोड स्वीकृत किया जाए। उसके अलावा एम.आई.टी. विद्युत लोड को 41 एचपी से करके 100 एचपी किया जाए, यह भी मेरी आप से मांग है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राजस्थान के अन्दर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। पिछली सरकार में उद्योग धंधों के अन्दर क्या-क्या बात हुई थी, वह भी इस सदन में रखना चाहूंगा क्योंकि प्रतिपक्ष के सदस्यों ने भी कई प्रकार की बातें उद्योग के बारे में, खनिज के बारे में और आबकारी के बारे में बताई हैं। बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बार-बार आने वाले पत्रों तथा इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताने के बाद भी पिछली सरकार की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गम्भीर रुख नहीं अपनाया। बाड़मेर रिफाइनरी की स्थापना के मामले में पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने यह कहकर जनता को भ्रमित कर रखा था कि बाड़मेर में स्थापित होने वाली रिफाइनरी भटिण्डा में स्थानान्तरित कर दी गई है। लेकिन माननीय पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने तथ्यपूर्ण ढंग से यह बताया कि भटिण्डा रिफाइनरी का शिलान्यास तो नवम्बर, 1998 में ही तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी ने कर दिया था क्योंकि उस समय केन्द्र के अन्दर एनडीए की सरकार थी। जसवन्तजी, सुभाष महरियाजी और वसुन्धराजी खुद उस वक्त केन्द्र में मंत्री थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त भी गलत बयान दिये गये थे उद्योग के मामले में।

खनिज के मामले में मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य सरकार ने दो वर्षों में बार्डर होमगार्डस लगाये उनके अच्छे परिणाम रहे हैं और उससे अवैध खनन रुका भी है। अभी हाल ही के बजट में खनिज रक्षा दल बनाया गया है, 1,000 जवानों की बटालियन के

(श्री महेन्द्र चौधरी)

गठन की घोषणा अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट भाषण में की गई है। खनिज क्षेत्रों में सुविधा विस्तार की दृष्टि से अनेक जिले, नागौर जिला सहित जोधपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में माइनिंग सड़कों का बीओटी बेसिस पर निर्माण कराया जाएगा जिनकी लागत करीब 500 करोड़ रुपये है।

(19.00 बजे)

अभी मेरे से पूर्व, पूर्व उद्योग मंत्री उद्योग के बारे में बोल रहे थे। आज हमारे उद्योग मंत्री भी बैठे हैं, जब उनको चिकित्सा मंत्री से हटाकर उद्योग मंत्री बनाया गया था, उस वक्त उन्होंने उद्योग भवन के अन्दर एक चैम्बर बनाया था पचास लाख रुपये का। कागजों के अन्दर अंकित पचास लाख रुपये के चैम्बर का जनता की गाढ़ी कमाई को ठिकाने लगाने के लिए उद्योग मंत्री बनते ही उन्होंने निर्माण कराया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो सब्जैक्ट के अलावा तीसरा सब्जैक्ट है आबकारी और आबकारी का दूसरा नाम शराब। शराब के मामले में अगर प्रतिपक्ष के सदस्य या पूर्ववर्ती सरकार अगर अपने आंकड़े उठाकर देखें तो एक इतिहास है इनके नाम पर शराब का। जब इनकी सरकार बनी थी तो राजस्थान में शराब को इन्होंने अपना परम मित्र मानकर अपना काम स्टार्ट किया था। क्या किया था? अधिकांश लोग शराब में मस्त रहने लगे, बीबी-बच्चे भूख से पस्त होने लगे। बोर्ड लगा दिये पूरे राजस्थान के अन्दर कि हर मां को अपने बच्चे को एक गिलास दूध का पिलाना चाहिए। अब आप इनसे पूछिये कि जब बाप को दारू पिलाई जा रही है तो मां बेटे को दूध का गिलास कैसे पिलाएगी। इस प्रकार के कई उदाहरण हुए हैं राजस्थान के अन्दर। शराब की दुकानें ग्यारह बजे खुल जाती थीं और रात को देर तक, ग्यारह-ग्यारह बजे तक खुली रहती थीं। जयपुर के एक होटल में आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद की बैठक में क्या हुआ था उस कार्यकाल के अन्दर शराब के नशे में? आपत्तिजनक ढंग से रामनामी रूद्राक्ष माला धारण कर बालिकाओं ने सत्कार के नाम पर शराब परोसी थी। पूरे पांच साल तक उसके दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुष्कर में शराब के नशे में विदेशी महिला से बलात्कार हुआ, पुष्कर में ही कलक्टर और एसपी की उपस्थिति में शराब की मस्ती में विदेशियों द्वारा नंगे नाच किये गये। जयपुर कलेक्ट्रेट में बार बालाओं द्वारा अश्लील नृत्य किये गये, जमवारामगढ़ सवाईपुरा में डांस पार्टी के नाम के ऊपर नंगा नाच हुआ। जहरीली शराब से इनके कार्यकाल के अन्दर 56 मौतें हुईं,

(श्री महेन्द्र चौधरी)

कोलायत के अन्दर 34 लोग मरे, अलवर में 12 लोग मरे, सांगानेर में 4 लोग मरे, कंवलियाबास-भीलवाड़ा में 3 लोग मरे और गुढा का बास, झुंझुनूं में 3 लोग मरे। महारानी वाइन्स के नाम से दुकानें खोली गईं पूरे प्रदेश के अन्दर, जहां-जहां शराब की दुकानें हैं वहां पर महारानी वाइन्स खोली गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस वक्त शराब संस्कृति को बढ़ावा मिला। राजीव गांधीजी ने 18 साल के नौजवान को वोट डालने का अधिकार दिया था, उस युवा शक्ति को इन्होंने कमजोर किया। युवा शक्ति शराब के नशे में झूम-झूमकर अपनी शक्ति को खो चुकी थी। मंदिर-मस्जिद के पास शराब की दुकानें खोली गईं। राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 156 दुकानों को बंद किया गया। समय आठ से दस कर दिया। और भी जो काम हैं, वे भी, माननीय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। विधान सभा में जब हम आये थे तो देखा था कि एक सदस्य ने पूरे दिन पट्टी बांध रखी थी, व्हाइट पट्टी। हमने कहा, भई, यह पट्टी किस प्रकार की है? जैन समाज में सफेद मुमती होती है वह बांधी जाती है, लेकिन उसके लिए प्रतिबंध होता है, शराब पीने वाला व्यक्ति उसको नहीं बांध सकता है। लेकिन वह इन्होंने इस विधान सभा में आने के बाद में किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि ये कार्य आप लोगों ने किये हैं ...(व्यवधान) वह ये खुद बताएंगे, इन्होंने क्या-क्या किया है। बाकी मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप, संक्षेप में।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): संक्षेप में कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर आबकारी का गोदाम पहले चल रहा था। मैं मजदूरों के हित में कह रहा हूं, नावां के अन्दर गंगानगर शुगर मिल्स का गोदाम था जहां पर मजदूर कार्य करते थे, उस कार्यालय को कहीं ट्रांसफर कर दिया। इसलिए आप इसको नोट करके उस कार्यालय को वापस नावां के अन्दर स्वीकृति दिलाने की कृपा करें। इस क्षेत्र के लिए और प्रदेश की जनता के लिए उद्योग, खनिज और आबकारी के अन्दर राजस्थान की सरकार अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा कार्य माननीय उद्योग मंत्रीजी कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज काफी वक्ताओं को बोलना है, आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पेमारामजी । संक्षेप में, माननीय पेमारामजी, आप बहुत लम्बा बोल जाते हैं।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 42, 43 और 13 पर चर्चा में अपने आप को सम्मिलित करता हूं। जहां तक खनिज का सवाल है, पूरे राजस्थान में खनिज नीति क्या बनाई, यह तो मैं नहीं जानता, पर अभी हमारे नीमकाथाना से चुन करके आने वाले माननीय सदस्य ने बताया। वाकई में तीन साल के बाद, यह सरकार आने के बाद नीति बनी। सीकर जिले का नीमकाथाना, सोने की लंका, प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं, लेकिन तीन साल हो गये, इन तीन सालों में एक कहावत है राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट।

श्री उपाध्यक्ष: राम नाम की? और की तो नहीं है न?

श्री पेमाराम (धोद): होड़ लगी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी होड़ लगी हुई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। राजस्थान में मैं समझता हूं कि सरकार नाम की चीज कहीं बच नहीं पाई। या तो सरकार की मिलीभगत है। अवैध खनन करने वाले, ब्लास्टिंग करने वाले, नियम विरुद्ध काम करने वाले मजे में हैं। जनता सड़कों पर आई है, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। टीबी, दमा इस तरह की बीमारियां उस इलाके में फैल रही हैं। उसके बावजूद भी सरकार तो उलटा काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में 1 मई, 2011, मई दिवस, मजदूर दिवस, छुट्टी का दिन, रविवार था, लेकिन इनका प्रशासन भी मिला हुआ। हिन्दुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि कहीं भी चरागाह में कोई रास्ता, कटान या अलाटमेंट नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अवैध खनन माफियाओं के लिए राजस्थान की सरकार के प्रशासन ने खनन माफियाओं से मिलीभगत करके छुट्टी के दिन, एक ही दिन में पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलक्टर तमाम ने मिलकर रास्ता काट दिया। उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है, लेकिन वे इसलिए चाह रहे थे कि अवैध खनन करने वालों को हाई कोर्ट में जाकर स्टे लेने तक का मौका किस तरह से दिया जाए। उसी दिन नामांतरकरण तस्दीक करवा दिया। मैं समझता हूं कि सरकार की राय के बिना प्रशासन की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं होती कि छुट्टी के दिन इस तरह से घृणित काम करे। उसके बाद जनता सड़कों पर आई, विरोध किया, लोग रास्ता रोककर बैठ गये, तो उसी प्रशासन को अपना आदेश विदड्रा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सरकार ने आज तक जहमत नहीं उठाई कि उसकी जांच करवाए, गलत करने वाले के

(श्री पेमाराम)

खिलाफ एक्शन ले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस तरह से अवैध ब्लास्टिंग करते हैं कि लोगों के मकान गिर रहे हैं। गरीब के पास या तो बकरी होती है या गाय होती है, उन गांवों में ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिसमें उसका कोई पशुधन खतम नहीं हुआ हो, उसके किसी मकान की पट्टी नहीं टूटी हो। ऐसी बुरी हालत करके रख दी जिसकी कोई सीमा ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी खनिज मंत्रीजी विराज रहे हैं, मेरी कांस्टिट्वेंसी की बात बताना चाहूंगा। एक पहाड़ी है सामी गांव में, चरागाह दर्ज है। जब देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक चरागाह है और खनिज के लिए अलाटमेंट की कार्यवाही चल रही है। अब या तो मंत्रीजी को पता नहीं, या फिर इनका प्रशासन इनके कब्जे में नहीं। इस तरह के घृणित कार्य किये जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान में कहीं खनिज नाम की कोई नीति नहीं। खनिज के नाम पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, मरजी में आये जैसे लूट-खसोट का धंधा चल रहा है। मैं समझता हूं कि यह कोई पक्ष और प्रतिपक्ष का सवाल नहीं, खनिज सम्पदा का दोहन करके राजस्थान की सरकार के खजाने में टैक्स के रूप में पैसा आना चाहिए, एक तो उसका नुकसान होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार को चाहिए कि तत्काल ही इस पर रोक लगाए और कोई उचित कार्यवाही करे।

इसी के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक दारू, आबकारी का सवाल है, शराब का सवाल है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इनका वैध ठेका एक है और उसकी ब्रांचें हैं चार-न स्कूल को बख्शा, न मंदिर को बख्शा, न मस्जिद को बख्शा, नेशनल हाइवे को बख्शा, न सड़क को बख्शा। कहीं पर पानी किसी को पिलाया कि नहीं पिलाया लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गहलोत साहब की सरकार को जिसने हर घर के नजदीक शराब की दुकान लगाकर शराब पिलाने का काम किया और जनता को मारने का काम किया है। इसके अलावा कोई भला काम नहीं किया है। कौन कहता है कि आठ बजे दुकानें बंद होती हैं? हमारे ज़िले में, मंत्रीजी, मेरे साथ चलो, या तो मंत्रीजी की राय से हो रहा है, वर्ना आठ क्या शराब कोई लेना चाहे तो रात को तीन बजे भी दुकानें खुली रहती हैं। हां, एक काम हो गया है, आठ बजे तक उसकी कीमत जो भी निर्धारित होती है उसके बाद उसका सवाया, डेढ़ा, दुगुना पैसा देना पड़ता है। लेकिन मर्जी में आए उस टाइम पर हमारे ज़िले में तो खुले तौर पर हो रहा है। यही नहीं, सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुदण गांव में इनका एक दारू का ठेका है, स्कूल के नजदीक होली के दिन की बात, वहां गींदड़ खेल रहे

(श्री पेमाराम)

थे। दारू वाले जाकर वहां उत्पात करते हैं और प्रशासन दारू माफियाओं के आगे नत मस्तक होकर जनता पर मुकदमा बनाता है। जनता सड़कों पर आती है। चाहे खनिज का सवाल हो, चाहे आबकारी का सवाल हो, दोनों के दोनों सवाल हमारे ज़िले में कानून व्यवस्था बनने और बिगड़ने के सवाल हैं। इसलिए मैं अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए एक ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप धन्यवाद देंगे या मैं दूं?

श्री पेमाराम (धोद): मैं तो आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करिए।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे ही समाप्त हो जाती, मुख बंद करके करवा लेते। आधा दिन तो बिल में चला गया और तीन महकमे आपने एक ही साथ दे दिये।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप समाप्त करें।

श्री पेमाराम (धोद): सरकार चाहती ही नहीं है चर्चा करना। हमें पता है इस बात का कि राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार लूट करने वाले लुटेरों को रोकना नहीं चाहती। हमें पता है इस बात का अच्छी तरह से। हमारा जिला हरियाणा बार्डर पर है, हरियाणा से खुले तौर से और कहीं आए कि नहीं आए, मैं कोटा, उदयपुर की बात नहीं जानता, सीकर जिले में जितनी अवैध शराब है उससे चार गुणा अवैध शराब हरियाणा से आती है, धड़ल्ले के साथ आती है। सीकर के एसपी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो अवैध शराब लाने वाली गाड़ियों को रोक सके। या तो मैं समझता हूं कि सरकार का संरक्षण है या फिर माफियाओं का राज है, दोनों में से एक ही बात है। इसलिए मैं यही बात कहना चाहूंगा कि यदि कहीं भी...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य, विराजें।

श्री पेमाराम (धोद): सरकार है तो निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि अवैध खनन और अवैध शराब को रोके। आठ बजे की आप बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय मेरी पड़ोसी सीट से चुनाव जीत कर आये हैं, उनके वहीं पर कभी भी किसी भी समय-रात के दो बजे, तीन बजे, चार बजे किसी को भी भेज दें, आपको पता चल जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय जवाब में इन बातों को स्वीकार करें और उन्हें रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री ओमजी बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में...

श्री उपाध्यक्ष: 7 बजकर 14 मिनट पर आप बोल रहे हो, देखिए, दस मिनट से ज्यादा नहीं, आज सदन में सबसे ज्यादा...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इनकी सेहत की चिंता है उपाध्यक्षजी को, दिनभर से बोल रहे हो आप।

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल, कोटा डिविजन का सवाल है। आजकल मैं इनका मेहमान हूं। समाप्त करें दस मिनट में।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): दस मिनट में नहीं, साहब, बीस मिनट पहले काम नहीं निपटेगा, भले ही बैठ जाऊं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, इनका तो लिखा हुआ मान लो।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): लिखा हुआ मान लो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 13, 42 और 43 पर चर्चा हो रही है। मांग संख्या 13 आबकारी पर हमारे सत्ता पक्ष के माननीय कई विधायक और मुख्य मंत्रीजी ने सरकार आने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव में कहा था कि राजस्थान में शराब संस्कृति आ गई है। शराब की दुकानें गली-गली खुल गई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जब जवाब दें, केवल इतनी-सी बात का जवाब दे दें कि राजस्थान के अन्दर कितनी दुकानें उन्होंने कम की हैं? मैं आन रिकार्ड बता सकता हूं, 2008-09 में नान कंपोजिट मदिरा की दुकानें 3193, कंपोजिट दुकानें 3467 थीं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने गली का रास्ता निकाल दिया। जिस गांव के अन्दर देशी शराब मिलती थी वहां देशी शराब के साथ इंगलिश का आउटलैट और चालू कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1762 देशी शराब, उसके साथ कंपोजिट इंगलिश की दुकानें 4898 कुल 6600 कर दीं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब के समय यह बता दें, जब से इनका राज आया है ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो यह भी वादा किया कि हम शराब संस्कृति को बंद करने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे प्रयास किये। अभी जब बजट पेश कर रहे थे जब शराब, तम्बाकू व अन्य पर भाषण करके मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम ऐसी संस्कृति को डिसकरेज करना चाहते हैं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार

(श्री ओम बिरला)

डिस्करेज कर रही है? सीकर से आने वाले तमाम विधायकों ने कहा है, इनके राज में 2008-09 की तुलना में देशी शराब का सेवन 39.62 प्रतिशत बढ़ा है और विदेशी सेवन का प्रतिशत 25 प्रतिशत बढ़ा है। और इनके बीयर बार की क्या हालत है? इनके बीयर बार की हालत बहुत खराब है। 2008-09 में 380 बीयर बार थे जो क्लब में और रेस्टोरेंट में खोलकर 758 हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो कहा था कि शराब संस्कृति को डिस्करेज करेंगे। हमारे नावां से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे कि शराब संस्कृति से परिवार बिगड़ गये, झगड़े बढ़ गये। क्या इस शराब को धरती पी गई? आसमान में चली गई, कहां गई यह शराब? कौन ने पी शराब? हम शराब संस्कृति की बात कर रहे हैं, और इस राजस्थान के अन्दर शराब संस्कृति का विस्तार और तस्करों का विस्तार सरकार के संरक्षण में हुआ, अवैध शराब का काम हुआ। राजस्थान के इतिहास में ऐसा काम कभी नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता राजस्थान के मुख्य मंत्री शराबबंदी करते, शराब को डिस्करेज करते और शराब की आय को डिस्करेज करके राजस्थान के अन्दर उद्योग और व्यापार को बढ़ाने का काम करते। हम कोई तुलना नहीं करना चाहते लेकिन अच्छे कार्यों को देखना चाहिए, अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा पड़ोसी राज्य गुजरात, शराब बंदी करने के बाद भी आज गुजरात के अन्दर राजस्व आधिक्य का बजट है- अपने कल-कारख़ानों के द्वारा, अपने उद्योगों के द्वारा। हमारे से छोटा प्रदेश, आबादी में हमारे से बढ़ा। कम संसाधन, कम मिनरल, कम वाटर, बिजली की उपलब्धता कम है। लेकिन उसके बाद भी आज गुजरात हम से ज्यादा बढ़ रहा है। यह चिंता का विषय नहीं है? अगर राजस्थान की सरकार को कोई परहेज है, कोई देखना नहीं चाहता तो यह अलग बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री को उसी विजन से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस प्रदेश में बैठे हैं हमारी संस्कृति, हमारा जीवन यहां पर हुआ है। हमारा प्रदेश भी खुशहाल, प्रगति और विकासशील प्रदेश होना चाहिए। आज जब गुजरात की चर्चा करते हैं, हमारी सरकार है लेकिन उसके बाद भी हमारा मन कहता है कि राजस्थान देश में उद्योग और व्यापार में सबसे आगे होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बड़ा दावा किया गया कि हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है, उसका अधिनियम लागू कर दिया है। 1.4.2011 को इन्होंने अधिनियम लागू किया और उस अधिनियम के माध्यम

(श्री ओम बिरला)

से कहा कि अब नये उद्योग, कारखानों के रास्ते खुल गये हैं। हम नये कारखाने खोलेंगे एक विंडो सिस्टम से। एक विंडो के पीछे कितने सिस्टम हैं, कितनी विंडो खुली हुई है? आज हालत क्या है, एक विंडो के पीछे हजारों विंडो, कौन रोकेगा इसको? आज देश की सरकार है चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो चाहे इनकी सरकार हो, हर सरकार यह कोशिश करती है कि हमारे यहां उद्योगपति आए, व्यापार आए। उद्योगपति और व्यापारियों को अगर छूट भी देंगे तो आने वाले समय में टैक्स की रेवेन्यू बढ़ेगी, सेन्टर के टैक्स की रेवेन्यू बढ़ेगी। दोनों टैक्स की रेवेन्यू बढ़ने से हमारा प्रदेश आगे आएगा। लेकिन यहां पर क्या हालात हैं? यहां पर पिछली बार 232 प्रस्तावों में 14,429 करोड़ के प्रस्ताव आये जिसमें से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3,599 करोड़ के 67 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम 2010-11 के आंकड़े देखें तो 2010-11 में 11,334 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आये थे। 2011-12 की तो स्थिति और है, सिंगल विंडो लागू कर दिया उसके बाद भी 1,307 करोड़ के प्रस्ताव आये। क्यों नहीं आ रहे हैं यहां पर? हमारे यहां क्यों नहीं उद्योग आ रहे हैं? हमने यहां पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन किया, पैसा भी अच्छा खर्च किया। क्या हुआ प्रवासी भारतीय सम्मेलन से? जो सरकार प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कहने लग जाए कि हमने प्रवासी भारतीय सम्मेलन इसलिए नहीं किया था कि निवेश आये हमने किया था हमारी माटी से जोड़ने के लिए, क्या माटी से जोड़ोगे? हर सरकार का मकसद होता है निवेश लाना, उद्योग बढ़ाना, विस्तार करना। यह आपकी नाकामी है, आपकी असफलता है। मंत्रियों ने जिस तरीके से व्यवहार किया है, आप वहां पर विजन नहीं दे पाये। आपके पास कोई प्रोजैक्ट नहीं था। इसी कारण यहां पर प्रवासी सम्मेलन होने के बाद भी, सारे उद्योगपति आने के बाद भी हम एक प्रस्ताव नहीं ला सके। गुजरात में चले जाओ, बाइब्रेंट गुजरात हुआ, सारे देश के उद्योगपति टाटा, बिड़ला से लेकर, अम्बानी से लेकर तमाम उद्योगपति बैठे और उन्होंने कहा कि हम यहां निवेश करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, बोलूंगा मैं तो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मेरी तो बात ही शुरू नहीं हुई, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): गुजरात में 9 लाख करोड़ के प्रस्ताव के एक दिन में एग्रीमेंट पर साइन हुए, एग्जीक्यूशन पर हुआ। क्या हुआ प्रवासी भारतीय में? आप यह दलील देना चाहते हैं। आपके पास कोई प्रस्ताव नहीं आते तो इस दलील के माध्यम से चलना चाहते हैं कि हम यहां पर केवल माटी से जोड़ने आये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की विफलता पूरे देश की जनता ने देखी है। जब देश की जनता यहां पर थी, उद्योगपति थे तो देख रहे थे। गुजरात के मुख्य मंत्री यहां बोल रहे थे, राजस्थान की धरती पर बोल रहे थे। हमारी धरती पर बोलकर प्रस्ताव ले जाए। देश के सारे उद्योगपति उनको सुनने के लिए बेताब बैठे रहे। हमारे मुख्य मंत्री के पास न विजन था न कार्यप्रणाली थी, न कोई योजना थी जिसके कारण इतना बड़ा प्रवासी सम्मेलन होने के बाद भी हम देश के अन्दर से, विदेश से मिलाकर कोई निवेश का एक प्रस्ताव नहीं ला सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोग कहेंगे कि गुजरात की चर्चा यहां कर रहे हैं लेकिन मैं एक विषय बताना चाहता हूं, आज गुजरात प्रदेश, छोटे प्रदेश में चले जाओ। आप चले जाओ अंकलेश्वर के अन्दर, भरूच के अन्दर केमिकल जोन बना हुआ है। सूरत में टैक्सटाइल का जोन बना है। आनन्द में डेयरी का जोन बना है। राजकोट में मेरर इंडस्ट्रीज मशीनरीज मैन्यूफैक्चर का बना है। भावनगर में आटोमोबाइल शिप ब्रेकिंग का बना है। अहमदाबाद में मेडिकल ट्यूरिज्म फार्मास्युटिकल्स का बना है। बड़ौदा में पैट्रो केमिकल बेस इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर का बना है। मोरी में फ्लोरोसेंट टाइल्स और दीवार घड़ी का बना है। हिम्मतनगर में फ्लोरोसेंट टाइल्स बनी है। जामनगर में हार्ड वेयर इण्डस्ट्री बनी है और कच्छ में सोलर पावर और सीमेंट प्लांट बना है। क्या स्थिति है हमारी? हमारे ब्यावर की टाइल्स बनाने वाली क्वार्टज गुजरात में जाती है, हिम्मतनगर में जाती है। हम क्यों नहीं यहां पर नैचुरल गैस लाएं? क्यों नहीं हमारे यहां रॉ मैटीरियल का उत्पादन हो? क्यों नहीं इण्डस्ट्रीज बनें, क्यों नहीं हमारा विजन बनता? आपकी सरकार यहां भी है, दिल्ली में भी है, बहुत वर्षों बाद यह सौभाग्य राजस्थान की धरती को मिला है कि राज्य में भी आपकी सरकार और दिल्ली में भी आपकी सरकार है।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ...(व्यवधान) फैल्सपार से बनती हैं टाइल्स, क्वार्टज से नहीं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ज्यादा ज्ञान नहीं है।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): हम कह रहे हैं तो आप गलत बोल गये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्वार्टज से बनती हैं, जो कच्चा माल होता है वो ब्यावर में पैदा होता है।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): फैल्सपार होता है वो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): भीलवाड़ा के अन्दर हमारे कल-कारखाने लगे, चलने लगे तो हमने क्या किया? टैक्स लगा दिया। सूरत का मुकाबला हम भीलवाड़ा से करने लगे थे। भीलवाड़ा में देश का टैक्सटाइल उद्योग लगने लगा था। गुजरात में सूरत के टैक्सटाइल उद्योग पर आज तक वहां की सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया। हमारे यहां उद्योग आने लगे...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उप नेता महोदय, ये सारी तुलना गुजरात से हो रही है, इसका मतलब आपकी सरकार ने तो पांच साल में कुछ किया ही नहीं यहां। खुद ही मान रहे हैं। एकाध तो बता दो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, बताएंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप भी सरकार में रहे हो, एकाध तो बताओ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं-नहीं, हमारी सरकार ने तो कुछ नहीं किया, आपकी सरकार कर ले।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): 38 बार गुजरात का नाम लिया है अब तक।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अभी तो लूंगा।

एक माननीय सदस्य: गुजरात से राजस्थान में आ जाओ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आ गया राजस्थान के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष: बिरलाजी, संक्षिप्त करें प्लीज।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां भीलवाड़ा के टैक्सटाइल जोन को बढ़ाने के लिए हमें समुचित प्रयास करने चाहिए। जयपुर के अन्दर हम बहुत बड़ा चिकित्सा समूह बना सकते हैं। ये सुन लो बातें जो बनाने की आवश्यकता है मंत्री महोदय। विजन बनाओ। जाओ तो उद्योगपति आपकी तरफ आए। हल्ला नहीं करे कि मंत्रीजी को भगाओ। ऐसा

(श्री ओम बिरला)

हल्ला नहीं होना चाहिए, विजन जाना चाहिए, जब निवेश लेने आये थे यहां पर, तो जाना चाहिए था। राजस्थान का उद्योगपति जा रहा है, शूरवीरों की धरती राजस्थान के सीकर की धरती का माल जा रहा है तो लोग लेकर आएं। सेठ वहीं रहते हैं सीकर, झुंझुनूं के अन्दर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम ट्यूरिज्म के साथ-साथ चिकित्सा फार्मा इण्डस्ट्रीज का बहुत बड़ा जोन जयपुर में बना सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मिनरल का सबसे बड़ा क्षेत्र है, किशनगढ़ चले जाएं, मकराना चले जाएं, किशनगढ़-मकराना मिलाकर एक बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल जोन बना सकते हैं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, आप भी आते हैं, सैंड स्टोन, कोटा स्टोन का बहुत बड़ा हब है। सैंड स्टोन वहां से निर्यात होने लगा है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, बिरलाजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाड़ौती की बात कर लें फिर।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो गुजरात की करो, हाड़ौती की नहीं करना।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कह दी न राजस्थान की।

श्री उपाध्यक्ष: यह आप आपस में नहीं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैंने उपाध्यक्ष महोदय, इनको विजन दिया, यह विजन को नहीं देखना चाहते।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): एक मिनट।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जिस तरीके से गुजरात ने हर जिले को अलग-अलग जोन बनाकर विकसित किया...

श्री उपाध्यक्ष: इनको बोलने दें। बोलने दें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप भी राजस्थान के हर क्षेत्र को विकसित बनाने का विजन रखो।

श्री उपाध्यक्ष: आप कनक्लूड करिये। भूमिका नहीं बांध कर अब तो कनक्लूड करें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए, क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42, 43 व 13 पर विचार

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): चलो, आपने बढ़ा दिया तो अब पांच मिनट में खतम करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बीस बाकी हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हाड़ौती सम्भाग...

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट में कनक्लूड करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एक मिनट में तो नहीं करूंगा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट में करना है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हाड़ौती सम्भाग बहुत बड़ा इलाका बन सकता है जहां पर ब्राडगेज लाइन है, जहां पानी है, जहां बिजली का हब है और रोड कनैक्टिविटी है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि कोटा में जाओ तो उद्योगों के लिए जमीन नहीं। आज बूंदी में चले जाओ तो सैंड स्टोन के लिए सरकार की कोई कार्य योजना नहीं। कोटा स्टोन जो पूरे देश में जाता है, उसके लिए कोई कार्य योजना नहीं। वहां से एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, वहां पर यूनिट लगना चाहिए। लोग चिल्लाते-चिल्लाते थक गये कि वहां सेज बनना चाहिए, पर एक स्टोन का सेज तीन साल हो गये, सरकार ने बनाने का प्रयास नहीं किया। हालत यह है कि इस औद्योगिक नगरी कोटा के चम्बल नदी के किनारे बैठने के बाद भी आज इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर पानी नहीं है इण्डस्ट्रीज के लिए। मण्डाना में

(श्री ओम बिरला)

पानी नहीं है। दनेसर में पानी नहीं है। नदी का पानी वहां ले जाकर उद्योगों को विकसित करने की कार्य योजना नहीं है। हाड़ौती क्षेत्र जो किसी जमाने में औद्योगिक नगरी कहलाता था, आज वहां एटामिक पावर से लेकर तमाम है, गैस की पाइपलाइन भी डल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सरकार का विजन नहीं होने के कारण आज पूरा का पूरा क्षेत्र औद्योगिक रूप से विस्तार से अछूता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, मंत्रीजी, अब तीन साल हो गये, आप जाइए, जिस क्षेत्र में जो सम्भावनाएं बनती हैं, जिस जिले में जो-जो सम्भावनाएं बनती हैं, विजन के आधार पर, आपके पास अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे विजन वाले अधिकारी हैं, उनका उपयोग करिये। आपके मुख्य मंत्रीजी से कहो कि अधिकारियों से डरो मत, औद्योगिक लोगों को साथ में बिठाओ, फैसला करो। जब उद्योगपति आए तो वह एग्रीमेंट पर साइन करके जाए, यह विजन राजस्थान के मुख्य मंत्री का होना चाहिये। अगर यह विजन नहीं हुआ, हम शराब के पैसों के आधार पर इस राजस्थान का विकास नहीं करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, विराजिए, अब आप विराजिए। माननीय सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत। अब सिर्फ सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत का अंकित होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सुरेन्द्र सिंहजी, आप प्रारम्भ करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 42, 43 और 13 पर बोलूंगा। सबसे पहले मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान में औद्योगिक माहौल किस तरह से बने, उसके लिये जो प्रयास होने चाहिये वे सब किये। मेरे से पूर्व सदस्य बोल रहे थे कि विजन नहीं है, अगर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का विजन नहीं होता तो हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंहजी प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन के लिये राजस्थान को नहीं चुनते। उन्होंने सोच समझकर राजस्थान को चुना है। माननीय सदस्य गुजरात की बात कर रहे हैं, अगर गुजरात उनके समझ में आता तो निश्चित रूप से वह गुजरात का चयन करते, लेकिन राजस्थान का चयन कर प्रधान मंत्रीजी ने हमारे मुख्य मंत्रीजी के विजन के ऊपर मोहर लगा दी है कि राजस्थान में बेहतर स्थितियां हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो फैसले सरकार ने किये, उसी का नतीजा था कि प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ। यह जरूरी

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

नहीं कि वे यहां आएं और हम उनको कह दें कि आप यहां उद्योग लगाओ ही लगाओ। यह बताने के लिये कि राजस्थान में बेहतर स्थिति है, ऊर्जा की स्थिति बेहतर है, पानी की स्थिति बेहतर है, यहां पर प्रशासनिक अड़चनें नहीं आएंगी, यहां पर हर तरह की सुविधा उनको मिलेगी, जब जाकर वे अपना विचार बनाते हैं कि हमको यहां आकर राजस्थान में उद्योग लगाना चाहिये या नहीं लगाना चाहिये। उसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया। आज अलवर में टपूकड़ा, नीमराना हब के रूप में विकसित होने जा रहा है, जिसमें रेडीमेड वस्त्रों की भी बहुत बड़ी इकाइयां वे स्थापित करने जा रहे हैं। इसी तरह से चित्तौड़ भी सीमेंट हब के रूप में विकसित हो रहा है। लाफार्ज एक नई सीमेंट फैक्ट्री आई, वंडर मार्बल, आदित्य बिरला, जेके, एक सीमेंट हब के रूप में चित्तौड़ भी विकसित हो रहा है। राजस्थान में हमारे पास जो मिनरल हैं, आज यहां पर मार्बल प्रचुर मात्रा में है तो जगह-जगह मार्बल की लघु इकाइयां भी लग रही हैं। उदयपुर ले लें, मकराना ले लें, राजसमन्द लें, किशनगढ़ ले लें, जयपुर ले लें, चित्तौड़ ले लें सब जगह मार्बल की औद्योगिक इकाइयों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है और वह लघु उद्योग के रूप में पनप भी रहा है। सीमेंट के बाद में चित्तौड़ में अगर सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा है मार्बल की इकाइयां लगने से मिल रहा है। इसी तरह से भीलवाड़ा में टैक्सटाइल है। आप राजस्थान की विधान सभा में चुन कर आये हो लेकिन हर माननीय सदस्य बार-बार गुजरात का गुणगान कर रहा है, तो यह तो मारवाडी में एक कहावत है कि माल खावै माटी का और गीत गावै बीरा का। आप राजस्थान के निवासी हो, राजस्थान की जमीन पर पैदा हुए हो तो मेहरबानी करके राजस्थान के बारे में कहो। यहां पर किस तरह से उद्योग लगने चाहिये, किस तरह से और उद्योग आएं, उनके सुझाव तो दे नहीं रहे और हम बार-बार गुणगान करते हैं गुजरात सरकार का। गुजरात में बंदरगाह है तो वहां शिप इण्डस्ट्री पनपेगी। तो जो वहां पर है वह वहां पर होगा और हमारे राजस्थान में जो पैदा हो रहा है उसके राजस्थान में उद्योग पनप रहे हैं। आप हाड़ौती क्षेत्र में देख लीजिए, वहां के पत्थर ने पूरे देश में पहचान बनाई है, हर आदमी उस पत्थर को मंगा कर अपने घर में लगाना चाहता है। तो आखिर यह पहचान किसने दी? इसलिए राजस्थान विकसित हो रहा है और औद्योगिक माहौल यहां बन रहा है।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारिडोर यहां से गुजरेगा जिससे जोधपुर, पाली, नीमराना इन क्षेत्रों का आने वाले समय में जो विकास होगा, वह देखने वाला होगा। यह एक विजन नहीं तो और क्या है मुख्य मंत्रीजी का? यह उनका विजन ही है कि उन्होंने दिल्ली में जाकर केन्द्र सरकार पर दवाब डाला और इस कारिडोर को राजस्थान में लाने के लिये उन्होंने विशेष प्रयास किये। इसी तरह का विशेष प्रयास वह बाड़मेर में रिफाइनरी लगाने के लिये कर रहे हैं। उसके परिणाम भी सार्थक आएंगे। अभी बजट भाषण में उन्होंने कहा कि बाड़मेर में रिफाइनरी लगे, इसके लिये मैं सतत् प्रयत्नशील हूं और मुझे यह सम्भावना नजर आ रही है कि बहुत शीघ्र ही इसका निर्णय केन्द्र सरकार कर लेगी। अगर यह विजन मुख्य मंत्रीजी का नहीं है तो और क्या है?

अब आगे ज्यादा नहीं कहते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चित्तौड़ में रीको का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वह पूरी तरह से बुक हो चुका है और वहां अब कोई भी लघु इकाई लगने की स्थिति नहीं है। इसके लिये हमारे चित्तौड़ के प्रभारी सचिव जो उद्योग विभाग के हैं श्री भानावत साहब, वह आये थे और मुख्य मंत्रीजी जब 31 मई को चित्तौड़ पधारे थे तब भी हमारे औद्योगिक इकाइयों से जुडे लोगों ने उनको एक ज्ञापन दिया था कि मांडलदा एक क्षेत्र है जो कि एक नये औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डवलप हो सकता है। लेकिन वहां पर दिक्कत एक ही है कि वह चरागाह जमीन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद राजस्थान में यह एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि चित्तौड़ के आस-पास अब कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया डवलप नहीं हो सकता, अगर आप उस चरागाह जमीन को परिवर्तित करके दे देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां बहुत बड़ा निवेश आएगा और बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र वहां पर स्थापित हो जाएगा। कई लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो जाएंगी, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इस क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह आप मेहरबानी करके अवश्य कर दें।

चित्तौड़ में जो रीको का क्षेत्र है, वह भीलवाड़ा के अधीन आ रहा है। यह तो आपके हाथ का ही काम है, एक निर्णय आपको प्रशासनिक लेवल पर करना है वह आप करा दें तो हमारे वहां के जो उद्यमी हैं, उनको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

हमारे मार्बल का आजुनाखेड़ा और चित्तौड़ का जो क्षेत्र है, उसकी सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थीं। मैं धन्यवाद दूंगा आपको और आपके अधिकारियों को कि आपने उन्होंने 8 करोड़ रुपया सीसी रोड के लिये मंजूर किया। मंत्री महोदय, टेंडर भी हो गये, लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि आपके यहां पर आकर वह न जाने किस स्तर पर रुक गया। तीन महीने से टेंडर होने के बाद भी उसका कार्यादेश अभी तक ठेकेदार को नहीं मिला और वह काम चालू नहीं हुआ। बारिश आ रही है, वापस वही स्थिति हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके अधिकारी भी यहां विराजमान हैं, इस बारे में आप उनको शीघ्र निर्देशित कर दें कि वह काम जहां भी रुका हुआ है, उसको तुरन्त स्वीकृति दे दें। चाहे वित्त विभाग में रुका हुआ हो, चाहे आपके किसी स्तर पर रुका हुआ हो, उसको स्वीकृति दे दें ताकि मई और जून में वह सड़कें बन कर तैयार हो जाएं जो कि हमारे उस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है।

एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सीमेंट हब के रूप में चित्तौड़ विकसित हो रहा है लेकिन इसके साथ-साथ एक दिक्कत हमें अभी और भी आई है। 7 माह पूर्व माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला कर दिया। किसी ने जनहित याचिका दर्ज करा दी और उस जनहित याचिका में यह कहा गया कि किले को बहुत बड़ा खतरा है। अगर किले को खतरा होता तो इतने समय से वहां पर बिरला सीमेंट में काफी सारी माइनिंग हो रही है, सन 1962 से वह बिरला सीमेंट चल रही है। उसके साथ-साथ मानपुरा जहां सिर्फ हाथ की छैनी और पत्थर से पत्थर काटा जाता था और जहां अनुसूचित जाति के लोग ही सबसे ज्यादा काम कर रहे थे, उनको छोटी-छोटी माइनिंग लीज वहां पर मिली हुई थीं, उसको भी बंद कर दिया गया। पिछली दीपावली के दिन मैं वहां गया था, मंत्री महोदय, वहां बिरला सीमेंट के लोग, मानपुरा के लोग, सबकी आंखों के अन्दर एक उदासी थी, वे कह रहे थे कि यह बंद कर दिया तो क्या होगा। वह पूरा का पूरा इलाका वीरान स्थिति के अन्दर आ गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो ऐसे फैसले हो जाते हैं, आपके विभाग के अधिकारियों ने भी उसमें सहयोग किया लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। सात माह से मानपुरा का औद्योगिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र है वह पूरी तरह से ठप्प हो गया। बिरला सीमेंट की फैक्टरी, उसका उत्पादन घटकर 25 से 30 प्रतिशत रह गया। इसके बंद होने से वहां पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से इतना ज्यादा रोजगार प्रभावित हुआ है, इतने ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं कि उनके सारे के सारे व्यापार ठप्प पड़ गए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

कि सरकार को पहल करनी चाहिए। उच्च न्यायालय के अन्दर औद्योगिक संस्थान पैरवी कर रहा है अपने स्तर पर, लेकिन हमारे स्तर पर भी यह प्रयास होना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय इस पर ध्यान देकर जितना जल्दी हो सके, स्टे वेकेट करे या उसको इजाजत दे कि मानपुरा की खदान भी चले और बिरला सीमेंट की फैक्टरी भी चले ताकि उस क्षेत्र के अन्दर रौनक आए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इंडिया ब्यूरो माइनिंग का सबसे बड़ा कार्यालय है नागपुर, वहां की टीम ने आकर भी सर्वे कर लिया कि किले को कोई खतरा नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट सब्मिट कर दी उसके बावजूद भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके अन्दर विशेष रुचि लें। चित्तौड़ सीमेंट हब के रूप में विकसित हो रहा है, फिर कोई जनहित याचिका लगाकर सीमेंट उद्योग जो चित्तौड़ में आ रहा है उसको प्रभावित करने की कोशिश होगी और आदमी निवेश करने से पहले सोचेगा। किले की वजह से फैक्टरी बंद कर दी जाती है या खदानें बंद कर दी जाती हैं तो कभी निवेश नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इसमें थोड़ा विशेष प्रयास करें।

दूसरा, मेरा आपसे एक खास निवेदन है कि हमारे यहां पर जिंक फैक्टरी लगी है, जिंक फैक्ट्री जब हिन्दुस्तान जिंक के नाम से थी, 11 दिसम्बर, 1989 से एडीएम रैंक के अधिकारी राजस्थान सरकार को रिप्रजेंट कर रहे थे जिंक के अधिकारी के रूप में। उनका जो मैनेजमेंट का अधिकारी था उससे मिलकर उन्होंने समझौता किया कि जिन लोगों की जमीनें अवाप्त की जाएंगी वहां पर फैसिलिटी डवलप करेंगे, सोशल सैक्टर में करेंगे और उनको हम रोजगार देंगे। योग्यता के आधार पर देंगे, किस तरह से देंगे, वह सारा का सारा उन्होंने फैसला किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान जिंक को वेदान्ता ने टेकओवर कर लिया और उन्होंने उस फैसले को मानने से इंकार कर दिया। मंत्री महोदय, मैंने एक प्रश्न लगाया, मुझे दुःख है इस बात का कि आपके विभाग ने मुझे एक उत्तर दे दिया कि यह ग्राह्य करने योग्य नहीं है। अगर राजस्थान सरकार का अधिकारी उस फैसले पर दस्तखत कर रहा है और उस फैसले को माना नहीं जा रहा है तो क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएंगे? उन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास करके जमीनें सौंपी थीं। हिन्दुस्तान जिंक का मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मेरा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। पूरा डूब क्षेत्र भी मेरा है, उसके प्रदूषण का शिकार भी चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र होता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप मेहरबानी करके

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

उस फैसले को लागू करावें। एक घोड़ा गांव है, वहां पर अनुसूचित जनजाति के लोगों के मकान गोसुंधा बांध के बैंक वाटर की डूब में आ रहे हैं उनको मुआवजा इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आपके पास में पट्टे नहीं हैं। 50-50, 70-70 साल से पहले जो मकान बने हुए हैं, उनको यह कहा जा रहा है। वे भोलेपन में कभी पट्टे ले ही नहीं पाये, उनको ध्यान ही नहीं था कि पट्टे की क्या अहमियत होती है। अब पानी उनके घरों के बिलकुल नजदीक पहुंच जाता है, जहरीले जानवर बारिश में रेंग रेंगकर उनके घरों में घुस जाते हैं। घर वे छोड़ नहीं सकते क्योंकि घर जाकर बनाएं तो बनाएं कहां। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको उद्योग मंत्री के रूप में दवाब डालना होगा हिन्दुस्तान जिंक पर। चाहे वेदान्ता ने टेकओवर कर लिया, हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी उन्होंने क्या किया? 56 लोगों की छंटनी करने का फैसला कर लिया 5 मार्च को।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षेप में करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): बस थोड़ा-सा, देखिये, मेरी पीड़ा है। बस संक्षिप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: जितना माननीय सदस्यों को समय देते हैं, उससे ज्यादा हो गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उद्योग मंत्रीजी, उन्होंने छंटनी करने का फैसला कर लिया। 5 घण्टे तक सारे के सारे मजदूर और इंटक के वहां महामंत्री हैं घनश्याम सिंह राणावत, उन्होंने पूरी तरह से गेट बंद करके फैक्टरी को जाम कर दिया तब जाकर मैनेजमेंट को झुकना पड़ा। ये अगर इस तरह से करते जाएंगे तो आखिर में कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और तब हमारे ऊपर आकर पड़ेगी। इन औद्योगिक संस्थानों को अगर हम यह कह दें कि इन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, मेरे को यह जवाब आ जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण जवाब है, मंत्री महोदय, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसके ऊपर नकेल कसें।

दूसरा, गोसुंधा बांध का पानी चित्तौड़ से बाहर जा रहा है। राजसमन्द जिले के दरीबा के अन्दर यह जिंक बनाने जा रहा है, वहां पर पानी ले जाया जा रहा है। 16 एमसीएफटी के ऊपर 424 मीटर पानी भरेगा तब यह 1600 एमसीएफटी पानी आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया-800 एमसीएफटी पानी जिंक के लिए, 400 चित्तौड़ शहर के पेयजल के लिए, 400 अन्य कामों के लिए। लेकिन, मंत्री महोदय, यह बांध आज तक 900 एमसीएफटी से ज्यादा

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

नहीं भर पाया है, 422 मीटर से ज्यादा पानी आज तक नहीं भर पाया है। मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जब पिछला भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब तत्कालीन उद्योग मंत्री ने यह फैसला किया था कि गोसुंधा बांध का पानी भीलवाड़ा ले जाया जाएगा। मैंने पुरजोर विरोध किया, 16 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली, 1500 लोग उस पदयात्रा में शामिल हुए और धरने-प्रदर्शन दो महीने तक हमने किये जब जाकर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह फैसला वापस लेना पड़ा। अब मैं वहां का विधायक हूं और सरकार और मुख्य मंत्रीजी संवेदनशील हैं तो उस क्षेत्र के साथ किसी तरह का कोई अन्याय नहीं हो। दरीबा राजसमन्द में है, राजसमन्द में बागेरी का नाका है, राजसमंद के अन्दर नंदसमन्द है, राजसमन्द के अन्दर और कोई बांध बना लिया जाएगा। अरबों रुपये हिन्दुस्तान जिंक कमा रहा है, अभी मैंने दवाब डाला कि सोशल सैक्टर में आप कुछ करिये, तब उन्होंने कुछ पंचायतें जो इफैक्टेड हैं, वहां मुश्किल से 6-6, 7-7 लाख के काम स्वीकृत किये। उदयपुर में काम हो रहे हैं, भीलवाड़ा जिले में काम हो रहे हैं। दूसरी और जगह काम हो रहे होंगे लेकिन, उद्योग मंत्री महोदय, आप उनसे रिकार्ड मंगवाइये कि चित्तौड़ में उन्होंने सोशल सैक्टर में क्या किया। आंगनबाड़ियां खोल दीं। आंगनबाड़ियां तो हमारी केन्द्र सरकार के अन्दर ही खूब पैसा है, खूब दे रही है आंगनबाड़ी। आपसे तो हमें उस क्षेत्र में पैसा चाहिए जहां राजस्थान सरकार नहीं लगा सकती, जहां केन्द्र सरकार नहीं लगा सकती। वह आप करेंगे तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश जाएगा। अभी बिरला सीमेंट ने 40 करोड़ रुपये का हास्पिटल मुख्य मंत्रीजी के कहने से चित्तौड़ के अन्दर दिया जहां हार्ट का आपरेशन आगे आने वाले समय में हो जाएगा। यह तो दिखाता है कि सोशल सैक्टर में काम करने का जो दायित्व है, वे उसको निभा रहे हैं। दूसरी तरफ अरबों रूपया हिन्दुस्तान जिंक लेकर जा रहा है लेकिन चित्तौड़ के अन्दर वह कुछ नहीं कर रहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो पानी जा रहा है यह आप चित्तौड़ के उद्योगों को दीजिए, चित्तौड़ के सीमेंट हब को दीजिए। आगे एक भविष्य है चित्तौड़ का, टैक्सटाइल्स यूनिट्स चित्तौड़ में लगेंगी, टैक्सटाइल अगर हमारे यहां पर लगती है नया इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप होने के बाद में तो पानी की सबसे ज्यादा उसको जरूरत पड़ेगी, तो फिर पानी आएगा कहां से? आप जानते हैं, भविष्यवाणी है कि अगला युद्ध पानी के लिए होगा। इसलिए मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा, मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से भी

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

संरक्षण चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी भी जब 18 तारीख को चित्तौड़ प्रवास पर पधारे थे तो सब जन प्रतिनिधियों ने पंचायत समितियों ने प्रस्ताव पारित किया, नगरपालिकाओं ने प्रस्ताव पारित किया, वहां के वरिष्ठ नागरिक मंच ने प्रस्ताव किया कि यह पानी किसी हालत में वहां नहीं जाना चाहिये। अगर एक बार पानी चला गया तो हम पानी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए उद्योग मंत्री के रूप में आपसे निवेदन है कि गोसुंधा बांध का पानी आप जाने से रोकने की कृपा करें।

अब मैं दो-तीन बात लास्ट में कहकर समाप्त करूंगा। बजरी पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है इसकी वजह से काफी लोग बेरोजगार हो गये, मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि बजरी पर जो माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है, सर्वोच्च न्यायालय में इसकी पैरवी शीघ्र कराकर इसको आप करें क्योंकि काफी सारे श्रमिक जो रोज 150-200 रुपये कमाकर ला रहे थे, वे सबके सब बेरोजगार हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जाड़ावतजी, सदन एक जानकारी चाहेगा कि बजरी पर रोक लगाई तो मशीनों से खनन पर लगाई है कि मजदूरों से भी लगाई है?

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): नदियों से जो बजरी जा रही है उस पर रोक लगा दी है।

श्री उपाध्यक्ष: मशीनों से लगाई?

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): जैसे भी रोक लगी वह रोक हटनी तो चाहिए न।

श्री उपाध्यक्ष: मशीनों से। मशीन नदी के नैचुरल बहाव को अननैचुरल कर सकती है और यह कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन है शायद इसलिए लगाई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो भूमि अधिग्रहण कानून है, जब तक सीमेंट हब या दूसरी जो इण्डस्ट्रीज आ रही हैं, किसानों की जमीनें सस्ती भाव में नहीं जाएं। सरकार उनको अधिग्रहण करके नहीं सौंपे। वह उनको राज़ी करे, वह जो उनका बाजार मूल्य है वह दे और उसके बाद जमीन किसान की इच्छा हो तो देवे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप उद्योग मंत्री के रूप में अवश्य फैसला करें।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

एक, खनिज माफिया नहीं पनपे। आपने देखा कि किस तरह से नरेन्द्र कुमार जो एक आई.पी.एस. आफिसर था, बामनमोर, ग्वालियर के अन्दर, किस तरह से उसको ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर मार दिया गया। राजस्थान के अन्दर, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हरियाणा के लोग आ रहे हैं, कुछ कहीं के आ रहे हैं, हमारे यहां पर यह माफिया डवलप नहीं हो जाए, इसका भी आप पूरा का पूरा ध्यान रखें। जिस तरह से रायल्टी पर ठेके दिये जा रहे हैं, उसके अन्दर यह माफिया धीरे-धीरे पनपता जा रहा है। अब मैं चित्तौड़ के अन्दर आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत लम्बा चला जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): लास्ट, सर, लास्ट। टैक्सटाइल उद्योग की विपुल सम्भावनाएं हैं इसलिये आपसे निवेदन है कि इसके बारे में आप थोड़ा गहन विचार करें। एक हमारे यहां पर मार्बल की स्लरी बहुत निकलती है, उसकी कोई यूनिट आप लगा सकें तो मेहरबानी करके लगाएं। उस स्लरी से एरिया भी खराब हो रहा है। कोई छोटी-मोटी यूनिट लग जाएगी तो उसका फायदा मिलेगा। एक फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट हमारे यहां लग सकता है, क्योंकि हमारे यहां आंवला, अमरूद, टमाटर, मसाले, लहसुन ये काफी सारे हो रहे हैं। आप अगर इन छोटी-छोटी इकाइयों को पनपाने का काम करें।

एक अंतिम बात, हमारे यहां पर भूपाल शुगर फैक्टरी पूरे मेवाड़ की बहुत मानी हुई शुगर फैक्ट्री थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह बंद हो गयी है। हमारे यहां पर पिछले 2-3 वर्षों से पानी की, बारिश की और इन्द्र भगवान की अच्छी कृपा रही है। वह जो बंद हुई फैक्टरी, वह तो बंद हुई, इसके साथ-साथ जो वहां पर नौकरी करने वाले लोग थे, वे अभी तक भी उनकी बकायात के लिये चक्कर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासन भी चला गया, उस वक्त के विधायक ने भी खूब अपने यहां पर कोशिश कर ली, नहीं हो पाया। उस भूपाल शुगर फैक्टरी के लिये जो कि कपासन विधान सभा क्षेत्र में आती है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनके श्रमिकों की जितनी भी बकायात है, वह आप करा देंगे तो बहुत बड़ा आपका उपकार होगा। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय कैलाश चन्दजी भंसाली।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, आज सदन में उद्योग, खनिज और आबकारी नीति पर विचार हो रहा है। मैं जोधपुर क्षेत्र से

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

आया हुआ हूं, जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, ऐतिहासिक नगर है और पर्यटक उद्योग के विकास की विपुल सम्भावनाएं लिये हुए है। वहां की जो खास दिक्कतें हैं, उद्योग मंत्री राजेन्द्रजी पारीक हमारे जिले के प्रभारी हैं, उन्हें सारी बातों का ध्यान है। उन सभी बातों पर, जो अक्सर हम आपसे तथा चैम्बर आफ इण्डस्ट्रीज और एसोसिएशन के माध्यम से डिस्कस करते रहे हैं, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारी ग्रोथ रेट 11 से डाउन होकर 5 प्रतिशत हो गयी, उसमें सबसे बड़ा कारण उद्योगों का उत्पादन ज्यादा गिरा है, कृषि का ठीक हुआ है। इसका जो कारण है उसमें एक है उद्योगों में आने वाली रोजाना की अड़चनें, टैक्स-स्ट्रक्चर। केन्द्र सरकार द्वारा सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी 10 से 12 प्रतिशत करने से मंदी का दौर प्रारम्भ हो गया है। दूसरे राज्यों में पैट्रोलियम उत्पाद पर जो वैट है, 28 प्रतिशत जो राजस्थान में है उससे कम 20 प्रतिशत ही है। तो सदन में आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि राजस्थान में भी पैट्रोलियम पदार्थों पर वैट 28 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाए, तो उद्योगों की सांसें बढ़ेंगी, और सांसें आएंगी। जोधपुर में 3-4 उद्योग बहुत बड़े रूप में विकसित हुए हैं-ग्वार गम, स्टेनलैस स्टील, हैण्डीक्राफ्ट और वस्त्र उद्योग। परन्तु आज चारों उद्योगों में बड़ी तकलीफ है, कठिनाइयां हो रही हैं। ग्वार गम में जो खीला चलता है उसके कारण वस्त्र उद्योग में एक्साइज के कारण, स्टेनलैस स्टील में मांग की कमी के कारण और हैण्डीक्राफ्ट में चाइना से एक्सपोर्ट में हमारा मुकाबला करने के कारण। हम उनके मुकाबले में कम पड़ते हैं तो हमारा 1500 करोड़ का जो एक्सोर्ट प्रति वर्ष था, वह पिछले वर्ष घटकर 1200 करोड़ रह गया। यह चिन्ता की बात है। वस्त्र उद्योग के जोधपुर सम्भाग में तीन बड़े केन्द्र हैं-जोधपुर, पाली और बालोतरा। बालोतरा के उद्यमी तथा वहां के समीप के लोग जो हजारों की संख्या में हैं, 15 दिन से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सात तारीख को उन निहत्थे धरनार्थियों पर लाठी बरसाई गई, जेलों में भेजा गया। बर्बरतापूर्वक कार्यवाही उस स्थान पर हुई, सारे राजस्थान के पत्रों में यह बात आई है। मेरा सदन में मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है, उन्होंने स्वयं वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाने में जितनी मेहनत की, मुझे मालूम है, केन्द्र में मंत्री होने के नाते की थी, एक्साइज ड्यूटी को कम करने के लिये, कम्पाउण्ड करवाने के लिये, आज उस पर पानी फिर रहा है। बालोतरा वाइल बनाने के लिये बहुत मशहूर जगह है सारे भारत में, वहां के श्रमिक आज बेराजगार हो गये हैं। उसका कारण यह है कि कोर्ट का एक एलान आ गया कि जब तक ट्रीटेड पानी लूणी नदी में नहीं

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

छोड़ा जाएगा, फैक्टरी नहीं चल सकती है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं, जिस तरह से उन्होंने जोधपुर के लिये हलफनामा दिया, वैसा ही हलफनामा देवें कि हम एक साल के अन्दर ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाने के लिये पूरा प्रयास करेंगे। उसके लिये मेरी यह भी मांग है कि जैसा कोच्चि में केन्द्र सरकार ने फंडिंग करके ट्रीटमेंट प्लाण्ट दिया है, उसी तरह से बालोतरा में तथा पाली में भी ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगे। उसकी फंडिंग राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और उद्यमी मिलकर करें, तभी यह काम सम्भव है क्योंकि एक बड़ी लागत का प्रोजैक्ट होता है। ट्रस्ट मण्डल भी यही चाहता है। तो मैं यह मांग आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

अभी डी.एल.सी. की रेट में 10 प्रतिशत इजाफा किया गया है, मेरा निवेदन है कि यह डी.एल.सी. की रेट औद्योगिक क्षेत्र के लिये अलग होनी चाहिए और रहवासी क्षेत्र के लिये अलग होनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में ज्योंही रेट बढ़ती है, भू-तस्करों के फूल खिल जाते हैं। कारण यह है कि जमीन के भाव बढ़ते हैं। जो बेचारे मंझले और छोटे उद्योगपति हैं, उनकी भूमि किस तरह से हड़प की जाए, इसका वे बंदोबस्त करने लगते हैं। जब उद्योग की मांग नहीं होती है किसी फैक्टरी की, तो तंग आकर उद्योग चलाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे समय में मेरा यही निवेदन है कि डी.एल.सी. की रेट उद्योगों के लिये अलग हो। रीको की रेट बार-बार रिवाइज होती है, उसको बार-बार रिवाइज नहीं करना चाहिए। उससे भू-तस्करों की वाहवाही हो रही है और उद्योगपति मर रहा है।

श्री सभापति: संक्षिप्त करें।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): हां, बहुत संक्षिप्त। एकल खिड़की की योजना का मैं स्वागत करता हूं। परन्तु एकल खिड़की की योजना में जो काम करने का तरीका है, जो अधिकारियों का रवैया है उसमें बार-बार चक्कर काटकर उद्यमी परेशान हो रहे हैं। विशेषकर प्रदूषण का सर्टिफिकेट लेने के लिये आदमी को परेशान होना पड़ता है। चाहे उसकी इण्डस्ट्री से कोई प्रदूषण नहीं होता हो, परन्तु एक शर्त है कि प्रदूषण रहित उद्योग होना चाहिए। उसके सर्टिफिकेट के लिये कोई सरल प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि छोटे तथा मंझले उद्योगों को शीघ्र ही प्रदूषण का सर्टिफिकेट मिले, ऐसा मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

प्रवासी भारतीयों के इन्वैस्टमेंट के लिये आवश्यक है कि कम से कम आवश्यक सुविधा का उनको हो कि इतनी सुविधा तो हमारे प्रदेश में प्रवासी भारतीय जो भी उद्योग लगाएगा, उसको मिल जाएगी। उसके आगे भी हम इन-

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

इन क्षेत्रों में और आपको सुविधा दे सकते हैं। इसका एक चार्टर बनाकर आम लोगों में वितरित किया जाए। मैं चार्टर्ड अकाउण्टेंट हूं, फाइनेंस का काम है, परन्तु ऐसी कोई सुविधा हमारे पास नहीं है कि हम गारण्टी से कह सकें कि यह तो आपको मिल रही है, इसके अलावा इस पर सरकार से हम बात करेंगे। इसकी एक नीति स्पष्ट रूप से हो।

(20.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): ठहरिये, साहब, ऐसा थोड़े ही है। 20 बातें कहनी हैं, अभी तो चौथे पाइंट पर ही चल रहा हूं। जोधपुर आई.टी. पार्क की घोषणा की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आखिरी बात।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): अलग से एक-एक पाइंट ही बोल रहा हूं। खनिज पट्टे लाइम इंडस्ट्री के लिए बड़े घरानों को तो दिये जा रहे हैं परन्तु छोटे और मझोले उद्योगपतियों को भी कम मूल्य पर भूमि आबंटित की जाए और उनको वे पट्टे दिये जाएं।

उद्योगों के पास आने वाले कच्चे माल पर वैट जो 5 परसेंट है, उसको जैसा कि भारत सरकार की नीति है, 4 परसेंट किया जाए।

हैण्डीक्राफ्ट में जो वुड ग्लू काम आती है रा-मैटीरियल के रूप में, उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार तो 14 परसेंट वैट कर दिया था। उसको घटाकर 5 परसेंट करने के साथ एक शर्त लगा दी गई डिक्लेरेशन की। यह डिक्लेरेशन की शर्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि छोटे कारोबारी, छोटे उद्यमी तथा कामगार डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट नहीं ला सकते और उनको वैट 14 परसेंट से देना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजैक्ट जोधपुर में लग सकता है, एक प्रवासी भारतीय चाहता है। परन्तु उसके लिए अधिक से अधिक सुविधाएं देनी पड़ेंगी। यह सुविधा उसके द्वारा दिये कामगारों को, प्रोफेशनल्स को कितना काम मिलेगा, और उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, इन बातों को देखकर दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिये प्लीज।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): साहब, 20 पाइंट हैं, 14वें पर आया हूं। आप सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनिये, साहब।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

शराब की दुकानें रात आठ बजे के बाद बंद होने का कानून है परन्तु निगरानी के अभाव में सब दुकानों पर ब्लैक होता है, कालाबाजारी होती है, इसको रोका जाना चाहिए।

अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए मौजूदा सिविल एयरपोर्ट का विस्तार किया जाए। रीको द्वारा सात वर्ष में कोई नया एरिया घोषित नहीं किया गया है, इण्डस्ट्रियल एरिया की बहुत जरूरत है। नया इण्डस्ट्रियल एरिया, कहते हैं कि पचास परसेंट खाली पड़ा है। मैं कहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मेजर ओ.पी.यादव साहब।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): एक मिनट, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): सर, एक मिनट। बाड़मेर में रिफाइनरी के लिए सतत् प्रयास करने के लिए धन्यवाद, परन्तु और अधिक प्रयास करने होंगे क्योंकि दूसरी लाबी बहुत है। खनिज, उद्योग में इन्वैस्टमेंट की विपुल सम्भावनाएं हैं। जोधपुर में...(व्यवधान) बागवानी हेतु अलग से किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मेजर ओ.पी. यादव साहब। अब मैंने नाम पुकार लिया है।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): धन्यवाद।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उद्योग से सम्बन्धित अनुदान की मांग संख्या-42 पर बोलने के लिए समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

आज बहुत प्रसन्नता की बात है, आपका आभार प्रकट करने के साथ-साथ आनरेबल मिनिस्टर आफ इण्डस्ट्रीज का भी आभार प्रकट करना चाहिए कि उनके पास में तीनों इतने इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट विभाग हैं और खुशी की बात है कि आफिसर्स लाबी आज 90 परसेंट अटेंडेंस में है, काम्प्लीमेंट्स।

उद्योग कर्म मीमांसा का द्योतक है और यह सत् कर्म, कोई भी एन्टरप्रिन्योर, कोई भी इन्वैस्टर बिना जमीन के पूरा नहीं कर सकता। उद्योग और जमीन का चोली-दामन का साथ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना तो कम से कम आप माननीय सदस्य को बता दें कि सदन में बोलते समय लाबीज को सम्बोधित नहीं करते हैं।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): माननीय सदस्य, मैंने लाबी को बिलकुल सम्बोधित नहीं किया है, मैंने काम्प्लीमेंट्स दिये हैं अपने माननीय इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर को। यह इसलिए किया गया है कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। माननीय ओ.पी. यादव साहब, यह नियम है कि इनको सैपरेट मानकर चलना चाहिए।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): नहीं, वह ठीक है। वे सैपरेट ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप सरकार से बात करिये, सरकार से। सरकार, मंत्री मानते हैं।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): मेरा मतलब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ मंत्रीजी को ही सम्बोधित करना है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, बोलिये।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): उद्योग का जमीन के साथ बड़ा करीब का रिश्ता है, चोली-दामन का रिश्ता है। किसान ही एक ऐसा हमारे समाज में वर्ग है जिसके पास जमीन है। जमीन किसान के अलावा अगर हमारे पास में कहीं है तो नदी-नालों में या चरागाह में। बहुत कम है, वहां पर उद्योग नहीं लग सकता। इसलिए यह जरूरी है कि किसान की बात उद्योग के साथ जोड़ी जाए और किसान की पीड़ा को भी देखा जाए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी किसानों के प्रति बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक अपना दृष्टिकोण रखते हैं। केवल टपूकड़ा के अन्दर 250 एकड़ भूमि रेडीमेड गारमेंट्स के लिए देना या खुशखेड़ा में 700 एकड़ भूमि देना आटो हब के लिए या घीलोट के लिए 500 बीघा जमीन देने की बात कही है, बात है 56 हजार और 36 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने की, और यह विजन कोई मामूली विजन नहीं है। चंद दिनों के अन्दर, महीनों के अन्दर जो स्वयं मुख्य मंत्रीजी और साथ-साथ इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर की प्रजेंस में उनकी टीम के साथ जो उद्घाटन हुए, जो फारेनर्स वहां पर आये और जिस किस्म का रेस्पांस फारेनर्स ने दिया, वह अपने आप में काबिले-तारीफ था। जो इन्वैस्टर्स ने अपना उत्साह दिखाया और जो वहां पर इलाके में देखा गया, उसी का ही यह स्वरूप है। इण्डस्ट्रियल कारिडोर ही काफी नहीं है, वहां पर वायब्रेंट एटमोस्फियर है। वहां एक वर्क कल्चर बनी है। हमारे युवाओं की

(मेजर ओ. पी. यादव)

सोच बदली है और साथ-साथ में एटमोस्फियर और एन्वायर्नमेंट बना है। पोल्यूशन भी वहां पर एक तरह से बहुत उत्कृष्ट नमूने का है क्योंकि जितनी इण्डस्ट्रीज अभी आई हैं, या तो उनमें सेफेस्टिकेटेड पोल्यूशन प्लांट्स लगे हुए हैं या वे फ्री-पोल्यूशन प्लांट्स हैं, विशेष तौर से जापानी जोन में जो प्लांट्स आये हैं। मैं समझता हूं कि इण्डस्ट्रियल कारिडोर की बात यहां सदन में कहने से यह कहना कि कोई खास बात नहीं है, नहीं। इण्डस्ट्रियल कारिडोर क्या होने जा रहा है, इसके बारे में शायद बहुत से लोगों को हमारे वहां पर नहीं पता है। इण्डस्ट्रियल कारिडोर चलेगा दिल्ली से मुम्बई तक, जो एक हजार किलोमीटर से ज्यादा होगा और जिसके अन्दर हमारा माल बनेगा, नोड्स अलग-अलग बनेंगे। पूरी स्टेट्स के अन्दर ज्यादा हिस्सा राजस्थान का आता है। मैं समझता हूं कि ट्रकों का इतना ज्यादा एन.एच.-8 के ऊपर जो प्रैशर है, वह कम होगा। उसके साथ-साथ माल बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा और हमारे उद्योग-धंधे इन नोड्स में लगेंगे, डवलपमेंट होगा। उसका एक सपना होगा आज देखना लेकिन हकीकत में जब दस साल बाद यह सपना साकार होगा तो मैं समझता हूं कि नीमराना और आस-पास के क्षेत्र और दूसरे जो नोड्स आएंगे हमारे राजस्थान के सैक्टर में, वे गुड़गांवा जैसे क्षेत्र बनेंगे। आप कल्पना करिये कि अगर गुड़गांवा जैसे क्षेत्र ये सब बनेंगे तो कितना कुछ हमारे यहां पर डवलपमेंट होगा। यही विजन हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का है इसलिए हम इस मामले में उनकी जितनी प्रशंसा करें मैं समझता हूं कि कम होगा।

मैं बताना चाहूंगा, जहां तक घीलोट की बात है वहां पर ऊर्जा के संयंत्र लगेंगे, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि हमारी ऊर्जा की अपनी कमी है वह इन प्लांट्स से पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा मेरा सोच है और ऐसा ही मानना है उन टैक्निकल लोगों का भी जिनकी यह प्लानिंग्स है।

मैं कह सकता हूं कि किसान की तरफ मुख्य मंत्रीजी सोच रहे हैं तो किसान भी यह देख रहा है कि वर्तमान सरकार शायद उनकी पीड़ा को समझ रही है। वे जानते हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी भूमि अधिग्रहण के मामले में सर्वग्राह्य नीति लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा में किये जाने वाला भूमि अधिग्रहण किसी से छिपा नहीं है। देखना यह है कि इस तरह की कोई भी स्थिति राजस्थान के औद्योगिक विकास में बाधा नहीं बने। अलवर जिले की सीमा हरियाणा से जुड़ी हुई है और हरियाणा के निवासी और रिश्तेदार और परिजन राजस्थान की सीमा से मिले-जुले हैं, आते-जाते हैं। यदि

(मेजर ओ. पी. यादव)

हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में, विशेष तौर से अधिग्रहण के क्षेत्र में, अधिक सुविधा और मुआवजा मिलता है तो अलवर और आस-पास के राजस्थान के दूसरे किसानों में असंतोष होना, पीड़ा होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। मैं मानता हूं कि हमारे संवेदनशील माननीय मुख्य मंत्रीजी इससे भिज्ञ हैं, वे किसानों की पीड़ा को समझते हैं और नई भूमि अधिग्रहण नीति बनाने की ओर अग्रसर हैं। मेरी स्वयं भी इस विषय में चर्चा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से हुई है। मैं वर्तमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि कई जगह यह बहुत पारदर्शिता में नहीं रही है और इसको हंड्रेड परसेंट फालो-अप करके कैरी-आउट नहीं किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की मंशा नोटिफिकेशन द्वारा जारी करती है। अधिनियम की धारा 6 के अन्दर नोटिफिकेशन के एक साल के अन्दर सरकार द्वारा अधिग्रहण की घोषणा की जाती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11-ए की घोषणा के बाद दो साल के अन्दर कलक्टर या भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा एवार्ड पारित किया जाता है। यदि दो साल में एवार्ड पारित नहीं किया जाता तो अधिग्रहण की प्रक्रिया लैप्स हो जाती है। इन धाराओं के अन्तर्गत कम्पनियों के लिये भी राज्य सरकार द्वारा जमीन अवाप्त करने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण चाहने वाली कम्पनियों के साथ में एक एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट में यह लैंग्वेज भी है – In the case of company, previous consent of Government and execution of agreement with the government is necessary, the agreement can be executed by the Government only when it is satisfied that proposed acquisition is for construction of houses for workmen employed by the company or amenities connected with the company and such company's work is likely to be useful to the public. मैं आनरेबल मिनिस्टर आफ इंडस्ट्रीज का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा विशेष तौर से, मैंने यह क्लाज इसलिये पढ़ा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र में कुछ अखबारों में धारा 4 है उसके बारे में कुछ एड निकला। धारा 4 के जरिये अपनी इंटेंशन जाहिर की। मैं समझता हूं कि यहां पर यह फालो नहीं किया गया, जो मैंने ऊपर आपका प्रोसीजर पढ़ा। जो पहले मास्टर प्लान था शाहजहांपुर-बहरोड़-नीमराणा का जिसको आप एन एस भी कहते हैं, जो पहले एप्रूव हुआ था, वह कैंसिल कर दिया उसके बाद में अभी तक एप्रूव्ड नहीं हुआ। इसका कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, सरकार ने अप्रूव नहीं किया, जैसा मुझे सूचित किया गया है। तो मैं समझता हूं कि बगैर मास्टर प्लान को एप्रूव किये धारा 4 का घोषित करना शायद किसानों के

(मेजर ओ. पी. यादव)

हित में नहीं है। इसलिये मेरा आपसे यह कहना है कि इसमें आप थोड़ा पता करवाइये जिससे किसानों के हित का ध्यान रखा जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण की नीति फार्मर फ्रैंडली तो होनी ही चाहिये, क्योंकि Land is an important issue for farmers specially for small farmers, जिससे कि काश्तकार सहर्ष भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में सहयोग करे। इससे समय भी कम लगेगा उपकरणों के आने में, औद्योगीकरण गति पकड़ेगा एवं काश्तकार को उसका उचित मूल्य मिलेगा।

अगर हम पहले का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे, अधिग्रहण के बारे में विचार किया जाता है कि कुछ व्यक्ति या कम्पनियां पहले ही जाकर काश्तकार की भूमि को कम पैसों पर क्रय कर लेती हैं। और वह बेच भी देता है, क्योंकि उसको जरूरत भी होती है। आने वाले दिनों में विकास का उसको पता नहीं होता है। जैसे ही अधिग्रहण या डवलपमेंट मूल रूप लेता है, इस तरह के लोग व कम्पनियां अधिग्रहण से लाभान्वित होती हैं और उस भूमि पर अधिक पैसा वसूल कर लाभ प्राप्त करती हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है घीलोट में जो भूमि अवाप्त हुई, जिसका जिक्र कल मेरे उधर के साथी कर रहे थे। वह लीक आउट हुई, जाना स्वाभाविक था। उसमें लूट-खसोट हुई और कुछ लोगों ने वह किया जिसका अंदेशा था। जमीन अपने रिश्तेदारों और शुभचिन्तकों के नाम से खरीद ली गयी और लोगों ने करोड़ों का फायदा उठाया जिससे किसान का नुकसान हुआ। मैं समझता हूं इसके अन्दर जो बातें उठी थीं, गम्भीरता से उसको लोगों ने सुना और समझा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड़ में जो मास्टर प्लान बना हुआ है, वह कैंसिल है, जैसा मैंने अभी बताया। मैं निवेदन करूंगा कि नया मास्टर प्लान नोटिफाई होने से पहले जनता से, विशेष तौर से काश्तकारों से, आल आफ से होना ही चाहिये। उसके बाद मास्टर प्लान यू.डी.एच. व राज्य सरकार से स्वीकृत होना चाहिये और तभी धाराओं को पेपर में देना चाहिये। मुझे यह भी बताया गया कि दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारिडोर की प्रोजैक्ट रिपोर्ट किसी विदेशी कम्पनी से बनवाई गई जिसके लिये एक भारी राशि का भुगतान किया गया। आपको मेरा यह सुझाव है कि अगर हम किसी देशी कम्पनी से ऐसी प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं तो अपना ज्यादा फायदा है क्योंकि हमारे यहां पर भी बहुत एक्सपर्ट हैं। फिर भी किसी

(मेजर ओ. पी. यादव)

अनअवाइडेबल सरकमस्टांसेज में किसी को देना ही है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिये और बिडिंग प्रापर होनी चाहिये। जैसे कि पूर्व सरकार ने गलती की थी, महिन्द्रा सेज के लिये जो किया था, मैं समझता हूं कि उसकी पुनरावृत्ति न हो। उस समय इनके दो मंत्रिमण्डल के सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ा था और भारी रकम की हेराफेरी हुई थी। इसी प्रकार अनन्त राज इंडस्ट्रीज को भूमि दी गयी और उसका बिडर पी.वी. बिल्डर्स, यह सब नीमराणा से सम्बन्धित है इसलिये, मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं, पी.पी. बिल्डर्स जब कोर्ट में चला गया तो उसकी कोल्ड ब्लडेड हत्या कर दी गयी, जो कि गम्भीर विषय है। यह हलके में चर्चा का विषय भी है, जो अक्सर होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि रीको द्वारा जयपुर मैट्रो के लिये ब्याज रहित 100 करोड़ रुपये दिये गये और अगली किश्त देने की तैयारी है, जो अच्छी बात है। RIICO has got generosity, it is a good thing, मंत्री महोदय, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन अलवर जिले के उद्योग, किसानों के लिये उनके पास देने को कुछ नहीं है। I would like to draw your kind attention. I thought that some senior Officers were here that time but now probably one of them is missing. For the farmers you should have a big heart to compensate the difference of DLC rate of Juliacha Kalla and Goghal Kota. Rates of both the villages should be at par. मंत्री महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर जोलाइचा खुर्द और गूगलकोटा, ये दो क्षेत्र हैं बड़े गांव हैं, डी एल सी का रेट एक को दिया गया 17 लाख, दूसरे को दिया गया 7 लाख। 10 लाख रुपये का डिफरेंस एक मात्र छोटा-सा जो डोला होता है बीच में, उसी के दांये और बांये, सिर्फ एक डोले में फर्क है। यह इतना इनजस्टिस हुआ है, इसकी वजह से असंतोष व्याप्त है। इसकी शिकायत हमने की, this is under consideration with the Collector. लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।

(20.16 बजे)

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

हमने रीको के आफिसर को भी बताया है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस मामले में फौरी कार्यवाही करें जिससे जोलाइचा खुर्द और गूगलकोटा के किसानों को यह जो डिसपैरिटी है, इससे मुक्ति मिले और असंतोष न फैले।

(मेजर ओ. पी. यादव)

मानननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी महोदय द्वारा किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए बजट सत्र में नई अधिग्रहण नीति लाने की घोषणा की गयी जो कि अभी प्रक्रियाधीन है। समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि नेशनल एडवाइजरी कौंसिल द्वारा इंटीग्रेटेड लैण्ड एग्जीक्यूशन रिसैटलमेंट एण्ड रिहैबिटेशन एक्ट लाने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान की पालिसी भी फार्मर फ्रैंडली होगी, ऐसा हम सब विश्वास करते हैं। माननीय सभापति महोदय, अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक आदि की अधिग्रहण नीति का मैंने अध्ययन करके कुछ सुझाव तैयार किये हैं, जो कि काश्तकार एवं अधिग्रहण करने वाली सरकार, दोनों के लिये फायदेमंद होनी चाहिये एवं राज्य के द्रुत गति से विकास में सहयोगी होनी चाहिये। अतः यह सुझाव देता हूं कि सरकार अपनी पालिसी की घोषणा करने से पहले निम्न पहलुओं पर विचार करे। यह मैंने इसलिये इश्यू बनाया बिकोज आपके ज्यादातर बुद्धिजीवी आफिसर्स दूसरे स्टेट को जरूर कम्पैल करते हैं। मैं मोटा-मोटा आपको बता देता हूं पांच मिनट में – 1. A policy should be formulated to take care not only of acquisition of the land for creation of quick infrastructure. दूसरा, Prevailing market rate even higher in some notified areas plus minus atleast 50%, Plus solatium equivalent to the DLC rate should be paid. यह सोलेटियम तो पे करना ही चाहिये। Minimum floor rate i.e. MFR should be decided by the Government in view of nature of the land, location of the place and area. To ensure early acquisition and to reduce the moratorium period of the proposed projects, "no litigation incentive" for the farmers can be considered on the price of the acquired land to whom land has been acquired.

मेरा इसमें कहने का मतलब यह है कि जिस लैण्ड में भाइयों का कोई झगड़ा नहीं है, वह बिना किसी झगड़े के है उसको तो आपको इन्सेन्टिव देना चाहिए क्योंकि आपके प्रोजैक्ट जल्दी लगते हैं। Efforts should be made to acquire the land with the consent of the farmers and the local representatives also. मंत्री महोदय, मेरा आपको इसमें सुझाव है कि जो लोकल लोग होते हैं, मैं जन प्रतिनधि-एमपी, एमएलएज की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे आपको ध्यान जाए कि इसमें कोई इंट्रेस्ट लेना चाहते हैं, वह अलग बात है, लेकिन जो गांव के लोग हैं, आम आदमी हैं, जो बूढ़े हैं, जो वर्षो से जानते हैं, जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिनका अटैचमेंट है, उन लोगों को आप जरूर शामिल करें। जब भी कभी आप ऐसी पालिसी के बारे में बात करें तो ऐसा जरूर करें ताकि उस

(मेजर ओ. पी. यादव)

पर्टिकुलर एरिया की बात आपको बतायी जा सके जो आपके आफिसर्स को नहीं पता है। Land owner should be paid an additional 2 years minimum agriculture wages. दो साल का उनको एग्रीकल्चर वेजेज के बराबर का पैसा मिलना चाहिए। Annuity amount payable over 33 years. 33 साल के लिए उनको एनुइटी अमाउन्ट मिलना चाहिए जो कि इंक्रीमेंटल हो, annual hike on the lines of Haryana and like other States. In view of the deprivation of the land and the distress caused to the land users (farmers) solatium should be enhanced substantially and should be kept at par with the DLC rate.

सभापति महोदय, अन्त में मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इन्जसिल कारिडोर आथोरिटी जिसका जिक्र हुआ, इन्जसिल कारिडोर आथोरिटी को हम अच्छी तरह से समझें। हम चाहते हैं कि हमारा सपना साकार हो। जहां-जहां से भी जा रहा है इण्डस्ट्रियल कारिडोर, इतना लम्बा-चौड़ा हमने सरकार के साथ कमिटमेंट किया है, राजस्थान सबसे अग्रणी है, आपने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया है, आपकी टीम ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया है, जिसके बारे में किसी को भी कोई शक नहीं है, पर, अगर आप जल्दी इण्डस्ट्रियल कारिडोर की घोषणा करें जैसा कि दूसरे स्टेट ने किया है, तो मैं समझता हूं कि आपका यह प्रोजैक्ट जल्दी आ जाएगा क्योंकि जितनी भी समस्याएं लिटिगेशंस की हैं, रेवेन्यू की हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं और किसानों की तरफ से हैं, उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव आथोरिटी काफी मदद करेगी। आप अभी तक अपनी सब्सिडी देते रहे हैं, जो सहयोग डवलपमेंट में देते रहे हैं, उसमें कम से कम दो सौ से ढाई सौ गांव एक-एक सैक्टर के यहां से है, अभी तक तो हम सारी की सारी भिवाड़ी में ही बात करते थे, लेकिन यूआईटी भिवाड़ी से अलग इसको बनाएंगे, जैसे कि आपने पहले बीजे की चर्चा की थी।

मेरा आपसे सुझाव यह भी है कि स्टैण्ड लैण्ड एक्वीजिशन पालिसी की घोषणा अगर किसी वजह से पालिसी के बाद की जाती है, जो निश्चित पालिसी है, तो इस स्थिति में नीमराना क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को भी डैफर किया जाए, मैं दुबारा कहना चाहूंगा। हो सकता है, सरकार की मंशा हो, जो हमारी नेशनल पालिसी है लैण्ड यूज के लिए, अगर हम चाहते हैं कि पहले उनकी पालिसी आए उसके बाद ही हम अपनी पालिसी को डिक्लेयर करेंगे, मैं समझता हूं कि यदि धारा पब्लिश करते हैं तो आपको अपनी पालिसी की जल्दी से जल्दी घोषणा करना चाहिए जिससे कि संतोषजनक स्थिति इलाके में

(मेजर ओ. पी. यादव)

फैले और लोगों को कोई भ्रम न रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सभापति महोदय, मांग संख्या 42, 43 और 13 पर कटौती प्रस्तावों पर पहले मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला से ही चालू करता हूं। मेरे खण्ड्ेला विधान सभा क्षेत्र में चौकड़ी ग्राम है वहां चेजा पत्थर और कैल्साइट की माइनिंग है। चेजा पत्थर की ब्लास्टिंग नियमों के विरुद्ध दे रखी है। वहां बसावट के आदमी रहते हैं और पास में हास्पीटल भी है, कलक्टर साहब को वहां में लोगों ने शिकायत की। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय दुर्रू मियां साहब को शिकायत की। दुर्रू मियां साहब ने कलक्टर साहब को कहा कि तीन आदमियों की कमेटी बनाकर इसकी रिपोर्ट दस दिन में देना चाहिए। प्रभारी मंत्रीजी बीस दिन बाद दुबारा वहां गये जिले में। कलक्टर साहब के यहां मीटिंग हुई। तब तक भी कलक्टर साहब ने कमेटी से कोई जबाब नहीं लिया। यह तो हमारी सरकार का नमूना है। आईएएस अधिकारी हमारे मंत्री से भी ऊपर होते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कहना चाहूंगा, जैसा कि मेरे साथी नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला था कि ब्लास्टिंग के लिए चार-चार इंच का बोरिंग किया जाता है, हैण्ड पम्प का बोरिंग पांच इंच का होता है, उससे एक कम चार इंच बोरिंग हो रहा है और वह भी बीस पच्चीस मीटर गहरा होता है। उसके अन्दर आठ-दस कट्टे बारुद के भरे जाते हैं। जिस टाइम ब्लास्टिंग किया जाता है उस टाइम यदि कोई भूकम्प मापने वाली मशीन हो तो वह 8.5 से कम का झटका नहीं माना जाएगा। हास्पीटल पास में है और उससे पहले पचास या सौ मीटर के अन्दर अन्दर बस्ती बसी हुई है। हास्पीटल में यदि कोई डाक्टर ब्लास्टिंग के टाइम पर सुई लगाता हुआ या कोई छोटा आपरेशन करता हुआ होगा तो उसकी एक बार तो कैंची ज्यादा अन्दर चली जाएगी। सरकार आंख बन्द करके परमिशन दे देती है। जबाव में लिखा जाता है कि इस तरह की परमिशन राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती है, केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। बिलकुल सही बात है लेकिन यदि केन्द्र सरकार कोई गलती करती है तो उसको रोकने के लिए, जब तक वह दुरुस्त नहीं हो, आपके पास तो उस बात के पावर हैं कि उस ब्लास्टिंग को रोकें या उस खान को बन्द करें। तो, सभापति महोदय, मैं आपके

(श्री बंशीधर खण्डेला)

माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चौकड़ी के अन्दर जो ब्लास्टिंग हो रही है, जो अवैध हो रही है, जब तक ब्लास्टिंग वाले चैक नहीं कर लें तब तक के लिए उसको बन्द किया जाए।

दूसरी बात इसी मामले में आगे और कहना चाहूंगा कि वहां पर कैल्साइट की फैक्टरी भी है लेकिन वहां पर भी कैल्साइट के नाम पर भी कोई काम नहीं हो रहा। वहां भी चेजा पत्थर का काम हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में जहां ज्यादा रायल्टी की बजाय कम रायल्टी का सामान निकलता है, यदि कैल्साइट की परमिशन दे दें तो रायल्टी तो लेनी चाहिए जिससे कि रेवेन्यू का भी काम हो।

सभापति महोदय, इसी हिसाब से नीमकाथाना तहसील में रेला गांव है, वर्ष 2003 के अन्दर रेला गांव के अन्दर करीब 41 लोगों ने आवेदन किया था। क्रम संख्या दो से पैंतीस और क्रम संख्या 38 और 41, वहां पर आवेदन किया। सिंचाई विभाग से एनओसी ली। सिंचाई विभाग की एनओसी का नम्बर है 1487 दिनांक 31.08.2004 । यह एनओसी देने के बाद में माइन्स विभाग ने वे सारे आवेदन यह कह कर कैंसिल कर दिये, सभी के अन्दर करीब-करीब एक तरह का ही नोट है कि यहां माइनिंग के कारण बांध को खतरा है, भराव क्षेत्र में है, वगैरह-वगैरह। सबको बन्द कर दिया। वर्ष 2004 के अन्दर जो एनओसी थी, मैंने बताया 1487 दिनांक 31.08.2004, उसी परमिशन पर वर्ष 2009-10 में दूसरी खानों को माइनिंग दे दी गई। परमिशन दे दी गई। यह बहुत बड़ा घपला है। उसी पहले वाली सिंचाई विभाग की एनओसी पर परमिशन दे दी गई। यह जीता-जागता उदाहरण है इस सरकार का। जो पहले बन्द किये थे उसी ने अब वापस दे दिये।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसी गांव रेला के ऊपर दो साल पहले मैंने आब्जेक्शन उठाया था तो सीकर जिले की एसीडी जगी और खनन विभाग से कागज लिये, लेकिन ऊपर से दबाव आने के बाद एसीडी ने भी कोई कार्यवाही नहीं की। यह वहां का जीता-जागता नमूना है। यह बहुत बड़ा घपला है।

सभापति महोदय, इसी रेला गांव के अन्दर ही 2004 में नये पट्टे से माइनिंग चालू की गई थी। गांव वालों का एजीटेशन हुआ क्योंकि वहां पर पशुधन ज्यादा था और बसावट ज्यादा थी। कलक्टर साहब आये वहां पर। एजीटेशन के कारण गोलियां चलीं और एक आदमी खतम हो गया। तो

(श्री बंशीधर खण्डेला)

तत्कालीन कलक्टर, सीकर ने उस माइनिंग को बन्द करवा दिया था। वर्ष 2004 के बाद अब वर्ष 2010 में वह पुनः चालू हो गयी। आज पुनः वही स्थिति हो गयी। दो महीने से वह माइनिंग बन्द पड़ी है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गांव की जनता नहीं चाहती तो ऐसी माइनिंग को परमानेंटली बन्द किया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में कई ऐसी जगह हैं जहां जमीन गोचर है, सिवाय चक है और वन क्षेत्र है, वहां खनन आराम से हो रहा है। इस सरकार के अन्दर कोई पूछने वाला नहीं कि वह अवैध खनन क्यों हो रहा है। सारी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। सरकार को नुकसान हो रहा है। आसपास की पब्लिक को नुकसान हो रहा है। वहां भी ब्लास्टिंग हो रहे हैं खनन के अन्दर। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम अपने खुद के जिले में तो अवैध खनन को रोकें जिससे पब्लिक को थोड़ी बहुत सहायता मिले।

माननीय सभापति महोदय, जो बड़ी-बड़ी फैक्टरीज हैं, लाइम स्टोन के सर्वे के लिए हजारों एकड़ जमीन ले लेती हैं लेकिन दस-बीस साल तक कोई सर्वे नहीं करते हैं। सर्वे नहीं करने के कारण से सरकार को रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे सर्वे करने वाली फैक्टरी को, संस्था को टाइम पीरियड देना चाहिए, यह मेरा सुझाव है, कि आप दो साल, तीन साल, पांच साल में सर्वे करके या तो अपनी लीज चालू कीजिए अन्यथा आप वापस मना कीजिए कि हमारा माल नहीं है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, वहां इस बात को ध्यान रखें-उनको कैंसिल करना चाहिए, टाइमबाउंड करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर जिले में नेशनल हाई-वे आठ पर कोटपूतली के आस-पास ग्रासिम इंडिया सीमेंट की फैक्टरी है, लगायी जा रही है। वहां पर ग्राम पंचायत मोहनपुरा है, मोहनपुरा नेशनल हाई-वे के पास में ही है। अब जबकि इसकी माइनिंग दूर है तो ऐसी परिस्थिति में वहां परमिशन नहीं देनी चाहिए। इस परमिशन देने के कारण मोहनपुरा पूरी की पूरी पंचायत को दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। यदि अन्दर इन्टीरियर के लिए देते तो आस-पास के लोगों को रोजगार मिलता, प्रदूषण कम होता। नेशनल हाई-वे पर प्रदूषण होगा। ऐसा ध्यान सरकार को देना चाहिए कि पूरी पंचायत को शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन फैक्टरी को दूसरी जगह जंगल में परमिशन नहीं दे सकते। यह एक बहुत बड़ा अन्याय है, ऐसा सरकार को ध्यान देना चाहिए।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

माननीय सभापति महोदय, आबकारी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सीकर जिला दो तरफ से हरियाणा की सीमाओं से जुड़ा हुआ है नीमकाथाना साइड और सीकर की साइड में। सीकर जिला हरियाणा से शराब लाने के लिए एक अच्छा रास्ता बन चुका है। आज तक कभी पेपर में नहीं पढ़ा होगा आपने कि सीकर जिले के अन्दर से आने वाली शराब को पकड़ा है जबकि हरियाणा से जुड़ा हुआ है। जयपुर में आप रोज पेपर में पढ़ते हो, वहां से पकड़ा जाता है। इसका क्या कारण है? वहां से शराब तस्करी नहीं हो रही या पकड़ी नहीं जा रही है? शराब की तो तस्करी होती है आराम से। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि तस्करी होकर रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है आबकारी के अन्दर।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उद्योगों के लिए, फैक्टरी एरिया लगाने के लिए किसानों की कीमती सिंचाईयुक्त जमीन अधिग्रहित की जाती है, जबकि सिंचाई को छोड़कर जो बारानी जमीन है वो जमीन लेनी चाहिए। इससे पहले जहां तक हो सके, सिवायचक या गोचर जमीन लेनी चाहिए, बाद में किसान की जमीन का अधिग्रहण करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यह भी ध्यान देना चाहिए, यह सरकार का नियम बनाना जरूरी है कि फैक्टरी एरिया में जमीन अलाट करा ली लेकिन कई वर्षों तक उसके अन्दर कोई उद्यम नहीं लगाया। कोई उद्योग नहीं लगाने के कारण से वो जमीन आज वहां की वहां पड़ी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल रीसेल के लिए फैक्टरियां रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और रीसेल के हिसाब से दस साल तक बैठे रहते हैं। जबकि नियम बना रखे हैं कि फैक्टरी अलाटमेंट के अन्दर-अन्दर इतने टाइम में आप शेड बनाओगे और इतने टाइम में आपको फैक्टरी चालू करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थितियों में अधिकारियों की मिलीभगत से, सरकार की मिलीभगत से ऐसे फैक्टरी मालिक बन बैठे हैं जो केवल रीसेल के लिए ही जमीन को अपने पास रखते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

अपनी जमीन को इसलिए रखते हैं। ऐसे पर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसे उद्योगपतियों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए जो टाइम पर फैक्टरी नहीं लगाते हैं, और उसकी जमीन को जब्त कर दोबारा उसका आक्शन करना चाहिए।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

माननीय सभापति महोदय, आज बड़ी विचित्र बात है कि आबकारी, उद्योग और खनिज तीनों के प्रभारी मंत्री हमारे जिले के हैं और तीनों ही पार्टियों-कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ बोला है, सी.पी.एम. ने इसके खिलाफ बोला है और बी.जे.पी. ने भी इसके खिलाफ बोला है। मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूं, कम से कम अपने जिले के अन्दर ब्लास्टिंग हो रही है, जो चार इंची बोरिंग से हो रही है, उसको रोकना चाहिए। यह नियम बनाना चाहिए कि सवा इंची ब्लास्टिंग जो ट्रैक्टर से आज तक होती आयी है, वो ही हो जिससे आम जनता को राहत मिल सके और आम जनता सुख-चैन की नींद सो सके।

मैं मंत्रीजी से दोबारा निवेदन करना चाहूंगा, जो चौकड़ी गांव है वहां मुश्किल से 60-70 मीटर पर बसावट है, पहले से बसी हुई है वो, ब्लास्टिंग की परमिशन दी, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कह कर उसकी ब्लास्टिंग की परमिशन बंद की जाए और तब तक के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए उस माइनिंग को बंद किया जाए। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री संतोष कुमार सहारण।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): मांग संख्या 42-उद्योग पर मैं कुछ बात करने के लिए आपसे मुखातिब हूं। औद्योगिक विकास किसी भी क्षेत्र का आइना होता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के प्रबन्ध किये हैं। मैं मेरे क्षेत्र व मेरे जिले में औद्योगिक दृष्टिकोण से विकास करने के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है, हमारे वहां कृषि आधारित उद्योग लगे हुए हैं। जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरी, आयल मिल्स, इस प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं। हमारे यहां जिले में दूसरी फसलों के साथ-साथ खास पैदावार किन्नू व गन्ने की होती है। गंगानगर का किन्नू पूरे देश में स्वादिष्ट जूस व क्वालिटी के लिए मशहूर है। किसानों ने हजारों एकड़ में किन्नू के बाग़ लगा रखे हैं, किन्नू का उत्पादन होता है। मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि किन्नू का भाव संतरे के साथ जुड़ा हुआ है। संतरे की पैदावार जब ज्यादा होती है तो किन्नू का भाव कम होता है। दूसरी बात, किन्नू का जो सीजन है, किन्नू की जो पैदावार है, दिसम्बर से लेकर फरवरी तक यह फ्रूट चलने वाला है, इसके बाद यह फ्रूट स्टोर में भी बहुत ज्यादा समय तक प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, इसमें फरमेंटेशन शुरू हो जाता है।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

मेरा इसमें आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि किन्नू को उस समय के अन्दर बाजार में बेचना पड़ता है। हमारे यहां जूस प्रिजर्वेशन की यूनिट लगी हुई हैं, इसी प्रकार गंगानगर में भी इसके जूस के प्रिजर्वेशन के लिए और इसके पल्प से कोई बाई प्रोडक्ट बनाने वाले यूनिट लगाये जाएं ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके और आम आदमी को इसके जूस का लाभ, जूस का जो जायका है, लगातार लम्बे समय तक मिले।

इसी प्रकार गंगानगर में सब्जियों की भी बहुत पैदावार होती है। सब्जियां भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पातीं तो सब्जियों को भी प्रिजर्व करने के लिए और उनके कोई बाई प्रोडक्ट बनाने के लिए इसी के साथ-साथ यूनिट्स लगायी जाएं, यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां गंगानगर तहसील में जैड माइनर मेरे क्षेत्र के अन्दर आता है, वहां गन्ने का उत्पादन बहुत होता है। किसान गन्ने की पैदावार को कैश क्राप के रूप में लेते हैं। साल के अन्दर एक बार पैदावार होती है लेकिन इसके अन्दर वज़न ठीक होता है, इसकी पैदावार ठीक हो जाती है। लेकिन मुश्किल यह है कि गंगानगर में एक पुरानी शुगर मिल लगी हुई है, उसको करीब 100 साल हो गये हैं, 100 से ऊपर भी हो गये होंगे, वह इस स्थिति में नहीं है कि गन्ने की पूरी पिराई कर सके। कई वर्षों से यह स्थिति बनी हुई है कि मिल कभी चलती है कभी बंद होती है, न उसके अन्दर पूरी रिकवरी आती है न वो पूरे गन्ने की पिरायी कर पाती है।

किसान को पंजाब के अन्दर गन्ने को ले जाना पड़ता है, उसके बीच में वो भागा-दौड़ी करता रहता है। गंगानगर में पिछली सरकार के समय जमीन अवाप्त करके नींव भी रख दी गयी गंगानगर के अन्दर नई शुगर मिल लगाने के लिए। उस वक्त की सरकार में भी काम नहीं हुआ और अभी तक भी उसका काम शुरू नहीं हो पाया। मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि मजबूती से उस यूनिट को लगाएं। गन्ना उत्पादक किसानों को बचाने के लिए वह कोई बहुत लम्बा-चौड़ा यूनिट नहीं है, सवा सौ, डेढ़ सौ करोड़ रुपये का यूनिट है, किसी बड़ी फर्म को टर्न-की बेस पर अगर यह यूनिट लगाने के लिए दिया जाए तो एक साल के अन्दर यह यूनिट लग सकता है। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और गन्ना उत्पादक अपनी बरबादी से बच पाएंगे, मेरा यह सुझाव है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि गंगानगर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आवागमन के साधनों की

(श्री संतोष कुमार सहारण)

दिक्कत रहती है। गंगानगर से जयपुर मीटर गेज थी, उसको ब्राड गेज में कन्वर्ट करने के लिए रेलवे ट्रेन बंद है, तो मेरा एक सुझाव है। लालगढ़ जाटान मेरे क्षेत्र में पड़ता है, वहां हवाई पट्टी है, उसको हवाई अड्डे के रूप में डवलप किया जाए। जयपुर और दिल्ली गंगानगर से करीब पांच सौ किलोमीटर पड़ते हैं तो हवाई जहाज का साधन, लोगों की मांग भी है, अगर वह शुरू होता है तो निश्चित तौर पर इस तरह के व्यापारी वर्ग के जो लोग आना चाहेंगे तो उनको एक साधन मुहैया होगा, उनको आने-जाने में राहत मिलेगी। तब वे निश्चित तौर पर सोच सकते हैं कि इण्डस्ट्रीज यहां आकर लगाएं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से भिवाड़ी के बारे में कहना चाहूंगा कि भिवाड़ी से मेरा बड़ा पुराना सम्बन्ध है। भिवाड़ी के अन्दर जब शुरूआत हुई तो सबसे पहला यूनिट 1977 में हमारा था। मेरा छोटा भाई रामनारायण सिंह वहां जाकर बैठा। उस जमाने की बात बताना चाहता हूं आपको कि 1977 में झोंपड़ा बनाकर वहां बैठे तो लेकिन चाय पीने के लिए भिवाड़ी से धारूहेड़ा आना पड़ता था। उस वक्त राजस्थान के शांतिपूर्ण वातावरण को देखते हुए, राजस्थान के इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, बिजली की पर्याप्तता को देखते हुए इन्वैस्टर्स वहां आये। बीच में पावर कट लगे, बिजली की कमी आयी, भिवाड़ी थोड़ा स्लो हुआ लेकिन आज की स्थिति में भिवाड़ी बहुत जबर्दस्त तरक्की पर है।

लेकिन मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूं उसका मतलब यह है कि भिवाड़ी हरियाणा के तीन तरफ से घिरी हुई है और तीन तरफ से घिरे होने की वजह से बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल टाउन बन गया है, इसके आस-पास बड़े एरिया डवलप हो गये हैं, तो हर तरह के जो अनवान्टेड लोग हैं, जो उत्पाती लोग हैं वे आकर न्यूसैंस करते हैं उसके लिए पुलिस की व्यवस्था बहुत कमजोर है। जैसा कि मुझे बताया गया, जो पुलिस के

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नार्म्स हैं उसके मुताबिक वहां पुलिस के स्टाफ की आवश्यकता है वहां नहीं लगाया जा सकता तो कुछ स्पेशल दर्जा देकर भिवाड़ी के अन्दर पुलिस फोर्स लगाई जाए ताकि इन्वैस्टर्स जो आज मायूस हो रहे हैं ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था की वजह से, वे लोग टिककर अपनी स्थिति सुचारु रूप से चला सकें। भिवाड़ी से मेरा बड़ा लगाव है, हमारी व्यवस्था है वहां आने-जाने की, रहने की, हमारी फैक्टरी है वहां, इसलिए मैंने यह सुझाव दिया है।

अभी डाक्टर यादव ने भी बताया था कि पोल्यूशन की भी वहां बड़ी शिकायत है। करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गये लेकिन यह पता नहीं लग रहा

(श्री संतोष कुमार सहारण)

कि उसका क्या हश्र हुआ। किस प्रकार उस समिति ने खर्च किया, उसकी कभी मानिटरिंग नहीं हुई, कभी उसकी आडिट नहीं हुई। तो मेरा निवेदन है कि पोल्यूशन और ला एण्ड आर्डर के बारे में भिवाड़ी पर भी गौर किया जाए। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42, 43 व 13 पर विचार

श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42, 43 और 13-उद्योग, खनिज और आबकारी पर चर्चा चल रही है। तय रूप से उद्योग लगे, राजस्थान औद्योगिक विकसित राज्य बने, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। राजस्थान में दो ही सम्पदा सबसे भारी हैं-जमीन, इस देश का सबसे बड़ा राज्य हमारा प्रान्त राजस्थान है और खनिज में झारखण्ड के बाद मैं समझता हूं कि दूसरा स्थान राजस्थान रखता है। लेकिन कोई भी औद्योगिक विकास राजस्थान के किसान की कीमत पर नहीं हो सकता। जमीन अधिग्रहण का जो कानून 1894 में अंग्रेजों के वक्त बना, आजादी के 64 साल बाद आज भी उसी कानून के अनुसार राजस्थान में भूमि अधिग्रहण हो रहा है। आज पूरे देश में किसानों की कीमत पर औद्योगीकरण हो रहा है, किसान आज अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जमीन केवल जमीन नहीं है, जमीन पर बैठे हुए किसान की जिन्दगी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। पूरे देश में सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी जिन्दगी देकर इस कानून को बदलने के लिए सरकार को बाध्य किया है। केन्द्र सरकार में भूमि अधिग्रहण और रीहैबिलिटेशन कानून प्रस्तावित है और हमारी सरकार भी कह रही है कि

(श्री अमराराम)

राजस्थान में हम नई भूमि अधिग्रहण नीति राजस्थान में बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे? आज राजस्थान का किसान भयभीत है, जिस तरह से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। सीकर के पड़ौस में नवलगढ़ में 35,600 एकड़ जमीन तीन कम्पनियों के लिए, मैं समझता हूं पीढ़ियों से बसे हुए बारह गांवों को उजाड़ कर हम तीन सीमेण्ट कम्पनियों को मालामाल करना चाहें तो हजारों लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करके हम न किसी कम्पनी को मालामाल, न राजस्थान का विकास कर पाएंगे। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप औद्योगिक विकास करना चाहें तो उस किसान का पूरा रीहैबिलिटेशन और उसके रोजगार की पूरी व्यवस्था करने के बाद ही।

दूसरा मैं कहना चाहूंगा, किसी भी कम्पनी को किसानों से सीधे जमीन लेने का अगर हथियार दे रहे हैं तो मैं समझता हूं उन किसानों के साथ, राजस्थान के आम-अवाम और गरीब के साथ इन्साफ नहीं होगा। सौर ऊर्जा के लिए जैसलमेर को हब बनाने की बात है, जमीन को उन कम्पनियों के हवाले किया जा रहा है, लेकिन वो अपनी जितनी लागत लगाएंगे उसका मुनाफा वसूल करने के बाद भी वे प्लाण्ट राजस्थान की जनता के नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि जो भी कोई प्लाण्ट लगाता है-एनर्जी का लगाता है, चाहे सौर ऊर्जा का लगाता है चाहे वह पवन ऊर्जा का लगाता है, जितना वो इन्वैस्टमेंट करता है उसका इन्ट्रैस्ट और मुनाफा अगर हम तय कर दें तो वो वसूल होने के बाद तो निश्चित रूप से वह राजस्थान की सम्पत्ति होनी चाहिए।

खनिज के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से बता दिया कि किस तरह से अवैध माइनिंग हो रही है, लूट हो रही है, लोगों का जीना दूभर हो रहा है। माफिया चाहे राजस्थान के बाहर से आये हों चाहे राजस्थान के हों, आज जिस तरह का माफिया अवैध खनन करने में जुटा हुआ है, लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मैं समझता हूं, उनके कहने के बाद बहुत कुछ बचा नहीं है। लेकिन जिस तरह से खनिज विभाग लगा हुआ है सभापति महोदय, झुन्झुनूं के मोडा पहाड़ में अवैध खनन पर बत्तीस करोड़ रुपये की विभाग पैनल्टी इम्पोज करता है और वसूल करने की बजाए उन्हीं अवैध खनन करने वालों को वापस इजाजत देता है। राजस्थान की जनता का बत्तीस करोड़ रुपया जो अवैध माइनिंग पर अकेले एक पहाड़ में उन लीजधारकों

(श्री अमराराम)

पर इम्पोज किया गया और उसको साफ करके वापस उन्हीं को माइनिंग करने की इजाजत दे दी गयी, मैं समझता हूं, यह बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे मंत्रीजी हैं और हमारे ही जिले में अवैध माइनिंग हो रही है। अवैध वसूली हो रही है, रायल्टी के नाम से हो रही है। खनिजों के नाम से हो रही है। नयी खनिज नीति जो सरकार ने घोषणा की, सीकर जिले में पहला जो अलाटमेंट हुआ है, उसका नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि किस तरह से नयी नीति के नाम से लूटने का तरीका है। जुगलपुरा में 7 खानें अभी 29 फरवरी को ही अलाट की गयी हैं नयी नीति के साथ लाटरी के माध्यम से कि वह जितनी कीमत देगा। एक खान की निविदादाता ने 12 लाख 51 हजार रुपये सालाना 20 साल तक लीज दी, 12 लाख 51 हजार वाले को नहीं मिली, 2 लाख वाले को मिली। दूसरी खान 12 लाख 51 हजार रुपये की बिड देने वाले को नहीं मिली, 95 हजार वाले को मिली।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नीलामी...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नीलामी जो टेण्डर डालते हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): काहे की?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): व्हाइट स्टोन की जिससे यह बनती है।

सभापति महोदय, हमारे खनिज मंत्री, नयी नीति और एक खान 12 लाख 51 हजार की जगह 2 लाख में दी। एक खान में 20 साल में 2 करोड़ रुपये का चूना, अकेले एक में। मैं समझता हूं किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है अगर सरकार का संरक्षण नहीं है तो। यह हालत पूरे राजस्थान में कि किस तरह से अवैध माइनिंग हो रही है। माइनिंग माफिया द्वारा सब कानून को धता बताकर अवैध माइनिंग की जा रही है। चाहे वह टोडा हो, चाहे वह डूंगर की नंगला हो, चाहे वह डाबला हो, तमाम कानून-कायदों को धता बताकर, सरकार को धता बताकर लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजस्थान की आय बढ़े, पैट्रोलियम से लेकर तांबा, जस्ता, सोना तक राजस्थान की जमीन में अकूत खनिज सम्पदा के रूप में है, निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिये।

पिछले 7 साल से तो मैं सुन रहा हूं, बाड़मेर में तेल निकला है। तेल निकलेगा राजस्थान में, साफ गुजरात जाकर होगा। चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, सरकार प्रयास कर रही है। 7 साल में प्रयास अभी तक यह है कि राजस्थान में तेल निकलेगा, गुजरात जाकर साफ होगा।

(श्री अमराराम)

गुजरात से वापस तेल मिलेगा तो राजस्थान की जनता को पैट्रोल और डीजल 4 रुपये लीटर महंगा मिलेगा। पड़ौसी हरियाणा और पंजाब को 4 रुपये लीटर सस्ता मिलेगा।

सभापति महोदय, आबकारी विभाग की भी आज डिमाण्ड है। आज अवैध शराब जा रही है। अभी सरकार ने घोषणा की, 8 बजे तक दुकानें होंगी। दुकानें तो 8 बजे तक बन्द होंगी लेकिन जो बीयर बार हैं वे रात को 2 बजे तक भी चलेंगे, कोई पाबन्दी नहीं है। आबकारी मंत्रीजी बनने के बाद, शायद 2 या 3 जिले में बीयर बार थे, अभी सैकड़ों की संख्या में हैं। बीयर बार के नाम से, अवैध शराब के नाम से लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है।

नेशनल हाइवे नम्बर-11-जयपुर से बीकानेर तक, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर से पहले नेशनल हाइवे पर कोई भी शराब की दुकान नहीं हो सकती, केवल बाजार में हो सकती है। बाजार विकसित हो। लेकिन कूडी हो, हरसावा हो, ऐसी जगह हैं जहां केवल शराब की दुकान है, उसको आपका विभाग विकसित बाजार बता रहा है।

इस बात के लिये तो मैं धन्यवाद दूंगा पूर्ववर्ती सरकार को, कि पूरे राजस्थान के अधिकतर जिलों का एक ही शराब माफिया पूरा ठेका लेता था। लोगों के साथ ज्यादती करता था। लोगों के साल में सौ से ज्यादा मर्डर करता था। किसी भी एस पी की हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर ले। दर्ज भी हो जाता था तो चालान नहीं होता था। चालान हो जाता था तो सज़ा नहीं होती थी। मुझे पता नहीं लेकिन हर साल इस आबकारी से इनकम बढ़ती थी। पिछले साल दुकान अलाट की गयी इस साल और अगले साल, 2 साल के लिये उनको एक्सटैण्ड कर दिया गया। इसमें भी बहुत बड़ी बू आती है कि एक साल के लिये आपने दुकानें अलाट कीं और उन्हीं को 3 साल के लिये कन्टीन्यू करने का मतलब है कि उनसे इससे ज्यादा राजस्थान की जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है।

मेरा तो आपके माध्यम से, सभापति महोदय, यही निवेदन है कि जो 2 सम्पदाएं इस राजस्थान के पास भूमि और खनिज हैं, राजस्थान की 7 करोड़ जनता के हक में उनका उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से औद्योगिक विकास भी होगा, राजस्थान की जनता का विकास भी होगा। लेकिन इससे जो आय होती है, सही सलामत वह हमारे खजाने में आए। लोगों के

(श्री अमराराम)

विकास में लगे। जो आज 64 साल के बाद में भी विकास में पिछड़े हुए हैं, उनके लिये लगे। जिस तरह से रायल्टी के माफिया सीकर में मनमर्जी से वसूली कर रहे हैं, उस पर रोक लगाएं।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय आज मांग संख्या 42, 43 और 13 पर चर्चा हो रही है। तीनों ही विभाग चाहे खनन हो, चाहे उद्योग हो, चाहे आबकारी हो, ऐसे हैं जिनसे किसी भी राज्य सरकार को सबसे ज्यादा कर भी मिलता है और सबसे ज्यादा बेरोजागार युवकों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, साढ़े तीन साल में सबसे कम उपस्थिति इस सदन में आज की तारीख में मुझे देखने को मिली। हमारी सुझाव न देने की, कोई मांग न रखने की इन विभागों के प्रति किस प्रकार की मंशा है, मैं समझ नहीं पाया। ये तीनों ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें अगर महत्वपूर्ण कोई सुझाव आएंगे तो किसी भी सरकार को ज्यादा से ज्यादा कर वसूल करने में, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धन्धे किस प्रकार से लगें, इसमें किस प्रकार से यहां पर निवेश हो और किस प्रकार से हमारे शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले, इसमें सहायता मिलेगी।

कई माननीय सदस्यों ने काफी आरोप-प्रत्यारोप लगाये। लगते भी हैं। कइयों ने सुझाव भी दिये। मैं सबसे पहले तो निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह गांधीजी का चित्र यहां पर विराजमान है, एक गीता मंगा लीजिये, एक कुरान मंगा लीजिये, एक बाइबल मंगा लीजिये और हमारे उप नेता महोदय को हम सबका हैडमास्टर नियुक्त कर दीजिये। हम सबके हाथ में जो-जो भी धार्मिक ग्रन्थ है, उसको लेकर सौगन्ध खिलाइये कि न हम अवैध खनन करेंगे, न अवैध खनन करने में किसी की सिफारिश करेंगे, तब तो इसकी कोई सार्थकता है। आज मेरा यह आरोप है, सारे के सारे जो इन तीनों डिपार्टमेंट को सुझाव देने के लिये नहीं आये हैं, वे या तो कहीं न कहीं खानों में लिप्त हैं और या वह बच रहे हैं कि हमारा नाम कोई बोल नहीं दे इसलिये यहां से गायब हो गये। इस बात को हमें सोचना पड़ेगा। जब हम सही हो जाएंगे उसके बाद में किसी की ताकत नहीं है। एक मंत्री या एक मुख्य मंत्री कुछ नहीं कर सकता। हम सब जन प्रतिनिधि जो राजस्थान की विधान सभा में बैठे हैं, चाहे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

किसी भी दल से हों, यह संकल्प आज ले लें कि हम कोई भी अवैध माइनिंग करने वालों को संरक्षण नहीं देंगे। हम कोई अवैध रूप से खान नहीं लेंगे। अगर कोई धन्धा करता है, करे। एक अलग बात है। लेकिन यह संकल्प ले लेंगे तो हमारी जो रायल्टी आज आ रही है, उससे दुगनी 12 महीने में नहीं हो जाए तो मुझे आप बता देना। इसलिये सबसे पहले तो यह संकल्प लें तो मैं समझता हूं कि यह हो सकता है।

(21.00 बजे)

दूसरा मैं निवेदन करूं, अभी माननीय सदस्यों ने कहा, नाम नहीं लेना चाहूंगा कि हमारे मंत्रीजी सीकर में यह कर रहे हैं, सीकर में यह नहीं कर रहे हैं, सीकर में यह हो रहा है। मेरा चैलेंज है सदन के माध्यम से, हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे आज के उद्योग और आबकारी मंत्रीजी, इनके अगर एक खान मिल जाए तो मुझे बता दीजिये। एक दिन शराब की बोतल के हाथ लगाया हुआ मिल जाए तो मुझे बता दीजिये। लेकिन यही आपको भी, प्रतिपक्ष को भी करना पड़ेगा। आपकी मुख्य मंत्री इन दोनों में लिप्त थीं या नहीं थीं? आपके खान मंत्री और आबकारी मंत्री किस प्रकार से क्या करते थे और उनकी कितनी खानें हैं, यह ब्यौरा मंगवा लीजिये। अपने आप सारी स्थिति जब दुबारा सदन आए तो स्पष्ट हो जाएगी कि इतनी खानें पहले वाले खान मंत्री के थीं और आज वाले के कितनी हैं। दावे के साथ कह सकता हूं, मैं सीकर जिले से आता हूं, एक खान नहीं है, एक खान माफिया को संरक्षण नहीं है। एक दारू की दुकान नहीं है, एक दारू के माफिया को संरक्षण नहीं है। लेकिन चूंकि प्रतिपक्ष को कहना है, वह कुछ भी कहे। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधर जाएगा और जग सुधर जाएगा तो रेवेन्यू आ जाएगी। रेवेन्यू आ जाएगी तो राजस्थान में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे।

सभापति महोदय, दूसरा, मैं दो-चार सुझाव दूंगा उद्योग के बारे में। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि रिफाइनरी के लिए बहुत शानदार प्रयास हो रहे हैं। जब रिफाइनरी आ जाएगी, उसके बाद में पिछला जो 30 साल का विकास है उद्योगों में वह एक तरफ और रिफाइनरी अकेली एक तरफ होगी राजस्थान में, इतना बड़ा काम यह होने वाला है। हम सब संकल्प लेकर चाहे पक्ष में हों, चाहे प्रतिपक्ष में हों, इस बात को आगे बढ़ाएं। पुरजोर शब्दों में सदन के माध्यम से

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
केन्द्र सरकार से निवेदन करें, प्रधानमंत्रीजी से निवेदन करें कि जल्दी से जल्दी हमें रिफाइनरी की सौगात मिले।

सभापति महोदय, उद्योगों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो उद्योग-धंधों के लिए जो हम प्लाट आबंटित करते हैं, 80 परसेंट लोग केवल इन्वैस्ट के लिए, अपना फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए अलाटमेंट कराकर बैठ जाते हैं। हम या हमारे अधिकारी, हम ही उनको इशारा कर देते हैं कि तुम्हारी समयावधि पूरी हो गयी है, एक छोटी-सी गुमटी बना लो। एक हैण्ड पम्प कर लो या एक ट्यूबवैल कर लो। एक कोटड़ी बना लो। यह कहकर कि उसकी लीज कहीं निरस्त नहीं हो जाए, इस बात का प्रयास करते हैं। इस बात में उनकी मदद करते हैं। वास्तव में अगर उद्योग के लिए ली है, तय समय सीमा है तो उसमें उद्योग लगना चाहिए। अगर नहीं लगता है तो तत्काल बिना नोटिस ही उसका आबंटन निरस्त कर देना चाहिए। तब जाकर निश्चित रुप से हमें सफलता मिलेगी।

सभापति महोदय, मेरे ध्यान में है, पलसाना में एक बहुत अच्छी फैक्टरी मेरे मित्र ने लगायी, वह अच्छी चल रही है। माननीय उप नेता महोदय, श्रवणजी कालेर की। वह 8 हजार वर्ग गज की जमीन है। उसके पास में 8 नहीं, 16 नहीं, 32 हजार वर्ग गज पड़ी है लेकिन वह इन्वैस्टमेंट करने वाले हैं। उसको तो बहुत अच्छी फैक्टरी होने के बावजूद, सबसे अच्छी फैक्ट्री है शायद वह पलसाना में, उसको तो जगह नहीं मिल रही है और जो दूसरे हैं वे खाली पड़े हैं। उनमें चारदीवारी दो-दो फीट के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को अगर हम रोक देंगे तो उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदय, तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्री एरिया डवलप किया जाता है, जिस समय प्लाट्स का आबंटन किया जाता है तब तक तो उसको थोड़ा ठीक-ठाक डामर करके सड़क और पोल वगैरह करके दिखाते हैं। उसके बाद में अगर उस पर 20-30 परसेंट का एरिया भी विकसित हो जाता है, फैक्टरियां लग जाती हैं तो सड़कें टूट जाती हैं। वहां पानी का नाम नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, हम उनसे पैसा लेते हैं, हम उनको विकसित करके देते हैं तो जितनी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वे उनको मिलें।

सभापति महोदय, सिंगल विंडो एक्ट बहुत अच्छा प्रयास किया राजस्थान की सरकार ने। माननीय मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्रीजी को उसके

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं। लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, मुझे यह मालूम हुआ कि आज भी वह जटिल है, उसको थोड़ा ठीक किया जाए। इसके अलावा 'पहले आओ पहले पाओ' का जो सिद्धान्त है, उसमें भी हमें बार-बार यह सुनने को मिलता है हमारे उद्योगपतियों से जो आते हैं, कि इसमें भी थोड़ी-बहुत पारदर्शिता की कमी रहती है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको भी पारदर्शितापूर्वक बाकायदा करें।

सभापति महोदय, एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नये औद्योगिक क्षेत्र चालू होने चाहिए, चाहे नीमकाथाना का हो, चाहे लक्ष्मणगढ़। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी अगर सम्भावना हो तो वहां भी तलाश करना चाहिए। दूसरी जगह भी तलाश करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विकसित क्षेत्र चालू हों। उद्योगों को मोटिवेशन मिलना चाहिए। जो रुग्ण इकाइयां हैं, जो बंद हो गयी हैं, उद्योगों के नाम पर बड़े-बड़े प्लाटों को लेकर लोगों ने उन उद्योगों को तो बंद कर दिया और अपना रेजिडेंस बना लिया। अपने बेटे का मकान बना लिया। अपने भतीजे को ले आये, अपनी सिस्टर को ले आये। तीन-तीन, चार-चार बिल्डिंग्स बनाकर उसमें रह रहे हैं। ये रहने के लिए नहीं हैं, उद्योग स्थापित करने के लिए हैं, इस बात की भी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक हमारी सरकार ने पिछले बजट में किया था या इससे पिछले बजट में किया था, कि जो रीको का क्षेत्र है, उसमें जो खाली प्लाट हैं, उनमें हम शैक्षणिक संस्थाओं के लिए रियायती दर पर आबंटन करेंगे। इसमें, माननीय मंत्री महोदय, मेरा सुझाव है कि जो इंजीनियरिंग किये हुए बच्चे हैं, बेरोजगार युवक हैं, चाहे डिप्लोमा किये हुए हैं, उन लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए वह जगह मिलनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थाओं का तो हाल क्या है, रोजाना शिक्षा पर ही बहस होती है, उसमें सुनते हैं। वह एक अकेला आदमी होता है, दस-बीस का स्टाफ रख कर करता है। लेकिन अगर कोई बेरोजगार इंजीनियरिंग किये हुए, आईआईटी किये हुए बच्चे को हम जमीन देंगे, उसको लोन दिलाने में सहायता करेंगे, उसको अगर मोटिवेट करेंगे तो वह एक अच्छा उद्योग लगा सकता है। अच्छा उद्योग चलेगा और उससे इनकम भी आएगी।

सभापति महोदय, मैं खान के विषय में निवेदन करना चाहता हूं, मेरे से छूट गयी बात। हम जब रोड बनाते हैं टोल बेस पर तो शीशे लगाकर अच्छी-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अच्छी बिल्डिंगें बनाकर टोल वाले इतना शानदार अरेंजमेंट करते हैं कि एमएलए और एमपी को भी वहां से जाने नहीं देते कि आपका भी अलाउ नहीं है, रुपये दे दीजिये और फिर जाइये। उसमें तो हमारा पैसा लगता है उसके बाद भी वे व्यवस्था कर लेते हैं। खनन वाले काम में तो हमारा पैसा भी नहीं लगता है। हमें तो केवल लेना ही लेना है उनसे रायल्टी के रूप में। यह कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम टोल बेस पर हो, जिससे एक भी गाड़ी गयी तो उसका कम्प्यूटर में इन्द्राज हो गया, वैसे कोई नहीं जा सकता। अगर इस प्रकार का कर लेंगे तो आज हमारी जितनी रायल्टी से इनकम है, उससे दुगनी से भी ज्यादा इनकम हो सकती है। पुराना तरीका जैसे नगरपालिका में चुंगी वाले बैठे -बैठे 10-10 की रसीद काटते थे। 100 आदमी जाते थे तो 50 की रसीद काट दी और 50 के जेब में डाल लिये। इस प्रकार की व्यवस्था आज की तारीख में नहीं चलनी चाहिए। इससे हमारी सबसे ज्यादा इनकम होती है, सबसे ज्यादा रायल्टी और टैक्स हमारे को प्राप्त होता है। इसमें तो हम कम्प्यूटराइजेशन कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं आबकारी पर। आबकारी में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत शानदार व्यवस्था शाम को 8 बजे की की। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर भी यहां सदन में फरमाया था कि हम गुटखा, जर्दा, पान, सुपारी ये जितने भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनको हम बंद करने के लिए भी सोच सकते हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का फैसला बता रहे हैं, उसके चक्कर में नहीं हो पा रहा है। आपने रात को 8 बजे का किया, सुबह खोलने का भी 11 बजे, 12 बजे इतना बढ़ा दीजिये। आने वाले समय में धीरे-धीरे और सोर्सेज हो जाएं इस किस्म के तो इसको बंद की ओर भी हम ले जाएंगे तो सही होगा।

सभापति महोदय, मैं आबकारी मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आदरणीय अमरारामजी, सदस्य दांतारामगढ़ और पेमारामजी, धोद के माननीय सदस्य ने कहा कि सीकर में यह हो रहा है, अवैध शराब हरियाणा वाली आ रही है। हमारी सरकार ने और हमारे मंत्रीजी ने उस इनाम की राशि को बहुत बढ़ावा दे दिया है, आप बताइये ऐसे व्यक्तियों के बारे में और बहुत बढ़िया इनाम पाइये। कम से कम इनाम तो लीजिये। आपने एक भी नहीं बताया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप तो बता सकते हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं बता सकता हूं तभी तो बता रहा हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप ज्यादा बता सकते हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे को तो आज तक कोई अवैध नहीं मिला ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक तो माननीय सदस्य ही हैं जो आप बता रहे हो। आपकी ही पार्टी के हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उससे क्या फर्क पड़ता है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मुकदमा है। यहां तो आते हैं और आपकी पुलिस को नजर नहीं आते। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सामने तो 10 ही हैं... (व्यवधान) 80 हैं या 86 हैं, उसमें से 10 ही हैं, बाकी की क्या स्थिति है, वह आप थोड़ी जांच कर लेना। हम तो फिर भी ज्यादा हैं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं कम्पेरिजन नहीं कर रहा...(व्यवधान) आप कह रहे हो न, नाम बता दो। यह हो रहा है, वह हो रहा है। अपने जिले में ही है, वह एफआईआर और 8 महीने तक सीआईडी, सीबी में आनी चाहिए थी, वह नहीं आयी ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अवैध शराब माफिया का ध्यान है क्या आपको? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह आपमें से किसी के नाम करा देंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका तो नाम है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय भिंडा साहब, आपको तो कल हमने सबसे तेज बोलने वाले सदस्य के रूप में सम्मानित कर दिया। इसलिए आप तो सबसे ज्यादा और तेज बोलने वाले माननीय सदस्य हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप यह कहें कि गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं, सबकी मोटरसाइकिलें उड़ रही हैं, सबकी कारें लुट रही हैं, लोगों में अफरातफरी मची हुई है तो कुछ भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और आप यदि यह कहेंगे कि आर जे 23, फलाना-फलाना नम्बर की गाड़ी कल दिनांक इतने को इतने बजे यहां से चोरी हो गई तो निश्चित रूप से एफआईआर भी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लाज होगी और निश्चित रूप से अनुसंधान भी होगा और निश्चित रूप से चोर भी पकड़े जाएंगे। आपको इनाम दे रहे हैं, आप बताइए न। एक भी गाड़ी सीकर जिले में अवैध शराब की चलती है तो आप एक दिन तो एक बता दें। साढ़े तीन साल से हमारे तो कान पक गये, सीकर में तो सारा ही गड़बड़ हो रहा है, सीकर में ...(व्यवधान) आप विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): गोकुलपुरा में शराब की दुकान नेशनल हाइवे पर, कौनसा बाजार है? वहां पर गोकुलपुरा में ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उप नेता महोदय को पूछो, तीन साल पहले भी चल रही थी कि नहीं चल रही थी, फिर मैं बात करूंगा कि आज चल रही है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं तीन साल पहले की बात नहीं करता, आज की बात करता हूं। आप एफआईआर की बात कर रहे हो तो मैं जुगलपुरा की सात खानों की सूचना दे रहा हूं, एक-एक खान से दो-दो करोड़ रुपये का चूना लगाने का काम। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है मंत्री की बगैर शह के। जांच करवा लो। एफआईआर दर्ज करवा लो, जांच करवा लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, यह तो विषय है माननीय मंत्री महोदय का, वह जवाब देंगे, जांच कराएंगे कि नही कराएंगे।...(व्यवधान) यह खड़े क्यों हैं? आपको व्यवस्था करनी है माननीय सभापति महोदय, मैं यही तो कह रहा हूं। (व्यवधान) मैं इनको इनाम दिलाने की विधि बता रहा हूं और यह इनाम ले नहीं रहे हैं। मैं तो केवल इनाम दिलाने की विधि बता रहा हूं कि हमारी सरकार ने किस प्रकार से चोरी को रोकने के लिए, अवैध शराब और अवैध खनन को रोकने के लिये...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, विराजो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, एलएलबी किया हुआ हूं, आपसे ज्यादा बोलना जानता हूं। बीच में टोकने की जरूरत नहीं है, विराजो। विराजो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजो, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप में अगर दम है, हिम्मत है, सच्चाई है तो आप सुझाव दीजिये। ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहते, ज्यादा से ज्यादा सुझाव देते। क्योंकि

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जो पैसा इस रेवेन्यू से आएगा वह सारा का सारा पैसा राजस्थान के विकास में लगेगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और हो, सबको फायदा मिलेगा। केवल अकेली कांग्रेस को फायदा नहीं मिलेगा। मैं ज्यादा नहीं कहकर, क्योंकि ज्यादा और बात चलेगी तो फिर और बात हो जाएगी, निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप और हम सब इस जज्बे के साथ यहां आये हैं कि किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा राजस्थान का विकास हो, किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगें, किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा हमारे बेरोजगार छात्रों को, बेरोजगार युवकों को नौकरी मिले, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित हों। राजस्थान की सरकार ने साढ़े तीन साल में निवेश करने के लिये, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था की है, वह आप और हमसे छिपी हुई नहीं है। धन्यवाद के पात्र हैं मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी कि निश्चित रूप से एक वातावरण मिला। आप देखते हैं कि जहां दो-दो साल तक कोई पूछता नहीं था, आज आप आएंगे और सिंगल विण्डो सिस्टम से सारे के सारे काम चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध योजना के अनुसार हो जाते हैं। नीमकाथाना में औद्योगिक क्षेत्र की, माननीय मंत्रीजी, आप घोषणा फरमा देंगे तो हमारे जिले को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। मेरे लक्ष्मणगढ़ का कट कर दो और नीमकाथाना को दे दो। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योगों का जो भी स्थान है लेकिन राजस्थान में उद्योग का स्थान घट गया। यह एक विचित्र-सी बात है कि कृषि का योगदान 25 प्रतिशत से 26 प्रतिशत हो गया, सेवा क्षेत्र का योगदान 43.82 प्रतिशत से 46 प्रतिशत हो गया लेकिन उद्योग क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान 30 से कम होकर 27 हो गया। हमारा औद्योगिक उत्पादन कम हुआ, हमारा औद्योगिक विकास कम हुआ, यह कांग्रेस की सरकार की उपलब्धि है।

माननीय सभापति महोदय, अगर राजस्थान के आंकड़े देखे जाएं तो एवरेज डेली एम्प्लायमेंट आफ फैक्टरी पर लाख हमारा 11वां स्थान है। आंध्र प्रदेश में 1011, हरियाणा में 2897, हिमाचल प्रदेश में 2590, महाराष्ट्र में 1229, राजस्थान में 733 है। पर कैपीटा नैट वैल्यू एडेड इन इण्डस्ट्रीज 11वां स्थान, गुजरात की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश 2206, गुजरात 8761,

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

हरियाणा 5398, हिमाचल प्रदेश 8898, महाराष्ट्र 7139, राजस्थान 1296 है। पर कैपीटा कंजम्प्शन आफ इलैक्ट्रिसिटी में भी 11वां स्थान, 747 अंकों के साथ है।

माननीय सभापति महोदय, आखिर राजस्थान की धरती जहां उद्योग लगाने वालों की कमी नहीं, साहसी लोगों की कमी नहीं, जिन्होंने देश और विदेश में जाकर अपने उद्योग धंधे स्थापित किये, जिन्होंने देश और विदेश में नाम कमाया, वे आज राजस्थान में क्यों नहीं आना चाहते हैं? वे इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि किसी भी इण्डस्ट्री को लगाने के लिए 6 'एम' की आवश्यकता होती है-मैटिरियल, मशीन, मैन, मनी, मार्केट और मैनेजमेंट। इन सबकी व्यवस्था वह कर सकता है-लेबर की व्यवस्था करेगा, मैटिरियल की व्यवस्था करेगा, मशीन लेकर आएगा, कैपिटल की व्यवस्था वह खुद करेगा, अपना मैनेजमेंट करेगा, मार्केट ढूंढेगा प्रोडक्शन का। लेकिन जो वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर है जो सरकार से उसको चाहिए, इलैक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट सब्सिडी, बैंक का लोन, एन्वायर्नमेंट की क्लीयरेंस, कनैक्टिविटी आफ लैण्ड, वाटर एण्ड एयर, यह सब कहां से लाएगा वह? जो भी इण्डस्ट्रियलिस्ट आता है वह सरकार की ओर देखता है कि उसे लैण्ड मिलेगी, उचित दाम पर मिलेगी, उसे इलैक्ट्रिसिटी मिलेगी, उचित दामों पर मिलेगी, मैं अपनी इण्डस्ट्री स्थापित कर सकता हूं, मुझे गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए भागना नहीं पड़ेगा, मुझे बैंक और एन्वायर्नमेंट की क्लीयरेंस के लिए भागना नहीं पड़ेगा। ये सब बातें हैं लेकिन अभी समय कम है इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इण्डस्ट्रियलिस्ट भागता रहता है, सिंगल विण्डो क्लीयरेंस कभी होती नहीं है। कभी नहीं होती है, उसको खुद भागना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज एक इण्डस्ट्रियलिस्ट कितने डिपार्टमेंटों में चक्कर खाता है? कस्टम-अगर वह इम्पोर्ट करता है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ईएसआई, पीएफ, एन्वायर्नमेंट, फैक्टरी एण्ड बायलर, लेबर डिपार्टमेंट, रीको, आरएफसी, इतने सारे डिपार्टमेंट उसके साथ लगे हुए हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट उससे जुड़े हुए हैं। इन सब डिपार्टमेंटों में जा-जाकर वह अपनी इण्डस्ट्री लगाये, अपना उद्योग धंधा स्थापित कर सरकार को टैक्स दे, लेबर को चुकाए, उसके बाद प्रोफिट वह ले-आज यह बड़ा असम्भव-सा काम इण्डस्ट्रियलिस्ट के लिए हो रहा है। 'इण्डस्ट्री' – 'इन डस्ट' पहले वह इण्डस्ट्रियलिस्ट इन डस्ट जाता है, अन्दर जाता है, मिट्टी के अन्दर, फिर

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

उसका 'ट्री' उगता है। उसको सपोर्ट की आवश्यकता है, उसको सहयोग की आवश्यकता है, उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जब तक सहयोग, सपोर्ट और मार्गदर्शन सरकार का नहीं होगा, सरकार का कोआपरेशन नहीं होगा तब तक राजस्थान में इण्डस्ट्री लगाना बड़ा मुश्किल काम है। जो एन्वायर्नमेंट हमारी नेता वसुन्धराजी ने बनाया इण्डस्ट्रियलाइजेशन का, एक दिन में बिरला आडिटोरियम में 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का इन्वैस्टमेंट आया था। 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपयों के सारे प्रपोजल्स आये थे और आज आपकी जो इण्डस्ट्रियल ग्रोथ दिखती है, वह उसी वजह से दिखती है। सीमेण्ट इण्डस्ट्री आई, 16 प्रतिशत प्रोडक्शन सीमेंट का अपने देश में राजस्थान का है। (व्यवधान) मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि जितना भी इण्डस्ट्रियलाइजेशन है, उसके लिए एक विजन, एक त्वरित इच्छाशक्ति चाहिए कि हम इण्डस्ट्रियलिस्ट को कैसे लेकर आएं, उसको किस प्रकार का एन्वायर्नमेंट दें ताकि राजस्थान का औद्योगिक विकास हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज यहां राजस्थान में आएं, मेगा इण्डस्ट्रीज आएं और अपना उद्योग धंधा स्थापित करें, इसकी योजना बननी चाहिए। विदेशों से, चाइना से लोग-बाग़ माल लेकर आते हैं, उस माल का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा सिम्पल कि वहां से फर्नीचर लेकर आते हैं, जितनी भी होटलें बन रही हैं, चाइना से फर्नीचर लेकर आते हैं। हमारे यहां का खाती फर्नीचर नहीं बना सकता है? लेकिन जितनी भी होटलें बनी हैं, उन सब में सारा इम्पोर्टेड फर्नीचर लगा हुआ है। आज कोई भी व्यक्ति अपने घर का फर्नीचर लेने के लिए जाएगा तो 14 परसेंट टैक्स नहीं चुकाएगा। ये सारी इण्डस्ट्रीज इसलिए डूब रही हैं कि सरकार को टैक्स भी नहीं मिल रहा है, 14 परसेंट वैट लगा रखा है। हम लोगों ने जिस प्रकार से वातावरण बनाया है, इण्डस्ट्रियलाइजेशन का वातावरण नहीं है, कर चोरी का वातावरण है। प्रापर ढंग से हमारी सोच नहीं है। जो हम यह चाहते हैं कि हमारा इन्वैस्टमेंट बढ़े तो उसको हमको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। ये छोटी-छोटी चीजें जैसे कपड़ा है, चप्पल-जूता है, टैक्सटाइल है, अन्य चीजें हैं, उसके अलावा इण्डस्ट्रियलिस्ट हाउसेज लगाने पड़ेंगे। कल्पना करनी पड़ेगी, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, कि हमारे यहां राजस्थान में भी मोबाइल फोन बनें, हमारे यहां राजस्थान में भी अगर सम्भव हो तो हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री हो। कल्पना करनी पड़ेगी और उसको लाना पड़ेगा। क्यों नहीं हो सकती? हम जितना प्रोडक्शन करते हैं, जितना एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका और जर्मनी ये

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

सब हमारे को एक ही चीज में एक्सपोर्ट में डाल देते हैं पूरा। इण्डिया की पूरी स्थिति यह है, वे एक चीज बनाते हैं और हम हजार चीज एक्सपोर्ट करते हैं, बराबर हो जाता है। लेकिन हमारा विजन यह होना चाहिए, आज इण्डिया में मोबाइल फोन नहीं बन रह हैं और चाइना से मोबाइल फोन मंगा रहे हैं, क्यों नहीं बन सकता है? एक विजन हमारे इण्डस्ट्रीज के लोगों का होना चाहिए, हमारी सरकार का होना चाहिए, हमारे अधिकारियों का होना चाहिए कि क्या-क्या चीज हम यहां बना सकते हैं और पैट्रोलियम की चीजें, रसायन की चीजें, हमारी रिफाइनरी आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना तो जरूर कहना चाहूंगा कि ये सब चीजें हमारे यहां आएं एक विजन के रूप में तो निश्चित रूप से हमारा इण्डस्ट्रियलाइजेशन हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभी छोटे-छोटे उद्योग हमारे यहां बहुत हैं, इन छोटे-छोटे उद्योगों को लगाने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना बनाई है, मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना बनाई है, क्या आपने देखा कि कितने लोगों का प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत चयन किया गया है और कितने लोगों को सब्सिडी दी गई? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा अपने बजट भाषण में कि मैं सोया और सपना देखा कि जीवन आनंद है, मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है, मैंने सेवा की और पाया कि सेवा आनंद है। अच्छी बात है। I slept and dreamed that life was joy, I awoke and started life was service, I acted and beheld service was joy, बजट भाषण में कहा। अब प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत पूरे राजस्थान भर में केवल एक हजार लोगों को लोन दिया गया है, उनका चयन किया गया है, केवल एक हजार। लाखों लोग चाहते हैं और मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत तो कोई पांच-सात सौ लोगों को भी नहीं दिया गया लोन इत्यादि। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जयपुर शहर में जवाहरात के लाखों लोग, लाखों कारीगर यहां काम करते हैं, क्या उनका कोई क्रिस्टल डवलपमेंट नहीं हो सकता था? विजन नहीं है, सोच नहीं है। जवाहरात का एक बहुत बड़ा क्रिस्टल डवलपमेंट किया है मोदीजी ने, जवाहरात का यहां भी क्रिस्टल डवलपमेंट हो सकता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जयपुर शहर में और विभिन्न स्थानों पर चांदी के और सोने के वर्क बनाने वाले कारीगर हैं। पन्नीगरों का मोहल्ला है, जाकर देखिए, उस पन्नीगरों के मोहल्ले में वे किस प्रकार से जीवन यापन कर

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

रहे हैं। वह सेवा है न उनकी। सौ या पचास रुपये भी नहीं मिलते हैं उनको। क्या हमारा इण्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट है? वहां जाकर आर्टिजन कार्ट नहीं बना सकता है? वहां जाकर उनका क्रिस्टल डवलपमेंट नहीं कर सकता है? वहां जाकर उनकी सेवा नहीं कर सकता है? वहां जाकर उनको स्वयं उनमें से सौ पचास लोगों को उद्योगपति नहीं बना सकता है, उनको व्यापारी नहीं बना सकता है? हमारा कसेरा समाज है, जो बर्तन बनाता है चौड़ा रास्ता में, जाकर देखिए कि उनकी हालत किस प्रकार की है, क्या स्थिति है उनकी, किस परिस्थिति में वे जीवन-यापन कर रहे हैं। कहीं पर आने-जाने के लिए किराये के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, एमएलए के पास जाने के लिए दस- बीस रुपये चाहिए, वे भी नहीं होते हैं। पचास या सौ रुपये कमाते हैं, अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। कसेरा समाज के लोग सैकड़ों की, हजारों की संख्या में हैं, आप देख लीजिए। माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में मूर्तिकार भी हैं। आल ओवर इण्डिया ही नहीं बल्कि आल आवर वर्ल्ड कोई मंदिर बनेगा तो मूर्तिकार के पास जाएगा जयपुर और मूर्तियां लेगा। नेता की मूर्ति बनाएगा तो भी लेगा। लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। उनका कोई क्रिस्टल डवलपमेंट हो जाए, उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। पिछली बार हमारी सरकार ने एक डवलपमेंट किया था, उसमें भी उद्योगपतियों को नोटिस दे दिये। मूर्तिकला वालों को नोटिस दे दिये कि आप लोगों को जमीनें जो हैं, वे गलत दे दीं जेडीए वालों ने। किस प्रकार की व्यवस्था है? रैगर समाज के लोग हैं, रहमानिया समाज के लोग हैं, चप्पल और जूते बनाते हैं, माननीय सभापति महोदय, उनका भी एक क्रिस्टल डवलपमेंट हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तैयारी करके ही आया हूं लेकिन समय कम है इसलिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में स्माल इण्डस्ट्रीज के डवलपमेंट की बहुत सम्भावना है, इसलिए मेरा सुझाव है कि राजस्थान को आर्थिक रूप से पिछड़ा प्रदेश घोषित करवाएं केन्द्र सरकार से। बांसवाड़ा, उदयपुर और उस क्षेत्र में इण्डस्ट्रीज लगें, मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज लगें और उसके लिए भारत सरकार से मांग करके कस्टम ड्यूटी माफ हो, उनकी एक्साइज ड्यूटी माफ हो, उनके विभिन्न प्रकार के टैक्सेज माफ हों। वहां पर इस प्रकार की इण्डस्ट्रीज लगें, बाड़मेर इत्यादि में लगें, विभिन्न क्षेत्रों में हम राजस्थान को विशेष दर्जा देने का प्रयास करें जिस प्रकार पूर्वांचल और हिमाचल में व्यवस्था है। माननीय सभापति महोदय, मीडियम और स्माल इण्डस्ट्रीज के लिए बैंक वालों को बुलाकर उनको लोन देने की व्यवस्था आप

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

सुचारु रूप से सुव्यस्थित करें। हम यह कर सकते हैं, सरकारी खरीद जो 20 परसेंट है, उसको 40 परसेंट लाएं। पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग, वे सरकारी खरीद को बिलकुल ही महत्व नहीं देते हैं, राजस्थान के आसामीज से खरीदते ही नहीं हैं। बिजली बोर्ड भी नहीं खरीदता है, बहुत कम खरीदता है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप कम से कम 40 परसेंट राजस्थान के उद्योगपतियों से, स्माल इण्डस्ट्रीज से सरकारी खरीद करें और पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग से खरीद करवाएं। माननीय सभापति महोदय, रीको की रेट 11 परसेंट है, आरएफसी की रेट 4 परसेंट ज्यादा है। आरएफसी से लोन लेना कोई पसंद नहीं करता है। अच्छे सुझाव हैं, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब कृपया सम-अप करें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अब आप पांच सात मिनट दे दें तो मैं दे दूं सुझाव, ये सुझाव किसी ने दिये नहीं हैं। (व्यवधान) इसलिए दे रहा हूं मैं, यदि आपकी आज्ञा हो।

श्री सभापति: आप संक्षिप्त कर दो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हां, संक्षिप्त ही कर रहा हूं, साहब। मैं तो इतनी सारी तैयारी करके आया हूं, संक्षिप्त ही कर रहा हूं। 11 परसेंट रीको की रेट है, 4 परसेंट आरएफसी, आपकी आज्ञा हो तो दे दूं।

श्री सभापति: हां, करिये न।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): 4 परसेंट ज्यादा रेट है आरएफसी की। सरकारी विभाग अपने जो टेण्डर करते हैं, उसमें 5 परसेंट वेटेज इस बात का दें कि राजस्थान की यूनिट से हम खरीददारी करेंगे टेण्डर में। 20 परसेंट से जो 40 परसेंट करें, उसके साथ टेण्डर में भी राजस्थान की यूनिट आगे आएं, इस बात के लिए निश्चित रूप से हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों को लोन देने के लिए भी निश्चित रूप से हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा विकास की कई तरह की सहायता दी जाती है लेकिन राज्य सरकार द्वारा इन केन्द्रीय स्कीमों का कोई फायदा नहीं उठाया गया, यह मेरा दावा है।

क्लस्टर डवलपमेंट के लिए पैसा मिलता है 10 करोड़ रुपये प्रत्येक क्लस्टर डवलपमेंट के लिए, लेकिन राजस्थान सरकार के अधिकारी आज तक किसी क्लस्टर डवलपमेंट के लिए एक भी पैसा केन्द्र सरकार से लेकर नहीं

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

आये हैं, सीएफसी जिसे कहते हैं। आज भारत सरकार द्वारा लैदर में, हैण्डीक्राफ्ट में मुरादाबाद में, त्रिचूर में सब चीजों के लिए पैसा दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, खनिज के ऊपर मैं यह कहना चाहूंगा कि चित्तौड़ से कोटा हाइवे पर 6 सीमेंट प्लांट लग सकते थे उसके अन्दर लाइमस्टोन की खानें हैं, लेकिन हमारी गलत सोच, नीति का परिणाम है कि उस पर हाइवे बन गया। वहां इतना लाइमस्टोन निकलता है कि वहां 6 सीमेंट प्लांट निकल सकते थे।

माननीय सभापति महोदय, बायो स्फीयर रिजर्व के लिए भी बहुमूल्य सीमेंट के लाइमस्टोन व अन्य प्रधान खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जिनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया है जो कि निश्चित ही किया जाना चाहिए ताकि राज्य के औद्योगिक विभाग को गति देने हेतु खनिज का दोहन सम्भव हो सके।

माननीय सभापति महोदय, 12 सीमेंट ब्लाक दो साल पहले नोटिफाई किये गये थे, 20 हजार लोग रोजगार से वंचित हैं, अभी सरकार ने फैसला नहीं लिया है। मेजर मिनरल का माइन्स एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बन गया है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अमैण्डमेंट नहीं कर सकती। राजस्थान माइन्स डिपार्टमेंट ने पीएल के लिए एक हजार पर हैक्टेयर बैंक गारंटी के तौर पर लेने का आर्डर जारी किया है which is illegal. लेकिन माइन्स डिपार्टमेंट स्टेट में इन्वैस्टमेंट को प्रोत्साहन देने में इच्छुक नहीं है, बैंक गारंटी रख दी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, समय आपने बहुत कम दिया है, मैं उद्योगों को यदि हमें बढ़ाना है तो चार लाइनों सहित अपनी बात समाप्त करूंगा-

"जब टूटने लगे हौसले तो बस यह याद रखना,
बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते।
ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी,
क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।"

उद्योगपति मोहताज नहीं हैं, लेकिन आपने उनकी सहायता नहीं की। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजो आप। श्री जाकिर हुसैन।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42, 43-उद्योग, खनिज और आबकारी पर बोलने का मौका दिया मैं इसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत साहब और हमारे खान मंत्रीजी का तहेदिल से आभारी हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में चार बजट पेश किये हैं और चारों बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मकराना में चार-चार, पांच-पांच बार विशेष पैकेज दिये हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि इन्होंने बजट भाषण 2009-10 में एक नयी खनिज नीति बनाने की प्रस्तावना रखी उसके अन्दर यह खुलासा किया, पारदर्शिता बतायी, इसको डिक्लेयर किया कि इस खनिज नीति के अन्दर 50 परसेंट एससी, एसटी, ओबीसी के आवेदन प्राप्त होंगे और उनको प्रायोरिटी के हिसाब से, लाटरी के आधार पर खान आबंटित की जाएगी। उसके बाद 50 परसेंट सामान्य वर्ग के लोगों को नीलामी के आधार पर खानें आबंटित की जाएंगी। यह योजना तब बनी जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सोचा कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग-बाग़ों के लिए खान एक सपना था, कभी सोच नहीं सकते थे कि वे खान मालिक बनेंगे। क्योंकि पूर्व में जो योजना थी उसके अन्दर उच्च अधिकारी और बड़े-बड़े उद्योगपति खान माफिया से मिलकर एप्लीकेशन लगा दिया करते थे, उस हिसाब से उनकी मिलीभगत से उनकी खान अलाट हो जाया करती थी। उसी बजट भाषण के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मकराना की खनिज नीति अलग से बनाने का प्रस्ताव रखा उसके लिए भी मैं तहेदिल से माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं। मकराना की खनिज नीति बनाने का प्रस्ताव इसलिए रखा गया कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, खान मंत्रीजी, उच्च अधिकारियों से मिले, हमने उनसे यह बात की कि पूरे राजस्थान के अन्दर 100 मीटर की खानें आबंटित होती हैं लेकिन हमारे मकराना में पुरानी खानें हैं जो 50-50, 60-60 फुट की खानें हैं, उसके लिए अलग से योजना नहीं बनाएंगे तो हमारे मकराना की खान चलाना बहुत ही असम्भव है। जो बड़ी-बड़ी खानों के कानून, नियम थे वे हमारे मकराना की खानों में लागू किया करते थे। हमारी खानों में हमारी सुविधानुसार आप नियम लागू करेंगे तो जो कीमती मार्बल है, जो विश्व में प्रसिद्ध है, उसका बहुत अच्छी तरह उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद मकराना की खानों के लिए 30 मीटर चौड़ान का अलग से प्रस्ताव भी किया, क्योंकि हमारी खानों के चौड़ान पर बहुत टाइम से पाबंदी लगी हुई है, खानों का चौड़ान नहीं बढ़ता है।

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

इस स्थिति के अन्दर हमारी खान में 90 डिग्री में माइनिंग नहीं होती है, 60 डिग्री के अन्दर माइनिंग होती है। हमारा पहाड़ है वह आड़ा पहाड़ है उसके लिए 30 मीटर चौड़ाई बढ़ाने का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण 2009 -10 में प्रस्ताव किया, उसके लिए भी हमारे खान मंत्रीजी कार्य कर रहे हैं। उसके बाद बजट 2010-11 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रायल्टी जो 325 रुपये लिया करते थे, वह 300 रुपये रायल्टी की गयी। यह बहुत सराहनीय है क्योंकि हर साल रायल्टी बढ़ती है। हमारे मकराना में 25 रुपये कम हुई। कम इसलिए हुई कि हमारे साथ में बहुत टाइम से अन्याय हो रहा था। पूरे राजस्थान के अन्दर रायल्टी बल्क में लगती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह सारी बात ही आप दिल्ली बताकर आये न कि लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने यह किया है?

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): हां, बिलकुल, दिल्ली बताकर आये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उन्होंने ही भेजा था आपको?

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): हां। जब ये बजट भाषण कर रहे थे तो आपने आरोप लगाया था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, मकराना से आपको इतना ज्यादा लगाव क्यों है? आप दूसरी मार्बल मण्डी में कुछ नहीं दे रहे हो, खाली मकराना में क्यों दे रहे हो? आपका उसमें लिखा हुआ भी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 325 रुपये रायल्टी की, उसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पाउडर पर रायल्टी 60 रुपये प्रति टन लगा दी थी, उसको भी बजट भाषण 2011 में माफ कर दिया था।

बजट 2011-12 के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, 17-18 सालों से मामला चल रहा था परबतसर-मकराना रेल का उसमें 54 खानें प्रभावित थीं, उसके लिए 7 करोड़ रुपये हमारे खान मालिकों को दिये ताकि रेलवे के अन्दर जमा होकर रेलवे का कार्य चालू हो सके। जो रुपया दिया गया है यह रायल्टी, वैट, टैक्स और बिजली के रूप में राज्य सरकार को प्राप्त हो जाएगा।

पिछले वर्ष ज्यादा बारिश होने की वजह से हमारी खानों के अन्दर पानी आ गया था, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्ताव बनाकर दिया और 1.8 लाख रुपये सीवरेज के पानी के लिए पास कराये। उसका भी कार्य चल रहा है। अभी हाल ही में बजट 2012-13 के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माइनिंग क्षेत्र के अन्दर 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है सड़कों के लिए।

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

बीओटी के तहत 5 जिलों के अन्दर ये सड़कें बनेंगी-जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और नागौर। नागौर के अन्दर माइनिंग क्षेत्र है, हमारा मकराना नागौर के अन्दर है, 500 करोड़ में से मकराना में 100 करोड़ रुपये या 100 करोड़ से कम आएंगे। माइनिंग सड़कें टोल के रूप में बनेंगी, इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा क्योंकि हमारे यहां सड़कों का बड़ा अभाव रहता है।

इसी बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मकराना किशनगढ़, राजसमन्द के अन्दर 5-5 करोड़ रुपये से बहुद्देश्यीय विकास हेतु घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने हमसे प्रस्ताव मंगाये हैं। इसके अन्दर पर्यावरण से जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए सड़कें, डंपिंग, नालियां, सीवरेज का कार्य होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं, उन्होंने चालू बजट भाषण के अन्दर मकराना को बहुत-बहुत सौगातें दी हैं।

मेरी मकराना की कुछ समस्याएं हैं, मैं खान मंत्रीजी यहां बैठे हैं उनको कहना चाहता हूं, हमारा मकराना बहुत पुराना माइनिंग क्षेत्र है, ताजमहल, विक्टोरिया और हिन्दुस्तान से बाहर बहुत सारे मंदिर-मस्जिद और खूबसूरत इमारतें बनायी हैं इसलिए इस मार्बल उद्योग को बचाने के लिए सरकार समुचित प्रयास करे। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि अन्य खनिज क्षेत्रों में 10-10 किलोमीटर की लम्बी खानें आबंटित होती हैं, किन्तु मकराना में टोटल 850 खानें कुल परिधि लगभग डेढ़ से दो वर्ग किलोमीटर के अन्दर हैं। लम्बाई के हिसाब से हमारी खानें मातापुर से लेकर पहाड़गुआ तक 8-9 किलोमीटर हैं, लेकिन वर्ग किलोमीटर के हिसाब से डेढ़-दो किलोमीटर ही है। मकराना की अधिकतर खानों का क्षेत्रफल 0.5 हैक्टेयर से कम है। अतः मेरी मांग है कि मकराना क्षेत्र में 0.5 हैक्टेयर वाली छोटी-छोटी खानों को माइनिंग प्लान के नियमों के तहत छूट प्रदान करने की आवश्यकता है।

दूसरी मांग मेरी यह है कि मकराना क्षेत्र के अन्दर 49 बापी खानें हैं जो राजा-महाराजाओं ने, दरबारों ने हमारे मकराना वाले बुजुर्गों को दी थीं, उन खानों को रैगुलराइज किया जाए। इनमें आये दिन झगड़े होते जा रहे हैं क्योंकि इन खान मालिकों ने बहुत-सी खानें बेच दी हैं लेकिन बापी के हिसाब से खानें इनके नाम बोल रही हैं। इसके अन्दर सरकार कार्य भी कर रही है, वित्त विभाग के अन्दर भी फाइल गई हुई थी और उसका ब्याज भी माफ कर दिया गया है। हम लोगों की इसमें मीटिंग हुई है। मेरा इसमें आपको एक सुझाव है क्योंकि ये खानें बहुत पुरानी हैं तो इसके अन्दर एक लोकल कमेटी बना दी

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

जाए जिसमें एनजीओ, एक जन-प्रतिनिधि और उच्च अधिकारी वगैरह बैठकर इन 49 खानों के जो बापी राइट्स हैं इसको दिलाने की पूरी-पूरी कोशिश करें।

तीसरी बात यह है कि बजट भाषण 2009-10 के अन्दर जो तीस मीटर चौड़ा बढ़ाने का सरकार ने प्रस्ताव रखा था, उस पर भी कार्य धीरे चल रहा है। माननीय मंत्रीजी से मैं कहना चाहता हूं कि जो 30 मीटर के कार्य की बजट भाषण में घोषणा है, उसका कार्य प्रगति से कराएं ताकि हमारी खानें चौड़ी हो सकें, उनका विकास हो सके।

श्री सभापति: समअप करो, माननीय सदस्य। थोड़ा संक्षिप्त करो।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): थोड़ा बाकी है, साहब। मकराना खनिज के अधीन आने वाली भूमि पर काफी अतिक्रमण हो रखा है। मेरा आपसे कहना है कि यह अतिक्रमण हटाकर खानों के सामने जो जगह है वो खान मालिकों को दी जाए ताकि खानों का विकास हो सके। अभी हाल ही के अन्दर मेन लाइन के चक्कर में हाई कोर्ट ने हमारी 11 खानें बंद कर दी थीं। ये खानें पहले से ही बंद थीं उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। उसमें कुछ 45 मीटर की परिधि बांधकर हाई कोर्ट ने ये लाइसेंस निरस्त किए हैं। उसमें तीन खानें ऐसी हैं जिनका 45 मीटर के बाद में माइनिंग एरिया कुछ का पांच फीट लगता है, कोई दस फीट लगता है और बाकी एरिया पूरा बहाल है। मेरा आपसे यह कहना है कि 45 मीटर की परिधि मानकर जो एरिया है, उसको बहाल किया जाए और उसका वापस लाइसेंस बना दिया जाए। उन तीन खानों की संख्या 30/1, 28/1 और 59/2 है, इन तीनों खानों को शेष का लाइसेंस दिला दिया जाए।

मेरा आपसे यह भी कहना है कि जो वेस्टेज के अन्दर रायल्टी लगती है वो रायल्टी पूरे राजस्थान के अन्दर ब्लाक पर लगती है और हमारे तैयार माल पर लगती है। सरकार का मानना है कि 30 प्रतिशत वेस्टेज मानकर यह रायल्टी वसूल की जाती है। हमारे रायल्टी 300 रुपये ली जाती है और पूरे राजस्थान के अन्दर ब्लाक पर रायल्टी पौने दो सौ रुपये ली जाती है। 30 प्रतिशत वेस्टेज के अन्दर हमारा छोटा माल जो 12 इंच का छोटा टाइल है, खंडे चिप्स वगैरह है, मैं दो साल से विधान सभा में यह डिमांड रख रहा हूं कि इसे रायल्टी मुक्त किया जाए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। यह रायल्टी इसलिए मुक्त करना चाहता हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा, हजारों फीट का स्टाक पड़ा है। अगर यह रायल्टी मुक्त होगी तो राज्य सरकार को वैट टैक्स में बहुत

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

सारी राशि मिलेगी। रायल्टी के मामले में मैं कुछ और बताना चाहता हूं कि हमारे कांटे में एक टन का फर्क आता है उसको भी आप दुरुस्त कराएं क्योंकि एक टन के लिए बहुत ज्यादा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप लिखकर दे देना।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): उद्योग पर भी मुझे 2-4 बातें कहनी हैं। एक बाहर से जो माइनिंग होती है, रायल्टी नाके वाले ब्लाक निकलता है, जो बाहर माल जाता है उसमें तैयार माल की रायल्टी लेते हैं जबकि यह ब्लॉक है। ब्लाक के हिसाब से पौने दो सौ रुपये रायल्टी लेनी चाहिए लेकिन ये 300 रुपये रायल्टी वसूल करते हैं। यह भी हमारे व्यापारियों के साथ में बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है। जो एक्सपोर्ट के अन्दर मार्बल हम लोडिंग करते हैं, बाहर भेजते हैं उस एक्सपोर्ट के माल की लकड़ी के अन्दर पैकिंग होती है, उस लकड़ी का भी रायल्टी के रूप में लेते हैं। इनका ठेका खाली ब्लाक का ठेका है इसको भी आप ठेकेदार को बोलकर दुरुस्त कराएं। अभी 31 मार्च को मकराना का रायल्टी का ठेका खत्म हो गया है और एक अप्रैल से सरकार यह ठेका चला रही है, मेरा आपसे यह कहना है कि वहां मकराना में लीकेज खूब है इसलिए आप वहां पर रायल्टी नाके पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएं ताकि रायल्टी ज्यादा से ज्यादा वसूल हो सके। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि रायल्टी का जो पुराना ठेकेदार था, वो दो बार रायल्टी ठेके पर ले नहीं सका। वो यह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा माल लीकेज हो और उस कैलकुलेशन से जब अगला ठेका रीटेंडर होगा, उसमें वो लेने का प्रयास करेगा। इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि वहां कर्मचारी ज्यादा बढ़ाएं ताकि रायल्टी ज्यादा से ज्यादा वसूल हो सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब कोई ऐसी बात नहीं है। अब आप इतना कितना लम्बा चलोगे?

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): उद्योग में बोल रहा हूं। उद्योग के लिए मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि मकराना के अन्दर रीको इण्डस्ट्री एरिया आज तक घोषित नहीं हुआ। मकराना के पास परबतसर विधान सभा में बिदियाद में रीको एरिया घोषित है, आप मकराना में रीको एरिया घोषित कराएं ताकि हमारे व्यापार में विकास हो। तीसरी बात यह है, माननीय उद्योग मंत्री जी, मकराना को इम्पोर्ट का लाइसेंस दिलाने के लिए आप प्रायोरिटी दिलाएं। इम्पोर्ट लाइसेंस एक करोड़ के टर्नओवर वाले को दिया जाता है लेकिन मकराना

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

मार्बल की बहुत पुरानी मण्डी है, एक करोड़ का टर्नओवर मकराना वालों के किसी के पास नहीं है, इसलिए विशेष तौर पर मकराना मण्डी वालों को और व्यापारियों को इम्पोर्ट के अन्दर प्रायोरिटी दी जाए। तीसरी बात उद्योग के अन्दर मेरी यह है कि मार्बल इण्डस्ट्री की गैंगसा मशीन पहले आरेंज कैटेगरी में थी लेकिन पिछले डेढ़-दो साल से रैड कैटेगिरी में इसको डाल दिया गया। मकराना मार्बल में कैल्सियम 98 प्रतिशत है और इससे पर्यावरण पर फर्क नहीं पड़ता है इसलिए इस इण्डस्ट्री को रैड से आरेंज के अन्दर डाला जाए ताकि हमारे यहां गैंगसा मशीन नियमित रूप से कार्य कर सके और आगे समस्या नहीं आए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंहजी रावत। शंकर सिंहजी, आप इन तीन सब्जैक्ट्स में से एक सब्जैक्ट चुन लो-उद्योग, खनिज, आबकारी में से, जिसमें आपकी ज्यादा विशेषज्ञता है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): चारों दिन में पहली बार आप आज्ञा दें तो, सभापति महोदय, बोलूं, नहीं तो बैठ जाऊं।

श्री सभापति: आप आबकारी पर बोल जाओ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैं दारू पीता ही नहीं हूं, साहब। माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 42, 43 और 13 के ऊपर जो सुझाव देने का समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद है। माननीय सभापति महोदय, जमीनों के भाव आजकल आसमान छू रहे हैं और लोगों ने उद्योग के नाम पर जमीनों की लूट मचा रखी है। उद्योग मंत्रीजी से भी मेरा निवेदन है कि आपके दोनों तरफ बैठने वाले आपको व्यस्त कर रहे हैं, दोनों होने वाले मंत्री हैं। मैं ज्यादा आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करके निवेदन करना चाहूंगा कि नामांतकरण संख्या 421 दिनांक 28.12.2004 रामावास के अन्दर जो जमीन का आबादी के नाम पर आबंटन हुआ, बड़ी अजीब बात है कि उसी खसरा नम्बर 258/2 पर 2008 के अन्दर दिसम्बर में आपकी सरकार आते ही तुरन्त उस आबादी की जगह को खान में आबंटन कर दिया। अब हिसाब लगाओ, लोग वहां पर रहेंगे या खान चलाएंगे, यह मुझे समझ में नहीं आता। इसके अन्दर तथ्य छिपाकर जो अधिकारियों और कर्मचारियों ने रिपोर्ट दी है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखोगे या नहीं रखोगे? ऐसी खानों को निरस्त करोगे या नहीं करोगे?

(श्री शंकर सिंह)

दूसरा निवेदन यह है कि ठीकराना के अन्दर खसरा नम्बर 138/3 में 60 बीघा है, उसमें आपने आदेश कर रखा है, आदेश संख्या 123 दिनांक 12.9.2003 कि आबादी के पास में डेढ़ किलोमीटर की परिधि के अन्दर किसी प्रकार की खान का आबंटन नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र नहीं लग सकता है। लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर मात्र 300 मीटर के ऊपर जो स्कूल चल रही है, उसके अन्दर छोटे-छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पटवारी ने, पटवारी से तहसीलदार, तहसीलदार से आगे एसडीएम और कलक्टर सबने आंख मूंदकर जो पटवारी ने रिपोर्ट कर दी, 300 मीटर की स्कूल को डेढ़ किलोमीटर ज्यादा बता दिया तथा वहां भी औद्योगिक क्षेत्र आबंटन हो गया। उसको तीन साल हो गये, तीन साल के अन्दर वहां पर कोई उद्योग नहीं लगा। माननीय मंत्री महोदय, आपके दिल, गुर्दे मजबूत करके जो गलत आबंटन हुआ है उसको क्या निरस्त करने का विचार रखते हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे गलत कार्यों को प्रोत्साहन नहीं मिले, तुरन्त उसको कैन्सिल करने की हिम्मत रखनी चाहिए। ऐसी खानों का जो गलत आबंटन हुआ है उसको भी निरस्त करना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आप मेरी बातों पर ध्यान देते हुए इनको निरस्त करेंगे।

साथ में निवेदन यह है, शराब की जो दुकानें लगती हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से कितनी दूरी पर ये अलाट होनी चाहिए? शहर के अन्दर कम से कम 200 मीटर की दूरी के ऊपर ये होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर, गांव के बीच में कोई प्रकार की शराब की दुकान नहीं लगनी चाहिए। जितने भी हमारे सदन के महिला मैम्बर्स हैं, चाहे किसी भी दल के हों, उन सबकी भावना से आप अगर वाकिफ होंगे तो उनकी भावना एक ही निकलती है कि शराब कब बंद होगी। मेरा भी इसमें निवेदन है, मैं पीता नहीं हूं लेकिन मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि शराब की बढ़ोतरी करके, शराब का उद्योग लगाकर इस देश का, इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, माननीय सभापति महोदय, दुर्घटनाएं हों, एक्सीडेंट्स हों और जितने भी क्राइम हो रहे हैं, वे 90 प्रतिशत शराब के कारण से हो रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर इस शराब के ऊपर बंदी होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि हमने आठ बजे खुलवाना चालू कर दिया, पहले तो पूरी रात चालू रहता था हमने आठ बजे शुरू कर

(श्री शंकर सिंह)

दिया। यह आठ बजे और दस बजे का टाइम आपको बंद करना चाहिए। अगर हिम्मत है तो निश्चित तौर पर इस शराब को बंद करके फिर आप यह देखें कि हमने यह कर दिया है। तो आपकी जो घटनाएं हो रही हैं, कोर्ट्स में जितने केस चल रहे हैं, वे सारे केस खतम हो जाएंगे। कोर्ट के अन्दर भी काम नहीं रहेगा और निश्चित तौर पर लोग भी आराम से स्वस्थ रहेंगे, अपना धंधा करेंगे।

आप हमेशा हमेशा गुजरात का क्या नाम ले रहे हैं? उससे आपको सीख लेनी चाहिए। मेरा उस पर निवेदन है कि वहां उद्योग बढ़े हैं, वहां लोग बेरोजगारी के कारण से नहीं घूम रहे हैं और वह प्रदेश किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। ऐसा प्रदेश क्यों हुआ है? उसने शराब के ऊपर लगाम लगाई है और विकास के ऊपर नजर लगाई है, इसी कारण हुआ है।

हरियाणा की शराब हम कैसे ला सकते हैं? ट्रक आपके दरवाजे से निकलते हैं, हम कैसे पास करवाएंगे? बोलो, हमारे को क्या हिस्सा दोगे, इनका क्या है? इस बंटवारे के अन्दर अपना सारा समय खोने का काम कर रहे हैं, उससे आपको बचाव रखना चाहिए।

आप कह रहे हैं कि हमारे टाइम में यह हुआ, उनके टाइम में यह हुआ। मैं तो यह कह रहा हूं, जिस प्रकार हमारे पहले वाले भाइयों ने कहा है कि आपने अपने टाइम में गोलियां चलवाईं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुझाव दे दो फटाफट अब।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आपके टाइम में आपने गोलियां चलवाईं, आपके टाइम में वह किया। मैं यह कहना चाहता हूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, 10 बजे तक समय है सदन का।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ...मेरा इसमें सुझाव है कि हमने आपके जैसे नहीं किया है। किसी भी पुलिस के सी.आई. को जिंदा जलवाने का काम नहीं किया है, हमारी सरकार ने कोई माइनोरिटी के लोगों के ऊपर...

श्री सभापति: श्री ओमप्रकाश जोशी। आप विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ...जिस प्रकार आप लोगों के द्वारा गोलियां चलवाई गयीं हैं और उनको मरवाया गया है, ऐसा काम हमारी सरकार ने कभी नहीं किया है।

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो। विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजो। आप कहां चले गये बात करते-करते?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह आपकी मांगों के अनुरूप बात नहीं है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ...सच्ची बात के अन्दर कड़वाहट होती है, इसमें सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। आप लोग भी बोल रहे थे, हम भी सुन रहे थे। (व्यवधान) हमारा भी आपसे निवेदन है।

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): बड़ी चौपड़ पर जाकर बोलो आप। यह भाषण बड़ी चौपड़ पर जाकर बोलो आप। यह विधान सभा का भाषण नहीं है। सभापति महोदय, एक्सपंज कराओ इसको।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जब कोई बात कही जाती है, हम कोई बात कहना चाहते हैं, उस बात को जरूर आपको सुनना चाहिए। यह रघु शर्माजी हमारा विरोध कर रहे हैं। हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: आप विराज जाओ।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के पश्चिमी छोर से आया हूं और बड़ी तपस्या के बाद में, 10 बजे तक का समय है, यह कहते हुए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं न तो कोई भूमिका बांधूंगा और न मैं किसी प्रकार की कोई आलोचना करूंगा कि विपक्ष ने क्या किया और क्या नहीं किया। उसके सन्दर्भ में शास्त्रों में भी कहा हुआ है कि "निंदा निषेध है" इसलिए मैं निंदा नहीं करना चाहूंगा। सीधे तौर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी के वर्ष 2012-13 के बजट में उद्योग के सन्दर्भ में मांग संख्या-42 के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। उन्होंने इस बजट में सौर ऊर्जा उद्योग की स्थापना के लिए टैक्स में छूट की घोषणा की है, वह सबसे इम्पोर्टेन्ट बिन्दु है, जो आज तक किसी ने नहीं उद्‌घाटित किया। सौर ऊर्जा से लगने वाले, पवन ऊर्जा से लगने वाले, बायोमास से लगने वाले जो हमारे उद्योग हैं, प्लांट एण्ड मशीनरी एवं उनके सहायक उत्पादों को कर मुक्ति दी गई है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

(श्री ओम जोशी)

वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हाल ही में हमारे प्रभारी मंत्री और माननीय उद्योग मंत्री साहब पधारे थे, वस्त्र उद्योग की प्रबल सम्भावना है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सावरा गांव में वस्त्र उद्योग की स्थापना हेतु जमीन उपलब्ध है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरा सौभाग्य है कि हजारों बीघा जमीन सिवाय चक की उपलब्ध है जो उद्योग के विकास के लिए सबसे उचित साधन होता है। हम किसानों से भूमि अवाप्त करते हैं, इस बात की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सावरा गांव में वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए रीको इण्डस्ट्रियल एरिया स्थापित किया जाए।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 10,000 एकड़ हैक्टेयर जमीन में सौर ऊर्जा के उद्योग स्थापित करने के लिए प्रावधान रखा है और बडला को सौर ऊर्जा हब घोषित किया है। उसमें से 1,000 एकड़ जमीन रीको इण्डस्ट्रियल एरिया के डवलपमेंट के लिए दी गई है, सम्भवतया रीको इण्डस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट के लिए दी जाने वाली यह जमीन हमारे उस क्षेत्र के विकास के लिए वरदान साबित होगी। मैं आशा करता हूं कि अतिशीघ्र उस रीको इण्डस्ट्रियल एरिया को डवलप किया जाएगा।

मेरा क्षेत्र नमक का क्षेत्र है, वहां पर नमक का उत्पादन होता है। हमारे यहां आर्थिक आधार की धुरी नमक रहा है। पोकरण में, फलौदी में और नावां में खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1959 में नमक की खानें आबंटित हुई थीं। वहां राजस्थान में सर्वप्रथम नमक उत्पादन हुआ है और श्रेष्ठ श्रेणी का नमक उत्पादित किया जा रहा है। वहां पर सरकार ने कई सुविधाएं दीं लेकिन वर्तमान में भी कई बातों की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे अनपढ़ आबंटी हैं, उनके नियमितीकरण के मामले हैं, उनको समय देकर नियमित करवाया जाए। इसके साथ ही नमक क्षेत्र में सड़क, पेयजल और बिजली की लाइनों का अभाव है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क, पेयजल और बिजली की लाइन के लिए आप कृपा करके इस बजट में ही व्यवस्था करायें। रीको इण्डस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट के लिए मेरे यहां बहुत ही प्रचुर और प्रबल सम्भावना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मलार, बाप, बीटड़ी, बड़ी सिद्ध और खीध, जो एन.एच. 15 पर स्थित हैं, उस क्षेत्र में रीको इण्डस्ट्रियल एरिया

(श्री ओम जोशी)

स्थापित करेंगे तो करीब 15,000 बीघा जमीन वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी।

एक सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार ने कमठा मजदूरों के लिए, लुहारी, बढ़ई वालों की सुविधाओं के लिए एक कानून लागू किया है, वह कानून हमारे खनन मजदूरों के लिए और नमक में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी लागू होना चाहिए, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही फलौदी क्षेत्र बढ़ता हुआ क्षेत्र है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि रीको इण्डस्ट्रियल एरिया की प्रबल सम्भावना को देखते हुए वहां पर क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो जिससे कि हमारे इस क्षेत्र की प्रबल सम्भावना को उद्‌घाटित करके आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि समय की बाधा है, इसलिए मैं मेरी बात को यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मंत्रीजी के जवाब और मांगें पारित होने तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय मंत्रीजी के जवाब देने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मंत्रीजी के जवाब देने तक और मांग पारित होने तक बढ़ाया गया। (व्यवधान)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42, 43 व 13 पर विचार

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापति महोदय, पांच-पांच मिनट दे दी जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजो।

श्री सुखराम (बसेड़ी): सभापति महोदय, यह कोई तरीका है क्या?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): पांच-पांच मिनट दे दो केवल आप। हमने कटौती प्रस्ताव लगाये हैं।

श्री सभापति: अब मैं नाम पुकार चुका हूं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): सिर्फ दो-दो मिनट ही दे दो आप।

श्री सभापति: अब मैं नाम पुकार चुका हूं। मंत्रीजी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): गई बार तो चार-चार बजे तक जवाब हुआ था। चार-चार बजे तक जवाब हुआ है, सभापति महोदय। (व्यवधान) पिछली बार चार-चार बजे तक चला है सदन। आज आप 10 बजे बंद कर रहे हो सदन को।

श्री सुखराम (बसेड़ी): यह कोई तरीका है क्या? कटौती प्रस्तावों में आप नाम देख लो हमारे, हमने कटौती प्रस्ताव लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): कटौती प्रस्ताव लगाये हैं हमने चार दिन पहले। कटौती प्रस्तावों में नाम देख लीजिये हमारा।

श्री सुखराम (बसेड़ी): नाम देख लो आप हमारा कटौती प्रस्तावों में।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): कटौती प्रस्ताव आप देख लीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजो। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नहीं, यह नहीं होगा। नहीं, यह अच्छा नहीं है। (व्यवधान) आप नये लोगों को इस प्रकार से वंचित कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): यह कोई तरीका है क्या?

श्री सभापति: मैं व्यवस्था दे चुका हूं। आप विराजें प्लीज। अब आप विराजो। (व्यवधान) किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) विराजो, विराजो। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री सभापति: मैं मंत्रीजी का नाम पुकार चुका हूं, उप नेता महोदय। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ××× (व्यवधान)

(22.00 बजे)

श्री सभापति: आप विराजो। आपका 19 तारीख तक चलेगा, आप उस पर बोल लेना। आप विराजिए।

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ××× (व्यवधान)

श्री सभापति: पांच मिनट नहीं होता है, आप जान रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ××× (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ××× (व्यवधान)

श्री सभापति: मुझे क्षमा करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: यह नई प्रक्रिया है, मैं आपको बता रहा हूं। पन्द्रह, बीस-बीस मिनट, बाइस-बाइस मिनट तक बोला है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री सभापति: कोई अपने नहीं रुकने वाले।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: मैंने आपको अलाउ ही नहीं किया है। आपका नाम ही नहीं है, आप विराजो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: नहीं, अंकित नहीं। (व्यवधान) सुझाव मेरे कैसे पढ़ोगे?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ××× (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका तो नाम ही नहीं है, आप तो विराजो। आप विराजो, विराजो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: नहीं, आप विराजो। कोई सुझाव नहीं। कोई सुझाव नहीं। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा, आप विराजो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ××× (व्यवधान)

श्री सभापति: उप नेता महोदय, मैं पांच मिनट से छठे मिनट भी फिर अलाउ नहीं करूंगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): ××× (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ××× (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जब शांतिपूर्वक सदन चल रहा है तो पांच मिनट, मुझे कोई एतराज नहीं है।

(22.01 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ××× (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सदन आराम से चल रहा है तो बिना मतलब ही वातावरण बनाने से क्या फायदा है? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वैसे तो सभापति महोदय ने जो...(व्यवधान) अच्छा नहीं लगता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: शंकर सिंहजी रावत बोल लिये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ××× (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मुझे कोई एतराज नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं है। यह तरीका गलत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मुझे तो आप निर्देश दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी स्टेट के विकास में उसकी भौगोलिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, विराजिए। एक मिनट, विराजिए। (व्यवधान) आप बैठें तो सही। आप बैठें। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें न। (व्यवधान) हां, बोलिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं है, पूरा आराम से सदन चला है, अननैसेसरिली इस तरह का वातावरण बनाने से क्या फायदा है? आप दीजिये उनको पांच-पांच मिनट का समय, मुझे कहां एतराज है?

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिए, आप तो रिप्लाई दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): बेवजह आप इस तरह इस कदर, जब पूरा सदन आराम से चल रहा है, आप इस तरह का...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप तो रिप्लाई दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी स्टेट के विकास में उसकी भौगोलिक परिस्थितियां एक अहम भूमिका रखती हैं। राजस्थान में पूरे देश का सबसे बड़ा भूभाग है लेकिन जल एक प्रतिशत है और औद्योगिक निवेश में जल की भी महती भूमिका है। शुरूआती दौर से यदि हम देखें तो राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो स्थितियां इतनी विपरीत थीं कि हमारे यहां का उद्यमी लगातार बाहर जाता रहा। सुदूर उन प्रांतों में जहां उन्हें औद्योगिक निवेश का वातावरण मिला। लेकिन फिर भी हमारे यहां के उद्यमी में अपने प्रदेश के प्रति एक भावना थी, एक निष्ठा थी, एक लगन थी कि वह अपने प्रदेश में आए, अपनी मातृभूमि में आए और यहां निवेश करे। धीरे-धीरे हालात बदले, राजस्थान के इन्फ्रास्ट्रक्चर में उन्नति हुई, राजस्थान की सरकार ने आगे बढ़ करके उनको निमंत्रण दिया और उसका नतीजा है कि आज राजस्थान में निवेश का वातावरण बना है। एक इण्डस्ट्रियल फ्रैंडली डैस्टिनेशन जो बना है उसमें सरकार की महती भूमिका है। यकीनन जियोग्राफिकली जो स्थितियां हैं उनकी भी भूमिका है। एनसीआर रीजन में हरियाणा हो, यूपी हो, नोएडा, वहां सैचुरेटेड है और उसका सीधा फायदा हमको मिला है। हमने जिस तरह की पालिसी बनाई, औद्योगिक निवेश के लिए जिस तरह का वातावरण हमने बनाया, उसका सीधा लाभ हमको मिला। हमने जब सिंगल विंडो एक्ट की परिकल्पना की थी उसके पीछे मंशा

(श्री राजेन्द्र पारीक)

यही थी। जब भी निवेशकर्ता यहां पर आता तो उसको बार-बार इस तरह से लगता कि उसके निवेश में अनायास वक्त लग रहा है। उस वक्त लगने से उसके प्रोजैक्ट की कास्ट जो बढ़ रही है, उससे वह व्यथित था। ये भावनाएं जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष आईं तो उन्होंने सिर्फ एक मंशा जाहिर की कि आने वाले निवेशक को यह लगना चाहिए कि राजस्थान में जब भी वह आएगा, उसको एक दोस्ताना माहौल मिलेगा और प्रोजैक्ट के लिए उसको इधर-उधर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उसी का परिणाम है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंगल विंडो एक्ट के माध्यम से हमने इस विश्वास को बहाल किया। सिंगल विंडो एक्ट राजस्थान में अनूठा है। सिंगल विंडो तो एक कंसैप्ट था जो पूरे प्रदेश में जाना जाता है, लेकिन सिंगल विंडो की जो मूल भावना है वह बाकी स्टेट्स की भावनाओं से विपरीत है। हम इस मायने में उनसे ज्यादा अग्रणी हैं कि सिंगल विंडो एक्ट हम लाये अकाउंटेबिलिटी के साथ, सिंगल विंडो एक्ट हम लाये टाइमबाउंड फ्रेम के साथ, सिंगल विंडो एक्ट हम लाये निवेशक में विश्वास की बहाली के साथ। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जब इन्वैस्टमेंट के लिए आदमी अपने डाकूमेंट्स प्रस्तुत करता है तो उन्हें अटैस्ट कराता है गजेटेड आफिसर से, लेकिन राज्य सरकार की मंशा थी कि निवेशक जब हजार करोड़ के, पांच सौ करोड़ के, सौ करोड़ के, दो सौ करोड़ के निवेश की बात करता है तो हम उस पर विश्वास क्यों नहीं करें। तो हमने कंसैप्ट दिया सैल्फ सर्टिफिकेशन का कि वह अपने पेपर खुद सर्टिफाई करे कि जो कुछ भी प्रोजैक्ट वह रख रहा है, वह सही है। हमारी औद्योगिक निवेश की जो नीति थी, उसके माध्यम से हमने उसको स्टाम्प ड्यूटी में सब्सिडी दी, पावर ड्यूटी में उसको सब्सिडी दी। इससे जो वातावरण बना उसका सीधा फायदा यह हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंगल विंडो एक्ट जब हमने लागू किया तो पूरे स्टेट के बजाय हमने इसको सम्भागीय मुख्यालयों पर लागू किया, लेकिन जब हमने देखा कि लोग इससे उत्साहित हैं, लोग बार-बार आकर इस बात को एकनोलेज कर रहे हैं तो हमने इसको पूरे स्टेट में लागू किया। पहले यह दस करोड़ से ऊपर के निवेश पर पांच सम्भागीय मुख्यालयों पर ही था, लेकिन अब हमने इसको परकोलेट करके नीचे लेवल तक एक करोड़ के निवेश को भी सिंगल विंडो एक्ट में शामिल किया है। इसकी विशेषता माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि यदि टाइमबाउंड फ्रेम में सम्बन्धित अधिकारी क्लीयरेंस नहीं देता है तो डीम्ड क्लीयरेंस नहीं है, उसको क्लीयरेंस ही माना जाएगा और उस अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि किन कारणों से उसने यह क्लीयरेंस नहीं दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

एक और विशेष बात है कि इसमें अधिकारी जो क्वैरीज करेगा, वह सिर्फ एक बार करेगा। अधिकतर यह पाया गया कि जब इन्वैस्टर आता है तो उससे बार-बार इतनी ज्यादा क्वैरीज की जाती हैं कि वह थक जाता है। लेकिन हमने पाबंद किया कि आप जो कुछ भी पूछना चाहेंगे, आप सिर्फ एक बार अपनी जिज्ञासा उससे पूछ लें। इन्वैस्टर उसका जवाब निश्चित रूप से देगा। इसमें रीको की भूमिका रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रीको ने इन पिछले तीन वर्षों में औद्योगिक निवेश के लिए जो प्रयास किये, 8075 एकड़ भूमि हमने अवाप्त की जिसमें 4748 एकड़ भूमि डवलप की और 4314 प्लाट हमने आबंटित किए। इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रीको ने 597.76 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किये और 386.91 करोड़ का ऋण वितरित किया। हमने नये इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित किये जो प्रक्रियाधीन हैं-पालरा (अजमेर), पलसाना द्वितीय चरण, सीकर, बालोतरा चतुर्थ चरण भूखण्ड, औद्योगिक क्षेत्र करणी विहार बीकानेर, भामाशाह कल्लड़वास उदयपुर और उपनगढ़ अजमेर। अभी कुछ माननीय सदस्यों की जिज्ञासा थी, खास तौर से नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य की, तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं, राज्य सरकार की भी मंशा है कि हम अधिक से अधिक जमीन अधिग्रहण करें। हमारी कोशिश यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और एक जन भावना भी है। उपजाऊ जमीन जब हम लेते हैं तो उसको हम उचित नहीं मानते हैं। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक हमें सरकारी जमीन उपलब्ध हो। नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकारी जमीन 129 एकड़ जमीन थी, मैं उन्हें जानकारी देना चाहूंगा कि आजकल चरागाह भी एक समस्या बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रेवेन्यू विभाग ने जो निर्देश जारी किये, उसमें आधी से ज्यादा भूमि चरागाह की आ गई। अन्यथा हम कब का ही आपका यह औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर चुके होते। लेकिन अब वहां सरकारी और प्राइवेट लैण्ड जो उपलब्ध है, उसको मिलाकर हम बहुत जल्दी एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित करेंगे। केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनके भी एक औद्योगिक क्षेत्र है वह प्रक्रियाधीन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पिछड़े क्षेत्र हैं सवाई माधोपुर, धौलपुर, बारां, प्रतापगढ़ उनको हमने विशेष प्रोत्साहन के रूप में लिया है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय की खास मंशा थी, ये जिले वे जिले हैं जहां अधिकतर बेरोजगारी है और किसी भी तरह का निवेश नहीं है। इन जिलों को निवेश के लिए हम और ज्यादा प्रोत्साहित करें। इसके लिए एक स्कीम लागू की और उसमें टाइम सुनिश्चित किया कि इस तारीख तक, जैसे 30.2.12 तक एक टाइम निश्चित किया कि इस टाइम तक यदि

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वह अपना निवेश ले आता है तो पचास प्रतिशत जो उसकी लैण्ड की कोस्ट है, उसमें छूट देंगे। और 30.2.12 तक यदि वह कर पाता है तो उसे पच्चीस प्रतिशत तक की छूट देने के लिए है ताकि निवेशक उस छूट से आकर्षित होकर वहां पर निवेश लगाए। रीको इण्डस्ट्रियल एरियाज के माध्यम से हमने जब विकास की परिकल्पना की तो एक बड़ी चीज जो बार-बार हमारे जहन में उपजती थी कि हमारे यहां पर वैल्यू एडिशन क्यों नहीं हो। इसके लिए हमने घीलोट में भूमि अधिग्रहण किया और खास तौर से सिरेमिक जोन डवलप करने की परिकल्पना की और उसके माध्यम से वहां पर गैस ग्रिड स्थापित किया। बहुत जल्द ही हम वहां पर सिरेमिक हब बनाने जा रहे हैं। आटो हब भी बनाया जा रहा है, सेन्ट गोबिन जैसी बड़ी कम्पनियां वहां पर आईं। होण्डा सिएल जैसी बड़ी कंपनियां यहां पर आई। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अभी इस वक्त नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप यकीन मानिये, उत्साह से मैं दो दिन से लगातार मेरी तैयारी में था, उत्साह से मैं आज बैठा हुआ था तो मुझे यह लग रहा है कि मैं जंगल में अकेला ही बोल रहा हूं। मन नहीं है। मैं फिर कहता हूं, इस तरह का वातावरण नहीं बनना चाहिए था। जब हम लगातार दस बजे तक बैठै रहे, तीन व्यक्ति यदि और बोल लेते, वे जिस भाषा में भी बोलते, जिस तरह से भी बोलते, किसी को क्या एतराज था? लेकिन जो व्यवस्था दी गई, मैं उस व्यवस्था का सम्मान करता हूं। लेकिन यह भावना भी आपको समझनी चाहिए कि एक व्यक्ति लग्न से और निष्ठा से सदन में आकर अपनी बात रखता है। उसके सामने अनायास ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी गयीं कि वह स्वयं भी बोलने के प्रति अनमने भाव से बोल रहा है और मुझे बोलना पड़ रहा है। अच्छा नहीं लगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं अपनी ड्यूटी परफोर्म करुंगा। रीको के साथ-साथ आरएफसी भी उद्यमियों को लोन वितरित करती है। राजस्थान वित्त निगम ने मार्च, 2008 से मार्च, 2012 तक 1382.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किये जिसमें से 1045.49 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किये। आरएफसी की फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 13.95 करोड़ की अंश पूंजी 2009-10 में दी गई थी और इस वर्ष 15.65 करोड़ की अंश पूंजी और दी जाएगी जिससे उनके फण्ड में कोई कमी नहीं हो। रीको औद्योगिक क्षेत्र के भूमि आबंटन में नि:शक्तजनों को विशेष तवज्जोह दी गई है। 15 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत और महिलाओं को 10 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत रियायत दी गई है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर हम कई बार अलग-अलग फेयर लगाते हैं- कभी स्टोन फेयर लगाते हैं, कभी सिरेमिक फेयर लगाते हैं, कभी टैक्सटाइल फेयर लगाते हैं तो इस बात को महसूस किया गया कि क्यों नहीं फेयर अथोरिटी के रूप में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बने। तो सीतापुरा रीको इण्डस्ट्रियल एरिया में 42 एकड़ जमीन में पीपी मोड पर इन्वैस्टर जो आए हैं। उसके साथ एमओयू हो गया और कैबिनेट से उसकी अप्रूवल भी हो गई है। कौशल विकास की स्थापना के लिए रीको और सीआई के बीच में एमओयू हुआ है जिसमें दस हजार वर्ग मीटर भूमि एक रुपए टोकन प्रेस में दी गई है ताकि वहां पर लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके।

वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने 2012-13 में टपूकड़ा-अलवर में विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में 250 एकड़ भूमि रियायती दर पर रेडीमेड वस्त्रों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। हम इस घोषणा के शीघ्र क्रियान्वयन का प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से लगभग 36 हजार से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से एवं 56 हजार व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। इस परियोजना में 850 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। वस्त्र उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी-2012 का आयोजन किया जाएगा जिसमें अन्य राज्यों के साथ-साथ विभिन्न देशों की कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित कम्पनियां भाग लेंगी।

राजस्थान देश में एक आटो हब के रूप में उभर रहा है। वर्तमान में बड़ी आटो उत्पादन इकाइयां जैसे होण्डा सीएल कार, होण्डा मोटर साइकिल व स्कूटर, अशोका लेलैण्ड, आयशर आदि ने राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आटो सैक्टर को और अधिक विकसित करने हेतु खुशखेड़ा और टपूकड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 700 एकड़ भूमि में दो आटो जोन बनाए जा रहे हैं। जापानी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नीमराना में जापानी जोन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर 31 इकाइयों को भूमि आबंटित की गई। इनमें से 11 इकाइयों में उत्पादन भी प्रारम्भ हो गया एवं 6 हजार 537 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस प्रगति से प्रेरित होकर रीको द्वारा घीलोट-अलवर में 500 एकड़ अतिरिक्त भूमि जापानियों को उपलब्ध कराई गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ईएमआईसी का 40 परसेंट हिस्सा राजस्थान से गुजर रहा है और रेलवे ट्रैक के दोनों ओर डेढ़-डेढ़ सौ किलोमीटर में इण्डस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी। कालेज सिटी बनेगी, वहां पर एयरपोर्ट की

(श्री राजेन्द्र पारीक)

स्थापना होगी और एक समग्र सिटी का विकास, लम्बे अरसे से हिन्दुस्तान में नियोजित सिटी का विकास नहीं हुआ था, इस कंसैप्ट के माध्यम से हम नियोजित रूप में विकास करेंगे। इसमें वैसे पांच करोड़ तय किए गए हैं, लेकिन अभी हाल ही में माननीय आनन्द शर्माजी, जो उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने दो नोड खास तौर से प्रस्तावित किये हैं-खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना और दूसरा जोधपुर, पाली, मारवाड़ और इनको एक अलग से दर्जा और दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग एंड इन्वैस्टमेंट जोन जो अभी कैबिनेट से भी एप्रूव हो गया है, भारत सरकार के माध्यम से 2,500-2,500 करोड़ रुपये इन दोनों नोड्स के विकास के लिए दिये जाएंगे। खास तौर से जो भिवाड़ी, खुशखेड़ा, नीमराना जो नोड है, उसके लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है और धारा-4 के लिए प्रस्तावित कर दी गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां जिन 21 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया, मैं उन सबका आभारी हूं। अच्छा होता कि वो सब मेरे सामने होते। उनके द्वारा कही गई बातों की मैं उनके सामने सराहना करता। उनके सुझाव बड़े अमूल्य सुझाव हैं। निश्चित रूप से आपसी संवाद के माध्यम से जो कुछ उभर कर आता है, उससे न केवल आदमी का ज्ञान बढ़ता है बल्कि विकास को और ज्यादा गति देने के लिए और ज्यादा सम्यक् रूप से हम उसे देख सकते हैं। अच्छे सुझाव थे। कुछ लोगों ने सिंगल विंडो एक्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि सिंगल विंडो एक्ट आने के बाद में 18,822 के करीब निवेश उसके माध्यम से आये। करीब 78,000 करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। उच्चस्तरीय जो कमेटी है उसको सी.एस. प्रिसाइड करते हैं, उसके माध्यम से करीब 38,838 रुपये के प्रोजैक्ट स्वीकृत किये गये हैं।

सभी माननीय सदस्यों ने बालोतरा के बारे में काफी चिन्ता जताई। निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शुरूआती दौर में पर्यावरण के सम्बन्ध में हम विजिलेंट नहीं रहे और निश्चित रूप से कहीं न कहीं गलती हुई, लेकिन उसका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यह एक चिन्ता का विषय है। जब राज्य सरकार के समक्ष यह बात आई और मैंने स्वयं इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय को जानकारी दी तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्वयं भी काफी चिन्तित हुए और उन्होंने तत्काल अधिकारियों को बुलाकर निर्देशित किया। हाई कोर्ट में हम सरकार का पक्ष रखें, उसके लिए हमने यह तय किया है कि 1500 एकड़ जमीन, क्योंकि वहां

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मूल समस्या जो है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोर्ट का निर्देश यह था कि जो ट्रीटेड वाटर है वो भी नदी में नहीं डाला जाए। एक बड़ी समस्या हो गई कि ट्रीटेड वाटर भी यदि हम नहीं डालेंगे तो कहां डालेंगे। उस समस्या के समाधान के लिए 1500 एकड़ जमीन जो उद्योग विभाग के पास में है, वो उस आथोरिटी को दी जाएगी और ट्रीटेड वाटर उसमें डाला जाएगा। हाई कोर्ट को यह एंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में जीरो डिस्चार्ज पर ये उद्योग चलाये जाएंगे क्योंकि वहां लाखों लोग बेरोजगार हैं। बैंकों का बड़ा इन्वैस्टमेंट उन व्यापारियों में बकाया चल रहा है, बड़े कमिटमेंट्स थे लोगों के। बालोतरा का काफी बड़ा उद्योग है, उसके माध्यम से वो अपने स्टेट में और दूसरे स्टेट्स में निर्यात भी करते हैं। तो लोगों के बड़े कमिटमेंट्स थे, वो सारे कमिटमेंट्स फेल हो गये। इसी तरह की कुछ परेशानियां भीलवाड़ा में भी आयी थीं लेकिन भीलवाड़ा में तत्समय ही कमेटी से बात की गई और बैंक गारंटी दी गई। बैंक गारंटी 15 लाख रुपये की देकर हमने उस वक्त यह तय किया था कि जितने भी उद्यमी हैं, ये यहां का पानी बाहर नहीं फेकेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम पर्यावरण की कास्ट पर उद्योग नहीं लगा सकते। एक ओर जहां उद्योग हमें चाहिए, उसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। जब पानी बाहर फैलता है, वो पानी परकोलेट होकर हमारे अंडरग्राउंड वाटर जब पोल्यूट करता है तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक बड़ी समस्या होती है। उससे बचने के लिए ईटीपी और सीटीपी, बिलकुल फुल फार्म मैकेनाइज्ड वे में, अभी यह समस्या हमने माननीय केन्द्रीय मंत्री के सामने रखी तो उन्होंने भी हमको यह एश्योर किया है कि हम इसमें आपको सब्सिडाइज करेंगे ताकि समग्र रूप में हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके और हमारे यहां के उद्योग भी फल-फूल सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जयपुर मैटल्स के मामले में प्रतापसिंहजी खाचरियावास ने अपनी पीड़ा का इजहार किया। निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि वहां के मजदूरों का हक नहीं मारा जाए। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि 17 तारीख को एक उच्चस्तरीय मीटिंग इस सम्बन्ध में आलरेडी रख ली गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी चर्चा में आया कि काश्तकार की जमीन हम ले लेते हैं औने-पौने दामों में। आजकल कमेटी के माध्यम से हम जमीनों का अधिग्रहण करते हैं, हमारी कोशिश होती है, बाजार भाव का हम आकलन करवाते हैं, उसके बाद में कमेटी जाकर जनरल लोगों की ओपीनियन

(श्री राजेन्द्र पारीक)

लेती है। उसके बाद बाजार के भाव तय होते हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, अभी माननीय मेजर साहब जो फरमा रहे थे, टपूकड़ा में पांच गांवों की जमीन में हमने करीब चालीस लाख से लेकर के एक करोड़ रुपये तक का लोगों को मुआवजा दिया है। हम भी यह नहीं चाहते, और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का तो खास इस बात पर फोकस है कि काश्तकार की जमीन ली जाए लेकिन जमीन औने-पौने दामों में लेकर उसको बेसहारा नहीं छोड़ा जाए। यहां यह भी समस्या आई कि काश्तकार अपनी जमीन दे देता है लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठ कर चर्चा करूंगा और जो भी उद्यमी यहां पर उद्योग लगाने के लिए आएंगे, उनके साथ भी हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि यहां जब आप उद्योग लगाते हैं तो निश्चित रूप से जो यहां के स्थानीय निवासी हैं उनके साथ आपका संवाद भी होना चाहिए और जहां तक सम्भव हो, लोगों को रोजगार में भी लिया जाना चाहिए। इसके लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय की खास मंशा थी, स्किल डवलपमेंट के नाम से ट्रेन टू गेन एक स्कीम चलायी गई है जिसके माध्यम से हम प्रति ट्रेनी दो हजार रुपये मिनिमम देते हैं बोनस के रूप में और यह एंश्योर करते हैं कि जो उद्यमी इस तरह की ट्रेनिंग चला कर लोगों को स्किल करेगा उनमें से कम से कम पचास प्रतिशत लोगों को तो निश्चित रूप से वो अपने यहां पर रोजगार उपलब्ध कराएगा। भिवाड़ी में यह समस्या बताई कि यहां भी ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। चन्द्रकांताजी मेघवाल ने फरमाया कि औद्योगिक क्षेत्र को रूरल फीडर से जोड़ रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन सारे प्रकरणों को दिखाऊंगा। सरकार की मंशा है कि जहां उद्योग लगें, वहां पर पर्याप्त बिजली मिले।

माननीय ओम बिरलाजी ने गुजरात की काफी चर्चा की। प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री नरेन्द्रजी मोदी यहां पर पधारे थे और उन्होंने बड़े जोर-शोर से इतने तरह के वादे और इतनी तरह की बातें बताईं कि सामने वाले लोग एक तरह से हिप्नोटाइज हुए। लेकिन वो वो लोग थे जो उनकी हकीकत नहीं जानते थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि जिस पांच सौ मेगावाट सौर ऊर्जा की वो बात कर रहे थे, अनिल अम्बानीजी जो स्वयं गुजरात से हैं, उनका बड़ा निवेश है सोलर पावर में, उन्होंने राजस्थान में 40 मेगावाट का अभी शुरू किया है। राजस्थान पहला डेस्टीनेशन है सोलर पावर के लिए, साढ़े सात सौ लोग

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आलरैडी यहां पर अपना कमिटमेंट कर चुके हैं साढ़े सतरह हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए। यहां पर यह भी चर्चा की गई कि गुजरात में उद्योग में निवेश के लिए किस तरह से वातावरण बना हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरूआत में आपसे निवेदन किया था कि हमको भौगोलिक परिस्थिति को समझना होगा। गुजरात की वो बात कर रहे हैं, वो आज से पचास साल पहले से ही इन्फ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रेन्थंड है। सरफेस वाटर वहां पर प्रचुर मात्रा में है। जिस तरह यहां गुजरात की चर्चाएं कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी गुजरात के बहुत से उद्यमी आते हैं, वे आकर जब जानकारी देते हैं तो जानकारी सुनकर हंसी भी आती है और मन में इस बात की पीड़ा भी होती है कि लोगों में भ्रम पैदा करने के लिये कि हमारे यहां इस कदर निवेश का वातावरण बना है, वे केवल बात करते हैं। वे लगातार तीन-तीन बार एमओयू करते हैं और एक्च्युअल में वे निवेश करने के लिये यहां आते हैं। अभी यहां पर डा. दिगम्बर सिंहजी ने एक बात कही कि रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से उन्होंने यहां बड़ा निवेश किया और हमने कुछ नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, इन्वैस्टमेंट रेगुलर प्रोसेस है, एक कंटीन्युअस प्रोसेस है। आज जो योजनाएं हम लागू कर रहे हैं वे आज ही पूरी नहीं होंगी, एक समय के बाद पूरी होंगी। कोई भी चीज को यह कहना कि फलां वक्त में हमने यह कर दिया या फलां वक्त में वह नहीं कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय, इन्वैस्टमेंट को पूरी तरह से समझना होगा। यह एक कंटीन्युअस प्रोसेस है। आज जो चीज शुरू हुई उसको तीन वर्ष लगेंगे, चार वर्ष लगेंगे, तो यह कहना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हमने आते ही सारे फीते काट दिये। हमारी योजनाएं थीं, हमारे टाइम में पूरी नहीं हुईं तो आपने फीते काट दिये। आपकी योजनाएं थी, आपके टाइम में पूरी नहीं हुईं तो हमने फीते काट दिये।

उपाध्यक्ष महोदय, माइनिंग सैक्टर पर जो कुछ भी मैंने सुना, मुझे यह लगा कि राजस्थान प्राकृतिक रूप से तो खूब रिच है लेकिन हम यहां पर पूरी तरह से अवैध माइनिंग का धंधा करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, किसी पर अगर हम चार्ज लगाएं तो स्पेसिफिक चार्ज होना चाहिये कि फलां जगह इस तरह का अवैध काम हो रहा है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार कमिटेड है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अवैध माइनिंग से शुरूआत इसलिए कर रहा हूं कि जो भी व्यक्ति यहां बोला उसने अवैध माइनिंग पर ही ज्यादा जोर डाला। राज्य सरकार की मंशा का आप इससे अंदाजा लगाएं कि

(श्री राजेन्द्र पारीक)

जब यह बात बार-बार मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष आई तो उसको रोकने के लिये प्रयास हमने किये, हमने एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई। उस कमेटी में सीएस, माइनिंग सैक्रेटरी, प्रिंसिपल सैक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और पुलिस के डीजी हैं। इसमें अलग-अलग लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी। इससे पहले पूरी जिम्मेदारी माइंस डिपार्टमेंट की होती थी। अब हमने यह तय कर दिया कि माइनिंग अगर फोरेस्ट में है तो फोरेस्ट जिम्मेदार है। यदि माइनिंग प्राइवेट लैंड पर हो रही है तो राजस्व विभाग जिम्मेदार है। यदि माइनिंग माइनिंग एरिया में हो रही है तो माइंस डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। यदि माइनिंग रीको इंडस्ट्रीयल एरिया में हो रही है तो उसका जिम्मेदार रीको है। हमने इसको और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिये 450 बार्डर होमगार्ड की नियुक्ति की। इससे भी जब हमको लगा कि काम अधूरा है तो अभी बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मिनरल प्रोटेक्शन फोर्स के रूप में एक हजार व्यक्तियों की नई भर्ती का आदेश दिया। एक साथ एक हजार व्यक्तियों की भर्ती का प्रोविजन हमने किया है और एक एडीजी लेवल के सीनियर पुलिस अधिकारी को अवैध माइनिंग को और ज्यादा प्रभावी तरीके से रोकने के लिये हमने नियुक्त किया है। हमने उन जिलों में जैसे भरतपुर, अलवर हैं जहां अवैध माइनिंग के ज्यादा केसेज बन रहे हैं, वहां पर आरएसई नियुक्त करने के लिये आदेश कर दिये हैं ताकि प्रभावी तरीके से वहां पर अवैध माइनिंग को रोक सकें। उपाध्यक्ष महोदय, अवैध माइनिंग हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लीगल माइनिंग हो, नियमों में हो। इस दर्द को हमने समझा है। हमने माइनिंग पालिसी बनाई। उस पालिसी को बनाने के पीछे मकसद यह था बार-बार जो यह बात आती है कि कुछ लोगों का ही इस पर कब्जा है, वे लोग इससे वंचित हैं जो इसके हकदार हैं। तो हमने नई पालिसी में यह सिस्टम डाला कि 50 परसेंट आक्शन के माध्यम से होगा और 50 परसेंट एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, महिला, विकलांग, सैनिकों के लिये होगा। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें भी कैटेगराइज किया। खानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिये अलग से प्रोविजन किया है। अभी दांतारामगढ़ से आने वाले विधायक काफी जोर-जोर से बोले कि जुगलपुरा गांव में अवैध माइनिंग है और उन्होंने सीधा-सीधा आरोप लगा दिया कि जुगलपुरा गांव में जो खनन पट्टे अलाट हुए हैं, वे अधिकारी बिना मंत्री की शह के नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना

(श्री राजेन्द्र पारीक)

चाहूंगा जिन खनन पट्टों की वह बात कर रहे हैं, नई पालिसी के तहत 14 खनन पट्टे हमने वहां आक्शन के लिये तय किये, 7 के लिये हमने बिड काल की, 6 वे लोग हैं जिनके किसी के एड्रेस पूरे नहीं हैं, किसी का पावर आफ अटार्नी का रिजर्वेशन नहीं है, किसी का शपथ पत्र गलत है और विभाग के जो नार्म्स हैं, जिस तरह की जानकारी उनको मिलनी चाहिये, वे नार्म्स नहीं हैं। उसके बावजूद उन्होंने तो सीधा-सीधा आरोप ही लगा दिया कि ये 7 उन्होंने पास कर दिये। यह अभी भी विचाराधीन ही है। लास्ट का जो व्यक्ति था जिसकी सारी फार्मेलिटीज पूरी थीं, उसका भी अभी विचाराधीन ही है। इस तरह के वेग चार्ज लगाकर सदन में सनसनी पैदा करना, पूरी सरकार पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, यह शोभा नहीं देता। जिम्मेदार आदमी को अपनी बात कहने से पहले सोचना चाहिये कि वह किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात कर रहा है। पूरे सदन के सामने मैं आपको यह स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, डाक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नियमों से चलना पड़ेगा। यदि हम नियमों से नहीं चलेंगे तो लोग कोर्ट में जाएंगे। जब कोई चीज नियमों में ही नहीं है, डाक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो किन परिस्थितियों में हम उनको अलाटमेंट जारी कर देते। अलाटमेंट वगैरह उच्च स्तर पर होने वाले काम हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम भाग्यशाली है कि 79 मिनरल का हमारे यहां डिपोजिट है। उनमें से कमर्शियल 58 हैं। कुछ मिनरल तो ऐसे हैं जो सिर्फ राजस्थान ही भाग्यशाली है, मात्र राजस्थान में ही वे होते हैं लैड, जिंक, केलसाइट, वोलेस्ट्रोनाइट। कुछ ऐसे हैं जो 90 परसेंट हमारे यहां है चांदी, जिप्सम, राकफास्फेट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि जब से माइनिंग को हमने फोकस किया है, निश्चित रूप से स्टेट की रायल्टी बढ़ी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2007-08 में जहां 1227 करोड़ की रेवेन्यू थी, वहां 2011-12 में 2330 करोड़ की रेवेन्यू माइनिंग की है। राज्य में प्रभावशाली खनन पट्टो की संख्या 2911 है, अप्रधान खनिज पट्टों की संख्या 11991 है, क्वेरी लाइसेंस 17716 हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में आइरन ओर के एरिया जानकारी में आये, उसका बड़ा फायदा यह है कि काफी लोगों ने इस बात की मंशा जाहिर की कि हम यहां पर स्टील प्लांट लगाएं। लोगों को हमने खनन पट्टे

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आबंटित भी किये जिसमें भीलवाड़ा और करौली में जिंदल सा लिमिटेड, कल्याणी, भारत सरकार के उद्यम भी शामिल हैं। लिग्नाइट पर आधारित जो गिरल पावर है, गिरल पावर कपूरडी, बरसिंहसर, ऊर्जा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, आपको सब जानकारी में है। यहां भी पावर सैक्टर में काफी कुछ काम हुआ है। अवैध खनन को रोकने के लिये यह जरूरी होता है कि हम इस मामले में कितने दृढ़ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले जब कोई भी ट्रक या टैक्टर पकड़ा जाता था तो पांच हजार रुपये लेकर उसको छोड़ देते थे और उस आदमी को कोई ज्यादा आर्थिक हानि नहीं होती थी। लेकिन इसको बड़ी गम्भीरता से लिया गया और अब हमने यह तय कर लिया कि यदि उसको आर्थिक दण्ड अगर हम बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से वह डिसकरेज होगा। 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हमने उस पर लगाना शुरू किया तो निश्चित रूप से वह डिसकरेज हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ गाड़ी को सीज करके गाड़ी को भी हम नीलाम कर देते हैं। ये बड़े निर्णय हैं।

सदन में बजरी खनन के बारे में भी काफी चिंता बताई गई कि बजरी के माध्यम से स्टेट रेवेन्यू आती थी। निश्चित रूप से हमारे जो भी डवलपमेंटल वर्क्स हैं-यूडीएच हो, इर्रिगेशन हो, पी डब्ल्यू डी हो, मैट्रो हो, प्राइवेट डवलपर्स हों या एक छोटा से छोटा घर बनाने वाला व्यक्ति, इवन जो बीपीएल हाउस बन रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ड्रीम प्रोजैक्ट है, उस पर भी हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं। राज्य सरकार स्वयं बहुत चिंतित है। जब इस बात की गम्भीरता को महसूस किया गया तो माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं एक मीटिंग ली और अधिकारियों को निर्देश दिये कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के माध्यम से हम अपनी बात रखें। इससे पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5 हैक्टेयर तक की लीज पर एनवायरमेंट क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती थी फिर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 1 हैक्टेयर तक की लीज के लिए भी एनवायरमेंट क्लीयरेंस की आवश्यकता पड़ने लग गई। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो एनवायरमेंट के माध्यम से खास तौर से खनन क्षेत्र में परेशानी पैदा कर रही हैं। इसके साथ में चरागाह का भी रेवेन्यू का सर्कुलर है। इन सारी परेशानियों के बाद भी खनिज विभाग की उपलब्धियां हमारे लिए खुशी की बात है। यह रेवेन्यू की ग्रोथ जिस तरह से हो रही है, हमने सिस्टम को मैकेनाइज किया है,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

जीरो वेस्ट पर हमने पालिसी को एडोप्ट किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो कोटा से आते हैं, ओवरबर्डन की बड़ी समस्या हमारे सामने रहती थी कि लोग प्रोपर माइनिंग नहीं कर पाते थे, बड़ी मात्रा में वेस्ट होता था। लेकिन इस पीड़ा को हमने समझा तो हमने यह तय किया कि ओवरबर्डन वहां पड़ा हुआ था उसके लिए हमने रूल्स में अमैंडमेंट किये। 63-ए के माध्यम से हमने अलाउ किया कि अपने ओवरबर्डन को स्पेशल फीस देकर वहां से हटा सकता है, रायल्टी पर स्पेशल फीस, उससे जो ओवरबर्डन पड़ा हुआ था, वह भी हटा है और मैकेनाइज्ड वे में माइनिंग भी शुरू हुई है।

एक बड़ी समस्या का जिक्र जो कई माननीय सदस्यों ने किया, डिब्लास्टिंग, वैसे तो सबजैक्ट निश्चित रूप से भारत सरकार का है, डायरेक्टर एक्सप्लोजिव डील करते हैं सारे मामले को, लेकिन फिर भी चूंकि सब्जैक्ट हमारे स्टेट में घटित हो रहा है, मैं भी अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा। नीमकाथाना से आने वाले सदस्य ने और खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने जो शंका जाहिर की और जिस पीड़ा की अभिव्यक्ति की, आलरैडी, उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के डायरेक्टर एक्सप्लोजिव को हम यहां से पत्र लिख चुके कि स्वयं आकर इसके बारे में जांच करें। फिर भी मैं इसको और ज्यादा गम्भीरता से लूंगा कि इस तरह डीप होल के माध्यम से एक्सप्लोजन वहां किया जा रहा है, वह नहीं होना चाहिये, यह चिंता का विषय है। मैं भी इसे पूरी गम्भीरता से लेकर कार्यवाही करने की निश्चित रूप से मंशा रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, खनिज के बाद जब बात करता हूं आबकारी की, डा. जसवन्त सिंह की याद आती है। पूरे राजस्थान में जिस योजना को, मंशा को, राजस्थान की खास तौर से महिलाओं ने सराहा, उन्होंने उस पर प्रश्न चिन्ह लगा डाला और यहां तक कह डाला कि 8 बजे वाला आपका समय है वह बड़ा बदनामी का कारण बन रहा है। श्रीमती मेघवाल ने भी इस तरह की मंशा जाहिर की कि 8 बजे बाद भी लोग शराब की बिक्री करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महादेय, जब 2008 में शासन बदला तब, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जो समय था वह सुबह 9 से 11 का था, और प्रतापसिंहजी खाचरियावास का कहना बिलकुल सही था कि वह बैठा-बैठा दुकान पर पीता था और जाकर घरवाली को पीटता था। इस पीड़ा को सबसे ज्यादा माननीय मुख्य मंत्री

(श्री राजेन्द्र पारीक)

महोदय ने समझा और स्ट्रिक्टली आर्डर किया कि दुकान 10 बजे से 8 बजे तक ही चलेगी। इससे रेवेन्यू का बड़ा नुकसान हुआ है। कई लोगों ने एप्रोच की, मुझे भी कहा, मेरे अधिकारियों को भी कहा, कि यदि आप एक घण्टा और बढ़ा देंगे, आप दो घण्टे और बढ़ा देंगे तो दौ सौ-चार सौ करोड़ रुपये की आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन रेवेन्यू का सवाल नहीं है, सवाल है मंशा का। स्पष्ट मंशा यह थी कि गृहिणियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय के मन में उनके प्रति दर्द है। माननीय मुख्य मंत्री यह चाहते हैं कि उनका परिवार शांति से चले। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की मंशा है कि उनके परिवार का मुखिया जो रात को 11 बजे तक शराब पीकर सड़क पर पड़ा रहता है, वह समय पर घर पहुंचे, अपने बच्चों की देखभाल करे। इससे पहले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1800 आईएमएफएल की दुकानें थीं, एक साथ 800 दुकानें बंद करा दीं। यह जानते हुए भी कि इन 800 दुकानों की वजह से रेवेन्यू का बड़ा नुकसान होगा उस नुकसान को महत्व नहीं दिया, इस बात को महत्व दिया कि गली-गली पर, नुक्कड़-नुक्कड़ पर शराब की दुकानें, कहीं महारानी वाइन्स, कहीं किसी नाम से वाइन्स, कहीं किसी नाम से वाइन्स। सही कह रहे थे महेन्द्र चौधरी साहब कि महारानी वाइन्स उसके ऊपर डेयरी का बोर्ड, सरस डेयरी का, अपने बच्चों को दूध जरूर पिलाएं। बात बिलकुल सही है, जब 11 बजे तक बैठकर शराब पीने के बाद जेब में धेला ही नहीं बचेगा, बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसा कोई छोड़ेगा, तब बच्चों को दूध पिलाएंगा न। 800 दुकानें बंद करना, उन 156 दुकानों को बंद करना जिनके लिए आज जोर-जोर से बोल रहे थे कि मंदिर के पास दुकान चल रही है, स्कूल के पास दुकान चल रही है, यहां दुकान चल रही है, वहां दुकान चल रही है, 156 दुकानें उनके टाइम में चल रही थीं जो नियमों में शिथिलता देकर चला रहे थे। नियमों में वे दुकानें बंद होनी चाहिए थी, हमने आते ही 156 दुकानों को बंद किया, लोगों को इस बात की जानकारी दी कि नियमों के विपरीत हम दुकान नहीं चलने देंगे, रेवेन्यू का नुकसान होगा तो होगा लेकिन 156 दुकानों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ौसी स्टेट है आप उनका समय देखें- मध्य प्रदेश में प्रातः 10 से रात्रि 11 तक, उत्तर प्रदेश में प्रातः 9 से रात्रि 11 बजे तक दिल्ली में 10 से 10 तक, हरियाणा में 9 से 11 तक, पंजाब में सुबह 9 से रात्रि 12

(श्री राजेन्द्र पारीक)

बजे लेकिन हमने तय कर लिया कि 8 बजे के बाद में नहीं खोलेंगे। जहां लोगों ने खोलीं, वहां मुकदमे बनाये। तहसील बहरोड़ में 8 बजे बाद जो दुकानें खोली 8 अभियोग दर्ज किए 2 लाख 65 हजार रुपये जुर्माना लगाया। 8 बजे के बाद के 25 अभियोग भी दर्ज और किये 10 लाख 7 हजार रुपये जुर्माने के वसूले।

यहां पर इस बात की भी चर्चा की गई कि हरियाणा से अवैध शराब बहुत ज्यादा आ रही है। मैं न नहीं करता, उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से रही है लेकिन मंशा पर शक करना गुनाह है। जिस दिन सरकार बनी, मंशा स्पष्ट कर दी, कि हरियाणा से अवैध शराब का आयात सख्ती के साथ रोकना है। हमने सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, सिंगल अम्ब्रैला किया। बरसों से भर्तियां नहीं थीं, पद रिक्त पड़े थे। हम पुलिस महकमे से टेम्परी लोगों को डैपुटेशन पर ला- लाकर काम चला रहे थे। 1754 नये कांस्टेबल्स की भर्ती की है, उपाध्यक्ष महोदय, 1754 एक्स आर्मी पर्सोनल्स की भर्ती की। इसलिये करना पड़ा एक्स आर्मी मैन को कि हमको ट्रेण्ड आदमी मिल जाएं। अदरवाइज हमको एक साल तो उनका ट्रेनिंग में निकालना पड़ता। 252 के करीब हमने जमादार भर्ती किये। हमारे पास आदमी नहीं थे, उपाध्यक्ष महोदय, किसी ट्रक को हम यदि पकड़ लें तो केस बनाने वाला आदमी नहीं था। इस कदर हमारे पूरे के पूरे थाने खाली पड़े थे। मुखबिर को हमने प्रोत्साहन के रूप में अच्छी राशियां देना शुरू किया। हमारे पूरे थाने जो शराब हमने जब्त कर रखी थी, उनसे भरे पड़े थे। एक इंच कहीं जगह नहीं। स्पष्ट निर्देश थे कि पूरी की पूरी शराब, सारे थानों को खाली करो और उनको क्रश करो। रोड पर ले जाकर जो रोड वायब्रेटर होता है, उससे क्रश करवाया। हजारों गाड़ियां जब्त की हुई पड़ी थीं। थानों में सड़ रही थीं। स्पष्ट निर्देश दिये, उनका आक्शन करो और उनसे रेवेन्यू जनरेट करो। गाड़ी की कीमत, तत्काल उनको जब्त करो। यदि इन्हें छुड़ाने नहीं आता है तो इनका आक्शन करो। करोड़ों रुपये की आय, उपाध्यक्ष महोदय, जब्त की हुई गाड़ियों का जब हमने आक्शन किया तो उनसे प्राप्त हुई। शराब नष्ट की, मैंने आपकी जानकारी में बताया। हमने यह भी सिस्टम डवलप किया, उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब हमने पालिसी बनाई तो उसमें हमने यह तय किया कि बाहर से आने वाला व्यक्ति जो गाड़ी लेकर हमारे स्टेट में आएगा, उसको एक रूट बताना पड़ेगा। वह हमको रूट बताएगा कि मैं इस रूट से उस प्रदेश में जाऊंगा। उस रूट से यदि वह डीविएट होता है, इधर-उधर कहीं जाता

(श्री राजेन्द्र पारीक)

है तो हम उसको अवैध मानेंगे। अभी बिरलाजी ने तो स्पष्ट कह दिया कि गुजरात इसलिये ज्यादा विकास कर रहा है कि वहां पर शराबबंदी है। आज सबसे बड़ा परेशानी का कारण हमारी स्टेट के लिये बना हुआ है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो स्टेट हैं, हरियाणा और गुजरात। हरियाणा जितनी अवैध शराब बेचता है वह गुजरात के लिये होती है। लेकिन उसको मौका लगता है तो हमारे स्टेट में भी उसको अनलोड कर देता है। लेकिन पिछले वर्षों की आप यदि एक्साइज की रेवेन्यू ग्रोथ रेट देखेंगे तो आपके बात समझ में आएगी कि जिस तरह की रेवेन्यू बढ़ी है, वह अकारण नहीं बढ़ी। उस रेवेन्यू बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वह है अवैध शराब के आयात को प्रभावी तरीके से रोकना। जब हमने प्रभावी तरीके से रोका तो हमारे यहां की शराब की बिक्री बढ़ी और उस वजह से बिक्री में इजाफा हुआ तो निश्चित रूप से आय में भी वृद्धि हुई। इस बार हमने टार्गेट अचीव किये, उपाध्यक्ष महोदय, 3200 से ऊपर। यह भी मंशा थी कि लोग हम पर यह ब्लेम नहीं करें कि हम शराब को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम लोगों को डिसकरेज करना चाहते हैं। 20 प्रतिशत वैट हमने लगाया ताकि लोग डिसकरेज हों। लेकिन तब भी बिक्री बढ़ी। हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी कण्ट्री लिकर की। कुछ तो लोग एक प्रथा के रूप में कण्ट्री लिकर बनाकर खुद कंज्यूम करते हैं। उससे कई बार कैजुअल्टीज भी होती हैं। कैसे रोकें इसको? तो सारे अधिकारियों ने बैठकर एक सिस्टम डवलप किया और पहली बार फिफ्टी-यूपी की शराब का निर्माण किया। उस फिफ्टी-यूपी की शराब के निर्माण से बड़ा लाभ हुआ। यह जो देशी मदिरा है जो खास तौर से लोग परम्परागत रूप से बनाते हैं, उससे कई बार बड़ी-बड़ी जनहानि भी होती है। उसका सबसे बड़ा कारण था उसकी कीमत कम होना। 18-20 रुपये में जब उसको पव्वा मिल जाता था तो वह व्यक्ति उधर प्रोत्साहित होता था। उससे परिवारों में परेशानी होती थी। लेकिन जब से हमने यह फिफ्टी-यूपी की शराब बनाना शुरू किया तो उसी कीमत में उसको अच्छी गुणवत्ता की शराब मिलना शुरू हो गया। एक काम और किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। हमने गारण्टी तय कर दी उसकी कि कण्ट्री लिकर का इतना उठाव तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसकी भी आलोचना हुई कि हम शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हमारी मंशा शराब को बढ़ावा देने की नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। हमारी मंशा यह है कि जो बाहर से आयात हो रहा है, जो लोग अवैध शराब के निर्माण में

(श्री राजेन्द्र पारीक)

लगे हुए हैं, वह दुकानदार इन्श्योर करेगा कि उसके इर्द-गिर्द इस तरह का वातावरण नहीं बने। वह दुकानदार जिसको हमने इस बात के लिये पाबन्द किया कि तुम्हें इतना माल उठाना ही पड़ेगा, अब इस बात की गारण्टी वह देगा कि जब इतना माल उसने अपनी दुकान पर उठाया है तो उसको बेचने के लिये उसको मार्केट चाहिए। और जब मार्केट तलाशेगा तो उन लोगों को वह हतोत्साहित करेगा जो अवैध शराब के निर्माण में लगे हुए हैं। ये सारी मंशाएं जाहिर करती हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हम अवैध शराब के निर्माण को रोकने में पूरी तरह से संलिप्त हैं।

हमने कुछ नयी स्कीम्स भी लागू कीं। नव जीवन योजना, उसकी मंशा यह थी, उपाध्यक्ष महोदय, कि वे लोग जो परम्परागत रूप से इस व्यवसाय में लगे हुए हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करें। हमने देखा कि हमने योजना तो लागू कर दी, लेकिन योजना का पैसा जिन एन.जी.ओज. के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करने के लिये दे रहे हैं, उसका रिजल्ट प्रापर नहीं आया। जब यह बात हमने माननीय मुख्य मंत्री महोदय तक पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म डवलप करो कि यह पैसा लगे और लोगों को राहत भी मिले। तो हमने उन बस्तियों को आइडेंटिफाई किया जो परम्परागत रूप से इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि हमने उनकी बस्तियों में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करना शुरू किया, उनके यहां पर हमने छोटे-छोटे अतिथि-गृह बनाना शुरू किया, वहां पर सड़कें बनाना शुरू किया। वहां पर नालियों के निर्माण की हमने परमिशन दी। यह नवजीवन योजना हमने समाज कल्याण विभाग को ट्रांसफर कर दी। हमने यह भी महसूस किया कि जिन पंचायतों में हम दुकान लगाकर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लोगों की बार-बार यह पंचायतों से डिमाण्ड आ रही है कि हमें यहां कुछ पैसा आप दीजिए। तो हमने रेवेन्यू का दो प्रतिशत पंचायतों को ट्रांसफर करने के लिये प्रोविजन किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे अहम और बड़ी बात है पैट्रोलियम की। पैट्रोलियम रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया बना है। जिस तरह की अनूठी योजनाएं माननीय मुख्य मंत्री महोदय लेकर आ रहे हैं- मुफ्त दवा योजना, दो रुपये किलो गेहूं, बी.पी.एल. हाउसेज, ये सारी योजनाएं हम लोग करेंगे तो इनके लिये फण्ड्स कहां से जनरेट होंगे? यह बहुत खुशी की बात है, जिस तरह से पैट्रोलियम में रेवेन्यू ग्रोथ हुई है वह कल्पना के बाहर है। माननीय मुख्य मंत्री

(श्री राजेन्द्र पारीक)

महोदय ने अपनी मंशा जाहिर कर दी रिफाइनरी के लिये कि उसमें जो भी वित्तीय छूट वे चाहते हैं, वह छूट हम दें ताकि रिफाइनरी के लिये रास्ता साफ हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे साथी मित्रों को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे मन में पीड़ा जरुर है लेकिन उस पीड़ा का बार-बार इजहार करना उचित नहीं। मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि रात के 11 बजे तक आप भी विराजे हुए हैं। मेरे सभी साथी मंत्रियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं इल्तिजा करुंगा कि मांग संख्या 42, 43 और 13 पारित कराएं।

(23.00 बजे)

मांग संख्या-42 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,42,89,63,000/- (एक अरब बयालीस करोड़ नवासी लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-43 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,40,43,51,000/- (एक अरब चालीस करोड़ तियालीस लाख इक्यावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-13 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,14,92,000/- (एक अरब चौदह लाख बानवे हजार)

(श्री उपाध्यक्ष)

तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2012 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.01 बजे शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़ा जिले के लम्बित कृषि कनेक्शन

300. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भीलवाड़ा में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में कुल कितने कृषि कनेक्शन की डिमांड राशि जमा हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त वर्षों में कृषि कनेक्शन की जमा डिमांड राशि में से कितने व्यक्तियों के कनेक्शन नहीं किये जा सके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कृषि कनेक्शन की डिमांड राशि जमा होने के बाद कनेक्शन कितने समय में किया जाता है? नियमों एवं निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) डिमांड राशि जमा होने के उपरान्त भी निर्धारित समय सीमा में जो कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं, वो कनेक्शन कब तक जारी कर दिये जायेंगे एवं क्या सरकार ऐसे काश्तकारों को जिनका समय पर कनेक्शन नहीं किया जा सका है उनकी जमा राशि पर ब्याज देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 2010-11 में 1350 एवं 2011-12 में 2882 अर्थात कुल 4232 कृषि कनेक्शन के मांग पत्र की राशि जमा हुई है।

(2) उक्त जमा मांग पत्रों में से 1762 कृषि आवेदकों के कनेक्शन जारी नहीं किये जा सके हैं।

(3) डिमांड नोटिस की राशि जमा कराने के बाद कृषि कनेक्शन, कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित दिनांक 31.3.2007 तक) में नियमानुसार किये जाते हैं। डिमांड नोटिस की राशि डिमांड नोटिस जारी होने की तिथि से 90 दिन में जमा करानी होती है एवं जमा कराए गए मांग पत्रों के आवेदकों को उनकी आवेदन तिथि के क्रम में आगामी 90 दिनों के अन्दर कनेक्शन देने का प्रावधान है।

यह भी उल्लेखनीय है कि कनेक्शन हेतु आवश्यक सामान एवं सब स्टेशन सामग्री आवेदक को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय से प्राप्त कर कनेक्शन के स्थान तक स्वयं ले जाना होता है। अगर 1500 रुपये प्रति

(ऊर्जा मंत्री)

कनेक्शन की दर से सामान परिवहन का खर्चा डिमांड नोटिस के साथ जमा कराया जाता है तो निगम द्वारा सामान का परिवहन किया जाता है।

आदेश की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(4) डिमांड राशि जमा होने के पश्चात सामान्यत: आवेदक की प्राथमिकता के अनुसार व संसाधनों की उपलब्धता अनुसार कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। मांग पत्र जमा राशि पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रपत्र-अ

आर.ई.ओ.-205

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.)

क्र.जे.पी.डी./उप मु.अ.(आर.ई. एण्ड प्लान)/अ.अ/(आर.ई.)प.1201/प्रे2747 दिनांक 20.3.09

आदेश

विषय :—वर्ष 2009-10 में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

राज्य सरकार ने आदेश संख्या एफ 12(16) ऊर्जा/04 दि. 09.02.09 के द्वारा 1 अप्रैल, 03 से 31 दिसम्बर, 2007 तक के सामान्य कृषि श्रेणी विचाराधीन आवेदकों को वर्ष 2009-10 में मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त नये कृषि कनेक्शन जारी करने के लिए पूर्व वर्ष की भांति निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये जाते हैं :—

1. मांग पत्र जारी करना

(i) उपरोक्त में से 50 प्रतिशत आवेदकों के मांग पत्र 15 अप्रैल, 2009 से 30 अप्रैल, 2009 तक जारी किये जावेंगे तथा शेष आवेदकों के मांग पत्र 15 जुलाई, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक जारी किये जावेंगे।

(ii) सभी श्रेणियों के लिये मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिये सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की मीटिंग एवं चौपालों में विस्तृत जानकारी दे दी जावे।

(iii) समस्त अनुसूचितजाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित

जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदक जिन्हें तुरन्त प्राथमिकता के आधार कृषि कनेक्शन देय है, के मांग पत्र तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर जारी किये जायेंगे।

2. प्राथमिकता

कृषि कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार ही दी जायेगी, न कि मांग पत्र जमा की तारीख के अनुसार।

3. कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य

15 अप्रैल, 2009 से 30 अप्रैल, 2009 तक जारी किये गये मांग पत्रों के कुल आवेदकों की जमा राशि के 1/3 कनेक्शन अगस्त में 1/3 सितम्बर में तथा 1/3 अक्टूबर, 09 में किये जायेंगे इसी प्रकार 15 जुलाई, 09 से 31 जुलाई, 09 तक जारी मांग पत्रों के कुल जमा राशि के 1/3 नवम्बर, 1/3 दिसम्बर, 09 एवं 1/3 जनवरी, 2010 में कनेक्शन जारी किये जायेंगे।

4. कनेक्शन के लिये सामान की ढुलाई

कृषि कनेक्शन के लिये जरूरी सामान की ढुलाई का कार्य निगम द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मांग पत्र में 1500 रु. अतिरिक्त चार्ज किये जावेंगे। यदि आवेदक अपने खर्चे पर सारे सामान की ढुलाई का कार्य स्वयं करना चाहता हो तो उससे सामान की ढुलाई की राशि चार्ज नहीं की जायेगी।

5. लाइन एवं सब-स्टेशन लगाने के क्रम में

कृषि कनेक्शन हेतु 11 के.वी. लाइन तथा 11/4 के.वी. सब-स्टेशन लगाने का कार्य निगम द्वारा निर्धारित सी.एल.आर.सी. रेट पर कराया जायेगा एवं यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि लाइन व सब-स्टेशन खड़ी करने में अच्छी गुणवत्ता बनी रहे, समय पर सामान की ढुलाई का कार्य एवं कृषक को बिना असुविधा के कृषि कनेक्शन जारी हो।

उपरोक्त आदेश तीनों वितरण निगमों पर लागू होंगे।

ह./-

उप मुख्य अभियंता (आर.ई. एण्ड प्लान)

प्रपत्र-अ

आरईओ-169

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जे.पी.डी./मु.अ.(आरपी)/अअ/(आरई)प.1201/प्रे 35 जयपुर, दिनांक 7.4.07

आदेश

विषय :—कृषि कनेक्शनों के मांग पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने बहु प्रतिक्षित सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु निर्णय लिया है कि जिन आवेदकों ने 31 मार्च, 1993 तक आवेदन कर रखा है उनके मांग पत्र वित्तीय वर्ष 2007-08 में जारी कर दिये जावें। मांग पत्रों की संख्या पर सामान की उपलब्धता के अनुसार नियंत्रण रखें ताकि मांग पत्र जमा होने के बाद अधिकतम 90 दिन में कनेक्शन दिया जा सके।

जिन पंचायत समितियों की कट आफ डेट मार्च 93 के बाद है उनकी कट आफ डेट एक वित्तीय वर्ष बढ़ा दी जाती है। उदाहरणार्थ:- जिसकी कट आफ डेट मार्च 95 है उसकी कट आफ डेट मार्च 96 होगी।

ह./-

(एस सी मल्होत्रा)

मुख्य अभियंता (आर पी)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि जिन्सों के बीमा हेतु प्रीमियम राशि का निर्धारण

302. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में कृषि बीमा कहां-कहां पर कौन-कौनसी जिन्सों का होता है और शुल्क प्रीमियम राशि कितनी-कितनी, किस-किस आधार पर लेते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान में रबी 2011-12 में 17 फसलें एवं खरीफ 2011 में 15 फसलें अधिसूचित की गई थीं। जिलेवार अधिसूचित फसलें एवं प्रीमियम राशि का विवरण परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। प्रीमियम राशि भारत सरकार की मार्गदर्शिका में उल्लेखानुसार कृषकों से ली जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-303

(स्थगित)

नागौर जिले के फाटकों पर ओवर ब्रिज हेतु सर्वे

304. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में जिला नागौर के विभिन्न रेलवे फाटकों पर ओवर ब्रिज बनाये जाने हेतु सरकार ने सर्वे करवाये हैं? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि डीडवाना नागौर रोड के रेलवे फाटक एवं लाडनूं रोड रेलवे फाटक ओवर ब्रिज बनाये जाने के सभी मानदण्ड पूर्ण करते हैं तथा प्रतिदिन ट्रैफिक जाम एवं दुर्घटनाओं से राहगीरों व आवागमन के साधनों को परेशानी हो रही है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या क्षेत्रीय जनता, जन प्रतिनिधि, विभिन्न संगठनों एवं क्षेत्रीय विधायक की ओर से इस बाबत सरकार को पत्र प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो प्राप्त पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपाराम डूडी)

(4) क्या सरकार उक्त दोनों ही रेलवे फाटकों पर ओवर ब्रिज बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। नगरीय विकास विभाग द्वारा जिला नागौर में ओवर ब्रिज निर्माण हेतु लेवल क्रासिंग संख्या सी-34 (मकराना), सी-38 (मकराना) सी-21 (नावां) एवं सी-61 (नागौर) पर रेलवे के साथ सर्वे कर संयुक्त फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गयी। संयुक्त सर्वे रिपोर्ट की प्रति क्रमशः परिशिष्ट-1, 2, 3 व 4 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। डीडवाना नागौर रोड (एस.एच. 60) कि.मी. 160/700 रेलमार्ग डेगाना रतनगढ़ समपार फाटक (बी-67), डीडवाना शहर में स्थित है, जिसकी टी.वी.यू. 32627 (यातायात गणना अगस्त, 2011) एवं किशनगढ़ डीडवाना लाडनूं रोड (मेगा हाइवे) कि.मी. 117/900, रेल मार्ग डेगाना रतनगढ़ समपार फाटक (सी-64) डीडवाना शहर में है जिसकी टी.वी.यू. 47474 (यातायात गणना दिसम्बर, 2011) है। यातायात की अन्तिम गणना अनुसार वर्तमान में उक्त दोनों फाटकों पर टी.वी.यू. एक लाख से कम तथा आर.ओ.बी. निर्माण के मानदण्डों से कम है। प्रतिदिन ट्रेफिक जाम एवं आवागमन के साधनों को परेशानी के आंकड़ों का आंकलन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग को लिखा जा रहा है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मकराना के क्षेत्रीय विधायक द्वारा लेवल क्रासिंग संख्या सी-34 के लिए पत्र प्राप्त हुये हैं। नगरीय विकास विभाग द्वारा उक्त क्रासिंग पर आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु इरकान के साथ एमओयू एवं अनुबन्ध किया जा चुका है। इरकान द्वारा इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं एवं शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। रेलवे क्रोसिंग संख्या बी-67 एवं सी-64 पर टी.वी.यू. एक लाख से कम एवं आर.ओ.बी. निर्माण के निर्धारित मानदण्डों से कम है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बाप (जोधपुर) उप तहसील का तहसील में क्रमोन्नयन

305. श्री ओम जोशी (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ओम जोशी)

(1) क्या यह सही है कि उप खण्ड क्षेत्र फलौदी में उप तहसील बाप को तहसील में क्रमोन्नत करने तथा ग्राम आऊ व लोहावट को नवीन उप तहसील बनाने के प्रस्ताव लम्बित हैं?

(2) क्या सरकार उप तहसील बाप को तहसील तथा ग्राम आऊ व लोहावट को नवीन उप तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) फलौदी उप खण्ड क्षेत्र में उप तहसील बाप को तहसील में क्रमोन्नत करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में की जा चुकी है।

ग्राम आऊ को उप तहसील बनाये जाने के प्रस्ताव राज्य स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

ग्राम लोहावट को नवीन उप तहसील बनाने के प्रस्ताव राज्य स्तर पर विचाराधीन हैं।

(2) उप तहसील बाप को तहसील में क्रमोन्नत करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में की जा चुकी है।

ग्राम आऊ को नवीन उप तहसील बनाये जाने के प्रस्ताव फिलहाल राज्य स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

ग्राम लोहावट को उप तहसील बनाये जाने के प्रस्ताव राज्य स्तर पर प्राप्त होकर परीक्षणाधीन हैं। प्राप्त प्रस्ताव निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर उप तहसील बनाये जाने पर विचार किया जायेगा।

सहाड़ा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

306. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के रायपुर मुख्यालय पर कौन-कौन से महाविद्यालय चल रहे हैं व उनका रजिस्ट्रेशन कब किया गया? विवरण मय दस्तावेज के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में कोई भी कालेज भौतिक रूप से अस्तित्व में ही नहीं है? क्या सरकार उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

(3) क्या सरकार सार्वजनिक निजी सहभागिता योजना के तहत नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के रायपुर मुख्यालय पर राजकीय एवं निजी क्षेत्र का कोई भी महाविद्यालय संचालित नहीं है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के रायपुर मुख्यालय पर कोई भी निजी क्षेत्र का महाविद्यालय संचालित नहीं है।

(3) जी हां। तहसील सहाडा तथा रायपुर क्षेत्र में भविष्य में पीपीपी योजना के तहत महाविद्यालय खोलने वाले प्रस्तावों में सम्मिलित करने पर विचार किया जावेगा।

भोपालगढ़ की कब्जे राज भूमि पर अतिक्रमण

307. **श्रीमती कमसा मेघवाल** (भोपालगढ़) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम भोपालगढ़ के आसपास अतिक्रमण हो रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमियों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त ग्राम भोपालगढ़ में कहां-कहां पर अतिक्रमण किया हुआ है और भूमि किस्म क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त अतिक्रमियों द्वारा पुराने एवं पक्के निर्माण कर लिये जाने के कारण कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने पर 3 माह के अन्दर हटा दिया जायेंगे।

(3) उक्त ग्राम भोपालगढ़ में राजकीय भूमि खसरा नम्बर 17 किस्म बारानी तृतीय ख.न. 211 किस्म बारानी तृतीय, ख.नं. 796 किस्म बारानी तृतीय, ख.नं. 897 किस्म बारानी तृतीय, ख.नं. 879 किस्म बारानी तृतीय, ख.नं. 1800 किस्म बारानी तृतीय, ख.नं. 1840 किस्म बारानी तृतीय, ख.नं.

(पंचायतीराज मंत्री)

195 किस्म बारानी तृतीय, ख.नं. 2346 किस्म बारानी तृतीय, ख.नं. 2349 किस्म मै.मु. मंगरा, ख.नं. 2468 किस्म बारानी तृतीय, ख.नं. 2681 किस्म बारानी तृतीय, ख.नं. 2889/3 किस्मं बारानी तृतीय, ख.नं. 938 किस्म मै.मु. मंगरा, ख.नं. 2063 किस्म मै.मु. नाडी, ख.नं. 967 किस्म मै.मु. रास्ता, ख.नं. 2890 किस्म मै.मु. रास्ता पर अतिक्रमण किया हुआ है ।

बाली के अविद्युतीकृत ग्राम/ढाणियां

308. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली में कई पंचायत मुख्यालय एवं गांव/ढाणियों की आबादी 250 से ज्यादा है, लेकिन विद्युतीकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त पंचायतों, गांव/ढाणियों की आबादीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय पीपला व पंचायत गौरिया के गांव कोलवा, पंचायत बेडा के ग्राम रोनवाडा, पंचायत भंदर के गांव भारला तथा पंचायत आमलिया के गांव बोथारा आज भी विद्युतीकृत नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? उक्त गांवों की आबादी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सभी पंचायत मुख्यालयों एवं विभिन्न पंचायतों के गांवों का विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में पंचायत मुख्यालय पीपला एवं गोरिया पंचायत का गांव कोरवा (जिनकी आबादी 250 से अधिक है) में वर्तमान में कोई विद्युत तंत्र नहीं है। इन दोनों गांवों में विद्युत तंत्र की स्थापना हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत पाली जिले हेतु स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रावधान किया गया है। परन्तु प्रस्तावित लाइनों का रास्ता वन विभाग के वन क्षेत्र से गुजरने के कारण वन विभाग की स्वीकृति न मिल पाने के कारण इनका विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। वन विभाग की स्वीकृति हेतु पूर्ण प्रस्ताव वन विभाग को भेजा जा चुका है, जिसकी स्वीकृति

(ऊर्जा मंत्री)

अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त दोनों गांवों में विद्युत तंत्र स्थापित किया जा सकेगा।

उक्त गांवों के अतिरिक्त 18 ढाणियां जिनकी आबादी 250 के लगभग है, वर्तमान में विद्युतीकृत नहीं हैं। आबादीवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। इन ढाणियों को 100 से अधिक आबादी की ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु पाली जिले में पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद विद्युतीकरण किया जा सकेगा।

(2) पंचायत मुख्यालय पीपला (आबादी 1525) एवं पंचायत गोरिया के गांव कोरवा (आबादी 529) के विद्युतीकरण की स्थिति उपरोक्त प्रश्न संख्या 1 के प्रति उत्तर में स्पष्ट की गई है।

पंचायत बेडा का गांव रोनवाडा (आबादी 215) वर्तमान में अविद्युतीकृत है। इस गांव को जनगणना 2001 के पश्चात राजस्व गांव घोषित किये जाने के कारण विद्युतीकरण हेतु चालू राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। पाली जिले हेतु प्रस्तावित पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में इस गांव को सम्मिलित कर इसका विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

पंचायत भन्दर का गांव भारला (आबादी 300) एवं पंचायत आमलिया का गांव बोथरा (आबादी 210) वर्तमान में विद्युतीकृत है। गांव भरला में वर्तमान में 15 बीपीएल परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शान दिये हुये हैं तथा गांव बोथरा में वर्तमान में 10 बीपीएल परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन एवं 1 स्कूल को विद्युत कनेक्शन दिया हुआ है।

(3) जी हां। पाली जिले के उक्त सभी पंचायत मुख्यालयों एवं विभिन्न पंचायतों के सभी आबाद अविद्युतीकृत गांवों एवं 100 एवं 100 से अधिक आबादी की अविद्युतीकृत ढाणियों को उक्त जिले हेतु प्रस्तावित पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित कर विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रपत्र "अ"

कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जो.वि.वि.नि.लि., बाली

250 से ज्यादा आबादी वाली अविद्युतीकरण ढाणियों की सूची

क्र. सं.	पंचायत का नाम	गांव का नाम	ढाणी का नाम	कुल आबादी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	भीमाना	भीमाना	आमरिया	280	Non-Electrified
2.	भीमाना	भीमाना	कागेरा, उपरला, भीमाना	280	Non-Electrified
3.	भीमाना	भीमाना	तानी	350	Non-Electrified
4.	भीमाना	भीमाना	उबारी पानी	280	Non-Electrified
5.	गोरिया	गोरिया	डोकलिया	260	Non-Electrified
6.	गोरिया	कोरवा	जावली	250	Non-Electrified
7.	काकराडी	सांभरवाडा	सांकारा	540	Non-Electrified
8.	कोयलवांव	कोयलवांव	भाकल खुणा	280	Non-Electrified
9.	कोयलवांव	कोयलवांव	पातरिया	450	Non-Electrified
10.	कुमटिया	सेन्दलां	जैत दुर्गा	250	Non-Electrified
11.	कुमटिया	सेन्दलां	जाकलाई	500	Non-Electrified
12.	कूरण	खेतरली	काडावा फली	370	Non-Electrified
13.	कूरण	कूरण	बाग वरला	250	Non-Electrified
14.	कूरण	कूरण	काडावा	300	Non-Electrified
15.	कूरण	कूरण	खाडरा फली	260	Non-Electrified
16.	नाना	नाना	बराडिया	899	Non-Electrified
17.	नाना	नाना	धीरीया	300	Non-Electrified
18.	नाना	नाना	गोरधनपुरा	300	Non-Electrified

करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम

309. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(2) सरकार द्वारा करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों में मलेरिया व मच्छर जनित अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु क्या-क्या उपाय किये गये?

(3) गत 3 वर्षों में उक्त जिलों के किन-किन ग्रामों में कब-कब फोगिंग की गई?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिलों के कई ग्राम ऐसे हैं जहां उक्त अवधि में एक बार भी फोगिंग नहीं करायी गयी है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के दिशा निर्देश के अनुसार समस्त उपाय किये जा रहे हैं।

एपीआई 2 व उससे ऊपर वाले हाई रिस्क क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 15 मई से 31 अक्टूबर तक 2 चक्रों में डी.डी.टी एवं अत्यधिक हाई रिस्क जिलों में अधिक प्रभावी कीटनाशक एल्फासाइपरमेथ्रीन का छिड़काव कराया जाता है।

प्रतिवर्ष दिनांक 01 अप्रैल से 14 मई तक मलेरिया क्रैश कार्यक्रम का प्रथम चरण एवं दिनांक 16 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक द्वितीय चरण चलाया जाता है, जिसके तहत फीवर सर्वे, एन्टीलार्वा, आई.ई.सी गतिविधियां तथा सोर्स रीडक्शन के कार्य किए जाते हैं।

नई औषधि नीति के अनुसार मलेरिया पी.वी. केसेसज को 14 दिन तक रेडिकल ट्रीटमेन्ट दिया जाता है। इस हेतु आशा सहयोगिनी को रु. 50/- प्रति आर.टी. का इन्सेन्टिव दिया जाता है एवं प्रत्येक पी.एफ. केस को एसीटी से तीन दिन उपचारित किया जाता है ताकि पी.एफ मलेरिया से मृत्यु को रोका जा सके। वर्ष 2012-13 में 100 एमपीडब्ल्यू (मेल) को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से अनुबन्ध पर रखा गया है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) सरकार द्वारा करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों में मलेरिया व मच्छर जनित अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु एन्टीलार्वल कार्यवाही के तहत कैमिकल एवं बायोलोजिकल तरीकों का उपयोग, अति संवेदनशील क्षेत्रों में कीटनाशक छिडकाव, गम्भीर किस्म के रोगी पाये जाने पर उनके घर के आसपास फोकस स्प्रे आदि कार्यवाही की गई है। मलेरिया एवं मच्छर जनित अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर सर्वे करवाकर तुरन्त ही आमूल उपचार उपलब्ध करवाया गया साथ ही सर्वे के दौरान घर-घर में मलेरिया व मच्छर जनित बीमारियों से बचने के उपायों का प्रचार-प्रसार किया गया।

(3) गत 3 वर्षो में करौली जिले में दिनांक 9.09.2009 को ग्राम पंचायत क्षेत्र राहिर, घसीमपुरा, निभैरा, खिजूरा, मरमदा, रायेबेली, नैनियाक, दौलतपुरा, धांधूरेत, दयारामपुरा आदि ग्रामों में फोगिंग करवाई गई एवं दिनांक 10.10.2010 को भोपुर, महस्वा, चांदन गांव, श्रीमहावीरजी, रौंसी, कैमला आदि ग्रामों में एवं दिनांक 1.10.2011 से 12.10.2011 तक जटवाड़ा दिनांक 22.10.2011 का भैंसा में तथा दिनांक 26.11.2011 को इनायति, गुलबपुरा, आदि गांव में फोगिंग करवाई गई एवं सवाई माधोपुर जिले में गत 3 वर्षो में फोंगिंग नहीं की गई।

(4) करौली एवं सवाई माधोपुर जिले के कई ग्राम ऐसे हैं जहां उक्त अवधि में एक बार भी फोगिंग नहीं कराई गई है। क्योंकि मलेरिया, डेंगू से अतिप्रभावित गांवों में ही फोगिंग मशीन द्वारा फोकल फोगिंग करवाये जाने का प्रावधान है।

श्रीगंगानगर जिले में नकली खाद, बीज व कीटनाशकों के विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही

310. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों को खाद, बीज व कीटनाशक नकली दिये जा रहे हैं? क्या सरकार द्वारा इसकी जांच करवाई गई है? यदि हां, तो कहां-कहां? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2011-12 में खाद, बीज व कीटनाशकों के 5 हजार 684 नमूने लिये गये थे? यदि हां, तो इनमें कितने नमूने अमानक पाये गये तथा सम्बन्धित फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(3) उक्त जिले में वर्ष 2009 से 2011 तक इस तरह के कितने नमूने लिए गए तथा कितने नमूने अमानक पाए गये? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में किसानों को मानक गुणवत्ता के खाद, बीज व कीटनाशक उपलब्ध कराये जाते हैं। सम्पूर्ण प्रदेश में खाद व कीटनाशक के 401 एवं बीज के 425 निरीक्षक, कृषि आदान निर्माताओं/विक्रेताओं का अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में निरन्तर निरीक्षण करते है, तथा गुणवत्ता हेतु नमूने आहरित कर अधिसूचित प्रयोगशालाओं से जांच कराते है। वर्ष 2011-12 में माह फरवरी 2012 तक जिलेवार आहरित, विश्लेषित एवं पाये गये मानक व अमानक नमूनों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2011-12 में खाद, बीज एवं कीटनाशकों के माह फरवरी 2012 तक कुल 1005 नमूने लिए गये। वर्ष 2011-12 में लिए गये व अमानक पाये गये नमूनों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। वर्ष 2011-12 में अमानक पाये गये नमूनों से सम्बन्धित फर्मो के विरुद्ध की गई कार्यवाही का तहसीलवार विवरण, खाद (उर्वरक) का परिशिष्ट 'ब-1' एवं बीज का परिशिष्ट 'ब-2' व कीटनाशक का परिशिष्ट 'ब-3' पर संलग्न है।

(3) श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2009 से 2011 तक खाद (उर्वरक) के 431, बीज के 945 व कीटनाशी के 391 इस प्रकार कुल 1767 नमूने लिए गये, जिसमें से खाद (उर्वरक) के 7, बीज के 10 एवं कीटनाशी के 8 इस प्रकार कुल 25 नमूने अमानक पाये गये। तहसीलवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में शीतलहर व पाले से हुए नुकसान का सर्वे

311. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में वर्तमान में शीतलहर व पाले से किस-किस तहसील में सरसों की फसल का कितना नुकसान हुआ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया गया? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शीतलहर व पाले से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अलवर में वर्तमान में शीतलहर व पाले से सरसों की फसल में हुये खराबे का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2012 से 05 मार्च, 2012 तक रबी फसल सम्वत 2068 की गिरदावरी करवाई गई है।

(3) पाला एवं शीतलहर से फसलों के खराबे पर राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.03.2012 को राहत पैकेज जारी किया गया है जिसके तहत पात्र किसानों को सहायता प्रदान की जावेगी। उक्त पैकेज की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नसीराबाद की सड़कों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण

312. श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार मांगलियावास से पीसांगन व पीसांगन से गोविन्दगढ़ सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के प्रस्ताव सरकार के पास प्रेषित किये जाने के बावजूद भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की कौन-कौन सी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मांगलियावास से पीसांगन एम.डी.आर. संख्या 39 की 19.00 कि.मी. लम्बाई में से 4.50 कि.मी. में केरिज वे की चौड़ाई 7.00 मीटर, 5.00 कि.मी. में 5.50 मीटर एवं 9.50 कि.मी. में 3.00 मीटर है। इस सड़क की 9.50 कि.मी. लम्बाई को 3.00 मीटर से 5.50 मीटर चौड़ा किये जाने हेतु स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

पीसांगन से गोविन्दगढ़ एम.डी.आर. संख्या 39 की 13.00 कि.मी. लम्बाई में कैरिज वे की चौड़ाई 3.00 मीटर है। इस सड़क का चौड़ाईकरण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकतानुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) मांगलियावास से पीसांगन सड़क की 3.00 मीटर चौड़ाई के 9.50 कि.मी. लम्बाई को 5.50 मीटर चौड़ा किये जाने की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। भविष्य में दोनों सड़कों का और अधिक चौड़ाईकरण भारतीय सड़क कांग्रेस की विशिष्ठी संख्या 64-1990 में निहित मापदण्डानुसार राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्पमरिक प्राथमिकतानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की 2 सड़कों पर रोड कांग्रेस विशिष्ठी संख्या 64-1990 में निहित मापदण्डानुसार चौड़ाईकरण की आवश्यकता है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। इन सड़कों पर चौड़ाईकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकतानुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा नसीराबाद में सड़कों की वर्तमान चौड़ाई एवं यातायात घनत्व का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	वर्गीकरण	कुल लम्बाई (कि.मी.)	चैनेजवाइज वर्तमान सड़क की चौड़ाई		पी.सी.यू.
				चैनेज	कैरिजवे की चौड़ाई (मीटर)	
1.	मांगलियावास-पीसांगन सड़क	एम.डी. आर.-39	19.00	24/0 से 28/500	7.00	12112
				28/500 से 33/0	3.00	
				33/0 से 36/0	5.50	
				36/0 से 41/0	3.00	
				41/0 से 43/0	5.50	
2.	पीसांगन से गोविन्दगढ़ सड़क	एम.डी. आर.-39	13.00	43/0 से 56/0	3.00	12112

बड़ी सादड़ी के पिण्ड बांध का अपूर्ण निर्माण कार्य

313. श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पिण्ड बांध का शिलान्यास किया गया था? यदि हां, तो कब, किस योजना में एवं किन के द्वारा व किन अधिकारियों की उपस्थिति में? उक्त बांध बाबत तैयार प्रस्ताव, तरबमीना, तकनीकी रिपोर्ट, आवक जावक फीडर्स, नहरों, एस्टीमेट कार्य प्रारम्भ व पूर्ण करने की तिथि, संवेदक के नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में पिण्ड बांध का कार्य अपूर्ण है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त बांध के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। परियोजना का शिलान्यास लघु सिंचाई मद में दिनांक 23.08.2008 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा किया गया जिसमें तत्कातलीन गृह मंत्री, जल संसाधन मंत्री व राज्य मंत्री, तत्कालीन स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक सहित विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

परियोजना की संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 2032.29 लाख की दिनांक 09.07.2008 को जारी की गई। बांध की तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 509.90 लाख की दिनांक 23.07.2008 को जारी की गई। पर्याप्त वित्तीय पोषण के अभाव में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। तखमीने की लागत सार की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया।

(3) जी हां। राज्य जल नीति के अनुसार माइक्रोशेड आधार पर परियोजना की हाइड्रोलोजी की गणना के आधार पर यदि योजना आर्थिक एवं तकनीकी रूप से उपादेय पाई गई तो कार्य प्रारम्भ करने पर विचार किया जावेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अनूपगढ़ में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

314. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनूपगढ़ में राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया था? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय अभी तक नहीं खोला गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब अनूपगढ में उक्त महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 13.06.1997 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने अनूपगढ़ में राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास किया था।

(2) जी हां। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को मद्देनजर रखते हुये राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला जा सका।

(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प6(2)शिक्षा/2011 दिनांक 24-2-2012 के द्वारा अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) में राजकीय स्नातक महाविद्यालय (कला संकाय) संचालन की सशर्त सहमति प्रदान की है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24-02-2012 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"अ"

राजस्थान सरकार

क्रमांक : प.6(2) शिक्षा/ग्रुप-3/2011 जयपुर, दिनांक 24 फरवरी, 2012

शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

निदेशक,

कालेज शिक्षा,

राजस्थान, जयपुर।

विषय :—अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में राजकीय स्नातक महाविद्यालय कला संकाय के संचालन की सहमति बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने उनके आदेश संख्या एफ 2(3)(51)/राजस्व/96/3911 दिनांक 09.05.1997 के द्वारा ग्राम 1 एमएसआर, तहसील अनूपगढ़ के मुरबा नं. 52 व 53 रकबा 48 बीघा (30 एकड़) का राजकीय महाविद्यालय, अनूपगढ़ की स्थापना हेतु भूमि का आबंटन किया गया था।

उक्त भूमि पर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा शिक्षण संस्थान प्रबंध समिति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर को महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण की अनुमति भी प्रदान की जा चुकी है।

शिक्षण संस्थान प्रबंध समिति अनूपगढ़ द्वारा उक्त आबंटित भूमि पर निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा अनुमोदित साइट प्लान के अनुसार महाविद्यालय के संचालन हेतु भवन निर्माण करवाया जाकर हस्तान्तरित किये जाने की स्थिति में राजकीय स्नातक महाविद्यालय (कला संकाय) खोलने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त सहमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय का भवन निर्माण व अन्य सभी सुविधाओं (महाविद्यालय के संचालन के संदर्भ में) के पूर्ण होने के उपरान्त राज्य सरकार को भवन समर्पित करने के वर्ष में महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार भवन निर्माण पूर्ण किया जाकर निदेशालय को हस्तान्तरित करने के बाद ही महाविद्यालय के संचालन हेतु पदों के सृजन एवं वित्तीय आवश्यकताओं के प्रावधान बाबत् कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सहमति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 101200357 दिनांक 16.02.2012 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय
(सलविन्द्र सिंह)
शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा

बामनवास में नियम विरुद्ध आबंटित इन्दिरा आवास

315. श्री नवलकिशोर (बामनवास) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2012 तक विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कितने बी.पी.एल. परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बी.पी.एल. परिवारों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने के क्या मानदण्ड हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पंचायत समिति बामनवास एवं बौंली में नियमों के विरुद्ध इन्दिरा आवास देने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा कौन-कौन दोषी पाये गये एवं दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) वर्ष दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2012 तक विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बी.पी.एल. परिवारों को इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

ब्लाक बामनवास			ब्लाक बौंली		कुल योग	
वर्ष	इन्दिरा आ. योजना	मु.मं.ग्रा. बी.आ. यो.	इन्दिरा आ. योजना	मु.मं.ग्रा. बी.आ.यो.	इन्दिरा आ. योजना	मु.मं.ग्रा. बी.आ.यो.
दिसम्बर, 2008 से मार्च, 2009 तक	426	—	238	—	664	—
2009-10	721	—	141	—	862	—
2010-11	217	—	715	—	932	—
2011-12 (फरवरी, 12 तक)	214	1159	300	1612	514	2771
योग	**1578**	**1159**	**1394**	**1612**	**2972**	**2771**

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) इन्दिरा आवास योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार बी.पी.एल. परिवारों को इन्दिरा आवास निर्माण हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 28 अप्रैल, 2011 की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 2011-12 में मुख्यतया 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो ग्राम पंचायत बागडोली व मोरन पंचायत समिति-बौंली तथा ग्राम पंचायत-जाहिरा पंचायत समिति-बामनवास से सम्बन्धित है। जिला परिषद स्तर से इनकी जांच/परीक्षण किया गया । ग्राम पंचायत-जाहिरा के प्रकरण में शिकायत सही पाये जाने पर उत्तरदायी ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री वेद प्रकाश शर्मा को दिनांक 01.02.2012 को निलम्बित किया गया था तथा दिनांक 22.02.2012 को इनकी जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल किया गया। ग्राम पंचायत बागडोली के प्रकरण में शिकायत आंशिक रूप से सही पाये जाने पर सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के खिलाफ सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सांभर साल्ट लिमिटेड को नियम विरुद्ध विद्युत कनेक्शन

316. श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एम.आई.पी. औद्योगिक श्रेणी में विद्युत कनेक्शन देने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम, नावां द्वारा नियमों की अवहेलना कर वर्ष 2007 में सांभर साल्ट लिमिटेड को कनेक्शन जारी किए गए हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है सांभर साल्ट लिमिटेड को उक्त निगम द्वारा वर्ष 2007 में जिस जगह के कनेक्शन दिए गए हैं वह भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज है और उक्त भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है? यदि हां, तो उक्त कनेक्शन जारी क्यों किए गये? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

(4) क्या सरकार उक्त सांभर साल्ट लिमिटेड को अवैध रूप से जारी कनेक्शनों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त सांभर साल्ट लिमिटेड को अवैध रूप से कनेक्शन जारी करने व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन-2004 के अनुरूप एम.आई.पी. औद्योगिक श्रेणी में विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। प्रावधान की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कनेक्शन नहीं जारी करने हेतु कोई स्टे सम्बन्धी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) कनेक्शन वैध रूप से जारी किया गया है।

(5) उपरोक्तानुसार।

प्रपत्र "अ"

विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन-2004 के उद्धरण

बिन्दु संख्या 2

उपभोक्ता की श्रेणी तथा सेवा का अभिलक्षण

उपभोक्ता की श्रेणी	सेवा का अभिलक्षण	
(f) मध्यम औद्योगिक	(i) 18.65 कि.वा. (25 एच.पी.) से अधिक तथा 112 कि.वा. (150 एच.पी. तक) सम्बद्ध भार लेकिन संविदा/ वास्तविक मांग 50 केवीए तक रहती हो।	(i) एल.टी. तीन फेज

उपभोक्ता की श्रेणी	सेवा का अभिलक्षण	
	(iI) 18.65 कि.वा. (25 एच.पी.) से अधिक तथा 112 कि.वा. (150 एच.पी. तक) सम्बद्ध भार तक, लेकिन संविदा/वास्तविक मांग 50 केवीए से अधिक तथा 125 केवीए तक रहती हो।	(ii) एच.टी. 11 केवी

सागवाड़ा के पंडित दीनदयाल चिकित्सालय में रिक्त पद

317. श्री सुरेन्द्र कुमार (सागवाडा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सागवाडा में उप खण्ड स्तरीय पंडित दीनदयाल चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाडा में चिकित्सकों के 14 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का रिक्ती दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है। विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अर्थना भेजी जा चुकी है, चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर यथा सम्भव रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त/ पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथा सम्भव प्राथमिकता/ आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट 'अ'

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाडा में चिकित्सकों के रिक्त पदों का रिक्ती दिनांक सहित विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती दिनांक
1	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	1	01.07.2008
2	वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	02.02.2012
3	वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	19.08.2010
4	कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी)	1	01.07.2011
5	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मनोरोग)	1	01.07.2011
6	कनिष्ठ विशेषज्ञ (चर्म रोग)	1	01.07.2011
7	कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)	1	31.01.2007
8	कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त)	1	01.11.2010
9	कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग)	1	30.11.2010
10	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	28.10.2010 06.01.2011
11	चिकित्सा अधिकारी	2	01.05.2007 12.01.2011
12	चिकित्सा अधिकारी दन्त	1	01.04.2010
	योग :-	**14**	

परबतसर में कृषि क्षेत्र के विस्तार हेतु कार्य योजना

318. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मानसिंह)

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षो में राज्य में कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र परबतसर की कृषि भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा राज्य में कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए कई कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र परबतसर में क्या-क्या कार्य किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य में गत 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है।

राज्य में 5 वर्षों का भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष	क्षेत्र (लाख है. में)
2007-08	218.49
2008-09	224.42
2009-10	219.46 (वर्षा की कमी के कारण क्षेत्र में कमी)
2010-11	257.32
2011-12	249.93 (राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रथम अनुमानों के आधार पर)

विधान सभा क्षेत्र परबतसर का गत 5 वर्षों का फसल बुवाई भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष	क्षेत्र (क्षेत्र है. में)
2007-08	68962
2008-09	83338
2009-10	60250 (वर्षा की कमी के कारण क्षेत्र में कमी)
2010-11	99618
2011-12	90706

विधान सभा क्षेत्र परबतसर का खरीफ, रबी व जायद के क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रगति के लिए राज्य योजनाओं के अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के तहत कृषकों को तकनीकी

(कृषि मंत्री)

जानकारी देना तथा उन्नत किस्म के आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना व प्रदर्शनों के माध्यम से तकनीकी ज्ञान को प्रदर्शित करना आदि कार्य किये गये हैं। कृषकों को विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान पर कृषि आदान, मिनिकिट, प्रदर्शन, कृषि यंत्र, पौध संरक्षण उपकरण आदि उपलब्ध करवाये गये हैं। विधान सभा क्षेत्र परबतसर में विगत 5 वर्षों में क्रियान्वित की गई विभागीय योजनाओं के साथ-साथ वर्षवार लाभान्वित कृषकों की संख्या परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

वर्ष	विधान सभा क्षेत्र परबतसर का खरीफ, रबी व जायद के क्षेत्र का विवरण (है. में)			योग
	खरीफ	रबी	जायद	
2007-08	58520	10442	—	68962
2008-09	67865	15431	42	83338
2009-10	46199	14015	36	60250
2010-11	78594	20998	26	99618
2011-12	78162	12504	40	90706

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्र परबतसर में कृषि विभागीय योजनाओं में 5 वर्षों की प्रगति

क्र. सं.	गतिविधियां	वर्षवार लाभान्वित कृषकों की संख्या				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1.	फव्वारा संयंत्र वितरण	81	117	270	351	9
2.	पाइप लाइन पर अनुदान	8	50	61	55	72
3.	डिप अनुदान	0	0	1	16	0
4.	मिनी स्प्रिंकलर	0	0	0	7	0
5.	कृषि यंत्र वितरण	5	24	32	65	10
6.	पौ. सं. यंत्र वितरण	0	25	90	295	75

1	2	3	4	5	6	7
7.	जल हौज निर्माण	0	0	10	12	10
8.	खेत तलाई	0	0	0	0	15
9.	वर्मी कम्पोस्ट इकाई	0	1	2	0	0
10.	सघन कदन्न संवर्द्धन प्रदर्शन	0	0	0	0	4000
11.	ए 3पी मूंग प्रदर्शन	0	0	0	1000	1000
12.	जीरा मैथी प्रदर्शन क्षेत्र (है.)	50	30	20	6	41
13.	चारा मिनिकट वितरण	0	0	3920	2489	7160
14.	बीटी काटन प्रदर्शन	0	0	20	0	46
15.	कृषक प्रशिक्षण शिविर	10	11	10	12	12
16.	टंकियों पर अनुदान	0	0	0	124	0
17.	खरीफ में नि:शुल्क बीज मिनिकट	500	650	1370	1236	1223
18.	रबी में नि:शुल्क बीज मिनिकट	650	1991	1890	3995	2074
19.	जायद हेतु नि:शुल्क चारा बीज मिनिकट	80	100	120	2500	800
20.	फलदार पौधों पर अनुदान	0	0	275	33	2
21.	मिट्टी नमूना परीक्षण	1100	1380	1550	1750	2070
22.	मौसम से पूर्व खरीफ/रबी अभियान	46	46	46	46	46
23.	सूक्ष्म तत्व प्रदर्शन (है.)	0	0	100	100	100
24.	कृषक पुरूस्कार वितरण	0	0	2	2	2
25.	अन्तरराज्यीय कृषक भ्रमण	0	0	1	1	1
26.	फार्म स्कूल आयोजन	0	0	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
27.	आत्मा योजनान्तर्गत प्रदर्शन	0	0	14	30	23

पाली जिले में अग्नि काण्ड प्रभावितों को सहायता के लम्बित प्रकरण

319. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में 01 जनवरी, 2011 से फरवरी, 2012 तक किस-किस तहसील में आगजनी के कितने प्रकरण घटित हुए?

(2) उक्त प्रकरणों में किस-किस व्यक्ति का कितना-कितना नुकसान हुआ तथा सरकारी सहायता हेतु उसने कब-कब आवेदन किया एवं उन्हें कितनी-कितनी सहायता राशि कितनी-कितनी अवधि में उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले की किस-किस तहसील में कौन-कौन से प्रकरण, कितने -कितने समय से किन-किन कारणों से लम्बित हैं एवं इन्हें सहायता राशि कितनी अवधि में उपलब्ध करा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आगजनी के प्रकरणों का निस्तारण अत्यधिक विलम्ब से होता है एवं सहायता राशि भी नुकसान की तुलना में बहुत कम दी जाती है?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में तत्काल सहायता राशि देने एवं सहायता राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि में एवं कितनी वृद्धि और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि सहायता राशि स्वीकृत करने या नहीं करने एवं कितनी सहायता राशि स्वीकृत की जानी है, के सम्बन्ध में कोई मानदंड निर्धारित नहीं है? क्या सरकार आगजनी में हुये नुकसान के एवज में राशि देने के मानदंड निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला पाली में 01 जनवरी, 2011 से 29.02.11 तक तहसीलवार हुए अग्नि काण्डों का विवरण निम्नानुसार हैः-

(सहायता मंत्री)

क्र.सं.	तहसील	प्रकरणों की संख्या
1.	पाली	14
2.	रोहट	17
3.	बाली	9
4.	देसूरी	3
5.	सुमेरपुर	2
6.	सोजत	19
7.	मा. जंक्शन	10
8.	जैतारण	12
9.	रायपुर	9

(2) व्यक्तिवार हुए नुकसान, उन्हें दी गई सहायता का विवरण परिशिष्टि-"अ" पर संलग्न है।

(3) लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम एवं लम्बित रहने के कारणों का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है। लम्बित रहने के कारणों की पूर्ति होने पर भुगतान किया जाना सम्भव होगा।

(4) जांच प्रक्रिया पूर्ण होते ही निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता राशि का यथा समय भुगतान कर दिया जाता है।

(5) भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.01.2012 से प्राकृतिक अग्नि काण्डों से पीडितों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ा दिया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(6) जी नहीं। प्राकृतिक अग्नि काण्ड से पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि के मानदण्ड भारत सरकार द्वारा पूर्व से ही निर्धारित हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले को चम्बल से पेयजल आपूर्ति

320. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये कितनी-कितनी राशि की कौन-कौनसी वृहत व लघु पेयजल परियोजनायें प्रस्तावित/विचाराधीन हैं? परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(2) उक्त परियोजनाओं पर कब से कार्य चल रहा है, कब तक कार्य पूर्ण होना था तथा वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है? परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चम्बल से भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति करने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है? योजना की अनुमानित लागत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त परियोजना से मार्ग में आने वाले शहरों/गांवों को भी पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी मात्रा में? नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 28 वृहद् एवं लघु पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को समयबद्ध कार्य योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) उपरोक्तानुसार 28 पेयजल परियोजनाओं के कार्य वर्ष 2012-13 में प्रारम्भ कर इनमें से 27 पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत तक तथा इंदिरा गांधी नहर से प्रस्तावित लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर पेयजल परियोजना के कार्यों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। चम्बल-भीलवाड़ा वृहद् पेयजल परियोजना से भीलवाड़ा शहर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राशि रुपये 727.99 करोड़ का ऋण नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। परियोजना के दो पैकेज क्रमश: राशि रुपये 223 करोड़ एवं 255 करोड़ के कार्यों की निविदाएं (जिसमें चम्बल से भीलवाड़ा शहर तक मुख्य आधारभूत संरचना के कार्य सम्मिलित हैं) आमंत्रित की जा चुकी हैं। निविदा व कार्यादेश सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। उक्तानुसार स्वीकृत योजना अन्तर्गत चम्बल से भीलवाड़ा शहर तक मुख्य आधारभूत संरचना कार्य विकसित किये जाकर केवल भीलवाड़ा शहर को लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

शेष गांवों व शहरों की परियोजनाएं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों, जल की उपलब्धता व तकनीकी फीजिबिलिटी के आधार पर यथा समय तैयार कर लागू की जायेंगी ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खींवसर (नागौर) तहसील में आबंटित भूमि के खातेदारी अधिकार

321. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील खींवसर जिला नागौर के किसानों को वर्ष 2002 में भूमि आबंटन के बाद आज तक खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) अब शेष किसानों को खातेदारी अधिकार कब तक दे दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि तहसील क्षेत्र खींवसर जिला नागौर में वर्ष 2002 में राजस्व अभियान के दौरान उप खण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा 98 आबंटन/नियमन किये गये। जिनमें से 28 मामलों में सनद जारी होने से खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। शेष रहे 70 प्रकरणों में से 5 प्रकरणों में आबंटन योग्य नहीं होने से खारिज की कार्यवाही नियम 14(4) के अन्तर्गत की जा रही है।

(2) तहसील खींवसर में शेष रहे 65 प्रकरणों में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.7(10) राज-6/2002 दिनांक 23.5.2002 के अनुसार व परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज-6/97 दिनांक 28.5.2002 व 31.7.2002 के अनुसार केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जोधपुर द्वारा भूमियों की श्रेणी निर्धारित नहीं की गई व तहसील स्तरीय भू चिन्हीकरण समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन नहीं होने से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

प्रकरणों में तहसील स्तरीय भू चिन्हीकरण समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया गया व दिनांक 17.2.2012 को जिला स्तरीय अलाटमेंट क्लीयरेंस कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया गया है।

(राजस्व मंत्री)

सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन हेतु आबंटन समिति की बैठक आयोजन हेतु जिला कलक्टर, नागौर के पत्रांक एफ.12( ) राजस्व/2007/1491 दिनांक 1.3.2012 (प्रति संलग्न) परिशिष्ट 'अ' के द्वारा बैठक की तिथि निश्चित करने हेतु लिखा गया। शेष किसानों के प्रकरण सम्भागीय स्तरीय बैठक में प्रस्तुत कर कमेटी के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी। समिति की बैठक विधान सभा सत्र के बाद आयोजित किया जाना सम्भव होगा। अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर के पत्र क्रमांक 3551 दिनांक 20.03.12 की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय जिला कलक्टर, नागौर

क्रमांक : एफ.12( ) राजस्व/2007/1491 दिनांक : 1-3-12

प्रेषिति,

श्रीमान् अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,

अजमेर।

विषय : मरूस्थलीय जिलों में आबंटन व नियमन पर लगे प्रतिबंध में शिथिलता के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्र सं. प.8(3)/भू.अ./2012/1914 दिनांक 15.2.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसंग से सम्भागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदन हेतु आबंटन समिति की बैठक अतिशीघ्र बुलाये जाने के निर्देश हैं। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि वर्तमान में विधान सभा बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र दौरान बैठक आयोजन करने के सम्बन्ध में श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय से उक्त बैठक आयोजन की तिथि निर्धारण कराने का श्रम करावें ताकि सम्बन्धित सदस्यों को बैठक की तिथि की सूचना भिजवाई जा सके।

भवदीय,

ह./-

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

नागौर

परिशिष्ट-ब

कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

क्रमांक : प.8(म.भू.आ.)/भू.अ./2012/3551   दिनांक : 20-03-2012

जिला कलक्टर,
नागौर।

विषय : मरूस्थलीय जिलों में आबंटन व नियमन पर लगे प्रतिबंध में शिथिलता के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक एफ.12( )/राजस्व/2007/1491 दिनांक 1.3.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में निर्देशानुसार निवेदन है कि माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदन हेतु आबंटन समिति की बैठक विधान सभा के आगामी सत्र के बाद सम्भव होगी। सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,
ह./-
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
अजमेर

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

322. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में तहसील मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में निजी प्रबंधन द्वारा 2 महिला महाविद्यालय तथा 4 सहशिक्षा महाविद्यालय संचालित हैं। सीमित संसाधनों के कारण तहसील मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में सरकारी महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

कोटड़ा तहसील में नान्दी फाउंडेशन द्वारा निर्मित रसोई घर

323. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल के कोटड़ा तहसील में नान्दी फाउण्डेशन द्वारा निर्मित रसोई घर की शुरूआत नहीं हुई है? क्या सरकार उक्त रसोई को प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल के कोटड़ा तहसील में सांसद एवं विधायक कोष सहायता से निर्मित केन्द्रीयकृत रसोईघर की शुरूआत नहीं हुई है। उक्त केन्द्रीयकृत रसोई घर से कार्यक्रम अन्तर्गत पोषाहार वितरण का कार्य नान्दी फाउण्डेशन के माध्यम से किया जाना था। केन्द्रीयकृत रसोईघर के प्रारम्भ नहीं होने सम्बन्धी तथ्यात्मक सूचना का विस्तृत नोट परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जी हां। उक्त रसोई घर को शीघ्र प्रारम्भ करने की कार्य योजना परिशिष्ट-अ के बिन्दु संख्या 3 में संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम

(Mid Day Meal Scheme)

नोट

1. विधान सभा क्षेत्र झाडोल के अन्तर्गत पंचायत समिति मुख्यालय कोटडा पर केन्द्रीयकृत रसोईघर का निर्माण नान्दी फाउण्डेशन के साथ निष्पादित किये गये एम.ओ.यू. दिनांक 17.02.2006 के अनुसार कराया गया है। इस केन्द्रीयकृत रसोईघर का निर्माण सांसद स्थानीय विकास कोष की राशि 15.00 लाख तथा विधायक विकास कोष की राशि 8.32 लाख कुल 23.32 लाख रुपये से कराया गया है। किचनशेड का निर्माण अगस्त 2007 में पूर्ण हो गया था। इस रसोईघर में दो बडे हाल, एक रसोईघर तथा दो कमरे निर्मित हैं। नान्दी फाउण्डेशन को उनसे हुए एम.ओ.यू. के अनुसार चेक संख्या 704278 दिनांक 28.01.2006 राशि

5.00 लाख सिंघल फाउण्डेशन के सहयोग से एवं चेक संख्या 4202 दिनांक 31.03.2006 से 5.00 लाख की राशि एच.पी.सी.एल. के सहयोग से दिलाई गई। इस प्रकार नान्दी फाउण्ड़ेशन को वर्ष 2006 से इस केन्द्रीयकृत रसोईघर से मिड-डे-मील कार्यक्रम संचालन के लिए 10.00 लाख की राशि जन सहयोग से उपलब्ध कराई गई।

2. विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडा इस केन्द्रीयकृत रसोईघर के निर्माण में कार्यकारी एजेन्सी थे, उनकी ओर से नान्दी फाउण्डेशन को भवन चार्ज में लेने तथा केन्द्रीयकृत रसोईघर आरमभ करने हेतु दिनांक 6.12.07, 17.01.08, 05.06.08 एवं 01.09.08 को पत्र लिखे गये। इस प्रकार जिला परिषद उदयपुर से भी नान्दी फाउण्डेशन को पत्रांक: 382 दिनांक 30.01.09 एवं पत्रांक: 475 दिनांक 08.02.12 को इस सम्बन्ध में पत्र लिखे गये। निष्पादित एम.ओ.यू. के अनुसार फण्ड मोबलाइजेशन से 45 दिवस में नान्दी फाउण्डेशन को इस केन्द्रीयकृत रसोईघर को आरम्भ कर संचालित करना था। नान्दी फाउण्डेशन द्वारा रसोईघर संचालित नहीं करने पर जिला परिषद उदयपुर की ओर से 13.01.2009 को आयुक्तालय, मिड-डे-मील कार्यक्रम, जयपुर को नान्दी फाउण्ड़ेशन से कार्यवाही कराने हेतु पत्र लिखा गया। दिनांक 07.02.2009 को इसी क्रम में नान्दी फाउण्डेशन के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया गया एवं वर्ष 2007 में पूर्ण हुए निर्माण कार्य को चार्ज में नहीं लेने के स्थान पर भवन छोटा होने, स्थान पर्याप्त नहीं होने, चारदीवारी नहीं होने, पेयजल व्यवस्था किचन से दूर होने, बिजली फिटिंग से सम्बन्धित कार्य अवशेष होने, गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने, गैस सिलेण्डर की उपलब्धता नहीं होने तथा कर्मचारियों के लिए बनाये गये कमरे छोटे होने के आक्षेप लगाते हुए भवन का कब्जा नहीं लिया गया। नान्दी फाउण्डेशन को एम.ओ.यू. के अनुसार जन सहयोग से प्राप्त फण्ड मोबालाइज किये जाने के पश्चात भी रसोईघर को प्रारम्भ नहीं किया गया। नान्दी फाउण्डेशन द्वारा लगाये गये आक्षेपों के क्रम में जिला परिषद, उदयपुर से विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडा को कमियां दूर कराने के निर्देश पत्र क्रमांक: 1071 दिनांक 31.03.09, 222/29.01.10, 474/08.02.12 एवं 1199 दिनांक 16.3.2012 से दिये गये।

3. दिनांक 22.3.2012 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के साथ जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर तथा नान्दी फाउण्डेशन के प्रतिनिधियों

के साथ मिड-डे-मील की समीक्षा बैठक में पंचायत समिति मुख्यालय कोटडा पर उक्त केन्द्रीयकृत रसोईघर आरम्भ एवं संचालित करने पर भी विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर द्वारा दिनांक 27.03.2012 को कोटडा जाकर भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि इस भवन की मरम्मत करा रसोईघर संचालन की स्थिति में लाने हेतु प्रारम्भिकरूप से मरम्मत एवं चारदीवारी निर्माण के लिए लगभग 6.00 लाख रुपये की आवश्यकता रहेगी। जयपुर बैठक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, उदयपुर के इस निरीक्षण के क्रम में इस केन्द्रीयकृत रसोईघर की मरम्मत, चारदिवारी निर्माण, अन्य कमियों को दूर करा इसे नान्दी फाउण्डेशन को देकर संचालित कराने के प्रस्तावों की तैयारी हेतु जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा उप खण्ड अधिकारी कोटडा की अध्यक्षता में विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटडा, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कोटडा एवं प्रतिनिधि, नान्दी फाउण्डेशन को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जा रहा है जो 15 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तावों एवं अभिशंषा सहित जिला कलक्टर उदयपुर को प्रस्तुत करेगी। तदानुसार इस केन्द्रीयकृत रसोईघर को नान्दी फाउण्डेशन के माध्यम से प्रारम्भ एवं संचालित कराने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

डेगाना की क्षतिग्रस्त पाइप लाइनें

324. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना के क्षतिग्रस्त भू-तल जलाशयों की सरकार द्वारा मरम्मत नहीं करवाई गई तथा न ही क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदला गया? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त जलाशयों एवं क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों जिन्हें बदला जाना है की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त जलाशयों की मरम्मत करवाने व पाइप लाइनों को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त कार्य अब तक पूरा नहीं करवाने हेतु कौन-कौन दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध व कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में 24 क्षतिग्रस्त भू-तल जलाशयों की मरम्मत के प्रस्तावों की स्वीकृति उपरान्त इनका मरम्मत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विभिन्न ग्रामीण जल योजनाओं अन्तर्गत चिन्हित किये गये 20 क्षतिग्रस्त भू-तल जलाशयों की मरम्मत तथा लगभग 10500 मीटर क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। वांछित विवरण परिशिष्ट --ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त वर्णित कार्यों हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाकर इनकी स्वीकृति जारी करने के उपरांत इसी वित्तीय वर्ष में क्रियान्वयन पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) उपरोक्तानुसार, कोई दोषी नहीं है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार पेयजल संवर्धन एवं सुधार सम्बन्धी कार्य प्राथमिकता पर सतत प्रक्रिया के तहत कराये जा रहे हैं ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर (भरतपुर) के आयुर्वेदिक औषधालय हेतु भवन निर्माण

325. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा नगर में एक आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उसके भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की जाने के उपरान्त भी अब तक भवन नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार उक्त आयुर्वेदिक औषधालय हेतु शीघ्र भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा नगर में एक आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत है।

भवन निर्माण की स्वीकृति दिनांक 16.07.2010 को जारी हुई थी परन्तु दिनांक 28.09.2011 तक भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण भवन

(आयुर्वेद मंत्री)

निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही नही हो सकी। दिनांक 28.09.2011 को आयुष विभाग, भारत सरकार ने एक पत्र जारी कर निर्देश दिये कि वर्ष 2002-03 से 2010-2011 तक आबंटित ग्रान्ट में से दिनांक 30.09.2011 तक की अनकमेटेड/अनस्पेन्ट राशि की बकाया राशि की समीक्षा कर वर्ष 2011-12 के लिये कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (पीआईपी) तैयार की जावे। इसकी पालना में जिन भवनों की स्वीकृति के उपरान्त कतिपय कारणों से भवन निर्माण नहीं हो सका उनकी स्वीकृति निरस्त की जाकर अवशिष्ट राशि को पीआईपी में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार नगर स्थित औषधालय भवन की स्वीकृति निरस्त की गई।

(2) नगर स्थित औषधालय भवन के लिये अब जिला कलक्टर, भरतपुर ने नजूल सम्पत्ति में से दिनांक 19.12.2011 को भूमि आबंटित कर दी है। इस वर्ष पुनः प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये जायेंगे। स्वीकृत होने पर राशि आबंटित की जा सकेगी।

सोजत के खरीफ फसल के बीमा धारकों को मुआवजा

326. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2009 से फरवरी, 2012 तक जिला पाली में खरीफ व रबी की फसलों का बीमा किया गया है?

(2) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र सोजत के कितने कृषकों के खरीफ व रबी की फसल का बीमा किया तथा फसलवार बीमा का प्रीमियम कितना लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के बीमाधारी कृषकों को खरीफ, रबी की फसलों के खराबे का मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ऋणी कृषकों के लिए फसलों का बीमा अनिवार्य एवं गैर ऋणी कृषकों के लिए स्वेच्छिक है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत में खरीफ एवं रबी फसलों के अन्तर्गत बीमित कृषकों से लिया गया प्रीमियम का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(3) जी हां। जिले में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू है, जिसमें मौसम संबंधी सूचनाएं (ट्रिगर) खरीफ फसलों के लिए वर्षा, सूखा दिवस एवं अधिक वर्षा तथा रबी फसलों के लिए न्यूनतम तापमान, बे-मौसमी वर्षा तथा अधिकतम तापमान के जोखिम निर्धारित है। निर्धारित सीमा से ट्रिगर का विचलन होने पर बीमित कृषकों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ तहसील में फसल खराबे से हुए नुकसान का मुआवजा

327. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर सम्भाग में शीतलहर में रबी की फसलों पर पाला पड़ने से काश्तकारों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितना-कितना नुकसान हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील शेरगढ़ में भी शीतलहर से फसलों पर पाला पड़ने से काश्तकारों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितना-कितना? क्या सरकार द्वारा नुकसान का सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त तहसील में काश्तकारों की खराब हुई फसल पर मुआवजा राशि का भुगतान किया है? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना भुगतान किया गया? क्या सरकार मुआवजा राशि वितरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार शीतलहर व पाला से हो रही फसलों के नुकसान के मुआवजे के लिये इसे सी.आर.एफ. में सम्मिलित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार शीतलहर व पाले से हुये नुकसान के लिये किसानों को विशेष पैकेज दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो क्यों?

(6) फसलों में हो रहे नुकसान के लिये मौसमी बीमा के क्या प्रावधान व मानदण्ड निर्धारित हैं? उक्त मानदण्डों अनुसार शीतलहर व पाले से हुए नुकसान के लिये किसानों को कितना-कितना दावा भुगतान किया जायेगा?

उत्तर

(1) सम्वत् 2068 फसल रबी गिरदावरी के अनुसार जोधपुर सम्भाग में शीतलहर व पाला पड़ने से फसलों को हुए नुकसान का विवरण परिशिष्ट- "अ" पर संलग्न है।

(2) सम्वत् 2068 फसल रबी गिरदावरी के अनुसार तहसील शेरगढ में पाला एवं शीतलहर से सरसों में 12, रायडा में 16, जीरा में 23 व ईसबगोल में 13 प्रतिशत फसल खराबा हुआ है। रिपोर्ट परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) पाला एवं शीतलहर से फसलों के खराबे पर राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.03.2012 को राहत पैकेज जारी किया गया है जिसके तहत पात्र किसानों को सहायता प्रदान की जावेगी।

(4) जी हां। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट- "स" पर संलग्न है।

(5) उक्त बिन्दु संख्या 03 के उत्तर के अनुरूप।

(6) फसलों में हो रहे नुकसान के लिए मौसमी बीमा के प्रावधान व मानदण्डों के अनुसार किसानों को दावा भुगतान किया जाता है, जिनकी प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नदबई के ग्रामों हेतु पेयजल योजना

564. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) की पंचायत समिति रूपवास के गांव पना, नगलाधौर, पुरा, कैमासी, रहीमपुर एवं शैरीकलां में खारे पानी की समस्या है? क्या सरकार द्वारा उक्त गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए कोई पेयजल स्कीम तैयार की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की पंचायत समिति रूपवास के गांव बरकोली व सहना में भी पेयजल समस्या है? क्या सरकार द्वारा उक्त गांवों के लिए भी कोई पेयजल योजना प्रस्तावित की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) की पंचायत रूपवास के वर्णित ग्रामों में वर्तमान पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था निम्नानुसार है:-

(अ) ग्राम पना : क्षेत्रीय जल योजना नगला बीजा-शेरीखुर्द-नगला तेरहियामाफी के अन्तर्गत लाभान्वित ग्राम पना में उक्त योजना से सार्वजनिक नलों के माध्यम से निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता अनुरूप वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(ब) ग्राम नगला धौर : विभागीय नीति अनुसार हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम नगला धौर में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा स्थापित एवं क्रियाशील क्रमश: एक-एक हैण्डपम्प से निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति होने के कारण वर्तमान में समस्या नहीं है।

(स) ग्राम पुरा : विभागीय नीति अनुसार हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम पुरा में स्थापित एवं क्रियाशील 4 हैण्डपम्पों से निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति होने के कारण वर्तमान में समस्या नहीं है।

(द) कैमासी : विभागीय नीति अनुसार हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम कैमासी में स्थापित एवं क्रियाशील 7 हैण्डपम्पों में से 4 हैण्डपम्पों में उपलब्ध भू-जल की गुणवत्ता निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होने के कारण वर्तमान में पेयजल समस्या नहीं है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(य) रहीमपुर : विभागीय नीति अनुसार हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम रहीमपुर में स्थापित एवं क्रियाशील 9 हैण्डपम्पों में से 5 हैण्डपम्पों में उपलब्ध भू-जल की गुणवत्ता निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होने के कारण वर्तमान में पेयजल समस्या नहीं है।

(र) शेरीकला : विभागीय नीति अनुसार हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम शेरीकला में स्थापित एवं क्रियाशील 6 हैण्डपम्पों में से 4 हैण्डपम्पों में उपलब्ध भू-जल की गुणवत्ता निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होने के कारण वर्तमान में पेयजल समस्या नहीं है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नदबई की पंचायत रूपवास के वर्णित ग्रामों में वर्तमान पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था निम्नानुसार है:-

(अ) बरकोली : विभागीय नीति अनुसार हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम बरकोली में स्थापित एवं क्रियाशील 8 हैण्डपम्पों में से 5 हैण्डपम्पों में उपलब्ध भू-जल की गुणवत्ता निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होने के कारण वर्तमान में पेयजल समस्या नहीं है ।

(ब) सहना : क्षेत्रीय जल योजना सहना-मामटोली-तेहरा ब्राह्मण के अन्तर्गत लाभान्वित ग्राम सहना में उक्त योजना से भू-तल जलाशय के माध्यम से निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति होने के कारण वर्तमान में कोई समस्या नहीं है।

बीसलपुर बांध में चम्बल नदी से जलापूर्ति हेतु कार्य योजना

565. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर की कुल कितनी जनसंख्या है एवं मानदण्ड अनुसार प्रतिदिन कितने पेयजल की आवश्यकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में सरकार द्वारा शहर की कुल जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या को प्रतिदिन कितना पेयजल किन-किन स्रोतों से उपलब्ध करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में जयपुर शहर में बीसलपुर परियोजना से भी पेयजल की आपूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो कितने लाख लीटर पेयजल प्रतिदिन?

(श्री कालीचरण सराफ)

(4) क्या यह भी सही है कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक बरसात पर निर्भर होने के कारण निरन्तर अनिश्चितता बनी रहती है जिसके कारण समय-समय पर पर्याप्त पेयजल आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है? क्या सरकार जयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति के स्थायी समाधान हेतु बीसलपुर परियोजना को चम्बल नदी से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व इसकी क्या कार्य योजना है और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभागीय आंकलन के अनुसार जयपुर शहर की पेयजल पाइप लाइनों से जुडी 27.98 लाख की जनसंख्या हेतु प्रतिदिन 4197 लाख लीटर पेयजल की आवश्यकता है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। बीसलपुर बांध से जयपुर शहर में वर्तमान में 2700 लाख लीटर प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

(4) जी हां। मानसून के जुलाई से सितम्बर माह में कोटा बैराज से छोड़े जाने वाले अतिरिक्त पानी को बीसलपुर बांध में लाने की सम्भावना पर विचार करने हेतु सलाहकार फर्म का चयन कर सम्भाव्यता रिपोर्ट एवं विस्तृत योजना बनाने का निर्णय माह अगस्त, 2011 में लिया गया है। सलाहकार फर्म के चयन हेतु निविदा प्रपत्र अनुमोदन की प्रक्रिया में है। सम्भाव्यता/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट "अ"

जयपुर शहर जल प्रदाय योजना का वर्तमान संक्षिप्त विवरण 02.04.2012

1.	जनसंख्या वर्ष 2001	:	23.74 लाख
2.	वर्तमान जनसंख्या लगभग	:	31.12 लाख
3.	पेयजल योजना से जुड़ी जनसंख्या (पाइप लाइन से जुडी हुई आबादी)	:	27.98 लाख
4.	जल आवश्यकता	:	4197 लाख लीटर
5.	जल उत्पादन	:	3776 लाख
	1. नलकूपों से	:	1051 लाख

	2. बीसलपुर स्रोत	: 2700 लाख लीटर
	3. हैण्डपम्पों से	: 10 लाख लीटर
	4. 125 एम.एम. नलकूप (176 नग)	: 15 लाख लीटर
6.	जल आपूर्ति उत्पादन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	: 135 लाख लीटर
7.	वर्तमान में स्थापित जल स्रोत-	:
	1. नलकूप	: 1804
	2. हैण्डपम्प (कार्यरत)	: 1072
	3. टैंकर ट्रिप्स प्रति दिन	: 768
	4. टैंकर द्वारा जल वितरण	: 30.72 लाख लीटर
	5. पीवीसी टैंकों की संख्या	: 510
	6. कुल सप्लाई जोनों की संख्या	: 162
8.	पेयजल शुद्धिकरण-	:
	1. रामगढ़ झील से प्राप्त पेयजल	: फिल्टर प्लांट द्वारा फिल्ट्रेशन एवं क्लोरीनेशन
	2. नलकूपों से प्राप्त पेयजल	: क्लोरीनेशन
9.	स्वच्छ जलाशयों की संख्या	: 78 नम्बर
10.	उच्च जलाशयों की संख्या	: 95 नम्बर
11.	जल सम्बन्ध	: December-11
	कुल जल सम्बन्ध	: 378830
	1. चालू जल सम्बन्ध	: 344090
	2. मीटर्ड जल सम्बन्ध	: 339375
	3. फ्लैट रेट चालू	: 4715
12.	घरेलू जल सम्बन्ध (चालू)	: 296374
13.	व्यावसायिक जल सम्बन्ध (चालू)	: 40863

14. औद्योगिक जल सम्बन्ध (चालू) : 2138

15. सार्वजनिक नल : 1170

16. बंद मीटर ½'' : 155895

पीलीबंगा उप खण्ड में जलापूर्ति हेतु योजना

566. श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी उप खण्ड, रावतसर (ग्रामीण) खण्ड कार्यालय नोहर के अधीन ग्राम पंचायत के ग्राम कनवाणी की डिगी में पानी आने वाला खाले का कनेक्शन टेल (अन्तिम छोर) पर है? क्या उक्त ग्रामीणों को आवश्यकता के अनुरूप पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे पीने के पानी की परेशानी बनी रहती है? क्या उक्त ग्राम की पीने के पानी की समस्या के निराकरण हेतु संशोधित योजना बनाकर प्रस्तावित की जा रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उप खण्ड पीलीबंगा की ग्राम पंचायत उमेवाला व उमेवाला के चक नन्देवाली ढाणी, फतेवाली ढाणी, बरागियों वाली ढाणी, केवलावाली के लिये पेयजल की व्यवस्था हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई है? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त ग्राम पंचायत उमेवाला व पंचायत के चकों में मात्र गोल छोटी-छोटी ठीगरियां हैं और उनमें कच्चे खाले से ग्रामीणों द्वारा ही पानी भरकर पेयजल व्य्वस्था की जा रही है? क्या जनता बगैर फिल्टर के ही पानी पीने के लिये विवश हो रही है? क्या सरकार इसी वर्ष में ग्राम पंचायत उमेवाला व ऊपर वर्णित चकों में पीने के पानी की स्कीम स्वीकृत करवाकर व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) उप खण्ड पीलीबंगा की कितनी ढाणियों एवं चकों में अब तक सरकार की पेयजल की योजना नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाइप्ड जल योजना से वर्तमान में लाभान्वित ग्राम कनवाणी हेतु रा-वाटर का मुख्य स्रोत इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कनवाणी माइनर है। इस जल योजना पर वर्तमान में पेयजल की समस्या नहीं है अपितु ग्रीष्मकाल

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)
में (जब नहरों में पानी केवल पेयजल के प्रयोजनार्थ छोड़ा जाता है) अन्तिम छोर पर रा-वाटर की उपलब्धता कम होने के कारण समस्या रहती है ।

उक्त समस्या के निराकरण हेतु अन्य वितरिका से आउटलेट लेकर प्रस्तावित योजना को भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जाकर ग्राम को इसी वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत उमेवाला के चक नन्देवाली ढाणी एवं फतेवाली ढाणी क्रमशः ग्रामीण जल योजना 38 एलएलडब्ल्यू-ए एवं 37 एलएलडब्ल्यू-बी से लाभान्वित हैं तथा इनमें उक्त जल योजनाओं से वर्तमान में सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2003 में ढाणियों हेतु किये गये सर्वेक्षण के अन्तर्गत बरागियों वाली एवं केवलावाली ढाणियां चिन्हित नहीं होने के कारण इनमें विभागीय पेयजल व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत उमेवाला के अन्तर्गत सम्मिलित समस्त 13 ग्राम विभिन्न विभागीय पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। विभाग द्वारा नहरी पानी को विभागीय डिग्गियों में एकत्रित कर फिल्टर्स के माध्यम से छनित कर क्लानरीनेशन के उपरान्त ही उक्त ग्रामों में स्वच्छ पेयजल वितरित किया जा रहा है। उक्त पंचायत के एक ग्राम 3 टीकेडब्ल्यू में पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए इस ग्राम को भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2003 में ढाणियों हेतु किये गये सर्वेक्षण में उप खण्ड पीलीबंगा की 27 चक/ढाणियां चिन्हित नहीं होने के कारण इनमें विभागीय पेयजल योजना नहीं है परन्तु ये चक/ढाणियां निजी जल स्रोतों से लाभान्वित हैं।

सामोद (जयपुर) में नवीन पाइप लाइन हेतु स्वीकृति

567. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम सामोद (जयपुर) के लिए पेयजल हेतु जी आई पाइप लाइन स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब व कितनी?

(श्री भगवान सहाय सैनी)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृति 2 वर्ष पहले जारी हुई थी? यदि हां, तो अब तक कार्य क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार उक्त स्वीकृत कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम सामोद स्थित पाइप लाइन में अनेक लीकेज लम्बे समय से चल रहे हैं, जिससे पानी व्यर्थ बह रहा है? यदि हां, तो कितने लीकेज कहां-कहां पर हैं?

(4) क्या सरकार उक्त लीकेज ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम सामोद की इन्द्रा कालोनी, रैगर कालोनी एवं हरिजन बस्ती में जल दबाव में आवश्यक सुधार हेतु विभिन्न व्यास की कुल 906 मीटर एम.एस. पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह अक्टूबर, 2010 में जारी की गई थी।

(2) उपरोक्तानुसार। तकनीकी एवं प्रक्रियागत कारणों से उक्त कार्य में विलम्ब अवश्य हुआ है लेकिन उक्त बस्तियों में स्थापित एवं क्रियाशील सिंगल फेज नलकूपों मय पी.वी.सी. टैंकों के माध्यम से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। स्वीकृत पाइप लाइन के कार्यों को आगामी दो माह में पूर्ण करा लिया जावेगा।

(3) जी नहीं। ग्राम सामोद की पाइप्ड जल योजना अन्तर्गत बिछी हुई राइजिंग एवं वितरण पाइप लाइनों में होने वाली लीकेजों की मरम्मत का कार्य विभाग द्वारा नियमित रूप से कराया जा रहा है। वर्तमान में उक्त ग्राम की योजना पर कोई लीकेज ठीक कराना शेष नहीं है।

(4) जी हां। उपरोक्तानुसार।

समदड़ी (बाडमेर) में उप तहसील की स्थापना

568. श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर में कौन-कौनसी नई उप तहसील खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नई उप तहसील समदड़ी में खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम धोरीमन्ना को उप तहसील बनाये जाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में की जा चुकी है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नई उप तहसील समदडी खोले जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर प्राप्त नहीं हुए हैं।

बूंदी के नमाना ग्राम की भूमि पर अतिक्रमण

569. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बूंदी के ग्राम नमाना में सरपंच द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण के प्रकरण में न्यायालय में विचाराधीन वाद में अतिक्रमी श्री रामराज सिंह ने ही सरपंच की हैसियत से वादी का वकालतनामा पेश कर नियमों की अवहेलना व पद का दुरुपयोग किया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति सरपंच के पद पर रह सकता है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अतिक्रमी सरपंच ग्राम पंचायत नमाना श्री रामराज सिंह के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बूंदी के ग्राम नमाना में राजकीय सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ नहीं है, अपितु ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर सरपंच रामराज सिंह द्वारा अतिक्रमण करने से तत्समय प्रकरण न्यायालय, तालेड़ा में विचाराधीन होने, स्थगन एवं न्यायालय के निर्णय तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पंचायत नमाना द्वारा रोकना पड़ा है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त अतिकमण के प्रकरण में वर्तमान में सरपंच श्री रामराज सिंह द्वारा वर्ष 2010-11 में वादी का वकालात नामा सरपंच

(राजस्व मंत्री)

की हैसियत से पेश किया गया था। जानकारी में आने पर वर्ष 2011-12 में प्रकरण की पैरवी विकास अधिकारी, बूंदी द्वारा की जा रही है।

(3) मा. न्यायालय के निर्णयोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही पंचायतीराज विभाग द्वारा की जा सकेगी।

बावड़ी (भोपालगढ़) में तहसील की स्थापना

570. **श्रीमती कमसा मेघवाल** (भोपालगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार बावडी (भोपालगढ़) को तहसील का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार भोपालगढ़ में मुंसिफ कोर्ट खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मा. मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में मा. मुख्य मंत्री महोदय ने जिला जोधपुर के बावडी को नव तहसील सृजन करने की घोषणा की है।

(2) किसी स्थान पर नवीन मुंसिफ कोर्ट (सिविल न्यायाधीश (क.खं) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय) की स्थापना उस क्षेत्र के 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने पर तथा माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर ही की जा सकती है।

भोपालगढ़ में मुंसिफ कोर्ट (सिविल न्यायाधीश (क.खं) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय) की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर भोपालगढ़ में उक्त न्यायालय की स्थापना की जा सकेगी।

मूण्डरू (श्रीमाधोपुर) के अनुसूचित जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार

571. **श्री पेमाराम** (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम मूण्डरू, तहसील श्रीमाधोपुर के खसरा मिलान क्षेत्र में पुराने खसरा नं. 1364 से नये खसरा नं. 2862, 2863, 2875 बनने के पीछे क्या

(श्री पेमाराम)

उद्देश्य था तथा धारा 21 के नोटिस एवं मिलान खसरा सं. 1364/3220 के 2094 नये खसरे सेटलमेंट होने पर बने किन्तु इन खसरों की प्रविष्टि इनके पुराने मूल स्थान को छोड़कर बड़े खेत के 1364 6.12 बीघा खेत को छोटे रकबे 5.17 बीघा वाले छोटे खेत पर अलटा-पलटी करते हुए फिक्स कर दिया जिससे टिनेन्सी अधिनियमों के नियम 38 के अनुसार नामान्तरण 875 दिनांक 22 जनवरी, 2007 में नामान्तरण विरासतीय के साथ अन्तरण करने का पूर्णतया निषेध नियमों में माना है?

(2) क्या एसडीएम श्रीमाधोपुर के फैसले दिनांक 08 जून, 2011 को विधि विरुद्ध मानकर निरस्त कर दिया? यदि हां, तो क्या चौथी बार नामान्तरण संख्या 1389 दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 को धारा 19 के अनुसार प्रमाणित नहीं माना? क्या निर्णय दिनांक 08 जून, 2011 के अनुसार निर्णय रिमाण्ड में नोटिसेस जारी होने के बावजूद अभी तक फैसला नहीं दिया जा रहा है तथा कार्यवाही पेंडिंग जेरकार है?

(3) क्या उक्त मामले में दावेदार गरीब अनुसूचित जाति के मुकामी वासिन्दा हैं और उनके पक्ष में रेवेन्यू रिकार्ड बोल रहा है तथा समस्त न्यायालयों के फैसले भी उनके पक्ष में हैं?

(4) अब उनके हक के अनुसार खातेदारी अधिकार कब तक दे दिये जावेंगे और न्यायालय के दिनांक 24 अप्रैल, 1972, 10 अक्टूबर, 1974, 22 दिसम्बर, 1975 एवं 08 जून, 2011 के फैसलों का क्रियान्वयन कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? चारों नामान्तरण संख्या 220 दिनांक 13 जून, 1968 नामान्तरण सं. 949 दिनांक 13 जनवरी, 1983 तथा 875 दिनांक 22 जनवरी, 2007, 1389 दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 खोले गये नामान्तरणों के फिल्ड को अलग-अलग नक्शे में दर्शाते हुए प्रमाणित प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर के पुराने खसरा नं. 1364 से नये खसरा नं. 2862, 2863, 2875 भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान बने हैं। पुराने नम्बर के एक से अधिक टुकड़े होने पर मौके की स्थिति के अनुसार नये नम्ब.र बनाये गये है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा संख्या 1364/3220 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा का नया खसरा नम्बर 2094 रकबा 1.37 है. बना है। इन खसरों की प्रविष्टि इनके पुराने मूल स्थान को छोड़कर अलटा-पलटी करते हुए फिक्स नहीं किया गया तथा ना ही राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 38 का

(राजस्व मंत्री)

उल्लंघन किया गया। नामान्तरण संख्या 875 दिनांक 22.1.07 विरासत का भरा गया है। जिसमें मनभरी बेवा गेंदालाल हिस्सा 1/2 जाति महाजन की विरासत का नामान्तरण उसके विधिक वारिसों के नाम खोला गया है। नामान्तरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 38 में काश्तकार का हित उसकी विरासत के योग्य माना गया है परन्तु अन्तरणीय नहीं माना गया है। नामान्तरण संख्या 875 विरासत का ही खोला गया है।

(2) एस.डी.एम. श्रीमाधोपुर के फैसले दिनांक 8.6.11 को आदिनांक तक विधि विरूद्ध मानकर निरस्त नहीं किया गया है। उक्त फैसले की पालना में न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर में रिमाण्ड पत्रावली लम्बित है। नामान्तरण संख्या 1389 दिनांक 12.10.2011 न्यायालय एस.डी.एम. श्रीमाधोपुर के आदेश की पालना में दर्ज किया गया है। जो परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। निर्णय एस.डी.एम श्रीमाधोपुर दिनांक 8.6.2011 की पालना में न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर में कार्यवाही जेरकार है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 25.4.2012 निहित है।

(3) उक्त मामले में दावेदार श्री गणपतलाल वर्मा राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर से सेवानिवृत एएओ है। वर्तमान रेवेन्यू रिकार्ड अर्थात जमाबन्दी में नये खसरा नम्बर 2862, 2863 में दावेदार गणपतलाल वर्मा के नाम नहीं है न ही पहले कभी रहा है। सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 1364/3220 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा में दावेदार का नाम रहा है। उप खण्ड मजिस्ट्रेट नीमकाथाना ने जाप्ता फौजदारी की धारा 145 के निर्णय दिनांक 24/04/1972 में विवादित भूमि पर कब्जा गणपतलाल व उसके पिता नारायण का घोषित किया गया जो रिवीजन दिनांक 10/10/1974 को भी बहाल रहा। परन्तु खातेदारी की घोषणा किसी भी न्यायालय ने दावेदार गणपतलाल वर्मा के पक्ष में नहीं की है।

(4) सक्षम न्यायालय से खातेदारी अधिकार घोषित होने पर ही किसी भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकेंगे। न्यायालय एसीडीएम नीमकाथाना ने अपने निर्णय दिनांक 24.4.1972 में नारायण पुत्र किशनाराम व गणपत पुत्र नारायण प्रतिवादि सं. 2 का खसरा नम्बर 1364 क्षेत्रफल 5 बीघा 17 बिस्वा पर कब्जा मानते हुए प्रतिवादी संख्या 2 नारायण पुत्र किशना व गणपत पुत्र नारायण को रिसीवरी से भूमि मुक्त का कब्जा देने के आदेश हुए थे जिस पर आज भी वे काबिज है। निर्णय दिनांक 10.10.1974 व 22.12.1975 की पालना क्रियान्वयन

(राजस्व मंत्री)

तहसील कार्यालय श्रीमाधोपुर में शेष नहीं है। निर्णय दिनांक 8.6.2011 की पालना में पत्रावली न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर में लम्बित है जिसमें आगामी तारीख पेशी 25.4.2012 निहित है। नामान्तरण संख्या 220 दिनांक 13.6.1968 पंजीबद्ध विक्रय लेख का स्वीकृत किया गया है जिसमें तत्कालीन खातेदार नारायण सिंह पुत्र धोकलसिंह कौम राजपूत द्वारा बेचान गैंदालाल, रामेश्वर पुत्र बालाबक्सा के पक्ष में किया गया है जो स्वीकार हुआ है तथा नामान्तरण संख्या 949 दिनांक 13.1.1983 गैंदालाल के फोत हाने पर उसके विधिक वारिसान के नाम स्वीकार हुआ है। नामान्तरकरणों की पुश्त पर कोई नक्शा नहीं बनाया है। तत्समय प्रचलित राजस्व नक्शे की नामान्तरण सं. 220 व 949 से सम्बन्धित खसरा नम्बर की प्रति क्रमांक 1 (परिशिष्ट-स) तथा नामान्तरण सं. 875 व 1389 से सम्बन्धित खसरा नम्बरों की प्रति क्रमांक 2 (परिशिष्ट-द) पर संलग्न है। इनका मिलान क्षेत्रफल (परिशिष्ट-य) पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयसिंहपुरावास नेवटा (जयपुर) की "सेज" हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

572. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 26 जून, 1945 को जयसिंहपुरावास नेवटा, तहसील सवाई जयपुर की 24 बीघा पक्की भूमि जिसका खसरा नम्बर 229, 230 एवं 234 है का नामान्तरण वैद्य देवीनारायण पुत्र श्री दुर्गाबक्श के नाम हुआ है? यदि हां, तो विवरण सहित नामान्तरण की प्रति मय नक्शे की प्रति के सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि वैद्य देवीनारायण द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 1945 को नामान्तरण की नकल के लिये आवेदन किया गया था? क्या उन्हें नकल दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूमि वर्तमान में किसके नाम है व वर्तमान खसरा नम्बर क्या है? नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि सेज में आ गई है? यदि हां, तो कब एवं भूमि के मालिक को उसका मुआवजा कब व कितना दिया गया और नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(5) क्या सरकार अब उक्त भूमि का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दिनांक 26/06/1945 को जयसिंहपुरावास नेवटा, तहसील सवाई जयपुर की 24 बीघा पक्की भूमि जिसका खसरा नम्बर 229, 230 एवं 234 का नामान्तरण वैद्य देवीनारायण पुत्र श्री दुर्गाबक्श के नाम हुआ हो का नामान्तरण जिला कलक्टर कार्यालय, जयपुर में उपलब्ध नहीं है।

(2) वैद्य देवीनारायण द्वारा दिनांक 17/09/1945 को नामान्तरण की नकल के लिये किये गये आवेदन की सूचना जिला कलक्टर कार्यालय जयपुर के भू-अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है।

(3) ग्राम जयसिंहपुरावास, नेवटा की तहसील वर्तमान में सवाई, जयपुर न होकर तहसील सांगानेर है। वर्तमान में उक्त भूमि के खसरा नम्बर 403, 404, 405, 406, 407, 411, 412, 413, 416, 417, 418, 419, 423, 424 एवं 425 है। नक्शे एवं जमाबन्दी की प्रति परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(4) उक्त भूमि स्पेशल इकोनोमिक जोन (सेज) एवं सम्पर्क सड़क हेतु अवाप्त नहीं की गई है।

(5) उक्त भूमि अवाप्त ही नहीं की गई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मांगलियावास (अजमेर) गांव की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

573. श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर सम्भाग के अधिकारियों की अजमेर में वर्ष 2011 में बैठक आयोजित की गयी थी?

(2) क्या उक्त बैठक में सरकारी सिवाय चक/चरागाह/गैर मुमकिन और सार्वजनिक रास्ते/श्मशान के लिए आरक्षित जमीनों पर किये गये अतिक्रमणों को एक निश्चित सीमा में हटाकर जिला कलक्टर द्वारा सरकार को रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया गया था?

(3) क्या यह सही है कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी को अपने दायित्व के निर्वहन की समय-समय पर पालना कर हर तीन माह में सरकार को रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया गया है?

(श्री महेन्द्र चौधरी)

(4) क्या राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त आदेश की पालना निरन्तर की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या जिला अजमेर के ग्राम मांगलियावास, तहसील पीसांगन में गांव के राजस्व खसरा नं. 1654, 1655, 1835/2671, 1836, 1837, 1838 और 1839 सिवाय चक सरकारी जमीन है? क्या उक्त भूमि पर अतिक्रमण है? क्या उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक होने तथा बहुत कीमती होने के कारण अतिक्रमणकर्ता राजस्व अधिकारियों से मिलकर स्थगन आदेश प्राप्त कर अपना कब्जा बनाये हुए है?

(7) क्या सरकार स्थगन हटवाकर कीमती सिवाय चक भूमि और सार्वजनिक रास्ते को शीघ्र मुक्त कराने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि माननीय राजस्व मंत्री महोदय द्वारा अजमेर सम्भाग के राजस्व अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक दिनांक 18/04/2011 को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय अजमेर के सभागार में आयोजित की गयी थी।

(2) जी हां। उक्त बैठक में सरकारी सिवायचक/चरागाह/गैर मुमकिन और सार्वजनिक रास्ते/शमशान के लिये रिजर्व जमीनों पर किये गये अतिक्रमणों को हटाने हेतु निर्देश दिये गये थे।

(3) जी हां। यह सही है कि बैठक में सभी राजस्व अधिकारियों को जनसुनवाई/निरीक्षण/न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का नियमानुसार निर्धारित मापदण्ड अनुसार त्वरित निस्तारण करने एवं अतिक्रमण मामलों का 45 दिवस में निपटारा करने के निर्देश दिये गये थे।

(4) जी हां। राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना की जा रही है।

(5) अजमेर जिले के ग्राम मांगलियावास के खसरा नम्बर 1835/2671 व 1836 खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 1654, 1655, 1837, 1838 एवं

(राजस्व मंत्री)

1839 सिवायचक दर्ज है व उक्त खसरा नम्बरान पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है।

(6) जिला कलक्टर, अजमेर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजियात की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक होने से बहुत कीमती है किन्तु कोई अतिक्रमण नहीं है। उक्त खसरों की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक होने से बहुत कीमती है। वर्तमान में कोई स्थगन नहीं है।

(7) वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

अलवर ग्रामीण में राजस्व कार्मिकों के रिक्त पद

574. श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों एवं पटवारियों के कितने पद रिक्त हैं? पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में राजस्व अधिकारियों एवं विभिन्न पंचायत समिति में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों की पदवार सूची निम्नानुसार है:-

क्र. सं	पदनाम	रिक्त पद की स्थिति
1	2	3
1.	उप खण्ड अधिकारी	पद रिक्त नहीं है
2	तहसीलदार	पद रिक्त नहीं है
3.	पटवारी	(पटवार मण्डल जहां पद रिक्त है) 1. पूनखर 2. भण्डवाडा 3. गून्दपुर 4. नेथला 5. पृथ्वीपुरा

(राजस्व मंत्री)

1	2	3
		6. कलसाडा 7. सालपुर 8. तेहडपुर 9. केसरपुर
4.	पंचायत प्रसार अधिकारी (पं.स. उमेरण)	2
	प्रगति प्रसार अधिकारी (पं.स. उमेरण)	1
	कनिष्ठ लिपिक (पं.स. उमेरण)	1
	हैण्ड पम्प मिस्त्री (पं.स. उमेरण)	9
5.	विकास अधिकारी (पं.स. रामगढ़)	1
	पंचायत प्रसार अधिकारी (पं.स. रामगढ़)	2
	कनिष्ठ अभियंता (पं.स. रामगढ़)	2
	सहायक अभियंता नरेगा (पं.स. रामगढ़)	1
	ग्राम सेवक पदेन सचिव (पं.स. रामगढ़)	1
	हैण्ड पम्प मिस्त्री (पं.स. रामगढ़)	5
6.	प्रगति प्रसार अधिकारी (पं.स. किशनगढ़ बास)	1
	वाहन चालाक (पं.स किशनगढ बास)	1
	कनिष्ठ लिपिक (पं.स. किशनगढ़ बास)	1

(राजस्व मंत्री)

(2) राज्य में पटवारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा सन 2011 का आयोजन किया जाकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिये जाने के बाद सफल आशार्थियों को पटवारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जायेगा।

पंचायत समितियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु पंचायती राज विभाग एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर को लिखा गया है।

जोरपुरा ग्राम तहसील सांभर के मन्दिर श्री गोपालजी की वार्षिक वृत्ति का भुगतान

575. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मन्दिर श्री गोपालजी विराजमान ग्राम जोरपुरा (सुन्दरियावास) तहसील सांभर लेक जिला जयपुर के नाम माफी मन्दिर की भूमि किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मन्दिर के नाम ग्राम जोरपुरा में खसरा नं. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 व 36 की कितनी-कितनी भूमि किस-किस किस्म की है और वर्तमान में उक्त भूमि पर कौन-कौन काबिज कास्त हैं? जमाबन्दी, सम्वत् 2053 से 2068 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त मन्दिर में कौन-कौन पुजारी सेवायतन हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त खसरा नं. की भूमि सम्वत् 2019 से 2062 तक कब-कब किस-किस व्यक्ति के नाम दर्ज रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त मन्दिर की वार्षिक वृति की राशि कब-कब किस-किस व्यक्ति ने उठाई है? क्या अब तक उक्त मन्दिर की वार्षिक वृति का भुगतान किसी भी सेवायतन को नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त मन्दिर की भूमि का कब्जा वर्तमान पुजारियों के पास नहीं है? क्या सरकार उक्त भूमि का कब्जा मन्दिर के पुजारियों को दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस नियम के तहत कब तक? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माफी मन्दिर श्री गोपालजी विराजमान जोरपुरा (सुन्दरियावास) तहसील सांभर लेक जिला जयपुर के नाम ग्राम जोरपुरा के राजस्व रिकार्ड में 34 बीघा 03 बिस्वा भूमि दर्ज है।

(2) उक्त मन्दिर के नाम ग्राम जोरपुरा में किस्मवाइज भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

ख.नं.	रकबा	किस्म भूमि
25	2.01 बीघा	बारानी-I
26	1.14 बीघा	बारानी-I
27	1.15 बीघा	बारानी-I
28	3.02 बीघा	बारानी-I
29	3.05 बीघा	चाही-I
30	3.07 बीघा	चाही-I
31	31.15 बीघा	चाही-I, जाव-I
32	3.05 बीघा	चाही-ए
33	2.10 बीघा	चाही-ए
34	0.05 बीघा	गै.मु. चाह
35	3.05 बीघा	चाही-ए
36	6.19 बीघा	चाही-ए
योग	**34.03 बीघा**	

तहसीलदार सांभर की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उक्त भूमि पर निम्न व्यक्ति काबिज काश्त है-

1. श्री किशन, बाबूलाल, हनुमान, लक्ष्मीनारायण, पि. मोहरूराम जाति हरियाणा ब्रा. साकिन देह 8-11 बीघा पर।
2. हरसाय, भूराराम, छोटूराम पुत्र दौलाराम जाति हरियाणा ब्रा. साकिन देह 5.13 बीघा पर।
3. लालाराम पुत्र जयनारायण जाति हरियाणा ब्रा. साकिन देह 2.17 बीघा पर।
4. कजोड पुत्र सोनाराम जाति हरियाणा ब्रा. साकिन देह 4.05 बीघा पर।
5. लादूराम पुत्र मंगलाराम जाति हरियाणा ब्रा. साकिन देह 2.12 बीघा पर।

(राजस्व मंत्री)

6. नारायण, बद्रीनारायण पुत्र हनुमान जाति हरियाणा ब्रा. साकिन देह 2.03 बीघा पर।
7. हनुमान पुत्र भूराराम जाति हरियाणा ब्रा. साकिन देह 4.06 बीघा पर।
8. छीतरमल पुत्र छोटूराम जाति हरियाणा ब्रा. साकिन देह 2.13 बीघा पर।
9. रामसहाय, रामेश्वर पुत्र चौथमल जाति कुम्हार साकिन देह 1.13 बीघा पर।

जमाबंदी सम्वत् 2053 से अब तक की प्रतियां संलग्न हैं।

(3) वर्तमान में दो परिवार मंदिर की सेवायतन में हैं, जिनके नाम निम्नानुसार हैं-

1. बंशीधर, रामेश्वर पिता महादेव शर्मा जाति दाधिच ब्रा.
2. रामगोपाल, दामोदर पिता नारायण लाल व गजानन्द पु्त्र कल्याण सहाय शर्मा जाति दाधिच ब्रा. दोनों परिवार एक-एक वर्ष सेवा करते हैं।

(4) ग्राम जोरपुरा के खसरा नम्बर 25 लगायत 36 रकबा 34.03 बीघा खतैनी बन्दोबस्त संवत् 2011 लगायत 2029 में कालम नम्बर 4 के अनुसार माफी मंदिर श्री गोपालजी पुजारी पन्ना वल्द नानगा हिस्सा 1/4, मन्ना वल्द बालू हिस्सा 1/4, लक्ष्मीनारायण वल्द चुन्या हिस्सा 1/4, रामू वल्द गंगू हिस्सा 1/4 कौम ब्रा. साकिन जोरपुरा खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा कालम न. 5 में खुद काश्त दर्ज है।

जमाबन्दी संवत् 2022-25 पन्ना पुत्र नानग हिस्सा 1/4, मन्ना पुत्र बालू हिस्सा 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र चुना हिस्सा 1/4, रामू पुत्र गंगू हिस्सा 1/4, अ. जाति ब्रा. सा.देह खातेदारों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी संवत् 2026-29 पन्ना पुत्र नानग हिस्सा 1/4, मन्ना पुत्र बालू हिस्सा 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र चुना हिस्सा 1/4, रामू पुत्र गंगू हिस्सा 1/4, अ.जाति ब्रा. सा.देह खातेदारों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं।

जमाबन्दी संवत् 2030-2033 में श्रवण पुत्र पन्ना हिस्सा 1/4, मन्ना पुत्र बालू हिस्सा 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र चूना हिस्सा 1/4, रामू पुत्र गंगू हिस्सा 1/4 जाति ब्रा. साकिन देह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी संवत 2034-2037 में श्रवण पुत्र पन्ना् हिस्सा 1/4, मन्ना पुत्र बालू हिस्सा 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र चूना हिस्सा 1/4, रामू पुत्र गंगू हिस्सा 1/4 जाति ब्रा. साकिन देह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

(राजस्व मंत्री)

जमाबन्दी संवत् 2038-2041 में श्रवण पुत्र पन्ना् हिस्सा 1/4, मन्ना पुत्र बालू हिस्सा 1/4, रामदेव पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/4, किशना पुत्र रामू हिस्सा 1/4 जाति ब्रा. साकिन देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी संवत् 2043-2046 में श्रवण पुत्र पन्ना हिस्सा 1/4, मन्नान पुत्र बालू हिस्सा 1/4, रामचन्द्रल, मदनलाल, देवनारायण, रामनारायण, रामेश्वर लाल, शंकर लाल पि. रामदेव, हिस्सा 1/4, किशना पुत्र रामू हिस्सा 1/4 जाति ब्रा. साकिन देह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी संवत् 2047-2050 में खाता न. 104 पर दर्ज नोट के बाद अंतिम स्थिति निम्न प्रकार है- श्रीकिशन, बाबूलाल, हनुमान, लक्ष्मीनारायण पि. मौहरू हिस्सा 1/4, मन्ना पुत्र बालू हिस्सा, 1/4 हनुमान पुत्र दौला राम हिस्सा 1/24 हरसाय पुत्र दौलाराम हिस्सा 1/24, रामअवतार, राजूलाल, कालूराम पि. देवनारायण, लाली बेवा देवनारायण हिस्सा 1/24, भंवर लाल पुत्र दौला राम हिस्सा 1/24, छोटू पुत्र दौलाराम हिस्सा 1/24, शंकर लाल पुत्र रामदेव, हिस्सा 1/24 तथा जगदीश, गोपाल पि. किशना हिस्सा 1/24 दर्ज रिकार्ड रहा ।

जमाबन्दी संवत् 2051-2054 के अनुसार खसरा नं 25 लगायत 36 श्री किशन, बाबूलाल, हनुमान, लक्ष्मीनारायण पि. मौहरू हिस्सा, 1/4 जाति ब्रा. तुलसीराम, रामकिशोर पिता हनुमान मु. राधादेवी बेवा हनुमान हिस्सा 1/24 छोटू पुत्र दौला हिस्सा 1/24, भंवरलाल पुत्र दौला हिस्सा 1/24, हरसाय पुत्र दौला हिस्सा 1/24, रामावतार, राजूलाल, कालूराम पिता देवनारायण लाली बेवा देवनारायण हिस्सा 1/24, शंकर लाल पुत्र रामदेव हिस्सास 1/24, जगदीश, गोपाल पि. किशना, हिस्सा 1/4 जाति ब्रा. तथा जगदीश, मूलचन्द पि. मन्ना, मनफूली बेवा मन्नां हिस्सा 1/4 (खसरा नं. 25 लगा. 27, 29 लगा. 31, 33 लगा. 36) तथा खसरा नं. 28 व 32 रकबा 6.07 बीघा में रामेश्वर लाल, रामसहाय पि0 चौथूराम हिस्साक 1/4 जाति कुम्हार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

जमाबन्दी संवत् 2055-2058 में श्री किशन, बाबूलाल, हणमान, लक्ष्मीनारायण पि. मोहरू हिस्सा 1/4, जगदीश, मूलचन्द पि. मन्ना, मनफूली बेवा मन्ना हिस्सा 1/4, तुलसीराम, रामकिशोर पि. हनुमान मु. राधा बेवा हनुमान हिस्सा 1/24, छोटू पुत्र दौला हिस्सा 1/24, भंवरलाल पुत्र दौला हिस्सा 1/24, हरसाय पुत्र दौला हिस्सा 1/24, रामावतार, राजूलाल, कालूराम पि. देवनारायण व लाली बेवा देवनारायण हिस्सा 1/24, शंकर लाल पुत्र रामदेव

(राजस्व मंत्री)

हिस्सा 1/24, जगदीश, गोपाल पि. किशना हिस्सा 1/4 जाति ब्रा. साकिन देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी संवत् 2059-2062 में दर्ज नोट के पश्चात अंतिम स्थिति निम्नानुसार है:-

माफी मन्दिर श्री गोपालजी वाके देह हिस्सा 5/8 बिल्ला रहन हिस्सा 3/8 राहिन एस.बी.आई. शाखा भैसावा मूर्तहिन खसरा नं. 25 लगा. 36 रकबा 34.03 बीघा।

(5) कार्यालय रिकार्ड के अनुसार ग्राम जोरपुरा (सुन्दरियावास) में वार्षिक वृति की राशि का भुगतान किसी भी सेवायतन को नहीं किया गया है। देवस्थान विभाग के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं सेवायतन द्वारा वार्षिक वृति का बिल पेश नहीं किये जाने से वार्षिक वृति का भुगतान नहीं किया गया है।

(6) उक्त मंदिर की भूमि का कब्जा वर्तमान पुजारियों के पास नहीं है। भूमि का कब्जा मन्दिर के पुजारियों को दिलवाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोविन्दगढ़ (जयपुर) पंचायत समिति की पंचायतों का पुनर्गठन

576. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार पंचायत समिति गोविन्दगढ़ तहसील चौमूं जिला जयपुर में पंचायतों का पुनर्गठन/परिसीमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त पंचायत समिति में कब तक कितनी और कौन-कौनसी नयी पंचायतें गठित की जावेगी? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101 में वर्णित प्रावधानों के तहत किसी भी पंचायती राज संस्था का पुनर्गठन करने के बाद पुनर्गठित पंचायती राज संस्था भंग हो जाती है तथा पुनर्गठित एवं नवसृजित पंचायती राज संस्था के चुनाव 6 माह में करवाया जाना आवश्यक हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2010 में ही सम्पन्न

(पंचायतीराज मंत्री)

करवाये गये हैं। पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरे राज्य के लिये समान है। अतः अभी पंचायतों का पुनर्गठन करना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है।

(2) अभी पंचायतों का पुनर्गठन करना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं होने के कारण उक्त पंचायत समिति में कितनी और कौन-कौन सी नयी पंचायतें गठित की जावेगी, बताया जाना सम्भव नही है।

उदयपुर जिले की धरमसी मोरारजी कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

577. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर के खेमली कस्बे में स्थित धरमसी मोरारजी कम्पनी के विरुद्ध अधिक विक्रय दर्शाकर उर्वरकों पर गलत अनुदान लेने की जांच चल रही है? यदि हां, तो जांच किस विभाग द्वारा किस स्तर पर चल रही है?

(2) उक्त कम्पनी ने प्रथम दृष्टया कितना अधिक अनुदान अवास्तविक विक्रय दर्शा कर लिया है?

(3) उक्त कम्पनी के सम्बन्ध में क्या कृषि विभाग के अधिकारियों से इस प्रकरण में पूछताछ की गई एवं उनके कथन अभिलिखित किए गए ? क्या विभाग से अभिलेख जांच हेतु लिए गए?

(4) क्या उक्त कम्पनी द्वारा दर्शाए गए विक्रय समंकों की कृषि विभाग ने कोई जांच की है? क्या विभाग कम्पनी द्वारा दिखाए गए विक्रय को यथास्थिति में स्वीकार कर लेता है?

(5) क्या सरकार द्वारा अवास्तविक विक्रय पर अनुदान लेने पर अंकुश के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक सतर्कता/डीवीसी/2011/प्रकरण संख्या 78 दिनांक 04.01.2012 से उदयपुर के खेमली कस्बे में स्थित धरमसी मोरारजी कम्पनी के विरुद्ध अधिक विक्रय दर्शाकर उर्वरकों पर गलत अनुदान लेने की शिकायत की जांच करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को भिजवाया गया है। प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर द्वारा की जा रही है। इसके

(कृषि मंत्री)

अतिरिक्त विभागीय स्तर पर प्रकरण की जांच निदेशक समेती (आत्मा परियोजना) मुख्यालय, जयपुर से भी कराई जा रही है।

(2) अनुदान राशि का संधारण कृषि विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। अनियंत्रित फास्फेटिक व पोटेशिक उर्वरकों पर सहायता (अनुदान) भारत सरकार द्वारा सीधे ही निर्माताओं/आयतकों को दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा आपूर्तित उर्वरकों की मात्राओं का केवल सत्यापन किया जाता है।

(3) जी नही ।

(4) जी हां। उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर द्वारा कृषि विभाग को वर्ष-2003 में प्राप्त शिकायत की जांच तत्कालीन संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) उदयपुर द्वारा कराई गई। प्राप्त शिकायत वर्ष 2000-01 में माह फरवरी 2000 में मै. डीएमसीसी द्वारा सवाई माधोपुर जिले एवं ओम ट्रेडिंग कम्पनी को आपूर्ति किये गये एसएसपी से सम्बन्धित थी। मै. डीएमसीसी द्वारा माह फरवरी 2000 में सवाई माधोपुर जिले में 1074 मै.टन एसएसपी का विक्रय फर्म मै. ओम ट्रडिंग कम्पनी को किया गया । उक्त विक्रय का सत्यापन उप निदेशक कृषि (विस्तार) सवाई माधोपुर द्वारा पत्रांक 2098 दिनांक 20.04.2000 द्वारा किया गया।

जी नहीं। विभाग उप निदेशक कृषि (विस्तार) से सत्यापन पश्चात ही विक्रय को स्वीकार करता है।

(5) भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक एफ 22011/04/2007/एमपीआर/वाल्यूम-III दिनांक 11.05.09, 11.11.09 व 17.11.09 द्वारा राज्य में स्थापित एसएसपी विनिर्माण इकाइयों में स्थापित प्रयोगशाला का निरीक्षण करने एवं उत्पादित प्रत्येक बैच के नमूने आवश्यक रूप से लिये जाने के निर्देश है। कृषि विभाग द्वारा राज्य की एसएसपी विनिर्माण इकाइयों का मासिक निरीक्षण नियमित रूप से कराया जा रहा है तथा प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भिजवाया जा रहा है। जिसके आधार पर एसएसपी निर्माताओं को अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

बीज अनुसंधान/विपणन हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पानियों के साथ करार

578. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में बीज अनुसंधान, विपणन तथा अन्य बीजों की उपलब्धता से जुडी गतिविधियों के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनी मोनसेंटों के साथ करार किया गया था? यदि हां, तो इस मामले में किए गए करार की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त करार से पूर्व सरकार का अनुमोदन नहीं कराया गया? यदि हां, तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार बायो टेक्नोलाजी जनित उत्पादों (बीटी काटन, बीटी बेंगन आदि) को राज्य में उत्पादित करने हेतु कोई नीति अपनाना चाहती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने जोधपुर के काजरी संस्थान को किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं माना है? क्या काजरी या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस पर एतराज जताया है? यदि हां, तो काजरी या आईसीएआर से प्राप्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कोई करार नहीं किया गया। बल्कि मोनसेंटों इण्डिया लि. के साथ कृषि क्षेत्र में सम्भावित साझेदारी (नवीन किस्मों का विकास, बीज उत्पादन एवं तकनीकी हस्तान्तरण) हेतु प्रारम्भिक सहमति प्राप्त करने की दिशा में समझौता विवरण पत्र (एमओयू) किया गया था, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। यह एमओयू दिनांक 09.11.2011 को रद्द कर दिया गया है प्रति संलग्न परिशिष्ट-2

(2) निजी कम्पनियों के साथ किये गये प्रारम्भिक तौर पर समझौता विवरण पत्र (एमओयू) मूलतः तकनीकी प्रकृति के थे तथा तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि के मार्गदर्शन मे कृषि, उद्यान विभाग, राजस्थान राज्य बीज निगम व कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर कार्यवाही की गई जो कि कम्पनी के साथ स्पेशिफिक अनुबंध नहीं था। स्पेशिफिक अनुबंध निष्पादित करने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमोदन कराया जाता।

स्पेशिफिक अनुबंध से पूर्व ही प्रारंभिक समझौता विवरण पत्र (एमओयू) दिनांक 09.11.2011 को निरस्त कर दिया गया।

(3) भारत सरकार की जीईएसी/स्टेण्डिग कमेटी से राजस्थान राज्य हेतु अनुशंषित बीटी काटन किस्मों की खेती की शुरूआत खरीफ 2005 में हुई

(कृषि मंत्री)

थी तथा वर्तमान में बीटी कपास की खेती व्यवसायिक तौर पर राज्य एवं देश के विभिन्न हिस्सों में की जा रही है। बीटी बैंगन व अन्य अनुवांशिक रूप से संशोधित (जेनेटिक्ली माडिफाईड) फसलों की व्यवसायिक खेती हेतु अभी भारत सरकार से अनुमति नहीं दी गई है। बैंगन, मक्का आदि जेनेटिक्ली मोडिफाइड फसलें अभी परीक्षण की अवस्था में है तथा इन फसलों की खेती के संदर्भ में विभिन्नी पहलुओं पर एक मत की स्थिति नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस मुददे पर एक राय कायम करने हेतु विभिन्न संस्थाओं/वैज्ञानिकों के साथ जीईएसी/भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मद्देनजर चर्चा की जानी चाहिये तथा तब तक राज्य में इन फसलों के परीक्षण आयोजन हेतु कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं की जानी चाहिये।

(4) जी नहीं। काजरी भारत सरकार का संस्थान है एवं राजस्थान में शुष्क क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहा है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पीपल्दा की नहरों की सफाई

579. **श्री प्रेमचन्द** (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में नहरों की सफाई का कार्य लम्बे समय से नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लम्बे समय से लम्बित पड़े नहरों के सफाई कार्यों को करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इटावा ब्रान्च कैनाल पर इटावा के पास सुखनी शाइफन स्थित है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में उक्त शाइफन का मरम्मत कार्य कब-कब तथा क्या-क्या करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त करवाये गये मरम्मत कार्य पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में विभागीय मद एवं महानरेगा योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष निरन्तर नहरों की सफाई के कार्य सम्पादित किये गये हैं। अप्रैल 2008 से फरवरी 2012 तक पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चम्बल सिंचित क्षेत्र की नहरों की सफाई के महानरेगा एवं विभागीय मद में किये गये कार्यो का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) चम्बल सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत नहरों की सफाई प्रत्येक वर्ष की एक निरन्तर प्रक्रिया है एवं प्राथमिकता के अनुसार नहरों की सफाई की जाती है। गत 2 वर्षो से (2010-11 से 2011-12) में चम्बल सिंचित क्षेत्र की नहरों के किये गये सफाई के कार्यों का परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि इटावा ब्रांच केनाल पर इटावा के पास सुखनी साइफन स्थित है। विगत 5 वर्षो में उक्त साइफन की मरम्मत के कार्यों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) सुखनी साइफन की मरम्मत कार्य हेतु विगत 5 वर्षों में रुपये 3.01 लाख रुपये व्यय किये गये, जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्र

580. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवन बने हुये हैं एवं कितने भवन रहित हैं?

(2) क्या सरकार भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में कुल 65 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। जिनमें से 54 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन उपलब्ध हैं एवं 11 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं जिनमें से 9 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जारी की जा चुकी हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम एवं उनमें भवन उपलब्ध हैं अथवा नहीं की सूचना निम्न प्रकार है

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	भवन उपलब्ध है अथवा नहीं का विवरण
1	2	3	4
1.	बाड़मेर	जोगासर कुआ	हां
2.	बाड़मेर	मारूडी	हां
3.	बाड़मेर	लंगेरा	हां
4.	बाड़मेर	नांद	हां
5.	बाड़मेर	जसाई	हां
6.	बाड़मेर	महाबार	हां
7.	बाड़मेर	हाथी तला	हां
8.	बाड़मेर	बालेरा	हां
9.	बाड़मेर	सुरा चारणान	हां
10.	बाड़मेर	आटी खुर्द	हां
11.	बाड़मेर	भादरेस	हां
12.	बाड़मेर	डूंगरो का तला	हां
13.	बाड़मेर	रामदेरिया	हां
14.	बाड़मेर	सादुलाणियों का तला	हां
15.	बाड़मेर	सुथारो का तला	हां

1	2	3	4
16.	बाड़मेर	मगरा बाड़मेर	हां
17.	बाड़मेर	दरूडा	हां
18.	बाड़मेर	जूना पतरासर	हां
19.	बाड़मेर	चूली	हां
20.	बाड़मेर	मिठडा	हां
21.	बाड़मेर	बिशाला आगोर	हां
22.	बाड़मेर	बोला	हां
23.	बाड़मेर	दूद्धाबेरी	हां
24.	बाड़मेर	सोनडी	हां
25.	बाड़मेर	गरल	हां
26.	बाड़मेर	लूणु खुर्द	हां
27.	बाड़मेर	गेहूं	हां
28.	बाड़मेर	उण्डखा	हां
29.	बाड़मेर	चौखोणियों की ढाणी	हां
30.	बाड़मेर	जाखडो की ढाणी	हां
31.	बाड़मेर	उदयनगर	हां
32.	बाड़मेर	महाबार पीथल	हां
33.	बाड़मेर	बलाऊ	हां
34.	बाड़मेर	परा	नहीं
35.	बाड़मेर	जालीपा	एनआरएचएम के अन्तर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति जारी, कार्य प्रगति पर

1	2	3	4
36.	बाड़मेर	बाडमेर ग्रामीण	एनआरएचएम के अन्तर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति जारी, कार्य प्रगति पर
37.	बाड़मेर	बाडमेर आगोर	एनआरएचएम के अन्तर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति जारी, भूमि उपलब्ध नहीं
38.	बाड़मेर	रडवा	एनआरएचएम के अन्तर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति जारी, कार्य प्रगति पर
39.	बायतू	मुढो की ढाणी	हां
40.	बायतू	कपूरडी	हां
41.	बायतू	भुरटिया	हां
42.	बायतू	बान्दरा	हां
43.	बायतू	भाडखा पुरोहितान	हां
44.	बायतू	नागणेशिया ढुंढा	नहीं
45.	बायतू	बोथिया जागीर	एनआरएचएम के अन्तर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति जारी, भूमि उपलब्ध नहीं
46.	बायतू	रोहिली	हां
47.	बायतू	माडपुरा सानी	एनआरएचएम के अन्तर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति जारी
48.	सिणधरी	रावतसर	हां

1	2	3	4
49.	सिणधरी	नोख	हां
50.	सिणधरी	सांजटा	हां
51.	सिणधरी	बक्से का तला	हां
52.	सिणधरी	सरली	हां
53.	सिणधरी	कगाऊ	हां
54.	सिणधरी	दौलाणियां का तला	हां
55.	सिणधरी	बेरीवाला तला	हां
56.	सिणधरी	सरणु चिमनजी	हां
57.	सिणधरी	केरली	एनआरएचएम के अन्तर्गत भवन निर्माण स्वीकृति जारी, कार्य प्रगति पर
58.	सिणधरी	रामसर कुआं	हां
59.	सिणधरी	मगने की ढाणी	हां
60.	सिणधरी	घोनरी नाडी	एनआरएचएम के अन्तर्गत भवन निर्माण स्वीकृति जारी, कार्य प्रगति पर
61.	सिणधरी	बांकासरा	हां
62.	सिणधरी	सरणु पनजी	एनआरएचएम के अन्तर्गत भवन निर्माण स्वीकृति जारी, कार्य प्रगति पर
63.	सिणधरी	सरली कला	हां
64.	सिणधरी	खुडासा	हां
65.	सिणधरी	गंगासरा	हां

पेंशनरों की चिकित्सा सुविधा हेतु नई नीति/कार्य योजना

581. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पेंशनरों की चिकित्सा सुविधा के सम्बन्ध में कोई नई नीति/योजना बनाई गई है? यदि हां, तो नीति/योजना की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चिकित्सकों द्वारा पेंशनरों की डायरी में जेनेरिक नाम से दवाई लिखे जाने के प्रावधान सरकार द्वारा लागू किये गये हैं? क्या/चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक नाम से दवाई लिखने के बावजूद उपभोक्ता पेंशनरों को कई बार दुकान पर अन्य कम्पनियों के उत्पाद अधिक महंगे लेने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही का प्रावधान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या इससे उपभोक्ताओं के हित प्रभावित होते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों की चिकित्सा सुविधा के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना, 2009 बनाई गई है। प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। यह सही है कि चिकित्सकों द्वारा पेंशनरों की डायरी में जेनेरिक नाम से दवाई लिखे जाने के प्रावधान सरकार द्वारा लागू किये गये हैं। लेकिन यह प्रावधान केवल पेंशनरों हेतु ही नहीं बल्कि राजकीय चिकित्सालयों में उपचार के लिये आने वाले सभी मरीजों के लिये लागू किये गये हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी चिकित्सकों द्वारा यथासम्भव प्रेस्क्रिप्शन (साल्ट/फार्मेकोपीयल/जेनेरिक) नाम से लिखा जाना है एवं आवश्यक दवाओं (एशेन्शियल ड्रग) का उपयोग मानक उपचार निर्देशों (स्टेण्डर्ड ट्रीटमेन्ट गाइडलाइन) के अनुसार किया जाना है। प्रत्येक पर्ची पर निदान (प्रोविजन/फाइनल डायग्नोसिस) व चिकित्सक के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होने चाहिये। आदेश की छायाप्रति परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 3031/2007 एवं 2991/2007 का निर्णय दिनांक 10.10.2011 में चिकित्सकों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। निर्णय की छायाप्रति परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पेंशनर्स को नि:शुल्क दवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया गया है। पेंशनर्स की डायरियों पर चिकित्सकों द्वारा लिखी गई जेनेरिक दवाइयां ही उपभोक्ता संघ एवं उपभोक्ता होलसेल भण्डारों द्वारा यथासम्भव पेंशनर्स को उपलब्ध कराई जाती है। चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक नाम से लिखी गई दवाईयां उपभोक्ता संघ एवं भण्डारों के दवा विक्रय केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं होने पर, राज्य सरकार के निर्देशानुसार उसी साल्ट की ब्राण्डेड कम्पनी की दवा उपलब्ध कराई जाती है। आदेश की छायाप्रति परिशिष्ट-द पर प्रस्तुत हैं ।

(3) उपभोक्ता संघ/भण्डारों द्वारा पेंशनर्स को जेनेरिक/ब्राण्डेड जेनेरिक दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पेंशनर्स की डायरियों पर चिकित्सकों द्वारा लिखी गई जेनेरिक दवाइयां ही उपभोक्ता संघ एवं उपभोक्ता हॉलसेल भण्डारों द्वारा यथासम्भव पेंशनर्स को उपलब्ध कराई जाती हैं। चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक नाम से लिखी गई दवाइयां उपभोक्ता संघ एवं भण्डारों के दवा विक्रय केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं होने पर, राज्ये सरकार के निर्देशानुसार उसी साल्ट की ब्राण्डेड कम्पनी की दवा उपलब्ध कराई जाती है। आदेश की छायाप्रति परिशिष्ट-द पर प्रस्तुत है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्ताओं की पदोन्नति

582. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में दो तरह के स्वास्थ्यकर्ता (पुरुष) प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या डिप्लोमा होल्डर प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित दोनों तरह के कर्मचारियों को एक समान वेतनमान, चयनित वेतनमान दिया जा रहा है?

(2) क्या प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्ता (डिप्लोमा) कर्मचारी संघ ने वेतन विसंगति के सम्बन्ध में कोई मांग पत्र प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या डिप्लोमा होल्डर स्वास्थ्यकर्ताओं की ओर से उनको चयनित वेतनमान/पदोन्नति अप्रशिक्षित कर्मचारियों से भिन्न देने हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम रहे?

(श्री राजकुमार रिणवां)

(4) क्या यह सही है कि डिप्लोमा होल्डर स्वारस्थ्यकर्ताओं को वर्ष 1982 के बाद पदोन्नत किया गया है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण रहे एवं क्या सरकार अब पूर्व की भांति उक्त कर्मचारियों को पदोन्नत/चयनित वेतनमान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 संशोधन 03.06.1982 के द्वारा विभाग में दिनांक 01.04.1982 तक विद्यमान बीएचडब्ल्यू/एमएसडब्ल्यू/कीट संग्रहकर्ता/वेक्सीनेटर के पदों को अधिशेष घोषित कर उक्त पदों पर पदस्थापित कर्मचारियों को 3 माह का स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के पद पर आमेलित किया गया। इसके पश्चात् विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) पद पर नियुक्ति दी गई। विभाग में कोई भी अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) कार्यरत नहीं है। वर्तमान में सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) को नियमों में विद्यमान समान वेतनमान एवं चयनित वेतनमान दिया जा रहा है।

(2) जी हां। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) कर्मचारी संघ द्वारा वेतन विसंगति के सम्बन्ध में मांग पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। 1982 के बाद पदोन्नति नहीं दी गई है। 9, 18 एवं 27 वर्ष के सेवाकाल पर पदोन्नति पदों का चयनित वेतनमान दिया जा रहा है।

बिलाड़ा की स्वास्थ्य केन्द्र विहीन ग्राम पंचायतें

583. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा (पं.स. बिलाड़ा/लूणी/मण्डोर) की किन-किन ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा अभी भी नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की स्वास्थ्य केन्द्र विहीन ग्राम पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुख्यालय अथवा उस ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले किसी न किसी ग्राम में एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान स्वीकृत है।

(2) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति बिलाड़ा का सम्पूर्ण तथा लूणी एवं मण्डोर का आंशिक क्षेत्र आता हैं।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पंचायत समिति बिलाड़ा एवं लूणी तथा मण्डोर के क्रमशः 1 एवं 6 तथा 3 ग्रामों में चालू/आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रयास किये जायेंगे।

अजमेर शहर के आदर्श नगर चिकित्सालय में स्त्री विशेषज्ञ के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति

584. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2012 तक कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र, कितनी पी.एच.सी., सी.एच.सी. एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सीटी डिस्पेन्सरी नवसृजित अथवा क्रमोन्नत की गई? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के वार्ड 11 में चन्द्रबरदायी एवं वार्ड 45 के कल्याणीपुरा क्षेत्र में सीटी डिस्पेन्सरी नवसृजित अथवा स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अजमेर शहर के जिला चिकित्सालय आदर्श नगर में स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के दो अतिरिक्त पदों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में 01 जनवरी 2009 से 31 जनवरी, 2012 तक 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण), 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी) एवं 537 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये है। विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) चालू/आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकता के आधार पर अजमेर दक्षिण के वार्ड 11 के चन्द्रबरदाई नगर एवं वार्ड 45 के कल्याणीपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी) खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) जी नहीं। राजकीय सेटेलाइट जिला चिकित्सालय आदर्श नगर, अजमेर में वर्तमान में 50 शैय्याएं स्वीकृत हैं। स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार 50 शैय्याओं वाले चिकित्सालय में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीररोग) का 1 पद स्वीकृत करवाये जाने का प्रावधान है। उक्त चिकित्सालय में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का 1 पद स्वीकृत है जिस पर डा. माया छबलानी कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) कार्यरत है। उक्त चिकित्सालय में मोबाइल सर्जिकल यूनिट का स्टाफ भी कार्य करता है। जिसमें भी एक कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग) का पद स्वीकृत है जिस पर डा. एच.एस. दुआ कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग) कार्यरत है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

झालावाड़ मेडिकल कालेज में रिक्त पद

585. श्री अनिल जैन (खानपुर) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ मेडिकल कालेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अन्य चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पदों पर वर्तमान में चिकित्सक कार्यरत हैं एवं कौन-कौनसे पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2010-11 में उक्त मेडिकल कालेज अस्पताल में आर्थोपेडिक्स, नेत्र एवं स्त्री रोग विभाग में कितने आपरेशन किये गये? माहवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला झालावाड में दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2012 तक कितने महिला चिकित्सकों के पद रिक्त हैं एवं अन्य चिकित्सकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? चिकित्सा केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अनिल जैन)

(5) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ मेडिकल कालेज में प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अन्य चिकित्सकों के स्वीकृत पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) झालावाड़ मेडिकल कालेज में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) वित्तीय वर्ष 2010-11 में झालावाड़ मेडिकल कालेज से सम्बन्धित अस्पताल के आर्थोपेडिक्स, नेत्र एवं स्त्री रोग विभाग में किये गये आपरेशनों का विभागवार एवं माहवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(4) झालावाड़ मेडिकल कालेज के अस्पताल में महिला चिकित्सक के 2 पद स्वीकृत है। उक्त पद वर्तमान में भरे हुए है। उक्त अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

झालावाड़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर में महिला चिकित्सा अधिकारी का एक पद स्वीकृत है। दिसम्बर 2008 से जून 2010 तक उक्त पद पर चिकित्सक पदस्थापित रही। दिनांक 30.06.2010 से 02.01.2012 तक उक्त पद रिक्त रहा तथा दिनांक 03.01.2012 से उक्त पद पर चिकित्सक पदस्थापित है। जिला झालावाड़ के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं क्षय निवारण केन्द्र इत्यादि में चिकित्सकों के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थावार संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(5) जी हां। झालावाड़ मेडिकल कालेज में चिकित्सकों की अनुउपलब्धता के कारण पद रिक्त रहते हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर साक्षात्कार लिये जाते है। चिकित्स्क उपलब्ध होने पर पद भर दिये जायेगे।

वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन उपरान्त भरे जायेंगे। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अर्थना भेजी जा चुकी है, चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर यथासम्भव रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले के सोनोग्राफी सेंटरों का निरीक्षण

586. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर में कौन-कौन से सोनोग्राफी सेंटर्स संचालित हैं एवं इनमें से कौन-कौन से पंजीकृत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में कानूनन भ्रूण लिंग परीक्षण पर रोक है? यदि हां, तो कब से व किन नियमों/आदेशों के तहत? सम्बन्धित नियमों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में जिला सीकर में किस-किस सोनोग्राफी सेंटर का कब-कब निरीक्षण किया गया एवं क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार आकस्मिक निरीक्षण हेतु कोई स्थायी टीम गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में संचालित सोनोग्राफी सेन्टर्स के नाम तथा वे पंजीकृत है या नहीं का विवरण विधान सभा क्षेत्रवार परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। यह सही है कि राज्य में भ्रूण के लिंग परीक्षण पर रोक है, इस हेतु राज्य में गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 लागू है जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जिला सीकर में गत 3 वर्षों में किये गये सोनोग्राफी सेन्टरों के निरीक्षण एवं पाई गई अनियमितताओं का विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(4) राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण हेतु 4 टीम गठित की गयी हैं। आज्ञा की छायाप्रति परिशिष्ट-द पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूमरोली-कुंजपुरा (अलवर) सड़क निर्माण कार्य की जांच

587. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बहरोड़ में डूमरोली से कुंजपुरा तक सड़क स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो कब व कितनी लम्बाई की तथा उक्त सड़क बनाने हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माण में घटिया रोड़ी कंकरीट का इस्तेमाल किया गया है? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी तथा ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तहसील बहरोड़ में डूमरोली से कुंजपुरा तक सड़क निर्माण हेतु दिनांक 20.09.2010 को 1.200 कि.मी. लम्बाई की रुपये 71.61 लाख की स्वींकृति स्टेट प्लान ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत प्राप्त हुई है।

(2) जी नहीं। सड़क निर्माण कार्य विशिष्टयों के अनुरूप किया गया है।

(3) जी नहीं। सड़क की वर्तमान स्थिति पूर्णतया संतोषजनक है एवं पांच वर्ष की गारण्टी समय सीमा में अनुबन्धानुसार आवश्यक मरम्मत सम्बन्धित संवेदक द्वारा की जावेगी।

जमवारामगढ़ के सड़क मार्ग रहित ग्राम

588. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोपाल मीणा)

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में दिनांक 31 जनवरी, 2012 तक कितनी पंचायतों में 500 या इससे ऊपर की आबादी वाले कितने गांवों में पक्की सड़क नहीं है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों को पक्की सड़क से नहीं जोड़ने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब सरकार द्वारा उक्त गांवों को कब तक पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में 31 जनवरी, 2012 तक 2 पंचायतों में जनगणना वर्ष 2001 पर आधारित 500 व इससे अधिक की आबादी वाले 2 गांव पक्की सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त गांवों को पक्की सड़क से नहीं जोड़ने के कारणों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) वन विभाग द्वारा स्वीकृति जारी करने एवं भूमि अवाप्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद डागोता व कनरियावाला गांवों को सड़क से जोड़ दिया जायेगा।

परिशिष्ट-1

(जनगणना वर्ष 2001 पर आधारित 500 व इससे अधिक आबादी के गांव जो पक्की डामर सड़क से जुड़े नहीं हैं)

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	आबादी	व्यवधान का प्रकार	योजना का नाम व वर्ष	स्वीकृत लम्बाई (किमी)	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	विशेष विवरण
1.	जमवारामगढ़	नीमला	डागोता	1422	वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में होने से डामरीकरण नहीं हो सका।	डब्ल्यू.बी. एम. से बी.टी. फेज-प्रथम (आर.आई.डी. एफ-10) 2004 -05	4.00	32.80	सड़क क्षेत्र जमवारामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में आने के कारण आदेश क्रमांक 267 दिनांक 29.10.2008 के द्वारा स्वीकृति निरस्त की गई।
2.	जमवारामगढ़	मानोता	कनरियावाला	631	राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य लम्बित है।	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-6) बेच प्रथम	0.83	12.32	भूमि अवाप्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त कार्य कर दिया जावेगा।

करड़-लक्ष्मीपुरा (सीकर) का क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग

589. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रेनवाल सुरेरा मार्ग पर दांतारामगढ़ सीकर तहसील के करड़ से लक्ष्मीपुरा तक की सड़क लम्बे समय से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? यदि हां, तो उक्त सड़क किस मद से कब निर्मित की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रेनवाल सुरेरा मार्ग पर करड़ से लक्ष्मीपुरा तक की सड़क का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत दिनांक 05.03.2002 को पूर्ण हुआ था। विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है। उक्त सड़क दिनांक 04.03.2005 तक गारण्टी अवधि में थी। तत्पश्चात राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार समय-समय पर उक्त सड़क की मरम्मत की जाती रही है। वर्तमान में उक्त सड़क माह सितम्बर, 2011 से क्षतिग्रस्त है तथा पुनः डामरीकरण के योग्य होने के कारण डामरीकरण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(2) जी हां। तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत करड़ से राजपुरा वाया लक्ष्मीपुरा तक कुल 3.00 कि.मी. लम्बाई की पुनः डामरीकरण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

करड़ से राजपुरा वाया लक्ष्मीपुरा निर्मित सड़क का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	योजना	वर्ष	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	व्यय राशि (रु. लाख)	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)
1.	सड़क निर्माण कार्य करड़ से राजपुरा वाया लक्ष्मीपुरा	पी.एम.जी.एस.वाई. फेज-प्रथम	2000-2001	12.00	2.00	18.70	2.00

परिशिष्ट-2

करड़ से राजपुरा वाया लक्ष्मीपुरा स्वीकृत नवीनीकरण कार्य का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	योजना	वर्ष	स्वीकृत		विशेष विवरण
				राशि (रु. लाख)	लम्बाई (कि.मी.)	
1.	सड़क निर्माण कार्य करड़ से राजपुरा वाया लक्ष्मीपुरा	13वां वित्त आयोग	2011-12	18.00	3.00	निविदा प्रक्रियाधीन है। दिनांक 25.04.12 को खोली जावेगी।

अलवर जिले के अतिक्रमणग्रस्त बांध

590. श्री ज्ञानदेव आहूजा (पाली) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में कुल कितने बांध हैं? उक्त बांधों की भराव क्षमता कितनी-कितनी है? वर्तमान में उक्त बांधों में कितना-कितना जल स्तर है? प्रत्येक बांध की वर्तमान भौतिक स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के बाधों के सुधार एवं विकास हेतु सरकार द्वारा कौन-कौनसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? उक्त जिले के बांधों पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये सरकार की क्या कार्य योजना है एवं कब तक इन बांधों को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) अलवर जिले में जल संसाधन विभाग के अधीन कुल 25 बांध हैं। वर्तमान में इन बांधों की भराव क्षमता एवं वर्तमान में उपलब्ध जल तथा प्रत्येक बांध की भौतिक स्थिति का विवरण परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले में सिलीसेढ एवं जयसागर बांध व नहरों के सुदृढ़ीकरण का कार्य जायका योजना के अन्तर्गत एवं अन्य कार्य महानरेगा योजना के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं। अलवर जिले में जल संसाधन विभाग के किसी भी बांध पर अतिक्रमण नहीं है।

परिशिष्ट-एक

अलवर जिले में जल संसाधन विभाग के अधीन बांधों की सूची

क्र. सं.	बांध का नाम	तहसील	कुल भराव FTL	वर्तमान में भौतिक स्थिति	दिनांक 3.4.12 को उपलब्ध जल	दिनांक 3.4.12 को कुल भराव (MCFT)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	जयसमन्द	अलवर	23’1”	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
2.	सिलीसेढ	अलवर	28’9”	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	21’9”	319.33
3.	मंगलसर	राजगढ़	46’0”	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	12’3”	18.87
4.	मानसरोवर	राजगढ़	21’6”	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	11’6”	130.44
5.	रामपुर	थानागाजी	15’0”	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
6.	जयसागर	थानागाजी	30’4”	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
7.	देवली	राजगढ़	13’0”	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
8.	धमरेड़	राजगढ़	11’0”	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
9.	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	5’3”	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil

1	2	3	4	5	6	7
10.	बघेरी खुर्द	किशनगढ़	11’3’’	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
11.	झिरोली	किशनगढ़	9’0’’	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
12.	खानपुर	किशनगढ़	4.20 मी.	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
13.	हरसौरा	बानसूर	16’3’’	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
14.	जैतपुर	थानागाजी	14’0’’	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
15.	वावरीया	बानसूर	10’0’’	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
16.	सीलीबेरी	अलवर	20’0’’	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
17.	बिगोता	राजगढ़	19’0’’	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
18.	तुसारी	कठूमर	3’0’’	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
19.	निम्बाहेड़ी	तिजारा	10’0’’	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
20.	ढकवासन	मुण्डावर	7’0’’	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
21.	आमका	थानागाजी	23’5’’	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
22.	सारनखुर्द	तिजारा	15’00’‘	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
23.	बिद्रोली	मुण्डावर	15’6’‘	सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित है।	Nil	Nil
24.	समरसरोवर	थानागाजी	क्षतिग्रस्त	—	—	—
25.	अतरिया	रामगढ़	डाईवर्जन	—	—	—

बूंदी जिले के गरडदा बांध का जांच प्रतिवेदन

591. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के गरडदा बांध के टूटने के बाद पाल की दीवार की जांच की गई थी? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बांध के निर्माण की खामियों के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी माना गया है? यदि हां, तो उन पर किन-किन धाराओं में मामले दर्ज किए गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांध के बारे में केन्द्रीय जल आयोग से तकनीकी दृष्टि से इसकी मरम्मत के लिए कोई सुझाव मांगे गए थे? यदि हां, तो केन्द्रीय जल आयोग के जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला बूंदी में दिनांक 15.08.2010 को गरडदा बांध के टूटने के बाद सम्भागीय आयुक्त, कोटा की अध्यक्षता में गठित जांच दल द्वारा इसकी जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1996 के नियम 16/17 एवं सेवानिवृत अधिकारियों के विरुद्ध पेंशन नियम 7 के अन्तर्गत मामले दर्ज किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-'ब' पर सलग्न है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा इस प्रकरण में प्राथमिकी, अन्तर्गत धारा 13(1)डी.13(2) पी.डी. एक्ट 1988 एवं 420, 120 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की है। प्राथमिकी की प्रति परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(3) जी हां। जांच प्रतिवेदन की प्रति की छाया प्रति परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कुम्भलगढ़ के झौक का नाका एनिकट का निर्माण

592. श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गणेश सिंह परमार)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ में नरेगा योजना के अन्तर्गत दिनांक 20 जून, 2010 को झौक का नाका एनिकट की घोषणा की गयी थी और जिसकी स्वीकृति सरकार द्वारा प्राप्त हो चुकी है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त एनिकट का ठेका भी हो चुका है परन्तु एनीकट का कार्य अब तक चालू नहीं किया गया है?

(3) क्या सरकार उक्त झौक का नाका एनिकट का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। झौक का नाका एनिकट की नरेगा योजना में जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पत्रांक 9025-35 दिनांक 09.07.2010 के द्वारा श्रम भाग में रुपये 10.48 लाख रुपये एवं सामग्री मद में रुपये 53.27 लाख रुपये कुल 63.75 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई। तत्पश्चात संशोधित स्वीकृति जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पत्रांक 30 दिनांक 20.05.2011 के द्वारा श्रम भाग में 12.73 लाख रुपये एवं सामग्री मद में 70.96 लाख रुपये कुल 83.69 लाख रुपये की जारी की गई।

(2) जी हां। उक्त कार्य पर नरेगा योजना के अन्तर्गत निर्माण सामग्री आपूर्ति का कार्योदेश मै. मनोहर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बीकानेर को राशि रुपये 6034847/- का दिया गया है। सम्बन्धित ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत आवेदित श्रमिक उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। विभाग द्वारा कार्य पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु माह मई, 2011 से हर पखवाड़ा प्रारम्भ होने के पूर्व श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आवेदन किया जाता रहा है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा आज दिनांक तक श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

(3) जी हां। सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा श्रमिक उपलब्ध कराने पर कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा।

विद्युत कर्मचारियों की वेतन विसंगति का निराकरण

593. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(1) क्या यह सही है कि विद्युत वितरण कम्पनियां कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति न दे सकने के कारण उन्हें चयनित वेतनमान दे रही हैं?

(2) क्या तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने भी अपने कर्मचारियों को 9, 18, 27 वर्ष पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान की नीति लागू की थी? यदि हां, तो क्या जहां पदोन्नति क्रम निर्धारित हैं, वहां उन कर्मचारियों को पदोन्नति पद के अनुरूप ही 9, 18, 27 का लाभ दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सांख्यिकी कर्मचारियों में कम्प्यूटर से सांख्यिकी अधिकारी तक का पदोन्नति क्रम व उनका तत्कालीन वेतनमान क्या है तथा उन्हें देय चयनित वेतनमान क्या है एवं जो वेतनमान पांचवें वेतन आयोग में था वो छठे वेतन आयोग में क्या है तथा उनकी पे ग्रेड क्या है? क्या दोनों में कोई अन्तर है? यदि हां, तो क्या व क्यों?

(4) क्या विद्युत कम्पनियां इस विसंगति/अन्तर को दूर कर कर्मचारियों को पदोन्नति पद श्रेणी का वेतनमान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। तत्कालीन राज. राज्य विद्युत मंडल में कर्मचारियों को उनकी सेवा/संवर्ग में निर्धारित पदोन्नति क्रम में पदोन्नत पद के अनुरूप 9-18-27 का लाभ दिया जाता रहा हैं।

(3) सांख्यिकी कर्मचारियों में कम्प्यूटर से सांख्यिकी अधिकारी तक का पदोन्नति क्रम निम्न है:-

पद	तत्कालीन वेतनमान	चयनित वेतनमान
1	2	3
1. कम्प्यूटर	4000-6000	I 5000-8000
		II 5500-9000
		III 6500-10500

(ऊर्जा मंत्री)

1	2	3
2. सांख्यिकी सहायक (पदोन्नति पद)	5000-8000	II 5000-9000
		III 6500-10500
3. सांख्यिकी (Statistician) (सीधी भर्ती/पदोन्नति पद)	5500-9000 (पदोन्नति पद)	III 6500-10500
	5500-9000 (सीधी भर्ती)	I 6500-10500 II 8000-13500
4. सांख्यिकी अधिकारी	8000-13500	—

5वें 6वे वेतन आयोग के वेतनमान :-

पद	वेतनमान 5 वां	वेतनमान 6 वा
1. कम्प्यूटर	4000-6000	5200-20200+GP 2400
2. सांख्यिकी सहायक	5000-8000	9300-34800+GP 3200
3. सांख्यिकी	5500-9000	9300-34800+GP 3600
4. सांख्यिकी अधिकारी	8000-13500	15600-39100+GP 5400

कर्मचारियों को तत्कालीन राज. राज्य विद्युत मंडल द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयनित वेतनमान दिया जाता था परन्तु 6वें वेतनमान के लागू होने पर, दिनांक 01.09.06 से नये आदेशानुसार "एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन" का लाभ अब चयनित वेतनमान के स्थान पर देय है। जहां 9-18-27 की सेवा पूर्ण होने पर वर्तमान आहरित ग्रेड पे से ठीक आगे के क्रम का ग्रेड पे दी जाती है, वह पदोन्नति पद अथवा उससे कम दर की भी हो सकती है।

(4) दिनांक 1.09.06 से पहले चयनित वेतनमान अनुज्ञात करने के नियम एवं उसके पश्चात "एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन" (ACP) अनुज्ञात करने के नियम भिन्न भिन्न है एवं इनमें कोई विसंगति नहीं है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के खराब ट्रांसफार्मर

594. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विद्युत वितरण निगम के जिलेवार कार्यालयों में विभिन्न के.वी.ए. के खराब ट्रासंफार्मर कितने हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ट्रासंफार्मर मरम्मत योग्य हैं? यदि हां, तो मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई? यदि नहीं, तो इनको वर्षों से क्यों रखा जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक नये कनेक्शनों हेतु डिमाण्ड नोट तो भरवा लिये गये और गरीब काश्तकारों को डिमाण्ड नोट जमा कराने के बावजूद दिनांक 15 जनवरी, 2012 तक ट्रासंफार्मर उपलब्ध नहीं कराये गये? यदि हां, तो क्यों?

(4) अब उक्त डिमाण्ड नोट जमा कराने वाले किसानों को कब तक ट्रासंफार्मर उपलब्ध करा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विद्युत वितरण निगम के जिलेवार वृत भण्डारों की दिनांक 15.2.2012 की स्टाक पोजिशन अनुसार विभिन्न के.वी.ए. के कुल 15299 ट्रासंफार्मर खराब पड़े हुये हैं, जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) कुल 15299 ट्रांसफार्मरों में से 7841 ट्रासंफार्मर गारंटी अवधि में खराब हुये हैं, अतः इनको सम्बन्धित फर्म से निःशुल्क ठीक करवाया जा रहा है। शेष 7458 ट्रासंफार्मरों की गारन्टी अवधि समाप्त हो गयी है, उन ट्रासंफार्मरों में से वर्ष 2000 के बाद के निर्मित ट्रासंफार्मरों की मरम्मत दर संविदा के अन्तर्गत करवाई जा रही है।

(3) जी नहीं। राज्य में दिनांक 15 जनवरी, 2012 तक कृषि कनेक्शन हेतु 67282 आवेदकों के मांग पत्र राशि जमा थी, जिसमें से माह फरवरी, 2012 तक 32007 कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, शेष 35275 मांगपत्र राशि जमा वाले आवेदकों को विद्युत लाइनों का सामान प्राथमिकता एवं उपलब्धता के आधार पर दिया जा रहा है। उक्त कृषि कनेक्शन हेतु दिनांक 15 जनवरी, 2012 तक लगभग 33000 ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिये गये थे। लाइन कार्य पूर्ण होने पर उपलब्धतानुसार ट्रासंफार्मर भी प्राथमिकता क्रम में दिये जाते हैं। यह एक नियमित एवं स्थापित प्रक्रिया है, जिसमें सभी आवेदकों

(ऊर्जा मंत्री)

के हित सुरक्षित हैं लेकिन अगर प्राथमिकता के अनुसार कोई किसान सामग्री लेने नहीं आये हैं, उनको नोटिस जारी किये गये हैं।

(4) लाइन सामग्री एवं ट्रांसफार्मर की उपलब्धता वित्तीय संसाधनों के अनुसार सुनिश्चित होती है। दिनांक 31.03.12 तक विभिन्न भण्डारों में विद्युत निगमों के पास 16 केवीए के 6158 एवं 25 केवीए के 925 ट्रांसफार्मर कृषि कनेक्शन हेतु उपलब्ध थे एवं इसके बाद भी ट्रांसफार्मर की आवक जारी है। शेष रहे उक्त आवेदकों को कनेक्शन वित्तीय वर्ष 2012-13 में जारी करना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विद्युत चोरी की रोक हेतु कार्य-योजना

595. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विद्युत चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में दर्ज हुई विद्युत चोरी की घटनाओं का जिलेवार एवं माहवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विद्युत चोरी की घटनाओं को रोकने के लिये समुचित कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक उठाये गये कदमों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विद्युत चोरी करने वालों का नाम प्रकाशित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु लगातार विशेष एवं सघन जांच अभियान चलाये जाने के फलस्वरूप विद्युत चोरी के ज्यादा मामले पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है एवं विद्युत चोरी में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध की गयी प्रभावी कार्यवाही से विद्युत चोरी पर अंकुश लगा है। तीनों विद्युत वितरण निगमों द्वारा गत तीन वर्षों में पकड़े गये विद्युत चोरी के मामलों का जिलेवार एवं माहवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राज्य सरकार विद्युत चोरी और छीजत रोकने के लिये कृत संकल्प है। विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु राज्य में तीनों विद्युत वितरण निगमों क्रमशः जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर के सतर्कता एवं पवस

(ऊर्जा मंत्री)

अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सतत सतर्कता जांच की जाती है एवं समय-समय पर विशेष सतर्कता जांच अभियान चलाकर दोषियों की धरपकड़ की जाकर उनके विरुद्ध विद्युत अधिनियम-2003 के तहत कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु प्रदेश भर में 46 विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने स्थापित किये जा चुके हैं, जिनके द्वारा विद्युत चोरी अपराधों में दर्ज अभियोगों पर त्वरित अनुसंधान किया जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। बडे पैमाने पर विद्युत चोरी करने वालों के नाम तथा विद्युत चोरी में गिरफ्तार व्यक्तियों के विवरण समय-समय पर स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित कराये जाते हैं। सामान्यतः छोटे पैमाने पर विद्युत चोरी के मामले समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कुशलगढ़ की खराब विद्युत लाइनों की मरम्मत

596. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में विद्युत लाइनों का रखरखाव सही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में लम्बे समय से विद्युत लाइनों को ठीक नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों और इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की पुरानी विद्युत लाइनों में नये पोल लगाने व तारों को खिंचवा कर ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में विद्युत लाइनों का रखरखाव सही है।

(2) उक्त क्षेत्र में समय-समय पर आवश्यकतानुसार विद्युत लाइन का रखरखाव किया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) उक्त क्षेत्र में आवश्यकतानुसार पुराने पोलों के स्थान पर नये पोल लगाये गये हैं तथा ढीले तारों को खींचकर सही किया गया है तथा भविष्य में आवश्यकतानुसार उक्त कार्यों को सम्पादित किया जायेगा।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के ठेकों में अनियमितता

597. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के पहले ही चरण में ठेके देने में अनियमितता सामने आई है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ठेके देने में अनियमितता में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का चयन भारत सरकार के उपक्रम एनटीपीसी; विद्युत व्यापार निगम द्वारा टैरिफ डिस्काउन्टनिंग प्रकिया द्वारा किया गया है। राजस्थान सरकार की इस चयन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। राज्य में उक्तट परियोजनाएं "राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2011" के तहत स्थापित की जा रही हैं, जिसमें राजस्थान सरकार केवल सुविधादाता की भूमिका का निर्वहन कर रही है। अतः इस प्रकरण में निगम स्तर पर कोई अनियमितता सामने नहीं आई है।

(2) उपरोक्त के क्रम में लागू नहीं ।

करौली के विद्युतीकृत ग्राम

598. **श्रीमती रोहिणी कुमारी** (करौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में जिला करौली में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कौन-कौन से गांवों का विद्युतीकरण किया गया और कुल कितने बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती रोहिणी कुमारी)

(2) क्या यह सही है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का कार्य कर रही अनुबन्धित फर्म के कर्मचारियों द्वारा बीपीएल आवेदकों से विद्युत कनेक्शन करने के बदले पैसे मांगे जाते हैं? क्या सरकार उक्त अनुबन्धित फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्या योजनान्तर्गत विद्युतीकृत किये जाने वाले गांवों की कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र करौली में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कौन-कौन से गांवों को विद्युतीकृत किया गया है और कुल कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) करौली जिले की स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक 56 अविद्युतिकृत ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 तक जिले के कुल 33273 बी. पी. एल. परिवारों को निःशुल्क घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) करौली जिले की स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना क्रियान्वयन का कार्य मै. विन्धया टेलीलिंक, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। उक्त अनुबन्धित फर्म के कर्मचारियों द्वारा बीपीएल आवेदकों से विद्युत कनेक्शन करने के बदले पैसे मांगे जाने सम्बन्धित कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथापि इस विषय में क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिये हुए हैं कि यदि अनुबन्धित फर्म या उसके कर्मचारी द्वारा घरेलू कनेक्शन के बदले पैसे मांगने की शिकायत होती है, तो उस फर्म व उसके कर्मचारी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी जावे। ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु कोई प्राथमिकता नहीं है। तकनीकी सुगमता के अनुरूप, मांग की आवश्यकता के मद्‌देनजर विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है। तत्पश्चात रूट की सुविधानुसार अगले गांव का विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

(3) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र करौली में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतिकृत किये गये गांवों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल 5560 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

परिशिष्ट-अ

List of UE/DE villages electrified as on 31.3.12 under RGGVY in District Karauli

1	Areni Goojar	01211200	Hindaun
2	Hindaun Rural	1212700	Hindaun
3	Kailash Nagar	1212800	Hindaun
4	Bad Mahasinghpura	1193400	Todabhim
5	Bholu Ki Kothi	1186800	Todabhim
6	Bichchhpuri	1193000	Todabhim
7	Chandwar (De)	1193600	Todabhim
8	Lalaram Ka Pura	1191900	Todabhim
9	Dharanga	1198200	Nadauti
10	Ibrahim Pur	1198800	Nadauti
11	Kankara	1199700	Nadauti
12	Rengespura	1196900	Nadauti
13	Barwatpura	01226000	Karauli
14	Bhojpur	12778000	Karauli
15	Bhood Khera	01229800	Karauli
16	Birhata	1228200	Karauli
17	Chamarpura	01226300	Karauli
18	Danda	01226700	Karauli
19	Daudpur	1228300	Karauli
20	Deori	01228500	Karauli
21	Dukawali	01225900	Karauli
22	Farakpur	01227700	Karauli
23	Garai	1236000	Karauli
24	Gharai ki ghudi	1235800	Karauli
25	Hanumanpura	125300	Karauli
26	Jamoora	1227000	Karauli
27	Jugeenpura	1218200	Karauli
28	Kashirampura	1218400	Karauli

29	Keshpura	01228800	Karauli
30	Khaira	01231000	Karauli
31	Khoondri	01228700	Karauli
32	Kumherpur	01225300	Karauli
33	Mangrol	1227300	Karauli
34	Nawalapura	01226800	Karauli
35	Nimeripura	1225800	Karauli
36	Pahari Meeran	122700	Karauli
37	Peepal Khera	01226600	Karauli
38	Pura Auodarkhan	01225400	Karauli
39	Rajanipura	01224600	Karauli
40	Rohar	1229200	Karauli
41	Sadhpura	1226500	Karauli
42	Sewli	1228100	Karauli
43	Shankerpur	1222600	Karauli
44	Singhanpur	1227200	Karauli
45	Tali	1226400	Karauli
46	Ummedpura	01223200	Karauli
47	Umri	1227100	Karauli
48	Bheret	01242100	Sapotra
49	Dengariya	1257700	Sapotra
50	Dhusai	01258100	Sapotra
51	Dongari	1257600	Sapotra
52	Jargadpura	1239700	Sapotra
53	Mahal Dhankri	01256800	Sapotra
54	Meenapura	1196900	Sapotra
55	Simara	01260000	Sapotra
56	Toda	01259900	Sapotra

परिशिष्ट-ब

BPL CONNECTIONS RELEASED UPTO MARCH, 2012 UNDER KARAULI CIRCLE

S. No.	Name of Sub-Div.	BPL Connect. Released by the VTL	Already BPL connection released under Kutir Jyoti Yojana (2007-08)	Total	Name of Constitu-ency
1.	Karauli	5560	422	5982	Karauli
2.	Sapotra	8642	390	9032	Sapotra
3.	SMVJ	0	0	0	
Total Karauli Div.		**14202**	**812**	**15014**	
4	A-I Hin (Urban)	0	0	0	
5	A-II HND	9526	573	10099	Hindaun
6	Todabhim	3956	356	4312	Todabhim
7	Nadauti	3589	259	3848	Todabhim
Total HND Div.		**17071**	**1188**	**18259**	
Total Karauli Circle		**31273**	**2000**	**33273**	

भीलवाड़ा जिले के प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

599. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भीलवाड़ा में 1 जनवरी, 2009 से फरवरी, 2012 तक 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्थापना की कौन-कौनसी योजनायें कब-कब स्वीकृत की गई तथा इन ग्रिड सब-स्टेशनों का कार्य कब-कब प्रारम्भ किया गया है और किस-किस ग्रिड सब-स्टेशन का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रिड सब-स्टेशनों में से किस-किस स्टेशन का कार्य पूर्ण होकर विद्युत प्रवाहित कर दी गई है तथा किस-किस ग्रिड सब-स्टेशन का कितना-कितना कार्य शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष अपूर्ण ग्रिड सब-स्टेशनों का कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा? ग्रिड सब-स्टेशनवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना के तहत वर्ष 2009-10 में 33/11 केवी के 86 सब-स्टेशन एवं आर.ए.पी.डी.आर.पी. के तहत वर्ष 2010-11 में 5 सब-स्टेशन स्वीकृत किये गये। उक्त 91 सब-स्टेशन में से 21 सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य माह मार्च, 2012 तक पूर्ण किया जा चुका है। शेष 70 सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार आगामी वर्षों में किया जा सकेगा। विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त ग्रिड सब-स्टेशनों में से 21 सब-स्टेशनों का कार्य पूर्ण कर चालू कर दिये गये है। विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

शेष 70 सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार आगामी वर्षों में किया जा सकेगा।

(3) उपरोक्तानुसार।

प्रपत्र "अ"

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

भीलवाड़ा जिले में 01 जनवरी, 2009 से 33/11 केवी के स्वीकृत सब-स्टेशनों का विवरण

क्र. सं.	33/11 केवी सब-स्टेशन	विवरण
1	**2**	**3**
1	सांगरिया	
2	नई अरवर	स्थापित
3	खेडा हातिम	
4	अरनिया गोदा	
5	रहेड़	
6	लसाड़िया	
7	आमंलीकलां	
8	लूलास	
9	सरदार नगर	स्थापित
10	मेघरास	

1	2	3
11	झांतल	
12	डाबला	
13	जसवंतपुरा	
14	कमालपुरा	स्थापित
15	चावण्डिया	स्थापित
16	नांदसा (खालसा)	
17	सहाड़ा	स्थापित
18	गोम्वालिया	
19	सुरावास	
20	आमंली	
21	आशाहोली	
22	नाहेरी	
23	बारी	
24	कोट	
25	देवारिया	
26	दूडिया	
27	मुजरास	स्थापित
28	हमीरगढ़	स्थापित
29	खैराबाद	स्थापित
30	गुरला	
31	आमदला	
32	उंचा	
33	टीठोरी	

1	2	3
34	धोर	
35	पीपलुन्द	स्थापित
36	खेरूना	
37	गांगीथला	
38	उदलिया	
39	सकतपुरिया	स्थापित
40	बिशनिया	
41	छापरेल	
42	बरूंदनी	स्थापित
43	सराना	स्थापित
44	जालिया	स्थापित
45	राजगढ़	
46	महुआ	
47	सुरदिया	
48	नीम का खेडा	
49	पदमपुरा (लाडपुरा)	
50	अन्त	
51	भोपालपुरा	
52	चांद की खेड़ी	
53	माल का खेड़ा	स्थापित
54	उमा जी खेड़ा	
55	आंमा	
56	गेगा जी खेड़ा	

1	2	3
57	जीवा का खेड़ा	
58	नेगड़िया	
59	कांवलास	
60	कटार	
61	लाछुडा	
62	मोड़ का निम्बाहेड़ा	स्थापित
63	उदलियास	
64	आमेसर	
65	पारासौली	
66	चैनुपरा	
67	प्रतापपुरा	स्थापित
68	पाटन	
69	खारी का लाम्बा	
70	फालम्दा	
71	परदों दास	
72	कोटडी	स्थापित
73	धुंवाला	
74	बांवडी	
75	घोडास	स्थापित
76	टंहुका	
77	बेमाली चौराया	स्थापित
78	गर्वा	
79	गोरख्या	

1	2	3
80	शिवपुर	
81	रामपुरिया	
82	चिलेश्वर	
83	भोली	
84	महुआ कलां	
85	कोदूकोटा	
86	रूपाहली	
87	बापू नगर, भीलवाड़ा	स्थापित
88	गांधी नगर, भीलवाड़ा	
89	पटेल नगर, भीलवाड़ा	
90	तिलक नगर, भीलवाड़ा	
91	शास्त्री नगर, भीलवाड़ा	स्थापित

सुमेल (जयपुर) पंचायत में विद्युत आपूर्ति

600. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्राम पंचायत सुमेल (पंचायत समिति झोटवाड़ा) जयपुर के ग्राम रूपा की नांगल तथा मालियों की ढाणी की विद्युत लाइन को शहरी विद्युत लाइन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) वर्तमान में ग्राम पंचायत सुमेल के उक्त गांवों में कुल कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है?

(3) शहरी क्षेत्र की विद्युत लाइन से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रावधान रखे गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) ग्राम पंचायत सुमेल के ग्राम रूपा की नांगल तथा मालियों की ढाणी की विद्युत आपूर्ति 11 केवी चावण्ड का मण्ड फीडर से की जा रही है। इस फीडर की विद्युत छीजत 20 प्रतिशत अधिक है। अतः इस फीडर पर सायं 6:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक (13 घंटे) सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है। कृषि हेतु थ्री फेज विद्युत आपूर्ति 5 घण्टे ब्लाकवार दी जा रही है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत लाइनों को शहरी क्षेत्रों की विद्युत लाइन से जोड़ने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

चाकसू में सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पद

601. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कार्यरत कई कार्यालयों में सहायक अभियन्ताओं के स्थान पर कनिष्ठ अभियन्ता पदस्थापित हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अविलम्ब उक्त पदों पर सहायक अभियन्ताओं को पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र चाकसू में सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चाकसू के पद पर श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता ही कार्यरत है।

132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, चाकसू पर सहायक अभियन्ता का पद रिक्त है। वहां पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता को सहायक अभियन्ता पद का अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है।

(2) पदोन्नति सम्बन्धित विवाद माननीय न्यायालय में लम्बित होने के कारण राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में पदोन्नति नहीं हो पा रही है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

रायसिंहनगर में संचालित पशु चिकित्सा केन्द्र

602. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कितने पशु चिकित्सालय उप केन्द्र व पशु डिस्पेंसरी कहां-कहां संचालित हैं तथा उक्त केन्द्रों पर कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में निम्नानुसार पशु चिकित्सा संस्थायें कार्यरत हैं:

प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	पशु चिकित्सा उप केन्द्र
रायसिंहनगर	बाजूवाला	कीकरवाली	मुकलावा
श्री विजयनगर	समेजा		लौहारा
	बाण्डा		थान्देवाला
	5 एनपी		नानूवाला
	59 एनपी		39 पीएस
	लूणेवाला		ठण्डी
			1 एलपीएम
			6 एलपीएम
			गोमावाली
			बिलोचिया
			4 बीएलडी
			7 एपीडी
			2 एफडी बी

(पशुपालन मंत्री)

उक्त समस्त केन्द्रों पर स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत	रिक्त
1	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	2	0
2	पशु चिकित्सा अधिकारी	6	2
3	पशु चिकित्सा सहायक	4	2
4	पशुधन सहायक	22	8
5	सईस	18	9
6	गडरिया	2	1
7	जलधारी	2	0
8	सफाईकर्ता	3	0

बगरू में जन भावना विरुद्ध स्वीकृत मछली मार्केट

603. श्रीमती गंगा देवी (बगरू) : क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार बगरू विधान सभा क्षेत्र के खो-नागौरियान में प्रस्तावित मछली मार्केट व इस पेटे भूमि आबंटन को जनहित में निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। बगरू विधान सभा क्षेत्र के खो-नागौरियान में प्रस्तावित मछली मार्केट को जनविरोध के कारण आदेश क्रमांक एफ.3(11)मत्स्य/विकास/05-06/499 दिनांक 16.08.2011 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही

604. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी श्री बी.एल. गुप्ता ने श्री आर.के. जेठाना ए.ई.एन. एवं श्री दशरथ सिंह ड्राइवर द्वारा उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड उदयपुर में की गई अनियमितता की जांच कर दिनांक 23 नवम्बर, 2010 को रिपोर्ट पेश कर दी है? यदि हां, तो इस जांच का परिणाम क्या रहा?

(2) क्या उक्त जांच रिपोर्ट को महाप्रबन्धक कार्मिक एवं प्रशासन ने दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 को प्रबंध संचालन जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ उदयपुर को कार्यवाही हेतु भेजा था? यदि हां, तो इस जांच रिपोर्ट के बिन्दु अनुसार दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अनियमितता में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर भविष्य में अनियमितता पर प्रभावी अंकुश लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) जी हां। श्री बी.एल. गुप्ता, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का पक्ष सुना नहीं गया था, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने के परिणामस्वरूप उक्त प्रकरण में विभाग द्वारा संस्थागत विकास अधिकारी से पुनः जांच कराई गई है।

संस्थानगत विकास अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

जांच रिपोर्ट के अनुसार उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार, जांच परिणाम अनुसार बिन्दु संख्या-1 से 4 व 6 से 8 तक वित्तीय अनियमितताएं होना प्रमाणित नहीं है।

बिन्दु संख्या-5 पर पाई गई वित्तीय अनियमितता की राशि सम्बन्धित वाहन चालक द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व संघ में जमा करा दी गई है।

(3) जी हां। दुग्ध संघ के सेवा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर।

मालपुरा तिलांजू तालाब से सिंचाई की अवैध वसूली

605. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रणवीर पहलवान)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में तिलांजू के बड़े सिंचाई तालाब पर कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा?

(2) उक्त तालाब सार्वजनिक है या व्यक्तिगत? क्या उक्त सार्वजनिक तालाब की निजी व्यक्तियों द्वारा सिंचाई राशि अवैध वसूली की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त तालाब व सिंचाई की अवैध वसूली की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत तिलांजू में स्थित बड़ा तालाब निजी खातेदारी में है, जो कि श्री पृथ्वीसिंह व अन्य खातेदारों की भूमि में बना है।

(2) उक्त तालाब सिंचाई विभाग से स्थानान्तरित सार्वजनिक तालाब है। इस तालाब पर निजी व्यक्तियों द्वारा कोई वसूली नहीं की जाती है।

(3) जी नहीं। उक्त तालाब पर निजी व्यक्तियों द्वारा कोई वसूली नहीं की जाती है।

आनन्दपुरी पंचायत समिति (बांसवाड़ा) की ग्राम पंचायतों का आडिट

606. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत नाहरपुरा व छाजा में गत तीन वर्षों एवं उक्त पंचायत समिति की कुल 26 में से 18 ग्राम पंचायतों के पास गत दो वर्षों के व्यय का लेखा-जोखा ही नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि नाहरपुरा एवं छाजा ग्राम पंचायत में करीब 6 करोड़ और बाकी 18 ग्राम पंचायतों में करीब 36 करोड़ रुपयों के हिसाब-किताब का आडिट नहीं हुआ है ?

(3) उक्त पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के हिसाब किताब नहीं रखे जाने के सम्बन्ध में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने सम्बन्धित पंचायतों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट कब दर्ज कराई और दर्ज रिपोर्ट पर किस-किस के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 में समस्त 26 ग्राम पंचायतों द्वारा किये कार्यों का दिनांक 27.05.2011 से 05.08.2011 तक पंचायत समिति मुख्यालय पर अंकेक्षण कार्य सम्पादित किया गया हैं। वर्ष 2008-09 में ग्राम पंचायत नाहरपुरा एवं छाजा का सामान्य लेखो का अंकेक्षण बकाया था जिसमें ग्राम पंचायत छाजा का अंकेक्षण करवा लिया गया है। ग्राम पंचायत नाहरपुरा के सामान्य लेखों का अंकेक्षण मूल पत्रावली के ए.सी.डी. विभाग में जांच में लम्बित होने से नहीं कराया जा सका है।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति, आनन्दपुरी की ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण हो जाने के कारण कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई गई है।

बयाना की ग्राम पंचायतों में पदेन सचिव के रिक्त पद

607. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बयाना, रूपवास में ग्राम पंचायत पदेन सचिव के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो ग्राम पंचायतवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति बयाना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के 02 पद रिक्त हैं, जिनमें से एक पद पुरावाई खेडा तथा दूसरा महरावर ग्राम पंचायत में रिक्त है। पंचायत समिति रूपवास में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव का कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) ग्राम पंचायत पुरावाई खेडा का अतिरिक्त चार्ज श्री ललित कुमार शर्मा को तथा ग्राम पंचायत महरावर का अतिरिक्त चार्ज श्री फूलसिंह ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को दिया गया है। कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन से प्रतिबन्ध हटने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

भूडला (जयपुर) ग्राम पंचायत द्वारा निजी भूमि पर व्यय राशि

608. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1987 से 2011 तक जिला जयपुर तहसील बस्सी की ग्राम पंचायत भूडला द्वारा किन-किन को पट्टे जारी किये गये? पट्टों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पट्टाशुदा भूमि एवं खातेदारी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा बिना सहमति के सरकारी राशि व्यय की गई है? यदि हां, तो क्यों और अब तक कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(3) उक्त पंचायत के कार्य के विरुद्ध पंचायत समिति को निजी भूमि पर सरकारी व्यय के सम्बन्ध में किन-किन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? अब तक उक्त पर क्या कार्यवाही की गई तथा सरकार आगे क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला जयपुर, तहसील बस्सी की ग्राम पंचायत भूडला द्वारा वर्ष 1987 से 2011 तक 28 पट्टे जारी किये गये है। जिनका नाम सहित पट्टों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं। (परिशिष्ट-1)

(2) जी नही। ग्राम पंचायत, भूडला द्वारा पट्टा शुदा भूमि एवं खातेदारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही कराया गया। बल्कि ग्रेवल सडक बांसखोह लवाण रोड से आलस्या की ढाणी लालावाला तक वर्ष 2008-09 में नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत हुई थी। यह ग्रेवल सड़क सूरजमल एवं अन्य के खसरा नं. 10/2 से होकर गुजरती थी। खसरा नं. 10/2 में सड़क स्वीकृति से पूर्व अन्य के वारिसों ने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सड़क निर्माण की सहमति दी थी। ग्राम पंचायत द्वारा श्री सूरजमल के खसरा नं. 10/2 में सडक निर्माण कार्य पर कोई सरकारी राशि व्यय नहीं की गई है ।

श्री जगदीश शर्मा के खसरा नं. 11 में कोई कार्य नहीं कराया गया है। न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद कार्य बन्द है । उपरोक्त स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य पर 10728/- रुपये का ही व्यय किया गया है। यह व्यय खसरा नं. 10/2 एवं खसरा नं. 11 को छोड़कर किया गया है तथा खसरा नं. 10/2 में काश्तकारों की सहमति से प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के दौरान आम रास्ते का राजस्व नक्शे में इन्द्राज कर दिया गया है ।

(पंचायतीराज मंत्री)

(3) जी हां। उक्त पंचायत के ग्रेवल सड़क कार्य के सम्बन्ध में निजी भूमि पर सरकारी व्यय के सम्बन्ध में श्री जगदीश शर्मा एवं श्री घनश्याम शर्मा की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत प्राप्त होने के बाद एवं माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश पारित होने के कारण कार्य बन्द कर दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश निरस्त कर दिये जाने पर कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया जावेगा क्योंकि खसरा नं. 10/2 में काश्तकारों की सहमति से प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के दौरान आम रास्ते का राजस्व नक्शे में इन्द्राज कर दिया गया है। नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की नकल संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

पंचायतीराज के जन प्रतिनिधियों हेतु क्रय किये गये वाहनों पर व्यय

609. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला प्रमुख, प्रधान एवं जिला परिषद के अधिकारियों को राजकीय वाहन उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 2011-12 में राशि उपलब्ध करवाई गई है? जिलेवार वाहनों की स्वीकृति एवं वाहन का माडल व स्वीकृत राशि क्या निर्धारित की है?

(2) क्या जिलों में उक्त स्वीकृत माडल के वाहन के क्रय आदेश ही जारी किये गये हैं? क्या उनसे भिन्न माडल के वाहन के क्रय आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो उनकी लागत में वृद्वि की राशि की स्वीकृति सरकार के किस सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई? जिलेवार क्रय किये गये वाहन मय स्पेसिफिक माडल एवं राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला परिषदों में क्रय प्रक्रिया हेतु सरकार ने किस कमेटी का निर्धारण किया है? क्रय प्रक्रिया से सम्बन्धित कमेटी गठन के सरकार के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिला परिषदों में उक्त आदेश का उल्लंघन कर समितियों का गठन किया गया है? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार (पंचायती राज विभाग) द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को यथा जिला परिषद, पंचायत समितियों को वर्ष 2011-12 में वाहन क्रय करने हेतु राशि उपलब्धर करायी गई है जिसकी जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। सरकार (पंचायती राज विभाग) द्वारा क्रय किये जाने वाले वाहनो का माडल स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा दर संविदा सूची अनुसार एक वाहन डी.जी.एस. एण्ड डी. द्वारा अनुमोदित दरों पर क्रय करने की स्वीकृति दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मांग्यावास (जयपुर) पंचायत समिति का आबादी विस्तार हेतु भू-आबंटन प्रकरण

610. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायत समिति मांग्यावास (जयपुर) को भंग कर दिया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, मांग्यावास का सम्पूर्ण रिकार्ड नगर निगम जयपुर को नहीं भिजवाया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिये कौन दोषी हैं और अब कब तक पूर्ण रिकार्ड नगर निगम जयपुर को भिजवा दिया जावेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम गोपालपुरा, पंचायत समिति मांग्यावास, तहसील सांगानेर के गत खसरा नं. 267 की भूमि ग्राम पंचायत की आबादी विस्तार हेतु वर्ष 1962 में आबंटित हुई थी?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त आबंटन का हवाला तहसील सांगानेर की मिसल नं. 311/1968 निर्णय दिनांक 26 सितम्बर, 1968 में दिया गया है? यदि हां, तो उक्त अलाटमेन्ट, मिसल एवं निर्णय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मांग्यावास पंचायत समिति नहीं थी बल्कि ग्राम पंचायत थी जिसे ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15(1) विधि/ग्राविप/92/3477 दिनांक 10 सितम्बर, 1992 के द्वारा ग्राम पंचायत के

(पंचायतीराज मंत्री)
समस्त ग्राम नगर परिषद सीमा के मास्टर प्लान में जाने के कारण ग्राम पंचायत मांग्यावास को विघटित किया जाना प्रस्तावित किया गया था। अधिसूचना की छाया प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-क)

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत, मांग्यावास में तत्समय शामिल ग्राम मांग्यावास, केशोपुरा, श्रृंगारपुरा, असरपुरा व नन्दकिशोरपुरा उर्फ मांग्यावास का समस्त रिकार्ड तत्कालीन प्रशासक ग्राम पंचायत, मांग्यावास द्वारा दिनांक 15.01.1993 को नगर निगम सांगानेर क्षेत्र जयपुर को सम्भलाकर दे दिया गया था। दिये गये चार्ज लिस्ट की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-ख)

(3) ग्राम पंचायत, मांग्यावास के ग्राम गोपालपुरा को नगर निगम की सीमा में सम्मिलित कर दिये जाने के बाद उसका सम्पूर्ण रिकार्ड नगर निगम को दे दिया गया था।

(4) ग्राम पंचायत, मांग्यावास के ग्राम गोपालपुरा को नगर निगम की सीमा में सम्मिलित कर दिये जाने के बाद उसका सम्पूर्ण रिकार्ड नगर निगम को दे दिया गया था।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कानरपुरा (जयपुर) ग्राम के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति

611. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर तहसील चौमूं पंचायत समिति गोविन्दगढ़ की ग्राम पंचायत चिनोई के ग्राम कानरपुरा की शेखावतों की ढाणी के अनुसूचित जाति के परिवारों से जनता आवास योजना के तहत मकान निर्माण हेतु राशि जमा करवाई गई थी? यदि हां, तो किस-किस से कितनी-कितनी राशि? रसीद की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवास योजना में शेखावतों की ढाणी ग्राम कानरपुरा के श्री किशन लाल पुत्र श्री देवाराम बुनकर, श्री गणेश पुत्र श्री दुला बलाई, श्री कालूराम पुत्र श्री लक्ष्मण राम बुनकर तथा श्री रामलाल पुत्र श्री कानाराम बलाई ने पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में रसीद संख्या 91, 92, 93 एवं 94 से दिनांक 25 जनवरी, 1996 को रुपये 6000/- प्रति व्यक्ति जमा कराये थे?यदि हां, तो जमा रसीद की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(3) क्या उक्त अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उक्त राशि जमा कराने के कई वर्ष बाद भी जनता आवास योजना में आवास/आवास पेटे राशि की स्वीकृति नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त आवास स्वीकृत नहीं करने के प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कब तक करेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अब उक्त परिवारों को जनता आवास योजना/अन्य किसी योजना में आवास/आवास हेतु राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री किशनलाल पुत्र श्री देवाराम, श्री गणेश पुत्र श्री दूला राम बलाई, श्री कालुराम पुत्र लक्ष्मण राम बुनकर तथा श्री रामलाल पुत्र श्री कानाराम बलाई ग्राम कानपुरा से प्रति व्यक्ति राशि रुपये 6000 जमा करवाये गये। रसीद की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। रसीद संख्या- 91, 92, 93, 94 की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नही। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) उक्त व्यक्तियों को आवास स्वीकृत करने का कोई प्रकरण बकाया नही है।

(5) उक्त व्यक्तियों को आवास स्वीकृत करने का कोई प्रकरण बकाया नही है।

(प्रतियां विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिवगंज शहर (सिरोही) में हाई मास्ट लाइट स्थापित करने हेतु स्वीकृत राशि

612. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही को दिनांक 28 अप्रैल, 2011 को विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जनहित में शिवगंज शहर में शीतला माता चौक में सार्वजनिक

(श्री ओटाराम देवासी)

स्थल पर हाई मास्ट लाइट लगाने हेतु विधायक कोष से 5.27 लाख की अनुशंषा प्राप्त हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अनुशंसा पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा दिनांक 05 मई, 2011 को प्रशासनिक स्वीकृति जारी करते हुये तकनीकी तखमीना (टी.एस.) के लिये अधिशासी अधिकारी नगरपालिका मण्डल शिवगंज को निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो नगरपालिका मण्डल शिवगंज द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों? सम्बन्धित पत्रावली एवं कार्यालय टिप्पणी की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सांसद कोष व विधायक कोष की अनुशंषाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की समय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो इस अनुशंषा की क्रियान्विति नहीं होने में कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जिला परिषद, सिरोही द्वारा उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 5.5.2011 को जारी नहीं की गई। जिला परिषद के पत्रांक 94 दिनांक 5.5.2011 द्वारा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, शिवगंज से उक्त कार्य का तकमीना मय तकनीकी तथा कार्य सम्पादित होने के बाद इसका रखरखाव (यथा मासिक विद्युत बिल का भुगतान, रिपेयर आदि) एवं संचालन का जिम्मा वहन करने की सहमति मांगी गई थी। नगरपालिका शिवगंज के पत्रांक 6623 दिनांक 28.2.2012 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य सम्पादित हो जाने के बाद इसका रखरखाव (यथा मासिक विद्युत बिल का भुगतान, रिपेयर आदि) एवं संचालन का जिम्मा वहन करने को नगरपालिका शिवंगज सहमत है। इस प्रकरण में किये गये पत्राचार एवं कार्यालय टिप्पणी की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) जी हां। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सिफारिश प्राप्त होने की तिथि से 75 दिनों के भीतर सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात सभी सिफारिश किये गये पात्र कार्य स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। यदि अनुशंसित कार्य की स्वीकृति किसी कारणवश जारी नहीं की जा सकती हो तो उसके कारण सहित 45 दिनों के भीतर अस्वीकृति के सम्बन्ध में सूचित करने का प्रावधान है।

इसी प्रकार विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने के 10 दिवस में प्रशासनिक स्वीकृति, 15 दिवस (माडल एस्टीमेट के आधार पर)/20 दिवस मौके की स्थिति के अनुसार तकमीना बनाने की स्थिति में तकनीकी स्वीकृति जारी करने तथा तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद 10 दिवस में वित्तीय स्वीकृति जारी करने का प्रावधान है।

विभागीय परिपत्र दिनांक 2.8.2010 के तहत हाई मास्क लाइट की अनुशंषा के क्रियान्विति के क्रम में सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका से कुल लागत का 10 प्रतिशत लिया जाना निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार विद्युत व्यय एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय को सुनिश्चित करने के पश्चात ही लगवाया जाना प्रावधित हैं।

माननीय विधायक की अनुशंसा पर नगरपालिका शिवगंज के बोर्ड की दिनांक 14.2.2012 को सम्पन्न बैठक में कुल लागत का 10 प्रतिशत वहन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अधिशासी अधिकारी नगरपालिका शिवगंज के द्वारा उक्त प्रस्ताव की अनुपालना में पत्रांक 6483 दिनांक 21.2.2012 द्वारा जिला परिषद सिरोही को अवगत कराया गया। जिसके क्रम में जिला परिषद के पत्रांक 691-94 दिनांक 28.2.2012 द्वारा कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस प्रकार कार्य की स्वीकृति के लिये किसी भी अधिकारी/ कार्मिक स्तर पर विलम्ब नहीं किया गया है।

(4) जी नहीं। स्वीकृति जारी करने में कोई भी अधिकारी/कार्मिक ने विलम्ब नहीं किया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मारवाड़ जंक्शन के बी.पी.एल. परिवार हेतु सहायता राशि

613. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. के परिवार के मुखिया की मृत्यु पर सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो क्या-क्या और कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के विठोडा कतला के श्री चन्दनमल पुत्र श्री नन्दारामजी की मृत्यु पर सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुरूप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों की सूची में उल्लेखित एवं आस्था कार्डधारी परिवार का मुखिया जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की हो का जीवन बीमा कराया जाता है जिसका प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।

इस योजना में बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उसके नामित सदस्य को तथा स्थायी/आंशिक अपंगता की स्थिति में स्वयं को निम्न लाभ देय होगा, जिसका भुगतान भारतीय जीवन बीमा द्वारा किया जायेगा:-

1. सामान्य मृत्यु होने की दशा में 30 हजार रुपये
2. दुर्घटना होने की दशा में:-
   - क. मृत्यु होने पर 75 हजार रुपये।
   - ख. स्थाई पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर 75 हजार रुपये।
   - ग. 2 आंख या 2 हाथ/पैर या एक हाथ/पैर की क्षति होने पर 75 हजार रुपये।
   - घ. एक आंख या एक हाथ/पैर की क्षति होने पर 37 हजार 500 रुपये।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत बिठौडा कला में चन्दनमल पुत्र श्री नन्दाराम स्टेट बीपीएल में चयनित है जिनको पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के अन्तर्गत सहायता दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

भरतपुर के चिन्हित बी.पी.एल. परिवारों हेतु सुविधाएं

614. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में वर्ष 2002 के सर्वे में कुल कितने बीपीएल परिवार चिन्हित किये गये थे? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सूची में से अब तक बीपीएल कार्डधारकों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवायी गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को कौन-कौनसी सुविधाएं दी जा रही हैं? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल सूची-2002 में 2270 परिवार चयनित किये गये थे। ग्राम पंचायतवार संख्या सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की बीपीएल सूची-2002 में चयनित परिवारों को विभाग द्वारा निम्नांकित योजनाओं में लाभान्वित किया गया है।

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत बैंको से ऋण एवं सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार प्रदान करना।
2. इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत नवीन/क्रमोन्नत भवन के निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाना।
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारन्टी योजना की कैटेगरी 4 के अन्तर्गत लाभान्वित करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा नि:शुल्क आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध करवाना।
5. मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु सहायता।
6. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की बीपीएल सूची-2002 में चयनित परिवारों को निम्नांकित योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है।

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत बैंकों से ऋण एवं सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार प्रदान करना।
2. इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत नवीन/क्रमोन्नत भवन के निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाना।
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारन्टी योजना की कैटेगरी 4 के अन्तर्गत लाभान्वित करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा नि:शुल्क आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध करवाना।
5. मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु सहायता।
6. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना।

उपरोक्त योजनाओं के दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

टीडी (उदयपुर) ग्राम में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

615. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण आदिवासी एवं पिछड़ा क्षेत्र की पंचायत समिति गिर्वा जिला उदयपुर के गांव टीडी में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए पंचायत समिति गिर्वा जिला उदयपुर के पास टीडी में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लघु उद्योगों को देय अनुदान

616. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कौन-कौन से कार्य किये जाते हैं तथा किन-किन लघु उद्योगों में क्या-क्या छूट दी जाती है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के आयोजना बजट अन्तर्गत निम्न कार्य किये जाते हैं व लघु उद्योगों में छूट (सहायता) दी जाती है:-

1. प्रचार-प्रसार।
2. खादी एवं ग्रामोद्योग भण्डारों का नवीनीकरण।
3. खादी अभिकर्ता/कार्यकर्त्ता एवं पदाधिकारियों को प्रशिक्षण।
4. खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की गुणवत्ता सुधार।
5. खादी व ग्रामोद्योग के उत्पादों का एक्सपोर्ट प्रमोशन।
6. हायरिंग आफ प्रमोशनल सर्विसेज आफ एक्स्पर्टस।
7. शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दक्षता आधारित तकनीकी प्रशिक्षण एवं खादी कत्तिन-बुनकरों को कताई-बुनाई प्रशिक्षण।
8. जिला स्तरीय प्रदर्शनियां आयोजित कर खादी ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रचार-प्रसार व बिक्री।
9. खादी संस्था/समितियों को लघु खादी परियोजना अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है।
10. ग्रामोद्योग कलस्टर के माध्यम से 5-10 वित्त पोषित इकाइयों के समूह हेतु कामन फेसेलिटी सेन्टर बनाकर लाभान्वित करना।

खादी वस्त्रों पर राज्य रिबेट:- राज्य सरकार के गैर आयोजना मद से वर्ष 2011-12 के लिए खादी संस्थाओं के माध्यम से खादी की फुटकर बिक्री पर रिबेट देने के लिए रु. 4 करोड़ का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत 108 दिवस में ऊनी, सूती खादी पर 10 प्रतिशत एवं रेशमी, पोली वस्त्र, पोलीवूल पर 5 प्रतिशत राज्य रिबेट दी गई है।

(खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

भारत सरकार (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत खादी आयोग, खादी बोर्ड व उद्योग विभाग के माध्यम से सेवा क्षेत्र में 10 लाख रु. तक तथा विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रु. तक की परियोजनायें जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा स्वीकृत कर बैंकों को अग्रेषित की जाती है। सम्बन्धित बैंक अपने स्तर पर उद्यमी की परियोजना का परीक्षण कर ऋण उपलब्ध कराता है। उद्यमी की श्रेणी के अनुरूप 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी (अनुदान) दिये जाने का प्रावधान है। योजना का ब्रोशर परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। राज्यं सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.03.11 के द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र की संस्था/समिति/व्यक्तिगत इकाइयों को वैट कर से मुक्त किया हुआ है। अधिसूचना अनुसार साबुन, ईंट, लौहा, स्टील या लकड़ी के फर्नीचर, मार्बल, कोटा स्टोन, सेण्ड स्टोन को छोड़कर सभी उद्योगों में संस्था/समिति के मामले में 2.00 करोड़ रु. तक की वार्षिक बिक्री तथा व्यक्तिगत इकाई के मामले में रु. 50 लाख तक की वार्षिक बिक्री वैट कर से मुक्त है। यह सुविधा सीधे ही वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में ठेके पर कार्यरत कम्प्यूटर कर्मी

617. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कुल कितने कम्प्यूटर कर्मचारी एन.आर.एच.एम. एवं कितने वार्षिक निविदा के आधार पर ठेका फर्मों के माध्यम से कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) एन.आर.एच.एम. के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों का नियमानुसार वेतन कितना निर्धारित है एवं वर्तमान में उक्त कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में नियमित प्रकृति के कार्यों को वर्षों से विभिन्न ठेका फर्मों के माध्यम से करवाकर श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है?

(श्री केसाराम चौधरी)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय से सम्बन्धित कई (मेन पावर) ठेका फर्मों के विरुद्ध श्रम न्यायालयों में प्रकरण चल रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से व कब से तथा उन पर अस्पताल प्रशासन ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा वर्ष 2010 के जनवरी व फरवरी माह में कम्प्यूटर कर्मचारियों को सीधे (Daily Wages) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बतौर नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों को वेतन का समय पर भुगतान कर दिया? यदि नहीं, तो श्रम न्यायालय द्वारा कुल कितनी पेनल्टी लगाई गई तथा क्या उक्त पेनल्टी का भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो कब?

(6) क्या सरकार उक्त अस्पताल में संचालित राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से कई वर्षों से कार्यरत ठेका श्रमिकों को स्थाई नियुक्ति देकर उनके शोषण को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जो ठेके पर मेन पावर कार्य कर रही है उनका गत पांच वर्षों में कई ठेका फर्मों द्वारा पी.एफ. राशि का गबन किया गया है? यदि हां, तो अस्पताल प्रशासन द्वारा अब तक किस-किस फर्म के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(8) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा ठेका/संविदा प्रथा पर रोक लगाये जाने की घोषणा करने के उपरान्त भी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में वार्षिक निविदा के माध्यम से ठेका श्रमिकों को नियोजित कर उनका भारी शोषण किया जा रहा है? यदि हां, तो किन नियमों/आदेशों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में एन.आर.एच.एम. के तहत कोई कम्प्यूटर कर्मचारी कार्यरत नहीं है। वार्षिक निविदा के आधार पर ठेका फर्मों के माध्यम से 156 कम्प्यूटर आपरेटर कार्यरत हैं।

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में एन.आर.एच.एम. के माध्यम से कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

(3) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में नियमित प्रकृति के कार्यों को विभिन्न ठेका फर्मों के माध्यम से करवाये जाने में किसी श्रम कानून का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

(4) श्रम न्यायालयों में ठेका श्रमिकों द्वारा वर्ष 2009 में ठेका फर्म मैसर्स गुप्ता कान्ट्रेक्टर्स व वर्ष 2010 में मैसर्स सन आपरेशन एण्ड मेन्टेन्स इंजिनिरिंगस प्राइवेट लिमिटेड तथा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय के विरुद्ध ओवर टाइम एवं समय पर भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में तथा वर्ष 2011 में ठेका फर्म श्री इन्फोंमेशन सिस्टम एवं अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय के विरुद्ध कुछ श्रमिकों ने नियमित करने के सम्बन्ध में प्रकरण श्रम न्यायालय में दायर किये।

श्रम न्यायालय में कुल 6 प्रकरण विचाराधीन हैं। चिकित्सालय प्रशासन द्वारा 4 प्रकरणों में राजकीय अधिवक्ता के माध्यम से श्रम न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कर दिये गये हैं। 2 प्रकरणों में जवाबदावा सुनवाई की तिथि दिनांक 19-4-2012 को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) अस्पताल प्रशासन द्वारा वर्ष 2010 के जनवरी व फरवरी माह में किसी भी कर्मचारी को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। दिनांक 31-12-2009 की रात्रि को 12.00 बजे ठेका फर्म गुप्ता कान्ट्रेक्टर्स द्वारा कार्य बंद किये जाने के फलस्वरूप एक आपातकालीन स्थिति पैदा हुई जिससे समस्त कम्प्यूटर का कार्य बंद हो गया। मरीजों के हित, जनहित के प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त एवं अस्पताल की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये यह आपातकालीन व्यवस्था राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा की गई। दैनिक न्यूनतम मजदूरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के दर पर नयी निविदाओं के अंतिमीकरण होने पर आवश्यक संख्या में कम्प्यूटर आपरेटर से कम्प्यूटर कार्य सम्पादित कराया। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा उसके रखे हुये श्रमिकों का उपस्थिति के अनुसार भुगतान किया जा चुका है। जिन कर्मचारियों ने समय पर उपस्थित होकर भुगतान प्राप्त नहीं किया उसके लिये सोसायटी जिम्मेदार नहीं है।

न्यायालय वेतन भुगतान प्राधिकारी द्वारा राशि रुपये 1,09,000/- की पैनल्टी लगाई थी। उक्त राशि न्यायालय वेतन भुगतान प्राधिकारी में जमा कराते हुये निर्णय के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायालय, जयपुर शहर, जयपुर में अपील प्रस्तुत की गयी है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

(6) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से नियमित प्रकृति के कार्यों को विभिन्न ठेका फर्मों के माध्यम से करवाया जाता है। अतः वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(4)वित्त/नियम/2011 दिनांक 17-6-2011 के अनुसार ठेका श्रमिकों का शोषण नहीं किया जा रहा है।

(7) मैसर्स स्पार्कलिंग एन्टरप्राइजेज जयपुर के द्वारा पी.एफ. की राशि सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं कराने पर थाना मोतीडूंगरी में एफआईआर दर्ज करवायी गयी।

(8) वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(4)वित्त/नियम/2011 दिनांक 17-6-2011 के तहत जाब बेसिस संविदा पर सम्बन्धित फर्मों/एजेन्सी के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है।

नटवाडा (टोंक) ग्राम पंचायत के नरेगा श्रमिकों के मस्टररोलों में कांट-छांट

618. **श्री कमल बैरवा** (निवाई) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नटवाडा, पंचायत समिति निवाई में दिनांक 15 नवम्बर, 2011 से 24 नवम्बर, 2011 एवं 26 नवम्बर, 2011 से 09 दिसम्बर, 2011 में नरेगा कार्य की मस्टररोलों में श्रमिकों की हाजरियों में बड़े पैमाने पर कांट-छांट की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मस्टररोल में असत्य इन्द्राज एवं कांट-छांट करना, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 468 एवं 471 में दण्डनीय अपराध है? यदि हां, तो अब तक कार्यक्रम अधिकारी निवाई ने दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त गम्भीर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की है? क्या सरकार कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मस्टररोल दिनांक 15.11.2011 से 24.11.2011 में कांट-छांट की गई थी। जिसकी जांच उप खण्ड अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी निवाई द्वारा की गई एवं ग्राम पंचायत को नोटिस भी दिया गया। उत्तारदायी मेटो को अयोग्य घोषित किया गया है।

(2) जी हां। किसी भी मस्टररोल में असत्य इन्द्राज करना एवं अपराधिक कृत्य करने के उद्देश्य से कांट-छांट करना दोष सिद्ध होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 468 एवं 471 में दण्डनीय अपराध है। कार्यक्रम अधिकारी निवाई द्वारा ग्राम पंचायत को नोटिस दिये गये एवं मस्टररोल पर गोले बनाने के उत्तरदायी मेटो को ब्लेक लिस्टेड कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही की गई है। अतः कार्यक्रम अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का विचार नही है।

स्थगित प्रश्न

गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2012

कोटा जिले में जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार

294. श्री अनिल जैन (खानपुर) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना की प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मानिटरिंग की जाती है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इसके क्या-क्या परिणाम प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा मानिटरिंग के आधार पर किन-किन डाक्टर्स और कर्मचारियों के विरुद्ध किस-किस प्रकरण में अभियोग दर्ज किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत तीन वर्षों में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कोटा जिले के लाभान्वितों पर कितना व्यय हुआ? तहसीलवार/मदवार संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये रोजाना मानिटरिंग नहीं की जाती है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित सेवाओं एवं महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की जाती है, जिसमें राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना भी शामिल है। जिसमें सेवाओं एवं योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं। यह योजना राजस्थान में दिनांक 12 सितम्बर, 2011 से शुरू की गई है।

(2) वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये मानिटरिंग के आधार पर डाक्टर्स एवं कर्मचारियों के विरूद्ध किसी प्रकार के अभियोग दर्ज नहीं किये गये हैं।

(3) जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कोटा जिले के लाभान्वितों पर वर्ष 2008-2009 में 29288480 रुपये की राशि, वर्ष 2009-2010 में 27951483 रुपये की राशि एवं वर्ष 2010-2011 में 28629330 रुपये की राशि व्यय हुई है । तहसीलवार/मदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट "अ"

कोटा जिले में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 से वर्ष 2010-2011 तक व्यय की गई राशि का तहसीलवार एवं मदवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

Year 2008-2009					
S. No.	**Name of tehsil**	**Benefiacery**	**Asha/Dai**	**Refferal**	**Total**
1	Digod	1741800	163000	250500	2155300
2	Sangod	1667500	113000	217100	1997600
3	Ladpura	14096150	242900	469150	14808200
4	Pipalda	3704900	220700	663300	4588900
5	Ramganjmandi	4626300	219300	892880	5738480
	Total	**25836650**	**958900**	**2492930**	**29288480**
Year 2009-2010					
S. No.	**Name of tehsil**	**Benefiacery**	**Asha/Dai**	**Refferal**	**Total**
1	Digod	1984900	197500	285250	2467650
2	Sangod	1890100	173900	300900	2364900

S. No.	Name of tehsil	Benefiacery	Asha/Dai	Refferal	Total
3	Ladpura	11867650	440150	1095153	13402953
4	Pipalda	3681600	377500	564600	4623700
5	Ramganjmandi	4123700	183400	785180	5092280
	Total	**23547950**	**1372450**	**3031083**	**27951483**
	Year 2010-2011				
S. No.	**Name of tehsil**	**Benefiacery**	**Asha/Dai**	**Refferal**	**Total**
1	Digod	1985900	61200	380850	2427950
2	Sangod	2031200	178400	307200	2516800
3	Ladpura	12616300	367200	1374000	14357500
4	Pipalda	3545800	146600	706200	4398600
5	Ramganjmandi	3996300	174300	757880	4928480
	Total	**24175500**	**927700**	**3526130**	**28629330**

स्थगित-प्रश्न

गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2012

माफी मन्दिर श्री सीतारामजी कानरपुरा के नाम दर्ज भूमि

276. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नदी/नाले/जोहड़ एवं मंदिर माफी की भूमि के मामलों में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में निर्णय दिया था कि उक्त सभी प्रकरणों में वर्ष 1947 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाये? यदि हां, तो न्यायालय के निर्णय की प्रति सहित सरकार द्वारा उक्त निर्णय की पालना हेतु जारी किये गये दिशा निर्देशों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) मन्दिर श्री सीताराम जी बिराजमान ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर की माफी मन्दिर की भूमि जिला सीकर के किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी भूमि सम्वत 2019 से माफी मन्दिर नाम से दर्ज थी? वर्तमान में क्या उक्त भूमि वापिस देवमूर्ति के नाम कर दी गई? ग्राम/पटवार सर्किलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार रिणवां)

(3) क्या यह सही है कि उक्त माफी मन्दिर भूमि जिला सीकर के ग्राम सीतारामपुरा/केरपुरा/चैनपुरा व अन्य ग्रामों में भी थी? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी भूमि?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम केरपुरा पटवार सर्किल लाम्बिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में पुराना खसरा नं. 152, 154, 155, 160, 161 व 156, 158, 159, 162, 163, 165 एवं 153, 157, 161, 276 तथा 271/1 सम्वत् 2019 की जमाबन्दी में कालम नं. 3 में माफी मन्दिर श्री सीतारामजी पुजारी हरीदास चेला राधा किशनदास कौम ब्राह्मण साकिन कानरपुरा के नाम दर्ज थी? यदि हां, तो उक्त जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सेवायतन द्वारा उक्त जिले की भूमि पेटे वार्षिक वृत्ति का भुगतान भी उठाया जा रहा था?

(6) उक्त ग्राम की उक्त भूमि सम्वत् 2008 से 2018 तक और सम्वत् 2023 से 2048 तक किसके नाम दर्ज रही? उक्त अवधि की हाले जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(7) उक्त खसरा नं. की उक्त भूमि वर्तमान में किस-किसके नाम दर्ज है और उक्त भूमि के नये खसरा नं. क्या-क्या हैं? विवरण मय रिकार्ड के सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि उक्त भूमि राजस्व कार्मिकों की मिलीभगत के कारण माफी मन्दिर श्री सीतारामजी विराजमान ग्राम कानरपुरा के नाम से हटाकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने हेतु उनके नाम इन्द्राज कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों और किस-किसके नाम? विवरण मय रिकार्ड के सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि में से नया खसरा नं. 601, 621, 622, 623 व 627 की भूमि आज भी माफी मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम दर्ज है? क्या उक्त भूमि के अलावा शेष खसरा नम्बर की भूमि कार्मिकों की मिलीभगत से अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों व किस-किसके नाम?

(10) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों को दण्डित कर बिन्दु संख्या 3 में अंकित उक्त खसरा नं. की भूमि वापिस माफी मन्दिर

(श्री राजकुमर रिणवां)

श्री सीतारामजी विराजमान ग्राम कानरपुरा के नाम कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(11) क्या सरकार उक्त भूमि माफी मन्दिर दर्ज करवाने हेतु रेफरेन्स की कार्यवाही कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि नदी, नाले, जोहड़ की भूमि के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार प्रकरण में दिनांक 02.08.2004 को आदेश पारित कर उनकी वर्ष 1947 में अंकित किस्म एवं स्थिति को बहाल करने का निर्णय किया गया था। न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2004 की प्रति परिशिष्ट-क पर, राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी पत्र दिनांक 24.12.2004 की प्रति परिशिष्ट-ख पर तथा पंचायतराज विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3810 दिनांक 21.12.2004 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश/आदेश दिनांक 02.08.2004 मन्दिर माफी की भूमि से सम्बन्धित नही है।

(2) जिला सीकर के ग्राम केरपुरा तहसील दातारामगढ़ के ग्राम केरपुरा की जमाबंदी संवत 2019-22 के खाता संख्या 75, 76, 77 के जागीरदार (भूमि धारक) कालम संख्या 4 में माफी मन्दिर सीतारामजी पुजारी हरिदास चेला राधा किशनदास सा. कान्डतरपुर किता 14 रकबा 95 बीघा 1 बिस्वा भूमि दर्ज थी। इसके खाता संख्या 75 के काश्तकार के कालम संख्या 5 में झुंथा व वाका व कान्याक व रूपला पि. नानगा हि. बराबर कौम माली सा.देह खसरा नम्बर 152 पर बकाश्त कजोड़ पुत्र गंगा माली सा.देह खाते के शेष खसरा नम्बरान पर बकाश्त झुंथा कान्या रूपा पि. नानगा हि. 3/4 हि. बराबर सुरजा पुत्र बालू 1/4 माली सा.देह मुददत कदीम, खाता संख्या 76 के कालम नम्बर 5 में भैरूं व चन्दर पि. चेता कौम माली सा.देह बकाश्तश भुरा हीरा रामु पि. भैरूं 1/2 मंगला पुत्र चन्द्रा 1/2 माली सा.देह मुददत कदीम तथा खाता संख्या 77 के कालम संख्या 5 में खुद काबिज भोक्ता (मूर्ति मन्दिर) दर्ज है।

उपरोक्त भूमि में से खाता संख्या 77 मूर्ति मन्दिर की खुद काबिज साबिक खसरा नम्बन जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 600, 601, 621, 622, 623, 627 किता 6 रकबा 0.45 है. बने हैं, भूमि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम

(राजस्व मंत्री)

1952 की धारा 10 के प्रावधानों के अनुरूप मन्दिर मूर्ति श्री सीतारामजी के नाम से दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 75 व 76 की भूमि मूर्ति मन्दिर की खुदकाश्त भूमि नहीं होने से मूर्ति मन्दिर के खाते में दर्ज होने योग्य नहीं है।

(3) यह सही नही है कि ग्राम सीतारामपुरा चैनपुरा व अन्य ग्रामों में उक्त माफी मन्दिर के नाम भूमि थी ग्राम केरपुरा में उक्त माफी मन्दिर की भूमि का विवरण बिन्दु संख्या 2 के उत्तर में अंकित है।

(4) जी हां। मिलान क्षेत्रफल और जमाबंदी की प्रतियां परिशिष्ट-ब एवं स पर संलग्न हैं।

(5) तहसील कार्यालय दांतारामगढ़ में उपलब्ध रिकार्ड के मुताबिक उक्त मन्दिर की वृत्ति बंशीदास चेला हरिदास द्वारा भुगतान दिनांक 30.06.93 तक उठाया गया है।

(6) संवत् 2008 से 2018 तक जमाबंदी तहरीर नहीं हुई है। मिसल हकियत संवत् 2011 लगायत 27 एवं जमाबंदी संवत् 2019 से 2047 तक में भूमि जिनके नाम दर्ज रही उनका विवरण परिशिष्ट-द पर, हाल जमाबंदी का विवरण परिशिष्ट-र पर एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(7) मुताबिक राजस्व रिकार्ड उक्त खसरा नम्बर की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(8) जी नहीं। उपरोक्त आराजी की खातेदारी भू प्रबंध विभाग राजस्थान की खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 से 2027 के खाता संख्या 6 व 7 में उक्त मूर्ति मन्दिर का भोक्ता (जागीरदार) के कालम संख्या 3 में दर्ज है तथा कृषक का नाम जाति व निवास के कालम नम्बर 5 में कृषकों के नाम काश्त मुददत कदीम से दर्ज है तथा खाता संख्या 8 के खसरा नम्बर 153, 157, 161/276 पर भी मन्दिर मूर्ति खुद काबिज दर्ज है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 152, 154, 155, 160, 161, 156, 158, 159, 162, 163, 165 जमाबंदी बंदोबस्त संवत 2011-27 के मुताबिक अन्य व्यक्ति कृषक के रूप में दर्ज है। जिन्हें जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के नियमानुसार खातेदार दर्ज किया है।

(9) जी हां। यही सही है कि तहसील दांतारामगढ़ में उपलब्ध रिकार्ड में जमाबंदी संख्या 2065-68 में खाता संख्या 95 ग्राम केरपुरा के मुताबिक वर्तमान खसरा नम्बर 601, 621, 622, 623, 627 कुल रकबा 0.45 है. भूमि

(राजस्व मंत्री)

मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम से राजस्थान जागीर एक्ट 1952 की धारा 10 के तहत जागीर पुनर्ग्रहण के वक्त भूमि खुदकाश्त में होने के कारण मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज की है। इसी एक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत अर्हता रखने वाले दर्ज रिकार्ड कृषकों को माफी मन्दिर की भूमि पर भी खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत शेष नम्बरान पर कृषकों के नाम खातेदारी दर्ज की है।

इस प्रकार राज. जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुसार मूर्ति मन्दिर व कृषकों के नाम खातेदारी दर्ज की है।

(10) जी नहीं। क्योंकि माफी मन्दिर की भूमि पर राज. भूमि सुधार व पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के कानूनों के अन्तर्गत ही खातेदारी दर्ज की गई है।

(11) जी नहीं। उक्त जवाब के बिन्दुओं की रोशनी में ऐसा करना कानूनी आवश्यक नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-301 का विवरण)

परिशिष्ट–अ

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के नाम जिनके मुख्यालय पर चिकित्सा संस्थान स्वीकृत नहीं है का विवरण निम्नप्रकार है

पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
माण्लडगढ़	मांगटला
	खटवाड़ा
	श्यामगढ़
	कास्या
	बल्दरखा
कोटड़ी	गेन्दलिया
	मन्शा

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 42 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

1. विधान सभा क्षेत्र भीम में प्रचुर मात्रा में खनिजों एवं ग्रेनाइट की उपलब्धता को प्रोत्साहन करने हेतु रीको एरिया घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

2. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नीमरान, बहरोड़, भिवानी में स्प्रीट व कैमिकल यूनिटों के प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की जांच कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उद्योगों के लिए नीमरान बहरोड़ क्षेत्र में कृषि भूमि अवाप्ति के लिए हरियाणा व गुजरात की तर्ज पर 25 लाख रुपये बीघा व 30 सालों का किराये के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. नीमरान बहरोड़ भिवाड़ी के उद्योगों में स्थानीय ट्रान्सपोर्टरों को सामान ढुलाई का कार्य दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उद्योगों के लिए किसान की उपजाऊ कृषि भूमि को अवाप्त नहीं करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. अलवर जिले के उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

7. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में गैर रीको एवं निजी भूमि में लघु उद्योग लगाने पर रीको के समान विद्युत आपूर्ति कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में गैर रीको एवं निजी भूमि पर लघु उद्योग लगाने पर सभी सुविधाऐं दिलाने के लिऐ विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में अति लघु एवं लघु उद्योग लगाने को

प्रोत्साहन स्वरूप सिंगल विंडो की सुविधा 50 लाख तक के उद्योगों को न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में गुजरात की भांति लघु उद्योग स्थापना का वातावरण न बन सकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में खादी बोर्ड की भांति बेरोजगार युवकों को सभी अतिलघु एवं लघु उद्योग लगाने पर वित्तीय संस्था में एवं राष्ट्रीयकृत तथा गैर सरकारी बैंकों द्वारा ऋण दिलाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :

12. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में तेल मिल उद्यमियों को पूर्ण राहत नहीं देने से मिलों के बन्द होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. विभाग द्वारा जारी प्रोत्साहन नीति 2010 में संशोधन कर तेल मिलों को राहत देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर खाद का बड़ा कारखाना स्थापित करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. श्रीगंगानगर औद्योगिक क्षेत्र में पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. श्रीगंगानगर उद्योग विहार में सड़कों को दुरुस्त करने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

17. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में व्यापक स्तर पर कुटीर उद्योग स्थापित करने एवं पंचायत समिति शेरगढ़ व बालेसर मुख्यालय पर उद्योग शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

19. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में स्थित रीको तृतीय फेज का विस्तार करने एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

20. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के ग्राम बावरवाला, नवापुरा एवं दासोरिया में नमक उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्र में नमक उत्पादन हेतु कार्य प्रारम्भ करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

21. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कालाडेरा में स्थित कोकाकोला प्लांट द्वारा भारी जलदोहन के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

22. पाली शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में रा-वाटर एवं पेयजल हेतु सरकार द्वारा करोड़ों रुपये व्यय कर पाइप लाइनें डालने के बावजूद उद्योगों को रा-वाटर एवं पेयजल उपलब्ध कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. पाली शहर में पावरलूम उद्योग को स्थापित करने हेतु बिजली की दरों में अनुदान देने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. पाली शहर के पुनायता स्थित नये औद्योगिक क्षेत्र में रा-वाटर एवं पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाने एवं उच्च जलाशय के निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. पाली शहर के नया गांव स्थित नये औद्योगिक क्षेत्र में सस्ती दर पर भू-खण्ड आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. पाली शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त नालों की मरम्मत एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की जगह सीमेन्ट सड़क निर्माण कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

27. सीकर जिले के लोसल क्षेत्र में औद्योगिक विकास की योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

28. जैसलमेर में प्रचुर मात्रा में लाइम स्टोन होने के बावजूद भी सीमेन्ट उद्योग नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. जैसलमेर में पत्थर उद्योग के लिए कारीगरों को प्लाट, लोन व विद्युत कनेक्शन दिलाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

30. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मिलने वाले प्रचुर मात्रा में लाइम स्टोन, लाइम पाउडर एवं सीमेन्ट स्टोन की ग्रिट के कारण खनिज क्षेत्र बोरून्दा, हरियाडाणा, रणसीगांव, मुरकासनी, झाक, खारियामीठापुर बरना ग्रामों के क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

31. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में नये उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

32. सीकर जिले की रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. सीकर जिले में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

35. करौली के लाख की चूडी, लकड़ी से बनने वाले खिलौने जैसे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. करौली के मासलपुर में प्रस्तावित स्टोन मार्ट को शीघ्र चालू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

37. श्रीगंगानगर में किन्नू के ज्यूस प्रीजरवेशन का प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. गंगानगर की नई बनने वाली शुगर मिल का कार्य शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) :

39. लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति एवं स्वीकृति प्राप्त करने में आ रही असुविधा के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. रीको द्वारा उदयपुर सम्भाग में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं करने एवं राजसमन्द में हैण्डीक्राफ्ट काम्पलेक्स बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलत राज समेजा (रायसिंहनगर) :

42. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की सीमा क्षेत्र के उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना बनाकर उद्योग लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. उद्योगों के विकास हेतु बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा विशेष पैकेज देने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

44. राजस्थान में पिछले दस वर्षों में उद्योगों का विस्तार नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. राजस्थान के विभिन्न जिलों में नये औद्योगिक क्षेत्र घोषित होने के दस-दस वर्षों तक भी उसमें आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. उदयपुर में विभिन्न क्वालिटी के मार्बल खनिज क्षेत्र होते हुये भी मार्बल मण्डी का विकास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. मेवाड़, (उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़) विभिन्न खनिजों का भंडार होने के बावजूद वहां उद्योग स्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. उदयपुर, भादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में हजारों बीघा जमीन उद्योगों को आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

49. घड़साना, अनूपगढ़ व रावला में बन्द पड़े उद्योगों को पुनः चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

50. कोटा जिले में बन्द पड़े उद्योग को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

51. बांसवाड़ा जिले में उद्योग नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

52. मारवाड़ जंक्शन में फ्रेट कारिडोर को देखते हुए इण्डस्ट्रियल हब बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. औद्योगिक क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में रोड लाइट एवम् सड़कों की खराब हालत को सुधारने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

54. धौलपुर रीको में बन्द पड़े यूनिट्स को शीघ्र प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

55. राज्य में उद्योगों को बढावा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

56. विधान सभा क्षेत्र बयाना में रूदावल में स्लेट व्यवसाय को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. बयाना में स्टोन पार्क की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. प्रदेश में स्थापित उद्योगों में अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दिलाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. कोटा जिले में बन्द उद्योग के बेरोजगार कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. कोटा जिले में नये उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. राज्य के उद्योगों में काम आने वाली कृषि भूमि को खातेदारों के परिवार को एक नौकरी व क्षेत्र के निवासियों को 50 प्रतिशत रोजगार

के अवसर प्रदान करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

63. बायतू एवं कवास क्षेत्र में घरेलू उद्योग की स्थापना हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. बायतू में उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना बनाने एवं रीको के सहयोग से उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. बाड़मेर जिले के जिप्सम उद्योग में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

66. विधान सभा क्षेत्र सोजत में मेहन्दी उद्योग को सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र सोजत में चूना भट्टी व सीमेन्ट उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

68. राजाखेड़ा तहसील में उद्योग हेतु विभाग द्वारा अब तक सर्वे नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

69. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में रीको औद्योगिक क्षेत्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. राज्य के उद्योगों में श्रम कानूनों को सही ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. जिले के उद्योगों में स्थानीय श्रमिकों को रोजगार दिलाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

72. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बिना ट्रीटमेंट के टैक्सटाइल का रसायन युक्त गंदा पानी लूणी नदी में डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

73. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में बन्द पड़े उद्योगों को पुनः चालू कराने एवं नये उद्योग खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की सिमको वेगन फैक्टरी के लिए हुए समझौते के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) :

75. विधान सभा क्षेत्र सहाडा में उद्योगों की सभी पेन्डिंग फाइलों के निस्तारण के सम्बन्ध में वचर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

76. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में नये औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

77. राज्य स्तर पर विचाराधीन कोटा जिले की विभिन्न कलेस्टर योजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

78. जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में आई.ओ.सी. अग्नि काण्ड के कारण जिन उद्योगों को नुकसान हुआ है, उनको बकाया मुआवजे का भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में मूलभुत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. राजस्थान लघु उद्योग निगम में कोयले की आपूर्ति में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

81. जयपुर के मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. जयपुर के बाईस गोदाम एवं सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र घनी आबादी में आ जाने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

83. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में नवीन रिको एरिया घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र जहजपुर में औद्योगिक विकास हेतु पण्डेर, शक्करगढ़, कोटड़ी एवं बनकाखेड़ा में रीको एरिया घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

85. माण्डलगढ़ में अधिग्रहित रीको (RIICO) क्षेत्र की राशि जमा कराकर शीघ्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

86. प्रदेश में तेल उत्पादन उद्योग के संरक्षण हेतु ग्वार की भांति खाद्य तेलों को उत्पादन एवं विवरण के प्रत्येक स्तर पर वैट से मुक्त करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. जोधपुर पाली रोड पर नये रीको एरिया की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र रीको में मूलभूत सुविधाओं के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. प्रदेश के स्टील पाटा, लघु-कुटीर टैक्सटाइल्स उद्योग एवं हाथकरघा, हस्तशिल्प को संरक्षण-प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. जोधपुरी पत्थर को उद्योग का दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर पूर्व) :

91. बीकानेर के भूजिया, पापड़ एवं बड़ी उद्योग के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. बीकानेर के वूलन इण्डस्ट्री को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) में लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास एवं विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवल किशोर मीणा (बामनवास) :

94. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में औद्योगिक विकास की सम्भावना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

95. अजमेर जिले में संचालित कुटीर उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

96. राज्य में बन्द पड़े उद्योगों को पुनः प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. राज्य में नये लगने वाले उद्योगों को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत उद्योग लगाने हेतु ऋण उपलब्ध कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर पूर्व) :

99. बीकानेर में मेगाफूट पार्क विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. बीकानेर की सिरेमिक्स इण्डस्ट्रीज को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

101. जोधपुर में औद्योगिक विस्तार के लिए अवैध रूप से सालावास, संगरिया, तनावडा, शोभावतों की ढाणी आदि क्षेत्रों में रंगाई-छपाई की इकाइयों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए नए टैक्सटाइल जोन की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

102. बाड़मेर जिले के बालोतरा में हजारों उद्योग की इकाइयां (कपड़े की) बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. अजमेर जिले में रीको द्वारा आबंटित भू-खण्डों पर उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु प्रोत्साहन पैकेज लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में एक नगरीय हाट बाजार स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. दिल्ली मुम्बई इन्डस्ट्रियल कारिडोर परियोजना के अन्तर्गत किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर क्षेत्र में वृहद् National Manufacturing and Investment Zone स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. अजमेर जिले में लोहे के स्क्रेप का बड़ी मात्रा में व्यापार होने एवं अनेकों आयरन फाउण्ड्री मौजूद होने के कारण स्टील पार्क की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. कोटा शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र से लगी हुई वन विभाग की वृक्षरहित बंजर भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने व बदले में वन विभाग को अन्यत्र भूमि उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने हेतु योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. कोटा शहर में स्टोन पार्क, सालावाड में स्पाइस पार्क व कोटा में एग्रो फूड प्रोसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण) :

110. विधान सभा क्षेत्र अलवर में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इण्डस्ट्रीज को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

111. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र में वन विभाग की भूमि को उद्योगों हेतु आवाप्त कर छोटे व मध्य श्रेणी के उद्योगों के लिये सस्ती भूमि आबंटित कर नये औद्योगिक क्षेत्र रीको घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 43 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

1. विधान सभा क्षेत्र भीम में उपलब्ध खनिजों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

2. विधान सभा क्षेत्र बहरोड में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. भिवाड़ी, टपूकड़ा, अलवर क्षेत्र में अवैध खनन पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में खान मालिकों को आबंटित खनिज पट्टे से अधिक क्षेत्र में खनन कार्य करने पर अधिक पैनेल्टी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता के आधार पर खनिज पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नवीन खनिज पट्टे वर्गीय आरक्षण के आधार पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

7. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कार्यालय सहायक खनिज अभियन्ता (A.M.E.) बालेसर के अधीन क्षेत्र में क्वारी लाइसेंस के लिये 1117 खानों के लिये निकाली गई लाटरी का निस्तारण करवाकर खानों के क्वारी लाइसेंस जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भोमियाजी का थान क्षेत्र में 180 क्वारी लाइसेंस आबंटन हेतु कार्यालय सहायक खनिज अभियन्ता, बालेसर में जमा आवेदनों की क्वारी लाइसेंस लाटरी निकालकर खानें आबंटन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर में खनिज अभियन्ता (एम.ई.) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कार्यालय सहायक अभियन्ता, बालेसर के अधीन क्वारी लाइसेंस का किराया कम करने व किराया नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में खनिज क्षेत्र में सड़कें, स्वास्थ्य केन्द्र, पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

12. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में रमदा धार्मिक क्षेत्र व दमोह प्राकृतिक झरना क्षेत्र को संरक्षित कर अवैध खनन रोकने हेतु चौकी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. धौलपुर जिले में खनिज विभाग द्वारा की जा रही अवैध वसूली रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में खनन के लिये खनन पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

16. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के बाड़मेर शहर के बिल्कुल नजदीक कुडला, शिवकर, महावार में खनन के लिये अवाप्त की जा रही भूमि को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में कवास में स्थित लघु उद्योगों को जिप्सम उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (नीमकाथाना) :

18. नीमकाथाना तहसील के गायरेला में आवेदकों को यह कहकर कि यह स्थान भराव क्षेत्र में होने से खनन पट्टे नहीं हो सकते और बाद में नियम विरुद्ध उसी स्थान को अन्य व्यक्तियों को खनन के लिये आबंटित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के ग्राम चोकड़ी में रिहायसी बने मकानों एवं सरकारी भवनों से 300 मीटर की परिधि में ब्लास्टिंग की स्वीकृति देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

20. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के खनिज क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

21. सीकर जिले के ग्राम सामी में खसरा नंबर 143, 144 एवं 145 में गैर मुमकिन पहाड़ (चरागाह) में खनन पट्टा जारी नहीं करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

22. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में खनिज अवशेष सामग्री मलबा को डामर सड़क की पटरियों पर डालने की रोकथाम हेतु खनिज नीति में दण्डनीय प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

23. सीकर जिले में खनिज पट्टों को जारी करने में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

24. करौली जिले में निकलने वाले सिलिका व सैण्डस्टोन के अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

25. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

26. खनन की आय का 80 प्रतिशत राजसमन्द जिले से आने के बावजूद राजसमन्द जिले की माइनिंग की सड़कों की खस्ता हालात के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. जिला राजसमन्द में हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. जिला राजसमन्द में मार्बल मण्डी घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

29. कोटपूतली तहसील में अवैध बजरी खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. जयपुर जिले में खनन पट्टे के प्रकरणों का निस्तारण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. विराट नगर में उपलब्ध खनिज के पूर्ण दोहन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. कोटपूतली तहसील में खनिज भण्डार का सही मापदण्ड न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में अवैध खनन एवं खनन में पनप रहे माफिया पर नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दौलत राज समेजा (रायसिंहनगर) :

34. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के किसानों को उनकी भूमि में उपलब्ध जिप्सम के लिये नीति बनाकर किसानों की सहभागिता तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में जिप्सम के लिये विशेष नीति बनाकर अवैध खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

36. राज्य में खनिज रायल्टी प्राप्त होने के उपरान्त भी खनिज क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. बांसवाड़ा क्षेत्र में भू-सर्वेक्षण के आधार पर महत्वपूर्ण खनिजों का दोहन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. राजस्थान में विभिन्न शहरों एवं गांवों में भवन निर्माण सामग्री का भारी अवैध खनन विशेषकर नदियों के अन्दर से अवैध रैती दोहन के कार्य से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. बजट घोषणा के अनुसार रायल्टी का 1 प्रतिशत पंचायतों को नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. राजस्थान में खनिज विभाग की करोड़ों रुपयों की बकाया वसूली नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

41. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में दर्ज अवैध खनन के मुकदमों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

42. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में हो रहे खनन क्षेत्र (बल्लर) की पंचायतों को रायल्टी का एक प्रतिशत हिस्सा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

43. सीकर जिले में अवैध खनन करने वालों से विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. सीकर जिले में जूगलपुरा में आबंटित की गई खानें एवं मोडापहाड़ झुन्झुनूं में अवैध खनन पर राशि इम्पोज कर वसूल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानसिंह (परबतसर) :

45. मकराना मार्बल खण्डों पर रायल्टी समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

46. बांसवाड़ा जिले में जनजाति के व्यक्तियों को खनिज पट्टे देने में असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

47. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में खनिज अभियन्ता (एम.ई.) द्वारा पाली जिले के किसानों को कृषि कार्य हेतु बजरी के परमिट नियमों में होते हुये भी जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में खनिज अभियन्ता (एम.ई.) सोजत द्वारा एन.ओ.सी. नहीं देने के उपरान्त भी लीज स्वीकृत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

49. विधान सभा क्षेत्र नगर में अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

50. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में अवैध खनन पर विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

51. राज्य में हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

52. विधान सभा क्षेत्र बायतू में सरकारी एवं निजी भूमि में पहाड़ियों से पत्थरों एवं मुरड के हो रहे अवैध खनन की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र बायतू के उतरलाई एवं बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र में जिप्सम की खानों को आवेदकों को नियमानुसार आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. बाड़मेर जिले में हो रहे अवैध खनिज की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

55. विधान सभा क्षेत्र सोजत के मगरा क्षेत्र के खनिज व्यवसाय के तहत लघु पत्थर निकालने का लाइसेंस दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

56. विधान सभा क्षेत्र बयाना में बनास नदी से बजरी व्यवसाय की रोक हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

57. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के धौलपुर जिले में चम्बल नदी से बजरी निकालने पर लगे प्रतिबन्ध से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

58. अलवर जिले में मनमाने ढंग से खनिज आबंटन एवं अवैध खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटडी (सिवाना) :

59. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की ग्राम पंचायतों को खनिज की रायल्टी का हिस्सा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में लूणी नदी से रायल्टी ठेकेदारों द्वारा जे.सी.बी. से बजरी खोदने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

61. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

62. राज्य में खनन क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों व परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

63. कोटा स्टोन की खानों में काम करने वाले मजदूरों को आवास, चिकित्सा, पेयजल उपलब्ध कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. राज्य में खनन का कार्य करने वाले मजदूरों को केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. राज्य में खनन क्षेत्र में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों एवं मजदूरों को पेंशन दिये जाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. राज्य में अवैध खनन को रोकने व खनन क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि उपज मण्डी समिति व राजस्व रिकार्ड में दर्ज रोडों (सड़कों) को खुर्द-बुर्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) :

67. राज्य में अवैध तरीके से हो रहे खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में निकल रहे जिप्सम का सदुपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

69. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में अवैध खनन रायल्टी की चोरी व माइनिंग कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. बाड़मेर में निकलने वाले डीजल एवं पैट्रोल के लिये रिफाइनरी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

71. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर खानों में एकत्र होने वाले वर्षा जल के समुचित उपयोग की प्रभावी योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

72. राज्य में तेल रिफाइनरी की स्थापना के लिये राज्य स्तर पर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. राज्य के विभिन्न जिलों में रायल्टी ठेकेदारों पर वर्षो से बकाया करोड़ों रुपयों की राशि को वसूलने व उनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. कोटा जिले में अवैध खनन को रोकने व क्रेशर उद्योगों को पत्थर हेतु नये खनन क्षेत्रों को आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. राज्य में बनास व अन्य क्षेत्रों में बजरी की खुदाई पर लगी अंतरिम रोक के कारण अन्य वैकल्पिक क्षेत्रों के चयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) :

76. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्वीकृति जारी करने एवं प्लांट हेतु भूमि आबंटित होने के बावजूद भी निर्माण कार्य आरम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के इन्द्रगढ़, राजस्व भूमि एवं नगरपालिका में अवैध खनन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

78. राज्य के खनन क्षेत्रों में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए नीति बनाने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिये उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. दौसा जिले में गोचर भूमि पर खनन पट्टे जारी किये जाने एवं अलवर जिले में अवैध खनन के कारण हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

80. अलवर जिले के गोठड़ी, चिमरावली (लक्ष्मणगढ़) एवं सताना (राजगढ़) में हो रहे अवैध खनन को रोक पाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

81. राज्य में तेल एवं तेल उत्पादों के दोहन से मिलने वाली रायल्टी के निर्धारण के लिए मापदण्ड न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

82. प्रदेश में खनिज लाइसेंस आबंटन में किसी भी अधिकारी को कोई अधिकार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. प्रदेश में खनिज श्रमिकों की बस्तियों में ई.एस.आई. अस्पताल खुलवाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. प्रदेश में लाइम स्टोन की खानें केवल बड़े उद्योगपतियों को न देकर छोटे व मंझले उद्योगपतियों को भी आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

85. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

86. राज्य में खानों के आबंटन करने में पारदर्शिता रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. प्रदेश में पैट्रोलियम निदेशालय में कार्य के अनुरूप स्टाफ का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. राज्य में पैट्रो-प्रोडेक्ट्स के दोहन का माप विभाग द्वारा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकाराम जूली (अलवर-ग्रामीण) :

89. खनन रायल्टी को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

90. अजमेर जिले में बहुतायत से मिलने वाले क्वार्टज, फैल्सपार, चाइनाक्ले, डोलामाइट, केलसाइट आदि खनिजों के लिये एक मिनरल पार्क की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. अजमेर जिले में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. प्रदेश में कच्चे तेल के उत्पादन का शुभारम्भ होने के बावजूद रिफाइनरी स्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

93. मकराना क्षेत्र में 0.5 हैक्टेयर वाली छोटी-छोटी खानों को माइनिंग प्लान/स्कीम से नियमों के तहत छूट प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

94. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के खनन क्षेत्र चेनपुरा से बनास नदी तक की सड़क का नवीनीकरण कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में खनन क्षेत्र के सुगम परिवहन हेतु अभयपुर से बागूदार के लिये सड़क निर्माण कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

96. विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर उत्खनन में खानों से खनन अपशिष्ट और खानों में विशाल मात्रा में इकट्ठा होने वाले वर्षा जल की समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. खनन क्षेत्रों में विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा रायल्टी का पांच प्रतिशत हिस्सा सीधे ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत को दिये जाने और जहां ऐसे क्षेत्र शहरी क्षेत्र में आते हैं वह हिस्सा सम्बन्धित विधायक को उसी खनन क्षेत्र के विकास हेतु आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. अवैध खनन रोकने हेतु वर्तमान में प्रचलित अतिरिक्त कार्यभार देकर लीपापोती करने की पद्धति को रोककर पूर्व में प्रचलित सम्भागीय स्तर पर अधीक्षण खनिज अभियन्ता (सतर्कता) के पद पुनः सृजित कर पदस्थापित करने और प्रत्येक अधीक्षण खनिज अभियन्ता के अन्तर्गत कम से कम दो खनिज अभियन्ता (सतर्कता) मय आवश्यक स्टाफ सहित 200 जवानों की बार्डर होमगार्डस की टीम समुचित वाहन एवं अन्य संसाधन सहित उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार हर खान के लिये आवश्यक पर्यावरण स्वीकृति जारी करने हेतु गठित समिति की बैठक माह में चार बार हर सम्भाग पर करने और इसकी एक बैंच जोधपुर में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

100. प्रदेश के पैट्रोलियम निदेशालय में कार्य के अनुरूप स्टाफ का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल वर्मा (डग) :

101. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में तालाब के केचमेंट (आगार) एरिया में नियम विरुद्ध पुरानी तारीख से बाड़मेर सहायक खनिज अभियन्ता (ए.एम.ई.) द्वारा (मेसन्री स्टोन) पत्थर की सैकड़ों लीजें आबंटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 13 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-13 मुख्य शीर्षक आबकारी के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

1. राष्ट्रीय राजमार्गों एवं स्टेट हाइवे रोड पर आए दिन शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आबंटित शराब की दुकानों को हाइवे से दूर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

2. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में शराब की दुकानों की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. अलवर जिले में मिलावटी शराब की बिक्री पर तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. अलवर में बीयर व शराब उद्योगों द्वारा अवैध तरीके से बेची जाने वाली बीयर व शराब की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. बहरोड़ तहसील एवं अलवर जिले में अधिकतर गांवों में अवैध शराब के ठेकों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में शराब ठेकों पर रात्रि के 8.00 बजे बाद अवैध रूप से शराब की बिक्री बन्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

7. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मावल, छापरी व मण्डार गुन्दरी के समीप गुजरात सीमा पर हो रही शराब तस्करी की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

8. जिले सीकर में हरियाणा राज्य से बहुत मात्रा में देशी व विदेश शराब की तस्करी की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

9. राजस्थान में शराब की दुकानों का खुलने का समय प्रातः 9.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक का करने तथा अवैध संचालित बार बन्द करवाने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

10. सीकर जिले में प्रतिदिन हरियाणा राज्य से आ रही शराब की रोकथाम हेतु शराब माफियाओं को दिए जा रहे राजनैतिक संरक्षण को बंद किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

11. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में खेड़ली मण्डी की शाखाएं एवं गांवों में बिना स्वीकृति के चल रही शराब की दुकानों को बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के खेड़ली व कठूमर क्षेत्र में हरियाणा राज्य से हो रही शराब तस्करी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. खेड़ली मण्डी जिला अलवर में शराब की दुकानें रात 8.00 बजे से 12.00 बजे तक खुली रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

14. सीकर जिले में मंदिर एवं विद्यालयों के पास खुली खराब की दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

15. जिला उदयपुर में आबकारी विभाग द्वारा छोटे-छोटे एवं गरीब तपके के लोगों को अनायास ही परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में बढ़ते शराब की तस्करी पर रोकथाम लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

17. राज्य में अवैध मदिरा उत्पादन एवं वितरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

18. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में शराब के ठेकों में राज्य के बाहर से आ रही शराब की प्रभावी रोकथाम न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में आबकारी शराब की दुकानों के स्थान पर शराब बारों में पीछे के दरवाजे से पनप रहे शराब के धन्धे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में देशी अवैध शराब से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में प्रगति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. राज्य में आबकारी ठेकों में दो वर्ष की अवधि तक बढ़ोत्तरी करने से नये लोगों का अवसर समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. राजस्थान में आबकारी आय के लालच में धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं के आस-पास का माहौल बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

23. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अन्तर्गत देशी/विदेशी मदिरा की आबंटित दुकानों को सार्वजनिक स्थल से निश्चित दूरी पर हस्तान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलत राज समेजा (रायसिंहनगर) :

24. राज्य में पडौसी राज्यों से हो रही अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा दी जाने वाली नव जीवन योजना की राशि बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

26. उदयपुर सम्भाग में हजारों बीघा में अफीम की खेती का सम्पूर्ण डोडा चूरा खरीदने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर में शराब की अधिकांश दुकानें गरीब कच्ची बस्ती, औद्योगिक मजदूरों की कालोनियों, विद्यालय एवं मन्दिरों के पास होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर में जो परिवार अवैध शराब बनाकर अपनी जीविका चलाते हैं उन लोगों के जीवन को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विभिन्न शहरों एवं गांवों में बड़ी तादाद में ड्रग्स के प्रचलन पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. राजस्थान में विधिवत स्वीकृत शराब बारों की सूची सार्वजनिक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

31. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना के शास्त्री चौक पर शराब की दुकान गुरुद्वारा सिंह सभा व गणेश मन्दिर से 200 मीटर दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पिछले एक वर्ष के दौरान दर्ज आबकारी मुकदमों में चालान पेश करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

33. राज्य में शराब के अवैध कारोबार से हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. राज्य में शराब की दुकानें जो एक वर्ष के लिए दी गयी थीं उन्हें दो वर्ष और बढाने से हुई राज्य को हो रही आर्थिक हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) :

35. राज्य के हेरीटेज होटल्स में बार लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

36. पाली जिले में 2009 से 2011 तक डोडा पोस्त तस्करी के पुलिस द्वारा 57 मामले दर्ज किये, किन्तु आबकारी विभाग द्वारा डोडा पोस्त तस्करों से मिलीभगत से एक भी मामला दर्ज नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

37. विधान सभा क्षेत्र नगर के गांवों में शराब बनाने वालों को नव जीवन योजना से उनके जीवन को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

38. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कच्ची शराब बनाने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

39. विधान सभा क्षेत्र बायतू में धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों एवं विद्यालय परिसर के पास शराब की दुकानें नहीं खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र बायतू में शराब की दुकान के आगे एवं आम चौराहे पर शराब सेवन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. बाड़मेर जिले में निर्धारित समय के पश्चात अवैध रूप से शराब बिक्री पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

42. विधान सभा क्षेत्र सोजत में शराब की अवैध सप्लाई रोकने एवं आबकारी की नीलामी में हुये गबन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

43. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में लाइसेंस शुदा शराब की दुकानों के अलावा अवैध रूप से संचालित दुकानों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ एवं अलवर जिले में सरकार द्वारा घोषित समय रात्रि 8.00 बजे के बजाए देर रात तक दुकानें खुली रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

45. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में शराब की दुकानें सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, स्कूल, हास्पीटल व बस स्टैण्ड से दूर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) :

46. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर में पिछले चार साल से आबकारी निरीक्षक के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

47. श्रीगंगानगर जिले में मनमाने तरीके से शराब की दुकानें बिना बोली करवाये पूर्व में संचालित दुकानदार को मिलीभगत से दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. श्रीगंगानगर जिले में पोस्त के ठेकों से पंजाब आदि राज्यों में आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से सरेआम तस्करी किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2010 से मार्च, 2012 तक पकड़ी गई नाजायज शराब को रिश्वत लेकर छोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. श्रीगंगानगर जिले में आबकारी विभाग की मिलीभगत से शराब की तस्करी को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में पंजाब से आ रही अवैध शराब को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

52. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में शराब की रजिस्टर्ड दुकानें आबादी क्षेत्र से आधा या एक किलोमीटर दूर करने एवं बिना लाइसैंसशुदा दुकानों की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के राणी के मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन एवं धार्मिक स्थलों के पास से गंगानगर शुगर मील के शराब गोदाम एवं फैक्ट्री को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

54. राज्य में मद्य संयम नीति की प्रभावी रूप से पालना कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. राज्य में भांग, डोडा पोस्त, शराब के ठेकों की अवधि समाप्त होने पर दुबारा ठेका दिए जाने की बजाए उन्हीं ठेकों को रिन्यूवल किए जाने से हुई राजस्व हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. राज्य में शराब पीने की संस्कृति बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. राज्य में रात्रि 8.00 बजे बाद अवैध रूप से शराब बेचने के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. राज्य में गत तीन वर्षों में कई गुना बढ़े बीयर बार व बार रेस्टोरेन्ट की संख्या पर अंकुश लगाए जाने व निर्धारित मानदण्डों की कड़ाई से पालना कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

59. राज्य में अवैध शराब बेचे जाने पर रोक लगाने पर विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

60. जयपुर शहर में हरिजन बस्तियों में शराब की दुकानों के लिए नियम विरुद्ध लाइसेन्स जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. राज्य में हरियाणा प्रदेश से लाई जा रही अवैध शराब पर रोक लगाये जाने की आवयश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. जयपुर में नियम विरुद्ध संचालित शराब की दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. जयपुर में बीयर बार की संख्या में की गई बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

64. राजय की आबकारी नीति को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में मन्दिरों एवं विद्यालयों के पास शराब की दुकान तुरन्त अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

66. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अवैध रूप से संचालित शराब के ठेके बंद करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

67. प्रदेश के रेस्त्रों/बारों में हुक्का आदि पर कठोरता से रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. प्रदेश में बारों के लाइसेन्स देने पर रोंक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. प्रदेश में नवयुवकों के हित को मद्देनजर रखते हुये नशाबन्दी लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

70. अजमेर शहर की हर गली, नुक्कड़ व कालोनी में बहुत अधिक शराब की दुकानें खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. अजमेर जिले में संचालित शराब की दुकानों के रात्रि 8.00 बजे पश्चात भी दुकानें खुली होने से उतपन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. अजमेर शहर के मेयो लिंक रोड व धोलाभाटा रोड पर संचालित शराब की दुकानों को गैर रिहायशी क्षेत्रों में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. प्रदेश की खुशहाली के लिए शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. अजमेर जिले में अवैध शराब के व्यापार को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

75. राज्य में सम्पूर्ण मद्य निषेध को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. जोधपुर नगर में घातक नशीले पदार्थों स्मेक, गाजा, चरस आदि के बढ़ते चलन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. प्रदेश में अवैध रूप से देशी शराब निर्माण में संलग्न जाति विशेष, बस्ती विशेष में शराब भट्टों को नष्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. प्रदेश में मद्य सेवन के आदतन व्यक्तियों को नशा मुक्ति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. प्रदेश में सभी स्तर के पाठ्यक्रमों में सभी प्रकार के नशों के दुष्प्रभावों की ठोस जानकारी देने की सामग्री सम्मिलित करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

80. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में अफीम काश्तकारों से डोडा पोस्त के ठेकेदारों द्वारा समय पर डोडा पोस्त नहीं तुलवाने एवं भुगतान में मनमानी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

81. राज्य में शराब पर पूर्ण रूप से पाबन्दी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. राज्य में अफीम नीति के तहत पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. प्रदेश में शराब की दुकानों से प्रति वर्ष होने वाली आय से सम्बन्धित दुकान क्षेत्र व गांव में आवश्यक जनउपयोगी कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति, स्कूल, चिकित्सा क्षेत्र एवं सरकारी कार्यालयों से 2 किलोमीटर दूर शराब की दुकान लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. प्रदेश में आबकारी नीति के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में शराब की दुकानों के बाहर मोटे-मोटे शब्दों में दुकान खोलने व बन्द करने का समय लिखवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

86. बाड़मेर जिले के बालोतरा में कार्यरत आबकारी सी.आई. निरीक्षक द्वारा रात 8.00 बजे के बाद शराब की दुकानें खुली रखवाने एवं हरियाणा प्रदेश की अवैध शराब का अवैध धन्धे में लिप्त होने की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

87. प्रदेश में लगातार दिये जा रहे बारों के लाइसेन्सों पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. प्रदेश में नशाबन्दी लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।